

बारहवीं पंचवर्षीय योजना
(2012–2017)
समाजिक क्षेत्रक

खण्ड III

कॉपीराइट © योजना आयोग (भारत सरकार) 2013

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। इस पुस्तक के किसी भी अंश का किसी भी रूप में अथवा किसी भी विधि से, इलैक्ट्रॉनिक अथवा यांत्रिक, फोटोप्रतिलिपि, रिकार्डिंग अथवा किसी अन्य सूचना भंडारण अथवा पुनः प्रापण प्रणाली सहित योजना आयोग, भारत सरकार की लिखित अनुमति के बिना प्रतिलिपिकरण अथवा उपयोग नहीं किया जा सकता है।

निम्नलिखित द्वारा सर्वप्रथम 2013 में प्रकाशित



सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा. लि.
बी1 / I-1 मोहन कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल एरिया
मथुरा रोड, नई दिल्ली 110044, भारत
www.sagepub.in

सेज पब्लिकेशंस इंक
2455 टेल्लर रोड
थाउजैन्ड ओक्स, कैलीफोर्निया 91320, यूएसए

सेज पब्लिकेशंस लि.
1 ऑलिवर्स यार्ड, 55 सिटी रोड
लंदन ईसी1वाई 1एसपी यूनाइटेड किंगडम

सेज पब्लिकेशंस एशिया-पैसिफिक प्रा. लि.
33 पेकिन स्ट्रीट
#02-01 फार ईस्ट स्क्वेअर
सिंगापुर 048763

सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा. लि. के लिए विवेक मेहरा द्वारा प्रकाशित, रेक्टो ग्राफिक्स द्वारा 11/13 पीटी मिनिअन प्रो में फोटोटाइपसेट और सौरभ प्रिंटरस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटालॉगिंग-इन-पब्लिकेशंस डेटा
भारत, योजना आयोग
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012/2017)/योजना आयोग, भारत सरकार
वोल्थ्यूम्स सीएम
1. भारत-आर्थिक नीति-1991-92. वित्त, पब्लिक-इंडिया. I.टाइटल
एचसी435.3. I39 338.954009'0512-डीसी23 2013 2013009870

आईएसबीएन: 978-81-321-1369-0 (पीपी)

सेज टीम: रुद्र नारायण, अर्चिता मंडल, राजीव चटर्जी और डैली वर्गीस

बारहवीं पंचवर्षीय योजना
(2012–2017)
समाजिक क्षेत्रक

खण्ड III



सत्यमेव जयते

योजना आयोग
भारत सरकार

सेज उत्पाद चुनने के लिए धन्यवाद! यदि आपकी कोई टिप्पणी, प्रेक्षण अथवा प्रतिक्रिया हो, तो मैं, व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूंगा।

कृपया contactceo@sagepub.in पर मुझे लिखें।

—विवेक मेहरा, प्रबंध निदेशक और सीईओ,
सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली

थोक बिक्री

सेज इंडिया थोक में पुस्तकों की खरीद पर विशेष छूट देती है। हम मांग अनुसार अपनी पुस्तकों से उद्धरण और विशेष इम्प्रिंट्स भी उपलब्ध कराते हैं।

आर्डर और जानकारी के लिए, हमें निम्न पते पर लिखें:

विपणन विभाग

सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा. लि.

बी1 / 1-1, मोहन कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया

मथुरा रोड, पोस्ट बैग 7

नई दिल्ली 110044, भारत

हमें ई-मेल भेजें marketing@sagepub.in


सेज के बारे में और अधिक जानने, सेज समारोहों का निमंत्रण पाने के लिए हमारी डाक-सूची में शामिल हों। आज ही लिखें marketing@sagepub.in

यह पुस्तक ई-पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है।



विषय सूची

आकृति की सूची	vii
तालिकाओं की सूची	viii
बॉक्स की सूची	x
परिवर्णी शब्दों की सूची	xii
अनुबंध की सूची	xv
20. स्वास्थ्य	1
21. शिक्षा	49
22. रोजगार और कौशल विकास	127
23. महिला अभिकरण एवं बाल अधिकार	167
24. सामाजिक समावेशन	223



चित्र

20.1	भारत पर बीमारी का भार, 2008 (किसी कारण से हुई अनुमानित मौतों की संख्या)	22
20.2	भारत में डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, 2009 (डीएएलवाई के कारण द्वारा अनुमानित प्रतिशतता)	22
20.3	समय से पहले जन्म निवारण और समय से पहले जन्मे शिशुओं की देखरेख के लिए कार्यनीति	31
20.4	बारहवीं योजना में अनुमानित एचआरएच क्षमता का विस्तार	38
21.1	राज्यों/चयनित देशों द्वारा : माध्यमिक शिक्षा हेतु जीईआर	71
21.2	साक्षरता स्तर में सुधार 1981–2011 (प्रतिशत)	90
21.3	कार्यनीतिक ढांचा	94
21.4	उच्चतर शिक्षा में नामांकन (लाख में) : 2006–07 से 2016–17	100
21.5	सकल उपस्थिति अनुपात, 2007–08	105
22.1	बेरोजगारी दर के रुझान	129
22.2	युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर	136
23.1	0–6 वर्ष के बच्चों के लिंग अनुपात व संपूर्ण लिंग अनुपात	186
23.2	3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति (प्रतिशत)	200
23.3	भारत में विशेष रूप से अपर्याप्त मात्रा में स्तनपान (0–6 मास)	200
23.4	6–35 वर्ष आयु के बच्चे जिन्हें पिछले 6 महीनों के दौरान विटामिन ए की खुराक दी गई (प्रतिशत) (एएचएस 2010–11)	201

तालिकाएं

20.1	ग्यारहवीं योजना के दौरान निगरानी योग्य लक्ष्य और उपलब्धि	4
20.2	ग्यारहवीं योजना में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आबंटन और खर्च	5
20.3	ग्यारहवीं योजना में स्वास्थ्य के लिए निधिकरण : केंद्रीय और व्यापक स्वास्थ्य घटक	5
20.4	बारहवीं योजना में आईएमआर और एमएमआर पर राज्य-वार लक्ष्य	17
20.5	संक्रमणीय बीमारी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लक्ष्य	18
20.6	बारहवीं योजना (2012-17) में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के विभागों के लिए बजट सहायता	19
20.7	गैर-संक्रमणीय रोगों (एनसीडी) को रोकने के लिए हस्तक्षेप	33
20.8	ग्यारहवीं योजना के दौरान एचआर की उपलब्धता और बारहवीं योजना के अनुमान	38
20.9	राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण की निदर्शित सूची	41
21.1	2011-12 तक एसएसए के तहत हुई प्रगति की संचयी विवरण	55
21.2	बारहवीं योजना में एसएसए के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य	65
21.3	सामाजिक समूहों द्वारा माध्यमिक शिक्षा हेतु जीईआर (2009-10)	70
21.4	आरएमएसए : ग्यारहवीं योजना में उपलब्धि	73
21.5	माध्यमिक शिक्षा हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें	73
21.6	व्यवस्था सुधार में भूमिका	89
21.7	ग्यारहवीं योजना में नामांकन में वृद्धि	96
21.8	ग्यारहवीं योजना में मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन का विकास	96
21.9	ग्यारहवीं योजना के दौरान अध्ययन के क्षेत्र के अनुसार नामांकन का विकास	97
21.10	ग्यारहवीं योजना में संस्थानों का विकास	97
21.11	ग्यारहवीं योजना के दौरान केन्द्रीय संस्थान की विकास	98
21.12	बारहवीं योजना के लिए स्तर/प्रकार के अनुसार नामांकन लक्ष्य	99
21.13	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए निधीयन उत्तरदायित्व	121
21.14	बारहवीं योजना हेतु सकल बजटीय सहायता	125
22.1	सामान्य प्रधान भागीदारी और सहायक स्थिति द्वारा एलएफपीआर और डब्ल्यूएफपीआर, 1999-2000, 2004-05 और 2009-10 (प्रतिशत) तक - व्यक्ति	128
22.2	व्यक्तियों की अनुमानित संख्या मिलियन में	128
22.3	बेरोजगारी, पारिश्रमिक और खपत व्यय, 1993-94 से 2009-10	129
22.4	रोजगार में क्षेत्रों के आनुपातिक भाग	131
22.5	संगठित और असंगठित क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार (लाखों)	134
22.6	उद्योग और सेवा क्षेत्र में उद्यम के आकार के आधार पर कामगार की संख्या	135

22.7	व्यापक रोजगार की स्थिति (मिलियन कामगार) द्वारा सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) मार्ग के अनुसार कामगारों की संख्या	135
22.8	जेंडर द्वारा सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति द्वारा एलएफपीआर 1993-94, 2004-05 और 2009-10 (प्रतिशत)	136
22.9	जेंडर द्वारा सामान्य प्रधान और सहायक की स्थिति 1993-94, 2004-05 और 2009-10 (प्रतिशत) द्वारा डब्ल्यूपीआर	136
22.10	यूपीएसएस (प्रतिशत) 1993-94, 2004-05, और 2009-10 द्वारा बाल कार्य शक्ति की भागीदारी दर	136
22.11	सामाजिक समूह 1993-94, 2004-05 और 2009-10 द्वारा सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति के कार्य बल भागीदारी दर	137
22.12	सामाजिक समूह 2004-05 और 2009-10 द्वारा सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति द्वारा बेरोजगारी दर	137
22.13	जनसंख्या और श्रम शक्ति अनुमान	138
22.14	पिछले डेटा से रोजगार नम्यता	139
22.15	क्षेत्रवार वृद्धि दर : व्यवसाय के रूप में सामान्य परिदृश्य	139
22.16	क्षेत्रवार रोजगार (मिलियन में) : व्यवसाय के रूप में सामान्य परिदृश्य	140
22.17	क्षेत्रवार वृद्धि दर : बारहवीं पंचवर्षीय योजना परिदृश्य	140
22.18	क्षेत्रवार रोजगार (मिलियन में) : बारहवीं योजना परिदृश्य	141
22.19	15-59 वर्ष आयु समूह में श्रम शक्ति (पीएस+एसएस) के सामान्य शिक्षा स्तर	143
22.20	क्षेत्र (मिलियन), 2009-10 द्वारा शिक्षा के स्तर द्वारा कामगारों (15-59 के आयु समूह में पीएस+एसएस) की अनुमानित संख्या	144
22.21	2009-10 में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों (प्रतिशत) के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षित कामगारों (15-59 वर्ष के आयु समूह में पीएस+एसएस) का वितरण	145
22.22	भारत में प्रशिक्षुओं की संख्या (प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत)	147
22.23	प्रशिक्षण निधियों का वर्गीकरण	159
23.1	लिंग संबंधी चिंताओं का मंत्रालय-वार समावेशन	183
23.2	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के निगरानी योग्य लक्ष्य और इसकी उपलब्धियां	204
23.3	वर्तमान कार्यक्रम / योजनाएं	207
24.1	सामाजिक समूहों के बीच निर्धनता की दर	223
24.2	अनुसूचित जाति के लिए विशेष योजनाओं हेतु ग्यारहवीं योजना में किया गया आबंटन और व्यय	224
24.3	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण आबादी (1993-94, 1999-2000, और 2004-05) (प्रतिशत में)	231
24.4	अनु. जनजाति और कुल आबादी की साक्षरता दरें (प्रतिशत में)	231
24.5	अनु. जनजाति और कुल आबादी की महिला साक्षरता दरें (प्रतिशत में)	231
24.6	मृत्यु दर और अल्प पोषण	232
24.7	अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष स्कीमों हेतु ग्यारहवीं योजना में आबंटन एवं व्यय	232
24.8	धार्मिक समुदायों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरता दर	252
24.9	विभिन्न समुदायों के बीच शैक्षिक स्तर	253
24.10	श्रेणीवार कामगारों का प्रतिशत वितरण	254

बॉक्स

20.1	वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें	12
20.2	निधिबद्ध और सरकार द्वारा प्रदत्त निवारक और लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की दृष्टान्तयुक्त सूची	15
20.3	स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)	21
20.4	लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान, दिल्ली : स्थायी वित्त पोषण और स्वायत्तता का एक मॉडल	25
20.5	लचीलापन और विकेन्द्रीकृत योजना : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुख्य तत्व	30
20.6	मॉडल एचआर दिशानिर्देशों में सुझाई गई मर्दे	36
20.7	अभिसरण : उत्तरी त्रिपुरा में ग्राम स्वास्थ्य और पोषाहार दिवस	47
21.1	बारहवीं योजना के लिए लक्ष्य	53
21.2	प्रारंभिक शिक्षा के लिए बारहवीं योजना की कार्यनीति	57
21.3	स्कूल उत्कृष्टता कार्यक्रम – मुम्बई	64
21.4	माध्यमिक शिक्षा: बारहवीं योजना का उद्देश्य	74
21.5	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा सुधार	77
21.6	एनवीईक्यूएफ के तहत व्यावसायिक शिक्षा पर पायलट परियोजना	81
21.7	बारहवीं योजना के लिए नामांकन लक्ष्य	93
21.8	टीआईएसएस: एक बहु-स्थान नेटवर्क विश्वविद्यालय	102
21.9	राज्यीय उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रीय निधिकरण में कार्यनीतिक बदलाव	102
21.10	सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना की संकल्पना और ढांचा	104
21.11	छात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रम (एसएफएपी)	107
22.1	प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों की संकल्पनात्मक रूपरेखा	130
22.2	विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए कौशल नीति	146
22.3	बारहवीं योजना में चुने गए प्राथमिकता के क्षेत्र	150
22.4	12वीं योजना में कुशलता विकास का विस्तार करने तथा स्तर बढ़ाने की कार्यनीतियाँ	153
22.5	प्रस्तावित कुशलता विकास प्राधिकरण के प्रमुख कार्य	154
22.6	वित्तपोषण के अच्छे निष्पादनकर्ता – चिली, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर	159
22.7	प्रयोक्ता फीस के इविवटी प्रभाव	160
23.1	केरल में महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे का विकास	174
23.2	बाल लिंग अनुपात में गिरावट – तत्काल कार्रवाई का आह्वान	185
23.3	एक अभूतपूर्व परिवर्तन – आईसीडीएस का पुनर्गठन	192
23.4	करके सीखना – स्नेह शिविर	193
23.5	हंसते खेलते शिक्षा – चिल्ली पिल्ली	195
24.1	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की स्कीमें	255
24.2	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भविष्य निरूपण	257

24.3	प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट कार्य	258
24.4	जयपुर फुट एस्टोरी	265
24.5	विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	270

परिवर्णी शब्द

एएनएम	सहायक नर्स तथा मिड वाइफ	आईपीएचएस	भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक
एचएलईजी	उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह	सीएचईबी	केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो
आईएमआर	बाल मृत्यु दर	एनपीसीसी	राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति
टीएफआर	कुल प्रजनन दर	डीएनबी	राष्ट्रीय डिप्लोमेट बांड
एमएमयू	मोबाइल मेडिकल यूनिट	डीएपीसीयू	जिला एड्स निवारण और नियंत्रण यूनिट
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर	वीएचएनडी	ग्राम स्वास्थ्य और पोषाहार दिवस
पीएमएसएसवाई	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
आरकेएस	रोगी कल्याण समिति	जीईआर	कुल नामांकन अनुपात
जेएसवाई	जननी सुरक्षा योजना	एनईआर	सकल नामांकन अनुपात
एचबीएनसी	होम बेस्ड नियो नैटल केयर	आईडीएमआई	अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास
सीवीडी	कार्डियोवेस्क्युलर रोग	एसएसए	सर्वशिक्षा अभियान
एनपीसीडीसीएस	राष्ट्रीय कैंसर निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, डायबिटीज, हृदय रोग और पक्षाघात	टीएसपी	समग्र सफाई अभियान
एफएसएसए	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम	टीईटी	अध्यापक पात्रता परीक्षा
एचएसआईएस	स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली	एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
आयुष	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	सीएएल	कंप्यूटर सहायक अधिगम
यूएमडीटी	एकीकृत मल्टी ड्रग्स थेरेपी प्रणाली	सीआरसी	क्लस्टर संसाधन केन्द्र
यूएचसी	यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज	एमएसडीपी	बहु क्षेत्रीय विकास योजना
आरएसबीवाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ईएचपी	आवश्यक स्वास्थ्य पैकेज	आईएपी	एकीकृत कार्य योजना
एनसीएचआरएच	राष्ट्रीय मानव संसाधन परिषद	बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
एनएचआरडीए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियामक और विकास प्राधिकरण	सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
एनएचपीपीपी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवर्धन और संरक्षण ट्रस्ट	एमडीएमएस	दोपहर के भोजन की स्कीम
यूएचसी	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज	आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
पीपीआईएमईआर	एम्स स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान और अनुसंधान	एनपीएनएसपीई	राष्ट्रीय प्राथमिक पौषणिक सहायता कार्यक्रम
जेआईपीएमईआर	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	एनएसआईजीएसई	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बालिका प्रोत्साहन स्कीम
एनबीएचई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा बोर्ड	एनईयूपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय
एनईएससी	राष्ट्रीय अभिकलन और मूल्यांकन समिति		

एनआईओएस आईडीएसएस	राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा	यूलबी एमएमआर एनसीआरबी एनएफएचएस आरकेवीवाई एचएसएए एनएफएसबी एसएसए केएसआरटीसी पीडब्ल्यूडी डीआरआर एनएपीए ईआरए पीडब्ल्यूडीवीए डीपीए ईडब्ल्यूआर जीआरसी एमएफपी एएफएसपीए जीएनके पीएमजीएसवाई एनआरएलएम मनरेगा	स्थानीय शहरी निकाय मातृत्व मृत्यु दर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल सर्व शिक्षा अभियान केरल राज्य परिवहन निगम लोक निर्माण विभाग आपदा जोखिम कम राष्ट्रीय अनुकूल कार्यक्रमों की कार्यवाही समान पारिश्रमिक अधिनियम महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम दहेज निरोधक कानून चुनी गई महिला प्रतिनिधी जेंडर संसाधन केंद्र लघु वनोपज सशस्त्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम ग्राम नियोजन केंद्र प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन लिंग (जेंडर) बजटीय परिणाम ढांचागत दस्तावेज प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय महिला कोष राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारतीय दंड संहिता इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आरंभिक बचपन देखभाल तथा शिक्षा समेकित बाल संरक्षण स्कीम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अवैध व्यापार निवारण अधिनियम जिला वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना प्रबंधन सूचना प्रणाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी
एसएसजी एनएसडीसी एनईजीपी एनएलएम एनसीटीई यूजीसी एआईसीटीई डीईआई ओडीएल एसएफएपी टीईक्यूआईपी टीएलसी बीएसआर डीएनआईएन आईयूसी सीआईएचईसी एनसीएचईआर एलएफपीआर डब्ल्यूपीआर यूआर एनएसक्यूएफ आरटीई एनएसडीसीबी आईएससी एमआईटीआई एटीएस एनक्यूएफ एनएसडीसी एसएससी एसजीएसवाई आईटीआई एमएमपी डीआईईटी एनसीवीटी केवीवाई डोनर एलएमआईएस एनटीएफ आईबीए पीआरआई	राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा सेक्टर दक्षता परिषद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम राष्ट्रीय ई-शासन योजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारतीय नर्सिंग परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद दूरस्थ शिक्षा संस्थान मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षण छात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शिक्षण और अधिगम केंद्र बेसिक साइंटिफिक रिसर्च नेशनल डिजाइन इन्नोवेशन नेटवर्क अंतर विश्वविद्यालय केंद्र उद्योग एवं उच्चतर शिक्षा सहयोग परिषद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग श्रम शक्ति की भागीदारी दर कामगार जनसंख्या अनुपात बेरोजगारी दर राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा शिक्षा का अधिकार राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड संस्थान प्रबंधन समिति मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना राष्ट्रीय कुशलता अर्हता रूपरेखा राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम आंचलिक कुशलता परिषद स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मिशन मोड परियोजना जिलाशिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद कौशल विकास योजना पूर्वात्तर क्षेत्र विभाग श्रम बाजार सूचना प्रणाली राष्ट्रीय प्रशिक्षण निधि भारतीय बैंक संघ पंचायती राज संगठन	आरजीजीवीवाई जेएनएनयूआरएम जीबी आरएफडी एसटीईपी एनएमईडब्ल्यू सीएसडब्ल्यूबी आरएमके एनएसएसओ आईपीसी आईजीएमएसवाई ईसीसीई आईसीपीएस एनसीपीसीआर आईटीपीए एपीआईपी एमआईएस आईसीटी	

आरजीएनसीएस	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
ईसीडी	राष्ट्रीय शैशव विकास	डीईएसए	जिला शिक्षा सहायता अभिकरण
डीआरसी	जिला पुनर्वास केंद्र	टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप योजना	एसटीडीसीसीएस	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
वीएडी	विटामिन ए अभाव	सीसीडी	संरक्षण-सह-विकास
आईडीए	लौह अभाव एनिमिया	एनटीएफपी	गैर-इमारती वन उपज
आईएफए	आयरन फोलिक एसिड	एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
आईएमआर	शिशु मृत्यु दर	आईएफआर	व्यक्तिगत वन अधिकार
एनएनएमबी	राष्ट्रीय पोषण मॉनीटरिंग ब्यूरो	सीएफआर	समुदाय वन अधिकार
आरडीए	परिशोधित संस्तुत आहार भत्ता	आईपीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
एनपीएएन	राष्ट्रीय पोषण नीति और राष्ट्रीय योजना	आर एण्ड आर	पुनर्वास और पुनर्स्थापना
डीएफएस	दोहरे संपुष्ट नमक	पीएमएस	मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति
टीएससी	पूर्ण स्वच्छता अभियान	आईटीपीए	अवैध व्यापार निवारण अधिनियम
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्राम पेय-जल कार्यक्रम	केवीके	कृषि विज्ञान केन्द्र
आरजीएसईएजी	राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तीकरण योजना	टीएसपी	जनजातीय उप-योजना
एनआईडीडीपी	राष्ट्रीय आयोडीन विकृति नियंत्रण कार्यक्रम	एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप-योजना
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवा	एससीए	विशेष केन्द्रीय सहायता
आईवाईसीएफ	शिशु और किशोर बाल पोषण	आईटीडीपी	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण	एनबीसीएफडीसी	राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
सीएमयू	केन्द्रीय निगरानी इकाई	डब्ल्यूपीआर	कार्य भागीदारिता दर
एनएचएम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	एमएसडीपी	बहु-क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम
एचएमएनईएच	हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन	एनएमडीएफसी	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
एचसीआर	व्यक्ति संख्या अनुपात	पीएसएल	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण
एमओएसएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम	एमईएफ	मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान
आरजीएनएफ	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	एनएचएफडीसी	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	एएलआईएमसीओ	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति	सीआरएस	कम्पोजिट रीजनल सेंटर्स
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति	डीडीआरसी	जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
बीजेआरसीवाई	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	डीडीआरएस	दीन दयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम
एनएसएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त और विकास निगम	ईएसएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
एससीडीसी	अनुसूचित जाति विकास निगम	ईएसआई	कर्मचारी राज्य बीमा
एनएसकेएफडीसी	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पीएमएजीवाई	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एनएसएलआरएमएस	राष्ट्रीय हस्त झाड़ू-बरदारी मुक्ति एवं पुनर्वास स्कीम	यूएनसीआरपीडी	यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस ऑन रिहिबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी
सीपीआई	उपभोक्ता कीमत सूचक	एसएमईपीडब्ल्यू	विकलांग अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन
पीटीजी	आदिम जनजाति वर्ग	आरआरटीसी	पुनर्वास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
एमपीसीई	मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय	एनआईएसडी	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान
सीपीएल	पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम	सीटीए	आपराधिक जनजाति अधिनियम
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	आईआरसीए	समेकित पुनर्वास केन्द्र
		एनवीईक्यूएफ	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता रूपरेखा

अनुबंध

22.1	यूपीएसएस आधार पर (स्रोत : एनएसएस रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण) पर 1999–2000, 2004–05, 2009–10 के विभिन्न क्षेत्रों में विकास	163
22.2	विनिर्माण 1999–2000, 2004–05, 2009–10 में विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण वृद्धि/रोजगार में कमी (मिलियन में)	164
22.3	शिक्षा के स्तर द्वारा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह के लिए बेरोजगारी की दर, 2004–05 और 2009–10 (यूपीएसएस) प्रतिशत में	165
22.4	भारत के राज्यों में निर्भरता अनुपात, जनगणना 2001	165



20

स्वास्थ्य

20.1. स्वास्थ्य को न केवल बीमारी होने की स्थिति में देखा जाना चाहिए बल्कि इसे पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बेहतरी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारक हैं विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और किसी व्यक्ति की जीवन शैली की पसंद, निजी, परिवार और सामाजिक संबंध। बाद वाली स्थितियां, इस अध्याय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इस अध्याय में निवारात्मक, उपचारात्मक और लोक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान किए जाने की कार्यनीति पर जोर दिया गया है। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई जैसे अच्छे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले दूसरे क्षेत्रों पर योजना के अन्य अध्यायों में विचार किया गया है।

सिंहावलोकन

20.2. इस समय भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मिश्रण शामिल है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का नेटवर्क, मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है, मुफ्त या बहुत कम कीमत पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। एक व्यापक निजी स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र भी है जिसमें व्यक्तिगत डॉक्टर और उनकी क्लिनिक से लेकर सामान्य अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का संपूर्ण क्षेत्र आता है।

20.3. इस व्यवस्था की निम्नलिखित कमजोरियां हैं:

1. यदि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की *उपलब्धता* को एक साथ मिला लिया जाए तो ये मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हैं। यह प्रति लाख जनसंख्या पर डॉक्टरों या नर्सों की संख्या से संबंधित आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। ग्यारहवीं योजना के शुरु में प्रति लाख जनसंख्या पर डॉक्टरों


की संख्या केवल 45 थी जबकि वांछित संख्या 85 प्रति लाख जनसंख्या है। इसी प्रकार नर्सों और सहायक नर्सों तथा मिड वाइफ (एएनएम) की संख्या भी प्रति लाख जनसंख्या पर ये 75 ही उपलब्ध थी जबकि वांछित संख्या 255 है। देश की व्यापक भौगोलिक विविधता के कारण समूचे देश में इनकी उपलब्धता की और भी अधिक कमी हो सकती है।

2. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में सेवा सुविधाओं की *गुणवत्ता* में काफी अंतर है। निजी क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले कई डॉक्टर, अर्हताप्राप्त डॉक्टर नहीं हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों को नियंत्रित करने वाले मानक पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं हैं और किसी भी स्थिति में उन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता है।
3. अधिकांश लोगों को *वहन करने योग्य* स्वास्थ्य सेवा, विशेष रूप से तृतीय स्वास्थ्य सेवा, एक गंभीर समस्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के पास व्यापक और पर्याप्त रूप से निधियां न होने के कारण अधिसंख्य लोगों को अपने व्यय से अधिक निजी क्षेत्र से स्वास्थ्य सेवाएं खरीदनी पड़ती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में भी अपने खर्च से बाहर खरीद करनी पड़ती है क्योंकि दवाइयों की कमी होने का अर्थ है मरीजों को वे दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में इससे परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। आउट ऑफ पॉकेट व्यय का एक बड़ा भाग, बहिरंग रोगी की स्वास्थ्य सुविधा और दवाइयों से मिलता है जिनमें से अधिकांश मौजूदा बीमा योजनाओं में भी नहीं आती हैं। फिर भी, स्वास्थ्य बीमा में शामिल जनसंख्या की प्रतिशतता काफी कम है।
4. भविष्य में उल्लिखित समस्याओं के और भी बदतर होने की संभावना है। लोगों की आयु बढ़ने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की कीमतों में भी वृद्धि होने की आशा है, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग पुरानी गैर-संक्रमणीय बीमारियों का शिकार

2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

होगा जिसके लिए महंगे उपचार की जरूरत होगी। उपचार की संभावनाओं के प्रति भी लोगों के जागरूकता बढ़ रही है और इससे फिर चिकित्सा देखभाल की मांग में वृद्धि होगी। आने वाले वर्षों में भारत को बीमारियों के दोहरे बोझ अर्थात गैर-संक्रामक बीमारियों और घावों की बढ़ती लागत को नियंत्रित


करने में परिलक्षित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटना होगा जबकि यह अभी भी संक्रामक बीमारियों को दूर नहीं कर सका है और जो लोक स्वास्थ्य, मृत्यु दर और अपंगता, दोनों के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक मुख्य चुनौती बनी हुई है (चित्र 20.1 और 20.2)।



- संक्रामक बीमारियां (37 प्रतिशत)
- गैर-संक्रामक बीमारियां (53 प्रतिशत)
- चोट (10 प्रतिशत)
- संक्रामक और परजीवी बीमारियां
- श्वस संबंधी संक्रमण
- मूलाधार स्थिति (एच)
- मातृत्व की स्थिति
- पोषण संबंधी कमियां
- हृदय रोग
- श्वस संबंधी बीमारियां
- असाध्य कैंसर
- पाचक क्रिया संबंधी बीमारियां
- जनन संबंधी बीमारियां
- मधुमेह
- स्नायु रोग की स्थिति
- अन्य
- जन्मजात विसंगतियां
- गैर-इरादतन घाव
- इरादतन घाव

स्रोत: वर्ष 2008 में डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों के लिए मृत्यु दर और बीमारियों के भार का अनुमान

चित्र 20.1: भारत पर बीमारी का भार, 2008 (किसी कारण से हुई अनुमानित मौतों की संख्या)



गहरा मेरून: संक्रामक बीमारियां (43.94 प्रतिशत)
काला: गैर-संक्रामक बीमारियां (43.02 प्रतिशत)
हल्का मेरून: घाव (13.04 प्रतिशत)

- संक्रामक और परजीवी बीमारियां
- पोषण संबंधी कमियां
- हृदय रोग
- पाचनक्रिया संबंधी बीमारियां
- मांसपेशी संबंधी बीमारियां
- मुंह से संबंधी स्थिति
- अन्य नियोप्लासम
- मूलाधार स्थिति (एच)
- मातृत्व संबंधी स्थिति
- संवेदनशील अंगों की बीमारी
- असाध्य नियोप्लासम
- जनन संबंधी बीमारियां
- त्वचा की बीमारियां
- गैर इरादतन घाव
- श्वस संबंधी संक्रमण
- श्वस संबंधी बीमारी
- मधुमेह मेलिटस
- न्यूरो साइकैट्रिक स्थिति
- जन्मजात विसंगतियां
- अंतः स्रावी विसंगति
- इरादतन घाव

स्रोत: डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों के लिए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एस्टिमेट्स, 2009

चित्र 20.2: भारत में डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, 2009 (डीएएलवाई के कारण द्वारा अनुमानित प्रतिशतता)

5. भारत में सार्वजनिक, निजी और हाउस होल्ड आउट ऑफ पाकेट (ओओपी) व्यय, दोनों के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवा संबंधी कुल व्यय वर्ष 2008-09 (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2009) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 4.1 प्रतिशत था जिसकी तुलना मोटे तौर पर प्रति व्यक्ति आय के इसी प्रकार के स्तरों पर दूसरे विकासशील देशों के साथ की जा सकती है। तथापि, वर्ष 2008-09 (एनएचए, 2009) में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का कुल केवल लगभग 27 प्रतिशत था जो किसी भी स्थिति में बहुत कम है। कोर स्वास्थ्य (योजना और योजनेतर दोनों तथा केंद्र और राज्यों के साथ मिलाकर) पर सार्वजनिक व्यय, वर्ष 2007-08 की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 0.93 प्रतिशत था। यह वर्ष 2011-12 के दौरान बढ़कर 1.04 प्रतिशत हो गया। इसमें अगले दशकों में कहीं अधिक वृद्धि किए जाने की जरूरत है।

20.4. स्वास्थ्य में व्यापक चुनौती का पता तब चला जब ग्यारहवीं योजना तैयार की गई और स्वास्थ्य पर केंद्रीय योजना व्यय बढ़ाने की कोशिश की गई। केंद्रीय व्यय में वृद्धि की तुलना, राज्य सरकार द्वारा व्यय में की गई वृद्धि के साथ पूरी तरह मिलान योग्य नहीं है (तालिका 20.3)। बारहवीं योजना में इसे राज्यों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

20.5. बारहवीं योजना की कार्यनीति तैयार करने की एक सूचना के रूप में इसने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के स्वास्थ्य के लिए व्यापक कार्यनीति तैयार करने हेतु योजना आयोग द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) पर विश्वास किया है। समूह की रिपोर्ट, योजना आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, पणधारकों के साथ और कार्यदलों और संचालन समूहों के माध्यम से विस्तृत परामर्श किया गया है। एचएलईजी की रिपोर्ट के आधार पर और सरकार के अंदर और बाहर व्यापक रूप से परामर्श करने के बाद तथा साथ ही ग्यारहवीं योजना के दौरान क्षेत्र में वास्तविक कार्यनिष्पादन की गहराई से समीक्षा करने के बाद यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज, ऐसी प्रक्रिया जो कई वर्षों के लिए होगी, तैयार करने की दिशा में बारहवीं योजना में स्वास्थ्य के लिए एक नई कार्यनीति तैयार की जा रही है। पणधारकों में यह आम सहमति है कि चुनौती इतनी गंभीर है कि स्वास्थ्य के लिए सक्षम और दीर्घावधिक संरचना को दो या तीन योजना अवधि तक के लिए बनाया जा सकता है। तथापि, दीर्घावधिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्काल शुरुआत की जानी चाहिए।

ग्यारहवीं योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

20.6. ग्यारहवीं योजना के स्वास्थ्य परिणामों और एनआरएचएम की समीक्षा में अधिकांश संकेतकों पर अंतिम आंकड़े प्राप्त न हो पाने के कारण अवरोधन उत्पन्न हो जाता है। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण यह व्यक्त करता है कि हालांकि शिशु लिंग अनुपात के अलावा अन्य मामलों में प्रगति हुई है परंतु लक्ष्य पूरी तरह नहीं प्राप्त किए जा सके। एनआरएचएम के फ्लैगशिप के जरिए किए गए प्रयासों के बावजूद संपूर्ण राज्यों में इसकी उपलब्धि में विसंगतता इसके संदर्भ में कार्यनीतियां बनाने की जरूरत को व्यक्त करती है।

- 1. मातृत्व मृत्यु अनुपात (एमएमआर)** जिसके अंतर्गत 15 से 49 वर्ष की प्रजनन आयु की महिलाओं की प्रसव कारणों से, प्रति 1,00,000 जीवित प्रसव पर मृत्यु को दर्शाया जाता है, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के स्तर का संवेदनशील सूचक है। 2004-06 से 2007-09 के दौरान मातृ मृत्यु दर में प्रतिवर्ष 5.8 प्रतिशत की कमी (यानी, 254 से 212) पूर्ववर्ती अवधि से तुलनीय (जिसमें 2001-03 से 2004-06 के दौरान प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत की कमी हुई) है। 301 से घटकर 212 की मातृ मृत्यु दर (2007-09) ग्यारहवीं योजना के 100 के लक्ष्य से काफी कम है। केरल (81) के अलावा दो अन्य राज्यों- तमिलनाडु (97) तथा महाराष्ट्र (104) ने 109 का सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 2007-09 में हासिल कर लिया है जबकि आंध्र प्रदेश (134), पश्चिम बंगाल (145), गुजरात (148) तथा हरियाणा (153) इस लक्ष्य के काफी करीब हैं। मातृ मृत्यु दर का एक बड़ा बोझ ईएजी राज्यों में है जहां मातृ मृत्यु दर 2007-09 (एसआरएस) में 308 थी तथा हाल के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2010-11) में भी ज्यादा बनी हुई है। ये हैं - असम (381), बिहार (305), झारखंड (278), मध्यप्रदेश (310), छत्तीसगढ़ (275), ओडिशा (277), राजस्थान (331), उत्तर प्रदेश (345) तथा उत्तराखंड (188)। ईएजी राज्यों में अपेक्षानुरूप प्रदर्शन न हो पाना प्रसव-पूर्व देखभाल, कुशल दाई तथा आपातकालीन ऑब्स्टेट्रिकल देखभाल में कमी को दर्शाता है तथा बताता है कि हमने मातृ मृत्यु समीक्षाओं से सबक नहीं लिया है।
- 2. बाल मृत्यु दर (आईएमआर)** प्रति 1,000 जीवित शिशुओं की एक वर्ष की आयु से पहले मृत्यु आबादी में स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति का संवेदनशील संकेतक है। वर्ष 2007-10 की अवधि में आईएमआर में 14.7 प्रतिशत तक गिरावट आई, इसमें विगत तीन वर्षों में हुई 5.2 प्रतिशत की गिरावट में सुधार हुआ परंतु यह 28 के लक्ष्य से कम रही। आईएमआर में गिरावट

4 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

- की इस दर में 1 या 2 से 3 बिंदु तक की गिरावट आई परंतु यह प्रतिवर्ष 6 बिंदु की अपेक्षित दर से कम है। हालांकि सात राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है परंतु आईएमआर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान में अभी भी अधिक है।
3. **कुल प्रजनन दर (टीएफआर)**, यह निर्धारित करती है कि कोई महिला अपनी संपूर्ण प्रजनक अवधि के दौरान कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। यह दर वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान 2.8 प्रतिशत वर्ष गिरी है जो 2.8 से 2.5 हुई तथा जो 2 प्रतिवर्ष बिंदु गिरावट का द्योतक है। यह दर विगत पांच वर्षों के ही समान है लेकिन ग्यारहवीं योजना के 2.1 के लक्ष्य से कम है। प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर अर्थात् 2.1, नौ राज्यों ने प्राप्त किए हैं। सात राज्यों में उच्च प्रजनन एक समस्या रहती है। ये राज्य हैं बिहार (सीबीआर 2011 27.7; टीएफआर 2010 3.7;), उत्तर प्रदेश (27.8, 3.5), मध्य प्रदेश (26.9, 3.2), राजस्थान (26.2; 3.1), झारखंड (25.0; 3.0), छत्तीसगढ़ (24.9, 2.8); और असम (22.8; 2.5)। इसके कारण हैं: कम आयु में विवाह, बच्चों के जन्म में कम अंतर, पूरी न हुई अधिक जरूरतें और कुशल परियोजना की सेवाओं का अभाव। जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने की कम दर (40.4 प्रतिशत) और गर्भधारण के लिए कम संगम करना (20.5 प्रतिशत), वर्ष 2007-08 में सेवा प्रदान किए जाने की कमी को दर्शाती हैं।
 4. **शिशु लिंग दर** बढ़ाए जाने के लक्ष्य के संबंध में स्थिति अलग है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु,

मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2001-11 के दशक में शिशु लिंग दर (0-6 वर्ष) में कमी आई है।

5. अद्यतन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण कुपोषण और रक्त की कमी दूर करने संबंधी लक्ष्यों की प्रगति का आकलन नहीं किया जा सकता है लेकिन स्थानीय आधार पर लिए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

स्वास्थ्य के लिए निधिकरण

20.7. ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए निधिकरण में 2.5 गुणा और राज्यों द्वारा 2.14 गुणा की वृद्धि की गई है जिसमें वर्ष 2011-12 में जीडीपी के 1.04 प्रतिशत तक का जोड़ किया है। जब स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों को शामिल किया जाता है (पेयजल, साफ-सफाई, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन) तो ग्यारहवीं योजना में जनता के स्वास्थ्य पर कुल खर्च जीडीपी का 1.97 प्रतिशत बैठता है (तालिका 20.2 और 20.3)।

20.8. कार्यनिष्पादन के विश्लेषण से उपलब्धियों और अंतरालों का पता चलता है। ये इस प्रकार हैं।

अवसंरचना

20.9. वर्ष 2007-11 की अवधि के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की संस्था में वृद्धि हुई है – उपकेंद्रों में 2 प्रतिशत पीएचसी में 6 प्रतिशत, सीएचसी में 16 प्रतिशत और जिला अस्पतालों में

तालिका 20.1
ग्यारहवीं योजना के दौरान निगरानी योग्य लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम सं.	ग्यारहवीं योजना के निगरानी योग्य लक्ष्य	मूल स्तर	अद्यतन स्थिति
1	100 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों की मातृत्व मृत्यु दर कम करना (एमएमआर)	254 (एसआरएस, 2004-06)	212 (एसआरएस, 2007-09)
2	28 प्रति 1,000 जीवित जन्मों की शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) कम करना	57 (एसआरएस, 2006)	44 (एसआरएस, 2010)
3	कुल मृत्यु दर (टीएफआर) 2.1 तक कम करना	2.8 (एसआरएस, 2006)	2.5 (एसआरएस, 2010)
4	0.3 वर्ष के आयु समूह के बच्चों में कुपोषण के इसके आधे स्तर तक कम करना	40.4 (एनएफएचएस, 2005-06)	अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं
5	महिलाओं और लड़कियों में रक्त की कमी को 50 प्रतिशत तक दूर करना	55.3 (एनएफएचएस, 2005-06)	अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं
6	0-6 आयु समूह में लिंग अनुपात बढ़ाकर 935 करना	927 (जनगणना, 2001)	914 (जनगणना, 2011)

तालिका 20.2
ग्यारहवीं योजना में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आबंटन और खर्च

(आंकड़े करोड़ रूपए)

विभाग	ग्यारहवीं योजना का आबंटन	ग्यारहवीं योजना में जारी	ग्यारहवीं योजना का खर्च	जारी की गई राशि की तुलना में व्यय का प्रतिशत
एचएफडब्ल्यू	1,25,923	87,460	83,407	95.4%
इसमें से एनआरएचएम के तहत	89,478	68,064	66,127	97.2%
आयुष	3,988	3,083	2,994	97.1%
डीएचआर	4,496	1,938	1,870	96.5%
एड्स नियंत्रण	5,728	1,500	1,305	87.0%
कुल	1,40,135	93,981	89,576	95.3%

टिप्पणी: डीएचआर और एड्स नियंत्रण के नए विभागों का परिव्यय एचएफडब्ल्यू से अंतरित किया गया था।

तालिका 20.3
ग्यारहवीं योजना में स्वास्थ्य के लिए निधिकरण: केंद्रीय और व्यापक स्वास्थ्य घटक

(आंकड़े करोड़ रूपए)

वर्ष	केंद्रीय कोर स्वास्थ्य कुल	राज्य कोर स्वास्थ्य कुल	जीडीपी कोर स्वास्थ्य का प्रतिशत			प्रतिशत जीडीपी (कुल स्वास्थ्य)		
			केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल
X Plan	47,077	1,07,046	0.29%	0.65%	0.94%	0.56%	1.18%	1.74%
2007-08	16,055	30,536	0.32%	0.61%	0.93%	0.71%	1.17%	1.89%
2008-09	19,604	36,346	0.35%	0.65%	0.99%	0.75%	1.22%	1.98%
2009-10	25,652	44,748	0.40%	0.69%	1.09%	0.78%	1.24%	2.02%
2010-11	27,466	55,955	0.36%	0.73%	1.09%	0.75%	1.27%	2.02%
2011-12	30,587	62,343	0.34%	0.70%	1.04%	0.74%	1.19%	1.94%
XI Plan	1,19,364	2,29,928	0.35%	0.68%	1.04%	0.75%	1.22%	1.97%

टिप्पणी: कोर स्वास्थ्य में स्वास्थ्य के केंद्रीय मंत्रालयों का स्वास्थ्य सेवा संबंधी व्यय शामिल हैं (जैसे कि आरएसबीवाई पर श्रम); समग्र स्वास्थ्य में पेयजल और साफ-सफाई, मध्याह्न भोजन और आईसीडीएस (योजना और गैर योजना) शामिल हैं।

45 प्रतिशत। फिर भी अभी भी उपकेंद्रों में 20 प्रतिशत, पीएचसी में 24 प्रतिशत और सीएचसी में 37 प्रतिशत की कमी रहती है। यह कमी विशेष रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। यद्यपि अधिकांश सीएचसी और 34 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का उन्नयन किया गया है और 24x7 सुविधाओं के रूप में उन्हें परिचालनात्मक बना दिया गया तथ पहली रेफरल यूनिटों (एफआरयू) को दोगुना किया गया है, फिर भी सभी सार्वजनिक सुविधाओं को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार बनाने और सभी सीएचसी में आपात प्रसव केंद्र बनाने की ग्यारहवीं योजना की प्रतिबद्धता पूरी नहीं हुई है। सभी सीएचसी में सुरक्षित गर्भपात करवाने की सुविधाएं नहीं हैं, जिससे मातृत्व मृत्यु दर बढ़ती है।

यद्यपि देश के 449 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिटें (एमएमयू) तैनात की गई हैं लेकिन उनकी आउटरीच मेडिकल सेवाएं, जरूरतों के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं।

स्वास्थ्य कार्मिक

20.10. एनआरएचएम के तहत गठित आशा, समुदाय द्वारा प्रसव और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल रही है। आशा को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रोत्साहन का समय पर भुगतान किए जाने से मूल्यांकनों के अंतर के रूप में आए हैं। इस समय तैनात स्वास्थ्य कार्मिकों में काफी सुधार होने के बावजूद (एएनएम 27 प्रतिशत, नर्स 119 प्रतिशत, डॉक्टर 16 प्रतिशत, विशेषज्ञ

6 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

36 प्रतिशत, फार्मासिस्ट 38 प्रतिशत), योजना के अंत तक तैनात कर्मचारियों और अपेक्षित कर्मचारियों में एएनएम और नर्स के लिए 52 प्रतिशत, डाक्टरों के लिए 76 प्रतिशत और विशेषज्ञों के लिए 88 प्रतिशत तथा फार्मासिस्टों के लिए 58 प्रतिशत की कमी थी। इन कमियों के कारण, भर्ती में विलंब और कार्य की अधिकता या मंजूरी के अनुसार तैनाती न होना है। ग्यारहवीं योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्ग का जो प्रबंध एनआरएचएम द्वारा किया जाना है वह अभी शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार सुदृढ़ एचआर प्रबंधन नीतियां न होने के कारण उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित वितरण नहीं हुआ और प्रेरणा का स्तर भी कम रहा।

प्रशिक्षण क्षमता

20.11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 6 संस्थान स्थापित किए जाने और 13 मेडिकल कालेजों का उन्नयन किए जाने का कार्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत शुरू किया गया है। राज्य सरकारों के 72 मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण आरंभ किया गया है ताकि पी जी प्रशिक्षण के लिए उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। तथापि, स्वास्थ्य कार्मिकों की सभी श्रेणियों में प्रशिक्षण क्षमता का भारी कमी है।

समुदाय की सहभागिता

20.12. यद्यपि अधिकांश स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में रोगी कल्याण समितियां (आरकेएस) हैं, अधिकांश गांवों में मासिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित किए जाते हैं, जन सुनवाईयां और सामान्य समीक्षा मिशन आयोजित किए जाते हैं फिर भी समुदायों को सशक्त बनाए जाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की जबाबदेही और जिम्मेदारी में अभी भी सुधार किया जाना है।

सेवा प्रदान करना

1. मातृत्व और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता प्रदान करके संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। यद्यपि वर्ष 2005-09 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों (39.7 से 68 प्रतिशत) और शहरी क्षेत्रों (79 प्रतिशत से 85 प्रतिशत) में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है फिर भी प्रसव के बाद की सेवा का निम्न स्तर (2009, सीईएस में ग्रामीण क्षेत्रों में 22.8 और शहरी क्षेत्रों में 26.1) और सेवा की गुणवत्ता, चिंता का विषय है।
2. बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में सुधार हुआ है जो 2005 (सीईएस) में 54.5 से बढ़कर ग्यारहवीं योजना के दौरान 2009 (सीईएस)

में 61 प्रतिशत हो गया। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में की गई बढ़ोतरी में विशेष क्षेत्रीय जिलों में हिपेटाइटिस बी, जापानी मस्तिष्क ज्वर (जेई) और पेंटावैलेंट टीका शामिल है जो डिफ्थीरिया, कुकरखांसी, टिटनेस, हिपेटाइटिस बी और हैमोफिल्स इंप्ल्यूएंजा बी का मिश्रण है। वर्ष 2001 के दौरान पोलियों के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। जहां तक ग्यारहवीं योजना में की गई सार्वभौमिक टीकाकरण की परिकल्पना का संबंध है, यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश (41 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (43 प्रतिशत), बिहार (49 प्रतिशत), राजस्थान (54 प्रतिशत), गुजरात (57 प्रतिशत), और छत्तीसगढ़ (57 प्रतिशत), असम (59 प्रतिशत) और झारखंड (60 प्रतिशत) में कह रहा है। इसके विपरीत कुछ राज्यों जैसे गोवा (88 प्रतिशत), सिक्किम (85 प्रतिशत), पंजाब (84 प्रतिशत) और केरला (82 प्रतिशत) ने टीकाकरण कवरेज का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है आशा के माध्यम से होम बेस्ड नियोजन केयर (एचबीएनसी) को बढ़ावा दिया गया है ताकि समुदाय में नवजात शिशु की देखभाल में सुधार किया जा सके तथा कमियों का समय पर पता लगाया जा सके और मामला आगे भेजा जा सके। शिशुओं की लगातार बढ़ती मृत्यु दर से यह पता चलता है कि स्तनपान कराने, ओआरएस का प्रयोग और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने संबंधी व्यवहार जैसी स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बहुत अधिक कारगर नहीं हुई है।

3. अवसंरचना और कार्मिकों की तैनाती में सुधार होने के बावजूद मूल्यांकन से यह पता चलता है कि तमिलनाडु (94 प्रतिशत) की तुलना में उत्तर प्रदेश (45 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (63 प्रतिशत) और झारखंड (70 प्रतिशत) में लंबी बीमारियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कम हुआ है जिससे खराब सेवा का पता चलता है।
4. प्रजनन कम करने के लिए विवाह की आयु बढ़ाने, दो बच्चों के बीच जन्म की अवधि में अंतर रखने और परिवार नियोजन से संबंधित युक्तियां सुलभ रूप से उपलब्ध कराने जैसी कुछ संभावित नवोन्मेषी सेवाएं हैं जिन्हें अपनाए जाने की जरूरत है।
5. सार्वजनिक सुविधा केंद्रों में आवश्यक दवाइयां प्रदान किए जाने की ग्यारहवीं योजना की प्रतिबद्धता पूरी नहीं हुई है। कुछ स्थानीय सर्वेक्षणों की रिपोर्टों के अनुसार स्वास्थ्य सेवा पर अभी भी क्षमता से अधिक खर्च किया जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का नियंत्रण

20.13. ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में शासन संबंधी सुधारों को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिए गए थे जिनमें

कार्यनिष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य के लिए उन्हें जिम्मेदार बनाया जाना शामिल था। विकेंद्रीकरण की एनआरएचएम की रणनीति, पीआरआई को शामिल करना, वर्टिकल कार्यक्रमों का एकीकरण, अंतर क्षेत्रीय संयोजन और स्वास्थ्य प्रणालियों का सुदृढीकरण आंशिक रूप से ही किया गया है: प्रयासों के बावजूद स्थानीय रोगों की प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रमों की क्षमता और पर्याप्त लचीलेपन और स्थानीय आधार पर योजना बनाने और उसे प्रभावी ढंग से निष्पादित कर उन्हें रोके जाने का अभाव रहा। तमिलनाडु में स्थापित व्यावसायिक प्रापण एजेंसियों को अभी भी केंद्र में स्थापित नहीं किया गया है और अधिकांश राज्य, टुकड़ों में कार्य कर रहे हैं, बहुत कम पूर्वानुमान किया जा रहा है या एकाधिकार क्रेता शक्ति का बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है, सभी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के कार्यनिष्पादन में विविधता है जिसमें तमिलनाडु सर्वोच्च स्थान पर और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सबसे नीचे हैं जिससे यह पता चलता है कि राज्य स्तरीय पहलों के माध्यम से बेहतर प्रथाओं को सीखने की जरूरत है।

रोग नियंत्रण कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय कीटाणु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राज्यों के रोग प्रबंधन, एकीकृत कीटाणु जनित प्रबंधन और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर (जेई), लिम्फैटिक फिलेरियासिस और काला अजार जैसे रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन माध्यम जैसे सहायक हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत में टीबी (21 प्रतिशत), लेप्रोसी (56 प्रतिशत) और लिम्फैटिक फिलेरियासिस (40 प्रतिशत) से पीड़ित संसार के लोगों का एक बहुत बड़ा भाग है। यद्यपि ग्यारहवीं योजना के दौरान नए संक्रमण की दर कम करने में प्रगति हुई है लेकिन इन रोगों से पीड़ित लोगों के मामलों और मृत्यु, सामुदायिक स्तर पर निगरानी रखने की प्रणाली नहीं है और कई मामले छिपाए जाते हैं तथा अवशिष्ट रोग की अधिकता बनी रही है। संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की कमी में सभी पीएचसी में परीक्षण सेवाएं प्रदान करना, निजी प्रदाताओं के साथ सक्रिय प्रबंधन, स्तरीय उपचार प्रदान करना, तपेदिक की दवाइयों की काउंटर पर बिक्री सीमित करना और दिक्काल सेवा के माध्यम से समय पर आगे भेजना शामिल है।
2. एनसीडी में कार्डियोवेस्कुलर रोग (सीवीडी) के कारण मातृत्व मृत्यु दर 24 प्रतिशत है जिसके बाद श्वास रोग और असाध्य

कैंसर का क्रम है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कैंसर निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, डायबिटीज, हृदय रोग और पक्षाघात (एनपीसीडीसीएस) की 21 राज्यों के चुने हुए 100 जिलों में शुरू किया गया। अब तक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के 87 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमें से 6.5 प्रतिशत लोगों को डायबिटीज और 7.7 प्रतिशत लोगों को हाइपरटेंशन होने की आशंका है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आबंटन बढ़ाए जाने के बावजूद जिला और उप-जिला स्तरों पर अर्हताप्राप्त मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायी उपलब्ध न होने के कारण यह पीछे चल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के पेशेवर लोगों से इतर डॉक्टरों को प्रशिक्षण प्रदान करने और समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है ताकि मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या कम की जा सके। एनसीडी कार्यक्रमों को एनआरएचएम के साथ मिलाए जाने की जरूरत है ताकि निवारण, परीक्षण, देखभाल और रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

विनियमन

20.14. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 दिनांक 5.08.2011 से प्रभावी हुआ और इसने एकीकृत खाद्य कानून के बहु खाद्य कानून, निकाय स्थापित करने के मानक और प्रवर्तन एजेंसियों का स्थान लिया। भारत सरकार ने क्लिनिकल स्थापनाओं के पंजीकरण और विनियमन के लिए क्लिनिकल स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है। भारत सरकार ने अपंजीकृत मशीनों को जब्त करने और मोबाइल क्लिनिकल द्वारा प्रदान की गई हल्की अल्ट्रासाउंड की मशीनों और सेवाओं के प्रयोग को विनियमित करने के लिए पीसी और पीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 11 (2) में संशोधन करने सहित गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 को अधिसूचित किया है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को संशोधित किया गया है ताकि अंगदान और प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक सुचारु बनाया जा सके और कदाचार रोके जा सकें। विनियमन की गुणवत्ता और पहुंच मुख्य मुद्दे हैं।

एचएमआईएस

20.15. ग्यारहवीं योजना के दौरान वेब आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएसआईएस) के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है और इसे आरसीएच सेवा सुपुर्दगी संकेतों पर जिला और उप जिला स्तर पर ऑन लाइन आंकड़े प्राप्त करने के लिए परिचालनात्मक बनाया गया है। सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आंकड़े

8 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

प्राप्त करना विरल, सीमित है और इसे कार्यक्रम बनाने या निगरानी करने के लिए हमेशा प्रयोग में नहीं लाया जाता है।

एड्स नियंत्रण

20.16. भारत में एचआईवी/एड्स की महामारी को रोकने और नियंत्रित करने के लक्ष्य की तुलना में देश में नए एचआईवी संक्रमण में 57 प्रतिशत गिरावट आई है। फिर भी वर्ष 2011 में एचआईवी/एड्स (पीएलएच) से पीड़ित लोगों की अनुमानित संख्या 20.9 लाख है। कार्यक्रम में अधिक जोखिम वाले समूहों और ब्रिज जनसंख्या, लिक वर्कर्स स्कीम, समन्वित परामर्श और जांच सेवा, सामूहिक स्वास्थ्य सेवा, सहायता और उपचार केंद्र, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा कंडोम को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्यगत हस्तक्षेपी कार्यक्रमों पर ध्यान देना है। कार्यक्रम की कमियों में संक्रमित वयस्कों और बच्चों में एंटी-रिट्रोवायरल थेरेपी के कवरेज की कम दर, इंजेक्शन द्वारा ड्रग इस्तेमाल करने वालों (3 प्रतिशत) में ओपिओयड प्रतिस्थापन उपचार का निम्न स्तर, एचआईवी और सिफलिस (23 प्रतिशत) से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की जांच और मां से बच्चे में रोग अंतरित होने से रोकने के लिए कम एंटी-रिट्रोवायरल कवरेज शामिल है। कम जोखिम वाले समूहों तक पहुंचने और कंडोम विरित करने जैसे दोहरे प्रयासों से बचने के लिए एनआरएचएम में एकीकृत किए जाने की अधिक गुंजाइश है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (आयुष)

20.17. एलोपैथिक व्यवस्था के अनुपूरक के रूप में आयुष को मुख्य धारा में लाने के प्रयास के ग्यारहवीं योजना के उद्देश्य की तुलना में 40 प्रतिशत पीएचसी 65 प्रतिशत सीएचसी और 69 प्रतिशत जिला अस्पतालों ने आयुष सुविधाओं को सह-अवस्थित किया है। हालांकि जड़ी बूटियों से चिकित्सा के गुणवत्ता मानदंड और पहचान, आयुष के सिद्धांतों उपचार और थेरेपी का वैज्ञानिक सत्यापन करने के लिए प्रलेखन में पर्याप्त प्रयास किए गए परंतु इनमें कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसी तरह राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों का परिरक्षण, कृषि और भंडारण करने के लिए कई परियोजनाओं को सहायता दी है परंतु अपरिष्कृत दवाओं के रूप में व्यापार किए जा रहे 178 प्रमुख औषधीय पौधों की प्रजातियों में से केवल 20 प्रतिशत कृषि से प्राप्त की जाती है। नौ आयुष उद्योग क्लस्टरों में, जहां विशेष उद्देश्य वाहक के जरिए आयुष की दवाओं का विनिर्माण करने और उसका परीक्षण करने की सामान्य सुविधा उपलब्ध होगी, आठ राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं। हालांकि आयुष सेक्टर को पर्याप्त अवसरचना प्राप्त है परंतु इसका पूर्ण उपयोग अभी भी नहीं किया जा रहा है।

स्वास्थ्य अनुसंधान

20.18. नवसृजित स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कई नवाचार किए हैं जिसमें उन्होंने देश में क्लिनिकल परीक्षण का पंजीकरण करने के लिए ऑन लाइन क्लिनिकल परीक्षण पंजीयन, कुष्ठ रोग के लिए एकीकृत मल्टी ड्रग्स थेरेपी प्रणाली (यूएमडीटी) और लिम्फैटिक फाइलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू बुखार, टी बी (ड्रग अवरोधक सहित), कॉलरा, क्लेमाइडिया संक्रमण के लिए विकसित नैदानिक किट शामिल है। लेप्टोस्पायरोसिस और स्वदेशी एच1 एन1 टीके का विकास। इसके बावजूद देश के समक्ष उपस्थित स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख चुनौतियों के लिए अभी भी बहुत करना बाकी है। इसके कारण आईसीएमआर ने बायो चिकित्सा अनुसंधान खासकर संक्रामक रोगों पर प्रकाश डाला है। जब कि स्वास्थ्य प्राप्तियों में मुख्यतः व्यावहारिक तथ्यों तथा अल्प स्वास्थ्य व्यवस्था एवं निवारण पर कम ध्यान देने के कारण है।

बारहवीं योजना की कार्यनीति

20.19. बारहवीं योजना में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने और देश में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज (यूएचसी) की प्रणाली स्थापित करने के दीर्घावधिक उद्देश्यों की ओर काम करने के लिए ग्यारहवीं योजना में की गई पहलों को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की वहन करने योग्य कीमत पर दवाइयों और उपचार की एक निश्चित आवश्यक रेंज तक आश्वस्त पहुंच होगी जो अधिसंख्य लोगों को पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए। अंततः बजट संबंधी बाधाओं द्वारा आश्वस्त सेवाओं को सीमित किया जाएगा। लेकिन इसका उद्देश्य समय पर लगातार कवरेज का विस्तार किया जाना चाहिए।

20.20. सभी एचएलईजी की सिफारिशों और अन्य पणधारकों के परामर्श के आधार पर कार्यनीति के ऐसे मुख्य तत्वों को रेखांकित करना संभव है जिन्हें बारहवीं योजना में अपनाया जाना चाहिए। इन तत्वों को यूएचसी की ओर बढ़ने के लिए दीर्घावधिक योजना के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए जो ऐसी प्रक्रिया है जो दो या तीन योजना अवधियों में खुलकर सामने आएगी।

1. यदि हमें ग्रामीण और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रणाली का पर्याप्त विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। जनसंख्या का अधिकांश भाग आज निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रदाताओं पर निर्भर करता है जो ऐसी राशि का भुगतान करते हैं जिसे वे वहन नहीं कर सकते क्योंकि सार्वजनिक

- सेक्टर की अपर्याप्त पहुंच है। यद्यपि जो लोग निजी सेक्टर को भुगतान कर सकते हैं उनके लिए यह क्षेत्र काम करता रहेगा लेकिन अच्छे स्तर की वहन करने योग्य सार्वजनिक सेक्टर की स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है, जब सार्वजनिक सेक्टर में आपूर्ति बढ़ेगी तो लोग सार्वजनिक सेक्टर के प्रदाताओं की ओर जाएंगे जिससे निजी सेक्टर की स्वास्थ्य सुविधा की ऊंची लागत और अक्सर वहन न की जा सकने वाली निर्भरता से कमजोर लोग मुक्त हो जाएंगे।
2. केंद्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र का व्यय, योजना और योजनेतर दोनों में बारहवीं योजना के अंत तक काफी वृद्धि करनी होगी। इसमें 10वीं योजना में जीडीपी के 0.94 प्रतिशत से ग्यारहवीं योजना में 1.04 प्रतिशत की पहले ही वृद्धि हो गई है (तालिका 20.3)। रोग नियंत्रण के प्रधान कारकों के रूप में स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई का प्रावधान करना, औद्योगिक देशों के इतिहास से सुस्थापित कारक है और स्वास्थ्य से संबंधित संसाधन आबंटन में इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित संसाधनों की इस व्यापक परिभाषा की प्रतिशत जरूरत को बारहवीं योजना के अंत तक बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय, केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का लगभग दोगुना है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यय के समग्र लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब केंद्र के साथ राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य संबंधी बजट का उचित रूप से विस्तार करें। इसलिए राज्य सरकार के व्यय बढ़ाने के लिए एक उचित तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
 3. उपलब्ध संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने के लिए वित्तीय और प्रबंधकीय प्रणालियों को पुनः तैयार करना होगा। क्षेत्रों के अंदर और समूचे क्षेत्रों में सेवाओं की समन्वित सुपुर्दगी, जवाबदेही के अनुसार प्रत्यायोजन, नवोन्मेष की भावना विकसित करना ऐसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए "अधिक के लिए कम से काफी किया जा सकता है।"
 4. स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी सेक्टर के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करने का उचित तरीका खोजने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसमें कमियों को दूर करने के लिए सेवाएं संविदा पर लेना और प्रभावी रूप से विनियमित और प्रबंधन की हुई पीपीपी भी शामिल होगी जबकि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सेवाएं प्रदान करने के मानकों में कोई समझौता नहीं होगा और यह कि प्रोत्साहन ढांचा, स्वास्थ्य सुविधाओं को कमतर न माने।
 5. वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जो बीमा आधारित प्रणाली के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के लिए अंतरंग रोगियों के "नकदी" उपचार प्रदान करती है, में सुधार किए जाने की जरूरत होगी ताकि व्यापक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सुविधा तक निरंतर पहुंच हो सके। शुरू में आरएसबीवाई का कवरेज केवल बीपीएल जनसंख्या तक सीमित था लेकिन बाद में इसे दूसरी श्रेणियों पर भी लागू किया गया। बारहवीं योजना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आरएसबीवाई का प्लेटफार्म और वर्तमान तंत्र का उपयोग गरीबी से नीचे की रेखा वाली संपूर्ण जनसंख्या को इसमें कवर किया जाए। भविष्य की स्वास्थ्य सेवा ढांचों की योजना बनाते समय यह वांछनीय है कि सेवाओं के विखंडन के मुद्दे को हल करने के लिए जो निवारण और प्राथमिक सेवा को हानिकर के लिए कार्य करता है तथा जो धोखाधड़ी को प्रेरित मांग की गुंजाइश को भी कम करता है, एचएलईजी द्वारा रेखांकित कारणों के लिए "सेवा के बदले फीस" तंत्र से अलग रखा जाए।
 6. स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता हमेशा ही मुख्य रुकावट रही है। स्वास्थ्य को समर्पित वित्तीय संसाधनों का विस्तार मात्र तब तक वांछित परिणाम नहीं देगा जब तक स्वास्थ्य से संबंधित कार्मिक उपलब्ध न हों। मेडिकल स्कूलों, नर्सिंग कॉलेजों आदि का व्यापक प्रसार इसलिए आवश्यक है और सार्वजनिक सेक्टर के मेडिकल स्कूलों को भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। चूंकि ऐसे कॉलेजों का वर्तमान वितरण भौगोलिक दृष्टि से असमान है इसलिए ऐसे राज्यों में चिकित्सा शिक्षा के प्रसार पर विशेष प्रयास किए जाएंगे जिन राज्यों में यह कम है। इसके अलावा, पैरामेडिकल और सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण के गहन प्रयास करने होंगे।
 7. ग्यारहवीं योजना से यह महत्वपूर्ण सीख मिली कि व्यक्तियों की बीमारी दूर करने या क्रियाकलापों या संस्थानों को निधिबद्ध करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित योजानाओं की बहुविधता, स्वास्थ्य प्रणाली के समग्र दृष्टिकोण को रोकती है, इससे कार्यों को दोहराया जाता है और निरर्थकता आती है और यह समन्वित सेवा को कठिन बनाती है। यह बहुविधता, आवश्यकता पर आधारित योजनाएं बनाने या सर्वश्रेष्ठ कुशल ढंग से अपने संसाधनों को नियोजित करने में राज्यों के लचीलेपन में भी रुकावट लाती है। इसके परिणामस्वरूप नए कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाते और पुराने कार्यक्रम अपनी

10 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। इसका हल यह है कि स्वास्थ्य प्रणाली के स्तंभों को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जाए ताकि यह उन प्रत्येक विशिष्ट चुनौतियों को रोक सके, पता लगा सके और उनका प्रबंधन कर सके जो देश के विभिन्न भागों के सामने आ रही हैं।

8. दवा निर्धारण सुधारों की श्रृंखला, आवश्यक, सामान्य औषधियों का संवर्धन और आवश्यक स्वास्थ्य पैकेज के एक भाग के रूप में सार्वजनिक सेवा सुविधा केंद्रों में सभी रोगियों को इन्हें सार्वभौमिक रूप से मुफ्त उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी।
9. लोगों को जोखिम और अनैतिक प्रैक्टिस से सुरक्षित रखने के लिए मेडिकल प्रैक्टिस, खाद्य और दवाइयों में कारगर विनियम आवश्यक है। ऐसा करना इसलिए विशेष रूप से आवश्यक है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सूचना में विलंब होने के कारण किसी व्यक्ति को अपनी पसंद बताना कठिन होता है।
10. बारहवीं योजना की स्वास्थ्य प्रणाली में सार्वजनिक और निजी सेवा प्रदाताओं का मिश्रण जारी रहेगा। लोक स्वास्थ्य और क्लिनिकल सेवाएं, दोनों देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। दिक्काल सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को भी आपस में समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए एक मजबूत विनियामक प्रणाली होगी। समूचे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में क्लिनिकल सेवाओं के आधार पर मानक उपचार दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए जिसमें सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और सेवा की लागत पर नियंत्रण रखने के लिए विनियामक निकायों पर पर्याप्त नजर रखी जाए।

स्वास्थ्य के लिए समावेशी कार्यसूची

20.21. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बारहवीं योजना की सभी सेवाएं जनसंख्या के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदान की जाए, बारहवीं योजना में निम्नलिखित पर जोर दिया जाएगा।

20.22. सेवाओं तक पहुंच: इन सुविधाओं से वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने वाली रुकावटों की पहचान की जाएगी और उन्हें दूर किया जाएगा। मेडिकल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुभेद्य लोगों को प्रदान की जाएंगी। वे लिंग संवेदी और बच्चों के अनुकूल होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित सूचना सभी दृष्टिहीन लोगों और सभी सुविधा प्रदाताओं को उपलब्ध होगी – विशेष रूप से उन लोगों को जो मानसिक रोगियों और आत्मविमोहित लोगों की देखभाल करते हैं। बधिर लोगों को अस्पताल की सुविधाएं

उपलब्ध होंगी। कमजोर समूहों में अनु. जा. और अनु. जा. जाति जनसंख्या और अल्पसंख्यक, दो तरफा अलाभप्रद समूह जैसे सुभेद्य आदिवासी समूह, गैर-अधिसूचित और घुमंतु आदिवासी, मुशहारा तथा आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जब उपकेंद्र और आंगनवाड़ियों को स्थापित किए जाने और नवोन्मेष किए जाने के प्रावधान किए जा रहे हों।

20.23. विशेष सेवाएं: सुभेद्य और अलाभप्रद समूहों को विशेष सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ विवादग्रस्त क्षेत्रों में मानसिक ट्रॉमा के पीड़ितों को परामर्श देना, या असमर्थ लोगों को सहायता की आपूर्ति और फिटिंग प्रदान करना, प्रयोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए विशेष सेवाओं के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि जनसंख्या के कुछ और क्षेत्र हैं जो भी सुभेद्य हैं इसलिए यह सूची खुली होनी चाहिए।

20.24. निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली: नियमित निगरानी और समवर्ती प्रभाव मूल्यांकन को जनसंख्या के अलाभप्रद समूहों के संबंध में असंकलित सूचना प्राप्त करनी चाहिए। इससे मूल्यांकन करने में आसानी होगी जिसके साथ वे सेवाओं और उनके प्रभाव तक पहुंच सकते हैं तथा साथ ही यह समझ सकते हैं कि आम लोगों के साथ उनकी तुलना कैसे की जाए।

20.25. सामुदायिक मंचों में प्रतिनिधित्व: जहां कहीं सामुदायिक स्तर के मंच मौजूद हों या उनकी योजना बनाई जा रही हो, जैसे कि रोगी कल्याण समिति, बीएचएसएनसी, कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। इसके अलावा, प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य साफ सफाई और पोषाहार समिति में महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा।

20.26. स्वास्थ्य और पुनर्वास व्यावसायियों को प्रशिक्षण: इसमें अपंगता संबंधी ज्ञान शामिल होने के साथ-साथ अलाभप्रद समूहों और सामान्य जनसंख्या के बीच संदर्भों और आशाओं के अंतरों से निपटने का कौशल शामिल होना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के अनुभवों से आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रशिक्षण संस्थानों में उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों को असहाय लोगों के अनुकूल बनाने के लिए व्यापक नीति होनी चाहिए। इसमें संकाय, स्टाफ और प्रशिक्षकों को सुग्राही बनाया जाना शामिल है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर

20.27. बारहवीं योजना की कार्यनीति की रूपरेखा, वैश्विक स्वास्थ्य सुविधा (यूएचसी) की ओर बढ़ता पहला कदम है। समूचे विश्व में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के किसी रूप को सामाजिक सुरक्षा

के बुनियादी घटक के रूप में माना जाता है। इसे प्राप्त करने के अलग-अलग तरीके हैं और अलग-अलग देशों का अलग-अलग अनुभव होता है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का कहीं अधिक व्यापक कवरेज होना चाहिए और हमें यह एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से करने की जरूरत है जो हमारी जरूरतों और हमारी वित्तीय क्षमता के अनुकूल हो।

एचएलईजी की सिफारिशें

20.28. उच्च स्तरीय विशेषज्ञ गुप ने यूएचसी को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

“देश के किसी भी भाग में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, चाहे उनकी आय का स्तर, सामाजिक स्तर, लिंग, जाति या धर्म कुछ भी हो, जो वहन करने योग्य, जवाबदेह और उचित हो, स्वास्थ्य सेवाएं आश्वस्त गुणवत्ता वाली हों। (संवर्धनात्मक, निवारणात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वासात्मक) तथा साथ ही साथ व्यक्तियों तथा जनसंख्या को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवा व्यापक हानिकारकों को दूर करती हो जिसमें सरकार गारंटर हो, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वास्थ्य और इससे संबंधित सेवाओं की एकमात्र प्रदाता हो।”

20.29. इस परिभाषा से यह पुष्टि होती है कि प्रणाली उन सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होनी चाहिए जो इसे चाहते हैं चाहे अधिक आय के समूह इससे बाहर रहना क्यों न चाहते हों। परिचालनात्मक प्रयोजनों के लिए इसकी और स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए जिसमें आश्वस्त सेवाओं और विशेष तौर पर अंतरंग रोगी के उपचार के लिए पात्रता के संदर्भ में कवरेज शामिल किया जाए और ऐसे विशिष्ट तंत्र को परिभाषित किया जाए जिसके माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाएंगी। शामिल किए गए उपचार की रेंज के संदर्भ में प्रस्तावित कवरेज की सीमा के सामने निश्चित ही उपलब्ध वित्तीय स्थिति से रुकावटें आएंगी यद्यपि इसे समय के साथ विस्तार दिया जा सकता है। एचएलई जी ने सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित करते हुए कि आवश्यक स्वास्थ्य पैकेज (ईएचपी) में देखभाल के सभी स्तरों पर आवश्यक सेवाओं को शामिल किया जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी।

20.30. एचएलईजी ने अलग-अलग तरीकों की जांच की है जिसमें लाभार्थी द्वारा नकद भुगतान किए बगैर यूएचसी प्रदान की जा सकती

है। एक ओर गंभीर अंतरों को पूरा करने के लिए केवल निजी क्षेत्र का प्रयोग कर सार्वजनिक सेक्टर सेवा प्रदाताओं से सेवाओं की विशुद्ध सुपुर्दगी की जा सकती है और जिनकी लागत बजट संबंधी निधि से पूरी की जाती है। दूसरी ओर हमारा एक ऐसा तंत्र हो सकता है जहां निश्चित सेवाएं, सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा के लिए फीस वसूल कर प्रदान की जाती है जिससे राज्य निधिबद्ध मेडिकल बीमा द्वारा प्रदाताओं को भुगतान किया जा रहा है और रोगी द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है। एचएलईजी ने यह सिफारिश भी की है:

राज्य सरकारों को व्यवस्थाओं के साथ प्रयोग करने पर विचार करना चाहिए जहां राज्य और जिला खरीद, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा प्रदाताओं के संयुक्त एकीकृत नेटवर्क से की जाती है। प्रदाताओं के ये नेटवर्क सरकार द्वारा विनियमित किए जाने चाहिए ताकि वे किरायाती सेवा के लिए नियमों और जरूरतों को पूरा कर सकें, जवाबदेह हो और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें। ऐसा एकीकृत प्रदाता निकाय को शामिल किए गए लोगों के लिए सहमत पूर्वनिर्धारित स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए निधि प्राप्त करनी चाहिए। यह निकाय वित्तीय जोखिम और पुरस्कार प्राप्त करेगा तथा स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा। निश्चित ही सुदृढ़ बनाए गए जिला अस्पताल इस प्रदाता नेटवर्क के अग्रणी होने चाहिए (सिफारिश 3.1.10)।

20.31. एचएलईजी की मुख्य सिफारिशें बॉक्स 20.1 में दी गई हैं।

सारे विश्व में यूएचसी मॉडल

20.32. यद्यपि कई देश यूएचसी के उद्देश्यों का पालन करते हैं लेकिन इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है इसमें बहुत अधिक भिन्नता है। कई देशों ने कर वित्तपोषित मॉडल अपनाया है जबकि दूसरे देशों ने बीमा आधारित मॉडल अपनाया है। कुछ देश वेतनभोगी लोक प्रदाताओं के माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं। अन्य देशों ने बहिरंग रोगी सेवा के लिए भुगतान करने हेतु वरीयता मॉडल के रूप में प्रति व्यक्ति के अनुसार कर को अपनाया है और अंतरंग रोगी सेवा के लिए सेवा के बदले फीस को भी अपनाया गया है। कुछ देशों में यूएचसी मॉडलों का सार नीचे दिया गया है।

कनाडा

20.33. मेडिकेयर क्षेत्रीय आधार पर नियंत्रित सार्वभौमिक लोक बीमा कार्यक्रम है, संघीय और प्रांतीय कर राजस्व के माध्यम से सार्वजनिक

12 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

बॉक्स 20.1

वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें

- स्वास्थ्य का वित्तपोषण और वित्तीय संरक्षण:** सरकार को स्वास्थ्य से संबंधित सार्वजनिक व्यय को जीडीपी का 1.2 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर बारहवीं योजना के अंत तक कम से कम 2.5 प्रतिशत और 2022 तक जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत कर देना चाहिए। सामान्य कर निर्धारण का प्रयोग स्वास्थ्य सेवा का वित्तपोषण करने के एक मुख्य स्रोत के रूप में होना चाहिए न कि क्षेत्र विशिष्ट के करों की वसूली के रूप में। अलग-अलग राज्यों के बीच स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति पर समान रूप से खर्च किए जाने के लिए अंतरण के विशिष्ट प्रयोजन शुरू किए जाने चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यय का हिस्सा सभी स्वास्थ्य सेवाओं के व्यय का कम से कम 70 प्रतिशत होना चाहिए। आरएसबीवाई के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा विकसित तकनीकी और अन्य क्षमताओं को यूएचसी परिचालनों के केंद्र बिंदु के रूप में लिया जाना चाहिए – और उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित किया जाना चाहिए।
- दवा, टीका और प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** कीमत नियंत्रण और कीमत विनियमन, विशेष तौर पर आवश्यक दवाइयों पर लागू किया जाना चाहिए। आवश्यक दवाइयों की सूची संशोधित और विस्तारित की जानी चाहिए और दवाइयों का युक्तिसंगत प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। आवश्यक दवाइयों का उत्पादन करने के लिए देश की क्षमता के विरुद्ध भारतीय पेटेंट कानून और टीआरपीएस करार द्वारा प्रदत्त रक्षोपायों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को औषधि विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की शक्ति दी जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन:** परिवार कल्याण संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और क्षेत्रीय संकाय विकास केंद्रों का विकास चयनात्मक आधार पर किया जाना चाहिए ताकि सभी संस्थानों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित संकाय और संकाय साझा करने की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित प्रणाली जिला स्वास्थ्य ज्ञान संस्थान, राज्य स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य में राष्ट्रीय मानव संसाधन परिषद (एनसीएचआरएच) स्थापित किए जाने चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा के मानदंड:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य पैकेज विकसित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक की पात्रता के भाग के रूप में स्वास्थ्य सेवा सुपुर्दगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। सेवाओं को युक्तिसंगत बनाकर और शहरी गरीब लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं तक समान पहुंच होनी चाहिए।
- प्रबंधन और संस्थागत सुधार:** लोक स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान दिए जाने और साथ ही यूएचसी प्रणाली के प्रबंधन को सुदृढ़ बनाए जाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय लोक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग और एक विशेषज्ञ राज्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन संवर्ग शुरू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनएचआरडीए), राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवर्धन और संरक्षण ट्रस्ट (एनएचपीपीपी) स्थापित किए जाने की भी सिफारिश की गई है।
- सामुदायिक भागीदारी और नागरिक प्रबंधन:** वर्तमान ग्राम स्वास्थ्य समितियों को भागीदारी स्वास्थ्य परिषदों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।
- लिंग भेद और स्वास्थ्य:** महिलाओं, बालिकाओं और अन्य सुभेद्य लिंग भेदों (मातृत्व और बाल स्वास्थ्य से आगे जाकर) के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक की पहुंच में सुधार किए जाने की जरूरत है।

रूप से वित्तपोषित किया जाता है। निजी प्रदाताओं के माध्यम से बहिरंग रोगी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निजी और निर्लाभ प्रदाताओं द्वारा सभी सेकेंडरी और तृतीयक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ विकल्पों के साथ प्राथमिक सेवा का भुगतान अधिकांशतः “सेवा के बदले फीस” है (अर्थात् प्रति व्यक्ति फीस)। अंतरंग रोगी सेवा का भुगतान ग्लोबल बजट (कुछ प्रांतों में मामला आधारित भुगतान) के माध्यम से किया जाता है जिसमें डॉक्टर की फीस शामिल नहीं होती है।

न्यूजीलैंड

20.34. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, सामान्य कर राजस्व के माध्यम से जनता द्वारा वित्तपोषित होती है। बहिरंग रोगी सेवाएं, निजी प्रदाताओं

के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, अधिकांशतः सार्वजनिक और कुछ निजी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का भुगतान “प्रति व्यक्ति शुल्क” और “सेवा के बदले फीस” के मिलजुले आधार पर होता है। अंतरंग रोगी सेवा का भुगतान, ग्लोबल बजट और मामला आधारित भुगतान के आधार पर होता है जिसमें डॉक्टर की फीस शामिल होती है।

जर्मनी

20.35. सांविधिक स्वास्थ्य बीमा में 180 “रुग्णता निधि” द्वारा निधियां जुटाई जाती हैं। निजी प्रदाताओं के माध्यम से बहिरंग रोगी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, जनता (50 प्रतिशत), निजी निर्लाभ (33 प्रतिशत) और निजी लाभ

के लिए (17 प्रतिशत) प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का भुगतान “सेवा के बदले फीस” है। अंतरंग रोगी सेवा के लिए भुगतान वैश्विक बजट और मामला आधारित भुगतान के माध्यम से किया जाता है जिसमें डॉक्टर की फीस शामिल होती है।

इंग्लैंड

20.36. *राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा* सामान्य कर राजस्व के माध्यम से जनता से वित्तपोषित है। बहिरंग रोगी सेवाएं, निजी और सार्वजनिक, दोनों प्रदाताओं के माध्यम प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं अधिकांशतः सार्वजनिक द्वारा और कुछ निजी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का भुगतान अधिकांशतः प्रति व्यक्ति फीस और निजी प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन के लिए वेतन और सार्वजनिक प्रदाताओं के लिए वेतनों के मिश्रित रूप में होता है। अंतरंग रोगी सेवाओं का भुगतान ग्लोबल बजट और मामला आधारित भुगतान, जिसमें डॉक्टर की फीस शामिल होती है, के माध्यम से किया जाता है।

थाइलैंड

20.37. *सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज योजना* को जनसंख्या के आधार पर स्थानीय संविदागत यूनितों को किए गए सामान्य कर राजस्व के भुगतान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। बहिरंग रोगी सेवाएं, सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान जोखिम समायोजित प्रति व्यक्ति शुल्क के माध्यम से किया जाता है। अंतरंग रोगी सेवाओं का भुगतान, ग्लोबल बजट और कुछ सेवाओं के लिए निश्चित दर की फीस के आधार पर डाइग्नोस्टिक रिलेटेड ग्रुप (डीआरजी) के माध्यम से किया जाता है।

श्रीलंका

20.38. *सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना*, कर-वित्तपोषित सरकार द्वारा परिचालित की जाती है। बहिरंग रोगी सेवाएं, सार्वजनिक प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक और निजी, दोनों प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए भुगतान, सेवा के बदले फीस द्वारा किया जाता है। अंतरंग रोगी सेवा का भुगतान, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए सेवा के बदले फीस और निजी अस्पतालों के लिए प्रतिव्यक्ति फीस के माध्यम से किया जाता है।

मैक्सिको

20.39. *सेगुरो पॉपुलर इश्योरेंस स्कीम* का वित्तपोषण, संघीय और राज्य सामान्य कर राजस्व और अनौपचारिक क्षेत्र से प्रीमियम के माध्यम से सदस्यों के योगदान और पंजीकृत परिवारों से क्रमिक योगदान के माध्यम से किया जाता है। बहिरंग रोगी सेवाएं, सार्वजनिक और सीमित रूप से निजी प्रदाताओं दोनों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं सामान्यतया निजी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का भुगतान “प्रति व्यक्ति फीस” और “सेवा के बदले फीस” के मिश्रित रूप में किया जाता है। अंतरंग रोगी सेवा का भुगतान डीआरजी के माध्यम से किया जाता है यद्यपि ऐसे भुगतान तदर्थ आधार पर, गैर योजनाबद्ध आधार पर किए जाते हैं।

20.40. देशों का यह साक्ष्य जो कवरेज में सुधार करने, पहुंच का विस्तार करने, लागत नियंत्रित करने, गुणवत्ता बढ़ाने और जबाबदेही को सुदृढ़ बनाने के लिए जो आवश्यक और व्यवहार्य है, दोनों के संदर्भ में इसने यूएचसी बिंदु से प्रारंभिक स्थितियों के महत्व की ओर बढ़ने की कोशिश की है।

20.41. हमारी प्रणाली में प्रारंभिक स्थितियों में बड़े लेकिन बुरी तरह से गैर-निधिबद्ध सार्वजनिक सेक्टर, बढ़ते हुए लेकिन ऊंची लागत वाले निजी सेक्टर शामिल हैं जिनमें अपर्याप्त गुणवत्ता और कवरेज के गंभीर मुद्दे और गैर कारगर विनियमन शामिल हैं।

20.42. आगे बढ़ने के लिए दो मुख्य प्रश्न हैं:

1. यूएचसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं को ऐसे किस कारगर ढंग से जोड़ें कि जिससे विपरीत प्रोत्साहनों से बचा जा सके, प्रदाताओं की प्रेरित मांग कम की जा सके और जो ऊपर विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सके?
2. सेवाओं के विभिन्न प्रकारों और स्तरों – लोक स्वास्थ्य और क्लिनिकल; प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्लिनिकल स्वास्थ्य सेवा के साथ निवारक और संवर्धनात्मक हस्तक्षेपों को कैसे एकीकृत किया जाए – ताकि निरंतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो? प्राथमिक या तृतीयक स्वास्थ्य सेवा का अपर्याप्त निवारण और अनुचित उपयोग, जब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त हो, इससे स्वास्थ्य सेवा की कहीं अधिक लागत आएगी।

20.43. विभिन्न देशों के अनुभवों के वैश्विक साक्ष्य हमें इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ संकेत देते हैं:

14 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

1. अधिकांश देशों में सार्वजनिक और निजी सेवाओं का मिला जुला रूप है। इसे मिला-जुला कार्य बनाने के उद्देश्य से एक मजबूत विनियामक ढांचा आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यूएचसी कार्यक्रम, लागत नियंत्रित करने, प्रदाता प्रेरित मांग कम करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सर्वाधिक कारगर है।
2. प्रदाता भुगतान तंत्र अपने आप में जादुई गोली नहीं है और जो वे कर सकते हैं उनकी सीमाएं हैं। प्रति व्यक्ति फीस नेटवर्क, स्वास्थ्य सेवा जारी रखने की नकारात्मक स्थितियों को कम कर सकता है लेकिन वे स्वयं इसकी गारंटी नहीं देंगे। इसके लिए सेवा प्रदान किए जाने में सुधार, मानव संसाधन और संबंधित विनियामक विकास और प्रवर्तन में सुधार होना चाहिए।
3. इसके अलावा, जवाबदेही और पूर्णता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, जिसे विनियामक संरचना करना चाहती है, नागरिक भागीदारी संस्थान बनाए जाने की जरूरत है।

20.44. यह नोट किया जाना चाहिए कि विकसित देशों ने भी ऐसा नेटवर्क तैयार करने में दशक लगा दिए जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के वैकल्पिक मॉडलों को कार्यान्वित कर सके। कई देशों ने "समन्वित स्वास्थ्य" मॉडलों को अपनाने का विकल्प चुना है जहां प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक और निजी, दोनों का भागीदारी के साथ एकीकृत ढांचे में प्रदान की जाती है। सबसे पहले सभी स्तरों पर अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। इसे निजी सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) द्वारा पूरा किया जा सकता है। दीर्घावधिक में हमारा प्रयास यूएचसी की संगठित प्रणाली की ओर बढ़ने में होना चाहिए। आरएसबीवाई के माध्यम से शुरू की गई सेवा संविदा व्यवस्थाओं और अन्य राज्य स्तरीय पहलों से भी हमें सीखना चाहिए।

20.45. स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यूएचसी को उन सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच का निर्माण करना चाहिए जो स्वास्थ्य निर्धारक हैं अर्थात् सुरक्षित पेयजल और साफ सफाई, संपूर्ण पोषाहार, बुनियादी शिक्षा, सुरक्षित आवास और स्वच्छ वातावरण। स्वास्थ्य के हानिकरों तक पहुंच सुनिश्चित किए बगैर यूएचसी के लक्ष्य प्राप्त करना कार्यनीतिक गलती होगी और स्पष्टतः इसके अनुसार कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो सकता है कि दो समानांतर उपायों से यूएचसी के लक्ष्य प्राप्त किए जाएं: पहला, विभिन्न स्तरों पर वे क्लिनिकल सेवाएं होंगी जिन्हें आवश्यक स्वास्थ्य पैकेज (ईएचपी) में परिभाषित किया गया है जिसका वित्तपोषण सरकार करेगी और लोक स्वास्थ्य प्रणाली, संविदागत निजी प्रदाताओं

द्वारा अनुपूरित, जब कभी महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करना हो, के माध्यम से सुनिश्चित प्रावधान; दूसरे, अत्यधिक प्रभाव, निवारक और लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का सर्वव्यापी प्रावधान, जिसे सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर सर्वव्यापी ढंग से प्रदान करेगी (बॉक्स 20.2)। यूएचसी इसे प्राप्त करने के लिए दो योजना अवधियां लेगी लेकिन पायलट और वृद्धिशील कवरेज के संदर्भ में कोशिश, बारहवीं योजना में ही शुरू की जा सकती है।

20.46. रोड मैप: संसाधनों और स्वास्थ्य परिणामों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाने वाली प्रणाली में सुधार किए जाने की जरूरत है। बारहवीं योजना में बिल्डिंग ब्लॉक के सुधार निम्नानुसार होंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों के बीच किसी भी प्रकार की बाधाओं के बिना समन्वित रूप से प्रदान की जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, निवारक, सार्वजनिक और उपचारात्मक, दोनों प्रकार की सेवाएं, क्लिनिकल सेवाएं प्रदान करने के लिए सुदृढ़ बनाई जाएंगी। सार्वजनिक रूप से निधिबद्ध सेवा अधिकांश रूप से सार्वजनिक प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाएगी। नेटवर्क के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, नेटवर्क के अंतर्गत माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं के गेटवे के रूप में कार्य करेंगे। निजी सेक्टर को महत्वपूर्ण अंतर पूरा करने के लिए केवल संविदा पर लिया जाएगा। उन क्षेत्रों में जहां सार्वजनिक और निजी संविदागत प्रदाता सह-अस्तित्व में हों, रोगियों को सेवा प्रदाता चुनने का अधिकार होगा। विभिन्न स्तरों पर ऐसी समन्वित सुविधाओं का नेटवर्क, निरंतर स्वास्थ्य सुविधा, सार्वभौमिक पहुंच और वहन करने योग्य सेवाएं, नोडल पाइंट के रूप में जिला अस्पताल में प्रदान किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत सामान्य कराधान/सार्वजनिक कर प्रणाली से होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। वैश्विक अनुभव और वर्तमान स्थानीय ढांचों पर विचार करने के बाद यूएचसी पायलटों के माध्यम से राज्यों द्वारा रोडमैप का ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

20.47. यूएचसी मॉडल: सेवाएं प्रदान करने की वित्तीय सहायता करने और आयोजित किए जाने के विभिन्न विकल्पों का सावधानीपूर्वक पता लगाए जाने की जरूरत है। सभी लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पैकेज को नकदी रहित प्रदान करना, सभी मॉडलों का बुनियादी आधार होना चाहिए। चूंकि बहिरंग-रोगियों की देखभाल और दवाइयों पर स्वास्थ्य संबंधी पारिवारिक आउट-ऑफ पॉकेट और अकस्मात होने वाला व्यय मुख्य तत्व होते हैं इसलिए गतिमान ईएचपी प्राथमिकता होगी और प्रत्येक यूएचसी मॉडल, सरकारी फॉर्मसियों

बॉक्स 20.2

निधिबद्ध और सरकार द्वारा प्रदत्त निवारक और लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की दृष्टांतयुक्त सूची

1. तीन वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण रोग टीकाकरण
2. प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद पूरी देखभाल
3. आपातकालीन प्रसूति देखभाल की जरूरत पूरी करने की सुविधा के साथ कुशल जन्म सहायता।
4. बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड की खुराक
5. आंत के कीड़ों के लिए विशेष तौर पर बच्चों और प्रजनन की आयु वाली महिलाओं का नियमित उपचार
6. आयोडीन और आयरन युक्त नमक का सार्वभौमिक उपयोग
7. 9 से 59 माह के बच्चों के लिए विटामिन-ए की खुराक
8. गर्भ निरोधकों के डिब्बे और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच
9. स्वास्थ्यवर्धक, हाथ धोने, डेंटल हाईजीन, शुद्ध पेयजल का उपयोग, तम्बाकू, एल्कोहल, अधिक कैलोरी युक्त भोजन लेने और मोटापे से बचने, दैनिक शारीरिक व्यायाम करने की जरूरत, दो पहियों के वाहन पर हेलमेट का प्रयोग और सीट बेल्ट बांधने संबंधी सूचना सहित निवारक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य संबंधी शैक्षिक सेवाएं; जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करने और विशेष तौर पर छः माह की आयु तक स्तनपान कराने की सलाह देना और उसके बाद अनुपूरक खाद्य पदार्थ देना, किशोरों का यौन स्वास्थ्य, आरटीआई/एसटीआई के बारे में जागरूकता; एनसी डी और सामान्य कैसर, जो इनके जोखिम में आते हैं, के लिए स्क्रीनिंग करने की जरूरत
10. घर में जन्मे शिशु की देखभाल और छः माह की आयु तक विशेष रूप से स्तनपान को प्रोत्साहित करना
11. बीमार बच्चों के लिए सामुदायिक आधारित देखभाल जिसमें रेफरल के ऐसे मामले हों जिनमें उच्च स्तर की देखभाल की जरूरत हो
12. प्रसव पूर्व देखभाल के दौरान एचआईवी परीक्षण और परामर्श
13. माता से बच्चे में एचआईवी होने से रोकने के लिए सकारात्मक एचआईवी वाली माताओं को मुफ्त दवाइयां
14. मलेरिया प्रोफिलैक्सिस, लांग लॉस्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स (एलएलआईएन) का प्रयोग करना, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स (आरडीके) का नैदानिक प्रयोग करना और उचित उपचार करना
15. स्कूल में स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की जांच करना जिसके बाद यदि आवश्यक हो तो सलाह और उपचार
16. विशेष तौर पर बच्चों में दस्त प्रबंधन और ओरल रि-हाइड्रेशन घोल (ओआरएस) का प्रयोग करना
17. ड्रग और मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट के मामलों सहित क्षयरोग, कोढ़ का पता लगाना और उपचार करना
18. अधिक जोखिम वाले समूहों के लिए हैपिटैडिटिस बी और सी के लिए टीका
19. "डायल 108" मॉडल की इमरजेंसी रिस्पांस एंबुलेंस सेवाओं सहित रोगी परिवहन प्रणाली

(सार्वजनिक प्रदाताओं के लिए) और जन औषधिक की दुकानों (सभी के लिए) के साथ संबंध स्थापित करके आवश्यक सामान्य दवाइयों तक पूरी और मुफ्त पहुंच बनाने के लिए प्रणालियां शामिल करेगा। चूंकि सेवाओं के उपयोग की बारम्बारता, सेवा प्रदान किए जाने का स्वरूप और सेवाओं की लागत, मूलरूप से बहिरंग रोगी (गतिशील) और अंतरंग रोगी की देखभाल अलग-अलग होती है और प्राथमिक सेवा के स्थान पर द्वितीयक और तृतीयक सेवा किए जाने से बचने के लिए प्रत्येक यूएचसी पायलट में गतिमान स्वास्थ्य सेवा की लागत निश्चित की जानी चाहिए। एक प्रभावी स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, जिस तक सभी सेवा प्रदाताओं और रोगियों (उनके अपने रिकॉर्ड के लिए) की पहुंच हो, लगातार सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक होगा। लाभार्थी कवरेज, सुविधा नामांकन और धोखाधड़ी निवारण के संदर्भ में आरएसबीवाई द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म से सभी मॉडल सीख सकते हैं।

20.48. एनएचएम के अंतर्गत "प्रोत्साहन पूल" के माध्यम से जिलों में कम से कम एक लेकिन अधिक से अधिक तीन यूएचसी पायलट चलाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित और आंशिक रूप से निधिबद्ध किया जा सकता है। अलग-अलग राज्य, रॉल आउट किए जाने से पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विशेषज्ञ समूह और संस्थानों के साथ परामर्श करके पायलट मॉडलों के ब्यौरे को अंतिम रूप दे सकते हैं। पायलट, उचित रूप से सुदृढ़ बनाए जाने, सशक्त बनाए जाने और नेटवर्क स्थापित किए जाने के बाद उस क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाओं और सार्वजनिक तथा निजी सुविधा लेखकों के संयुक्त रूप का प्रयोग करके उन सहित एक ईएचपी तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने हेतु विभिन्न मॉडलों का पता लगा सकते हैं। पायलट मॉडलों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए तुलनात्मक नाम और विभिन्न दृष्टिकोणों की लागत प्रदर्शित करनी चाहिए जो उस राज्य के संदर्भ में विकास और सामाजिक आर्थिक स्तरों के

16 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

लिए उचित होगा। मेडिकल कॉलेजों से कहा जा सकता है कि वे किफायती जांच करने, रोगी की संतुष्टि और लोगों के आउट ऑफ पॉकेट खर्च में परिवर्तन लाने के लिए गहन मूल्यांकन डिजाइन तैयार करें।

20.49. तथापि, पायलट मोड पर यूएचसी को रॉल आउट करने से पहले निम्नलिखित मदों की तैयारी आरंभ किए जाने की जरूरत है:

1. पायलटों में समान रूप से अपनाए जाने हेतु अंतरंग रोगी और बहिरंग रोगी के लिए राष्ट्रीय कोर स्वास्थ्य पैकेज तैयार करना। कुछ समय बाद कर निधिबद्ध यूएचसी प्रणाली सहित बीमा निधिबद्ध प्रणाली बदल कर दूरदृष्टि से आरएसबीवाई की सेवाओं के पैकेज को ईएचपी में विस्तार प्रदान किया जा सकता है।
2. राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को अपेक्षित संसाधनों से सशक्त बनाकर और इसकी क्षमता का निर्माण कर ताकि वह कवरेज नियंत्रित कर सके।
3. पायलट जिले के लिए एनएचएम की जिला स्वास्थ्य कार्य योजना के एक भाग के रूप में यूएचसी योजना तैयार करना और ईएचपी में शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त मदों की पहचान करना।
4. मानक उपचार और रेफरल दिशानिर्देश तैयार करना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. ईएचपी कार्यान्वित करने के लिए राज्य और जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनितों को सुदृढ़ बनाना।
6. एक बृहद और कारगर स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली हो, जो मामले के बेहतरीन परिदृश्य में प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा का पता लगाए और सुविधाओं का कार्यनिष्पादन और संसाधनों के आबंटन का आकलन कर सके।
7. उस क्षेत्र में शामिल किए गए सभी परिवारों को रजिस्टर करना।
8. योजना बनाने, प्रबंधन करने, देखरेख और जवाबदेही में समुदायों को शामिल करने की कारगर प्रणाली तैयार करना।
9. स्थानीय स्व-शासन एजेंसियों और सिविल सोसायटी को सक्रिय रूप से शामिल कर कारगर सामुदायिक निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली तैयार करना।
10. निगरानी और स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र का विकास करना और सुदृढ़ बनाना।

बारहवीं योजना के लिए परिणाम सूचक

20.50. बारहवीं योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिणामी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य

सूचक हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों में राज्य-वार अलग-अलग लक्ष्य (तालिका-20.4) निम्नानुसार होंगे:

1. *शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 25 तक कम करना:* 5 प्रतिशत प्रति वर्ष गिरावट की विगत दर पर भारत में वर्ष 2015 तक 36 और वर्ष 2017 तक 32 आईएमआर होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2015 तक 27 आईएमआर कम करने की एनडीजी की उपलब्धि के लिए गिरावट की इस ऐतिहासिक दर को तेज करना होगा। यदि यह बढ़ी हुई दर कायम रहती है तो देश में वर्ष 2017 तक 25 की आईएमआर प्राप्त की जा सकती है।
2. *मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) 100 तक कम करना:* गिरावट की हाल की 5.8 प्रतिशत वार्षिक दर पर भारत में वर्ष 2015 तक 139 और वर्ष 2017 तक 123 एमएमआर होने का अनुमान है। वर्ष 2015 तक 109 एमएमआर कम करने के मिलेनियम विकास लक्ष्य (एमडीजी) की उपलब्धि के लिए गिरावट की इस ऐतिहासिक दर में तेजी लानी आवश्यक है। गिरावट की इस तेजी पर देश में वर्ष 2017 तक 100 एमएमआर प्राप्त किया जा सकता है।
3. *कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 तक कम करना:* भारत, 2017 तक 2.1 के टीएफआर लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में एकता के निवल प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के लंबे समय से इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
4. *3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में एनएफएचएस-3 (2005-2006) स्तर से आधे तक अल्प पोषण की रोकथाम और कमी लाना:* कम वजन के बच्चों में मृत्यु दर और रुग्णता का जोखिम अधिक होता है। गिरावट की वर्तमान दर पर 2015 तक कम वजन के बच्चे 29 प्रतिशत और 2017 तक 27 प्रतिशत होने का अनुमान है। तीन वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों की संख्या कम करने के एमडीजी की उपलब्धि 2015 तक 26 प्रतिशत तक करने के लिए इस ऐतिहासिक गिरावट को तेज करना होगा। देश में तीन वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों का स्तर 2017 तक एनएफएचएस- (2005-2006) स्तर से आधे तक प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार एमएमआर, आईएमआर, रक्त की कमी और बाल लिंग अनुपात का महत्वपूर्ण स्थान है उसी प्रकार इस विशेष स्वास्थ्य स्तर का परिणाम सुरक्षित जीवन की व्यापक प्रतिबद्धता पर बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है।

तालिका 20.4
बारहवीं योजना में आईएमआर और एमएमआर पर राज्य-वार लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	हाल की स्थिति			बारहवीं योजना के लिए लक्ष्य		
		आईएमआर	एमएमआर	रक्त की कमी	आईएमआर	एमएमआर	रक्त की कमी
	भारत	44	212	55.3	25	100	28
1	आन्ध्र प्रदेश	43	134	62.9	25	61	31
2	अरुणाचल प्रदेश	32	उ. न.	50.6	19	-	25
3	असम	55	390	69.5	32	177	35
4	बिहार	48	261	67.4	26	119	34
5	छत्तीसगढ़	48	269	57.5	28	122	28
6	गोआ	11	उ. न.	38	6	-	19
7	गुजरात	41	148	55.3	24	67	28
8	हरियाणा	44	153	56.1	26	65	28
9	हिमाचल प्रदेश	38	उ. न.	43.3	22	-	22
10	जम्मू और कश्मीर	41	उ. न.	52.1	24	-	26
11	झारखंड	39	261	69.5	23	109	35
12	कर्नाटक	35	178	51.5	15	80	26
13	केरल	12	81	32.8	6	37	16
14	मध्य प्रदेश	59	269	56	34	122	28
15	मणिपुर	11	उ. न.	35.7	6	-	18
16	महाराष्ट्र	25	104	48.4	15	47	24
17	मेघालय	52	उ. न.	47.2	30	-	24
18	मिजोरम	34	उ. न.	38.6	20	-	19
19	नागालैंड	21	उ. न.	उ. न.	12	-	-
20	ओडिशा	57	258	61.2	33	117	31
21	पंजाब	30	172	38	16	78	19
22	राजस्थान	52	318	53.1	30	145	27
23	सिक्किम	26	उ. न.	60	15	-	28
24	तमिलनाडु	22	97	53.2	13	44	27
25	त्रिपुरा	29	उ. न.	65.1	17	-	33
26	उत्तर प्रदेश	57	359	49.9	32	163	20
27	उत्तराखंड	36	359	55.2	21	163	28
28	पश्चिम बंगाल	52	145	63.2	11	66	32
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	उ. न.	उ. न.	12	-	-
30	दिल्ली	28	उ. न.	44.3	15	-	22
31	चंडीगढ़	20	उ. न.	उ. न.	12	-	-

18 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	हाल की स्थिति			बारहवीं योजना के लिए लक्ष्य		
		आईएमआर	एमएमआर	रक्त की कमी	आईएमआर	एमएमआर	रक्त की कमी
32	दादरा एवं नागर हवेली	35	उ. न.	उ. न.	20	-	-
33	दमन और दीव	22	उ. न.	उ. न.	13	-	-
34	लक्षद्वीप	24	उ. न.	उ. न.	14	-	-
35	पुदुचेरी	19	उ. न.	उ. न.	11	-	-

उ. न.: उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: जिन राज्यों ने समान दर से अधिक दरों पर महत्वाकांक्षी लक्ष्य चुने हैं उन्हें मैरुन रंग में दर्शाया गया है।

- 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में रक्त की कमी दूर करना और उनकी संख्या 28 प्रतिशत तक कम करना: रक्त की कमी के कारण मातृत्व मृत्यु दर और जन्म के समय बच्चे का वजन कम होता है, इसका उपचार और निवारण अत्यंत साधारण स्वास्थ्य सुविधा से किया जा सकता है। रक्त की कमी से संबंधित मामलों में तेजी से कमी लाकर इसे बारहवीं योजना के अंत तक 28 प्रतिशत तक लाए जाने की जरूरत है।
- 0-6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में लिंग अनुपात 914 से बढ़ाकर 950 करना: रक्त की कमी के समान ही बाल लिंग अनुपात भी एक और महत्वपूर्ण सूचक है जिसमें गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और इस पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
- संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों (मानसिक बीमारी सहित) और घावों का निवारण तथा उन्हें कम करना: इनमें से प्रत्येक स्थिति के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य-वार और राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे क्योंकि उनके भार को मापने के लिए संतुलित प्रणाली बनाई गई है। मोटे तौर पर संक्रमणीय बीमारियों के लक्ष्य तालिका 20.5 में दिए गए हैं।
- गरीब परिवारों के आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय कम करना: गरीब परिवारों पर स्वास्थ्य के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट का व्यय एक बोझ है जिससे दरिद्रता बढ़ती है और यह वित्तपोषण की उद्योगामी प्रणाली है। बारहवीं योजना के अंत तक जीडीपी का 1.87 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करना, सार्वजनिक सुविधाओं में आवश्यक दवाइयों तक मुफ्त पहुंच, बारहवीं योजना में प्रस्तावित विनियामक उपायों से लोक व्यय के हिस्से में वृद्धि होने की संभावना है। बारहवीं योजना के उपायों का उद्देश्य, स्वास्थ्य पर निजी खर्च के अनुपात के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय को कम करना भी है।

तालिका 20.5
संक्रमणीय बीमारी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लक्ष्य

बीमारी	बारहवीं योजना का लक्ष्य
क्षय रोग	वार्षिक घटना और मृत्यु दर आधा तक कम करना
कोढ़	इसकी व्यापकता को <1/10,000 पीओपी तक कम करना और सभी जिलों में इनकी घटना शून्य करना
मलेरिया	वार्षिक मलेरिया की घटना <1/1,000 करना
फाइलेरियासिस	सभी जिलों में माइक्रोफिलेरिया की घटना <1% करना
डेंगू	संपोषणीय मामले की मृत्यु दर <1% करना
चिकनगुनिया	इसकी महामारी रोकना
जापानी मस्तिष्क ज्वर	जेई मृत्यु दर 30% तक कम करना
काला-अजार	सभी ब्लॉकों में माइक्रोफाइलेरिया की घटना को 2015 तक खत्म करना अर्थात प्रति 10,000 जनसंख्या में <1 मामला
एचआईवी/एड्स	नए संक्रमण को शून्य करना और एचआईवी/एड्स के साथ रह रहे सभी लोगों की व्यापक देखभाल करना और सहायता करना तथा जिन्हें उपचार की जरूरत हो उन सभी को उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करना।

स्वास्थ्य के लिए वित्तपोषण

20.51. बारहवीं योजना में सामान्य कर राजस्व, निजी सेक्टर के साथ साझेदारी से अनुपूरक और उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेटों द्वारा किए गए योगदान के सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई सेवाओं के लिए वित्त का मुख्य स्रोत होगा। स्वास्थ्य बजट के एक भाग के रूप में वित्त के

लिए नामित पातक कर लगाने से यह हानिकारक वस्तुओं (तम्बाकू, एल्कोहल) के उपयोग को कम कर सकता है और इस पर विचार किया जा सकता है।

20.52. बारहवीं योजना का वित्तपोषण करने के लिए परियोजनाओं में कुल सार्वजनिक निधिकरण, योजना और योजनेत्तर, को मूल स्वास्थ्य पर वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.04 प्रतिशत से बढ़कर बारहवीं योजना के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का 1.87 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय योजना में निधिकरण, ग्यारहवीं योजना के स्तर से तीन गुना बढ़ जाएगा जिसमें वार्षिक वृद्धि 34 प्रतिशत तक होगी (तालिका 20.6)। प्रस्तावित प्रोत्साहन उपायों से राज्यों का कुल निधिकरण, योजना और योजनेत्तर, स्वास्थ्य पर ग्यारहवीं योजना के स्तर से तीन गुना बढ़ने की आशा है जिसमें इसी तरह की वार्षिक वृद्धि शामिल है। स्वास्थ्य के लिए केंद्र और राज्य का निधिकरण, कुल सार्वजनिक सेक्टर स्वास्थ्य के अनुपात के रूप में, 2011-2012 के स्तर के क्रमशः 33 प्रतिशत और 67 प्रतिशत स्तरों पर रहेगा।

20.53. जब व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार किया जाता है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति अर्थात् पेयजल और साफ सफाई, मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास योजना में सुधार करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य को छोड़कर मंत्रालयों की योजनाएं शामिल होती हैं तो बारहवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल सरकारी व्यय के विगत वर्ष के ग्यारहवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद के 1.94 प्रतिशत से बढ़कर बारहवीं योजना के तदनुसूची वर्ष में 3.04 प्रतिशत होने की संभावना है।

प्रोत्साहन और सुधार के उपाय के रूप में निधिकरण

20.54. बारहवीं योजना में केंद्र सरकार के निधिकरण में प्रतिमान अंतरण की परिकल्पना की गई है ताकि यह सुनिश्चित हो कि पर्याप्त राशियां उपलब्ध करा दी गई हैं और यह भी कि वे राज्यों से तुलनात्मक उत्तोलक प्रयास करते हैं। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण कागज पत्र में यह बताया गया था कि हमारा उद्देश्य केंद्र और राज्यों में स्वास्थ्य पर कुल व्यय बारहवीं योजना के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का होना चाहिए (योजना और योजनेत्तर, दोनों व्यय सहित), तदनुसार, बारहवीं योजना में प्रस्तावित आबंटन, स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाते हैं और केंद्रीय योजना व्यय को लगभग 34 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाने की अनुमति देंगे। चूंकि राज्यों का व्यय, केंद्र के व्यय से दोगुना है इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य इस प्रयास के अनुरूप कार्य करें। यदि यह प्राप्त कर लिया जाता है तो मुख्य स्वास्थ्य पर केंद्र और राज्यों का कुल व्यय, बारहवीं योजना अवधि के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.87 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

20.55. यह सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य कि राज्य भी केंद्र की समान दर पर स्वास्थ्य पर अपना व्यय बढ़ाएं। यह तब संभव हो सकता है जब राज्यों को अंतरण सशर्त किया जाता है जो स्वास्थ्य पर राज्यों द्वारा किए गए अधिक व्यय पर आधारित हो। राज्य, केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित सभी योजनाओं के लिए की गई सिफारिश के आधार पर प्रोत्साहन अनुदान के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। वे तब पात्र होंगे यदि वे मूल स्तर (पिछले तीन वर्षों का औसत) के न्यूनतम पर अपने बजट के अनुपात के रूप में अपने स्वास्थ्य संबंधी व्यय (योजना और योजनेत्तर) को बनाए रखते हैं और जिला स्वास्थ्य योजनाओं के आधार पर राज्य व्यापी स्वास्थ्य क्षेत्र

तालिका 20.6

बारहवीं योजना (2012-17) में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के विभागों के लिए बजट सहायता

(आंकड़े करोड़ रुपए)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विभाग	ग्यारहवीं योजना व्यय	बारहवीं योजना परिव्यय	प्रतिशत 12वीं/11वीं योजना
ग्यारहवीं योजना (2007-12) और बारहवीं योजना (2012-17) में केंद्रीय विभागों के लिए बजट सहायता के अनुमान (करोड़ रुपए)			
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	83,407	2,68,551	322 प्रतिशत
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	2,994	10,044	335 प्रतिशत
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,870	10,029	536 प्रतिशत
एड्स नियंत्रण	1,305	11,394	873 प्रतिशत
कुल स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय	89,576	3,00,018	335 प्रतिशत

20 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

की योजना तैयार करते हैं। प्रोत्साहन अनुदान को राज्यों के बीच इक्विटी के आधार के रूप में परिचालित किया जा सकता है जहां आबंटनात्मक और निर्णय लेने के लिए कार्यनिष्पादन और जरूरत, दोनों को मान्यता दिए जाने की जरूरत है। प्रस्तावित व्यवस्था का ब्यौरा, योजना आयोग के साथ परामर्श करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा।

20.56. राज्यों के लिए केंद्रीय निधिकरण में लचीलापन लाया जा सकता है ताकि राज्य, स्वास्थ्य संबंधी अपनी जरूरतों के अनुरूप योजना तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभा सकें। राज्यों को पलेक्सी फंड के प्रस्ताव की बारहवीं योजना में केंद्रीय स्तर पर प्रायोजित सभी योजनाओं के लिए सिफारिश की जा रही है। तदनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र में, व्यापक राष्ट्रीय पैरामीटरों के अंतर्गत, राज्यों के पास अपनी स्वयं की स्वास्थ्य कार्य योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने का लचीलापन होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फंड का एक निश्चित भाग, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियत किया जा सकता है जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के आधार पर एक वस्तुपरक सूत्र अपनाया जा सकता है; राज्य और केंद्र के बीच क्षेत्रवार समझौता ज्ञापन (एमओयू), परस्पर प्रतिबद्धताएं तैयार कर सकता है और स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों के लिए कार्यान्वित दिशा प्रदान कर सकता है।

वित्तपोषण के अन्य मॉडल

20.57. सार्वजनिक निजी साझेदारी: पीपीपी, लोक हित में निजी क्षेत्र के भौतिक, मानव और प्रबंधकीय संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करता है। लेकिन पीपीपी के अनुभव से पता चलता है कि इसका इंतजाम और प्रबंध करने में सरकार की क्षमता कारगर नहीं है। कारगर विनियामक तंत्र के बगैर कमजोर पर्यवेक्षण और निगरानी से संविदागत बाध्यताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। जैसा कि एचएलईजी ने तर्क दिया है, यह आवश्यक है कि तदर्थ पीपीपी से हटकर ऐसे सुविचारित और प्रबंधकीय संविदाएं अपनाई जाएं जो "आम आदमी" के स्वास्थ्य को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए प्रभावी ढंग से विनियमित की जाएं। स्वास्थ्य को अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में शामिल किया गया है जो किसी पीपीपी योजना के तहत कुल परियोजना लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक जीवक्षमता अंतराल निधिकरण के लिए पात्र हैं। इसके परिणामस्वरूप, निजी सेक्टर परियोजनाओं, जैसे कि महानगरों से बाहर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, जो समान रूप से लाभदायक नहीं हैं और सरकार से अनुदान के रूप में परियोजना लागत 20 प्रतिशत तक का दावा करते हैं; का प्रस्ताव कर सकते हैं और उन्हें स्थापित कर सकते

हैं। स्वास्थ्य सेवा में पीपीपी के कुछ मॉडल जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, नैदानिक सेवाएं, अस्पताल आते हैं, जो इस समय राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं; उन्हें बॉक्स 20.3 में दर्शाया गया है, जब कभी प्रत्युत्तर और उन्नयन के लिए आवश्यक हो इन पर विचार किया जा सकता है।

20.58. पीपीपी व्यवस्थाओं को विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने संबंधी मुद्दों को हल करना चाहिए, वहन करने योग्य सेवा के स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स और सेवाएं प्रदान किए जाने का पालन करना चाहिए। विचारार्थ एक अतिरिक्त मॉडल यह है कि अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) में पालन की जा रही निर्लाभ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों और उद्योग के सदस्यों की भागीदारी के साथ पूर्णतः स्वायत्त संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया है। बारहवीं योजना में तृतीयक सेवा के लिए क्षमताओं का विस्तार करने के उद्देश्य से पीपीपी और निर्लाभ पीपीपी मॉडलों पर विचार किया जा सकता है।

20.59. सुविधाओं और कॉलेजों द्वारा संसाधन उत्पादन: यह मानते हुए कि तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में विलंब होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमित सार्वजनिक फंड से अधिक से अधिक लाभ मिले, सार्वजनिक सुविधाओं को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अभिदान जुटाकर (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) और आंतरिक अतिरिक्त बजट संबंधी संसाधनों, अपनी आवर्ती लागत का आंशिक वित्त प्रोत्साहित करें। हाल में तैयार कंपनी विधेयक के मसौदे के तहत सरकार ने प्रस्ताव किया कि कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्ष के औसत लाभ का 2 प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए निर्धारित करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के लिए सीएसआर अनिवार्य है जिसके मार्गनिर्देश लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए हैं और उसमें स्वास्थ्य सेवा को पात्र घटकों में से एक शामिल किया गया है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक रूप से निधिबद्ध सभी सुविधा केंद्र अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व शीर्ष से अपनी कंपनियों से दान और निधियां प्राप्त कर सकेंगे। पर्याप्त रक्षोपाय निर्मित किए जाएं ताकि "नो फ्रिल फंडिंग" सुनिश्चित की जा सके और दान के प्रयोग, किसी भी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं की नीतियों या प्रैक्टिस को प्रभावित करने के लिए न किया जाए। सभी मेडिकल कॉलेजों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे एक निश्चित समयावधि में वित्तीय लचीलापन प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं

बॉक्स 20.3

स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)

तृतीयक देखभाल: राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, रायचूर, कर्नाटक

संविदागत व्यवस्था: कर्नाटक सरकार और अपोलो अस्पताल
 भागीदारी का प्रकार: संयुक्त उद्यम (प्रबंधन संविदा)
 सेवाएं: अस्पताल की सुपर-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाएं और प्रबंधन प्रदान करता है।
 बीपीएल रोगियों के लिए मुफ्त बहिरंग रोगी सेवाएं

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं और पीएचसी का प्रबंधन

योजना: पीएचसी की स्वास्थ्य सेवा और प्रबंधन प्रदान करना
 संविदागत व्यवस्था: करुणा ट्रस्ट और अरुणाचल प्रदेश सरकार
 भागीदारी की किस्म: संविदागत
 सेवाएं: 11 पीएचसी का प्रबंध करता है, स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं प्रदान करता है।

प्रयोगशाला, दवाइयों की आपूर्ति और नैदानिक सेवाएं: हिन्दलैब्स

संविदागत व्यवस्था: स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड
 भागीदारी की किस्म: संविदागत
 सेवाएं: सीजीएचएस दरों पर उच्च स्तर की नैदानिक सेवाएं प्रदान करने की आदर्श पहल

स्वास्थ्य बीमा: सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना

संविदागत व्यवस्था: करुणा ट्रस्ट और राष्ट्रीय बीमा कंपनी और कर्नाटक सरकार
 भागीदारी की किस्म: संयुक्त उद्यम
 सेवाएं: स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उपयोग में सुधार करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना

पहुंच/स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना: सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य मोबाइल सेवाएं

संविदागत व्यवस्था: पश्चिम बंगाल सरकार और निर्लाभ एनजीओ
 भागीदारी की किस्म: संविदागत (संयुक्त उद्यम)
 सेवाएं: मोबाइल वोट आधारित स्वास्थ्य सेवाएं और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच

उत्तर प्रदेश में आरसीएच सेवाएं: मेरी गोल्ड हैल्थ नेटवर्क (एमजीएचएन) और संभव वाउचर योजना

संविदागत व्यवस्था: यूपी एसआईएफपीएसए के माध्यम से भारत सरकार और यूएसएआईडी का संयुक्त प्रयास
 भागीदारी की किस्म: सोशल फ्रैंचाइजिंग नेटवर्क और वाउचर सिस्टम
 सेवाएं: प्रत्यायित निजी प्रदाताओं के माध्यम से एफपी/आरसीएच सेवाएं प्रदान करना।

का कॉर्पस विकसित करें। सुविधाओं का प्रावधान और रखरखाव करने के लिए पूंजी या आवर्तक व्यय के वास्ते योगदान प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तमिलनाडु ने विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राजस्व की स्वयं प्राप्ति के मॉडलों के उपलब्ध होने पर तमिलनाडु

स्थित अरविंद नेत्र चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप क्रॉस-सब्सिडी के विकल्प का भी पता लगाया जा सकता है। राजस्व प्राप्त करने के लिए तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं एक प्रोत्साहन के रूप में हो सकती हैं यदि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के व्यापक पैरामीटरों के अंतर्गत स्व-निर्मित संसाधनों के उपयोग में लचीलापन प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)

20.60. स्वास्थ्य बीमा, सारे संसार में चिकित्सा संरक्षण का एक सामान्य रूप है और ग्यारहवीं योजना तक यह केवल सरकारी कर्मचारियों, संगठित क्षेत्र के कामगारों को ही उपलब्ध था; निजी स्वास्थ्य बीमा, कई वर्षों से परिचालन में रहा है लेकिन इसका कवरेज सीमित रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाली कुल अनुमानित जनसंख्या की प्रतिशतता केवल 16 प्रतिशत थी। बहिरंग रोगियों के लिए गरीबों के पास कोई बीमा नहीं था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) वर्ष 2007 में शुरू की गई थी और इसे गरीब लोगों की स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था।

20.61. आरएसबीवाई, प्रत्येक पंजीकृत परिवार को ₹30,000 वार्षिक का "नकदी रहित", स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य बीमा कवच प्रदान करता है जिसमें पांच व्यक्तियों तक को पंजीकृत किया जा सकता है। लाभार्थी परिवार पंजीकरण/नवीकरण फीस के रूप में केवल ₹30 वार्षिक का भुगतान करता है। योजना में अस्पताल से संबंधित व्यय (बहिरंग रोगी व्यय शामिल नहीं है) शामिल होते हैं जिसमें प्रसूति लाभ और पहले से मौजूद बीमारियां शामिल हैं। ₹100 प्रति दौरे की परिवहन लागत का भी भुगतान किया जाता है। बीमा एजेंसियों को देय प्रीमियम 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निधिबद्ध किया जाता है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10 की छूट दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम प्रीमियम, प्रति बीमाकृत परिवार ₹750 प्रतिवर्ष तक सीमित है।

20.62. आरएसबीवाई मूल रूप से गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों तक सीमित थी लेकिन बाद में इसे भवन निर्माण और निर्माण से जुड़े अन्य कामगारों, एमएनआरईजीए लाभार्थियों, फेरी लगाने वालों, बीड़ी कामगारों और घरेलू कामगारों को शामिल किया गया था। इस समय इस योजना को 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आज की तारीख तक इसमें लगभग 3.3 करोड़ परिवार शामिल हैं और नवंबर, 2012 तक इस योजना के तहत 43 लाख व्यक्तियों ने अस्पताल संबंधी व्यय प्राप्त कर लिए हैं।

20.63. आरएसबीवाई की मुख्य विशेषता यह है कि निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रणाली में शामिल किए जाने का प्रावधान है यदि वे कुछ मानकों को पूरा करते हैं और नकदी रहित उपचार करने पर सहमत हैं जिसकी प्रतिपूर्ति, बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। यह रोगियों को वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं को चुनने का लाभ देती है, जहां

ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं। कई राज्य सरकारों (जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) ने स्वयं अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शुरू की हैं जिसमें अक्सर और अधिक कुल बीमा कवर होता है।

20.64. किसी बीमा तंत्र द्वारा वित्तपोषित "सेवा के बदले फीस" भुगतान प्रणाली के साथ यह सामान्य समस्या है कि यह अनावश्यक उपचार के लिए प्रोत्साहन का सृजन करती है जो समय पर लागत और प्रीमियम बढ़ा देता है। इस बात के कुछ सबूत हैं कि यह हो रहा है और इसे कम करने के लिए आवश्यक है कि सुधारात्मक उपाय किए जाएं। लाभार्थी, किसी सामान्य बीमा योजना द्वारा शामिल किए गए वैकल्पिक प्रदाताओं को चुनने में सक्षम हैं। आरएसबीवाई और राज्य विशिष्ट अन्य बीमा योजनाओं के अनुभव का विस्तार से अध्ययन किए जाने की जरूरत है ताकि इन योजनाओं को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के फ्रेमवर्क में मिलाए जाने से पहले उचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। अब तक आरएसबीवाई में नोट की गई कमियों में बीमा मध्यवर्तियों के कारण उच्च अंतरण लागत, प्रदाता प्रेरित मांग नियंत्रित करने में असमर्थता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और बहिरंग रोगी सेवा की कमी शामिल है। देखभाल को विभिन्न स्तरों पर विखंडित करने से रोगी द्वितीयक स्तर की ओर बढ़ सकते हैं जिनके उपचार, वरीयतः प्राथमिक या यहां तक कि निवारक चरणों में किया जाना चाहिए। आरएसबीवाई, रोग प्रोफाइल और स्वास्थ्य जरूरतों में राज्य विशिष्ट उतार-चढ़ाव पर भी ध्यान नहीं देता है।

परिणामों में सुधार करने के लिए नवोन्मेषी भुगतान पद्धति

20.65. सार्वजनिक सुविधाओं के लिए लाइन आइटम बजट भुगतान की पद्धतियों की कमजोरी सुपरिचित है। अधिक प्रत्युत्तर संसाधन आबंटन, सरकार के लिए चुनौती है। सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश करने से बेहतर पहुंच और कवरेज, बेहतर सेवा और उत्कृष्ट स्वास्थ्य परिणाम तभी मिलेंगे जब ये सुविधाएं और उनके कार्मिक, उन्हें सौंपे गए अपेक्षित कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें। भुगतान पद्धतियों का उपयोग, सार्वजनिक सेक्टर कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, सार्वजनिक सेक्टर सुविधाओं में प्रबंध और स्वास्थ्य कार्मिकों को कवरेज क्षेत्र (जब तक सरकार द्वारा इनके साथ संपर्क नहीं किया जाता है) में निजी सेक्टर की सेवाओं के उपयोग में कटौती द्वारा की गई माप के अनुसार सेवाओं की उच्च कवरेज प्राप्त करने के लिए बोनस का भुगतान किया जा सकता है, उन्हें निवारक स्वास्थ्य सेवा कारगर ढंग से प्रदान करने और अपने-अपने क्षेत्रों में मापयोग्य स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए

और प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है। राज्यों द्वारा तैयार किए गए यूएचसी पायलटों का प्रयोग, आयोजन और सेवाएं प्रदान किए जाने की विभिन्न पद्धतियों और भुगतान की प्रणालियों के साथ किया जा सकता है ताकि आबंटित संसाधनों से स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा

20.66. पैन-इंडिया आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें गैर सीजीएचएस क्षेत्रों में रह रहे पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। प्रस्ताव में इस योजना को सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वैच्छिक सह अंशदायी बनाना है। तथापि, प्रस्ताव है कि सरकारी सेवा में नए आने वाले कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य बनाया जाए।

स्वास्थ्य और चिकित्सा विनियमन

20.67. खाद्य, औषधि और मेडिकल प्रोफेशन के विनियमनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है क्योंकि न केवल ये विषय संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं बल्कि निरंतरता की कमी के साथ-साथ प्रवर्तित मानकों के कारण इसका आम नागरिकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और इससे स्वास्थ्य परिणाम समाप्त हो जाते हैं। प्राधिकार और जवाबदेही को साथ रखे जाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्यों में प्रस्तावित लोक स्वास्थ्य संवर्ग से यह आशा की जाती है कि स्वास्थ्य से संबंधित सभी विनियमनों के प्रवर्तन के लिए एकल बिन्दु हो।

20.68. राज्यों में विनियामक प्रणाली को तत्काल सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है जहां अधिकांश कार्यान्वयन किए जाते हैं। इससे जांच प्रयोगशाला स्थापित करने और कार्मिकों की क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। ऐसे प्रस्तावों को एनएचएम के तहत आंशिक रूप से निधिबद्ध किया जाएगा। स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करके और लोक स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप करके विनियमन को वहन करने योग्य और कारगर बनाया जा सकता है।

औषधि विनियमन

20.69. ई-शासन प्रणाली, जो सभी लाइसेंसिंग और पंजीकरण कार्यालयों और प्रयोगशालाओं, जीपीएस आधारित नमूना एकत्रीकरण प्रणालियों और लाइसेंसिंग के लिए ऑनलाइन आवेदनों को परस्पर जोड़ती है, राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर अनुमोदित व्यवस्थापन का सुरक्षा कोष विकसित किया जाएगा। दवा नियंत्रण प्रणाली,

प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण करेगी और स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करेगी।

20.70. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि अनुचित नियत खुराक संयोजन (एफडीसी) और खतरनाक दवाइयों को समयबद्ध ढंग से समाप्त किया गया है।

20.71. फॉर्मको-सतर्कता विपणन के पश्चात निगरानी, प्रतिकूल ड्रग रिस्पांस निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, पंजीकृत उत्पादों की जांच और पुनर्मूल्यांकन को दवा विनियमन के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

20.72. सामान्य नामों या अंतरराष्ट्रीय गैर स्वामित्व नाम (आईएनएन) का प्रयोग अनिवार्य बनाया जाएगा और सरकारी प्रापण, वितरण, प्रिस्क्रिप्शन और प्रयोग के सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर प्रापण और वितरण, दवा सूचना और उचित उपयोग की सुदृढ़ प्रणाली में अपना योगदान करता है। स्थापित ब्रांड विनिर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सरकारी प्रापण के लिए बोली लगाएं लेकिन दवाइयों, गैर-स्वामित्व नामों पर प्रदान की जानी चाहिए।

20.73. ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा ताकि उनके जोखिम आधारित वर्गीकरण, क्लिनिकल विचारण, संगत मूल्यांकन और दंडों के प्रावधानों के लिए उपबंधों को अंतर्विष्ट किए जाने के लिए चिकित्सा युक्तियां शामिल की जा सकें। मशेलकर समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार एक केंद्रीय दवा प्राधिकरण स्थापित किए जाने की जरूरत है। यह प्राधिकरण विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए जाने और दवाइयों की बिक्री की समीक्षा करेगा। यह प्राधिकरण स्थापित कर दिए जाने के बाद इसकी अवसंरचना और प्रयोगशालाओं को उचित रूप से सुदृढ़ बनाएगा। सरकार अधिदेश देगी कि दवाइयों और खाद्य पदार्थों के लेबलों पर इनकी पूरी जानकारी दी जाए।

20.74. वर्तमान और नई सृजित की जाने वाली दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है ताकि भारत में उत्पादित की जा रही दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके चाहे उनका प्रयोग घरेलू वितरण या दूसरे देशों में निर्यात किए जाने के लिए किया जाए।

20.75. मानक उपचार दिशानिर्देश लागू करके आयुष सहित राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची परिचालनात्मक बनाई जाएगी। इसे नियमित

24 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

अंतरालों पर सभी सुविधा केंद्रों पर मुद्रित किया जाएगा और आपूर्ति की जाएगी। इन दिशानिर्देशों में सामान्य प्रिस्क्रिप्शन शामिल किए जाएंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में मानक उपचार दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन प्राथमिकता है ताकि दवा प्रतिरोध दूर किया जा सके, संगत प्रिस्क्रिप्शन और दवा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके और स्वास्थ्य सेवा लागत को सीमित रखा जा सके।

20.76. फॉर्मास्यूटिकल विपणन और प्रबल संवर्धन भी अनुचित प्रयोग किए जाने में योगदान देते हैं। फॉर्मा कंपनियों की तरफ से अनुचित रूप से बढ़ावा दिए जाने का पता लगाने और दंडित करने के लिए अनिवार्य संहिता की जरूरत है। दवा संवर्धन पर किए गए व्यय का फॉर्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा अधिदेशित प्रकटीकरण, अनर्हता प्राप्त लेखक को आकर्षित करने के लिए फॉर्मा उत्पादकों के संवर्धन में जाली लेख और कंपनी पर दंड लगाना और निरंतर चिकित्सा शिक्षा में दवा से संबंधित सामग्री की पुनर्वीक्षा पर विचार किया जाएगा। चिकित्सा में हितों के टकराव से बचने के लिए दवा कंपनियों के लिए ऐसा विधान अपेक्षित है जिसमें अनुसंधान, परामर्श, व्याख्यान, यात्रा और मनोरंजन पर डॉक्टरों को किए गए भुगतानों पर भी विचार किया जाएगा।

20.77. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दवाइयों और विशेषतौर पर एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स के उचित प्रयोग के बारे में जनता और रोगी शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा ताकि व्यक्तिगत रोगियों और जनता के स्वास्थ्य को लाभ हो।

20.78. अनुसंधान विषयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्लिनिकल अनुसंधान और विचारण के विनियमन के लिए संस्थागत संरचना, प्राथमिकता प्राप्त विषय होगा। इसके अलावा, नई प्रौद्योगिकियों, दवाइयों और युक्तियों का कुशल आकलन और अनुमोदन भी किया जाएगा। नई चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और युक्तियों का अनुमोदन और लागू करने की प्रक्रिया अधिसूचित होगी। भारत को अभी भी टीआरआईपीएस प्लस प्रावधानों से अपने आपको सुरक्षित करना है, जो 20 से अधिक वर्षों तक सदाबहार पेटेंट होंगे। अनिवार्य लाइसेंसिंग, सामानांतर आयात आदि जैसे रक्षोपाय, राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अपनाए जाने की जरूरत है।

खाद्य विनियमन

20.79. हाल में स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) अपने कार्यक्रम और निर्णय लेने में पारदर्शिता में

सुधार करेगा। जैव सुरक्षा, एफएसएसआई द्वारा किए जा रहे किसी भी जोखिम मूल्यांकन का अभिन्न अंग होगी।

20.80. खाद्य सर्वेक्षण नियमित आधार पर किए जाएंगे और उनके परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

20.81. स्वस्थ खाद्य उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने की नीतियां विकसित की जाएंगी। हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री और उपयोग को सामान्य रूप से और स्कूलों में विशेष रूप से निरुत्साहित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा मामलों के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए लोक सूचना अभियान चलाया जाएगा।

20.82. खाद्य सुरक्षा और जैव सुरक्षा संबंधी उचित मॉड्यूल मेडिकल और नर्सिंग क्रियाकलापों में शामिल किया जाएगा।

मेडिकल प्रैक्टिस का विनियमन

20.83. क्लिनिकल स्थापनाओं के पंजीकरण और विनियमन के लिए प्रावधान कारगर ढंग से कार्यान्वित किए जाएंगे; सभी क्लिनिकल स्थापनाओं को स्वास्थ्य सूचना प्रणाली संबंधी नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित पैरामीटरों के आधार पर आंकड़े साझा करना आवश्यक किया जाएगा। सरकार, स्वास्थ्य के साक्ष्य आधारित और किफायती क्लिनिकल प्रोटोकॉलों को अधिदेशित करने पर विचार करेगी जिसका अनुपालन सभी प्रदाताओं को करना होगा। यह धीरे-धीरे एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ेगी जहां क्लिनिकल लिए गए निर्णयों की नियमित तौर पर प्रिस्क्रिप्शन परीक्षा होगी ताकि अनुपालन की पुष्टि की जा सके। उचित कीमत पर अच्छे स्तर का संगत उपचार प्राप्त करने के रोगी के अधिकार की रक्षा की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेशनल सलाह और फ़ैकल्टी प्रोत्साहित की जाएगी ताकि दिशानिर्देशों के उल्लंघनों का पता लगाने और उचित कार्रवाई करने के लिए मानक उपचार दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन जांच की जा सके। जानबूझकर लापरवाही और कदाचार रोकने के लिए मेडिकल प्रैक्टिस के वर्तमान विनियामक तंत्र में संशोधन किए जाने और सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है। शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

20.84. चूंकि कई राज्यों में क्लिनिकल स्थापनाओं को पंजीकृत करने संबंधी कोई विधान नहीं है और जो इस समय मौजूद है (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में) उसमें बड़ी त्रुटियां हैं, सभी राज्यों से कहा

बॉक्स 20.4

लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान, दिल्ली: स्थायी वित्त पोषण और स्वायत्तता का एक मॉडल

यह संस्थान दिल्ली सरकार एनटीसी दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक एक सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान है जो एक गुणवत्ता टर्शरी स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। इसके सेवाएं दिल्ली के बीपीएल कार्ड धारियों के लिए मुफ्त हैं और अन्य वर्गों के लिए प्रतिस्पर्धी हैं। इसके वाणिज्यिक मॉडल का लक्ष्य दक्षता और स्वयं स्थायित्व प्राप्त करना है।

यह संस्थान एक सोसायटी द्वारा स्वायत्त रूप से संचालित किया जाता है। जिसका उद्देश्य शैक्षिक विश्वविद्यालयों के कौशल और अवसंरचना, सुपर स्पेशलिस्ट का अनुसंधान और क्लिनिकल शीर्ष प्राप्त करना और कॉर्पोरेट जगत के प्रबंधन कौशल को मिलाना है।

जाएगा कि वे संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के तहत केंद्रीय अधिनियम को अपनाएं।

20.85. मेडिकल स्नातकों द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा सुनिश्चित किए जाने के लिए एक उचित विनियामक तंत्र पर विचार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों और संबंधित स्वास्थ्य संवर्ग से जुड़े संवर्गों को प्रोत्साहित करने हेतु इस समय मौद्रिक और गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन का निर्माण किया जाएगा।

20.86. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चुनाव निषेध) अधिनियम के उपबंधों को कारगर ढंग से लागू किया जाएगा और जन जागरूकता के उपाय किए जाएंगे। बालिकाओं के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने के साथ बालिका और महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करने के लिए ठोस सामाजिक अंतःकरण और संचार अभियान चलाए जाएंगे। स्थानीय स्व-शासन संस्थान, विशेष तौर पर नव-निर्वाचित महिला पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के सदस्यों को प्रेरित किया जाएगा कि बालिका के बारे में लोगों के मन में बैठी दुर्भावना और व्यवहार में बदलाव लाएं। पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय, जो बाल लिंग अनुपात में गिरती प्रवृत्ति में सुधार ला सकते हैं, निर्मल ग्राम पुरस्कार के आधार पर मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान

20.87. "राष्ट्रीय स्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान" संबंधी एकल केंद्रीय क्षेत्र की योजना, वर्तमान मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए निधि प्रदान करेगी और केंद्र सरकार के विभागों की तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं को शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित करेगी।

20.88. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस आशय के ठोस प्रयासों की जरूरत है कि वर्तमान तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों को

और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। उन्हें और अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की जरूरत है और कारगर ढंग से प्रबंधन किए गए बोर्ड के निकाय के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने की जरूरत है (देखें बॉक्स 20.4)।

20.89. केंद्र सरकार के क्षेत्र में एम्स जैसे और संस्थान (एएलआई), बारहवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाएंगे जो पहले से अनुमोदित ऐसे संस्थानों के अलावा होंगे। इन्हें योजना अवधि के दौरान पूरा और परिचालनात्मक बनाया जाएगा। वे क्रमिक प्रोफेशनल शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बहु-कौशल के लिए संयुक्त केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

20.90. वर्तमान शिक्षण संस्थानों को विभिन्न चिकित्सा परिस्थितियों में अनुसंधान और प्रैक्टिस में नेतृत्व और अनुसंधान संबंधी विषय वस्तु प्रदान करने के लिए सुदृढ़ बनाया जाएगा। प्राथमिकताओं में कैंसर, जोड़ों का दर्द, मसल स्केलटल बीमारियां, बाल स्वास्थ्य, डाइबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो विज्ञान, जराचिकित्सा, जैव चिकित्सा, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रशासन, नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और टेलि-मेडिसिन तथा कंफ्लिमेंटरी मेडिसिन शामिल हैं।

20.91. उत्कृष्टता केंद्रों का सृजन किए जाने की जरूरत है ताकि लोक स्वास्थ्य प्रोफेशनलों को मारक विज्ञान, कीट विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिससे बीमारी पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखी जा सके और बीमारी के फैलने की जांच हो सके तथा इसके फैलने, महामारी बनने और आपदाओं तथा आयुष के लिए भी कारगर ढंग से कार्रवाई की जा सके।

20.92. प्रस्तावित नए शिक्षण संस्थानों में सेवा करने के लिए अर्हता प्राप्त अध्यापकों की निरंतर स्ट्रीम की जरूरत होगी। एम्स स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान और अनुसंधान (पीपीआईएमईआर) और

26 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर) जैसे शीर्ष संस्थानों को प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय और राज्य शिक्षण संस्थानों में क्षमता निर्माण को उन्नत किया जाएगा।

20.93. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नामक मध्य स्तरीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक नई श्रेणी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए विकसित की जा सकती है। इन कर्मचारियों को उप-केंद्र स्तर पर आवश्यक निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और लोक स्वास्थ्य क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने में सक्षम बनाने के लिए बारहवीं कक्षा के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत उनके कार्यों, अर्हताओं, पदनामों, तैनाती और कैरियर की स्थिति का ब्योरा तैयार किए जाने की जरूरत है। इस नई श्रेणी से प्रोफेशनल साइलों को तोड़ने, सक्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा जो विभिन्न लेकिन ज्ञान की विभिन्न धाराओं को आकर्षित करेगी और सुविधाहीन लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार पैदा करने में सहायता करेगी। इन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा।

20.94. इसके साथ ही साथ क्रमिक चिकित्सा शिक्षा के कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जाएगा और विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी जैसी एजेंसियां, उच्च स्तर की प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने में उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्कों का प्रयोग कर इसके प्रसार में भी सहायता कर सकती हैं।

20.95. अच्छे स्वास्थ्य की योजना बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कर्मचारियों की आपूर्ति और मांग के अनुमान संबंधी उच्च स्तर के आंकड़े की जरूरत होगी। तथापि, देश में विशेषज्ञों की संख्या, वितरण, स्वास्थ्य व्यावसायिकों की प्रेक्टिस की स्थिति से संबंधित सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। संबंधित राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिकों परिषदों को मानव संसाधन संबंधी अपने रिकॉर्डों को निरंतर आधार पर अद्यतन करना चाहिए जिसमें आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन की सीमा को ध्यान में रखने की कोशिश की जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उचित सतर्कता रखेगा।

20.96. बाजार में अनर्हता प्राप्त लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्रफेशनलों के लाइसेंसों को विभिन्न कानूनों

द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय मानव संसाधन और स्वास्थ्य आयोग (एनसीएचआरएच) का सृजन वर्तमान विनियामक ढांचे में सुधार करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति में वृद्धि करने के दोहरे प्रयोजन के साथ चिकित्सा शिक्षा और संबंधित स्वास्थ्य विज्ञानों के लिए अधिमूल्य विनियामक निकाय के रूप में किया जाएगा। प्रस्तावित आयोग वर्तमान परिषदों अर्थात् भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दंत परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद् और भारतीय फॉर्मसी परिषद् के कई कार्यों को सम्मिलित कर लेगा। प्रस्तावित एनसीएचआरएच, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा बोर्ड (एनबीएचई) और राष्ट्रीय अभिकलन और मूल्यांकन समिति (एनईएसी) का भी गठन करेगा जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाने और स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों के प्रत्यायन की एक प्रणाली विकसित करने और रखरखाव करने का अधिदेश होगा। इसके अलावा, एनसीएचआरएच के तहत एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किए जाने का भी प्रस्ताव है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ मेडिकल प्रोफेशनलों में नैतिक मानक सुनिश्चित किए जा सकें। एनसीएचआरएच से यह आशा की जाती है कि वह स्वास्थ्य में एचआर के सही मिश्रण का सृजन करने के लिए योजना बनाने हेतु मांग और उपलब्धता का आकलन करे।

स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी

20.97. स्वास्थ्य सेवा और प्रणालियों में सुधार करने के लिए कम से कम चार अलग-अलग तरीकों से सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है:

1. सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य प्रणालियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लिए जाने का समर्थन करना
2. सेवा की बेहतर गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रदाताओं की सहायता करना
3. टेली-मेडिसिन के माध्यम से दूर-दराज के स्थानों में अच्छे स्तर की सेवाओं का प्रावधान
4. दवा और स्वास्थ्य में शिक्षा और क्रमिक रूप से सीखने का समर्थन करना

20.98. जब कंपोजिट एचआईएस पूर्ण रूप से परिचालनात्मक हो तो इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. जन्म, मृत्यु और मृत्यु के कारण का संपूर्ण पंजीकरण। मातृत्व और शिशु मृत्यु की समीक्षा

2. पोषाहार की निगरानी, विशेष तौर पर प्रजनन आयु समूह की महिलाओं और छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए
3. बीमारी के फैलने और महामारी का पता लगाने और कार्रवाई करने के लिए सेवा प्रदाताओं और क्लिनिकल प्रयोगशालाओं (सार्वजनिक और निजी) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रोग पर निगरानी
4. आपात स्थितियों में कार्रवाई का समय कम करने और सामान्य अस्पताल प्रशासन में सुधार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टों (ईएमआर) के माध्यम से बहिरंग रोगी और अंतरंग रोगी की सूचना
5. सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत मानव संसाधन संबंधी आंकड़े
6. संसाधन आबंटन और अंतरणों को सुचारू बनाने तथा सुविधाओं, प्रदाताओं और लाभार्थियों को लेखा और भुगतान के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में वित्तीय प्रबंधन। अंततः यह वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखों का समय पर समेकन कर सकेगा
7. शिक्षण मॉड्यूलों का राष्ट्रीय भंडार, क्रमिक चिकित्सा शिक्षा के लिए शिक्षा संकाय, विद्यार्थियों और प्रैक्टिशनरों के प्रयोग के लिए पाठ्यक्रम और दृश्य-श्रव्य फॉर्मेटों में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा स्थितियों के लिए मामलों के रिकॉर्ड
8. तृतीयक केंद्रों में विशेषज्ञों से प्राथमिक और द्वितीयक सुविधाओं पर डॉक्टरों को टेली-मेडिसिन परामर्शी सहायता
9. सरकार के विनियामक कार्यों की सहायता करने के लिए क्लिनिकल स्थापनाओं, विनिर्माण यूनितों, दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं, लाइसेंस प्राप्त दवाइयों और अनुमोदित क्लिनिकल विचारणों की राष्ट्रव्यापी रजिस्ट्रियां
10. आंकड़ों की गोपनीयता सुरक्षित रखते समय जनता को उनके स्वयं के स्वास्थ्य की सूचना और मेडिकल रिकॉर्डों तक पहुंच
11. कार्यक्रम त्रुटियों की पहचान में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम निगरानी सहायता।

20.99. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना अवधि में प्रत्येक पीएचसी और सभी उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कम्प्यूटर प्रदान किया जाएगा। यह कनेक्टिविटी या तो कम्प्यूटरों या सेल फोनों के माध्यम से उप-केंद्रों तक विस्तारित की जा सकती है जो उनकी तैयारी की स्थिति और उनके कार्यकर्ताओं के कौशल पर निर्भर करता है। सभी जिला अस्पतालों को अग्रणी तृतीयक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ टेली-मेडिसिन चैनलों द्वारा जोड़ा जाएगा और जिले के सभी

अस्पतालों को जिला अस्पताल और विकल्पतः उच्चतर केंद्रों से आपस में जोड़ा जाएगा।

20.100. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की भूमिका, आई. टी. वी. सिस्टम मानक स्थापित करना और ऐसे सूचक निश्चित करने की होगी जिन्हें खुले तौर पर साझा किया जाएगा। राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्राथमिक या द्वितीयक स्तरों पर इस फील्ड में उनकी पहलों के लिए निधियां प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य स्थिति संबंधी जिला स्तरीय सूचना प्राप्त करने के लिए वार्षिक आधार पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे जो नेमी किस्म की स्वास्थ्य सूचना प्रणाली की सत्यता को सत्यापित करने का भी कार्य करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

20.101. प्रधानमंत्री ने वर्ष 2012 के स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में घोषणा की थी:

“राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता के बाद अब हम अपने कस्बों में भी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में परिवर्तित किया जाएगा जिसमें देश के सभी गांव और कस्बे शामिल होंगे।”

20.102. एनआरएचएम के प्लैगशिप कार्यक्रम के लाभ एनएचएम के तहत सुदृढ़ बनाए जाएंगे जिनका सार्वभौमिक कवरेज होगा। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण लोगों पर ध्यान दिया जाना जारी रहेगा।

20.103. एनएचएम के एक मुख्य घटक के रूप में शहरी गरीबों, विशेष रूप से गंदी बस्तियों में रह रहे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की एक योजना का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना को तैयार करने की क्रियाविधियों और संस्थागत तंत्र को योजना आयोग के साथ परामर्श करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। एनएचएम, राज्यों को और अधिक लचीलापन प्रदान करेगा ताकि प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए बहु-वर्षीय योजनाएं बनाई जा सकें और सेवा के प्राथमिक और द्वितीयक स्तरों पर हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी खतरों को दूर किया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को राज्य विशिष्ट और क्षेत्र व्यापी समझौता ज्ञापन जैसे लिखतों के माध्यम से परिचालनात्मक बनाया जाएगा। समझौता ज्ञापन तंत्र सामूहिक प्राथमिकता स्थापित करने का एक उपकरण है जिसमें माप योग्य

28 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

परिणामों संबंधी करार और उनके संगत भार शामिल होते हैं, कार्यान्वयन और जवाबदेही में लचीलापन प्रदान करता है जो वस्तुपरक मूल्यांकन और कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन दिए जाने पर आधारित होते हैं।

20.104. समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को परामर्शात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि उस पर आम सहमति हो। समझौता ज्ञापन में संपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल होगा, इसकी गहन निगरानी की जाएगी और इसे मूल्यांकन और प्रोत्साहन प्रणाली आधारित कार्यनिष्पादन से जोड़ा जाएगा। समझौता ज्ञापन में महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार शामिल हों, जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि विनियमन, एचआर नीतियां, अंतर-क्षेत्रीय अभिकरण, सामान्य दवाइयों का प्रयोग जैसी बजट संबंधी निहितार्थ हों। समझौता ज्ञापन में बाध्यकारी पैरामीटरों का सैट हो सकता है, राज्य विशिष्ट इष्टतम पैरामीटर और सुधार संबंधी पैरामीटर हो सकते हैं। समझौता ज्ञापन, जिलों और राज्यों के लिए निविष्टियां, निर्गम, परिणाम और प्रभाव संबंधी लक्ष्य निश्चित करने में दीर्घावधिक दृष्टिकोण अपनाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक प्रणाली समझौता ज्ञापन से राज्यों को अपनी स्वयं की कार्यनीतियां और योजनाएं विकसित करने में कहीं अधिक लचीलापन मिलेगा जब राज्य निर्गम और परिणामों पर मात्रात्मक, सत्यापन योग्य और परस्पर सहमति पर प्रतिबद्ध हो जाएंगे।

20.105. साझा समीक्षा मिशन के अलावा, बाह्य समवर्ती मूल्यांकन क्रिया पद्धति को अंतिम रूप दिया जाएगा और समझौता ज्ञापन में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए लागू किया जाएगा। इन रिपोर्टों को राष्ट्रीय स्तर पर मिशन कार्य संचालन समूह और राज्य तथा जिला स्वास्थ्य सोसायटियों के शासी निकाय के सम्मुख रखा जाएगा। सभी मुख्य कार्यक्रम घटकों का मूल्यांकन परिचालनात्मक अनुसंधान और कार्यक्रम मूल्यांकन के एक भाग के रूप में किया जाएगा।

20.106. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत अंतर्विष्ट होंगे।

मुख्य सिद्धांत

सार्वभौमिक कवरेज

20.107. एनएचएम, सारे देश में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में लागू होगा और प्राथमिक से तृतीयक सेवा तक दिक्काल तक नकदी रहित

स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच का संवर्धन करेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक कार्यनीतियों का पालन किया जाएगा जिसमें द्वितीयक और तृतीयक सुविधाओं तक आसान पहुंच और बेहतर परिवहन दूर संचार जैसे अवसरों का प्रयोग किया जाएगा। सार्वजनिक सुविधाओं को सृष्टि बनाने में त्रुटियों को दूर करने के लिए शहरी क्षेत्रों में निजी सेक्टर के साथ संविदागत व्यवस्था के लिए काफी गुंजाइश है। क्षेत्र विशिष्ट की एनएचएम योजनाएं शहरी क्षेत्रों की भीड़-भाड़, खराब साफ-सफाई, प्रदूषण, यातायात के कारण घायल होने, अपराधों की उच्च दर और जोखिम भरा व्यक्तिगत व्यवहार, जैसी उनके क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों को दूर करेंगी।

गुणवत्ता मानक प्राप्त करना

20.108. स्वास्थ्य सेवा सुविधा के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मानकों को अंतर्विष्ट करने के लिए आईपीएचएस मानकों में संशोधन किया जाएगा। मानकों में स्थितियों की संपूर्ण रेंज, आपात स्थिति शामिल करने, आरसीएच, संक्रमणीय और गैर-संक्रमणीय बीमारियों का निवारण और प्रबंधन, आवश्यक दवाइयां अंतर्विष्ट करना और आवश्यक तथा आपात सर्जिकल सेवा (ईईएससी) शामिल की जाएगी।

20.109. सभी सरकारी और सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित निजी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं से यह आशा की जाएगी कि वे इन मानकों को प्राप्त करें और इन्हें बनाए रखें। प्रत्येक सुविधा के डिजाइन में एक इन-हाउस गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली उपलब्धियों की माप लेगा। ये सुविधाएं, प्रोत्साहन के साथ प्रदान की जाएंगी जिसे वे अपनी टीमों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि वे अपनी गुणवत्ता दर प्राप्त कर सकें और उसमें सुधार कर सकें। सेवा और गुणवत्ता मानक निश्चित किए जाएंगे, क्लिनिकल स्थापना अधिनियम के तहत जरूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा और प्रत्येक पंजीकृत सुविधा का कार्य निष्पादन सार्वजनिक किया जाएगा तथा आवधिक रूप से रैंक दिया जाएगा। गुणवत्ता निगरानी का कार्य उचित रूप से संस्थागत बनाया जाएगा।

20.110. उच्च स्तर की नैदानिक सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ उपलब्ध संसाधनों की पूलिंग, उनका उन्नयन, जहां कहीं जरूरत हो, आउट-सोर्सिंग और इन-सोर्सिंग कार्य नीतियां अपनाई जाएंगी।

20.111. इसका उद्देश्य औसत जिले में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 500 बिस्तरों का न्यूनतम मानदंड प्राप्त करना है। जिला अस्पतालों

के स्तर पर लगभग 300 बिस्तर हो सकते हैं और बाकी बिस्तरों को सीएचसी स्तर पर न्यायोचित ढंग से वितरित किया जा सकता है। जहां आवश्यक हो वहां सार्वजनिक सेक्टर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पूरा करने के लिए निजी सेक्टर की सेवाएं भी संविदा के आधार पर ली जा सकती हैं। उप-केंद्रों के अलावा नई सेवाओं की मंजूरी में विस्तार तभी किया जाना चाहिए जब पहुंच का चित्रण, अभिगम्यता में सुधार करने के लिए नई सुविधाओं की जरूरत का प्रदर्शन करे।

20.112. राज्यों को आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और परिवहन की जरूरत के अंतर को दूर करने के लिए आपात चिकित्सा रेफरल के लिए प्रणाली बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सेवाओं के मानक रोगियों को उनके स्थान से नामित स्वास्थ्य सुविधा तक ले जाने में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करेंगे और इन मानकों का मूल्यांकन और पालन किया जाएगा। कई देशों में विकसित की गई प्रथा के अनुसार अग्निशमन विभाग की टीमों के साथ ऐसे रेफरल किए जाने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। एक बार ये सुविधाएं शुरू हो जाएंगी तो ये पहले से कार्रवाई करने, खोजने और बचाव करने, आपात सेवा और पुनर्वास के संदर्भ में आपदा प्रबंधन में भी सहायता करेंगी।

20.113. जिन लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक कम पहुंच है उन्हें यह सेवा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान मोबाइल मेडिकल यूनिटों का विस्तार किया जाएगा ताकि प्रत्येक सीएचसी में उनकी उपस्थिति हो। मोबाइल मेडिकल यूनिटें उन कुछ क्षेत्रों में समर्पित की जा सकती हैं जहां के लोग घुमंतू हैं। उदाहरणार्थ असम में सीएनईएस की बोट क्लिनिक उस राज्य के द्वीप समूहों और बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उपचारात्मक और आपात सेवा प्रदान कर रही हैं।

सेवा का दिक्काल

20.114. समूची स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवा का दिक्काल, निम्नतम स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अधिक कारगर ढंग से हल करने में सहायता करता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और उप-केंद्रों को नेटवर्क से जोड़ा जाए तो अधिकांश सामान्य रोग की स्थितियों का आकलन किया जा सकता है, रोका जा सकता है और उचित स्तर पर उसका प्रबंधन किया जा सकता है। इससे सेवा का विखंडन रोका जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ बनाया जाएगा, द्वितीयक और तृतीयक सुविधाओं पर अनावश्यक बोझ कम होगा और कुशल रेफरल तथा अनुवर्ती सेवाएं सुनिश्चित होंगी। सेवा के

दिक्काल से गुणवत्ता और रोगी की संतुष्टि में सुधार आ सकता है। ऐसे लिंकेज बारहवीं योजना में बनाए जाएंगे ताकि किसी क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं सुव्यवस्थित ढंग से एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएं जिसमें मेडिकल कॉलेज व्यापक दृष्टिकोण, नेतृत्व और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करेंगे। दूर-दराज के क्षेत्रों के नैदानिकों के लिए टेलि-मेडिसिन द्वारा प्रदान की गई सेवा निगरानी और मामला प्रबंधन को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में उचित संकाय को उन्हें आबंटित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुविधाओं में सेवाएं दिए जाने में प्रशिक्षण, सलाह और निगरानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोहरापन रोकने में बचाए गए संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षण कॉलेजों के मानकों का सार्वभौमिक उन्नयन किए जाने के लिए किया जा सकता है।

विकेन्द्रीकृत योजना

20.115. नए एनएचएम का एक मुख्य तत्व यह है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उनके सामने आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के उपायों की योजना बनाने के लिए यह राज्यों और जिलों को काफी लचीलापन प्रदान करता है (बॉक्स 20.5)। एनएचएम दिशानिर्देश, राज्यों और जिलों को परिणाम प्राप्त करने की योजना बनाने के लिए लचीलापन प्रदान कर सकते हैं।

20.116. नई स्वास्थ्य सुविधाएं, अधिसंख्य, जनसंख्या आधारित मापदंडों पर निर्धारित नहीं की जाएंगी लेकिन इनका उद्देश्य दूर दराज के स्थानों और निर्धारित समयावधि के अंदर लोगों तक इनकी पहुंच होनी चाहिए। प्रत्येक श्रेणी की नई सुविधाओं की जरूरत का इस प्रकार जिलों और राज्यों द्वारा आकलन किया जाएगा जिसमें "सेवा के लिए समय" दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसे कई कारकों के आधार पर किया जाएगा जिसमें जनसंख्या का भौगोलिक फैलाव, भू-भाग का स्वरूप, आस-पास के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा सुविधा की उपलब्धता और परिवहन नेटवर्क की उपलब्धता शामिल है। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा तक पहुंचने के लिए 30 मिनट की मात्रा और किसी एफआरयू तक पहुंचने के लिए दो घंटे का कुल समय उचित लक्ष्य हैं। जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में बुनियादी कोर स्टाफ होना चाहिए जिसमें कार्यभार बढ़ने या प्रदान की जा रही सेवाओं की रेंज बढ़ने से काम करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों के प्रावधान होने चाहिए। तदनुसार भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) में संशोधन किया जाएगा। अलग-अलग राज्य स्टाफिंग विकल्पों की रेंज में से कोई भी चुन सकते हैं जिसमें एनएचएम संबंधी कार्य दल और एचएलईजी द्वारा दिए गए सुझावों सहित दोनों विकल्पों को केंद्रीय

बॉक्स 20.5

लचीलापन और विकेन्द्रीकृत योजना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुख्य तत्व

1. एनएचएम के दिशानिर्देश संकेतात्मक होंगे और व्यापक पैरामीटरों के अंतर्गत होंगे और आवश्यकताओं को प्राथमिकता दिए जाने के निर्णय राज्यों और जिलों के बेहतर विवेक पर छोड़ दिए जाएंगे। प्रत्येक जिला प्रभावी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से निवारण, सेवा सुपुर्दगी और प्रणाली प्रबंधन के लिए बहु-वर्षीय स्वास्थ्य कार्य योजना विकसित करेगा। ये योजनाएं, संसाधन आबंटन का आधार बनेंगी और सार्वजनिक की जाएंगी ताकि लक्ष्यों की ओर हुई प्रगति की सामाजिक समीक्षा की जा सके। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय शामिल होगा। इन योजनाओं का परिणाम, समुदाय आधारित निगरानी (सीबीएम) के अध्वधीन होगा।
2. जिला और इससे निचले स्तर पर स्वास्थ्य कार्य योजनाओं का उद्देश्य अंतिम लाभार्थी को एकीकृत ढंग से सेवाओं की अभिसारित सुपुर्दगी करना है। जिला स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य के सभी निर्धारकों, और अभिसरण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक एजेंसी को सौंपी गई भूमिकाओं की कारक होंगी। उदाहरणार्थ, ये योजनाएं स्कूल के छात्रों की कुपोषण और रक्त की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए मध्याह्न भोजन शुरू कर सकती हैं। एडब्ल्यूडब्ल्यू और आशा के संयुक्त प्रशिक्षण से पारस्परिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर सहयोगात्मक और स्पष्टता का निर्माण होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का उपयोग, आशा के लिए बेस स्टेशन के रूप में किया जा सकता है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है।
3. कवरेज, सेवा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य परिणाम में सुधार करने के लिए सेवा सुपुर्दगी में नवोन्मेष और लागत कम करने को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसे मान्यता दी जाएगी।
4. राज्यों द्वारा तैयार की गई क्षेत्र व्यापी स्वास्थ्य योजनाओं में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के सभी प्रबंध, निधिकरण के सभी संसाधन अंतर्विष्ट किए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, एड्स नियंत्रण, स्वास्थ्य अनुसंधान आईसीडीएस के साथ अभिसरण और पेयजल तथा साफ-सफाई को राज्य स्वास्थ्य योजनाओं में स्थान दिया जाएगा।

निधिकरण के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा सुविधा के स्थान, आकार और स्टाफिंग में राज्यों को दिए गए ऐसे लचीलेपन से वर्तमान संसाधनों और अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा। प्रत्येक पंचायत और शहरी नगर पालिका वार्ड के पास कम से कम एक उप-केंद्र होना चाहिए। आश्वस्त सेवाओं का उप-केंद्र का पैकेज और तदनुसूची कर्मचारियों की संख्या मारक विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी प्रणालियों के संदर्भ में अलग-अलग होगी।

प्राथमिकता सेवाएं

स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आवश्यक दवाइयों तक पहुंच

20.117. सार्वजनिक सेक्टर स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में मुफ्त आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता अधिसंख्य लोगों के लिए वहन योग्य स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्याप्त संसाधनों के आबंटन के लिए बेहतर सेवा प्रदान करने का सबसे तेज क्षेत्र है। उपायों का एक समूह जिसमें आवश्यक दवाइयों की सूची में संशोधन और विस्तार, दवाइयों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, दवा विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, और राष्ट्रीय तथा राज्य दवा आपूर्ति संभार की निगम स्थापित किए जाने की सहायता करने जैसे उपायों की सिफारिश, कोर घटक के रूप में की जा रही है। राज्यों को सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं



में आवश्यक दवाइयों और नैदानिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए योजना बनाने और निधि प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। दवाइयों की आपूर्ति को राज्य स्तर पर केंद्रीकृत प्रापण के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बिचौलियों को हटाकर दवा की समान गुणवत्ता सुनिश्चित हों और लागत का न्यूनीकरण हो।

20.118. मुफ्त आवश्यक दवाइयों का प्रावधान उन ख्याति प्राप्त आपूर्ति कर्ताओं से सामान्य दवाइयों का प्रापण करने के लिए संभार की व्यवस्था द्वारा संवर्धन किया जाना चाहिए जो पूर्व-अर्हता मानकों के अनुरूप हों। प्रापण, भंडारण और संभार के प्रोफेशनल प्रबंधन के लिए टीएनएमएससी मॉडल अपनाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन लिखत का इस्तेमाल किया जाएगा। निजी सेक्टर के लिए उचित और सामान्य दवा प्रिसक्रिप्शन की सहायता करने हेतु अलग दृष्टिकोण अपेक्षित है। इसे सभी उप-प्रभागों और ब्लॉक स्तरों में मौजूद जन औषधि स्टोरों का प्रसार करके प्राप्त किया जा सकता है। इन स्टोरों को राज्य स्तर पर केंद्रीकृत प्रापण से जोड़ा जा सकता है

मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के लिए कार्यनीति

20.119. मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दिया जाना जारी रहेगा। विशेष तौर पर यह देखते हुए कि आईएमआर और एमएमआर कम करने में अपर्याप्त प्रगति हुई है। कार्यक्रम निगरानी के लिए

<p>समय से पहले जन्म निवारण</p> <ul style="list-style-type: none"> परिवार नियोजन (उदाहरण के लिए बच्चों के जन्म में अंतर और किशारों के अनुकूल सेवाएं), शिक्षा और पोषण, विशेष तौर पर बालिकाओं के लिए और एसटीआई निवारण सहित गर्भधारण पूर्व सेवा पैकेज 	<p>समय से पहले जन्मे शिशु की देखभाल</p> <ul style="list-style-type: none"> नवजात शिशु की आवश्यक और अतिरिक्त देखभाल, विशेष तौर पर पोषण में सहायता नवजात शिशु का पुनरुज्जीवन कंगारू माता की सेवा 	
<ul style="list-style-type: none"> एसटीआई की स्क्रीनिंग और प्रबंधन, उच्च रक्तचाप, डाइबिटीज और व्यवहारात्मक परिवर्तन सहित सभी महिलाओं के लिए प्रसव-पूर्व सेवा पैकेज और समय से पहले जन्म होने के बढ़ते जोखिम वाली महिलाओं की लक्ष्यगत सेवा 	<p>समय से पहले प्रसव पीड़ा प्रबंधन</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रसव पीड़ा कम करने के लिए टोकोलिटिक्स प्रसवपूर्व कोस्टिकोस्टेरायड पीआरओएम के लिए एंटीबायोटिक्स 	<ul style="list-style-type: none"> क्लोरहैसिसडाइन कोर्ड केयर जिटिलताओं और विशेष तौर पर स्वास डिस्ट्रेस सिंड्रोम और संक्रमण के साथ समय से पहले जन्मे शिशुओं की देखरेख
<ul style="list-style-type: none"> उचित प्रसव और सीजेरियन को बढ़ावा देने के लिए प्रदाता शिक्षा गर्भवती महिलाओं को धूम्रपान निषेध और रक्षोपाय करने सहित नीतिगत सहायता 		<ul style="list-style-type: none"> जहां क्षमता हो वहां नवजात की व्यापक गहन सेवा



स्रोत: समय पूर्व जन्म: समय-पूर्व जन्म संबंधी वैश्विक कार्रवाई रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ, 2012; पीपीआरओएम: समय से पूर्व झिल्ली का फट जाना

चित्र 20.3: समय से पहले जन्म निवारण और समय से पहले जन्मे शिशुओं की देखरेख के लिए कार्यनीति

यह जरूरी है कि केवल नकदी अंतरण का वितरण किए जाने की बजाए महिलाओं के अनुभव और परिणामों का पता लगाया जाए। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट (एसबीए) को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। उन एसबीए की औचित्य पूर्ण तैनाती किए जाने की योजनाएं बनाने की जरूरत है जिन्होंने यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है ताकि जन्म के समय कुशलता पूर्वक सेवा कार्य अधिसंख्य लोगों तक पहुंच सके। उपयुक्त क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाएंगे जिनमें सुरक्षित प्रसव के लिए ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट (टीबीए)/दाइयों को तैयार करना (विशेष तौर पर दूर-दराज और अगम्य क्षेत्रों में) एक निश्चित समयावधि में एसबीए तक सार्वभौमिक पहुंच बनाना और जटिल परिस्थितियों में दो घंटे की यात्रा समय के अंदर आपात प्रसूति सेवा (सार्वजनिक और निजी दोनों) तक बेहतर पहुंच को प्राथमिकता देना शामिल है। नियमित संस्थागत प्रसवों में प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता की सावधानी पूर्वक निगरानी की जरूरत है और अभिगम्य शिकायत निवारण तंत्र को बनाया जाना चाहिए।

20.120. समय से पहले जन्म निवारण की सामान्य कार्यनीति और समय से पहले जन्मे शिशुओं की मृत्यु रोकने से जीवन के पहले महत्वपूर्ण माह के दौरान जीवित रहने और बच्चों के स्वास्थ्य में अंतर

उत्पन्न कर सकता है। इन्हें स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के मानकों में शामिल किया जाएगा (चित्र 20.3)।

20.121. घर पर जन्मे नवजात शिशु की देखभाल, वैध मॉडलों को तैयार करने, जिसमें महाराष्ट्र में गढ़चिरोली शामिल है, स्तनपान को प्रोत्साहित किए जाने पर ध्यान केंद्रित करना, सुरक्षित शिशु और बच्चे की पोषण प्रैक्टिसों को बढ़ावा देना। जहां शुरु में ही स्तनपान कराना प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य क्रियाकलापों (आशा) का एक भाग है, प्रशिक्षण, विशेष तौर पर सामुदायिक और सुविधा स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए नवजात की देखभाल संबंधी प्रशिक्षण से आईएमआर में तेजी से गिरावट आएगी। कौशल और सेवा प्रावधान में स्वास्थ्य प्रणालियों के अंतर को भरने के लिए मातृत्व मृत्यु समीक्षा और शिशु मृत्यु जांच के निष्कर्षों का प्रयोग किया जाएगा। मलेरिया, टी. बी. और एचआईवी/एड्स जैसी बीमारियों और हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल डाइबिटीज, जो मातृत्व मृत्यु दर से सीधे संबंधित होती हैं, उन्हें नियंत्रित करने और प्रबंधन करने के लिए आरसीएच सेवा सुपुर्दगी के साथ मिलाया जाएगा।

20.122. आयुष डॉक्टरों को, जहां कहीं व्यवहार्य है, एसबीए, आरसीएच और आईएमएनसीआई प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और

32 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

सेवाओं का प्रयोग पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इससे शिशु और माता की स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर आउटरीच के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी।

सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज

20.123. समूचे देश में जिलों में अभियान के माध्यम से रूटीन टीकाकरण का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने का लक्ष्य, बारहवीं योजना के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। जहां कहीं व्यवहार्य हो वहां इस प्रयास में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों (आरएमपी) का उपयोग किया जाएगा। साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न निवारणीय रोगों के लिए उपलब्ध टीकों के प्रयोग का विस्तार किए जाने की जरूरत है। आउटरीच कार्य के लिए मोबाइल टीकाकरण सेवाओं के माध्यम से वर्तमान वैकल्पिक टीका लगाने के तंत्र का उन्नयन किया जाएगा। अन्य रोग विशिष्ट संस्तुत कार्यनीतियां भी अपनाई जाएंगी; जैसे कि खसरा, आवधिक सफ्लिमेंटल इम्युनाइजेशन एक्टिविटीज (एसआईए) के मामले में अर्थात् कई दिनों या हफ्तों के अंदर पूर्व निर्धारित जनसंख्या 100 प्रतिशत मुक्तकरण के उद्देश्य से चलाए गए व्यापक टीकाकरण अभियान, अधिक दर वाले राज्यों में रूटीन दूसरी खुराक देना, प्रयोगशाला समर्थित निगरानी और खसरे के मामलों का उचित प्रबंधन। टीकाकरण के लाभों के बारे में जन-जागरूकता बनाई जाएगी ताकि वे सेवाओं की मांग करें। मदर एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम और जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है, के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रयोग टीकाकरण संबंधी आंकड़ों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। बिजली की आपूर्ति, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां अधिक ठंड होती है, सुनिश्चित की जाएगी।

परिवार कल्याण

20.124. इंडोनेशिया और जापान के अनुभव से पता चलता है कि सीमित पद्धतियों की तुलना में आईयूसीडी और पुरुष कंडोम जैसी बच्चों में अंतर रखने की पद्धतियों पर विशेष ध्यान दिए जाने से विवाहित स्त्री-पुरुषों की अपूर्त जरूरतों को पूरा करने पर बेहतर प्रभाव डालता है। हाल के अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि अमूर्त गर्भनिरोधक जरूरतों को पूरा करने से मातृत्व मृत्यु दर में एक तिहाई कमी आ जाती है। अंतः दीर्घावधिक आईयूसीडी जैसी जन्म में अंतर रखने वाली पद्धतियों पर कहीं अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एएनएम (नए एएनएम/स्टाफ नर्सों के लिए एलएचवी के पर्यवेक्षण में) द्वारा नियत दिनों में आईयूसीडी लगाए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन (एमवीए) तकनीक द्वारा एमटीपी

की उपलब्धता और चिकित्सा गर्भपात सुनिश्चित बिन्दु पर किया जाएगा जहां मिनी-लेपरोटॉमी प्रदान किए जाने की योजना है। सेवाएं और गर्भनिरोधक युक्तियां आसानी से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसे सामाजिक विपणन और निजी प्रदाताओं को संविदा पर लेने और नियुक्त करने सहित कार्यनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। पोस्ट-मार्टम गर्भनिरोधक पद्धतियां जैसे कि आईयूडी लगाना, जो चीन, मैक्सिको और इजिप्ट जैसे देशों में लोकप्रिय है और पुरुष नसबंदी को बढ़ावा दिया जाएगा जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संक्रामक रोगों का नियंत्रण

20.125. राज्य और जिला विशिष्ट कार्य योजनाओं में टी. बी. नियंत्रण के लिए स्टेटस और कार्यनीतियां अंतर्विष्ट की जाएंगी जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाली डीओटीएस सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच होगी। पीएमडीटी सेवाएं सेवा के मानकों में शामिल की जाएंगी और टी. बी. की दवा प्रतिरोध की चुनौती से व्यापक रूप से निपटने के लिए सभी जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी।

20.126. शहरी, शहरों के आस पास और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण का विस्तार होने और पानी तथा टोस कूड़े के प्रबंधन की कमी के कारण मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वायु जनित बीमारियों के बढ़ते मामलों की सूचना मिली है। इसे नियंत्रित करने के लिए घरों और कार्य स्थलों में मच्छर पैदा होने की स्थितियां समाप्त करने और मनुष्य मच्छर संपर्क न्यून करने पर जोर दिया जाएगा। वन्य जीव, पशुओं के नवजात शिशुओं और मानव समुदायों के बीच ट्रांसमिशन की समन्वित निगरानी को सुदृढ़ बनाकर जानवरों से होने वाली बीमारियों को फैलने से रोका जाएगा।

20.127. स्रोत कटौती, सुदृढ़ीकरण और नैदानिक सेवाओं का विस्तार करने, मानक दिशानिर्देशों के माध्यम से मामला प्रबंधन सुदृढ़ बनाने, समुदाय की बढ़ी हुई भागीदारी और अंतर क्षेत्रीय सहयोग, सिविल उप-कानूनों का अधिनियमन और प्रवर्तन तथा उप-नियम बनाने के लिए बेहतर कीट विज्ञान निगरानी को प्रोत्साहित किया जाएगा। कारगर निगरानी और एंटी-बायोटेक्स की बिक्री और प्रेसक्रिप्शन संबंधी दिशानिर्देशों को प्रवर्तित करके एंटी-माइक्रोबिएल प्रतिरोध पर नजदीकी निगरानी रखी जाएगी।

20.128. पहचाने गए भौगोलिक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा जहां अत्यंत कठिन समस्याएं हैं। रोग प्रबंधन कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी जिनमें रोग का शुरु में पता लगाना और तुरंत उपचार करना,

तालिका 20.7
गैर-संक्रमणीय रोगों (एनसीडी) को रोकने के लिए हस्तक्षेप

गैर-संक्रमणीय रोग	हस्तक्षेप
1. तम्बाकू नियंत्रण	तम्बाकू कर बढ़ाना घर के अंदर स्वच्छ वायु विधान तम्बाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध <ul style="list-style-type: none"> • सूचना और लेबलिंग • तम्बाकू छोड़ने के लिए संक्षिप्त सलाह • आदत छोड़ने की सलाह
2. सीवीडी निवारण	उद्योग के साथ स्वैच्छिक करार या विधान के माध्यम से संसाधित खाद्य पदार्थों में नमक की कमी मास मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा उच्च रक्त चाप, कोलेस्ट्रॉल का उपचार और शिक्षा
3. डाइबिटीज और जटिलताएं	खुराक और शारीरिक क्रियाकलापों पर स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों डाइबिटीज का पता लगाना और प्रबंधन गहन ग्लिसेमिक नियंत्रण रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग और फोटो कोगुलेशन न्यूरोपैथी स्क्रीनिंग और निवारक फुटकेयर
4. कैंसर	सर्विकल, स्तन और मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग जिला अस्पतालों में कैंसर थेरेपी को सुदृढ़ बनाना
5. दंत कैरी	मुंह के स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और स्वास्थ्य कर; खुराक में मिठाई कम करना और जल फ्लूओरिडेशन
6. सामान्य उपाय	<ul style="list-style-type: none"> • स्कूल और समाज में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना • जिन खाद्य पदार्थों में नमक/चीनी/अस्वास्थ्य पौष्टिक अधिक हों उन्हें कम खरीदना • कम खर्चीली प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पहले पता लगाना और नैदानिक कार्य करना।

टिप्पणी: यह सूची केवल निदर्शनात्मक है।

रिफरल सेवाओं को सुदृढ़ बनाना, समन्वित वायु जनित प्रबंधन, कीटाणु नाशक बिस्तर की जाली/लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टसाइडल नेट (एलएलआईएन) और डिम्बक भोजी मछली का प्रयोग करना शामिल है। व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण सहित अन्य कार्य शुरू किए जाएंगे।

गैर-संक्रमणीय रोगों का निवारण और नियंत्रण

20.129. हृदय रोग, डाइबिटीज, कैंसर और पुराने स्वास संबंधी जैसे गैर-संक्रमणीय रोगों के बढ़ते खतरे के लिए, जो मुख्य हत्यारे के रूप में उभर रहे हैं, नीतिगत हस्तक्षेपों का एक पैकेज शुरू किया जाएगा। इनमें तम्बाकू पर कर बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तम्बाकू की उपभोग पर प्रतिबंध लगाना, तम्बाकू छोड़ने के लिए सलाह देना, उच्च रक्तचाप और डाइबिटीज का पहले पता लगाना और कारगर नियंत्रण करना, सामान्य और उपचार योग्य कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना; और संसाधित खाद्य पदार्थों में नमक कम करना शामिल है (तालिका 20.7)।

20.130. वृद्ध लोगों की देखभाल में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने, परिवार में ही देखभाल को प्रोत्साहित करने, स्वास्थ्य वर्धक थेरेपियों में दवाइयों की आधुनिक प्रणालियों के साथ भारतीय औषधि प्रणालियों की शक्ति का संयोजन करने और सभी सार्वजनिक सुविधाओं में वरीयतः ध्यान केंद्रित करने पर जोर देना है।

20.131. मानसिक स्वास्थ्य, विशेष तौर पर प्रतिकूल क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर सामुदायिक कार्यकर्ताओं और प्राथमिक देखभाल दलों को बेहतर प्रशिक्षण देकर और केयर गिवर्स को शिक्षा प्रदान करके सामुदायिक स्तर पर संवेदनशीलता के साथ ध्यान दिया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देना

20.132. लोक स्वास्थ्य पर अपर्याप्त ध्यान देना, प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। कारगर

34 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

लोक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कुछ सीमा तक विशेषज्ञता की जरूरत होती है। समर्पित लोक स्वास्थ्य संवर्ग (जिसमें मरक वैज्ञानिकों, कीट वैज्ञानिकों, लोक स्वास्थ्य नर्सों, निरीक्षकों और पुरुष मल्टी परपज वर्कर्स से मुक्त सपोर्ट टीम शामिल हैं) की तत्काल वास्तविक जरूरत है जिसके लिए राज्य स्तर पर उचित विनियमन बना हो। इस समय केवल तमिलनाडु में समर्पित लोक स्वास्थ्य संवर्ग है। दूसरे राज्यों में पूर्व लोक स्वास्थ्य संवर्ग को नियमित चिकित्सा संवर्ग में मिला दिया गया है। तमिलनाडु के अनुसार एक पृथक लोक स्वास्थ्य निदेशालय होने का विकल्प या इसे उचित रूप से वर्तमान व्यवस्था में अंतर्निहित करना राज्यों के निर्णय पर छोड़ दिया जाएगा।

20.133. अखिल भारतीय सेवाओं के अनुसार केंद्रीय स्तर पर भर्ती किया गया, पेशेवर दृष्टि से प्रशिक्षित और संवैधानिक दृष्टि से संरक्षित सेवा, लोक स्वास्थ्य सेवा के लिए वरीयता प्राप्त मॉडल होगा। दूसरा विकल्प यह होगा कि केंद्र और राज्यों में पृथक लोक स्वास्थ्य संवर्ग हों।

20.134. लोक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए दिए गए नए संवर्ग के सुझाव सहित केंद्र और राज्य, लोक स्वास्थ्य से संबंधित कर्मचारियों के लिए उच्च स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करेंगे।

20.135. लोक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपे गए क्षेत्रों या उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में रह रहे सभी लोगों, प्रवासियों सहित, के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। इस प्रकार उनकी जिम्मेदारियां केवल उन तक सीमित नहीं होंगी जो उनके पास आते हैं या स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग करते हैं लेकिन उनसे यह अपेक्षित है कि वे सक्रिय रूप से अपने-अपने आवाह क्षेत्र में जाएं और स्वास्थ्य परिणामों का प्रभाव डालें। ऐसे दृष्टिकोण में एक निहितार्थ यह होगा कि सुविधा में तैयार किए गए सभी आंकड़ों का विश्लेषण साम्यता अर्थात् उस सुविधा के क्षेत्राधिकार में जोखिम वाली कुल जनसंख्या के संदर्भ में किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने के लिए लोक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नगरपालिका क्षेत्रों में भी तैनात किया जाना चाहिए।

20.136. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (पूर्व राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान) लोक स्वास्थ्य के महत्व के सभी रोगों पर निगरानी रखने, निवारण करने और नियंत्रण रखने के लिए शीर्ष लोक स्वास्थ्य संस्थान के रूप में कार्य करेगा। एनसीडीसी के उन्नयन में लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और अतिरिक्त प्रशिक्षण संसाधनों सहित

भौतिक अवसंरचना भी शामिल होगी। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि रूटीन रोगों की निगरानी रखने और महामारी संभावित रोगों को दूर करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को समय पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य मुख्यालयों में एनसीडीसी की शाखाएं खोली जाएंगी/सुदृढ़ बनायी जाएंगी।

20.137. यद्यपि लोक स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची में आता है फिर भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मॉडल लोक स्वास्थ्य विधायन का मसौदा तैयार किया है जिससे राज्यों को अपने स्वयं के लोक स्वास्थ्य अधिनियम तैयार करने में संदर्भ के रूप में सहायता मिल सकती है। लोक स्वास्थ्य संवर्ग के माध्यम से रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन तथा लोक स्वास्थ्य विधायन का प्रयोग करके विनियामक तंत्रों में तमिलनाडु का अनुभव, प्रतिस्पर्धा का पात्र है। इसके अलावा उन अधिनियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रणाली और प्रेरित करने के लिए तंत्र तथा समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया जाना भी अपेक्षित है कि उपबंधों का पालन किया जा रहा है। समुदाय आधारित निगरानी का एक पहलू यह हो सकता है कि बड़े शहरों सहित राज्यों में लोक स्वास्थ्य लेखा परीक्षा की जाए और स्थितियों में सुधार करने हेतु लोक दबाव बनाने में सहायता करने और जहां जरूरी है वहां क्षमता की कमियों को दूर करने हेतु परिणाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं। ऐसी लेखापरीक्षा के संकेतकों में पानी का तलछत प्रदूषण, वायु जनित घनत्व, खाद्य सुरक्षा और ठोस और द्रव के व्यर्थ पदार्थों का सुरक्षित निपटान शामिल हो सकता है।

20.138. यद्यपि कामगारों और आस-पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कार्य स्थल पर सुरक्षोपाय आवश्यक हैं और इन्हें अवश्य प्रवर्तित किया जाना चाहिए, कार्यस्थल संवर्धनात्मक व्यवहार भी दर्शाता है जिसमें स्वस्थ आहार और व्यायाम शामिल है। सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू का उपभोग पर प्रतिबंध लगाना एक क्रमिक विधायन है लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। व्यावसायिक रोगों के संबंध में कामगारों की नियमित जांच की जानी चाहिए। यदि जिला स्वास्थ्य और श्रम प्राधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय हो तो कार्य स्थल की सुरक्षा से संबंधित विनियमों को और अधिक कारगर ढंग से लागू किया जा सकता है।

20.139. स्कूल, कार्यस्थल और कारागार जैसे संस्थान निवारक स्वास्थ्य जांच, नियमित और सामूहिक व्यायाम, रोग का पहले पता लगाना और जीवनशैली की पसंद से संबंधित सूचना का प्रसार करने, योग, व्यायाम और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करते

हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य का नियमित स्टेटस और सक्षमता जांच, जिसमें प्रयोगशाला जांच-पड़ताल शामिल हैं, स्कूलों में बच्चों की, कार्य स्थलों में कर्मचारियों की और जेलों में कैदियों की जांच जाएगी जिसमें सार्वजनिक संस्थानों की जिम्मेदारी सरकारी स्वास्थ्य तंत्र लेगा। आयुष की पाठ्य पुस्तकों में लिखे गए सिद्धांतों सहित स्वस्थ जीवन जीने और रोगों का निवारण करने के प्राचीन सिद्धांतों को भी स्वास्थ्य की जांच के दौरान लोकप्रिय बनाया जाएगा। स्थानबद्ध जीवन शैली के दुष्प्रभावों के बारे में कर्मचारियों और कामगारों को सूचित किया जाएगा और शारीरिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

20.140. काफी हद तक कर्मचारी और उनके परिवार तथा संगठित क्षेत्र के मझौले उद्योग भी विशेष तौर पर गैर-संक्रामक रोगों के जोखिम कारकों, रोगी होने और स्वास्थ्य सेवा लागत के लिए उत्कृष्ट प्रहरी निगरानी प्रणाली बना सकते हैं, क्योंकि वे संगठित आंतरिक स्वास्थ्य सेवाओं या प्रतिपूर्ति प्रणाली से जुड़े होते हैं जो नियमित रिकॉर्ड रखते हैं। संगठित क्षेत्र की कोई निगरानी प्रणाली (जैसे कि भारतीय रेलवे नेटवर्क और पीएसयू को शामिल करके) अपेक्षाकृत रूप से कम लागत पर स्थापित की जा सकती है और जो कार्य स्थल आधारित कार्यक्रमों, स्वास्थ्य संवर्धन और पहले सेवा प्राप्त करने में भी सहायता करे।

संप्रेषण से व्यवहार परिवर्तन

20.141. लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति उनके जीवन जीने की आदतों पर निर्भर करती है जो आंशिक रूप से किसी व्यक्ति के व्यवहार की पसंद से निर्धारित होता है। वर्तमान अभियानों में तम्बाकू, एल्कोहल और नशीले पदार्थों का सेवन न करने पर जोर दिया जाता है, हेल्मेट पहनने और सीट बेल्ट बांधने की सलाह दी जाती है, बालिका का महत्व समझाया जाता है, लिंग-चयनित गर्भपात से बचने की सलाह दी जाती है, छोटे परिवार के मानदंड अपनाने से इसमें और सुदृढ़ता आएगी। घर पर नवजात शिशु की देखभाल करना, लगातार और विशेष रूप से स्तन पान कराना आवश्यक है और ये सिद्ध की हुई कार्यनीतियां हैं जिनमें बच्चे को स्वस्थ और जीवित रखने तथा प्राथमिकता के आधार पर इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है। लांछन कम करने, शुरू में ही देखभाल को बढ़ावा देने और परिवार के सदस्यों को साथ देने और संवेदनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मानसिक बीमारी संबंधी मास मीडिया अभियान चलाए जाने चाहिए।

20.142. इलेक्ट्रॉनिक ("न्यू" मीडिया सहित) और प्रिंट मीडिया, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर समुदायों और

व्यक्तियों को सूचित करने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसमें मोबाइल टेलीफोन, मल्टीमीडिया उपकरणों के साथ-साथ कम्युनिटी रेडियो का प्रयोग किया जाना शामिल है ताकि इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यद्यपि मीडिया का विनियमन करना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्र में नहीं आता है फिर भी मीडिया को ऐसे संदेश भेजने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है जो स्वस्थ जीवन जीना लोकप्रिय बनाएं और धूम्रपान जैसे अस्वास्थ्य व्यवहार का प्रदर्शन करने से बचें। चूंकि मीडिया के ऐसे कई अनछुए क्षेत्र हैं जहां एनसीडी बोझ बढ़ रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा नवोन्मेषी राज्य विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण कार्यनीतियां भी अपेक्षित होंगी।

20.143. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य जोखिम के प्रति नागरिकों की कमजोरी को कम करने के लिए विधान, विनियमन और राजकोषीय उपाय जैसे उत्कृष्ट उपाय भी करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्तमान एजेंसी, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी) को समूचे देश में स्वास्थ्य संवर्धन करने और मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस कार्य में यह सूचना प्रसारित करने के लिए स्वास्थ्य संवर्धन मार्गों का प्रयोग करेगा। सीएचईबी, बहु क्षेत्रीय सेक्टर शामिल करेगा, स्वास्थ्य के प्रभाव का आकलन करेगा और इसका विकास स्वास्थ्य संवर्धन संस्थान के रूप में किया जाएगा।

20.144. रोगियों और पुराने रोगों के देखभाल प्रदाता को स्व-सेवा शिक्षा, न केवल उन्हें सशक्त बनाएगी ताकि वे अपनी स्थिति का प्रबंध कर सकें बल्कि दीर्घावधिक स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर भी ला सकेगी। एनजीओ ऐसे अभियानों में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं जैसाकि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के प्रयोग को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर कम करने में बीआरएसी, बांग्लादेश ने सफलता प्राप्त की है।

सेवा प्रदान करने के मार्ग

प्रभावी शासन संरचना

20.145. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का व्यापक और लचीले शासन ढांचे का प्रयोग, जोखिम का पता लगाने में सभी क्षेत्रीय एजेंसियों और सिविल सोसायटी की इच्छुक भागीदारी प्राप्त करने और उनके प्रशमन की योजना बनाने तथा उच्च स्तर की एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। राज्यों को सलाह दी जाएगी कि वे सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों जैसे पेयजल और साफ सफाई,

36 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

आईसीडीएस, एड्स नियंत्रण और एनआरएचएम के लिए सभी स्तरों पर मौजूदा शासन ढांचों का अभिसरण करें, स्थानीय पीआरआई निकायों के नेतृत्व में वित्तीय और मानव संसाधन का पूल बनाएं और चुनौतियों को सामूहिक रूप से हल करने के लिए बहु-क्षेत्रीय सामाजिक योजनाएं बनाएं।

20.146. एनआरएचएम की वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) का विस्तार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सेवा के लिए किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी सामाजिक क्षेत्रों और उपक्षेत्रों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा निगरानी और स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी चार सचिव इस समिति में होंगे, इसके अध्यक्ष सचिव स्वास्थ्य होंगे, और यह समिति मंत्रालय के अंतर्गत समन्वय के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य कर सकती है।

20.147. राज्य स्तर पर प्रबंधन क्षमता की कमियों को दूर किए जाने की जरूरत है। राज्यों को प्रापण और संभारकी के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करने वाली एजेंसियां/सैल स्थापित करने, मानव संसाधन की भर्ती और तैनाती करने, स्वास्थ्य सेवा भवन के मानव संसाधन प्रबंधन, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, वित्तीय प्रबंधन, परिवहन प्रणाली, मानक निर्धारित करने और गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रियाओं और परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यों को सलाह दी जाएगी कि वे स्वास्थ्य

के सभी निर्धारकों को कवर करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विस्तार करें जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिणाम के संकेतकों पर ध्यान दिया जाए। उनके भौगोलिक क्षेत्राधिकार को ग्रामीण विकास ब्लॉकों के रूप में विकासात्मक तंत्र के साथ को-टर्मिनस बनाया जाना चाहिए।

20.148. राज्य, सुविधा प्रबंधकों को और वित्तीय और किराए पर लेने की शक्तियां दे सकते हैं ताकि वे स्थानीय मुद्दों से संबंधित सेवा पर तत्काल निर्णय ले सकें। एनआरएचएम के तहत शुरु की गई सुविधा स्वायत्तता का रोगी कल्याण समिति मॉडल का विस्तार किया जाएगा ताकि सुविधा के रखरखाव और विस्तार या यहां तक कि अस्थायी एचआर अंतरों को पूरा करने में निवेश किया जा सके। बढ़ी हुई स्वायत्तता, समय पर और उच्च स्तर की सेवा सुविधा के प्रबंधन और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता के लिए अधिक जवाबदेही के अनुरूप होगी। इसके लिए सख्त विनियमों की भी जरूरत होगी ताकि दवाइयों, निधियों और उपकरणों का कुप्रबंधन न हो।

20.149. सभी राज्यों में सुदृढ़ एचआर प्रबंधन नीतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से केंद्र सरकार मॉडल मैनेजमेंट प्रणाली तैयार करेगी जिसमें भर्ती, तैनाती और कार्य निष्पादन, प्रोत्साहन आधारित संरचनाओं, सक्षमता पर आधारित आगे बढ़ने के प्रोफेशनल कैरियर ट्रैक के लिए उत्कृष्ट पद्धतियां शामिल की जाएंगी, जैसा कि बॉक्स 20.6 में सुझाया गया है।

बॉक्स 20.6

मॉडल एचआर दिशानिर्देशों में सुझाई गई मर्दें

- सुविधाओं के लिए उच्च स्तर के मानक, पदों को स्वीकृत करने के लिए दिशानिर्देशी सिद्धांत के रूप में लिए जाने चाहिए जिसमें उन अधिकतम कर्मचारियों को दर्शाया जाएगा जिन्हें तैनात किया जा सकता है। यदि उस केंद्र में अपेक्षित मामले नहीं आते हैं तो स्टाफ को युक्ति संगत बनाया जा सकता है।
- कम समय में भर्ती करने के साथ इसे विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और प्रस्तावित तैनाती में क्षेत्र के निवासियों को वरीयता दी जानी चाहिए।
- तैनाती और समय पर पदोन्नति की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली
- दूरदराज के क्षेत्रों को अपनाने, कार्य निष्पादन करने और सेवा के लिए राज्यों को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अधिमन्य पात्रता, पदोन्नतियां, बाद में तैनाती की पसंद, बच्चों की स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति) का सुझाव दिया जाएगा।
- क्रमिक चिकित्सा शिक्षा और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के साथ-साथ टेली-मेडिसिन (इंटरनेट या मोबाइल आधारित) पर बैंक-अप सहायता तथा इसी प्रकार की परिस्थितियों में कार्य कर रहे प्रोफेशनलों की नेटवर्किंग द्वारा अधिमन्यतः पहुंच से प्रोफेशनल कमी दूर करने के उपाय
- प्रक्रिया में निवेश कर सामाजिक अकेलापन कम करने के उपाय जिससे समुदाय और प्रदाता निकट आएं।
- आशा का प्रशिक्षण पूरा करना और पुरुष मल्टी-परपज कामगारों, एडब्ल्यूडब्ल्यू और एएनएम के रूप में कामगारों के वर्तमान संवर्ग बनाए रखना ताकि उन्हें स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और आगे बढ़ने योग्य बनाया जा सके।

परिणामों की जवाबदेही

20.150. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि योजनाएं और प्रापण केवल कागज पर ही न हों, सभी स्तरों पर जवाबदेह प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। नामतः केंद्र सरकार जो इसकी कार्य सूची में आने वाली मदों की सूचना संसद को देती है, राज्य, समझौता ज्ञापन के माध्यम से सेवा प्रदान करने और शुरू की गई प्रणाली, सुधार प्रतिबद्धता संबंधी सूचना देते हैं, जिला स्वास्थ्य सोसायटियां, राज्यों को सूचित करती हैं, सुविधा प्रबंधक उन्हें स्वास्थ्य परिणामों की सूचना देते हैं जो सेवा चाहते हैं और प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रबंधक, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य परिणामों संबंधी सूचना देते हैं। जवाबदेही प्राधिकार और प्रत्यायोजन के अनुरूप होगी; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मॉडल जवाबदेही दिशानिर्देश तैयार करेगा जिसमें स्थानीय समुदाय की जवाबदेही सेवा की यूनिट लागत के प्रलेखीकरण की आवश्यकता, परिचालनात्मक पारदर्शिता और सभी पणधारकों के साथ सूचना साझा करने के ढांचे का सुझाव दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रणाली

20.151. किसी प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए प्रशिक्षित और सक्षम मानव पूंजी मूलाधार होती है। पर्याप्त मानव संसाधनों के बगैर स्वास्थ्य पर अतिरिक्त व्यय से अतिरिक्त सेवाएं नहीं मिलेंगी और इससे केवल पैसा ही व्यय होगा। इस संदर्भ में बारहवीं योजना के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लक्ष्यगत स्वास्थ्य सेवा उद्देश्यों की सहायता के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा कामगारों की आपूर्ति का विस्तार करने के लिए स्पष्ट कार्यनीति तैयार करें।

20.152. स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का कारगर कार्यकरण मानव संसाधन पर निर्भर करता है जो चिकित्सा, आयुष और दंत चिकित्सा के स्नातकों और विशेषज्ञों, स्नातक और सहायक नर्सों, फार्मासिस्टों से लेकर अन्य संबद्ध स्वास्थ्य के प्रोफेशनलों तक फैला है। स्वास्थ्य में मानव संसाधन की व्यवस्था करना समय खपाने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक विशेषज्ञ के लिए 9 वर्ष तक और एएनएम के लिए अठारह माह तक का लम्बा समय लग सकता है। देश में स्वास्थ्य कार्मिकों की वर्तमान उपलब्धता (तालिका-20.8) प्रति लाख जनसंख्या पर 250 की न्यूनतम जरूरत से कम है (स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन: संकट को दूर करना, 2004, संयुक्त रूप से शिक्षा ग्रहण करने की पहल पृष्ठ 23)। वर्तमान व्यवस्था क्षमता को देखते हुए हम वर्ष 2017 तक 354 स्वास्थ्य कामगारों की उपलब्धता की आशा कर सकते हैं। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि किसी टीम को इष्टतम ढंग से काम करने के लिए डॉक्टर और नर्स का अनुपात कम से कम 1:3 का अनुपात होना चाहिए। इस समय यह अनुपात 1:1.6 है और यदि

नए कॉलेज शुरू किए जाते हैं तो बारहवीं योजना के अंत तक इसमें सुधार हो तो इसके 1:2.4 तक होने की आशा है। कुल उपलब्धता से संबंधित ये आंकड़े इस तथ्य को छिपा लेते हैं कि डॉक्टरों और नर्सों के वितरण में काफी क्षेत्रीय अंतर है जिसके कारण हमें कुल उपलब्धता के लिए योजना बनानी चाहिए जो स्वास्थ्य कामगारों के डब्ल्यूएचओ मानदंडों से काफी अधिक हैं। नए जुड़ावों की उपलब्धता और दर से संबंधित बुनियादी आंकड़ों का सार तालिका 20.8 में दिया गया है।

20.153. हमें इस योजना में शिक्षण क्षमता में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की जरूरत है ताकि इस योजना के अंत तक स्थिति में सुधार हो और यह तेरहवीं योजना के अंत तक इष्टतम स्तरों तक पहुंच जाए। यदि 13वीं योजना के अंत तक हम प्रति लाख जनसंख्या पर 500 स्वास्थ्य कामगारों के लक्ष्य को अपनाते हैं तो हमें 240 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों, 500 सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी (जीएनएम)/नर्सिंग कॉलेजों और 970 एएनएम प्रशिक्षण संस्थानों की जरूरत होगी। यदि वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना से इन नए शिक्षण संस्थानों का कार्य शुरू किया जाता है और यह बारहवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाता है तो नर्सों, एएनएम और फार्मासिस्टों का प्रवाह इस योजना के अंतर्गत शुरू हो जाएगा जबकि डॉक्टर और दंत चिकित्सक इन संस्थानों को तेरहवीं योजना के आरंभ पर ही उपलब्ध हो पाएंगे। तब डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात वर्ष 2012 के 1:1.6 से बढ़कर वर्ष 2017 में 1:2.8 हो जाएगा और वर्ष 2022 में 1:3 हो जाएगा।

20.154. बारहवीं योजना के दौरान एचआर की अनुमानित उपलब्धता चित्र 20.4 में दी गई है। इससे पता चलता है कि प्रति लाख 398 कामगारों का लक्ष्य वर्ष 2017 में आसानी से प्राप्त हो जाएगा जो वर्ष 2021 में 509 हो जाएगा।

शिक्षण सुविधाओं का विस्तार

20.155. सरकार, स्वास्थ्य में शिक्षण क्षमता का सृजन करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी जबकि निजी सेक्टर कॉलेजों को भी अनुमति दी जाएगी। वर्तमान जिला अस्पतालों और सीएचसी को ज्ञान केंद्रों में उन्नयन करने की पहलें की जाएंगी जहां रोगी की देखभाल करने के साथ-साथ मेडिकल, नर्सिंग और पैरा-मेडिकल शिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। राज्यों को एनएचएम की प्रोत्साहन निधि के माध्यम से इसे करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जैसे राज्य स्तरीय वर्तमान शिक्षण संस्थानों को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके


तालिका 20.8
ग्यारहवीं योजना के दौरान एचआर की उपलब्धता और बारहवीं योजना के अनुमान

श्रेणी	पंजीकृत और उपलब्ध (2011-12)			वार्षिक क्षमता संख्या	2017 अपेक्षित उपलब्धता		वांछित घनत्व	आवश्यक कॉलेज	उपलब्ध यदि कॉलेज बनाए गए	
	पंजीकृत	उपलब्ध	घनत्व		कुल	घनत्व			2017	2021
फिजिशियन	9,22,177	6,91,633	57	42,570	8,48,616	65	85	240	67	85
आयुष	7,12,121	5,34,091	44	30,000	6,42,386	49	49	0	51	54
दंत चिकित्सक	1,17,827	88,370	7	24,410	1,93,797	15	15	0	16	21
नर्स/जीएनएम	12,38,874	7,43,324	61	1,78,339	15,08,684	115	170	500	129	170
एएनएम	6,03,131	3,61,879	30	38,290	5,16,090	39	85	970	60	85
फार्मासिस्ट	6,57,230	4,92,923	41	1,00,000	9,18,276	70	70	0	76	95
कुल			241			354	474		398	509
नर्स/एएनएम: डॉक्टर अनुपात			1.6			2.4	3.0		2.8	3.0

नोट: घनत्व: प्रति लाख जनसंख्या

25 प्रतिशत धिसाव पर आधारित वर्तमान उपलब्धता (डॉक्टर, आयुष, फार्मासिस्ट, दंत चिकित्सक), नर्सों और एएनएम के लिए 40 प्रतिशत नए एएनएम स्कूलों के अतिरिक्त सभी कॉलेजों को इस प्रकार समाप्त किया जाएगा: 2013 तक 50 प्रतिशत, 2014 तक 40 प्रतिशत, 2015 तक 10 प्रतिशत। एएनएम स्कूलों को इस प्रकार समाप्त किया जाएगा: 2014 तक 50 प्रतिशत और 2015 तक 50 प्रतिशत।

नए कॉलेजों की मानी गई क्षमता होगी 250 (डॉक्टर), 100 (आयुष, दंत चिकित्सक, नर्स/जीएन, फार्मासिस्ट) और 80 (एएनएम, 40 का द्विवार्षिक बैच)।



चित्र 20.4: बारहवीं योजना में अनुमानित एचआर क्षमता का विस्तार

साथ ही वर्तमान राजकीय मेडिकल कॉलेजों और केंद्र सरकार के संस्थानों को भी सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि सीटों को 250 के अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जा सके। वर्तमान संस्थानों को और अधिक स्नातकोत्तर सीटों का सृजन करने में सहायता करने के प्रयास जारी रहेंगे। प्रत्येक जिले में कम से कम एक प्रशिक्षण केंद्र और प्रत्येक उप-प्रभाग/ब्लॉक में एक पैरा-मेडिकल प्रशिक्षण केंद्र बनाने का दीर्घावधिक लक्ष्य होगा।

20.156. जिन जिला अस्पतालों को शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उन्हें राष्ट्रीय डिप्लोमेट बैंड (डीएनबी) कार्यक्रम में फेमिली मेडिसिन जैसे पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षा के साथ प्रत्यायित किया जा सकता है। यह कम लागत का उपाय है जो विशेषज्ञ तैयार करने में तेजी लाएगा, व्यावसायीकरण लाएगा और जिला अस्पतालों में रोगी की सेवा करने के मानकों में भी सुधार करने में सहायता करेगा।

20.157. प्रत्येक राज्य में नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की जरूरत है। ये केंद्र विशेषज्ञ क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा प्रदान करेंगे, क्रमिक प्रोफेशनल शिक्षा प्रदान करेंगे और विकास तथा अनुसंधान संकाय के लिए प्रावधान होंगे। 26 राज्यों में पैरामेडिकल संस्थानों की शुरुआत किए जाने के अतिरिक्त 149 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान नर्सिंग स्कूलों को कॉलेज ऑफ नर्सिंग में उन्नयन करने और सुदृढ़ बनाने की पहले ही शुरु की गई पहलें जारी रहेंगी। अल्प सेवा वाले क्षेत्रों में एएनएम/जीएनएम स्कूल स्थापित किए जाने को भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रि-सर्विस, मिड-वाइफरी और कैरियर विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए एक रोड-मैप तैयार किया जाएगा।

20.158. फार्मसी क्षेत्र में फार्मसी कॉलेजों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण तथा राजकीय मेडिकल कॉलेजों के साथ संबद्ध फार्मसी के कॉलेज, जहां कहीं संभव हो, स्थापित किए जाएंगे।

20.159. कुशल स्वास्थ्य कामगारों की दूसरी श्रेणियां भी हैं जिसमें फिजिशियन असिस्टेंट शामिल हैं जो मेडिकल टीम की उत्पादकता बढ़ाता है और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अस्पतालों के संदर्भ में जून, 2011 में एफआईसीसीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण पांच स्किल सैट की पहचान की गई जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है नामतः डायलिसिस तकनीशियन, ऑपरेशन थियेटर/एनेस्थीसिया तकनीशियन, पैरामेडिक, लैब तकनीशियन, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनलिस्ट। मिडवाइफ का कार्य फिर शुरु किया जाएगा और नीदरलैंड के समान ही प्राथमिक प्रसूति गृहों के लिए स्वायत्त मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रशिक्षण और कानूनी प्राधिकार प्रदान किया जाएगा ताकि कुशल जन्म सहायकों को सार्वभौमिक बनाया जा सके। प्रस्तावित जिला ज्ञान केंद्र, स्वास्थ्य कामगारों की ऐसी नई श्रेणियों के लिए पर्याप्त शिक्षण समता का सृजन करेंगे।

20.160. भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यहां पर परम्परागत बर्थ अटेंडेंट्स (दाई) और कंपाउंडर तथा आरएमपी जैसे अनर्हता प्राप्त प्रैक्टिशनरों की बहुत अधिक संख्या है। कानून के अनुसार ये न तो मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए प्राधिकृत हैं न ही दवाइयां देने के लिए। फिर भी वे देश में हर जगह काम करते हैं और चलती-फिरती सेवा, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी न हुई बहुत बड़ी मांग को पूरा करते हैं, उन्हें औपचारिक प्रणाली में लाने की चुनौती है। योजना में इन प्रैक्टिशनरों को उनकी

योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रशिक्षित होने का अवसर देने और उन्हें आपसी सहमति से उचित क्षमताओं में स्वास्थ्य कार्य बल में लाने की सिफारिश की गई है।

20.161. दूसरा अवसर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष स्नातकों की सेवाओं का उपयोग करने में निहित है। इसे करने से पहले दो पूर्व अपेक्षाएं हैं – पहली भारतीय मेडिसिन प्रणाली के प्रैक्टिशनरों द्वारा प्राथमिक सेवा के लिए आधुनिक मेडिसिन की प्रैक्टिस प्राधिकृत करने के लिए कानूनी ढांचे में संशोधन करना, और दूसरी आयुष स्नातकों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से आधुनिक मेडिसिन में प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल का उन्नयन करना है। पात्रता के उच्च प्रोफेशनल मानदंडों को और ब्रिज कोर्स में अर्हता को निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि मिलाए गए ऐसे फिजिशियन से प्राथमिक सेवा की गुणवत्ता उच्च रहे। तमिलनाडु और हाल में महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इस संबंध में अग्रणी कार्य किया है। एलोपैथिक प्रैक्टिशनरों की एसोसिएशन आम तौर पर आयुष प्रैक्टिशनरों द्वारा एलोपैथिक दवाइयां दिए जाने की अनुमति नहीं देती है; उन्हें यह समझना होगा कि राष्ट्र हित में और अधिसंख्य लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण लोगों और शहरी गरीबों की सेवा करने के लिए वे यह अनुमति दें। उचित रूप से प्रशिक्षित आयुष के स्नातक, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं।

20.162. एनएचएम, राज्यों को विभिन्न केंद्रीय और बाह्य निधिबद्ध कार्यक्रमों के तहत सृजित मानव संसाधन के पदनाम और जॉब प्रोफाइलों में संशोधन करने और उन्हें सामान्य, बहु-कार्यात्मक श्रेणियों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिनकी सेवाओं का उपयोग स्थानीय जरूरतों के अनुसार किया जा सके।

सामुदायिक भागीदारी और पीआरआई की संलग्नता

20.163. ब्लॉक और इससे निचले स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, जनसंख्या की जरूरतों के प्रति और अधिक कार्यात्मक हो सकती हैं यदि निधियां पंचायत राज संस्थानों (ग्राम परिषद या अनुसूचित क्षेत्रों में इसके समतुल्य) को सौंपी जाएं और इन संस्थानों को उनके क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिणामों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए। राज्यों को अभिसरण प्राप्त करने में स्थानीय स्व-शासन निकायों की भूमिका और प्राधिकार तैयार करने चाहिए ताकि ये निकाय स्वास्थ्य मानकों में संपोषणीय सुधार के लिए पणधारक बन सकें। राज्यों को सलाह दी जाएगी कि वे ग्राम स्वास्थ्य, साफ-सफाई और पोषाहार समितियां बनाएं जो सामाजिक

40 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

कार्यसूची तैयार करने में पंचायतों की मार्गदर्शी और परिचालनात्मक हाथ के रूप में बनें।

20.164. स्थानीय जरूरतों की संबद्धता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सार्वजनिक निरीक्षण सक्षम बनाने के लिए जनता की प्रभावी भागीदारी के माध्यम से सेवा प्रदान करने, प्रणाली का प्रबंधन करने और निवारण के लिए स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार की जाएगी।

20.165. समुदाय आधारित निगरानी, नागरिक चार्टर, रोगी के अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा, जनता की सुनवाई और शिकायत निवारण तंत्र जैसे एनआरएचएम से स्थापित कार्यनीतियों का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने, प्रदान करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने में समुदाय की अंतर्ग्रस्तता के और अधिक प्रयास किए जाएंगे। पीआरआई के नवनिर्वाचित सदस्यों, विशेष रूप से महिला सदस्यों, को सहायता की जरूरत होती है क्योंकि वे अपनी नई भूमिका में आगे बढ़ते हैं। क्षमता बढ़ाने में एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए एक समन्वित पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। एनजीओ, क्षमता निर्माण करने, अभिसारी सेवा प्रदान करने की योजना बनाने और सामुदाय आधारित निगरानी अधिक कारगर ढंग से करने में वीएचएसएनसी और पीआरआई की सहायता करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। समग्र साफ सफाई अभियान के तहत निर्मल ग्राम पुरस्कार के आधार पर लक्ष्य प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहन दिए जाने के रूप में उन्हें मान्यता देने और पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

20.166. राज्यों को दी जाने वाली निधियां बढ़ाने, लचीलापन प्रदान करने और प्रोत्साहित किए जाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है। स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने के कुछ घटक, जिनके लिए राज्यों को उत्साहित किया जाएगा, तालिका 20.9 में सूचीबद्ध किए गए हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

20.167. कार्यक्रम की कार्यनीति दो आयामी होगी: अधिक जोखिम और ब्रिज जनसंख्या तथा निवारण का एकीकरण (मां से बच्चे में संक्रमण), जांच, परामर्श और आम लोगों में उपचार सेवाएं, जिनमें गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, नियमित आरसीएच कार्यक्रम के साथ मिलाकर हस्तक्षेप तेज करना, सेवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों और जिला एड्स निवारण और

नियंत्रण यूनितों (डीएपीसीयू) को इन स्तरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ढांचे में संयोजित किया जाएगा। बहु-आयामी सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रणाली का निर्माण किया जाएगा और एड्स नियंत्रण को सहक्रियाशील बनाया जाएगा।

20.168. बारहवीं योजना के दौरान एनएसीपी का मुख्य लक्ष्य निराकरण प्रक्रिया में तेजी लाना और सुस्थापित एकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारत में महामारी की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई को और सुदृढ़ बनाना होगा। इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाना होगा और राज्य और जिला स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। एनएसीपी-4, निवारण उन्मुख कार्यक्रम के रूप में जारी रहेगा जिसमें भारत में महामारी संकेन्द्रित स्थिति के संदर्भ में एचआईवी की पर्याप्त देखभाल करना शामिल है। एनएसीपी अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ समन्वय और समावेशी वृद्धि और विकास के बारहवीं पंचवर्षीय योजना के समग्र लक्ष्यों को समन्वित करेगी। एनएसीपी-4 की मुख्य प्राथमिकताएं निम्नानुसार होंगी:

- वर्तमान हस्तक्षेपों की पहुंच बरकरार रखते हुए और उभरती महामारी को कारगर ढंग से रोककर नए संक्रमणों का निवारण करना।
- रोगी से बच्चे में संक्रमण होने से रोकना
- व्यवहार परिवर्तन, जोखिम वाले लोगों में एचआईवी सेवाओं की मांग बढ़ाना और आम जनता में जागरूकता के लिए आईईसी की कार्यनीतियों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- संक्रमण वाले लोगों को विस्तृत सेवा, सहायता और उपचार प्रदान करना
- एचआईवी प्रभावित लोगों को और अधिक शामिल कर कलंक और भेदभाव कम करना
- सभी स्तरों पर कार्यनीति सूचना का कारगर प्रयोग सुनिश्चित करना
- एनजीओ और सिविल सोसायटी साझेदारों, विशेष तौर पर जिन राज्यों में यह महामारी उभर रही है, की क्षमताओं का निर्माण करना
- एचआईवी/एड्स की सेवाओं को चरणबद्ध ढंग से स्वास्थ्य प्रणाली में मिलाना
- केंद्रीय और राज्य स्तरीय सभी मुख्य मंत्रालयों/विभागों के साथ एचआईवी/एड्स क्रियाकलापों को मुख्यधारा में लाना और संबंधित विभागों के संसाधनों को समतुल्य बनाना
- सामाजिक संरक्षण और बीमातंत्र को सुरक्षित करना।

तालिका 20.9
राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण की निदर्शित सूची

स्वास्थ्य प्रणाली के तत्व	राज्यों द्वारा दिए गए स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के सुझाव
1. प्रभावी लोक स्वास्थ्य प्रशासन	<p>लोक स्वास्थ्य अधिनियम अधिनियमित और लागू करना</p> <p>लोक स्वास्थ्य संवर्ग बनाना जिसके सदस्यों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर नजर रखें, उन्हें सुधारने के लिए कार्यनीति बनाएं तथा उसे कार्यान्वित करें</p> <p>सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और अस्पताल प्रशासन को प्रबंधन सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग बनाना और नियोजित करना</p> <p>क्लिनिकल उपचार दिशानिर्देशों की अनिवार्य प्रैक्टिस और सभी सरकारी सुविधा केंद्रों में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में सूचीबद्ध सामान्य दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन</p> <p>मेडिकल कॉलेजों के संकाय द्वारा मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन की अनिवार्य जांच लेखा परीक्षा</p> <p>सुदृढ निरीक्षण तंत्र जिसमें नागरिकों की भागीदारी, सामाजिक लेखा परीक्षा तथा अधिक पारदर्शिता शामिल हो, के माध्यम से शासन में सुधार करना</p> <p>प्रभावी और उत्तरकारी शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना</p> <p>सेवाओं के लिए नीतियां तैयार करना और उन्हें प्रदान करना ताकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें</p>
2. स्वास्थ्य का वित्तपोषण	<p>स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी व्यय बढ़ाना</p> <p>राज्य बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के सुदृढीकरण को प्राथमिकता</p>
3. स्वास्थ्य विनियमन	<p>केंद्रीय क्लिनिकल स्थापना अधिनियम का विस्तार करना और लागू करना</p> <p>संगत कानूनों नामतः गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को सशक्त बनाना</p>
4. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन का विकास	<p>बेहतर गुणवत्ता प्रशिक्षण के साथ जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को मेडिकल और पैरा-मेडिकल प्रशिक्षण संस्थानों में विकसित करना</p> <p>आयुष स्नातकों के लिए ग्लिज पाठ्यक्रम आयोजित करना और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा फिजिशियन के रूप में प्रैक्टिस करने की कानूनी शक्ति प्रदान करना</p> <p>आशा, एडब्ल्यूडब्ल्यू का एएनएम में कैरियर प्रगति को प्रोत्साहित करना और नर्सों की सक्षमता आधारित प्रोफेशनल प्रगति का आश्वस्त कैरियर ट्रैक बनाना</p>
5. स्वास्थ्य सूचना प्रणाली	<p>सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की नेटवर्किंग करके, राज्य स्तरीय रोग निवारण निगरानी प्रणाली स्थापित करके, जन्म और मृत्यु का सार्वभौमिक पंजीकरण द्वारा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली बनाना ताकि लोगों के स्वास्थ्य की सही तस्वीर दी जा सके।</p>
6. अभिसरण और स्टिवार्डशिप	<p>स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य विभागों की नीतियों और क्रियाकलापों के स्वास्थ्य प्रभाव का आकलन।</p> <p>आयुष को एनएचएम की मुख्य धारा में लाना</p> <p>जिला स्तरों तक एसटीआई और एचआईवी निवारण और उपचार की मुख्य धारा को एनएचएम में लाना</p> <p>सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की मुख्य धारा को एनएचएम में लाना</p> <p>सामाजिक क्षेत्र में अभिसरण लाने में अर्थपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पंचायतों को निधियों, कार्य और कर्मचारियों के साथ सशक्त बनाना</p> <p>एनएचएम के मिशन ढांचे का प्रयोग करके ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय समन्वय प्राप्त करना</p> <p>शिकायत निवारण के लिए प्रणाली का सृजन करना और सहायता करना</p> <p>सभी ग्राम स्तरीय एनएचएम और आईसीडीएस कार्मिकों के लिए अभिसरण स्टेशन के रूप में एडब्ल्यूसी और आईसीडीएस पर्यवेक्षकों के मुख्यालय के रूप में उप-केंद्रों को घोषित करके आशा और एडब्ल्यूडब्ल्यू के कार्यक्रम को सहक्रियाशील बनाना</p> <p>यह सुनिश्चित करना कि आईसीडीएस योजना, मध्याह्न भोजन में केवल दोगुना सुरक्षित नमक (आयरन आयोडीन) प्रयुक्त किया जाए और सार्वजनिक वितरण के माध्यम से बेचा जाए।</p>

42 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

स्वास्थ्य प्रणाली के तत्व	राज्यों द्वारा दिए गए स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण के सुझाव
7. स्वास्थ्य सेवाएं	यह सुनिश्चित करने के लिए मास्टर प्लान कि प्रत्येक जिला अपने सभी निवासियों को आश्वस्त सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है सभी सुविधा केंद्रों में भारतीय लोक स्वास्थ्य के मानक प्राप्त करने के लिए रोड-मैप लोक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है कारगर शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना
8. दवाइयों, टीका और नैदानिक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना	खुली निविदा आधारित प्रापण के माध्यम से दवाइयों का प्रापण, स्टोर और वितरण करने, टीका और नैदानिक सुविधाओं के लिए विशेष प्रयोजन वाहन का सृजन करना सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में राष्ट्रीय आवश्यक दवाइयों की सूची के तहत दवाइयों की उपलब्धता अधिदेशित करना राज्य स्तरीय दवा विनियमन सुदृढ बनाना सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जन औषधि स्टोर सुनिश्चित करना।

एनएसीपी-4 की कार्यनीतियां

1. निवारक सेवाओं को तेज करना और मजबूत बनाना जिसमें इन पर विशेष ध्यान दिया जाए (1) अधिक जोखिम वाले समूह और सुभेद्य जनसंख्या और (2) सामान्य जनसंख्या;
2. व्यवहार परिवर्तन और मांग बढ़ाने पर ध्यान देते हुए (1) सामान्य जनसंख्या और (2) अधिक जोखिम वाले समूहों के लिए आईईसी सेवाओं का विस्तार करना;
3. पहुंच बढ़ाना और व्यापक सेवा, सहायता और उपचार का संवर्धन करना;
4. राष्ट्रीय स्तर, जिला और सुविधा केंद्र स्तरों पर क्षमता का निर्माण करना; और
5. कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ बनाना।

भारतीय औषधि प्रणालियां और होम्योपैथी सेवाएं (आयुष)

20.169. राज्यों में आयुष की प्रैक्टिस और संवर्धन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति का पुनर्गठन किया जाएगा जिसमें सभी विभागों के सचिव सदस्य के रूप में होंगे तथा सचिव स्वास्थ्य इसके अध्यक्ष होंगे और यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष के अभिसरण तथा इसे मुख्य धारा में लाने के लिए निधिकरण और कार्यक्रम दिशानिर्देश प्रदान करेगी।

20.170. राज्यों को आयुष सुविधाओं का एकीकरण करने और आयुष सेवाओं को सभी सुविधा केंद्रों में प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें आधुनिक प्रणाली की दवाइयों से उपचार किया जाएगा। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यथा निर्धारित

मानकों के अनुसार सभी सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्रों में उचित आयुष सेवाएं प्रदान की जाएं।

20.171. इसके अलावा आयुष ग्राम अवधारणा का संवर्धन किया जाएगा जिसमें आयुष और आधुनिक दवा प्रणाली के एकीकृत प्राथमिक सेवा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव का चयन किया जाएगा। इन गांवों में जड़ी-बूटी के औषधीय बाग लगाए जाएंगे, नियमित योग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जो अधिमानतः पीआरआई संस्थानों, युवक क्लबों के माध्यम से होंगे और समुदाय को स्वच्छता, स्वास्थ्य का संवर्धन और रोग निवारण संबंधी बुनियादी ज्ञान प्रदान किया जाएगा।

आयुष का सुदृढीकरण

20.172. यदि भारतीय औषधि प्रणाली और होम्योपैथी का उचित प्रयोग किया जाए तो इसकी शक्ति बारहवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। आयुष की प्रणालियों को इसकी शक्ति के क्षेत्रों नामतः स्वास्थ्य सेवा निवारण और संवर्धन, महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, गैर-संक्रमणीय रोगों, मानसिक बीमारियों, तनाव प्रबंधन, उपशमक सेवा, पुनर्वास और स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित रोगों और स्वास्थ्य की स्थिति की शक्ति का प्रयोग करके मुख्य धारा में लाया जाएगा।

20.173. स्वास्थ्य प्रणाली के प्रत्येक तत्व का सुदृढीकरण और विकास, विशेष रूप से आईटी का प्रयोग, आयुष प्रणाली और संस्थागत क्षमता विकास पर समान रूप से लागू होता है और इस पर आगे कार्यवाई की जाएगी। इसके बाद आयुष प्रणाली के विशिष्ट अवसरों और जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए अतिरिक्त उपाय और संस्थागत क्षमता विकास आता है।

अनुसंधान

20.174. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 ने एक उद्देश्य निश्चित किया है जिसमें अन्य आयुष थैरेपियों और औषधियों को वैध बनाने के लिए अनुसंधान का पुनःअभिमुखीकरण और प्राथमिकीकरण शामिल किया जाना है जो पुरानी और जीवनशैली से संबंधित रोगों को दूर करते हैं। अन्योन्य पक्षों के अनुसंधान और प्रैक्टिस के लिए प्राचीन थैरेपियों की शब्दावलियों का मानकीकरण और मानक तथा एकीकृत उपचार प्रोटोकॉल का विकास आवश्यक है। इनके विकास प्रत्येक प्रणाली की मुख्य सक्षमताओं और वर्तमान शक्तियों तथा तुलनात्मक क्षमता अध्ययनों के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत समर्थित रोग प्रबंधन ऐसे कंपोजिट प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे।

20.175. इस महात्वाकांक्षी कार्यसूची पर कार्रवाई करने के लिए आयुष की सभी पांच अनुसंधान परिषदें संसाधनों, विशेष तौर पर मानव संसाधन, क्लिनिकल सुविधाओं और सूचना का पूल बनाएंगी ताकि दोहरेपन से बचा जा सके। इसे संस्थागत आधार पर करने के लिए पांच अनुसंधान परिषदों के वास्ते साझा शासन संरचना बनाई जाएगी।

20.176. औषधीय पौधों से संबंधित परम्परागत ज्ञान का प्रलेखीकरण न केवल इन्हें संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बायो-पाइरेसी और बायो-प्रोस्पेक्टिंग का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है। यह जारी रहेगा।

मानव संसाधन विकास

20.177. स्नातकोत्तर स्तर पर आधुनिक और आयुष प्रणालियों के बीच अन्योन्य पक्षों के शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे अन्योन्य पक्षों के शिक्षण को संभव बनाने के उद्देश्यों से स्नातक पूर्व स्तर पर जिस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी उसमें संशोधन किए जाने का ब्योरा विभिन्न व्यावसायिक परिषदों की विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किया जाएगा। परस्पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आयुष शिक्षण कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश के मेडिकल कॉलेजों में आयुष आसन को संयुक्त रूप से अनुसंधान, शिक्षण और रोगी की देखभाल करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। अनभिज्ञता प्रकट करने और अन्योन्य प्रणाली रेफरल विकसित करने के उद्देश्य से आयुष की बुनियादी अवधारणा, अनुप्रयोग और वैज्ञानिक विकास के बारे में मेडिकल के विद्यार्थियों और डॉक्टरों के अभिमुखीकरण को प्रोत्साहित किया

जाएगा। इसलिए मेडिकल, नर्सिंग और फार्मसी के पाठ्यक्रमों और मेडिकल प्रैक्टिशनरों के लिए सीएमई कार्यक्रम में आयुष के संगत मॉड्यूल अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

आयुष की प्रैक्टिस और संवर्धन

20.178. आयुष विभाग, आईपीएचएस के एक भाग के रूप में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरों पर सुविधाओं के लिए मानक विकसित करेगा; सामुदायिक स्वास्थ्य कामगारों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश और आयुष की मॉडल औषधि सूची विकसित की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे, श्रम, गृह आदि जैसे अन्य मंत्रालयों के तहत सभी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा संस्थान, उचित मानकों की आयुष सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधाओं का सृजन करेंगे।

20.179. जैसे-जैसे दीर्घायु होगी वैसे-वैसे चिकित्सा को एक क्षेत्र के रूप में जरा चिकित्सा पर और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। आयुष थैरेपियों में स्वास्थ्य लाभ और पुनर्गोवन प्रदान किए जाने की शक्ति है। आयुष प्रणाली में वयोवृद्ध लोगों के लिए जो कुछ किया जा सकता है उन्हें साथ लाने और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके उनमें आगे विकास करने के लिए राष्ट्रीय जरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आयुष के माध्यम से) स्थापित किया जाएगा।

20.180. डाइबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसी उपापचय और जीवनशैली के रोगों की बढ़ती संख्या और उनके निवारण तथा उपचार में आयुष प्रणाली की शक्ति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उपापचय और जीवनशैली रोग संस्थान स्थापित किया जाएगा।

20.181. नशीले पदार्थों के प्रयोग के कारण बढ़ती समस्या और तंबाकू के बढ़ते सेवन तथा आयुष थैरेपियों और प्रैक्टिस, विशेष रूप से रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन में योग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नशीले पदार्थ और तंबाकू व्यसनरोधी संस्थान स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक तीन राष्ट्रीय संस्थानों को स्नातकोत्तर शिक्षा अनुसंधान सुविधाओं तथा औषधि के सभी क्षेत्रों में गृह उन्नत अस्पताल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये संस्थान अपने क्षेत्र में अंतर विद्या अनुसंधान करेंगे और उसे बढ़ावा देंगे, निवारण और रोकथाम प्रबंधन संबंधी ज्ञान के क्षेत्र खोलेंगे, आयुष प्रणाली का साक्ष्य आधारित प्रयोग पढ़ाएंगे और उसे बढ़ावा देंगे तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक समय वैश्विक और अनुसंधान, सेवा और शिक्षा केंद्रों के रूप में उभरेंगे।

44 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण

20.182. कच्चे माल की गुणवत्ता प्रमाण पत्र, शैक्षिक कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण यूनितों और उत्साहों के प्रत्यायन के लिए बारहवीं योजना में प्रणालियों का संवर्धन किया जाएगा। इससे विनियमनों और कानूनों के माध्यम से न्यूनतम मानक प्राप्त होने के साथ-साथ प्रत्यायन की स्वैच्छिक योजना के माध्यम से उत्कृष्टता भी प्राप्त होगी। आयुष और आधुनिक औषधि के लिए सामान्य विधान और विनियामक प्रणालियों की वर्तमान प्रैक्टिस को सभी स्तरों पर आयुष विशेषज्ञों के अधिदेशित प्रतिनिधित्व के साथ और सुदृढ़ बनाया जाएगा। आयुष द्वारा जिन प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे मानकीकृत बनाने के उद्देश्य से फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, बारहवीं योजना अवधि में प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा।

स्वास्थ्य अनुसंधान

20.183. देश में स्वास्थ्य संकेतकों की धीमी प्रगति को देखते हुए प्रगति में तेजी लाने और सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की जरूरत के लिए डीएचआर को कार्यनीतिक दृष्टि से एक ऐसी दिशा में बढ़ना चाहिए जो देश की स्वास्थ्य से संबंधी जरूरतों को तेजी से पूरा करने के लिए समय बद्ध ढंग से कार्रवाई योग्य सुस्पष्टता उत्पन्न करे। अपने प्राथमिकता क्षेत्र स्थापित करने में डीएचआर का मार्गदर्शन, देश में रोग प्रोफाइल, रोग का बोझ और किफायती हस्तक्षेप की संभावना द्वारा किया जाएगा।

20.184. बारहवीं योजना में स्वास्थ्य अनुसंधान की कार्यनीति निम्नानुसार होगी:

20.185. राष्ट्रीय स्वास्थ्य की प्राथमिकताएं निश्चित करना: डीएचआर के प्रयासों का मुख्य परिणाम बौद्धिक क्षमता उत्पन्न करना होगा जिसका लोक स्वास्थ्य प्रमाण हो सकता है। इसलिए डीएचआर, स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं और देश के सामने स्वास्थ्य प्रणाली के मुद्दों के लिए किफायती हल का पता लगाने के लिए अपने अनुसंधान को प्राथमिकता देगा, नामतः:

1. मातृत्व और शिशु का पोषण और उत्तरजीविता;
2. देश के भागों में अधिक प्रजनन क्षमता;
3. कम शिशु लिंग दर और बालिका के प्रति भेदभाव;
4. बीमारियों-संक्रमणीय, गैर-संक्रमणीय (मानसिक बीमारी सहित) और घाव (विशेष तौर पर सड़क यातायात से संबंधित) जन्मजात विकृति और यौन विकास में विकृति के बोझ को

कम करने के लिए निवारण, पहले पता लगाना, उपचार, पुनर्वास;

5. घरेलू ऊपरी खर्च कम करने के उद्देश्य से संपोषणीय स्वास्थ्य वित्तपोषण।
6. एचआईएस, महत्वपूर्ण पंजीकरण, समुदाय आधारित निगरानी, रोग पर नजर रखने और निवारण, उपचार और शिक्षण के लिए अस्पताल आधारित सूचना प्रणालियां;
7. स्वास्थ्य और असमानता, विशेष तौर पर कमजोर लोगों में सामाजिक निर्धारकों को दूर करने के उपाय;
8. उन मानक उपचार दिशानिर्देशों का सुझाव देना और नियमित रूप से अद्यतन करना जो व्यापक रूप से अपनाए जाने के लिए आवश्यक और किफायती, दोनों हैं;
9. लोक स्वास्थ्य प्रणालियां और उनका सुदृढ़ीकरण; और
10. स्वास्थ्य विनियमन विशेष रूप से अनुसंधान में नैतिक मुद्दे।

20.186. उक्त सूचीबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आईसीएमआर के वर्तमान संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा, उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा और कमी वाले क्षेत्रों में नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

20.187. अनुसंधान समन्वय संरचना का निर्माण: यद्यपि डीएचआर, मेडिकल और अनुसंधान के संबंध में शक्ति प्राप्त विभाग है फिर भी अनुसंधान से संबंधित विषयों पर कई संगठन काम कर रहे हैं नामतः पर्यावरण और वन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष, एड्स नियंत्रण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि अनुसंधान, आईसीएमआर, डीएसआईआर, सीएसआईआर, एनडीएमए, डीआरडीओ और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जैसी एजेंसियां। डीएचआर, मानव स्वास्थ्य के अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाएगा जिसमें वह सभी संबंधित संगठनों को एक प्लेटफार्म पर लाएगा ताकि परस्पर चर्चा, संसाधन का पूल बनाने और प्राथमिकीकरण, कार्य के दोहरापन को रोकने, समयबद्ध ढंग से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नवोन्मेषी हल निकालने को सुकर बनाया जा सके। यह एक दूसरे के निर्णय लेने वाले और वैज्ञानिक निकायों और "समन्वयकर्ता संरचनाओं" में परस्पर प्रतिनिधित्व जैसे संस्थागत ढांचों का सुझाव देने में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा ताकि अपवाद बनने की बजाए परामर्श और सहयोग मानदंड बन जाए। वहन करने योग्य प्रौद्योगिकियों के चयन, संवर्धन, विकास, आकलन और मूल्यांकन के लिए कार्यकुशल तंत्र स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं के विकास को सुकर बनाने के लिए डीएचआर, बुनियादी, स्थानांतरीय और क्लिनिकल अन्वेषकों, नेटवर्क, प्रोफेशनल सोसायटियों और उद्योग को साथ लाएगा। डीएचआर,

शिक्षण संस्थानों और उद्योग के बीच समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करेगा जिसमें बहु-पक्षीय दृष्टिकोणों को वरीयता दी जाएगी।

20.188. सेवाएं प्रदान करने में अड़चन संबंधी परिचालन अनुसंधान की जरूरत का हल निकालने के लिए डीएचआर, विभिन्न स्तरों पर एनएचएम ढांचे के अंतर्गत बहुपक्षीय अनुसंधान टीमों को रखने की संभावना का पता लगाएगा ताकि कार्यक्रम प्रबंधकों को समस्याओं का व्यावहारिक, संगत और क्षेत्र विशिष्ट हल का सुझाव दिया जा सके। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा और लोक स्वास्थ्य सेवा सुपुर्दगी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कमियों को दूर करने के लिए डीएचआर, एचआईएस की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र समर्पित करेगा और परिचालनात्मक प्रबंधकों के साथ विशेष टीम की भी तैनाती करेगा।

20.189. *अनुसंधान में जबाबदेही के साथ स्वायत्तता:* लक्ष्य के स्पष्ट कथन, बजट संबंधी अतिरिक्त निधियां जुटाने के लिए लचीलेपन के साथ पर्याप्त संसाधन, कार्यात्मक स्वायत्तता, कार्य निष्पादन के लिए जबाबदेही और प्रोत्साहन कुशल अनुसंधान प्रणाली के तत्व हैं। डीएचआर अपने अनुसंधान संस्थानों में इन सिद्धांतों पर नजर रखने का काम करेगा ताकि इनमें से प्रत्येक उसे आबंटित क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित हो।

20.190. *कुशल अनुसंधान शासन, विनियामक और मूल्यांकन फ्रेमवर्क:* डीएचआर, नैतिकता आधारित अनुसंधान शासन को सुदृढ़ बनाने और अनुसंधान के विषयों, विशेष रूप से क्लिनिकल विचारण, के हितों की रक्षा करने के लिए उचित विनियमन, दिशानिर्देश, प्राधिकरण और ढांचे बनाएगा। डीएचआर अन्वयों के साथ-साथ स्टेम कोशिका अनुसंधान थैरेपी, सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी, जिसमें डिम्ब दाताओं के अधिकार समाविष्ट किए जाते हैं, जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए नैतिक दिशानिर्देशन, जिसमें मानव विषय शामिल किए गए हैं; मानसिक बीमारी या संज्ञानात्मक हानि संबंधी अनुसंधान करने के लिए नैतिक दिशानिर्देशन, भारत में अनुसंधान से संबंधित भागीदारी में हुए घावों के लिए क्षतिपूर्ति और जैव बैंकिंग के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगा। डीएचआर, आईसीएमआर सहित विभिन्न वैज्ञानिक विभागों द्वारा किए गए स्वास्थ्य अनुसंधान का मूल्यांकन करने के लिए तंत्र भी विकसित करेगा। डीएचआर, स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों की बैंचमार्किंग और प्रत्यायन के लिए भी तंत्र बनाएगा। अनुसंधान संस्थानों के प्रत्यायन के मानदंड, उत्पन्न बौद्धिक पूंजी और लोक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर आधारित होगी।

20.191. अनुसंधान केंद्रों और प्रयोगशालाओं के विकास का पोषण: कमी और कार्यनीति क्षेत्रों में केंद्रों के विकास के अलावा डीएचआर वर्तमान मेडिकल कॉलेजों और अनुसंधान केंद्रों का विकास विशेषज्ञ विषय के क्षेत्र में करने की पहचान करेगी और निधियां प्रदान करेगी जो क्रॉस कटिंग, बहु विषय और स्थानांतरीय अनुसंधान कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। इसी प्रकार, डीएचआर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर वायरल और अन्य संक्रमणीय रोगों के निदान के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकारी प्रयोगशालाओं के उन्नयन के वास्ते निधियां प्रदान करेगा। नैदानिक सुविधाओं की राष्ट्रीय सूची केंद्रीय स्तर पर रखी जाएगी ताकि प्रयोगशाला सुविधाओं का सृजन और उन्नयन करने संबंधी निर्णयों के मार्गदर्शन में सहायता की जा सके। डीएचआर विभिन्न प्रकार की क्लिनिकल और लोक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए राज्यों और अन्य बाह्य संस्थानों की क्षमता का निर्माण भी करेगा।

20.192. *बाह्य अनुसंधान का संवर्धन करके उपलब्ध अनुसंधान क्षमता का उपयोग:* बाह्य कार्यक्रम, जिसके तहत चुने हुए विषयों पर प्रतिस्पर्धी आधार पर अनुदान प्रदान किए जाते हैं, उनका विस्तार किया जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेजों, तृतीयक अस्पतालों, स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों और लोक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रतिभा खोजने में सहायता की जा सके। डीएचआर का उद्देश्य इसके अनुसंधान बजट में आंतरिक निधिकरण का हिस्सा इस समय के 33 प्रतिशत से बढ़ाकर बारहवीं योजना के अंत तक 50 प्रतिशत तक करने का है। यह एसआईआर के ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी का पालन करते हुए "समस्या का समाधानकर्ता अनुसंधान" का भी गठन कर सकता है लेकिन इसे परिणामों के लिए सख्त संवीक्षा के अध्यक्ष होने की जरूरत है। स्थानांतरीय अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को देश में बेहतर स्वास्थ्य स्टेटस में परिवर्तित किया जा सके।

20.193. *मानव संसाधन विकास:* युवा अनुसंधानकर्ताओं के लिए कैरियर अवसरों में सुधार करके और शुरूआती अनुदान के रूप में अच्छी शुरूआती सहायता प्रदान करके अर्हता प्राप्त अनुसंधानकर्ताओं को उत्पन्न करने में निवेश किया जाएगा। इसके अलावा, पहचाने गए उन्नत क्षेत्रों में अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए अध्येतावृत्ति, पीजी स्तर पर छात्रवृत्ति, युवा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा अनुसंधानकर्ता कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेजों में संकाय विकास के लिए कैरियर के मध्य में अनुसंधान फ़ैलोशिप, यह सुनिश्चित करने के कुछ तरीके हैं जिनसे प्रतिबद्ध अनुसंधानकर्ताओं का लगातार प्रवाह हो सके। डीएचआर, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के साथ परामर्श

46 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

करके मेडिकल कॉलेजों में उन अनुसंधान प्रोफेशनलों की श्रृंखला शुरू किए जाने की संभावना का पता लगाएगा जिनके प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ने के अवसर अध्यापन संकाय के समान ही हों। डीएचआर, अनुसंधान क्रिया पद्धति पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग करेगा और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेगा।

20.194. क्लिनिकल उपचार दिशानिर्देश तैयार करने के लिए किफायती अध्ययन: यूके ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस (एनआईसीई) के आधार पर डीएचआर ऐसी विशेषज्ञता विकसित करेगा जिसकी पहुंच उनकी किफायती और अनिवार्यता के लिए उपलब्ध थेरेपियों और प्रौद्योगिकियों तक होगी और नियमित आधार पर मानक उपचार दिशानिर्देश तैयार करेगा और उन्हें अद्यतन बनाएगा तथा लोक स्वास्थ्य प्रणाली में नई दवाइयों और टीकों को शामिल करने का सुझाव देगा। निश्चित ही दिशानिर्देशों को तैयार किए जाने में, आयुष प्रणालियों सहित बेहतरीन उपलब्ध संकेत को समाविष्ट किया जाएगा ताकि नियमित क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए उपचार प्रोटोकॉल का सुझाव दिया जा सके। सेना मेडिकल कोर द्वारा विकसित मानक उपचार दिशानिर्देश का भी संदर्भ लिया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के बाहर लेकिन मंत्रालय के अंदर प्रस्तावित संस्थान को स्थापित करने का औचित्य, इसे प्रेक्टिशनरों से वस्तुपरकता और स्वतंत्रता का तत्व प्रदान करना तथा हितों के टकराव से बचाना है।

बेहतर परिणामों के लिए समूचे क्षेत्रों में अभिसरण

20.195. स्वास्थ्य पर गैर-स्वास्थ्य क्षेत्र की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभाव लंबे समय तक अदृश्य रहता है। अतः यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में, जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वर्तमान और नई नीतियों के स्वास्थ्य प्रभाव का निर्धारण करने के लिए उपचारी कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऐसे विश्लेषण करने के लिए समर्पित "हेल्थ इंपैक्ट सैल" गठित करेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय से इतर उन अन्य मंत्रालयों की नीतियां तैयार करने या उनमें संशोधन करने से पहले इसके विचारों पर ध्यान दिया जाएगा, जो संभवतः लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रस्तावित "हेल्थ इंपैक्ट सैल", निगरानी और निगरानी कार्य भी करेगा ताकि मुख्य गैर-स्वास्थ्य विभागों की नीतियों और कार्यक्रमों के स्वास्थ्य प्रभाव संबंधी सूचना निरंतर आधार पर एकत्र की जा सके। यह क्षेत्रों/गैर-स्वास्थ्य मंत्रालयों से प्राप्त कार्यक्रम आंकड़ों को फील्ड से प्राप्त स्वास्थ्य प्रभाव की रिपोर्टों, जैसे

कि पानी और साफ सफाई से संबंधित रोग फैलने की रिपोर्ट, के साथ सुमेलित कर सकता है और नीतियों के साथ-साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन की कमियों को भी निर्धारित कर सकता है। विभिन्न क्षेत्र प्रस्तावित सैल के साथ आंकड़ों को, विशेष रूप से स्वास्थ्य परिणाम से संबंधित आंकड़ों को साझा करेंगे। प्रस्तावित सैल को पूर्व चेतावनी देने और स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की समन्वित कार्रवाई करने के लिए भी सज्जित किया जाएगा।

पोषाहार संबंधी अभिसारी कार्रवाई

20.196. स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ संस्थागत व्यवस्था का निर्माण करेगा ताकि आईसीडीएस के तहत सेवाओं की अभिसरण सुपुर्दगी मानदंड बन जाए। स्वस्थ खुराक को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय नीति और नमक तथा खाद्य पदार्थों में परा-फैट की मात्रा को विनियमित किया जाना अपेक्षित है। आयरन और आयोडीन के साथ नमक की उचित मात्रा होने से किफायती और उचित कार्यनीति बनती है जिससे हमारे देश में पोषाहार की दो मुख्य कमियां पूरी होती हैं। यद्यपि महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत खाद्य और पोषाहार बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा, फिर भी सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुग्राही बनाया जाएगा ताकि वे पोषाहार और स्वस्थ रहने के ज्ञान का प्रसार कर सकें।

अभिसारी हब के रूप में आंगनवाड़ी केंद्र

20.197. पोषण संबंधी मुद्दों के लिए बहु-पणधारक कार्यनीतियों की जरूरत होती है जिसमें लोगों को यह सूचित किया जाना शामिल होता है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों, खाद्य पुष्टिकरण और सूक्ष्म-पौष्टिक अनुपूरण से कैसे अधिकतम पोषाहार लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्यों को क्षेत्र व्यापी समझौता ज्ञापन के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे पूर्ण अभिसारी मोड में ग्राम स्वास्थ्य और पोषाहार दिवसों पर नजर रखें (बॉक्स 20.7) और सुनिश्चित करें कि आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाओं के लिए केंद्र बन जाएं।

आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना:

20.198. स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन के तत्वों नामतः प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई और पुनर्वास पर उचित स्थान देगा। आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बॉक्स 20.7

अभिसरण: उत्तरी त्रिपुरा में ग्राम स्वास्थ्य और पोषाहार दिवस

उत्तरी त्रिपुरा जिले में पूर्ण अभिसरण मोड में ग्राम स्वास्थ्य और पोषाहार दिवस (वीएचएनडी) आयोजित किया गया था जिससे इसको वर्ष 2010-11 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

प्रत्येक गांव में अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और सेवा के प्रावधान के लिए हब के रूप में आंगनवाड़ी केंद्र के साथ समुदाय को सम्मिलित कर मासिक वीएचएनडी का आयोजन किया जाना है। यह पहला संपर्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रभावी प्लेटफार्म है। ग्राम स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषाहार समितियों से आशा की जाती है कि वे आशा, एएनएम, एडब्ल्यूडब्ल्यू और पीआरआई के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ आयोजक हों।

एनआरएचएम के दिशानिर्देशों के अनुसार वीएचएनडी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रसव-पूर्व जांच, विटामिन-ए की खुराक और सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण, बच्चों का वजन लेना, कार्ड पर वजन दर्ज करना और उचित प्रबंधन करना, टी. बी. रोगियों को दवाइयों की उचित खुराक देना, पति-पत्नी की इच्छा के अनुसार सभी पात्र जोड़ों को गर्भ निरोधक (कंडोम और ओरल) का प्रावधान करना, कम वजन के बच्चों को पूरक पोषाहार का प्रावधान करना, समुदाय में जागरूकता पैदा करना, विशेष ध्यान दिए जाने वाले मामलों की पहचान करना शामिल है।

विशिष्ट और अतिरिक्त विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

- पारदर्शी और भागीदारी ढंग से स्वास्थ्य मेले का आयोजन; आयोजन के लिए साइन बोर्डों और व्यक्तिगत संपर्क से व्यापक प्रचार;
- विभिन्न विभागों से प्राप्त निधियों का पूल बनाना और भूमिकाओं का स्पष्ट चित्रण;
- प्रशिक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा देने में स्कूलों के हैडमास्टर्स की नेतृत्व की भूमिका;
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, आईसीडीएस, ग्रामीण विकास, पंचायत, पेयजल, जिला अशक्तता पुनर्वास केंद्र, शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा का अभिसरण;
- प्रदान की गई अतिरिक्त सेवाओं में अशक्तता प्रमाणपत्र, अशक्त लोगों को वील चेर, दवाइयां और पानी साफ करने वाली गोलियां, डॉक्टर का परामर्श, नेत्र और दांतों तथा एचआईवी की जांच, स्थानीय गानों, नृत्य, ड्रामा, क्विज, खेलकूद, स्वस्थ शिशु प्रदर्शनियों को शामिल कर सुदृढ़ सांस्कृतिक कार्यक्रम;
- मध्याह्न भोजन और आईसीडीएस, सामुदायिक भोजन के साथ आयोजित किए गए;
- कार्यकर्ताओं को गहन प्रशिक्षण;
- कारगर निगरानी, रिकॉर्ड कीपिंग और वेबसाइट पर आंकड़ों का प्रदर्शन;

परिणाम: विभिन्न प्रकार के रोगों के मामलों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अत्यधिक मात्रा में पता लगाया गया, ज्वर, मलेरिया, डायरिया के कारण कम मौतें हुईं, टीकाकरण कवरेज में सुधार होने से एमएमआर और आईएमआर में कमी आई, कुपोषण वाले बच्चों की पहचान, उनके उपचार की शुरुआत और आवधिक निगरानी।

पाठ: कारगर ढंग से आयोजित वीएचएनडी से समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और इसके निर्धारकों का प्रभावी उपयोग।

स्वास्थ्य मंत्रालय के विभागों के अंतर्गत अभिसरण

20.199. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वास्थ्य संबंधी कई स्थितियां अक्सर साथ-साथ चलती हैं और अधःस्थ कारकों के रूप में खराब पोषाहार स्टेटस से एक-दूसरे को उत्तेजित करती है, मेडिसिन की विभिन्न प्रणालियों की थैरेपियों की सहक्रियाशीलता से स्वास्थ्य स्टेटस और सबूत आधारित निर्णय लेने और प्रैक्टिस करने में सुधार कर सकती हैं, स्वास्थ्य के सभी चार विभाग, जो उन्हें आबंटित क्षेत्रों में काम करते हैं, मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य जरूरतों का निवारण कर सकते हैं। मूल स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समन्वित सुपुर्दगी आउटरीच बढ़ा सकती है और बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन में सहायता

कर सकती है। अग्रणी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और प्राथमिक सेवा के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वास्थ्य सेवा की उनकी संपूर्ण रेंज पूरी करने में सभी स्थानीय निवासियों के लिए एकल संपर्क बिन्दु के रूप में विकसित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

20.200. बारहवीं योजना के सामने राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के वास्ते बुनियादी संरचना स्थापित करने का दुष्कर कार्य है। इसे एनआरएचएम के माध्यम से जो प्राप्त किया गया है उस पर निर्मित किया जाना चाहिए और इसका विस्तार व्यापक एनएचएम में किया

48 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

जाना चाहिए। चूंकि स्वास्थ्य सेवा की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की हैं इसलिए निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को विनियमित करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को जो कार्य करने की जरूरत है उस कार्यनीति को कारगर ढंग से प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है ताकि वे मिलकर

निवारात्मक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की सुपुर्दगी प्रबंधन की ओर काम कर सकें। यह एक ऐसा कार्य है जो एक योजना अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता है। बुनियादी स्वास्थ्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से इसमें दो या तीन योजना अवधियां लगेंगी।

21

शिक्षा

परिचय

21.1. सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है। 21वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सुशिक्षित, संबंधित ज्ञान से परिपूर्ण, दृष्टिकोण और कौशल वाले लोगों की आवश्यकता है। सामाजिक-आर्थिक रूप से प्रेरित करना और न्यायसंगत तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली यंत्र और मुख्य साधन है। शिक्षा आर्थिक कल्याण के लिए कौशल और योग्यता उपलब्ध कराती है। शिक्षा नागरिकों को शासन प्रक्रियाओं में पूर्ण रूपेण सहभागिता के लिए आवश्यक साधन जुटाकर प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करती है। सामाजिक जुड़ाव और राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहित करने वाले मूल्य बताकर शिक्षा समाज में समाकलनात्मक के रूप में भी कार्य करती है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को पहचानकर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार द्वारा, और यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर मिलें, बारहवीं योजना में शिक्षा के विस्तार पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है।

21.2. बारहवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा के महत्व को पहचान कर इस पर होने वाले सार्वजनिक व्यय में काफी वृद्धि की गई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाले व्यय को वर्ष 2004-05 में 3.3 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 4 प्रतिशत से अधिक किया गया है। वर्ष 2004-05 में शिक्षा पर 888 रुपए प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 2,985 रुपए किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर काफी अधिक सार्वजनिक व्यय किया गया है और ग्यारहवीं योजना के दौरान उनके व्यय में प्रतिवर्ष 19.6 प्रतिशत की संतुलित दर से वृद्धि हुई है। उसी अवधि के दौरान केंद्र का शिक्षा पर व्यय उससे भी

अधिक तेजी से प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत बढ़ा है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा पर हुआ कुल सार्वजनिक व्यय केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए 12,44,797 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 35 प्रतिशत योजना परिव्यय और 65 प्रतिशत गैर योजना परिव्यय द्वारा परिकलित किया गया था। शिक्षा पर हुआ सार्वजनिक व्यय लगभग 43 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिए, 25 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा के लिए और शेष 32 प्रतिशत उच्च शिक्षा के लिए था। केंद्र सरकार का लगभग आधा व्यय उच्च शिक्षा और शेष प्राथमिक शिक्षा (39 प्रतिशत) और माध्यमिक शिक्षा (12 प्रतिशत) पर हुआ था। राज्य क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत शिक्षा व्यय स्कूली शिक्षा के लिए है, जिसमें से 44 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा और 30 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा के लिए है।

21.3. इस अध्याय के निम्नलिखित खण्डों में स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए बनाई गई कार्यनीति और की गई पहलों का विवरण दिया गया है। कौशल विकास से संबंधित मुद्दों का विवरण, रोजगार संबंधी चर्चा सहित अध्याय 18 में दिया गया है जिनका शिक्षा से निकट का संबंध है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता

21.4. देश ने हाल के वर्षों में शिक्षा की वृद्धि में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कामगार आबादी (जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है) के स्कूल जाने का औसत वर्ष 2000 में 4.19 से बढ़कर वर्ष 2010 में 5.12 वर्ष हो गया है। प्राथमिक शिक्षा चरण में बच्चों के नामांकन अब लगभग संपूर्ण स्तर के करीब पहुंच गया है। माध्यमिक शिक्षा में नामांकन की वृद्धि 1990 के दौरान 4.3 प्रतिशत से बढ़कर दशक के अंत 2009-10 में 6.27 प्रतिशत हो गई है। युवा साक्षरता 1983 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 91 प्रतिशत हो गई है।

50 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

और वयस्क साक्षरता 2001 में 64.8 प्रतिशत से सुधर कर 2011 में 74 प्रतिशत हो गई है।

21.5. शिक्षा में साम्यता अंतराल को पाटने में भी अच्छी प्रगति हुई है। शिक्षा में वर्षों की संख्या के लिए जिनी गुणांक¹ के संदर्भ में किए गए उपाय से भारत की शैक्षिक असमानता 1983 में 0.71 से घटकर वर्ष 2010 में 0.49 हो गई है, जो असमानताओं में एक भारी कमी होने का संकेत है। प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक अंतर कम हुआ है क्योंकि महिला/पुरुष शिक्षा और साक्षरता का अनुपात वर्ष 2009-10 में 90 प्रतिशत से अधिक पहुंच रहा है। शिक्षा प्राप्त करने में सामाजिक-आर्थिक असमानता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सामाजिक समूहों के बीच अंतर कम करने में महत्वपूर्ण कमी आई है।

चुनौतियां

21.6. ग्यारहवीं योजना के दौरान कई उपलब्धियों के बावजूद भारत में शिक्षा अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। देश में स्कूल शिक्षा के औसत 5.12 वर्ष अर्थव्यवस्था के अन्य बढ़ते बाजार, जैसे चीन (8.17 वर्ष) और ब्राजील (7.54 वर्ष) से काफी कम हैं तथा सभी विकासशील देशों (7.09 वर्ष) के औसत से काफी कम है। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् स्कूल छोड़ने की दर में अत्यधिक वृद्धि विशेष चिंता का कारण है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर नामांकन में अत्यधिक कमी और प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक तक नामांकन में अंतर में वृद्धि से यह पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर हुई उपलब्धियों ने अभी भी शिक्षा क्षेत्र को समग्र रूप से प्रभावित नहीं किया है। वंचित समूहों के स्कूल छोड़ने की दर और अधिक खराब है क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

21.7. यद्यपि, प्राथमिक स्तर पर नामांकन का स्तर प्रायः अधिक है, विद्यार्थियों की उपस्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि राज्य में स्कूल वर्ष के दौरान किसी निश्चित दिन स्कूल जाने वाले नामांकित विद्यार्थियों के प्रतिशत में काफी अंतर है। विशेष चिंता की बात यह है कि शिक्षा में अत्यधिक पिछड़े राज्यों में से कुछ राज्यों (उ. प्र., बिहार, म. प्र. और झारखण्ड) की विद्यार्थी उपस्थिति दर (60 प्रतिशत से कम) सबसे कम है। बारहवीं योजना में पर्याप्त रूप से समुचित परिणाम प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निवेश पर जोर देकर, उस तक पहुंच और नामांकन बढ़ाकर और उसमें सुधार कर, कार्यनीति में स्पष्ट परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उपस्थिति बढ़ाने और पूरे वर्ष भर स्कूल में उपस्थिति का उच्च स्तर बनाए रखने हेतु सार्थक रूप से उपस्थिति की जांच

करने और प्रभावी कार्यनीतियों पर काम करने के लिए राज्यों को पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणालियां तैयार करने की आवश्यकता है।

21.8. यद्यपि लैंगिक और सामाजिक श्रेणियों के स्कूल से वंचित बच्चों के प्रतिशत में कमी आई है, तथापि मुस्लिम, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त, स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या चिंता का विषय बनी रहती है। वर्ष 2005 में स्कूल से वंचित विकलांग बच्चों का अनुपात 34.19 प्रतिशत था और वर्ष 2009 में भी यह 34.12 प्रतिशत अर्थात् अपरिवर्तित रहा। यह ध्यान देने योग्य है कि स्कूल से वंचित अधिकांश बच्चे मानसिक अशक्तता (48 प्रतिशत) और उससे कम वाक अशक्तता (37 प्रतिशत) वाले हैं। न तो स्कूल पद्धति और न ही कोई अन्य सांस्थानिक तंत्र इस पद्धति में सामाजिक और शैक्षिक रूप से सर्वाधिक वंचित मानसिक विकलांग बच्चों की चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं का निराकरण के लिए सुविधायुक्त है।

21.9. विगत कुछ वर्षों के दौरान प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि हुई है और यदि सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और राज्य बजट के अंतर्गत स्वीकृत सभी अध्यापक पद भर दिए जाते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 27:1 होगा। तथापि अध्यापकों की तैनाती में असंतुलन को ठीक करने की चुनौती है। अपेक्षित छात्र शिक्षक अनुपात के लिए शिक्षा का अधिकार मानकों का अनुपालन न करने वाले स्कूलों की संख्या काफी अधिक है। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) पर आधारित स्कूलवार विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि 46 प्रतिशत प्राथमिक और 34 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बहुत खराब है। जैसाकि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित व्यावसायिक योग्यताओं के बिना अध्यापकों की मौजूदगी एक अन्य गंभीर चुनौती है। देश में लगभग 8.1 लाख अप्रशिक्षित अध्यापक हैं जिनमें से 72 प्रतिशत चार राज्यों – बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल से हैं।

21.10. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल स्तर पर प्रभावशाली अवसंरचना विकास देखा गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 3 लाख नए स्कूल खुलने के अलावा मौजूदा स्कूलों में भी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। औसत छात्र कक्षाकक्ष अनुपात (एससीआर) जो वर्ष 2005-06 में 39 था, वर्ष 2009-10 में 32 हो गया है। अभी भी बड़ी संख्या ऐसे स्कूलों की है जिनमें ये न्यूनतम सुविधाएं नहीं हैं। मात्र 4.8 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में शिक्षा के

अधिकार में निर्धारित सभी नौ सुविधाएं हैं, कुल स्कूलों के लगभग एक तिहाई में सात तक सुविधाएं हैं, और लगभग 30 प्रतिशत स्कूलों में इन सुविधाओं में से पांच सुविधाएं भी नहीं हैं। शिक्षा का अधिकार शर्तों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध ढंग से सभी स्कूलों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है।

21.11. शैक्षिक और सह-शैक्षिक/गैर-ज्ञानात्मक दोनों में छात्र अधिगम का खराब स्तर प्राथमिक शिक्षा के सबसे बड़ी चिंता है। साक्ष्यों से पता चलता है कि भारतीय स्कूलों में बच्चों के अधिगम परिणाम, अन्य देशों की पत्राचार कक्षा के स्तरों से काफी नीचे हैं और स्कूल में रहने वाले बच्चों का अधिगम उत्थान लगभग नीरस है। स्पष्ट रूप से, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए छात्रों द्वारा स्कूल में बिताए गए अतिरिक्त समय से अधिगम स्तरों में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है।

21.12. कमजोर शिक्षण प्रक्रिया और अध्यापकों तथा छात्रों के बीच आदान प्रदान, जो न तो बाल अनुकूल हैं न ही जिनमें पाठ्यचर्या के लिए बाल केन्द्रित मार्ग अपनाया जाता है, मुख्य मुद्दा है। छात्रों के अधिगम परिणामों में महत्वपूर्ण ढंग से और तुलनात्मक सुधारों के साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए अध्यापकों की क्षमता, प्रेरणा और जबाबदेही का संवेदनशील तरीके से और तत्काल निराकरण किया जाना आवश्यक है। अधिगम की गुणवत्ता की समान चुनौतियां, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर भी विद्यमान हैं। विशेष रूप से, समाज से बहिष्कृत और आर्थिक रूप से उपेक्षित छात्र समूहों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा में स्कूल छोड़ देने की दरें लगातार ऊंची हैं।

21.13. शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन के उच्चतर स्तरों और भौतिक अवसंरचना में भारी वृद्धि के बावजूद औपचारिक शिक्षा का वर्द्धित महत्त्व अभी भी कम है। शिक्षा की घटिया गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कमजोर अधिगम परिणाम मुख्य चुनौती है, जिसका सामना आज भारतीय शिक्षा क्षेत्र कर रहा है। यह विशेष रूप से क्षुब्ध करने वाले हैं क्योंकि बड़े और सूक्ष्म स्तर के साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि इस वृद्धि प्रक्रिया में जो मामले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि तथा वैयक्तिक योग्यता के लिए हैं, वे सतत रूप से अधिगम परिणामों में और कौशल में सुधार कर के प्रतिनिधित्व के रूप में आने वाले प्रत्येक वर्ष में शिशु के कुल वर्षों की तथा शिक्षा की गुणवत्ता और मूल्यों में वृद्धि के लिए नहीं हैं। इनकी समावेशी वृद्धि के लिए अधिगम में सुधार करना कठिन है और इसलिए सभी बच्चों के लिए अधिगम परिणामों का मापन और उनमें सुधार करना बारहवीं

योजना का मुख्य केंद्र बिंदु होगा, इस स्पष्ट पहचान के साथ कि बढ़ाया गया निवेश (स्कूलों, कक्षाकक्षों, अध्यापकों आदि की संख्या) स्वयं सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु काफी नहीं होगा।

कार्यनीतियां

21.14. बारहवीं योजना में इन चुनौतियों को एकीकृत और समग्र रूप से निपटाना आवश्यक है। वंचित सामाजिक वर्गों और दुर्गम क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने के साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अनुसार स्कूल अवसंरचना में सुधार करने, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने, बोर्ड में स्कूल छोड़ने की दरें घटाने और अधिगम परिणाम सुधारने पर विशेष जोर देकर शिक्षा की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार करने तक पहुंच बनाने की अवशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्रवेश, साम्यता गुणवत्ता और नियंत्रण, शिक्षा नीति की चार मुख्य प्राथमिकताएं रही हैं। बारहवीं योजना इन चार क्षेत्रों को निरंतर प्राथमिकता देगा परंतु, सभी स्तरों पर अधिगम परिणामों में सुधार करने पर अधिक जोर देगा।

21.15. स्कूलों में ही कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा को और अधिक रोजगार परक बनाना देश के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए, माध्यमिक स्कूलों को तकनीकी कौशल रखने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों से लैस करने और तकनीकी तथा व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए उपयोग में आने वाले उपस्कर (जैसे कार्यशालाएं, मशीनें, कंप्यूटर उपकरण) हेतु और अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हाई स्कूल के 25-40 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक शिक्षा चुनते हैं, जो उन्हें बारहवीं पूरी करने पर रोजगार के लिए तैयार कर देती है। माध्यमिक स्कूलों में उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा को सामान्य शिक्षा प्रणाली द्वारा मान्यता दी जाती है और बाद में बड़े अनुपात में ये छात्र कॉलेज की डिग्री पूरी करने के लिए विश्वविद्यालयों की ओर लौटते हैं।

प्रवेश

21.16. प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लिए प्रवेश की नहीं अपितु बढ़ती उपस्थिति, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी होना और माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि एक चुनौती है। एक बहु आयामी कार्यनीति के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटा जाएगा, जिनमें शामिल होगी: (1) सर्वाधिक संवेदनशील श्रेणियों के बच्चों की समस्याओं का वास्तविक मूल्यांकन (2) अपेक्षित छात्र शिक्षक अनुपात,

52 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

कक्षाकक्ष और अन्य अवसंरचना मानक (चूंकि वे बच्चों के स्मरण को प्रभावित करते हैं) पूरा करने के लिए स्कूलों को सहायता देने के उपाय (3) स्कूल के कार्यों की बेहतर जांच और निगरानी के लिए प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना। (4) शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने पर विशेष ध्यान देना (5) स्कूलों को समावेश अधिगम स्थलों के रूप में विकसित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार करना, माध्यमिक स्कूलों में नामांकन स्तर सुधारने के लिए अति आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा के नामांकन में वृद्धि का एक बड़ा भाग उन छात्रों का है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए बेहतर तैयारी की है और इस लिए वे स्कूल छोड़ने की बजाय अपनी शिक्षा को निरंतर बनाए रखने के लिए सक्षम हैं। इसके लिए प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षण मॉडलों को प्रभावी ढंग से बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

साम्यता

21.17. सामाजिक पहुंच और साम्यता के मुद्दे पर चर्चा करते समय इसे अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिमों और बालिकाओं की विस्तृत श्रेणियों में सीमित करने की मानसिकता रहती है। परंतु ये सदृश समूह नहीं हैं। सामाजिक वास्तविकताएं और अधिक जटिल हैं और इन समूहों के भीतर भी समूह हैं, जो विभिन्न कारणों से कूल मिलाकर श्रेणी से और अधिक हानिकारक हैं। पूर्ण रूप से सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बारहवीं योजना में ऐसी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं से उत्पन्न होने वाली अभिवृद्धि को रोकने के लिए अवशेषों को हटाने की आवश्यकता होगी। सामाजिक संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों और बढ़ते शहरीकरण के संदर्भ में शैक्षिक अभिगम्यता सुनिश्चित करने पर विशेष फोकस होगा। यद्यपि वंचित समूहों और सामान्य जन समुदाय के बीच औसत नामांकन में अंतर बढ़ गया है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से वंचित और अत्यंत कम अधिगम साधनों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के अधिगम स्तरों में काफी अधिक अंतर है। स्कूली तंत्र में प्रवेश करते समय ही ये अंतर विद्यमान रहते हैं और समय बीतने पर निरंतर बढ़ते रहते हैं। विशाल और बढ़ते हुए अधिगम अंतराल नामांकन संबंधी प्राप्त उपलब्धि के औचित्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं क्योंकि अपेक्षाकृत कम अधिक स्तर वाले बच्चों के स्कूल छोड़ देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः बारहवीं योजना के समदृष्टि लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही अधिगम स्तरों का अंतर पाट दिया जाना आवश्यक है।

21.18. असमानता और अपवर्जन के जटिल और चिरकालिक स्वरूप के मद्दे नजर अब तक अपनाई गई कार्यनीतियों में कुछ पृथक,

विखण्डित और संस्थानिक सहायता रहित प्रवृत्ति अपनाई जानी है। परिणामस्वरूप अपवर्जन के अनेकों रूप और प्रवेश, सहभागिता, अवरोधन और प्राथमिक शिक्षा की सफलता और पूर्णता की दृष्टि से इसे व्यक्त करने के विभिन्न तरीकों का समुचित निराकरण नहीं किया गया है। इससे प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने में अपवर्जन एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाती है। अतः बारहवीं योजना प्रोत्साहन और प्रावधान आधारित प्रणाली से हटकर अधिकारों और पात्रता प्रणाली के रूप में प्राथमिक शिक्षा के समग्र क्षेत्र की अनिवार्यता के लिए निष्पक्षता के मुद्दे का निराकरण करेगी।

गुणवत्ता

21.19. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उपयुक्त स्थान, पाठ्य सामग्री, कक्षाकक्ष की प्रक्रियाओं, अध्यापकों को शैक्षिक सहयोग, मूल्यांकन प्रक्रियाओं और सामुदायिक सहायता की गुणवत्ता के साथ सशक्त ढंग से जुड़ा हुआ है। बारहवीं योजना अवधि के दौरान इन सभी क्षेत्रों को नियमित सहायता मिलती रहेगी। यद्यपि स्कूलों के समुचित ढंग से संचालन के लिए पर्याप्त निवेश और संरचना अनिवार्य है तथापि निवेश प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं या संतोषजनक अधिगम परिणामों में स्वतः परिवर्तित नहीं हो जाएगा। अतः बारहवीं योजना ठीक शुरुआती बिंदु से स्कूल के लिए होने वाले निवेश में सुधार शुरू करेगी और स्कूल नेतृत्व/प्रबंधन में सुधार के लिए शैक्षिक सहयोग पद्धति को सशक्त बनाने, बेहतर सामुदायिक और माता पिता की सहभागिता, सतत ढंग से अधिगम परिणामों के मापन करने और उसमें सुधार करने हेतु शिक्षक क्षमता पर सशक्त ढंग से ध्यान देने के लिए और अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगी। बाल अनुकूल स्कूलों तथा अधिगम और अध्यापन प्रक्रिया एवं उन्नत जल, स्वच्छता, सफाई और मध्य दिवस भोजन प्रथाओं की प्रणालियों के लिए प्रावधान पर फोकस होगा। न केवल छात्र अधिगम स्तरों पर और समयोपरि प्रक्षेपवक्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वावलंबी उपाय किए जाएंगे अपितु बड़े पैमाने पर शैक्षिक परिवर्तनों के लिए भी संसाधन जुटाए जाएंगे जिससे कक्षाकक्ष कार्य संपादन में सुधार होगा और बेहतर अधिगम परिणाम प्राप्त होंगे।

शासन

21.20. अनेक अध्ययनों से अध्यापकों की कमी, स्कूलों को धन देने में विलंब और स्कूल स्तर पर प्रशासनिक क्षमताओं में कमी के कारण शिक्षा पर नियंत्रण करने की चुनौतियों की सूचना प्राप्त हुई है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि शिक्षक अनुपालन के उन्नत मापन और प्रबंधन से छात्र अधिगम परिणामों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन अधिगम परिणामों के लिए उत्तरदायी

अध्यापकों, स्कूलों और स्कूल पद्धतियों को नियंत्रित करने के उपायों सहित छात्र अधिगम के विशिष्ट और लक्षित उपायों से परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रणाली उन्मुख करने से नियंत्रण सुधारने में बड़ी सहायता मिलेगी। बारहवीं योजना में जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर शैक्षिक नेतृत्व और प्रबंधन में सुधार करने के लिए निवेश करने और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम परिणाम सुधारने के लक्ष्य के साथ आंकड़ों का बेहतर उपयोग करने और नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

21.21. यद्यपि देश बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तथापि अधिगम परिणामों पर विशेष ध्यान देना बारहवीं योजना का एकीकरण विषय है। गुणवत्ता की समस्या का निराकरण स्वतः कई अन्य समस्याओं का निवारण कर देगा। कहने का आशय यह नहीं है कि निवेश और संसाधन नगण्य हैं, अपितु अधिगम परिणामों पर विशेष ध्यान देने से यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी कि उपलब्ध कराए गए इन निवेशों और संसाधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाए कि उनका अधिकतम प्रभाव पड़े। विश्व भर में हुए अनुसंधान में आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि मानव विकास में सुधार के संदर्भ में उच्च गुणवत्ता युक्त आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा सर्वाधिक दीर्घावधि लाभ देगी। इसलिए बारहवीं योजना में विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने तथा स्कूल के लिए तैयार करने में सुधार करने की उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, बारहवीं योजना के प्रस्ताव में स्कूल शिक्षा के लिए परिणामों को परिभाषित किया जाएगा तथा

इस ढंग से संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे कि इन परिणामों को प्राप्त करने में अधिकतम प्रगति हो।

21.22. बारहवीं योजना की कार्यनीतियों में इन चुनौतियों का उत्तर देना होगा और योजनाओं में दिए गए लक्ष्य के परिणाम प्राप्त करने की ओर बढ़ना है (बॉक्स 2.1 देखें)। बारहवीं योजना के लिए संचालन सिद्धांतों और कार्यनीति के छः मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

1. जीवन भर सीखने और शिक्षा प्राप्त करने के परिपेक्ष्य के माध्यम से शिक्षा की अवस्थाओं को एकीकृत रूप से देखने की आवश्यकता है;
2. अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के सुदृढीकरण हेतु इन प्रक्रियाओं से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए समकालिक सावधानी सहित व्यापक रूप से आयोजित, बड़े पैमाने पर प्रयास करना आवश्यक है;
3. सभी स्तरों पर अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा, क्षमता और जबाबदेही पर ध्यान दिया जाना चाहिए;
4. शैक्षिक संस्थानों पर नियंत्रण को स्वायत्तता, जबाबदेही और कार्य निष्पादन के सिद्धांतों पर आधारित गुणवत्ता पर सांस्थानिक रूप से केंद्रित करना आवश्यक है इसमें मुख्य रूप से भर्ती मानक संशोधित करने और इन संस्थाओं में शिक्षक भर्ती की पात्रता और ये आधारभूत प्रक्रियाएं शामिल की जा सकती हैं।
5. शिक्षा क्षेत्र में सीखने वालों के समूहों; क्षेत्रीय/सामाजिक संदर्भों और सांस्थानिक तथा मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं/रूपों की विविधता के प्रतिक्रिया स्वरूप पाठ्यक्रम,

बॉक्स 21.1

बारहवीं योजना के लिए लक्ष्य

1. सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अभिप्राय और भावना को ध्यान में रखते हुए 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना;
2. प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति में सुधार करना और स्कूल छोड़ने की दर को 10 प्रतिशत से नीचे लाना तथा सभी सामाजिक-आर्थिक और अल्पसंख्यक वर्गों और सभी राज्यों में प्राथमिक स्तर पर स्कूल से वंचित बच्चों (ओओएस) का प्रतिशत घटाकर 2 प्रतिशत के नीचे लाना;
3. शिक्षा के उच्च स्तरों पर नामांकन बढ़ाना और कुल नामांकन अनुपात (जीईआर) माध्यमिक स्तर पर 90 प्रतिशत से अधिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 65 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना;
4. समग्र साक्षरता दर में 80 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करना और साक्षरता में लिंग अंतर में कमी कर 10 प्रतिशत से कम करना;
5. प्राथमिक विद्यालयों में सभी छात्रों, विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को कम से कम एक वर्ष की अच्छे सहभाग युक्त/अच्छे संसाधन युक्त प्री स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना; और
6. स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर मापित, निगरानी और स्वतंत्र रूप से सूचित अधिगम परिणामों में सुधार करना तथा यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना कि कक्षा 2 तक के सभी बच्चे पाठन और संख्यात्मक कौशल में दक्षता प्राप्त कर लें एवं कक्षा 5 तक विवेचनात्मक चिंतन, व्यक्त करने और समस्या हल करने का कौशल प्राप्त कर लें।

54 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

अध्यापन और सामुदायिक वचनबद्धताओं के मामलों में सामान्य राष्ट्रीय कानूनी और नीतिगत ढांचे के भीतर नवप्रवर्तन और पद्धतियों की विविधता को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान में लाए गए समुदाय और अभिभावकों सहित स्कूल शिक्षा में पणधारियों की निगरानी और जवाबदेही तंत्रों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

21.23. निम्नलिखित उप खण्डों में प्राथमिक शिक्षा और उसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार की गई कार्यनीति और पहलों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद प्रौद्योगिकी के उपयोग, शिक्षक शिक्षा, अधिशासन और स्कूल नेतृत्व जैसे स्कूल शिक्षा के बीच से निकलने वाले मुद्दों से संबंधित खण्ड है और इसके पश्चात् प्रौढ शिक्षा से संबंधित खण्ड है।

प्रारंभिक शिक्षा

21.24. प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (6 से 8) वाली प्रारंभिक शिक्षा को शिक्षा पिरामिड की नींव माना जाता है। यदि इसे नींव को सुदृढ़ न बनाया जाए तो सब के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। हाल के वर्षों में व्यापक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और विधिक नींव की स्थापना एक मुख्य सफलता रही है। बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है।

ग्यारहवीं योजना की समीक्षा

21.25. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पिछले 1 अप्रैल 2010 से संचालित है, सर्व शिक्षा अभियान की जारी कार्यनीतियों और संकल्पना का आरटीई अधिदेश में सामंजस्य किया और तदनुसार इस कार्यक्रम के मानक संशोधित किए गए थे। वित्तीय परिव्यय बढ़ाए गए थे और वार्षिक कार्य योजनाओं में परिवर्तनों को अनुमोदन दिया गया था ताकि सरकारी स्कूल आरटीई अधिनियम के अनुरूप बनाए जा सकें।

नामांकन

21.26. 6-14 वर्ष आयुवर्ग की अनुमानित 192 मिलियन बाल जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2009-10 में प्रारंभिक स्तर पर 195 मिलियन बच्चों का नामांकन किया गया था। कुल नामांकन अनुपात (जीईआर²) वर्ष 2006-07 में 111.2 से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 115 प्रतिशत हो गया है और इस अवधि के दौरान सकल नामांकन अनुपात (एनईआर)³ में 92.7 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण

सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जीईआर की रेंज 130 प्रतिशत से 140 प्रतिशत के बीच है, और कुछ राज्यों में पात्र आयुवर्ग के बच्चों की लगभग दोगुनी है। प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत से अधिक जीईआर से स्कूलों में अधिक आयु और कम आयु के बच्चों की उपस्थिति का संकेत देती है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा तक पहुंच के विलंबित प्रावधान और प्री-स्कूलिंग सुविधाओं की कमी को भी उजागर करती है।

21.27. वर्ष 2006-07 और 2009-10 के बीच 7.21 मिलियन बच्चों के बढ़े हुए नामांकन में लड़कियों की बहुलता (5.3 मिलियन) है। इनमें से आधे से अधिक (53 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और जनजाति की हैं। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान तीन प्रयासों से लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने में सहायता मिली है। इनमें शामिल हैं - (1) 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 3,600 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, (2) शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (ईबीबी) में 7,000 अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स की स्थापना और और (3) दस राज्यों में महिला समाख्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन से लड़कियों के नामांकन में वृद्धि की इस प्रवृत्ति को सहायता मिली है।

21.28. उच्च प्राथमिक स्तर पर जीईआर कम है, भले ही 2006-07 और 2009-10 के बीच चार वर्षों में 11.8 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 62 प्रतिशत एनईआर भी चिंता का विषय है। यह उत्तर प्रदेश में 47 प्रतिशत, बिहार में 53.1 प्रतिशत, तमिलनाडु में 91 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश⁴ में 83 प्रतिशत है। यह स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं परंतु इनमें से सभी इस प्रणाली के माध्यम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और राज्यों में यह प्रगति असमान रही है।

21.29. अधिकांश बच्चे अभी भी स्कूल से वंचित हैं। वर्ष 2009 में देश के 8.1 मिलियन स्कूल से वंचित बच्चों (ओएससी) में से 72 प्रतिशत⁵ के लिए उत्तर प्रदेश (34 प्रतिशत), बिहार (17 प्रतिशत), राजस्थान (12 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (9 प्रतिशत) जिम्मेदार हैं। यद्यपि सर्वेक्षणों से अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम⁶ जैसे विभिन्न समुदायों को बाल जनसंख्या के स्कूल से वंचित बच्चों (ओएससी) के अनुपात में कमी होने की सूचना दी है। संबंधित अवधि में सूचित की गई स्कूल से वंचित बच्चों (ओएसआर) की कुल संख्या में हुई अत्यधिक कमी के मद्देनजर इन आकलनों को सावधानी से समझने की आवश्यकता है। हाल ही में भारत के ग्रामीण अंचलों में किए गए अध्ययन में स्कूल से वंचित बच्चों का अनुपात 3.5 प्रतिशत⁷ है।

तथापि, राजस्थान व उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्रमशः 8.9 प्रतिशत व 9.7 प्रतिशत है।⁸

21.30. ग्यारहवीं योजना में प्रारंभिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर को 50 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया था। यद्यपि कुछ हद तक कमी हुई है, प्रगति संतोषजनक नहीं हुई और राष्ट्रीय औसत अभी भी 42.39 प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों में स्कूल न जाने की दर क्रमशः 57.25 प्रतिशत व 57.58 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति से बाहर के बच्चों का 37.22 प्रतिशत से बहुत अधिक है। यह स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण समुदायों के बच्चों में स्कूल अवधारणा को दर्शाता है।

21.31. निचले प्राथमिक स्तर पर व्यापक – नामांकन प्राप्त कर लेने के बाद पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेने वाले छात्रों के खराब अधिगम परिणामों पर ध्यान देना उचित नहीं है। एएसईआर (2005 से 2011) सहित स्वतंत्र रूप से संचालित सैकड़ों अध्ययनों और स्कूल अधिगम अध्ययन (2010) ने भारतीय स्कूलों में अधिगम के बहुत निम्न स्तर का प्रतिवेदन किया है। एएसईआर 2011 की उपलब्धियों से यह स्पष्ट है कि कक्षा 5 के आधे से अधिक बच्चे यहां तक कि कक्षा 2 स्तर तक पढ़ने में असमर्थ हैं। हाल ही ओईसीडी – पीआईएसए अध्ययन में भारत को अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक दर (पीआईएसए – 2009+) में अंतिम स्थान पर रखा गया। ये परिणाम इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि बारहवीं योजना में शिक्षा की गुणवत्ता मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। अधिगम परिणामों में सुधार के साथ वंचित बच्चों के लिए सहायक शिक्षा पर जोर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने के उद्देश्यों में सीधा योगदान होगा क्योंकि साक्ष्यों से पता चलता है कि जो बच्चे अधिगम स्तरों में उचित श्रेणी से पिछड़ जाते हैं उनके द्वारा स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन की संरचना यह दर्शाती है कि लगभग 80 प्रतिशत बच्चे सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नामित हुए हैं; इसलिए सरकारी संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस किया जाए।

21.32. प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अच्छे से तैयार करने में कुछ प्रगति हुई है। पूर्व प्राथमिक नामांकन 2005 में 21 प्रतिशत से 2010⁹ में 47 प्रतिशत तक दोगुने से भी ज्यादा हुआ है। हाल का एएसईआर डेटा (2010) दर्शाता है कि निजी पूर्व प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित करते हुए कुछ प्राथमिक कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्र के 6 वर्ष के 83.6 प्रतिशत बच्चों जो अधिकांशतः आईसीडीएस केंद्रों पर नामित हैं,

ने विशिष्ट प्रगति की है। आंगनवाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष समीक्षा की आवश्यकता है।

21.33. ग्यारहवीं योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान आरंभिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम था किंतु केंद्र सरकार की कुछ अन्य बड़ी योजनाएं व कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए गए: प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम (आमतौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है), शिक्षक शिक्षा योजना; महिला समख्या; मदरसा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईक्यूईएम); अल्पसंख्यक संस्थाओं (आईडीएमआई) में अवसंरचनात्मक विकास।

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)

21.34. सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) का कार्यान्वयन भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) के लिए मुख्य कार्यक्रम के रूप में किया गया। इसके व्यापक उद्देश्यों में; व्यापक स्वीकृति व अवरोध; नामांकन स्तरों पर लिंग व सामाजिक अंतरालों को पाटना और सभी बच्चों के अधिगम स्तरों में उन्नति हैं। एसएसए ने प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) के तत्त्वों व महिला शिक्षा पर केंद्रित आवासीय स्कूल योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) को शामिल किया है। ग्यारहवीं योजना में सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹71,000 करोड़ था। इसकी तुलना में राज्यों को जारी की गई राशि ₹77,586 करोड़ थी। वर्ष 2011-12 तक एसएसए के तहत हुई प्रगति की संचयी विवरण तालिका 21.1 में दिया गया है।

तालिका 21.1

2011-12 तक एसएसए के तहत हुई प्रगति की संचयी विवरण

क्र. सं.	मद	मंजूरी
1	नए स्कूलों को खोलने के लिए	2,09,914
2	उच्च प्राथमिक स्कूलों को खोलने के लिए	1,73,969
3	प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिए	1,92,392
4	उच्च प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिए	1,05,562
5	अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु	16,03,789
6	शौचालय	5,83,529
7	पीने के पानी की सुविधाएं	2,23,086
8	अध्यापक	19,65,207

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय

56 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

21.35. यद्यपि ग्यारहवीं योजना के दौरान क्षमता बढ़ाने व नामांकन में आशातीत सफलता प्राप्त हुई, गुणवत्ता मानकों को उच्च बनाने की चुनौती अभी भी बाकी है। यद्यपि प्रारंभिक स्कूलों की संख्या में 13.04 लाख की वृद्धि हुई है, अनेकों स्कूलों में आरटीई के तहत मूलभूत अवसंरचनाओं की कमी है। उदाहरण के लिए, स्कूलों के लड़कियों के लिए अवरोध, 63 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण स्कूलों में उनके लिए उपयोग योग्य शौचालय सुविधाएं (एएसईआर 2010) उपलब्ध नहीं हैं।¹⁰ यदि एमजीएनआरईजीएस के अभिसरण का विचार करें, समग्र सफाई अभियान (टीएसपी) व पेयजल आपूर्ति (डीडब्ल्यूएस) को मूर्त रूप देकर इस प्रकार की कुछ अवसंरचनात्मक कमियों को दूर किया जा सकता था। जिसे अवसंरचनात्मक अंतर को पाट कर प्राप्त किया जा सकता है, यह अधिगम अंतर को पाटने से अधिक चुनौती पूर्ण होगा।

बारहवीं योजना की कार्यनीति

21.36. बारहवीं योजना का मुख्य उद्देश्य आरंभिक स्कूली वर्षों में स्कूली बच्चों का नामांकन करना, स्कूल छोड़ने की दरों में कमी लाना तथा अधिगम परिणामों को बेहतर बनाना है। बच्चों का स्कूल में नामांकन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाने, एक उपयुक्त सांख्यिकी आधार विकसित करने, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की परिभाषा को सुमेलित करने और अंत में सभी बच्चों को उनकी आयु के लिए उपयुक्त कक्षा को अभिज्ञात करने तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी गुणवत्ता के साथ नजदीकी संबंध रखती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में अधिगम की सभी गतिविधियों पर फोकस करने के लिए विस्तृत प्रयासों की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर पर यह आवश्यक है, बड़ी और छोटी, योजना में संसाधन निर्धारण व कार्यान्वयन या प्रविधि मापन और इसे प्राप्त करने के लिए तैयार व्यवहार; बच्चों के अधिगम परिणामों में पूरक व निरंतर सुधार। संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया इस विचार पर दृढ़ता से स्थिर होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए और अच्छी तरह से पढ़े।

21.37. बारहवीं योजना का सबसे ज्यादा फोकस आरटीई अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करना और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को आवश्यक रूप से गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के सभी उद्देश्यों को व्यवस्थित करना होगा। उन राज्यों, जिनमें 7 वर्ष प्राथमिक शिक्षा चक्र (प्रारंभिक शिक्षा के 4 वर्ष व 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए) हैं, ने 8 वर्षीय चक्रण की व्यवस्था शुरू कर दी है। बारहवीं योजना के दौरान इसका कार्यान्वयन संपूर्ण देश में होगा। अधिनियम के तहत सभी राज्यों को राज्य विशेष नियमों के अधीन अधिसूचित कर दिया

गया है। आरटीई के अनुपालन में, आरटीई अधिनियम के अनुच्छेद 23 के अधीन अध्यापक अर्हता अधिसूचना और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) भी जारी कर दी गई है।

21.38. अधिगम उद्देश्यों का प्रयास इस प्रक्रिया का पहला चुनौतीपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय अधिगम मानक विकसित किए जाएं, जिनके आधार पर राज्यों को आसान तरीके से प्रत्येक कक्षा या कक्षाओं के समूह के बाद अर्थपूर्ण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। छात्र अधिगम को प्राप्त करने के योग्य उपायों को राज्य व राष्ट्र स्तर पर संसाधनों को सशक्त विकास में लगाना होगा। उच्चारण और अभिव्यक्ति, टीम वर्ग, विवेचनात्मक विचारों व समस्या समाधान कौशल, आधारभूत साक्षरता अंक ज्ञान के साथ साथ सीखा जाए। साक्षरता व अंकज्ञान का आशय पारंपरिक नहीं होना चाहिए लेकिन ध्यान रखें अध्ययन और गणित साक्षरता पीआईएसए/ओसीईडी देशों द्वारा भारतीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अध्यापक व प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः उन्मुख बनाया जाए कि वे विवेचनात्मक विचारों, समस्या समाधान व अभिव्यक्ति को आत्मसात करें। देश में पाठ्यक्रम पुनः प्रवर्तन और अधिगम परिणामों के आधार पर केंद्रित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, व इसके 25 सहयोगी समूहों की रिपोर्ट के आधार पर देश के सभी राज्यों के कक्षा कार्य संपादन व मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम सामग्री में बदलने की आवश्यकता है। एनसीएफ 2005 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा निर्मित संशोधित पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग मुख्यतः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा संबद्ध स्कूलों में होता है। सभी राज्यों द्वारा इसके अनुसरण की आवश्यकता है ताकि देश के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया जा सके।

21.39. एक बार प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के सभी अधिगम उद्देश्यों जैसे शिक्षण अधिगम की पद्धतियों, सामग्री का उपयोग, प्रभावी शिक्षा हेतु समूह बनाना, समय का सदुपयोग, प्रतिदिन अनुदेशन मापन, शिक्षण के दिनों की संख्या, प्रगति का मापन, क्षमता निर्माण, व अध्यापकों दी जा रही सहायता व प्रशासन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से एकजुट होने की आवश्यकता है। विभिन्न स्तरों पर प्रणाली स्तर के प्रशासकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक स्तर पर प्रणाली की गतिविधियां उक्त उद्देश्यों के लिए ठीक हैं। प्रगति का पता लगाने के लिए आवधिक समीक्षा (कम से कम वर्ष में एक बार) तथा निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सुधार व पुनःकार्य कार्यनीतियों की आवश्यकता है।

21.40. प्रारंभिक शिक्षा में दो मुख्य कार्यों पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। प्रथम, विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को कक्षा 2 से 3 पास करने तक बेसिक सीखने के लिए तैयार कर लिया जाना चाहिए। दूसरे, उच्चतर ग्रेड (कक्षा 3, 4 और 5 तथा उच्च प्राथमिक में भी) पाने के अनुपात में पिछड़ जाने वाले बच्चों को प्रतिस्पर्द्धाओं का अपेक्षित स्तर प्राप्त कराना चाहिए। इसके पुख्ता सबूत हैं कि वे बच्चे जिनके घर बोली जाने वाली भाषा, पाठ्यपुस्तक की भाषा से अलग है, उन्हें घर पर अभिभावकों का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता तथा उन्हें कक्षा 3 से पहले ही उनके इस पद्धति से विमुख हो जाने की समस्या का 'सामना' करना पड़ता है। कमतर से उच्चतर कक्षाओं के बच्चों के मार्ग में ऐसे भाषायी रूप से निर्धारित अवरोधों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूल की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित प्रेरणा और 'सामना' करने की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए घर की भाषा से स्कूल की भाषा के बीच का अंतर पाटने के लिए प्रवेशिका तैयार करने की आवश्यकता है। प्री-स्कूल से कक्षा

1 और 2 जिसके लिए बहुत प्रभावी तंत्र हैं जिनसे स्कूल के पाठ को समझने में बच्चे को प्रेरणा तथा 'निपटने' की क्षमता मिलती है। इसके अतिरिक्त कक्षा 3 – 5 और 6 – 8 के जिन छात्रों को उच्च प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा जिसमें उन्हें प्रवेश लेना है, उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने का भी आधारभूत कौशल प्राप्त नहीं है, उन्हें तत्काल सशक्त बुनियादी अधिगम सहायता देने की आवश्यकता है। यदि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अधिदेशित व्यापक और सतत मूल्यांकन (सीसीई) कार्यप्रणाली एक बार सही ढंग से कार्यान्वित हो जाए तो इस मुद्दे के निराकरण में काफी सहायता मिलेगी।

21.41. सभी बच्चों का अधिगम लक्ष्यों में प्रगति करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण अधिगम और उसके फलस्वरूप अध्यापकों को तैयार करने एवं सहयोग के लिए नवीन और नव प्रवर्तन कार्यनीतियों का परीक्षण किया जाना है। बारहवीं योजना में प्रारंभिक शिक्षा के लिए समग्र कार्यनीति का सारांश बॉक्स 21.2 में है।

बॉक्स 21.2

प्रारंभिक शिक्षा के लिए बारहवीं योजना की कार्यनीति

1. प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना आधारित प्रणाली से समेकित शिक्षा का अधिकार आधारित प्रणाली में बदलना।
2. स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति और प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का पूरा चक्र पूर्ण करने से पहले स्कूल छोड़ने की समस्या से निपटने की विशेष कार्यनीति तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय अपनाकर प्रारंभिक शिक्षा में अवशिष्ट प्रवेश और साम्या अंतरालों को निवारण करना।
3. प्राथमिक विद्यालय के दौरान अधिगम के लिए सशक्त नींव तैयार करने हेतु प्राथमिक शिक्षा सहित प्री-स्कूल शिक्षा पूरी करना।
4. अधिगम परिणामों पर प्रणाली वार विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता देना जिसका मूल्यांकन कक्षा कक्ष आधारित सीसीई के माध्यम से स्वतंत्र रूप से मापित निगरानी किया जाता है और इसकी सूचना खण्ड/जिला/राज्य स्तरों पर दी जाती है।
5. सभी बच्चे कक्षा 2 उत्तीर्ण करने तक निर्धारित आयु/कक्षा विशिष्ट अधिगम स्तर प्राप्त कर लें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक ग्रेड अनुपूरक निर्देश पर विशेष ध्यान देना।
6. प्रत्येक कक्षा या कक्षाओं के पूर्ण होने तक प्राप्त कर लेने वाले सुनिश्चित अधिगम लक्ष्यों को सुस्पष्ट करना।
7. भारतीय कक्षा कक्षों की निश्चित विशेषताओं जैसे बहु पीढ़ी, बहु ग्रेड और बहु स्तरीय संदर्भों के लिए प्रभावशाली अध्यापन पर जोर देते हुए शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करना। इसके अलावा टॉप डाउन निर्णय जिसमें केंद्र से प्रचालित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और भेजा जाता है, इसके विपरीत अध्यापकों के व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता है।
8. विद्यालयों के ऊपर से नीचे तक के प्रशासनिक निरीक्षण और नीचे से ऊपर तक समुदाय प्रेरित निगरानी में निवेश करना;
9. सभी विद्यालयों और संबंधित संस्थाओं में सुशासन पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान देना, जिससे अध्यापकों और सभी स्तरों के प्रशासकों की निष्पादन आधारित आंतरिक और बाह्य जबाबदेही सुनिश्चित होगी और विद्यालयों का समग्र मूल्यांकन प्रेरित विकास सुनिश्चित होगा।
10. विद्यालयों और शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग देने की जारी और सतत क्षेत्र आधारित पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण और बेहतर प्रबंधन तथा नेतृत्व के लिए जिला एवं खण्ड स्तरीय क्षमता के सुदृढ़ीकरण में निवेश करना;
11. अधिगम लक्ष्य तय करने और परिणामों की स्वतंत्र निगरानी करने के लिए राज्यों को सहायता देना, परंतु इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता देना और शैक्षणिक परिणामों में सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित करने वाले राज्यों को परिणाम आधारित अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;
12. नव प्रवर्तक पद्धतियों का मूल्यांकन करने के लिए सहयोगात्मक वातावरण और राज्यों तथा जिलों में सर्वोत्तम पद्धतियों में हिस्सेदारी उपलब्ध कराना;
13. नियमित उपस्थिति और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय और अभिभावकों की प्रेरणा, क्षमता विकास तथा जबाबदेही के लिए राज्यों को सहायता देना; और
14. पंचायतों, सीबीओ और विद्यालय स्तर पर अन्य क्षेत्रों के साथ समाभिरूपता सुनिश्चित करना।

बारहवीं योजना की पहलें

21.42. प्रत्येक बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारों की उपलब्धि हेतु बारहवीं योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए सर्वशिक्षा अभियान अग्रणी कार्यक्रम बना रहेगा। बारहवीं योजना के दौरान सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत चार कार्यनीतिक क्षेत्र होंगे, जो इस प्रकार हैं: 1) सीखने के परिणामों पर दृढ़ फोकस; 2) अवशिष्ट की अधिकता व औचित्य की कमी; 3) शिक्षक और शिक्षा में नेतृत्व पर फोकस; 4) अन्य क्षेत्रों और कार्यक्रमों से संबंध; ये इन अनुभागों में वर्णित हैं।

1. सीखने के परिणाम पर दृढ़ फोकस

21.43. शिक्षा की गुणवत्ता वंशानुक्रम में इन छः दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है, नामतः (1) पाठ्यक्रम व सीखने के उद्देश्य (2) सीखने की सामग्री (3) प्रक्रियाएं व (4) कक्षा में ढांचागत कार्यों का मूल्यांकन (5) कक्षा में शिक्षक सहयोग और (6) स्कूल निर्देशन व प्रबंधन विकास। समाज में प्रगतिशील मुद्दों को संज्ञान में लाने के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रम में एक नई रूपरेखा में उन्हें कैसे संबोधित करना है, की आवश्यकता है। राज्य व जिला स्तर पर विविध प्रकार के सीखने के पैकेज विकसित किए जाने चाहिए, जिसमें समूह व स्कूल स्तर पर आवश्यक प्रावधानों के अंतर्गत बदलाव कर अध्यापक और छात्रों को विकल्प उपलब्ध करा कर सहायता प्रदान की जाए। शिक्षा केवल शैक्षिक उपलब्धियों के अलावा बच्चों के संपूर्ण विकास (शारीरिक, सामाजिक भावुकता और ज्ञानात्मकता) के साथ संबंधित सभी पक्षों के मूल्यांकन की आवश्यकता है। बारहवीं योजना के दौरान, अधिगम परिणामों व स्कूल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सुधार कर बच्चे के संपूर्ण विकास पर योजनानुसार फोकस रहेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अधिगम सुधार कार्यक्रम एलईपी बारहवीं योजना में जारी रहेगा, इस कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य व जिले के प्राधिकारी विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे। प्रतिवर्ष, राज्यों को अभिज्ञात उद्देश्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जो लक्ष्य निर्धारण कार्यनीतियों (तरीके, सामग्री, प्रतिरूपण और मापन) लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जिनका प्रयोग किया जाना है। प्राथमिक स्कूलों में बारहवीं योजना के अंतर्गत संस्थागत मूल्यांकन प्रमाण आरंभ किया जाएगा और संभवतया 13वीं योजना से आवश्यक कर दिया जाएगा।

(क) स्कूल के प्रारंभिक वर्षों में मुख्य ध्यान देना

21.44. छात्रों के अधिगम पर पीटीआर के प्रभाव पर अनुसंधान यह सलाह देता है कि कम उम्र में अल्प पीटीआर का बहुत महत्त्व है, जब बच्चे अधिगम प्रक्रिया द्वारा सामाजिक बन रह होते हैं और

इनका प्रभाव बड़ी कक्षाओं में कम होता है। इस तरह इससे आरटीई के अंतर्गत आवश्यक सहायता का अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न समुदाय आधारित स्कूलों में समुदाय के पूर्व प्राथमिक बच्चों की तैयारी व आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संविदा शिक्षकों पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त, बारहवीं योजना के दौरान कक्षा 1 पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आदर्श रूप में स्कूल के सबसे प्रतिभावान व अनुभवी अध्यापक को इस कक्षा के लिए चुना जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए व विशिष्ट व्यावसायिक विकास रूपरेखा और उनके लिए शैक्षिक सहायता कार्यक्रमों, विशेष अध्यापकों की पहचान व उनके लिए जरूरी प्रक्रिया विकसित करनी होगी। यदि कक्षा एक में बुनियाद मजबूत और ठोस होगी तो बाद की दोनों प्रकार की शैक्षिक व गैर शैक्षिक बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कक्षा 1 के साथ काम करने वाले शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश, जिन्होंने पीआईएसए परीक्षण का प्रदर्शन किया है, जो मिश्रित व सम्मिलित कक्षाओं द्वारा अधिगम के संपूर्ण परिणामों में इस समदृष्टि से आवश्यक रूप से सुधार करेगा, जो तथा कथित कुशाग्र व मंद अधिगम का विभिन्न समुदायों में बच्चों, प्रदर्शन या अन्य विविधताओं में भेदभाव नहीं करें। इन प्रणालियों का हमारी कक्षाओं में भी अनुसरण करने की आवश्यकता है, ताकि देश की कक्षाओं में विविधता में एकता को संचित किया जा सके व अधिगम परिणामों में सुधारों में सहयोग जैसे स्कैंडिनेवियन स्कूल प्रणाली में दर्शाया गया है।

(ख) पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

21.45. स्कूली पुस्तकों की समीक्षा एनसीईआरटी/राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा की जाए व अधिक चित्ताकर्षक व रोचक बनाई जाएं। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा आवश्यक से अध्यायों में विशिष्ट विकास के साथ जोड़ी जानी चाहिए ताकि इन पुस्तकों का समुचित रूप से प्रयोग हो। पाठ्य पुस्तकों में दर्शाए गए, बच्चों के संभावित अधिगम स्तरों, समग्र अधिगम उद्देश्यों को अवश्य किया जाए यह ध्यान रखा जाए कि अल्पसंख्यक बच्चों द्वारा उद्देश्य व मानक प्राप्त किए जा सकें। गणित, विज्ञान और भाषाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अभ्यास पुस्तकें भी होनी चाहिए। कक्षा में कार्य सम्पादन में सुधार हेतु अध्यापक के लिए, पाठ्य पुस्तकें अधिगम निर्देशिका अनुपूरित की जाएं। सरकारी स्कूलों को बड़े पैमाने पर बिजली व कंप्यूटर पर अधिगम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री के विकास हेतु निजी क्षेत्र के संसाधनों को भी शामिल किया जाए।

(ग) स्कूली सुविधाओं में वृद्धि

21.46. सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यक्रम शीघ्र ही कंप्यूटर सहायक अधिगम (सीएएल) में स्थानांतरित हो जाएगा। इसमें नेटवर्क कंप्यूटरों को शामिल करने का प्रावधान है, पहले चरण में सहायक उपकरण व सॉफ्टवेयर टूल्स व शैक्षिक रूप से सटीक ई-प्रारूप सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं की सोर्सिंग या विकास स्कूल पाठ्यक्रम में किया जाएगा। डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध विस्तृत किस्मों में संसाधनों के प्रयोग, और वे डिजिटल संसाधन जो एकीकृत रूप से कक्षा शिक्षण में शामिल हो, पर छात्र व शिक्षक को क्रियाशील बनाने पर बल रहेगा; कम विद्युत खपत कम लागत वाले आईसीटी समाधानों को अपनाने पर बल देने का प्रयास रहेगा ताकि प्रत्येक स्कूल में इसकी पहुंच में वृद्धि हो और ज्यादा से ज्यादा इस सुविधा का कभी भी लाभ उठा सकेंगे इस संरचना के रखरखाव व खराबी से बचाव हेतु उचित तंत्र विकसित किया जाएगा। एक विशेष परिक्षेत्र में अध्यापकों पर स्कूलों को जोड़ने हेतु आईसीटी भी उपयोग की जानी चाहिए इससे शिक्षण व अधिगम को सहयोग मिलेगा। आरटीई अधिनियम में स्कूलों में प्रयोगशालाओं व पुस्तकालयों की सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से वंचित समूह के बच्चों को भोजन देना, इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान धन उपलब्ध कराएगा।

(घ) गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुसंधान

21.47. गुणवत्ता मुद्दों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रमुखता दी जाएगी: उदाहरण के लिए इसमें शामिल एनसीएफ 2005 के प्रकाश में पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, छात्र के अधिगम परिणाम, छात्र व शिक्षक उपस्थिति दर, अध्यापक प्रशिक्षण की प्रभावशीलता, पाठ्यपुस्तकों व ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी)/क्लस्टर संसाधन केन्द्र (सीआरसी)/जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), स्कूल प्रबंधन में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) की भूमिका, ओओएससी का आकलन, विशिष्ट शिक्षण केंद्रों की प्रभाविता, पूर्णता दर/छोड़ने की दर, पारगमन दर, आदि।

(ड.) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

21.48. सभी पूर्व प्राथमिक स्कूलों को 4 से 6 वर्ष समूह के सभी बच्चों को कम से कम एक वर्ष तक स्कूल में तैयार पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक पूर्व प्राथमिक स्थापित करना होगा। 'आरम्भिक अधिगम यूनिटों' का आरंभ किया जाएगा जो पूर्व प्राथमिक व शिशु शिक्षा को एक साथ एकीकृत यूनिट में लाएगा। कार्यान्वयन पूर्ण हो जाएगा व बारहवीं योजना के

अंत तक 50 प्रतिशत स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं होगी। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों/जिलों, ब्लॉकों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए इसके लिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक अंग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान/आरटीई के अंतर्गत विशेष बजट के साथ शामिल किया जाएगा। एनसीईटी मानक अहर्ता की रूपरेखा तैयार करेगी और प्रारंभिक स्तर पर उदाहरण के लिए पूर्व प्राथमिक तथा ग्रेड 1 व 2 को अध्यापकों के अनुकूल बनाने के लिए इसके अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशानिर्देशों को अपनाया जाएगा। कुछ राज्यों ने प्राथमिक स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। पूर्व प्राथमिक बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए पूर्व - सेवा अध्यापक पाठ्यक्रम के निर्माण में वृद्धि की आवश्यकता है। आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व सेवा अध्यापन शिक्षा को आवश्यक रूप से सार्थक विस्तार दिया जाए। स्थापित विश्वविद्यालय/संस्थान को विशेष रूप से उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आरंभिक बाल्यावस्था अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों का भी बड़े पैमाने पर अभाव है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा आदि के लिए पाठ्यक्रम विकासकों के क्षेत्रों में समान कार्यक्रमों की रूपरेखा व कार्यान्वयन की भी आवश्यकता है सेवारत शीघ्र बचपन अध्यापकों के लिए अल्पकालीन प्रमाणित पुनश्चर्चा कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी कार्मिक (इसमें आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं को शामिल किया जा सकता है) स्थापित संस्थाओं द्वारा आवश्यक रूप से तैयार किए जाएं और उनका कार्यान्वयन हो।

21.49. आरटीई अधिनियम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए रियायत प्राप्त छात्रों के निजी स्कूलों में नामांकन के लिए 25 प्रतिशत सीटें/उपलब्ध कराता है। राज्य भी ख्याति प्राप्त निजी सहायता प्राप्त व सहायता विहीन संस्थानों/एनजीओ से सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए और इन सेवाओं के लिए उन्हें लागत प्रतिपूर्ति आधार पर अनुकम्पा दी जाए। समुदायों को भी सशक्त किया जा सकता है, और संविदा पर एक या अधिक नवयुक्त युवतियों को कम से कम अहर्ता रखने वाले को पूर्व स्कूल शिक्षा के लिए संविदा पर रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। बृहद रूप में कार्यान्वयन की योजना, इस पूर्व स्कूल वर्ष में ठीक से संसाधित व सहयोग प्रदत्त किया जाना चाहिए। हाल ही में आईसीडीएस के साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कुछ अंश जुड़ा है। प्राथमिक स्कूलों में आईसीडीएस के विस्तार से पूर्व प्राथमिक वर्ष को वृद्ध स्तर पर परिवर्तित करने के लिए कार्यनीति विकसित की जा सकती है। आईसीडीएस के पोषक तत्व किसी भी मामले में मध्याह्न भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। इस तरह तीसरे और चौथे वर्ष में शिशु शिक्षा

60 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

के लिए बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाते हैं और पांचवें वर्ष में बच्चा नियमित स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बैठता है जिसमें वही सब प्रावधान हैं। यह प्राथमिक स्तर पर प्रतिधारण में सुधार लाने में सहायता करेगा।

(च) श्रेणी स्तर से योग्यता स्तर शिक्षण अधिगम की ओर

21.50. देश और विदेश में हाल के अनुसंधान ने बच्चों उनके स्तर से शिक्षण और उनसे उनके स्तर पर बात करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यहां उम्र श्रेणी स्तर पर शिक्षा की पद्धति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा शैक्षिक प्रणाली व्यवस्थित है। विगत दशकों से बच्चों की अधिगम को सुदृढ़ता व गतिशीलता देने के लिए अनेको चुनौतीपूर्ण पद्धतियां इस सांचे को तोड़ने के लिए प्रयोग में रही हैं। इस प्रकार की कोशिशें सरकार व एनजीओ द्वारा भी बड़े स्तर पर आजमाई गई हैं फिर भी कुछ एनजीओ के प्रयासों को छोड़कर अन्य किसी ने भी गहराई से इसका मूल्यांकन नहीं किया। इस दिशा में सरकार का मुख्य प्रयास आधारित अधिगम (एबीएल) या बहु श्रेणी, बहु स्तर अधिगम (एमएमएल) अर्थात् 3 मिलियन से अधिक बच्चों तक पहुंचना। तीन राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में अपने राज्य में सभी स्कूलों में इस कार्यक्रम का विकास किया है। इस विधि से बाल अनुकूल अधिनियम और आकलन विधियों को बढ़ावा दिया जाता है जिनसे बच्चे “भय और चिंता मुक्त” बनते हैं और कक्षाकक्ष की परिस्थितियों में बच्चों के सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलता है। इसके स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित सुधारों की जरूरत है, जिसमें पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तकों के साथ समेकन, सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा, नेतृत्व परिवर्तनों में स्थायित्व वांछनीय है। अन्य प्रयासों के साथ इन प्रयासों के वस्तु निष्ठ मूल्यांकन की आवश्यकता भी है, जो बाल अनुकूल हैं एवं जिन्हें देश में अपनाने से पहले बहु ग्रेड, बहु क्षमता परिस्थितियों में प्रभावी हैं।

(छ) राज्य स्तर/स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा

21.51. देश भर में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु अनेकों चुनौतीपूर्ण प्रविधियां हैं। अधिगम परिणामों और उनकी कार्यप्रणाली की आधारभूत इकाई को जानने के लिए इनकी अथाह गहराई में जाने की आवश्यकता है। अन्य के साथ, इसमें तमिलनाडु सरकार की दीक्षा एबीएल कार्यकलाप आधारित अधिगम, गुजरात सरकार का नवप्रवर्तन गुणोत्सव कार्यक्रम, और पंजाब सरकार का पुरो पंजाब सम्मिलित है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए शिक्षा

प्रयासों में (बहुधा राज्य सरकारों से सहयोग से कार्यरत), अन्य में, प्रथम रीड भारत कार्यक्रम, होशंगाबाद विज्ञान अध्यापन कार्यक्रम और प्रशिक्षण ऑफ एकलव्य, और यूनीसेफ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज व शिव नादर फाउंडेशन उपक्रम उल्लेखनीय हैं। ये सभी प्रगतिशील मध्यस्थताएं हैं जो बारहवीं योजना के दौरान अधिगम परिणामों पर स्पष्ट फोकस प्राप्त करने के लिए मापी जा सकती है।

(ज) बाल अनुकूल मूल्यांकन

21.52. आरटीई अधिनियम अधिदेश करता है कि अध्यापक को कक्षा गतिविधियों में बच्चे की प्रतिक्रिया और भागीदारी द्वारा निरंतर रूप से मार्गदर्शन पाने के लिए समर्थ बनाने हेतु निरंतर और समग्र मूल्यांकन की एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। अतः, अध्यापकों को उनकी अध्यापन शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में बच्चों के कार्य और प्रगति के अभिलेख को समाविष्ट करते हुए बालक वार पोर्टफोलियो का रखरखाव करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम में समग्र और निरंतर मूल्यांकन हेतु प्रणालियों संबंधी प्रशिक्षण शामिल होगा। चूंकि, भारतीय विद्यालयों में अधिकांश बालक श्रेणी स्तर पर नहीं हैं अतः, ऐसे बालकों की आवश्यकताओं की पहचान करने और उनका निराकरण करने हेतु सीसीई कार्य रूपरेखा और इसके कार्यान्वयन में पर्याप्त सुनम्यता प्रदान की जानी आवश्यक है। दरअसल, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को सेवा पूर्व अध्यापक तैयारी कार्यक्रमों के दौरान सीसीई का उपयोग (मात्र पढ़ाना नहीं) करने हेतु अनिवार्य रूप से अधिदेशित किया जाना चाहिए।

21.53. विद्यार्थी की शिक्षा प्राप्ति और प्रगति की नियमित और यथार्थ रिपोर्टें, अभिभावकों को उनके बालक की शैक्षिक प्रगति में सहायता करने के संबंध में प्रोत्साहन और मार्ग दर्शन सहित प्रदान की जानी चाहिए। पीछे रह जाने ('असफलता') के कलंक को मिटाना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बालक (और अभिभावक) को आश्वस्त किए जाने की आवश्यकता है कि आधारभूत कौशलों को सीखना भली भांति उनकी पहुंच में है और यदि वह शिक्षा प्राप्ति नहीं कर रहा/रही है तो यह बालक की असफलता के बजाय प्रणाली की असफलता है। 'शिक्षा प्राप्ति का मूल्यांकन' और 'शिक्षा प्राप्ति हेतु मूल्यांकन', जवाबदेही और सुधार का प्रतिनिधित्व कर रही शिक्षा के दो पहलू हैं। किसी एक पर दूसरे से अधिक बल नहीं दिया जा सकता और उन ना ही एक के पक्ष में दूसरे का त्याग किया जा सकता है। जबकि, अध्यापक को 'शिक्षा प्राप्ति हेतु मूल्यांकन' करने की आवश्यकता है तो प्रशासकों और बालक के अभिभावकों को 'शिक्षा प्राप्ति का मूल्यांकन' करने की आवश्यकता

है। इन पहलुओं के अभिप्राय में अध्यापकों को उनके कक्षा/अध्यापन शिक्षा प्राप्ति दृष्टिकोणों में परिवर्तन करने हेतु इन 'शिक्षा प्राप्ति रिपोर्टों' के उपयोग हेतु सहायता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए।

(झ) शिक्षा प्राप्ति मापन

21.54. विद्यालय, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के स्वतंत्र, उद्देश्य और निष्पादन उपायों को विकसित करने के लिए यथेष्ट प्रयासों और संसाधनों की आवश्यकता है जो कि उनकी परीक्षण पद्धतियों को तैयार करते समय भाषाई जटिलताओं को समझते हुए मुद्दे तक पहुंचते हैं। यह प्रत्याशित है कि बेहतर मापन और परिणामों की रिपोर्टिंग, परिभाषित श्रेणी वार शिक्षा प्राप्ति परिणामों को प्राप्त करने में विद्यार्थी नैपुण्य द्वारा मापे अनुसार शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने पर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय शिक्षा प्रशासकों को और अधिक ध्यान केंद्रित करने में एक मजबूत उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। राज्यों को कक्षा 2, 5 और 8 की समाप्ति पर प्राप्त किए जाने वाले पारदर्शी, अर्थपूर्ण और सरल शिक्षा प्राप्ति स्तरों को परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यालयों द्वारा "इन बाह्य परीक्षणों का अध्यापन" और दण्डात्मक उपायों हेतु इनका उपयोग न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यन्तं अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए।

(ञ) अंतरराष्ट्रीय अनुभव से शिक्षा प्राप्ति

21.55. ऐसी अनेक अंतरराष्ट्रीय पहलें भी हैं जिन्होंने नामांकन पर संकेंद्रण से शिक्षा प्राप्ति परिणामों तक जाने की केंद्रीयता को पहचाना है। यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एण्ड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन (यूनेस्को) और ब्रूकिंग संस्थान में सर्व शिक्षा केंद्र (सीयूई) ने हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा प्राप्ति अवसरों और परिणामों में सुधार करने हेतु सामान्य शिक्षा प्राप्ति उद्देश्यों की पहचान करने की साध्यता की जांच करने के लिए एक "शिक्षा प्राप्ति मापन कार्यबल" का गठन किया है। भारत को इन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से यथा संभव सीखना चाहिए और इन मानकों को परिभाषित और कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि भारत में विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय शिक्षा प्रणाली है और आधारभूत शिक्षा प्राप्ति स्तरों को पूरा न करने वाले विश्व के सर्वाधिक बच्चे हैं।

2. अवशिष्ट पहुंच और साम्या अंतरों का निराकरण

21.56. बारहवीं योजना में विशेष प्रयासों की आवश्यकता उन बच्चों के लिए है जो अभी भी विद्यालय नहीं जाते अथवा जिन्हें विद्यालय से जोड़े रखने के लिए सतत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

यहां पर विद्यालय में प्रत्येक बच्चे पर और भली भांति शिक्षा प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अतः प्रयासों में, मुख्य धारा में लाने संबंधी कार्यनीति के भाग के रूप में तैयार की गई त्वरित शिक्षा प्राप्ति कार्यनीतियों सहित प्रभावी और सतत रूप से मुख्य धारा में लाने हेतु कार्यनीतियां शामिल हैं। स्कूली बच्चों, लड़कियों और विशिष्ट स्थलों में सामाजिक रूप से निष्काषित समूहों को लक्ष्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(क) स्कूल से वंचित बच्चों (ओओएससी) को लक्ष्य बनाना

21.57. वार्षिक प्रारंभिक शिक्षा को एक योजनाबद्ध और समयबद्ध रीति से प्राप्त करने के लिए अरक्षित और दायरे में आने वाले बच्चों को बेहतर ढंग से लक्ष्य बनाना आवश्यक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और गली के बच्चों सहित सभी स्कूल से वंचित बच्चों (ओओएससी) तक पहुंचने के लिए आयोजित और सुनम्य प्रयासों की आवश्यकता है। अनु. जाति, अनु. ज. जाति और अल्पसंख्यक लड़कियों के संबंध में नामांकन में सामाजिक और लिंग अंतरों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 11 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए आवासीय कार्यक्रमों हेतु निरंतर सहायता की आवश्यकता है जिस प्रकार से नियमित विद्यालय प्रणाली को सतत रूप से मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मुक्त शिक्षा के विकल्प को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामों और शहरी मलिन बस्तियों में ग्रामीण मजदूर, कारीगर और छोटा मोटा काम करने वाले अन्य लोग, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने और उन्नत व्यावसायिक कौशलों को सीखने के लिए सामुदायिक बहुशिल्पो, अंश कालिक सामुदायिक महाविद्यालयों, जब शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और प्रत्याशित कौशल ज्ञान प्रदाता (एसकेपी) में पढ़ने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु कुछ शिक्षा प्राप्ति तुल्यता प्राप्त कर सकें। जिन्होंने प्रारंभिक चरण पूर्ण करने से पहले ही छोड़ दिया हो उन्हें सुनम्य रीति से शिक्षा और प्रमाणन हेतु अवसरों की आवश्यकता है। बच्चों (जो बाहर कर दिए गए हों अथवा पीछे रह गए हों) का विद्यालय में उनकी प्रतिस्थानी के शिक्षा प्राप्ति स्तरों तक पहुंचाने में सहायता करना, मुख्य धारा में लाने हेतु कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। अतः, स्कूल से वंचित बच्चों की पहचान करने में, पढ़ने और अंकगणित करने की वर्तमान क्षमता, बोध विवेचनात्मक विचार करने, समस्या का समाधान करने के साथ साथ स्वयं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता को शामिल किया जाना चाहिए। अध्यापकों को स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के "त्वरित अधिगम" हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सके। राज्यों को इसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत होगी।

(ख) आवासीय विद्यालयों का प्रावधान

21.58. आवासीय विद्यालय विशेषकर समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के बच्चों तक पहुंचने के लिए उपयोगी हैं। आरटीई समर्थित एसएसए, सामाजिक संघर्ष के क्षेत्र के बच्चों, प्रवासों लोगों के बच्चों और जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों के प्रावधान पर विचार करता है खतरे में पड़े बच्चों, जिनमें अनाथ, भागकर प्लेटफॉर्म में रह रहे बच्चे, एचआईवी एड्स से पीड़ित मरीज, वेश्यावृत्ति में पड़े बच्चे आदि शामिल हैं, के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह भी अपेक्षित है कि सामाजिक संघर्ष के क्षेत्र के बच्चों, विकलांग बच्चों और अत्यधिक अपेक्षित अनु. जनजाति और अनु. जाति समूहों के बच्चों के लिए परिवहन/मार्गरक्षण प्रदान किया जाए। आवासीय शिक्षण अवसर, बच्चों में शिक्षा प्राप्ति को त्वरित करने के लिए भी उत्कृष्ट हैं। बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, (1) मौजूदा सरकारी/स्थानीय निकाय भवनों तथा कम उपयोजित विद्यालयों की पुनर्बहाली करने और (2) जहां पर मौजूदा भवनों की पुनर्बहाली संभव नहीं है वहां पर नए भवनों का निर्माण करने के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। नए भवनों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीबी) मानदण्डों के अनुसार होंगे और विद्यालय के खेल मैदानों को सर्व क्रीड़ा अभियान (एसकेए) के अभिसरण में विकसित किया जाएगा।

(ग) सभी अनु. जा. जाति बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना

21.59. 50 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या से अधिक वाले सभी ईबीबी में कम से कम 5 प्रतिशत मौजूदा सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों को प्री-स्कूल (गैर आवासीय), प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रावधानों वाले आवासीय विद्यालय परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए मूल स्थान पर तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास के स्थान पर, दोनों में, मौसमी छात्रावास सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये छात्रावास, केजीबीबी स्कीम में स्थापित मानदण्डों का पालन करेंगे। 50 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या से अधिक वाले ईबीबी में सरकारी विद्यालयों को प्रवासी जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय परिसरों (आरएससी) और मौसमी छात्रावासों में परिवर्तित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य सरकारों के पास आरटीई समन्वित एसएसए के अंतर्गत एकीकृत आश्रम विद्यालय (नियमित आवासीय विद्यालय) हैं। अन्य राज्यों को भी इस दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी आश्रम शालाओं के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ अभिकरण को आरटीई मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त पीटीआर (शिष्य अध्यापक अनुपात) और अवसंरचना। सुविधाओं/अध्यापन शिक्षा प्राप्ति उपस्कर (टीएलई) को प्राप्त करने के लिए कूटचिंत

किया जाना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित और पृथक किए गए अनु. जा. समुदायों के बच्चों के लिए स्कूल में बनाए रखने और उन्नत शिक्षा प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होगी। इन प्रयासों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ अभिसारित किए जाने की आवश्यकता है। जाति आधारित बहिष्कार के निराकरण और अंतर्वेशन को बढ़ावा देते हुए पाठ्यक्रम की समीक्षा और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों हेतु हस्तक्षेपों में शामिल हैं: (1) मूल पाठ विषयक सामग्री में जाति आधारित भेदभाव पर विचार विमर्श में शामिल करने के लिए पाठ्यचर्या संबंधी समीक्षा जैसे प्रक्रिया आधारित हस्तक्षेप; (2) आरटीई मानदण्डों के अनुरूप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएण्डई) की सहायता से आवासीय विद्यालयों को चलाना; (3) एमएसजे एण्ड ई द्वारा प्रदान की जा रही पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहनों पर अभिसरण (4) दलित बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए दलित नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ साझेदारियां करना। पिछले खण्डों में किए गए विचार विमर्श के अनुसार प्रतिकूल पृष्ठभूमियों के बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में सुधार करने के लिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है। ऐसा तभी होगा जब विशेष प्रयासों और प्रावधानों को शिक्षा प्राप्ति लाभों में अंतर्गुप्त किया जाए ताकि ऐसे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने और उससे आगे बढ़ने का सही अवसर मिल सके।

(घ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) हेतु विशेष प्रावधान

21.60. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए किए जा रहे प्रयासों में सामान्य विद्यालयों में शैक्षिक स्थापन की पहचान करना, विद्यालय तत्परता कार्यक्रम, सहायता और उपकरणों का प्रावधान, ब्रेल पुस्तकों का विकास और प्रकाशन तथा ढालों और निःशक्ति हितैषी शौचालयों का निर्माण शामिल है। समुचित पाठ्यक्रम को विकसित करने में निहित कार्य की जटिलताओं और बहुलता पर विचार करते हुए इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए संगत अनुभव और सामर्थ्य के साथ एनजीओ और सक्षम निजी इकाई को आरटीई अधिनियम के इस पहलू के कार्यान्वयन में स्वाभाविक साझेदार बनना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक योजना की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सामुदायिकता संघटन, पैतृक प्रशिक्षण और समकक्ष सुग्राह्यता की आवश्यकता होगी। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन अध्यापकों और स्वयं सेवकों/देख-रेख करने वालों को संलग्न करना भी आवश्यक होगा। राज्यों को इस पर भारतीय पुनर्वास परिषद् के साथ मिलकर अवश्य कार्य करना होगा

अतः प्रयासों को न दोहराना महत्वपूर्ण है, विशेषकर जहां तक इस क्षेत्र में अध्यापक विकास का संबंध है।

(ड.) लड़कियों की शिक्षा हेतु विशेष ध्यान

21.61. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बारहवीं योजना के दौरान मात्र लड़कियों को लड़कों के बराबर समर्थ बनाने के लिए ही प्रयास नहीं किए गए जाएंगे बल्कि बालिका शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 में दिए गए विस्तृत विवरण के परिप्रेक्ष्य से विचार किया जाएगा, जिसके अनुसार शिक्षा को एक रूपांतरकारी बल होना चाहिए जो कि महिलाओं के आत्म विश्वास का निर्माण और समाज में उनकी स्थिति में सुधार करे। बारहवीं योजना में हस्तक्षेपों का मार्ग दर्शन इस सिद्धांत द्वारा किया जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा में लिंग समानता एक गुणवत्ता मुद्दा और साम्य मुद्दा दोनों है। लिंग संवेदी पाठ्यक्रम को विकसित करने, शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों अध्यापक प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विद्यालयों को समावेशित रूप से और सुरक्षित स्थानों पर विकसित किया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न और हिंसा संबंधी मुद्दों पर विशिष्ट मॉड्यूलों को विकसित करने और अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन में एकीकृत किए जाने की आवश्यकता होगी। बालिका शिक्षा में सुधार करने के लिए अन्य विशिष्ट पहलों में शामिल है:

1. शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अनु. जा., अनु. जा. जाति और मुस्लिम जनसंख्या के उच्च संकेंद्रण के साथ उच्च प्रवास दरों पर विशेष ध्यान देते हुए ईबीबी में एक और केजीबीवी प्रदान करने के लिए केजीबीवी का सुदृढीकरण और विस्तारण।
2. एनपीईजीईएल कार्यक्रम में सेतु बंधन केंद्रों को चलाना, लिंग, साम्या और गुणवत्ता एकीकरण हेतु मॉडल स्कूलों के रूप में एमसीएस को विकसित करना, श्रव्य दृश्य संसाधनों सहित डिजिटल विषय वस्तु को शामिल करने के लिए एमसीएस पुस्तकालय का विकास, सेतु बंधन नियमों और नियम पुस्तिकाओं का विकास, लिंग और साम्या मुद्दों पर एसएमसी का प्रशिक्षण शामिल है।
3. महिला सामख्या को संपूर्ण प्रचालन और कार्यक्रम स्वायत्तता के साथ एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में जारी रखा जाएगा और इस कार्यालय को सुदृढ बनाने के लिए मजबूत राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय इकाइयों के साथ एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी (विवरण के लिए 21.84 और 21.85 देखें)।

21.62. कुल मिलाकर लड़कियों की शिक्षा के विषय में हस्तक्षेपों को "भारत में बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय संकल्पना: 2015 तक रोड

मैप" के साथ समेकित किया जाएगा, जिसका विकास पिछले वर्ष सर्व शिक्षा अभियान, महिला सामख्या और नागरिक समाज के बीच भागीदारी के जरिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ के समर्थन से स्थानीय सेवा प्रदायगी के लिए सुदृढ प्रणालियों के माध्यम से बालिका शिक्षा के बढ़े हुए तथा अधिक लक्षित निवेशों के लक्ष्य सहित किया गया था, जिससे मूल भूत शिक्षा में लिंग समानता सुनिश्चित होगी।

(छ) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान

21.63. हालांकि प्रारंभिक शिक्षा में मुस्लिम बच्चों का नामांकन करने और उन्हें रखने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है फिर भी मुस्लिम लोगों और गैर मुस्लिम लोगों के बीच अंतर बहुत अधिक रहा है। बारहवीं योजना के दौरान मुस्लिम बच्चों के लिए हस्तक्षेपों का निर्धारण करने, लक्ष्य रखने और निगरानी करने की इकाई जिले से ब्लॉक तक बदल जाएगी। मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की स्कीम और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसरचना विकास का विलय किया जा सकता है। मुस्लिम प्रभुत्व क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में उर्दू को इसकी परिचारी आवश्यकताओं, जैसे अध्यापक प्रशिक्षण, टीएलएम आदि के साथ एक वैकल्पिक भाषा के रूप में रखा जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की बहु क्षेत्रीय विकास योजना (एमएसडीपी) में कुछ परस्परव्यापी गतिविधियां पाई गई हैं और एमएचआरडी द्वारा 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर सहायता दी जाती है। एमएचआरडी की स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के संस्थानों की विशिष्ट गतिविधियों, विशेषकर अभिसारी अवसरचना दृष्टिकोण, जिसकी सिफारिश की जाती है, के संबंध में, अल्पसंख्यकों के लिए तैयार की गई बृहतर जिला योजना का एक भाग होनी चाहिए।

21.64. केंद्र सरकार, मदरसों और मकतबों जैसे पारंपरिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता देने के द्वारा अनेक पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कीम (एसपीक्यूईएम) को कार्यान्वित करती रही है ताकि इन संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12 हेतु शैक्षिक प्रवीणता, प्राप्त हो सके। इसने मुस्लिम बच्चों को उच्चतर अध्ययनों तक पहुंचने में समर्थ बनाया है और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समान ही गुणवत्ता मानक भी सुनिश्चित किए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और झारखण्ड राज्यों को लगभग 1,000 मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों विभिन्न पुस्तकों, विज्ञान किटों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और

मदरसा अध्यापकों हेतु अध्यापक प्रशिक्षण द्वारा सहायता प्रदान की गई है। निजी सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अवसंरचना विकास हेतु स्कीम (आईडीएमआई), अल्पसंख्यक विद्यालयों में अवसंरचना का संवर्धन और सुदृढीकरण करने तथा अल्पसंख्यक बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए सुविधाएं विस्तारित करने के द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाता है ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 100 से अधिक अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता प्रदान की गई। इन दोनों स्कीमों को बहत्तर परिव्ययों और अल्पसंख्यक संस्थानों को व्यापक रूप से शामिल करने सहित बारहवीं योजना में जारी रखने की आवश्यकता है यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि समावेशन के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के बच्चों हेतु उन्नत शिक्षा प्राप्ति परिणाम भी निकलें, जो कि ऐसे बच्चों को सतत रूप से मुख्यधारा में लाने और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उनकी निरंतर प्रगति के लिए अनिवार्य है।

(ज) शहरी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिए गए प्रयास

21.65. शहरी जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ शहरी निर्धनता बढ़ी है क्योंकि बहुत अधिक परिवार, आजीविका की तलाश में शहरी निवास स्थानों में बस गए। शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। शहरी स्थानीय निकायों के साथ पहुंच और अधिगम परिणामों में सुधार को बढ़ाने के लिए नवाचारी साझेदारी महत्त्वपूर्ण होगी (देखें बॉक्स 21.3)। नए विद्यालयों हेतु भूमि और भवनों का आबंटन तथा मौजूदा विद्यालयों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। इस अपेक्षा, कि विद्यालय वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए उनके दाखिले का 25 प्रतिशत निर्धारित करें, के लिए संबंधित लागतों: वर्दी, बैग, पुस्तकों हेतु सहायता तथा सेतु बंधन और अतिरिक्त सहायता आवश्यक है। ऐसे दाखिलों के लिए और उपर्युक्त अन्य लागतों के लिए निजी असहायता प्राप्त विद्यालयों को

लागत की अदायगी हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता का प्रावधान करने के लिए एसएसए मानदण्डों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व का प्रबंधन करने के लिए उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में नए विद्यालयों की स्थापना के लिए मानदण्ड, दूरी के बजाय प्रत्येक विद्यालय द्वारा शिक्षित किए जा रहे बच्चों की संख्या पर आधारित होने चाहिए। स्थानांतरण, बच्चों के लिए बड़ी चुनौतियां लाते हैं, जिससे नियमित/प्रारूपी विद्यालय कार्यक्रम प्रभावी नहीं होंगे। राज्यों को विशिष्ट दृष्टिकोणों, जिन्हें उपयोगी समझकर आजमाया और स्थापित किया गया है, का उपयोग करने हेतु अवश्य प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. अध्यापकों और शिक्षा नेतृत्व पर विशेष ध्यान

21.66. गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अध्यापकों की योग्यता और उनका अभिप्रेरण महत्त्वपूर्ण होता है। इसके लिए (1) अध्यापक की कमियों का निराकरण, विशेषकर अध्यापन प्रमाणनों को प्रदान करने के लिए नए और यथार्थ दृष्टिकोण के माध्यम से करने (2) सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने (3) सेवा कालीन अध्यापक व्यावसायिक विकास की गुणवत्ता में सुधार करना और अनेक राज्यों में पैरा अध्यापकों पर विशेष ध्यान देते हुए उनकी ऊर्ध्वगामी जीविका गतिशीलता हेतु विकल्पों (4) एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन की स्थिति में सुधार करने और भलीभांति पढ़ाने के लिए अध्यापकों के अभिप्रेरण में सुधार करने तथा शिक्षा प्राप्ति परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए उनकी जवाबदेही को बढ़ाने (5) अध्यापक शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में अनेक पहलें करने की आवश्यकता होगी। उन्नत शिक्षा प्राप्ति परिणामों की प्राप्ति के लिए सभी जारी अध्यापक क्षमता और सामर्थ्य निर्माण अभ्यासों को सुयोजित करना महत्त्वपूर्ण है।

21.67. अध्यापकों को अपने विद्यालयों की वास्तविकताओं से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। अनेक क्षेत्रों में

बॉक्स 21.3

स्कूल उत्कृष्टता कार्यक्रम - मुम्बई

1. मुम्बई नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा यूनिसेफ के तकनीकी समर्थन से मुम्बई के 1,327 स्कूलों में पढ़ने वाले 5,00,000 बच्चों पर लक्षित मुम्बई नगर निगम में शहरी झुग्गियों के बच्चों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने हेतु एक कार्यक्रम किया गया।
2. इसमें स्कूलों और बच्चों की व्यवस्थित ट्रेकिंग, बच्चों के अधिगम स्तरों का आधारभूत आकलन, शिक्षा विज्ञान का विकास और अंतःक्रियात्मक अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया शिक्षकों का प्रशिक्षण अधिक समावेशी रूप में और स्कूल नेतृत्व और साझेदारी विकास पर मुख्य अध्यापकों का प्रशिक्षण किया गया।
3. इसमें शामिल अनेक साझेदार थे भारतीय स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैककिनसे तथा अन्य अनेक प्रतिष्ठित नागरिक समाज संगठनों सहित नंदी फाउंडेशन और ऋषि वैली।

और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पुरानी बहु श्रेणी और बहु क्षमता वाली कक्षाएं होती हैं। इससे अध्यापकों में मात्र आवश्यक विषय ज्ञान ही नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोणों और तकनीकों के संपूर्ण ज्ञान की विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होगी, जो उन्हें बच्चों के विविध समूह हेतु शिक्षा प्राप्ति परिणामों में सुधार करने के लिए प्रभावी रूप से शिक्षित करने में सहायता करता है। अध्यापक की योग्यता में सुधार करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अध्यापन प्रमाणन की सख्ती को विचारणीय रूप से बढ़ाया जाए। अध्यापकों को प्रेरणा देना अधिक कठिन होता है। सामान्यतया अध्यापक, प्रेरित तब होते हैं जब उनके विद्यार्थियों के लिए प्राप्य शिक्षा प्राप्ति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्थन मिलता है और पहचाना जाता है तथा इसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। अध्यापकों का मुद्दा महत्वपूर्ण है और इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अतः इस पर माध्यमिक शिक्षा के बाद के अध्याय में बाद में पृथक रूप से विचार विमर्श किया गया है। इसी प्रकार, अभिशासन और नेतृत्व विकास, सामुदायिक साझेदारी और पैतृक विनियोजन का निर्माण, शैक्षिक नेतृत्व और विद्यालय को परामर्श देने की प्रणाली को संस्थागत बनाने के मुद्दे, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों में समान हैं तथा इनके बारे में अध्याय में बाद में बताया गया है।

4. अन्य क्षेत्रों के साथ संयोजन

21.68. प्रारंभिक शिक्षा हेतु लक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्रों से संसाधन और ज्ञान प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्य, विशेषकर वे जिनके पास सटीक विद्यालय अवसंरचना अंतर हैं, आरटीई अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए निधियों के परिसीमन का सामना करेंगे। सीमित संसाधनों के साथ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी स्कीमों के साथ अभिसरण के माध्यम से बनता है। ऐसी अभिकरण को पूरा करने के लिए मनरेगा दिशा निर्देशों में समुचित संशोधन अपेक्षित होगा। विकेंद्रित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय निकाय इन कार्यों को प्राथमिकता आधार पर करती है और अभिसारी रीति से प्रारंभिक शिक्षा तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करती है।

21.69. सिविल निर्माण कार्यों के लिए बारहवीं योजना के लक्ष्य तालिका 21.2 में दिए गए हैं। विद्यालय भवनों के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्थपूर्ण आस्तियां होने से एमपीएलएडीएस के साथ साथ एमएलए निधियों से भी अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। कुछ राज्य, विद्यालय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के

तालिका 21.2
बारहवीं योजना में एसएसए के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य

मदें	संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
1. नए विद्यालय भवन	67,010	7,685
2. आवासीय विद्यालय	10,500	10,500
3. अतिरिक्त कक्षाएं	4,98,560	19,942
4. पेयजल आपूर्ति	62,366	468
5. शौचालय	3,43,013	2,884
6. केजीबीवी आदि	3,598	3,692
कुल		45,171

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अंतर्गत निधियों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, त्वरित अवसंरचना निर्माण के लिए निधियों को परोपकार से काम में लाने की आवश्यकता है। एक सृजनात्मक तरीका, दाताओं के नाम से भवनों अथवा कक्षाओं को करने अथवा पट्टियां लगाने अथवा अन्य ऐसी संस्मारक रूपरेखा (जैसे कि किसी उपकारक के बाद छात्रवृत्ति स्कीम का नाम रखना) की अनुमति देना है।

समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के साथ साझेदारियां विकसित करना

21.70. शिक्षा में लोगों की भागीदारी हेतु परिषद् (सीपीपीई) की स्थापना सरकार और स्वैच्छिक अभिकरणों, दोनों को नियमित आधार पर सम्मिलित करते हुए सुपरिभाषित अवसंरचनाओं के माध्यम से साझेदारी को संस्थागत बनाने के लिए एक पंजीकृत स्वायत्त निकाय के रूप में की जाएगी। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक परियोजनाओं हेतु निधीयन सहायता के लिए प्रस्तावों पर कार्यवाही करने हेतु ऐसी साझेदारियां तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी, कार्यान्वयन करने वाले समूहों में समकक्ष अन्योन्यक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगी और नियमित आधार पर संसाधन और तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराएंगी। सीपीपीई, सरकार द्वारा वित्तपोषित एक स्थायी संरचना होगी जिसे कार्यात्मक स्वायत्तता होगी लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से कार्य करेगी।

खेलों और शारीरिक शिक्षा का एकीकरण

21.71. बच्चों के समग्र विकास के लिए शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ाओं और खेलों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम और दैनिक कर्म का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। खेलों को व्यापक आधार प्रदान

के लिए प्रधान स्कीम, सर्व क्रीड़ा अभियान (एसकेए) के अभिसरण में और देश में खेल संस्कृति का विकास करने के लिए इन गतिविधियों हेतु अवसंरचना के प्रावधान को बारहवीं योजना में भी किया जाना चाहिए। आरटीई अधिनियम की अनुसूची में अधिदेशित है कि सभी विद्यालयों को खेल सामग्री, क्रीड़ा और खेल साज सामान उपलब्ध कराए जाएं। चूंकि अनेक शहरी विद्यालयों के पास अपनी खेल सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं अतः ऐसे विद्यालयों के बच्चों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं वाले अन्य पड़ोसी विद्यालयों को और नगरीय उद्यानों तथा सार्वजनिक खेल मैदानों को भी मामूली रखरखाव लागतों पर विद्यालय के समय के दौरान खोला जाना चाहिए। ग्यारहवीं योजना के दौरान अध्यापकों को उनके सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों प्रशिक्षणों के भाग के रूप में किए गए नवाचारी मार्गों पर निर्मित गुणवत्ता और समावेशी शारीरिक शिक्षा सत्रों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

शिक्षा में ललित कलाओं का एकीकरण

21.72. दृश्य और अभिनय ललित कलाएं विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं और विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को अवसर भी प्रदान करती हैं। ललित कलाएं, अध्यापन शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया में एक प्रभावशाली साधन होती हैं। यह, बच्चों को परिप्रेक्ष्यों को समझने और तैयार करने के लिए स्वेच्छा से अपने भाव, भावनाएं और विचारों को व्यक्त करने में समर्थ बनाती है। बच्चे शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया में आजादी का आनंद और अनुभूति का अनुभव तब करते हैं जब उनके पास भागीदारी और सम्प्रेषण करने के लिए उनकी अनुभूति के माध्यम से खोज करने, कल्पना करने, मान संदर्शन और अवलोकन करने का अवसर हो। यह रुचि को बढ़ाता है क्योंकि बच्चे ललित कलाओं को सभी विषयों और अपने दैनिक जीवन से जोड़ देते हैं। कला एक ज्ञानात्मक घटक भी है: इससे हमें सोचने, चिंतन करने, परिकल्पना करने, महसूस करने, समझने और सृजन करने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय अभिनय कला केंद्र और राष्ट्रीय नाटक विद्यालय जैसे संस्थानों को केंद्रीय अकादमियों के साथ मिलकर विद्यालय पाठ्यक्रम में ललित कलाओं का समावेशन करने और इसका कार्यान्वयन करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से योगदान देना चाहिए।

निजी क्षेत्र की बढ़ी भूमिका

21.73. निजी प्रदाता (एनजीओ और गैर लाभकारी सहित) प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करने में उनकी विधिसम्मत भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने हेतु

एक सुनम्य दृष्टिकोण अपनए जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में वर्तमान लाइसेंस प्रदान करने और विनियामक प्रतिबंधों को सहज किया जा सकता है और एकल खिड़की दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए ताकि निजी प्रदाताओं द्वारा नए विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि विनियमों को सुनम्य किया जाए और संदर्भ आधारित सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जो विद्यालय वंचित जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहे हैं, प्रभावी रूप से बंद न हों। कुछ राज्यों ने इस संबंध में राज्य नियम तैयार करने के लिए एक अधिक सुनम्य दृष्टिकोण पहले ही अपना लिया है। सब मिलकर, निजी कम्पनियों को और अधिक विद्यालयों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा बशर्ते वे इसके लिए प्रतिबद्ध हों और अपने प्रचालनों में पारदर्शी हों।

निधीयन पद्धति

21.74. सरकार ने आशोधित एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि सहभाजन पद्धति को संशोधित किया है जिसे अब 65:35 अनुपात में नियत किया गया है। तथापि, एनईआर में राज्यों के लिए निधि सहभाजन पद्धति को 90:10 अनुपात में जारी रखा जाएगा। यद्यपि, संशोधित निधि सहभाजन पद्धति अधिकांश राज्यों के लिए पर्याप्त हो सकती है फिर भी कुछ राज्य शिक्षा के निम्न स्तरों, मोटे तौर पर अपर्याप्त विद्यालय अवसंरचना के साथ शैक्षिक रूप से वंचित हैं और दुर्गम क्षेत्र आईटीई अधिदेश और मानदण्डों को पूरा करने में वित्तीय भार का सामना करता है। इन राज्यों को अन्य राज्यों के बराबर आने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक बड़े समर्थन की मांग है। एमडीजी के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। समय के साथ, एसएसए के वित्तीयन को और अधिक सतत बनाया जाना चाहिए। चूंकि राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा हेतु तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार उपलब्ध अनुदानों को वर्ष 2015 तक जारी रखा जाएगा, अतः नई निधीयन पद्धति (50:50) को तेरहवीं योजना के प्रारंभ होने तक आस्थगित रखा जाएगा। प्रति बालक मानदण्डों और कार्य निष्पादन आधारित वित्तीयन के संबंध में राज्यों को राज्य केंद्र सहायता, परिणाम आधारित प्रबंधन के साथ क्रमिक रूप से तैयार हो जाएगी। अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों और संस्थानों को मुक्त निधियों से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शैक्षणिक व्ययों को सामयिक और अधिक कार्यक्षम होना चाहिए। शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिक व्यावहारिक कर रिआयत उपाय किए जाने चाहिए।

कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन

21.75. बारहवीं योजना में मुख्य बल कार्यान्वयन की कमियों का निराकरण करने पर दिया जाएगा जो कि पिछली योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रमुख बाधा रही है। कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्थितियों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है अतः, राज्यों (और जिलों तक को भी) को बहुत अधिक स्वायत्तता देना वांछनीय होगा। परिणामस्वरूप, इस योजना का दृष्टिकोण, राज्यों और शिक्षा विभागों को स्पष्ट उद्देश्य और निदेश प्रदान करना, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके के संबंध में राज्यों को विचारणीय प्रचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान करना और केंद्र सरकार द्वारा परिणामों के मजबूत और स्वतंत्र निगरानी में निवेश करना होगा।

21.76. कार्यान्वयन में गुणवत्ता शिक्षा (अवसंरचना अध्यापक, प्रशिक्षण, नामांकन और अन्य प्रयास) हेतु प्रयासों के प्रावधान के साथ साथ इन प्रयासों का उन्नत प्रक्रियाओं (उपस्थिति, अनुदेशन समय) और परिणामों (बने रहने, शिक्षा प्राप्ति परिणाम, साम्या) में अंतरण सुनिश्चित करने पर समान बल दिया जाएगा। राज्यों को इन परिणामों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के तरीकों के साथ अभिनव परिवर्तन और प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अभिनव परिवर्तनों में क्षेत्रों की विस्तृत श्रेणी को शामिल किया जा सकता है। जिनमें से कुछ में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के सुव्यवस्थित निर्धारण, उन्नत अध्यापक प्रशिक्षण, कक्षा में अपेक्षित उत्तोलन प्रौद्योगिकी सहित कक्षा में नव परिवर्तन शिक्षा शास्त्र, प्रथम पीढ़ी शिक्षा प्राप्त कर्ताओं हेतु सहायक अनुदेश की विधियां, अध्यापक अभिप्रेरण और प्रभाविता में सुधार करने हेतु विधियां और शिक्षा में सुधार करने के लिए तृतीय पक्षकारों से उत्तोलन संसाधनों हेतु विधियां और शामिल हैं। राज्य, महत्त्वपूर्ण सामर्थ्य प्रदान करने के लिए उपयुक्त तृतीय पक्षकारों के साथ साझेदार भी बन सकता है जो कि इन उद्देश्यों में सहायक हो सकता है। राज्यों को इन पहलों का सावधानीपूर्वक प्रलेखन और मूल्यांकन करने तथा अन्य राज्यों और केंद्र के साथ उत्तम प्रक्रियाओं को बांटने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

21.77. अभिनव परिवर्तन और उत्तम प्रक्रियाओं के सहभाजन को बढ़ावा देने के लिए योजना राज्यों को मुक्त 'सुनम्य' निधियों की एक निश्चित राशि प्रदान करेगी और 'परिणाम आधारित' वित्तीयन की अतिरिक्त राशियां भी प्रदान करेगी। बदले में, राज्यों को शिक्षा परिणामों का निगरानी और सुधार करने के लिए जिला स्तरीय नेतृत्व में निवेश करने और जिलों को स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करने तथा जिला स्तर पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रयास में सहायता करने के लिए

योजना, शिक्षा प्राप्ति परिणामों (वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुरूप) का उच्च गुणवत्ता स्वतंत्र मापन और निगरानी करने के लिए संसाधन भी प्रदान करेगी। बदले में, राज्य जिला और ब्लॉक स्तरों के शिक्षा प्राप्ति परिणामों की वार्षिक रिपोर्टिंग का उपयोग, बारहवीं योजना में शिक्षा परिणामों में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिए जाने जैसे मिशन को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

21.78. ई-निगरानी हेतु मुख्य चुनौती उच्च गुणवत्ता आंकड़े की अनुपस्थिति है जिसे बारंबार और विश्वसनीय आधार पर अद्यतन किया जाता है। विद्यार्थी नामांकन, उपस्थिति और अलग होने पर दृष्टि रखने के लिए यूआईडी जैसी अवसंरचना लगाई जा सकती है और अध्यापक उपस्थिति में सुधार करने के लिए जैव सांख्यिकी प्रमाणीकरण को भी स्थापित किया जा सकता है। आधुनिक सेलफोन आधारित प्रौद्योगिकियां, अध्यापक उपस्थिति, विद्यार्थी उपस्थिति, दोपहर के भोजन की उपलब्धता आदि जैसे विद्यालय कार्य निष्पादन मापन पर वास्तविक समय आंकड़ा की रिपोर्ट के लिए समुदायों को समर्थ बनाने का आशाजनक तरीका साबित हो सकती हैं। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति का शीघ्र नैदानिक परीक्षण करने, साधारण गलतियों और गलतफहमी के क्षेत्रों का विश्लेषण करने और प्रारंभिक प्रश्नों के संबंध में कार्य निष्पादन पर आधारित सक्रिय पर्यवेक्षण करने के लिए मोबाइल फोन और टैबलेट पीसी जैसे प्रौद्योगिकी आधारों का उपयोग भी किया जा सकता है ऐसे अनुप्रयोगों को तैयार करने के लिए अनेक गैर लाभ और तृतीय पक्षकार संगठन कार्य कर रहे हैं और शिक्षा प्रणाली के कार्य निष्पादन के संबंध में उन्नत वास्तविक समय आंकड़ा एकत्रण के लिए ऐसी विधियों से प्रयोग करने के लिए राज्यों/जिलों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

21.79. अंततः, इस बात पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रभावी नीति तैयार करने के लिए साक्ष्य आधार बहुत सीमित है विशेषकर शिक्षा शास्त्र के विभिन्न प्रकारों की प्रभाविता, कक्षा के भीतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की प्रभाविता, कक्षा में विभिन्न आरंभिक शिक्षा प्राप्ति स्तरों के बच्चों को व्यवस्थित करने के इष्टतम तरीके और अधिक सामान्य ढंग से बहु श्रेणी अध्यापन का संचालन करने जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बारहवीं योजना, अनुसंधान में सुधार करने और नीति तैयार करने के लिए साक्ष्य आधार को उच्च प्राथमिकता देगी और विश्वविद्यालयों एवं प्रतिष्ठित वैयक्तिक अनुसंधानकर्ताओं के साथ साझेदारी करके भारत में प्राथमिक शिक्षा संबंधी उच्च गुणवत्ता अनुसंधान अध्ययनों को करने के लिए राज्यों को निधियां प्रदान करने के साथ साथ प्रबल प्रोत्साहन देगी। प्रत्येक राज्य को शिक्षा परिणामों का स्वतंत्र मापन करने के लिए पर्याप्त

निधियां निर्धारित और व्यय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यद्यपि, प्रत्येक राज्य इसे करने के विभिन्न तरीके अपना सकता है तो भी कुछ मुख्य केंद्रीय दिशा निर्देश वांछनीय हो सकते हैं।

दोपहर के भोजन की स्कीम (एमडीएमएस)

21.80. बच्चों के पोषण के स्तर को उठाने और उन्हें एक लाभदायक रीति से विकसित होने में समर्थ बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995 में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम (एनपी एनएसपीई) प्रारंभ किया गया था। साधारणतया निर्दिष्ट दोपहर के भोजन की स्कीम (एमडीएमएस) से बच्चों के पौषणिक स्तरों में सुधार करने के अतिरिक्त विद्यालयों में उनके नामांकन उन्हें बनाए रखने और उनकी उपस्थिति को बढ़ाना प्रत्याशित था। इसे वर्ष 2007 में 3,479 ईबीबी के उच्चतम प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) बच्चों तक विस्तारित किया गया था। और उसके बाद वर्ष 2008 में प्रारंभिक स्तर तक सार्वत्रिक किया गया यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। एमडीएमएस का प्रबंधन और क्रियान्वयन, विद्यालय प्रबंधन/ग्राम शिक्षा समितियों, पंचायती राज संस्थानों और स्वयं सेवी समूहों द्वारा किया जाता है। अब इसमें एसएसए के अंतर्गत सहायता प्राप्त मंदरसे और मकतबे, राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजनाओं के अंतर्गत बच्चों को शामिल किया गया है। ऊष्मीय मानों सहित इच्छित पौषणिक मानों, प्रोटीन समावेशन और स्कीम में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, अतिरिक्त पौषणिक संपूरकों और विटामिनो के कार्यान्वयन का विस्तृत सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पोषण स्कीम को भाव और अभिप्राय, दोनों में कार्यान्वित किया जाए।

व्याप्ति

21.81. एमडीएमएस में वर्ष 2010-11 में प्राथमिक विद्यालय के 7.18 करोड़ बच्चों और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के 3.36 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया। बिहार (43 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (57 प्रतिशत) और झारखण्ड (58 प्रतिशत) राज्यों में, बच्चों को शामिल किया जाना, 72 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है जबकि, छत्तीसगढ़ (83 प्रतिशत) और ओडिशा (82 प्रतिशत) में बच्चों को शामिल किया जाना, राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। वर्ष 2012-13 हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना और बजट के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमडीएमएस के जिला वार कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया गया है और संकेंद्रित ध्यान दिए जाने के लिए निकृष्ट कार्य निष्पादन जिलों (144) की पहचान की गई है।

निकृष्ट कार्य निष्पादन जिलों में से वाम पंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 17, पूर्वोत्तर राज्यों (त्रिपुरा-3, मेघालय-4, असम-4) में 11 जनजातीय जिलों में 17 और पहाड़ी क्षेत्रों (उत्तराखण्ड-4, जम्मू और कश्मीर-9) में 13 हैं।

21.82. बारहवीं योजना के दौरान एमडीएमएस को, प्रगामी रीति से पूर्व प्राथमिक शिक्षण, निजी असहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेषकर अनु. जा./अनु. ज. जाति और अल्पसंख्यक संकेंद्रित क्षेत्रों में और आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 25 प्रतिशत निर्धारित सीटों के समक्ष पड़ोसी निजी विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त निर्धन बच्चों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। व्याप्ति को विस्तारित करते समय इस स्कीम में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कर में छूट जैसी वित्तीय प्रेरणाओं पर विचार किया जा सकता है। सभी बच्चों के लिए भोजन की अच्छी गुणवत्ता, पौष्टिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के साथ साथ अन्य एनजीओ और सरकारी अभिकरणों के साथ साझेदारियां विकसित की जा सकती हैं। वर्ष 2009 में संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार पका हुआ भोजन अपेक्षित है। इसके लिए, खाद्य फसलों के समुचित भण्डारण हेतु रसोई एवं भण्डारगृह के निर्माण और स्वच्छ वातावरण में भोजन को तैयार करने के लिए निधीयन प्रदान की जा रही हैं। इसे संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया जाएगा और इसके लिए क्षमता निर्माण पहले की जाएगी। दो कार्यक्रमों की सहक्रिया से लाभ प्राप्त करने के लिए बारहवीं योजना के दौरान विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ एमडीएमएस का पूर्ण अभिसरण सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ समय बीतने के बाद यह, एमडीएमएस के प्रभाव के संबंध में अच्छा देशांतरीय आंकड़ा प्रदान करेगा।

निगरानी और मूल्यांकन

21.83. एमडीएमएस के कार्यान्वयन में अनेक चिंताएं हैं, जो हैं बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और वास्तविक रूप से शामिल किए जाने में बड़े अंतर, खाद्य अनाजों और नकद निधि उपयोग का बेमेल होना भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर नियंत्रणों में कमी, भोजन की अनियमित और अनिश्चित आपूर्ति और कुछ राज्यों में अनाज की निकृष्ट गुणवत्ता। इन चिंताओं का निराकरण करने के लिए एमडीएमएस के अंतर्गत निगरानी प्रणाली को बारहवीं योजना के दौरान और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इस स्कीम की निगरानी हेतु एक एमआईएस पोर्टल पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है। अब, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल में आंकड़े डाल रहे हैं और 2.7 लाख विद्यालयों के वार्षिक आंकड़े इस पोर्टल में पहले ही डाल दिए गए हैं। दैनिक आधार पर सूचना को ग्रहण करने और वास्तविक

समय आधारित स्कीम को निगरानी करने के लिए एमआईएस को अन्योन्यक्रियात्मक ध्वनि प्रतिउत्तर प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा। समआईएस, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्यों के निकृष्ट रूप से कार्य निष्पादन क्षेत्र में दौरे करने हेतु योजना बनाने के लिए समर्थ बनाएगा। इसका उपयोग, सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु एक कार्यतंत्र के रूप में किया जा सकेगा क्योंकि आईवीआरएस के माध्यम से इस प्रणाली में डाले गए आंकड़ों को सत्यापन के लिए एसएमसी सदस्यों को वापस भी भेजा जाएगा। यह, एमडीएमएस के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को तथा इस स्कीम की संपूर्ण प्रभाविता को बढ़ाएगा बारहवीं योजना के दौरान ऐसे स्वतंत्र मूल्यांकनों को सुदृढ़ किया जाएगा

महिला समख्या (एमएस)

21.84. महिला समख्या (एमएस) को वर्ष 1988-89 में 10 राज्यों के 105 जिलों, 425 ब्लॉकों (233 ईबीबीएस सहित) और 33,577 गांवों में कार्यान्वित किया जा रहा है और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों पर यह विशेष ध्यान देता है। क्रमिक मूल्यांकनों ने महिला सामख्या को एक अनन्य प्रक्रिया अभिमुखी कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया है जिसमें ग्रामीण निर्धन और उपेक्षित महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रमाणित तरीके हैं और उसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में और शैक्षिक तथा शिक्षा प्राप्ति प्रक्रियाओं में उनकी प्रभावी सह भागिता को समर्थ बना रहा है। फील्ड स्टाफ के सतत परिप्रेक्ष्य निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से अत्यधिक उपेक्षित महिलाओं पर एमएस कार्यक्रम द्वारा ध्यान दिया जाना संभव हुआ है। ग्यारहवीं योजना के अंत तक शामिल की गई 10.5 लाख महिलाओं में से 36.74 प्रतिशत अनु. जा. हैं, 16.33 प्रतिशत अनु. ज. जा. हैं, 27.47 प्रतिशत ओबीसी हैं, 9.13 प्रतिशत मुस्लिम हैं और केवल 10.38 प्रतिशत महिलाएं सामान्य वर्गों से हैं।

21.85. बारहवीं योजना के दौरान महिला समख्या को जारी रखना, आरटीई एसएसए के माध्यम से अंतर्विष्ट शिक्षा पर वर्तमान दबाव के कारण महत्वपूर्ण है। एमएस से संबद्ध प्रशिक्षित महिलाएं के बड़े समूह का उपयोग आरटीई के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किया जा सकेगा नामतः, शिक्षा में और शिक्षा के माध्यम से साम्या और समानता। बाह्य निधीयन के पूर्णतः उपयोग हो जाने पर, इस कार्यक्रम को 100 प्रतिशत आंतरिक निधीयन के साथ आरटीई अनुकूल एसएसए के अंतर्गत लाया जा सकेगा। मुख्यधारा में लैंगिक व्यवधानों का निराकरण करने के लिए एमएस कार्यक्रम की विविध अंतर्दृष्टियों को महिलाओं के सशक्तीकरण, शिक्षा प्राप्ति, अभिकरण, लड़कियों की शिक्षा और संस्थान निर्माण पर लाने के लिए मजबूत राज्य

स्तरीय अथवा क्षेत्रीय इकाइयों के साथ एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र को स्थापित किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम, स्वयं में सुदृढ़ होगा और बारहवीं योजना के दौरान अपनी व्याप्ति के साथ साथ क्षेत्र/भूमिका, दोनों में विस्तारित होगा।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

21.86. हाल के वर्षों में विशेषकर अधिक उपेक्षित समूहों से प्रारंभिक शिक्षा नामांकनों में नाटकीय वृद्धि और बनाए रखने तथा अंतरण दरों में सुधारों के साथ माध्यमिक विद्यालयों पर और अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देने का दबाव बढ़ रहा है। आरटीई अधिनियम के लागू होने और बनाए रखने तथा अंतरण दरों में और अधिक सुधार के साथ माध्यमिक शिक्षण की मांग, आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ जाएगी। इस मांग को पूरा करने के लिए तीन कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला, माध्यमिक शिक्षा, अर्थव्यवस्था के अर्ध संघटित और संघटित क्षेत्रों की बृहत मानव शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करती है। दूसरा, यह उच्चतर शिक्षा हेतु आपूर्ति श्रृंखला है। और अंततः, यह प्राथमिक शिक्षण हेतु अध्यापकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। माध्यमिक स्तर पर निम्न सहभागिता दरें और निकृष्ट गुणवत्ता, उच्चतर शिक्षा सहभागिता तथा प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण, दोनों में सुधार करने में एक मार्गविरोध है।

21.87. इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षण के सामाजिक और आर्थिक, दोनों लाभ हैं। जबकि, माध्यमिक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जीवन स्थितियों में स्पष्ट सुधार हुए हैं, तो भी माध्यमिक शिक्षण में निवेशों के प्रतिफल की उच्च उपांतिक दरें हैं। अतः देश को पर्याप्त गुणवत्ता के माध्यमिक शिक्षण पर ध्यान देने के अवसरों के सार्वभौमीकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। वार्षिक स्तरों के निकट पहुंच रही प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन के साथ माध्यमिक शिक्षा तक वार्षिक पहुंच की दिशा में बढ़ने का अवसर उपलब्ध रहेगा। वर्ष 2009-10 में संयुक्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों (कक्षा 9 से 12) हेतु वर्तमान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), लगभग 50 प्रतिशत पर खेदजनक ढंग से कम है। अतः, माध्यमिक शिक्षण प्रणाली की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच के लिए आय, लिंग, सामाजिक वर्ग और भूगोल संबंधी बहुत अधिक असमानताएं हैं। माध्यमिक शिक्षा की औसत गुणवत्ता बहुत निम्न है। अतः, इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अविरोध प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा की पहुंच, साम्या और गुणवत्ता में एक ही समय पर नाटकीय ढंग से सुधार करना एक चुनौती है।

70 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

21.88. माध्यमिक शिक्षा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी, भारत की एक पुरानी परंपरा है। विद्यालय चार प्रकार के होते हैं: (1) सरकारी – राज्य सरकारों (के साथ साथ कुछ केंद्रीय स्थापित संस्थानों) द्वारा स्थापित; (2) स्थानीय निकाय – निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा स्थापित; (3) सहायता प्राप्त विद्यालय – ऐसे निजी विद्यालय जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं; और (4) निजी असहायता प्राप्त विद्यालय। गत दो दशकों में निजी क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों का अधिकांश विकास, असहायता प्राप्त विद्यालयों (विद्यालयों का 25 प्रतिशत) में हुआ है। अब लगभग 60 प्रतिशत विद्यालय, सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त हैं। अतः, यह अनिवार्य है कि निजी क्षेत्र के सामर्थ्य और संभाव्य को अभिनव सार्वजनिक निजी साझेदारियों के माध्यम से काम में लाया जाए जबकि साथ ही साथ माध्यमिक स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाए। और राज्यों में निजी विद्यालयों की उपस्थिति, महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होने की स्थिति में, संदर्भ विशिष्ट समाधानों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।

21.89. यद्यपि, माध्यमिक शिक्षा में निजी प्रावधान को विकसित किया जाना चाहिए, जहां भी साध्य हो, तो भी सरकार को उपेक्षित वर्गों को

पहुंच प्रदान करने और ग्रामीण/शहरी, क्षेत्रीय, लैंगिक और सामाजिक समूह अंतरालों को कम करने के लिए प्रमुख उत्तरदायित्व उठाना होगा। साथ ही साथ, सरकार को अध्यापक शिक्षा एवं जवाबदेही, पाठ्यक्रम सुधार, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षा सुधार, राष्ट्रीय मूल्यांकन सामर्थ्य और प्रबंधन सूचना प्रणालियों में निवेश, अवश्य करना चाहिए, जिसे राष्ट्रीय पैमाने पर सफल बनाने के लिए समय और महत्वपूर्ण संस्थागत क्षमता निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी।


नामांकन

21.90. माध्यमिक (कक्षा 9 से 10) और उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11 से 12) स्तरों पर सकल नामांकन अनुपातों के क्रमशः 62.7 प्रतिशत और 35.9 प्रतिशत रहने के परिणामस्वरूप कक्षा 9 और 12 हेतु संयुक्त जीईआर विचारणीय रूप से 49.3 प्रतिशत तक कम हुआ है (तालिका 21.3 देखें)। सभी श्रेणियों में माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक तक जीईआर में महत्वपूर्ण कमी के कारण पहुंच की सामान्य कमी, सार्वजनिक विद्यालयों की कमी, निजी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की उच्च लागत और शिक्षा की निकृष्ट गुणवत्ता सहित अनेक घटकों के साथ साथ कार्यबल में विनयी प्रवेश की उच्च अवसर लागत का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। माध्यमिक स्तर पर भारत का जीईआर सभी विकासशील देशों (63 प्रतिशत) के औसत के करीब है लेकिन

तालिका 21.3
सामाजिक समूहों द्वारा माध्यमिक शिक्षा हेतु जीईआर (2009-10)

	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	गैर अनु. जा./अनु. ज. जा.	समस्त
माध्यमिक स्तर				
लड़के	71.19	54.24	67.02	66.65
लड़कियां	63.50	44.22	58.97	58.45
कुल	67.58	49.41	63.13	62.71
उच्चतर माध्यमिक स्तर				
लड़के	37.42	31.36	39.17	38.31
लड़कियां	33.48	22.32	34.39	33.31
कुल	35.60	26.91	36.88	35.92
माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर, दोनों				
लड़के	54.52	43.45	52.86	52.39
लड़कियां	48.86	33.68	46.54	45.86
कुल	51.88	38.70	49.82	49.26

स्रोत: चयनित शिक्षा सांख्यिकी, एचआरडी मंत्रालय, 2009-10



स्रोत: चयनित शिक्षा सांख्यिकी, एचआरडी मंत्रालय, 2009-10, ईएफए-जीएमआर - 2011 और यूआईएस

चित्र 21.1: राज्यों/चयनित देशों द्वारा: माध्यमिक शिक्षा हेतु जीईआर (उच्च/निम्न जीईआर राज्य और अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं)

चीन, इण्डोनेशिया, थाइलैण्ड और ब्राजील (देखें चित्र 21.1) जैसी उभर रही अर्थव्यवस्थाओं से पर्याप्त रूप से कम है।

21.91. अनुसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों के नामांकनों में हाल के वर्ष में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है और अब गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की तुलना में अधिक है। यह, विशेषकर शहरी और अर्ध शहरी मलिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा तक बढ़ी पहुंच के साथ जोड़कर, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता के अन्य रूपों हेतु सरकारी सहायता के कारण संभव हुआ है। तथापि, सदृश प्रयासों के बावजूद, अनुसूचित जनजातियों के जीईआर का माध्यमिक स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से कम होना जारी है। इसके लिए प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक निम्न अंतरण दरों के साथ साथ वंचित स्थानों में पहुंच संबंधी चुनौतियों को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है - ये दोनों ही लड़कियों पर बलाघात हैं।

21.92. माध्यमिक स्तर पर अपेक्षाकृत निम्न जीईआर के अंतर्गत व्यापक क्षेत्रीय और अंतर राज्यीय भिन्नताएं हैं। प्रमुख राज्यों में माध्यमिक स्तरीय जीईआर, राष्ट्रीय स्तर (62.7 प्रतिशत) की तुलना में झारखण्ड में 29 प्रतिशत और बिहार में 35 प्रतिशत के बराबर कम तथा हिमाचल प्रदेश में 89 प्रतिशत और केरल में 98 प्रतिशत के बराबर उच्च हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जीईआर, झारखण्ड में

6.5 प्रतिशत और असम में 13 प्रतिशत पर बहुत कम तथा हरियाणा में 60 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 69 प्रतिशत पर काफी उच्च रहता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में जीईआर में लैंगिक अंतराल 20 प्रतिशत के बराबर है।

21.93. भारत में 19-24 वर्ष की आयु वर्ग की मात्र 5 प्रतिशत जनसंख्या ने व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से किसी प्रकार के कौशल सीखें हैं, जबकि कोरिया में यही आंकड़ा 96 प्रतिशत के बराबर उच्च है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के विस्तारण और अभिकल्पन तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने की सिफारिश की है। ग्यारहवीं योजना के मध्य कालिक मूल्यांकन ने रोजगार अवसरों के लिए व्यावसायिक शिक्षा में पाठ्यक्रम संशोधन करने, प्रत्यायित अभिकरणों द्वारा समुचित प्रमाणन करने, बहु प्रवेश/विकास संभावनाओं के साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता तथा उद्योगों के साथ संपर्क करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन द्वारा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के प्रावधान के साथ रोजगार अभिमुखी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों की मांग को चुना गया है। जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों को प्राप्त करने के क्रम में व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षण के समेकित कार्य रूपरेखा के भीतर सुयोजित करना महत्वपूर्ण है। अतः माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा हेतु अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

सरकारी व्यय

21.94. माध्यमिक शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय, वर्ष 07-08 में ₹35,806 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 94,183 करोड़ रुपए हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप जीडीपी की प्रतिशतता में इसका अंश 0.78 प्रतिशत से बढ़कर 1.05 प्रतिशत हुआ है। इस अवधि के दौरान माध्यमिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय, ₹315 से बढ़कर ₹784 तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार का व्यय वर्ष 2007-08 में ₹2,578 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹13,278 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि पांच गुनी वृद्धि है। महत्वपूर्ण निजी व्यय भी इसी प्रकार से हैं। निजी विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा पर औसत निजी व्यय, सरकारी विद्यालयों में प्रति माह मात्र ₹275 की तुलना में प्रतिमाह ₹893 के बराबर उच्च है (एनएसएस: 2007-08) यह अंतर, प्राथमिक रूप से निजी विद्यालयों में उच्च शिक्षण शुल्क के कारण है।

21.95. ग्यारहवीं योजना के दौरान, माध्यमिक शिक्षा हेतु केंद्रीय योजना परिव्यय ₹54,945 करोड़ था। इसमें से ₹17,723 करोड़ (अथवा परिव्यय का 32.26 प्रतिशत) की राशि ही वास्तव में खर्च की गई थी। राज्य सरकारों सहित पणधारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श प्रक्रिया में नई स्कीमों के प्रारंभ को प्राथमिकता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन के प्रथम तीन वर्षों में नियोजित संसाधनों का अल्प इष्टतम उपयोग हुआ। तथापि, ग्यारहवीं योजना अवधि के अंतिम दो वर्षों में यह मंत्रालय स्कीमों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए पूर्णतः तैयार था लेकिन मात्र सीमित संसाधन उपलब्ध कराए गए थे।

ग्यारहवीं योजना की समीक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

21.96. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक शिक्षा को कई गुना बढ़ाने के लिए केंद्र की सहायता से प्रमुख महत्त्व मिला। वर्ष 2009-10 में केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 (विशेष श्रेणी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) की निधीयन पद्धति के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था।

21.97. आरएमएसए के प्रमुख उद्देश्य (1) शिक्षा के न्यूनतम स्तर को कक्षा 9 तक और सार्वत्रिक पहुंच को माध्यमिक शिक्षा तक उठाना; (2) विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पर ध्यान दिए जाने के साथ अच्छी गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना; और (3) नामांकनों

और अलग किए जाने में लैंगिक, सामाजिक और क्षेत्रीय अंतरालों को कम करना तथा बनाए रखने में सुधार करना है। आरएमएसए के अंतर्गत समर्थित हस्तक्षेपों में शामिल है; (1) उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों तक उन्नयन करना; (2) मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण; (3) विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्षा कला, शिल्प और संस्कृति कक्षा, शौचालय और जल सुविधाएं प्रदान करना; (4) अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना; और (5) विद्यालय भवनों और अध्यापकों के आवास ग्रहों की प्रमुख मरम्मतों का प्रावधान करना। योजना के तीसरे वर्ष में प्रारंभ होने के बावजूद भी ग्यारहवीं योजना (तालिका 21.4 देखें) के दौरान आरएमएसए के अंतर्गत अच्छी प्रगति हुई थी। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में 3.2 मिलियन अतिरिक्त विद्यार्थियों का नामांकन करने के लक्ष्य की तुलना में 2.4 मिलियन अतिरिक्त विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था।

अन्य स्कीमों

21.98. ग्यारहवीं योजना के दौरान आरएमएसए के अतिरिक्त पांच केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामतः (1) मॉडल विद्यालयों की स्थापना (2) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के छात्रावासों की स्थापना (3) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बालिका प्रोत्साहन स्कीम (एनएसआईजीएसई); (4) माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समाविष्ट शिक्षा (आईडीडीएसएस); और राष्ट्रीय मेधा एवं औसत छात्रवृत्ति स्कीम (एनएमएमएस) प्रारंभ की गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में आईसीटी की जारी स्कीम को संशोधित किया गया था। इन स्कीमों के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 2.5 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, +2 स्तर पर व्यावसायिक धारा की स्कीम, जो वर्ष 1988 में प्रारंभ और वर्ष 1992-93 में संशोधित की गई थी, को वर्ष 2011 में यथा अनुमोदित अतिरिक्त संशोधन के बाद जारी रखा गया था। एक मिलियन से अधिक विद्यार्थियों का प्रबंधन करने के लिए व्यावसायिक धाराओं के विद्यालयों में 10,000 से अधिक 21,000 खण्डों की व्यापक अवसंरचना के बावजूद भी ऐसे विद्यार्थियों के 25 प्रतिशत को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में व्यावसायिक धाराओं में सभी विद्यार्थियों के मात्र लगभग 4.8 प्रतिशत का नामांकन किया गया।

21.99. लगभग 13 लाख विद्यार्थियों के नामांकन के साथ 1,740 विद्यालय (केंद्रीय विद्यालय-1,092, जवाहर नवोदय विद्यालय-586 और केंद्रीय विद्यालय-62) हैं, जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये विद्यालय शैक्षिक रूप तथा दूसरे ढंग दोनों से

तालिका 21.4
आरएमएसए: ग्यारहवीं योजना में उपलब्धि

क्र. सं.	मदें	लक्ष्य	उपलब्धि (अनुमोदित)
1	नए विद्यालयों को मंजूरी	11,188	9,636
2	मौजूदा विद्यालयों का सुदृढीकरण	44,000	34,311
3	अतिरिक्त कक्षाएं	88,500	49,356
4	अतिरिक्त अध्यापक	1,79,000	59,000
5	सभी अध्यापकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण	100%	100%
6	विद्यालयों को वार्षिक अनुदान	पूर्ण व्याप्ति	75,394
7	विद्यालयों की आंशिक मरम्मत	पूर्ण व्याप्ति	62,221

स्रोत: विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार

तालिका 21.5
माध्यमिक शिक्षा हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें

क्र. सं.	स्कीमें	प्रारंभ वर्ष	ग्यारहवीं योजना में लक्ष्य उपलब्धियां	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1.	मॉडल विद्यालय			
	(क) ईबीबी (केवी सांचा)	2009-10	3,500	1,940
	(ख) गैर ईबीबी (पीपीपी रीति)	2012-13	2,500	-
2.	लड़कियों के छात्रावास	2008-09	3,479	958
3.	माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समाविष्ट शिक्षा			
	(क) लाभकारी (लाख में)	2009-10	-	10.76
	(ख) शामिल किए गए विद्यालय (लाख में)	2009-10	-	2.18
4.	एनएसआईजीएसई (लाख में)	2008-09	-	12.60
5.	एनएमएनएस (लाख में)	2008-09	4.0	1.04
6.	विद्यालयों में आईसीटी			
	(क) शामिल किए गए विद्यालय (सं.)	2009-10 (संशोधित)	-	90,209
	(ख) स्मार्ट विद्यालय (सं.)	2009-10 (संशोधित)	150	63

स्रोत: विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एमएचआरडी, भारत सरकार

अन्य विद्यालयों से अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार संपूर्ण देश में ऐसे और अधिक विद्यालयों की मांग है। ग्यारहवीं योजना के दौरान 100 से अधिक नए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय और जनजाति कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत क्रमशः सैनिक विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालय आते हैं।

21.100. ग्यारहवीं योजना के दौरान विद्यालय शिक्षा में शीर्ष निकाय, नीति, आयोजना और आंकड़ा, एकत्रण हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनईयूपीए), पाठ्यक्रम अभिकल्प तथा विद्यालय शिक्षा हेतु पाठ्यपुस्तकें और अध्यापन शिक्षा प्राप्ति सामग्रियों को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी), संबद्धता, परीक्षा और मूल्यांकन हेतु केंद्रीय

74 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान (एनआईओएस) बहुत सक्रिय थे और इन्होंने विद्यालय शिक्षा सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बारहवीं योजना की कार्यनीति

21.101. माध्यमिक शिक्षा के लिए बारहवीं योजना का उद्देश्य है 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की लक्षित आबादी को गुणवत्तापूर्ण, पहुंच योग्य और वहनीय शिक्षा उपलब्ध कराना। इन सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य (अधोलिखित बॉक्स 21.4 देखें) प्राप्त करने की जरूरत होगी:

21.102. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यनीति की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: (1) मौजूदा संसाधनों का सुदृढीकरण करना एवं उनका इष्टतम उपयोग करना; (2) निजी विकास को सुविधा प्रदान करना; (3) गुणवत्ता में सुधार करना; (4) शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देना; (5) शिक्षा में आईसीटी का समाकलन करना और (6) माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा संबंधी नवीकृत प्रयास करना। नीचे के पैराग्राफों में इन सभी तत्वों का संक्षेप में वर्णन किया गया है।

सुदृढीकरण एवं विस्तार

21.103. सार्वभौम माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्यनीतियां माध्यमिक शिक्षा आयु वर्ग की आबादी प्रक्षेपणों पर आधारित होनी चाहिए। कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर और ड्राप आउट दर में सुधार के कारण प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा में आई परिवर्तन दर के आधार पर माध्यमिक आयु वर्ग की आबादी के लिए कुछ प्रक्षेपण कार्य किया गया है। कुछ राज्यों में सुधार अभी स्थिर है और कुछ राज्य 2016-17 तक शिखर पर पहुंच जाएंगे, तथा कुछ 2025 तक स्थिर होंगे। अतः माध्यमिक शिक्षा के लिए ऐसी सूक्ष्म योजनाएं बनाना आवश्यक है जिसमें भविष्य के प्रक्षेपणोपर समुचित ध्यान दिया गया हो। प्रत्येक

राज्य विद्यालयी शिक्षा के लिए 10 वर्षीय परिदृश्य योजना बना सकता है जिसमें चौदहवीं योजना की समाप्ति तक की अवधि को कवर किया जा सके।

21.104. देश के एक तिहाई से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन 80 विद्यार्थी प्रति स्कूल से भी कम है। इन विद्यालयों की संख्या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 40,000 और 16,000 है। लगभग आधे ग्रामीण विद्यालय सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक, विद्यालय अर्थक्षम होने चाहिए और वे गुणवत्ता पर किए गए निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए काफी बड़े होने चाहिए। तथ्य यह है कि बहुत छोटे-छोटे विद्यालयों से, जहां अध्यापक अत्यधिक कम मात्रा में हों, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। निम्नलिखित द्वारा माध्यमिक शिक्षा का सुदृढीकरण किया जा सकता है (1) कक्षा 1 से 12 तक के लिए अधिक से अधिक कम्पोजिट विद्यालय बनाना; (2) आरटी ई-सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन चरणबद्ध ढंग से प्रारंभिक विद्यालयों में करना; (3) प्रत्येक तृतीय प्रारंभिक विद्यालय का उन्नयन करके उसे माध्यमिक विद्यालय बनाना; (4) प्रत्येक चौथे माध्यमिक विद्यालय का, उसमें अतिरिक्त कक्षाकक्ष प्रयोगशालाएं बढ़ाकर, पुस्तकालयों एवं खेलकूद सुविधाओं को सुदृढ करके तथा अध्यापकों की संख्या बढ़ाकर, उन्नयन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करना। अतिरिक्त कक्षाकक्ष और सुविधाएं बढ़ाने की लागत नए विद्यालय स्थापित करने की लागत से बहुत कम होगी। नए विद्यालयों की स्थापना केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जाएगी जहां इस समय विद्यालय नहीं हैं। नजदीक में ऐसे विद्यालयों की अनुपलब्धता, जहां पैदल चलकर विद्यालय पहुंच जा सके, के कारण स्कूल से ड्राप आउट, खासकर लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के ड्राप आउट से बचने के लिए, परिवहन की सुविधा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, की जाएगी। यह परिवहन सुविधा, छात्रावास स्थापित करने की तुलना में अधिक लागत

बॉक्स 21.4

माध्यमिक शिक्षा: बारहवीं योजना का उद्देश्य

1. वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा में लगभग सार्वभौम नामांकन प्राप्त करने के साथ-साथ जी ई आर में 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल करना;
2. वर्ष 2017 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जी ई आर में 65 प्रतिशत तक वृद्धि करना
3. वर्ष 2017 तक ड्राप आउट दर घटाकर 25 प्रतिशत से भी कम करना;
4. संगत दक्षतायुक्त गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें विज्ञान, गणित, भाषा एवं सम्प्रेषण में आधारभूत सक्षमता शामिल हो;
5. देश के सभी विद्यालयों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सामान्य पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्रियान्वित करना।
6. उच्च एवं सकारात्मक सोच, आईसीटी का प्रयोग, संगठन एवं नेतृत्व प्राप्त करने तथा समुदाय सेवा, कौशल सहित जीवनोपयोगी दक्षताओं का विकास करना।

प्रभावी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य होगी। ऐसा होते हुए भी, इन विद्यालयों को अध्यापकों की तैनाती तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान करके इन्हें प्रचालनात्मक रूप से अधिक अर्थक्षम बनाने के उद्देश्य से प्राथमिकता आधार पर छात्रावास की सुविधाएं प्रदान कराई जाएगी। गैर सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों में लगभग 25,000 ऐसे विद्यालय हैं जो प्रतिविद्यालय 80 छात्रों से कम के नामांकन पर भी चल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए इन विद्यालयों की अधिशेष इनटेक क्षमता का उपयोग करने हेतु प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे लगभग 14,000 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। इन विद्यालयों को उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उपेक्षित वर्गों की शैक्षिक जरूरत को पूरा करने के लिए इन विद्यालयों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

21.105. उच्चतर शिक्षा के कई विद्यालयों के पास ऐसी काफी लम्बी-चौड़ी भूमि पड़ी है जिसका या तो उपयोग ही नहीं होता है या कम उपयोग होता है। इन स्थानों पर माडल स्कूल/जवाहर नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को उन स्थानों पर जहां अभी भी विद्यालय नहीं हैं और दुर्गम क्षेत्रों में जहां भूमि की उपलब्धता कोई अवरोध नहीं है, नए माध्यमिक विद्यालय खोलना चाहिए। घनी आबादी वाले क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में स्थित विद्यालयों में द्वितीय पारी चलाने का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। समग्र रूप से, कार्यनीति यह होनी चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संसाधनों की मैपिंग और निजी एवं गैर-सरकारी विशेषज्ञता एवं संसाधनों को बेहतर बनाकर मौजूदा भूमि, बुनियादी सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं का बेहतर प्रयोग करके उसका सुदृढीकरण किया जाना चाहिए।

निजी विकास को सुकर बनाना

21.106. माध्यमिक शिक्षा में निजी सेक्टर की भूमिका को सही नीतियों, उपयुक्त विनियम, नवाचारी निजी सार्वजनिक भागीदारी और विभिन्न मांग-पक्ष वित्तपोषण उपयोग, जिससे विश्वसनीयता में सुधार होता है और जिसे माता-पिता भी अधिक पसंद करते हैं द्वारा और अधिक सुदृढ किया जा सकता है तथा एतद्वारा माध्यमिक शिक्षा के सभी तीनों उद्देश्य-पहुंच, गुणवत्ता और इकिवटी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए बहु लाइसेंसिंग प्रणाली और प्रक्रियाओं को समाप्त करने, प्रवेश के अवरोधों को दूर करने की जरूरत है और राज्य सरकारों को संस्थान स्थापित करने की अपेक्षाओं सहित अन्य मापदंडों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कई राज्यों ने विद्यालय भूमि मानदंडों का निर्धारण 1960 और 1970 में किया था

जिन पर तुरंत पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। निजी संस्थानों की अवरोध मुक्त प्रविष्टि सुलभ बनाने के लिए एक एकल खिड़की अधिगम अंगीकार करने की जरूरत है जिसमें नए विद्यालय स्थापित करने के लिए अवेदन पत्रों की ऑनलाइन निगरानी भी शामिल है। निजी क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त कराधान एवं भू-नीतियों की जरूरत होगी, साथ ही नए विद्यालय बनाने अथवा मौजूदा विद्यालयों की अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, न्यासों और पंजीकृत सोसायटियों को रियायती ऋण प्रदान कराया जाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अधिकांश विद्यालयों में, जो कुछ समय तक मौजूद रहे, विशालकाय मुक्त स्थल, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, होता है। इन पुराने भवनों में से अधिकांश की मरम्मत एवं उनका उन्नयन कराने तथा कई मामलों में तो उनका पुनर्निर्माण कराए जाने की जरूरत है। एसएसए और आरएमएसए पुराने विद्यालयों का वित्तपोषण नहीं करते हैं। भूमि के कुछ क्षेत्र को संविदात्मक दायित्व के अधीन, मौजूदा सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण करने से कम पर निजी स्कूलों को पट्टे पर दिए जाने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस संविदा करार में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को उसी परिसर में उसके निजी भागीदार की प्रयोगशाला, पुस्तकालय और सामान्य क्रीडास्थल सुविधाओं तक पहुंच का प्रावधान होना चाहिए।

21.107. देश के कई विद्यालय जिन्हें स्थानीय लोगों की पहल पर शुरु में निजी विद्यालयों के रूप में शुरु किया गया था, अब सरकारी सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालय हो गए हैं। यह प्रणाली स्थानीय सहभागिता को प्रोत्साहित करती है और अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित अंतराल के पूरा करती है। अपने निजी विद्यालय स्थापित कर और उन्हें बहुत न्यून स्तर के नामांकन से प्रचलित कर रही सरकारों के लिए यह एक अच्छा विकल्प होगा कि वे गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अच्छा नियामक तंत्र बनाएं। निजी वित्तविहीन सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रोत्साहित करने से आबादी के केवल उस भाग की जरूरत पूरी हो जाएगी जो उसका भुगतान करने में सक्षम हैं, और इन विद्यालयों में शुल्क में सब्सिडी देने की नीति बनाई जा सकती है जिससे कि समाज के गरीब तबके के बच्चों का कुछ प्रतिशत इन विद्यालयों में निशुल्क या सब्सिडाइज्ड शिक्षण शुल्क पर दाखिल कराया जा सके। उनकी इनटेक क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु उनका विस्तार करने में संसाधन अवरोध आड़े आ सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा की संवर्धित वृद्धि के लिए विद्यालय अवसंरचना में विस्तार करने हेतु संस्थागत वित्तपोषण अनिवार्य है। यह एक अच्छा मौका भी है जिसे संस्थानों द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्य जैसे विद्यार्थियों

76 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

का ग्रेजुएशन, अकादमिक सुधार और उपेक्षित वर्ग का अवधारण करने के निष्पादन के लिए नवीन वित्तपोषण से जोड़ा जा सकता है।

21.108. आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) पर विशेष ध्यान देने की तत्काल जरूरत है जिससे कि उपान्तिक वर्गों से सीखने के इच्छुक लोगों तक पहुंचा जा सके और माध्यमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच बनाई जा सके। माध्यमिक शिक्षा में यथा व्यवहार्य निजी-सार्वजनिक भागीदारी का पता लगाया जाना चाहिए। निजी विद्यालयों में उपेक्षित वर्ग के बच्चों के नामांकन का तर्कसंगत लागत मानदंड प्रति बच्चा वित्त पोषण करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित तीन तत्व आवश्यक हैं: (1) मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अतिरिक्त अवसंरचना विकास हेतु निवेश योग्य संसाधनों के लिए वित्तपोषण देने की सुविधा; (2) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों का यथोचित प्रत्यायन; (3) विद्यालयों की स्वायत्तता का अतिलंघन करने वाले नियमों एवं विनियमों, जिनमें निजी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का निर्धारण शामिल है, पर पुनर्विचार करना। यदि विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं के निर्धारित न्यूनतम मानदंडों एवं मानकों को पूरा किया जाता है और सीटीईटी/एसटीईटी पात्रता युक्त अर्हक अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं तो संकाय एवं स्टाफ के लिए क्षतिपूर्ति ढांचे का निर्धारण करने हेतु बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए।

गुणवत्ता में सुधार करना

21.109. माध्यमिक स्तर पर अभी हाल ही में भरोसेमंद एवं बड़े पैमाने पर ज्ञान का आकलन मौजूद नहीं है। तथापि, दो राज्यों (राजस्थान और उड़ीसा) में माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर गणित में विद्यार्थियों की उपलब्धि का अल्प पैमाने पर किया गया मानकीकृत आकलन सुझाव देता है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षण एवं अनुदेश की गुणवत्ता बहुत न्यून है। न्यून स्तर की शिक्षा के कई कारण हैं। विद्यार्थियों की लगभग आधी उपलब्धि का निर्धारण करने में स्कूल अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः, बारहवीं योजना में सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाओं एवं गुणवत्ता के न्यूनतम मानदंड को सम्पुष्ट करना अनिवार्य होगा। इस कार्य के लिए राज्यों, खासकर उन राज्यों में जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं, को सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार को अहम भूमिका निभानी होगी। ज्ञान और कौशल स्वायत्तता और विश्वसनीयता ढांचे के रूप में विद्यालयों के क्षमता निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विद्यालय में सुधार के उपाय करने हेतु अनाबद्ध अनुदानों का आबंटन करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। विद्यालय स्तर

पर उनमें 'सोचने और नवाचार करने' की योग्यता प्रदान करने हेतु स्थानीय क्षमताओं को सुदृढ़ करना होगा।

21.110. माध्यमिक शिक्षा में रटन्त विद्या पर अधिक बल दिया जाता है और संकल्पनात्मक सूझ एवं उच्च स्तर की विचारशीलता का अल्प विकास किया जाता है। शिक्षा में अपर्याप्त गुणवत्ता आश्वासन और विश्वसनीयता तंत्र मौजूद है, साथ ही अध्यापकों की सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण की क्षमता और गुणवत्ता बहुत न्यून है। पाठ्यचर्या, परीक्षा में सुधार, विद्यालय नेतृत्व, आकलन एवं प्रत्यायन संबंधी मुद्दों का भी समाधान करना होगा।

पाठ्यचर्या नवीकरण

21.111. शिक्षा व्यवस्था में पुराने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में पूर्ण सुधार करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम में आबधिक संशोधन करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, संसाधन संस्थानों जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एसआईटी तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों को आरएमएसए/अध्यापक शिक्षा स्कीम के एक भाग के रूप में सुदृढ़ करने की जरूरत है ताकि ये संस्थान भरोसेमंद सहायता सेवा प्रदान कर सकें और प्रभावी आबधिक अनुवीक्षण एवं समरूपी मूल्यांकन कर सकें। हालांकि एमएमईआर (प्रबंधन, अनुवीक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान) के लिए वित्त पोषण की दर को आरएमएसए के अंतर्गत यथोचित ढंग से बढ़ाया जाएगा फिर भी सभी राज्यों में इसके विषमतापूर्ण वितरण में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि छोटे-छोटे राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को न्यूनतम वित्तपोषण सुनिश्चित हो सके। बारहवीं योजना के दौरान पाठ्यक्रम नवीकरण, स्कूल आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई), नवाचार तथा संबंधित संस्थान निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में विविध एजेन्सियां होती हैं अर्थात् एससीईआरटी, एसआईई, शिक्षा बोर्ड, एसपीओ, निदेशालय तथा ऐसी ही अन्य, जिनका कमोबेश एक ही उद्देश्य होता है सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, परन्तु उनमें तालमेल का अभाव होता है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उन सभी के बीच प्रभावकारी सम्पर्क स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

परीक्षा सुधार

21.112. परीक्षा सुधार, जिनमें समस्याओं का समाधान निकालने, संवेदनशील सोच एवं तर्कक्षमता, कौशल बढ़ाने तथा केवल रटन्त विद्या के महत्व को कम करने पर बल दिया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक है। इन सुधारों में

बॉक्स 21.5

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा सुधार

के.मा.शि.बो. के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके लिए जो कक्षा 10 के बाद के.मा.शि.बो शिक्षा प्रणाली से बाहर जाना नहीं चाहते हैं वर्ष 2011 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक बना दी गई।

सीबीएसई से सम्बद्ध सभी विद्यालयों में अक्टूबर, 2009 से कक्षा 9 से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) को सुदृढ़ किया गया है जिनमें विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में विद्यार्थियों के जीवन कौशल का सतत आधार पर आकलन किया जाता है।

निष्पादन की रिपोर्टिंग में बेहतर उद्देश्यपरकता लाने और तनाव एवं अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अंको के स्थान पर ग्रेड देने की प्रणाली शुरू की गई।

कक्षाकक्ष के अंदर प्रदान की जाने वाली एवं सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तन की सम्भाव्यता है और उनका सीखने के परिणामों में सुधार से सीधा संबंध है। अभी हाल के वर्षों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इससे सम्बद्ध 1,30,000 विद्यालयों में व्यापक परीक्षा सुधार शुरू किए हैं। बारहवीं योजना के दौरान अन्य बोर्डों को भी ये सुधार करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

अकादमिक परिवर्तन के लिए स्कूल बोर्ड

21.113. कुछ अपवादों को छोड़कर इस समय सभी स्कूल बोर्ड अनन्यतः परीक्षा निकायों के रूप में कार्य करते हैं। बारहवीं योजना के दौरान स्कूल बोर्डों को स्कूल व्यवस्था में सुधार करने के लिए नेतृत्व करने के योग्य बनाया जाएगा। वे अपने को ऐसे ढंग से पुनर्मांडल करेंगे कि उनमें एक सुदृढ़ अकादमिक और आईटी प्रभाग होगा जो अकादमिक रूपान्तरण एवं क्षमता निर्माण के लिए परीक्षा और प्रशासन प्रभाग के साथ सघन समन्वय करेगा उन्हें विद्यालय के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों और माता-पिता का क्षमता निर्माण करने की अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। के.मा.शि.बो. जैसे कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा शुरू की गई गुणवत्ता पहलों का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में संवर्धन किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं स्थानीय भाषा में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषयवस्तु उत्पादित करना तथा अध्यापकों को अपनी विषयवस्तु स्वयं विकसित करने और उसे किसी सामान्य वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षाकक्षों में समर्थनीय आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान करना, एलएमएस द्वारा समर्थित आईसीटी-एकीकृत शिक्षा, मूल्यांकन की वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर विद्यार्थियों का तनाव कम करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समाज का भरोसा सृजित करने के लिए विद्यालयों का गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन तथा ऐसे ही अन्य सुधार करना। इन गुणवत्तापूर्ण सुधारों का क्रियान्वयन करने के लिए सभी राज्य बोर्डों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जहां

कहीं आवश्यक हो उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। के.मा.शि.बो. इस विकास को उत्प्रेरित करेगा। स्कूल बोर्डों के स्वैच्छिक एसोसिएशनों एवं के.मा.शि.बो. को सुदृढ़ करने तथा अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। अधिकांश स्कूल बोर्ड वित्तीय रूप से सम्पन्न हैं और उन्हें अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं है।

विद्यालय नेतृत्व का विकास

21.114. विद्यालय शिक्षा में नेतृत्व विकास का कार्यक्रम गहन एवं अंतर-विषयक पाठ्यक्रम, अनुभवों, विचारों का सक्रिय आदान-प्रदान, गहन शिक्षा शास्त्रीय अधिगम जो टीम कार्य और सहयोग का संवर्धन करता है, स्कूल शिक्षा में नेतृत्व का व्यावसायिक विकास करने के लिए अवसरों का सृजन करना। नेतृत्व स्वीकार करने के लिए स्कूल व्यवस्था के अंदर और बाहर प्रतिभा को बढ़ावा देने और नेतृत्व शिक्षा देने के लिए संस्थानों की एक श्रृंखला स्थापित करने, संवेदनशील शैक्षणिक सुधार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए एक साधन का कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में विद्यालयी शिक्षा में नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय केन्द्र एवं उच्चतर शिक्षा के चुनिंदा संस्थानों में नेतृत्व अकादमियां सहित द्विस्तरीय शैक्षणिक व्यवस्था होगी। एनयूईपीए को, विद्यालयी शिक्षा में नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एनसीएलएसई) के जरिए, विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्थित नेतृत्व अकादमियों के कार्य का समन्वय करने का उत्तरदायित्व दिया जाएगा।

विद्यालय गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन

21.115. एक विद्यालय गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शैक्षणिक एवं सह-शैक्षिक प्रभाव क्षेत्रों, भौतिक अवसंरचना, संकाय प्रबंधन, शिक्षण परिणाम और छात्रों और उनके माता-पिता/अभिभावकों की संतुष्टि सहित स्कूल कार्यकरण के सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा। यह प्रणाली अग्रणी देशों और के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों में प्रत्यायन प्रणाली के अनुरूप

होनी चाहिए। विद्यार्थियों में रटन विद्या के स्थान पर विश्लेषणात्मक एवं विचारशील कौशल अवाप्ति संवर्धन के लिए परीक्षा सुधार करने की जरूरत है। सरकार दसवीं स्तर पर एक राष्ट्रीय आकलन सर्वेक्षण विकसित करने के लिए पहले से ही वचनबद्ध है जो शिक्षण आकलन के नए तरीके विकसित करने का पथ प्रशस्त कर सकती है तथा किए जाने वाले कार्य निष्पादन का राज्यों के बीच तुलना करने में सक्षम बनाएगी। विद्यालयों को औसत अंतरराष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इस प्रयास की अगुवाई केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों द्वारा की जानी चाहिए जो उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं। लगभग आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां जीईआर विश्व के औसत जीईआर से अधिक है।

21.116. एनसीएफ एवं आरटीई का कारगर कार्यान्वयन करने के लिए विद्यालय बोर्डों के कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रशासकों के लिए उन्मुखीकरण एवं क्षमता निर्माण का कार्यक्रम भारी पैमाने पर चलाने की जरूरत है। पढ़ने-पढ़ाने और आकलन करने का कौशल सुदृढ़ करने को शिक्षकों एवं शिक्षा प्रदायकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु एससीईआरटी और विद्यालय बोर्डों के बीच गहन सहयोग की जरूरत है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को बनाने और उनका अंगीकरण करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के अध्यापकों सहित छोटे-छोटे विद्यालयों से अध्यापकों की अंतर्ग्रस्तता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत की प्रगति का मापन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निष्पादन की तुलना में निरंतर बेंचमार्किंग करना आवश्यक है। आकलन एवं प्रत्यायन की इस व्यवस्था के परिणाम आम जनता को बताए जाने चाहिए ताकि माध्यमिक विद्यालयों का भरोसा बढ़ाया जा सके।

स्कूल मेन्टरिंग

21.117. सरकार गुणवत्ता एवं मानकों के लिए प्रसिद्ध निजी विद्यालयों के पास पहुंचकर उनसे अपने आस-पास स्थित सरकारी विद्यालय को अपनी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहायता देने को कहेगी। अध्यापक प्रशिक्षण और संसाधन पुरुषों का पैनाल तैयार करने के लिए आस-पास के विद्यालयों की अवसंरचना सुविधाओं और अकादमिक सुविधाओं के लिए भागीदारी की जाएगी। केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय अंतर-विद्यालय क्रियाकलापों के लिए हब के रूप में कार्य कर सकते हैं ताकि वे उस क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अन्य विद्यालयों में विकास को उत्प्रेरित कर सकें। यह विज्ञान और गणित की शिक्षा प्रदान करने, संयुक्त विद्यालय संगोष्ठियां और शैक्षणिक प्रदर्शनियां आयोजित करने तथा

अंग्रेजी में सेतु पाठ्यक्रम चलाने के लिए विशेष रूप से सही है। राज्य सरकार के अधीन अच्छा कार्य कर रहे विद्यालय तथा निजी विद्यालय भी अंतर स्कूल क्रियाकलापों के केन्द्र का कार्य कर सकते हैं।

अध्यापक एवं प्रशिक्षण

21.118. माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक प्रशिक्षण ग्यारहवीं योजना में शुरू किया गया था परन्तु यह अधिगम अभी तक यान्त्रिक और अध्यापकों को ऐसा प्रशिक्षण देने तक सीमित रहा जिससे विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता मिल सके ताकि विद्यालय का औसत बढ़ सके परन्तु इसमें विचारशीलता, उपयोगिता, दक्षता, व्यवहार एवं अन्य मूल्यों के विकास पर बहुत कम बल दिया जाता था। बारहवीं योजना शिक्षा में व्यावसायिक संवर्ग विकास का संवर्धन करेगी तथा शिक्षा प्रदायक को कक्षाकक्ष सेटिंग्स में समस्या का समाधान निकालने और विचारोन्मुखता का सृजन एवं संवर्धन करने के लिए एक कारगर साधन विकसित करने के लिए सशक्त बनाएगी। विश्व विद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान विद्वानों को संगोष्ठियां, कक्षाएं और ट्यूटोरियल्स आयोजित करने के लिए परिपोषित किया जाएगा और इसके लिए उन्हें अध्येतावृत्ति के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

21.119. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वस्तुतः कमी है तथा यह कमी गणित, विज्ञान एवं विदेशी भाषाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों में और भी अधिक है। काफी बड़े भर्ती प्रयास की जरूरत है। पाठ्यक्रम में सुधार करके भी अध्यापकों का अधिक कार्य कुशल एवं उपयोगी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लोगों को अद्यतन व्यवसाय अपनाने या उसमें पुनः वापस आने को प्रोत्साहित करने के लिए नए एवं लोचशील तरीके ईजाद करने की जरूरत है; इसमें कुछ निश्चित योग्यता धारकों के बजाय संगत दक्षता युक्त व्यक्तियों को प्रेरित करने पर बल दिया जाएगा। अध्यापक एवं अध्यापन संबंधी राष्ट्रीय मिशन माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों की समस्याओं का व्यापक ढंग से समाधान करने में सक्षम होगा।

व्यावसायिक शिक्षा पर नव प्रकाश

21.120. इस तथ्य को मानते हुए कि छोटे-छोटे बच्चे कौशल को अधिक तेजी से सीखते हैं और आत्मसात करते हैं, इसलिए प्रारंभिक स्तर का कौशल प्रशिक्षण, उदाहरण के लिए प्रारंभिक स्तर पर साधारण यंत्रों को चलाना, और शिक्षा के रूप में कार्य करने के लिए वैकल्पिक रूप में पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कक्षा 9 और 10 में ही शुरू किए जा सकते हैं। उन विद्यार्थियों को जो पूर्व-व्यावसायिक विकल्प अपनाते हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अग्रणी व्यावसायिक

विषय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपनाने वाले विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ऊर्ध्वाधर सचलता विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। देश में स्कूल स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने एवं उसका विकास करने के लिए अध्यापकों को व्यावसायिक शिक्षा की अत्याधुनिक दक्षताओं और शैक्षिक तकनीकों में सतत आधार पर प्रशिक्षित करने और सज्जित करने की जरूरत है।

21.121. व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अकादमिक पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करने तथा उसके अनुरूप बनाने की जरूरत है और इसमें व्यावसायिक कौशल संबंधी विभिन्न सामान्य एवं विशिष्ट मॉड्यूल होने चाहिए, जिनमें उद्योग को अंतर्ग्रस्त किया जाना चाहिए। सामान्य एवं बहुविध कौशल विकास पर बल दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षार्थी/विद्यार्थी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा बाजार मांग के अनुरूप बन सकी। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करने की संशोधित स्कीम पर उन प्रायोगिक परियोजनाओं के आधार पर पुनर्विचार करना चाहिए जो यह परखने और सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि यह नए योग्यता ढांचा तथा उद्योग प्रवर्तित क्षेत्र कौशल परिषदों के अनुरूप है ताकि व्यावसायीकरण विद्यार्थियों के लिए एक महंगी निरर्थक शिक्षा सावित न हो सके। सम्पूर्ण देश में विभिन्न आर्थिक संदर्भों पर विचार करते हुए, इस स्कीम का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन करने की प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

बारहवीं योजना की पहलें

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

21.122. बारहवीं योजना के दौरान माध्यमिक शिक्षा के दायरे और उसकी गुणवत्ता का समाधान करने के लिए आरएमएसए को एक व्यापक स्कीम बनाया जाएगा। इसे धीरे-धीरे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए और इसे सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कई योजनाएं हैं जो विभिन्न श्रेणियों और पृष्ठभूमि के माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को लाभ पहुंचाती हैं। ये हैं:

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
2. मॉडल स्कूल स्कीम
3. बालिका छात्रावास स्कीम
4. आईसीटी/विद्यालय
5. विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा

6. व्यावसायिक शिक्षा स्कीम
7. राष्ट्रीय साधन-सह प्रतिभा छात्रवृत्ति स्कीम
8. राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन
9. भाषा शिक्षकों की नियुक्ति

21.123. आरएमएसए एक बड़ी स्कीम है जबकि अन्य स्कीमों तुलनात्मक रूप से छोटी स्कीमों हैं। समाभिरूपता और बेहतर कार्यकुशलता के लिए छोटी छोटी स्कीमों को आरएमएसए में मिला दिया जाना चाहिए। यह कार्य मौजूदा स्कीमों के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं प्रयोजनों पर बल कम किए बिना करना चाहिए। आरटीई के उदाहरण का अनुकरण करते हुए आरएमएसए का विकास किया जाएगा और/या यह माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाएगा/उसके अनुरूप बनेगा। इसकी विद्यालयी शिक्षा की न्यूनतम गुणवत्ता बनाए रखने की अपेक्षा होगी। आरएमएसए ढांचे के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा उनमें शामिल हैं बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा का निर्माण, सिविल कार्य के मानदंडों में दरों को राज्य अनुसूची के रूप में संशोधित करना, विद्यालय अवसरचना की पुनरीक्षा, वित्तपोषित विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करना, नवाचार के लिए अनाबद्ध निधि का प्रावधान तथा अन्य। इसके अतिरिक्त आरएमएसए ढांचे में सुस्पष्ट बैचमार्क के अनुरूप बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा का सम्बर्धन करने पर बल दिया जाना चाहिए और यह ऐसी होनी चाहिए कि इसे राज्यों, जिला एवं विद्यालयों द्वारा अपनी विशिष्ट जरूरत के अनुरूप ढाला जा सके।

21.124. आरएमएसए बारहवीं योजना अवधि के दौरान भी मौजूदा वित्तपोषण व्यवस्था पर ही जारी रहना चाहिए। आरएमएसए में केन्द्रीय सहायता का समानरूप से वितरण करने के लिए अंतर राज्य आबंटन व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को अपना वैध हिस्सा लेने से मना न किया जा सके और साथ ही विकसित राष्ट्र भी पूर्व तैयारी के कारण अपना अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सके। आरएमएसए को धीरे-धीरे राज्यों का प्रतिबद्धता लागत आधार/मानदंड पर वित्तपोषण करना चाहिए जिससे विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, बच्चे विद्यालय में बने रहने और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार निविष्टि आधारित वित्तपोषण के बजाय परिणाम आधारित निर्णय की ओर आकृष्ट होंगे।

21.125. आरएमएसए में मौजूदा विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए रिहायशी विद्यालय/छात्रावास का प्रावधान किया जाएगा

80 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

जिससे कि पहाड़ी एवं बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों के बच्चों की सिविल संघर्ष से प्रभावित जिलों के बच्चों की उन तक पहुंच बन सके तथा एनआईओएस द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुसार ओएससी को रिपोर्ट मिल सके। इसमें भवनरहित विद्यालयों के लिए भी प्रावधान शामिल होगा तथा न्यून अवसंरचना वाले राज्यों के लिए सिविल कार्य की सीमा से छूट मिलेगी। रैम्पों तथा सीडब्ल्यूएसएन के लिए कम से एक शौचालय के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

21.126. बारहवीं योजना के दौरान विज्ञान एवं गणित की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। विज्ञान एवं गणित (और अंग्रेजी) में अल्प स्तर की शिक्षा के कारण दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 80 प्रतिशत छात्र इन्हीं विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 में विज्ञान लेने वाले छात्रों की दर बहुत कम है, यह इस बात से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर पर 12 प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी विज्ञान वर्ग का चयन करते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग में न्यून नामांकन और अल्प गुणवत्ता वाली शिक्षा के कारण देश में वैज्ञानिक मानवशक्ति के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। आरएमएसए के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान करने और विज्ञान एवं गणित की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष संघटक का सृजन किया जाएगा, अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें विज्ञान शिक्षा के आधुनिक तरीकों में पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा।

21.127. युवकों को समग्र विकास करने के लिए विद्यालयों के पाठ्यक्रम के एक अभिन्न भाग के रूप में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को लागू किया जाएगा। सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में एमवाईए एंड एस (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) के साथ समाभिरूपता में आरएमएसए के अंतर्गत न्यूनतम अवसंरचना एवं उपभोज्य उपलब्ध कराए जाएंगे। नवोदय विद्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों के क्रीडास्थल आसपास के विद्यालयों के लिए भी खुले रहेंगे। चूंकि कई शहरों एवं नगरों में कई निजी विद्यालयों तथा यहां तक कि कुछ सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में भी विद्यालय परिसर में क्रीडास्थल नहीं होते हैं इसलिए शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों से अनुरोध किया जाएगा कि वे आस-पास के विद्यालयों के लिए युक्त क्षेत्र, खेल स्टेडियम और समुदाय क्रीडास्थल चिन्हित करने में सहायता प्रदान करें। इन विद्यालयों को ऐसे वैकल्पिक खेल क्रियाकलाप अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा जो शारीरिक विकास करने और गति संबंधी योग्यता बढ़ाने में सहायक

हों। अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा अध्यापकों (पीईटी) की नियुक्ति का वित्तपोषण आरएमएसए के अंतर्गत किया जाएगा।

21.128. माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम की सम्पूर्ण शृंखला के बीच समन्वय एवं कार्यकुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास में आरएमएसए एक संरक्षक कार्यक्रम के रूप में कार्य करेगा और बारहवीं योजना के अंतर्गत चार अन्य स्कीमों को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। ये स्कीमों निम्नलिखित हैं:

1. आईसीटी/स्कूल को आरएमएसए के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा जिससे कि इसे बेहतर लोचशीलता प्राप्त होगी तथा इसे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने एवं बेहतर परिणाम प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
2. माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) को आरएमएसए के साथ मिला दिया जाएगा और इसमें अंधे, अल्पदृष्टिता, कुष्ठ रोग से उपचारित, बहरे, चलने-फिरने में अक्षम, मानसिक रूप से कमजोर मनोरोगियों, आत्मविमोही एवं मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम का अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय करने पर जोर दिया जाएगा।
3. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों को आरएमएसए के अंतर्गत सन्निविष्ट कर दिया जाएगा। शैक्षिक कार्यों के लिए निवासियों को सहायता देने एवं उनका आत्म बल बढ़ाने के लिए एक पीजी अध्यापक की वार्डन के रूप में व्यवस्था की जाएगी।
4. व्यावसायिक शिक्षा की स्कीम को मौजूदा वित्त सहायता प्रणाली में कोई परिवर्तन किए बिना आरएमएसए के साथ सन्निविष्ट कर दिया जाएगा तथा इसका कार्यान्वयन माध्यमिक स्तर से किया जाएगा।

21.129. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय स्कीम को एक पृथक स्कीम के रूप में चालू रखा जाएगा। उन स्कीमों का जो राज्यों से विशिष्ट प्रस्तावों पर आधारित हैं, संयुक्त आरएमएसए के अंतर्गत आसानी से एकीकरण किया जा सकता है। एमएचआरडी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है: (1) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण; (2) उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति करने और उर्दू पढ़ाने के लिए मानदेय देने हेतु अनुदान देने; (3) हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी के अलावा अन्य आधुनिक भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति;

(4) किसी भी मोहल्ले में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करना जहां 25 प्रतिशत से अधिक उर्दू भाषी लोग रहते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

21.130. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा से शैक्षिक अवसरों का विविधीकरण किया जा सकता है जिससे कि व्यक्तिगत रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ सकें तथा कार्यकुशल मानव शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम किया जा सके, इसके अलावा यह उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वालों को एक विकल्प प्रदान करती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है तथा इसे वर्तमान में कक्षा 9 स्तर से कार्यान्वित किए जाने के प्रावधान करने के बजाय 11 कक्षा से क्रियान्वित किया जाएगा और इसे आरएमएसए के साथ जोड़ दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, सेक्टर दक्षता परिषद (एसएसजी), जो विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम स्तर की दक्षता का निर्धारण करती है, द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों पर आधारित होगा। अकादमिक योग्यता का शैक्षिक निकायों द्वारा आकलन एवं प्रमाणन किया जाएगा तथा व्यावसायिक कौशल का आकलन एवं प्रमाणन संबंधित एसएससी द्वारा किया जाएगा।

21.131. बारहवीं योजना में विभिन्न मंत्रालयों, निजी पहलों और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ समाभिरूपता के लिए एक तंत्र का सृजन किया जाएगा और नवयुवकों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए विद्यालयों का प्रयोग एक साधन (आउटलेट) के रूप में किया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि, उपकरणों एवं सुविधाओं, लागत और एजेंसियों की एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। जर्मनी तथा कई अन्य औद्योगिक देशों के समान इस योजना के प्रतिमान पाठ्यक्रम होंगे जो नौकरी बाजार में नौकरियां दिलाने और नौकरियों को ढोने तथा उसके बाद के कार्यों की अनुमति प्रदान करेंगे।

21.132. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की स्कीम में नवजीवन संचार करने की प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है। इसे विद्यालय से उच्चतर शिक्षा स्तर तक स्पष्ट शैक्षिक तरीके सृजित करने और विद्यार्थियों को अपनी अभिरुचि एवं आर्थिक जरूरत के आधार पर व्यावसायिक प्रतिमान का चयन करने का विकल्प प्रदान करने के लिए एनवीईक्यूएफ (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता ढांचा) के अनुरूप बनाया जाएगा। यह संशोधित स्कीम व्यावसायिक शिक्षा की मौजूदा प्रणाली में अभिज्ञात कमजोरियों का निराकरण करने के लिए बनाई गई है। इस संशोधित स्कीम की मुख्य – मुख्य बातों में शामिल हैं: (1) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे मौजूदा विद्यालयों को सुदृढ़ करना; (2) नए विद्यालय स्थापित करना; (3) मौजूदा अध्यापकों को सात दिनों का सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण दिलाना; (4) नए अध्यापकों के लिए 30 दिनों का अधिष्ठापन पाठ्यक्रम आयोजित कराना; (5) निजी विद्यालयों को पीपीपी मोड में सहायता देना तथा नवाचारी कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देना। पृथक-पृथक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सामर्थ्य आधारित मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय को अपनी पाठ्यचर्या में हर तीन वर्ष के बाद संशोधन करना अनिवार्य होगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उद्योग की जरूरत के मुताबिक मार्गदर्शित है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचा के अंतर्गत हरियाणा में एक पृथक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक भी एक प्रायोगिक कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। इस प्रायोगिक कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर इसको बारहवीं योजना में बढ़ावा दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में एक एमआईएस और वेब पोर्टल स्थापित किया जाएगा जिससे कि बेहतर प्रक्रियाओं और अनुभवों की सहभागिता की जा सके। हरियाणा ने एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत आठ जिलों के 40 प्रायोगिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है (बॉक्स 21.6 देखें)।

बॉक्स 21.6

एनवीईक्यूएफ के तहत व्यावसायिक शिक्षा पर पायलट परियोजना

- प्रत्येक प्रायोगिक विद्यालय, आईटी/आईटीईएस, खुदरा, आटोमोबाइल एवं सुरक्षा में दो व्यावसायिक विषयों का प्रस्ताव करता है। यह कक्षा 9 और कक्षा 11 से शुरू होंगे।
- इनका पाठ्यक्रम एनएसडीसी के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र दक्षता परिषद द्वारा तैयार किया गया है। इसकी विषयवस्तु पीएसएससीआईवीई, के.मा.शि.बो. और वाधवानी फाउण्डेशन द्वारा तैयार की गई है।
- अध्यापकों की भर्ती, संविदा आधार पर की गई है और उन्हें शैक्षिक विषय एवं क्षेत्र दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्यों को दिग्विन्धास प्रशिक्षण दिया गया है।
- स्थानीय उद्योग और व्यवसाय तथा विद्यार्थियों एवं विद्यालयों से सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक व्यावसायिक समन्वयक की नियुक्ति की गई है। वे अतिथि लेक्चर, उद्योग दौरों तथा प्लेसमेंट की व्यवस्था भी करते हैं।
- इसका आकलन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और संबंधित एसएससी के आकलनकर्ता द्वारा किया जाएगा।

82 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

21.133. इन प्रायोगिक कार्यक्रमों से प्राप्त सीख के आधार पर हरियाणा के लगभग 400 विद्यालयों में वर्ष 2013-14 से व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा सकती है। प्रस्तुत पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाकर 8 से 10 की जा सकती है और वर्ष 2013-14 से इसे उन सभी राज्यों में प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे जो इसमें रुचि प्रदर्शित करते हैं। जो राज्य प्रायोगिक कार्यक्रमों की सफल व्यवस्था कर लेते हैं वे वर्ष 2014-15 से इसका दायरा बढ़ाकर इसे प्रायोगिक कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किये गए विद्यालयों से दस गुना अधिक विद्यालयों में प्रारंभ कर सकते हैं। राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल संसाधन केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

21.134. +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षुता अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षुता प्रदान कराई जाएगी। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में कक्षा 9 तथा उसके बाद से कौशल निर्माण को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, फिर भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर कौशल सृजन की समन्वित कार्रवाई तथा नवाचारी अधिगम की आवश्यकता है। के.मा.शि.बो में एक वीई प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। राज्यों को भी राज्य बोर्डों में ऐसे ही प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एवं सहायता दी जाएगी तथा विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम अकादमिक पाठ्यक्रमों के साथ मिले जुले विषय के रूप में या अतिरिक्त विषय के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा सीबीएसई, एनआईओएस सहयोग की पद्धति पर क्रेडिट संचयन और अंतरण की अनुमति दी जाएगी। विद्यार्थियों की सक्षमता आधारित आकलन करने में समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य बोर्ड संबंधित एसएससी के साथ मिलकर मूल्यांकन की एक विस्तृत स्कीम तैयार करेंगे। चूंकि पाठ्यक्रम की रूपरेखा तथा टीएलएम का विकास विकेंद्रित होगा इसलिए विशेषज्ञ केन्द्रीय संस्थान पीएसएससीआईवीई को व्यावसायिक शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए उन्नत किया जाएगा।

21.135. पीएसएससीआईवीई, राज्य बोर्डों/सीबीएसई विशेषज्ञों के साथ मिलकर और उनकी सहभागिता से उद्योगों, व्यवसाय संगठनों, कृषि पहलों से निविष्टि प्राप्त करके अनुकरणीय सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेगा तथा विषय वस्तु का प्रासंगिकीकरण एवं स्थानीयकरण राज्यों द्वारा किया जाएगा। सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम केन्द्रीय राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा अंगीकार/रूपान्तरित किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम को एसएससी द्वारा निर्धारित सक्षमता तथा अन्य लागू मानदंडों के राष्ट्रीय मानकों को पूरा करना होगा।

21.136. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को श्रम मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों और प्रतिमानी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा प्रदान कराए जाने वाले अल्पावधि प्रशिक्षण के जरिए कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की जेएसएस और एनजीओ स्कीम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण को माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। इन दक्षता कार्यक्रमों को रोल आउट करने के लिए विद्यालय नेतृत्व मास्टर संकाय प्रशिक्षकों, निरीक्षकों, परीक्षण मूल्यांककों और काउन्सलर्स का पेशेवर विकास करने के लिए भारी प्रयास करने की जरूरत होगी। पेशेवर प्रमाणन और संस्थानों की प्रत्यायन प्रणाली के लिए क्षमता विकास हेतु एनएसडीसी के साथ सम्पर्क के लिए समुचित संस्थागत व्यवस्था की जाएगी।

मॉडल स्कूल

21.137. बारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान गैर-ईबीबी क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से पीपीपी मोड पर 250 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन मॉडल विद्यालयों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए नया संगठन स्थापित करने के बजाय केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अतिरिक्त दायित्व सौंपे जाने को अधिमानता दी जाएगी ताकि नए विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालयों की विरचना को बैंचमार्क कर सकें। तथापि, मौजूदा केन्द्रीय विद्यालयों की तुलना में मॉडल विद्यालयों की संख्या पर्याप्ततः बहुत अधिक होने के कारण इस संगठन के संसाधनों को बहुत अधिक सुदृढ़ करने और माडल विद्यालयों के संबंध में उनकी भूमिका का स्पष्ट निर्धारण करने की जरूरत है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये माडल विद्यालय अपनी ब्लाकों में, वास्तव में, उदाहरणात्मक रूप से कार्य करें तथा उस क्षेत्र में अन्य सरकारी स्कूलों के साथ अपनी बेहतर प्रक्रियाओं की भागीदारी करने के लिए विशिष्ट क्रियाकलाप करें।

राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति

21.138. यह स्कीम प्रति वर्ष कक्षा 9 के स्तर पर 1,00,000 छात्रवृत्तियां देने के लिए बारहवीं योजना में भी जारी रखी जाएगी। यह स्कीम वर्ष 2011-12 तक 4 लाख छात्रवृत्तियों के लक्षित कवरेज तक पहुंच जानी चाहिए थी। इस स्कीम के अल्प निष्पादन के कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए और उसकी उपचारी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन राज्यों में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उनको आबंटित कोटा से कम है, वहां विद्यार्थियों के लिए उपचारी कक्षाएं आयोजित करने की जरूरत है। जागरूकता सृजन करने के लिए इस स्कीम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है। कई ऐसे गैर-सरकारी

संगठन, फाउण्डेशन और कारपोरेट संगठन हैं जो विद्यार्थियों को विद्यालयों में योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इसके दोहरेकरण और संसाधनों का परिहार्य दुरुपयोग रोकने के लिए इन सभी एजेंसियों का एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए, इसी तरह सभी लाभग्राहियों का भी डेटाबेस तैयार किया जा सकता है ताकि इस स्कीम का मूल्यांकन करने और उसकी प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए छात्रों (स्कॉलरों) का पता लगाया जा सके।

केन्द्रीय सरकार के अधीन विद्यालय

21.139. बारहवीं योजना के दौरान 500 अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय और 378 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जिनमें 27 विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में जहां अभी तक ये विद्यालय नहीं हैं और मणिपुर में 2 विशेष नवोदय विद्यालय शामिल हैं। इनटेक क्षमता को प्रति कक्षा 80 विद्यार्थियों से बढ़ाकर 180 कर दिया जाएगा और 10 विज्ञान मैग्नेट विद्यालयों की स्थापना उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के निकट की जाएगी। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के चार्टर पर पुनः विचार किया जाएगा और उनके दायरे को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का नामांकन करने के प्रावधान सहित विस्तृत किया जाएगा। लगभग एक तिहाई नामांकन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्यो के बच्चों से करने की अनुमति दी जाएगी।

21.140. बारहवीं योजना में केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों के रूप में कार्य करने जैसी विशिष्ट गतिविधियों के लिए गति-निर्धारक विद्यालय के रूप में ढालने के लिए कार्य किया जाएगा। इसका प्रारंभ सभी राज्यों के लगभग 50 केन्द्रीय विद्यालयों और 500 नवोदय विद्यालयों को कवर करते हुए किया जाएगा जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार द्वारा उनके आसपास स्थापित किए गए विद्यालयों के विद्यार्थियों को विद्यालय समय के उपरांत अपनी सुविधाएं प्रदान करने के लिए गति-निर्धारक क्रियाकलाप करेंगे। केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय नवाचारी कार्यक्रमों के लिए आउटसोर्सिंग मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय आकलन में भागीदारी करने के लिए प्रशिक्षित करना और इस उद्देश्य के लिए अपने परिसर का प्रयोग करने की अनुमति देना शामिल है। केन्द्रीय विद्यालयों में सह-शैक्षिक क्षेत्रों जैसे दृश्य एवं नृत्यकला आदि में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कला विभाग स्थापित किए जाएंगे।

21.141. केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत शहरी खेल अवसंरचना योजना/

पीवाईकेकेए से अतिरिक्त खेल गतिविधियों के लिए निधियां प्राप्त करने में भी समर्थ होंगे। ग्रामीण केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय स्कूल समय के उपरांत अपनी सुविधाओं का उपयोग ग्रामीण युवकों को करने की अनुमति देंगे। आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में एनसीसी/एनएसएस/अकाउट्स एंड गाइड्स/जूडो/कराटे/योगा/तीरंदाजी तथा ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में नामांकन कराने की अनुमति देंगे। ये विद्यालय बारहवीं योजना के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम के लिए हब के रूप में कार्य करेंगे। केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों की इन पहलों को, जिसमें कोचिंग देने के लिए कर्मिकों की नियुक्ति करने और अन्य आवर्ती व्यय शामिल हैं, प्रतिवर्ष 20,000 बच्चों के लिए बजटीय सहायता दी जाएगी।

21.142. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए निर्धारित सभी सुविधाएं, प्रावधान और गुणवत्ता पहलें, एकलव्य और सैनिक विद्यालयों को भी, जो आवासीय विद्यालय हैं, उपलब्ध कराई जाएंगी। संबंधित मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे इन पहलों के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराएंगे। एमएचआरडी अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगा तथा जहां आवश्यक हुआ वहां, अकादमिक इनपुट प्रदान करेगा। ऐसा ही समन्वय परमाणु उर्जा शिक्षा सोसायटी से भी अपेक्षित है।

21.143. बारहवीं योजना में एनआईओएस तथा 16 राज्य मुक्त विद्यालयों (एसओएस) के लिए आरएमएसए के अंतर्गत अवसंरचना सुविधाओं का सुदृढीकरण किया जाएगा जिससे कि दक्षता विकास और व्यवसायीकरण पर, खासकर देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में, विशेष ध्यान देते हुए मुक्त शिक्षा में सुधार लाने पर बल दिया जाएगा। एनआईओएस/एसओएस के लिए 25 लाख विद्यार्थियों का नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। एनआईओएस के अंतर्गत प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थानों (एवीआई) का, उनका विस्तार करने से पहले, मूल्यांकन किया जाएगा एवं उनकी दर निर्धारित की जाएगी। परीक्षा सुधार किए जाएंगे ताकि मुक्त शिक्षा के लिए सुविधाएं पूरे वर्ष उपलब्ध होती रहें।

अनुसंधान, निगरानी एवं मूल्यांकन

21.144. माध्यमिक शिक्षा के संबंध में तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां तत्काल ध्यान देने की जरूरत है अर्थात् पाठ्यचर्या सुधार, आकलन और परीक्षा सुधार तथा सेवापूर्ण एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा में सुधार। इन तीन क्षेत्रों में गहन अध्ययन, प्रभाव अध्ययन तथा कार्रवाई अनुसंधान करने की जरूरत है। अनुसंधान के लिए प्रलेखन की समुचित व्यवस्था

84 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

तथा माध्यमिक शिक्षा में सर्वोत्तम एवं पहलकारी प्रणालियों को कई स्तरों पर प्रोद्भूत करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान कार्य, केवल अनुसंधान प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन अनुसंधानों की पाठ्यर्या विकासकर्ताओं और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न पणधारियों के साथ सहभागिता करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की भी जरूरत है।

21.145. इस समय चल रही स्कीमों का सेक्टरों एवं उप-सेक्टरों को अभिज्ञात करके तथा मूल्यांकन के लिए एक समुचित यंत्र विकसित करके तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन और मूल्य निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर एजेंसियों का एक पैनाल बनाया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संसाधन व्यक्तियों तथा अध्यापक शिक्षा प्रदायकों की क्षमता निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को शामिल करने की जरूरत है तथा उनको कक्षाकक्ष प्रक्रिया, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रदान कराई गई है, में हस्तक्षेप शुरू करने का अनुवीक्षण करने के लिए एक तंत्र विकसित करने में सहायता देने की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर संसाधन एवं उत्तरदायित्व केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

21.146. भौतिक अवसंरचना एवं सुविधाओं, अध्यापकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों का नामांकन और उनका अकादमिक निष्पादन, अध्यापकों का व्यावसायिक विकास तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के संबंध में आंकड़ा संग्रह करने के लिए एक विद्यालय आधारित वार्षिक सूचना प्रणाली, एस ई एम आई एस पहले से ही मौजूद है। इसका सुदृढीकरण करने की जरूरत है। विभिन्न स्तरों के लिए कई गुणवत्ता संकेतक सृजित किया जा सकते हैं जो उस राज्य के कुशल शैक्षिक परिदृश्य को प्रदर्शित करेगा। इससे जिला/राज्य के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और सूक्ष्म नियोजन का संवर्धन भी होगा। विद्यालयी शिक्षा सांख्यिकी के लिए एकीकृत आंकड़ा संग्रहण व्यवस्था भी बारहवीं योजना में की जाएगी।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग

21.147. अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधा सीमित मात्रा में उपलब्ध है। कम्प्यूटर शिक्षा की यह कमी विद्यार्थियों को आईसीटी से संबंधित दक्षता प्राप्त करने में, जो ज्ञान के लिए अनिवार्य है और यह अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान अद्यतन बनाने एवं विद्यार्थियों को आवश्यक शिक्षण सामग्री तक पहुंच बनाने में अवरोध उत्पन्न करती है। आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। विद्यालयी शिक्षा में,

राष्ट्रीय आईसीटी नीति में विद्यालयी व्यवस्था में आईसीटी सहायता के समग्र ढांचे का विकास करने की परिकल्पना एवं प्रावधान है। विद्यालयी शिक्षा संबंधी मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) अब राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत है। इससे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में व्यापक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध होगा। विशेष रूप से इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा:-

1. स्कूल के सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, गैर शिक्षा कर्मचारियों और विद्यार्थियों की आईसीटी दक्षता का विकास होगा;
2. सभी विषयों, खासकर विज्ञान और गणित से अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री भंडार सृजित करना;
3. अध्यापकों को ई-सामग्री विकसित करने और उसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देना और प्रोत्साहित करना;
4. कक्षाकक्षों में आईसीटी के लिए प्रावधान करना अथवा नोटबुक/लैपटॉप/आईपैड जैसी पोर्टेबल सुविधाएं और पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी युक्त एक प्रक्षेपक की सुविधा मुहैया करना और आईसीटी एकीकृत शिक्षा क्रियान्वित करना;
5. शैक्षिक एवं व्यवस्थित स्तर, जिसमें शिक्षा संबंधी एक पोर्टल स्थापित करना शामिल है, पर आईसीटी-एकीकृत परीक्षा और ई-शासन का प्रावधान करना;

21.148. इस एमएमपी में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वशासी संस्थानों तथा 'किसी समय कहीं भी' आधार पर भागीदारों को सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने और संपूर्ण देश में ग्रामीण स्तर तक सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) की स्थापना सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग करने का प्रावधान है। यह तथा विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी संबंधी नीति विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए गुणवत्ता एवं कुशलता प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग करने के समग्र एवं समन्वित प्रयास में सक्षम बनाएगा।

21.149. अध्यापकों और विद्यार्थियों का आधार आधारित डाटाबेस होने पर बल दिया जाएगा जिससे कि नकली, डुप्लीकेट और बनावटी डेटाबेस को दूर किया जा सके। यह लिंकेज और प्रभावकारी विश्लेषण विश्वसनीयता, पता लगाने संबंधी और मापन संबंधी चुनौतियों का समाधान निकालने में सहायक होगी। इसे अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति का पता लगाने, अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थिति, तैनाती ट्रेकिंग, उनकी दक्षता/क्षमता क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस लक्षित तैनाती योजना का प्रयोग करके दक्षता विकास कार्यक्रम विकसित किये जा सकते

हैं। विद्यार्थियों का रिकार्ड टीचरों के साथ जोड़ने से अध्यापकों में भरोसा सृजित किया जा सकता है। अंत में इससे उन कार्यों (शिक्षकों के विकास क्षेत्रों में बनाये गए) में वह बिन्दु भी प्रदान किया जा सकता है जिनका शिक्षण परिणामों में सुधार लाने पर अधिक प्रभाव होता है। छात्रवृत्ति की निधि का दुरुपयोग करने का आधार से पता लगाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश ने फर्जी विद्यार्थियों के नामांकन, कई कॉलेजों/पाठ्यक्रमों में उसी विद्यार्थी का नामांकन, एक ही संकाय द्वारा भारी संख्या में संस्थानों में पढ़ाने का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया था। आधार आधारित भुगतान व्यवस्था का प्रयोग छात्रवृत्ति का भुगतान करने और उसकी व्यवस्था करने के लिए किया जा सकता है।

अध्यापक शिक्षा

21.150. स्कूल व्यवस्था में अध्यापकों की भारी संख्या में रिक्तियां हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रारंभिक स्तर पर 12.58 लाख (सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 5.64 लाख पुराने तथा 6.94 लाख नये अनुमोदित पद) पद खाली पड़े हैं। ये पद मुख्यतः 6 राज्यों: उत्तर प्रदेश (3.12 लाख), बिहार (2.62 लाख), पश्चिम बंगाल (1.81 लाख), मध्य प्रदेश (0.89 लाख), छत्तीसगढ़ (0.62 लाख) और राजस्थान (0.51 लाख), में रिक्त हैं। उत्तर, पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कई राज्यों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या काफी जटिल है। इसलिए अध्यापकों का सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, बारहवीं योजना के दौरान मिशन मोड के रूप में शुरू किए जाने की जरूरत है। विशेषकर, प्रतिमानी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए ताकि अर्धशिक्षक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियों के दौरान भाग ले सकें और तीन से पांच वर्ष की अवधि में औपचारिक योग्यता प्राप्त कर सकें। सेवाकालीन प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी और नवाचारी सुपुदरगी प्रक्रिया का प्रयोग करके मौजूदा अध्यापकों की न्यून योग्यता से संबंधित समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

21.151. विद्यालय व्यवस्था के लिए गुणवत्ता पूर्ण अध्यापकों की उपलब्धता की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य, अध्यापकों, अध्यापक शिक्षा प्रदायकों और अध्यापक शिक्षा संस्थानों का विस्तृत जिलावार डाटाबेस रखेगा। अध्यापकों और अध्यापक शिक्षा प्रदायकों के लिए राष्ट्रीय व्यासायिक मानक तैयार किया जाना चाहिए। इनका सेवाकालीन और सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए और व्यावसायिक विकास के लिए उनकी निष्पादन आकलन प्रक्रिया का आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और फीडबैक देने की प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसका प्रयोग उनके विकास एवं सशक्तिकरण के

लिए, न कि दंडात्मक साधन के रूप में, किया जा सकता है। यह सभी व्यवस्था विकसित कक्षाकक्ष अध्यापन एवं विद्यार्थी शिक्षण से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई है। अध्यापकों की युक्ति संगत तैनाती और उनके स्थानांतरण तथा नियुक्ति के लिए उद्देश्यपरक एवं पारदर्शी नीतियां अध्यापकों की कमी को दूर करने में सहायक होगी। अन्य विभागों से अध्यापक के पेशे में आने के लिए प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के लिए नवाचारी तरीकों का पता लगाये जाने की जरूरत है। सेवानिवृत्ति योग्य अध्यापकों को उन विषयों के अध्यापक के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है जहां अध्यापकों की कमी है। यह कार्यनीति केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी क्योंकि उन राज्यों में सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु संगत रूप से कम है।

21.152. अध्यापकों के लिए कैरियर सचलता विकल्प शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विकसित किये जाने चाहिए और उन्हें विशिष्ट सेवाकालीन प्रमाणन और अनुभव प्रक्रिया की उपलब्धि से जोड़ा जाना चाहिए। उच्च योग्यता वाले अध्यापक जो प्रशासनिक जिम्मेदारी लेने के बजाय सक्रिय शिक्षण कार्य करने की इच्छा रखते हैं उन्हें कैरियर उन्नयन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अध्यापकों को बोनस देने, उनकी वेतनवृद्धि और पदोन्नति के लिए कैरियर पदोन्नति के आधार के रूप में अध्यापकों का मूल्यांकन करने की एक प्रणाली जो निष्पादन के उद्देश्य परक साधनों पर आधारित होगी का प्रयोग किया जा सकता है। यह सभी प्रयास तथा अध्यापकों का सतत व्यावसायिक विकास यह सुनिश्चित करेगा कि अध्यापकों का उत्थरण किया जाता है और वे बच्चों के शिक्षण परिणाम में सुधार करने के प्रति बचनबद्ध हैं।

सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा में नवजीवन संचार

21.153. अध्यापकों की गुणवत्ता और उनकी संख्या दोनों रूपों में भारी अंतर को देखते हुए सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षण की योजना में नवजीवन संचार किया जाना चाहिए। बारहवीं योजना के दौरान अध्यापकों की शिक्षा के लिए एक संशोधित स्कीम क्रियान्वित की जाएगी। यह स्कीम डीआईईटी, सीटीई, आईएएसई और एससीईआरटी के संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करेगी। उनकी नियमित निगरानी करने के लिए व्यापक प्रक्रिया बनाई जाएगी और निष्पादन संकेतकों को विकसित किया जाएगा। अध्यापकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अजा/अजजा/अल्पसंख्यक आबादी की सघनता युक्त 196 जिलों में ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान स्थापित किये जाएंगे।

21.154. अध्यापक शिक्षा की विषय वस्तु और शिक्षण सामग्री को धीरे-धीरे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा, 2009 के अनुकूल बनाया जाएगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कक्षा 12 के उपरांत 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री कार्यक्रम जिसमें संबंधित विषय और शिक्षा का अध्ययन शामिल होगा या स्नातक स्तर के उपरांत 2 वर्षीय शिक्षा विशारद की उपाधि शामिल होगी। अध्यापकों के लिए शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम जिसका संचालन इस समय प्रारंभिक स्तर पर डीआईईटी (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा किया जाता है तथा अन्य स्वतंत्र संस्थानों को धीरे-धीरे विकसित करके उपाधि कार्यक्रमों तक लाना चाहिए और इन संस्थानों का उन्नयन विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध स्नातक विद्यालयों के रूप में किया जा सकता है।

21.155. दूरस्थ-सह-संपर्क डिग्री कार्यक्रम, नियमित कार्यक्रमों में आईसीटी का संवर्धित प्रयोग और एकबारगी प्रशिक्षण के स्थान पर विकल्प के रूप में सीखो-कार्य करो-सीखो चक्र को अपनाया जाएगा जिससे कि इनका संवर्धन किया जा सके। व्यावसायिकों और बीआरसी/सीआरसी को एससीईआरटी के अधीन डीआईईटी के साथ जोड़ा जाएगा जिससे कि वे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह आवश्यक है कि इन सभी संस्थानों के प्रमुख वे व्यावसायिक होने चाहिए जिनके पास उपयुक्त योग्यता, अनुभव, सक्षमता और दृष्टि हो। अध्यापकों के लिए और अध्यापक शिक्षा प्रदायकों के लिए पठन सामग्री का भारतीय भाषाओं में सेवापूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम की जरूरत के आधार पर विकास करने हेतु भारी संख्या में संस्थानों और व्यक्तियों को अभिज्ञात किया जाना चाहिए।

21.156. शिक्षक शिक्षा संस्थानों का एक दूसरे के साथ सम्पर्क जैसे डीआईईटी का सीटीई तथा आईएएसई के साथ संपर्क, और क्षेत्र के साथ सम्पर्क उदाहरण के लिए स्कूल व्यवस्था तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों को पूरे देश में इस तरह से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि शिक्षाविद और पेशेवर लोग शिक्षक शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा को और अधिक व्यापक बनाने के लिए साथ मिलकर काम कर सकें। शिक्षक शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का एक साधन के रूप में कारगर उपयोग होना चाहिए जहां अभ्यर्थी को विभिन्न भौगोलिक अवस्थापनों में विशेष प्रतिमान प्रदान कराए जा सकते हैं। इन प्रतिमानों में व्यावसायिकों और उच्च ख्याति प्राप्त सुविधा प्रदायकों के भाषणों के वीडियो होनी चाहिए जिसकी विषय वस्तु का चयन बहुत ध्यान पूर्वक किया गया हो। इसके साथ मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालयी पर्यावरण के संबंध में व्यावहारिक 'हस्तगत' प्रशिक्षण जोड़ा जा सकता है।

शिक्षण और विद्वता के संबंध में सर्वोत्तम व्यवहार के भारतीय भाषाओं में वीडियो इन केन्द्र पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विभिन्न अन्य देशों से शिक्षण व्यवसाय में अपनी इच्छा अनुसार आने के लिए प्रतिभाओं की अधिक उम्र पर प्रवेश की अनुमति देने के लिए नवाचारी वैकल्पिक पथ बनाए जाने चाहिए और उनके अंगीकरण को सहायता देने के लिए उपयुक्त नीति और विनियामक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।

21.157. शिक्षक शिक्षा के लिए विनियामक व्यवस्थाओं की प्रत्येक राज्य में समुचित जांच के पश्चात उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। प्रत्यायन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तथा इस उद्देश्य के लिए नई भरोसेमंद एजेंसियों का सृजन किया जा सकता है। शिक्षण शिक्षा संस्थानों के निष्पादन मानकों और बेंचमार्कों का स्पष्ट विश्वसनीयता के साथ निर्धारण करने की तत्काल आवश्यकता है। इसमें बेहतर लोचशीलता द्वारा संतुलन बनाने और नियामक एवं शासी निकायो एवं बोर्डों, खासकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से अवसंरचना, संकाय, पाठ्यक्रम और प्रवेश पात्रता संबंधी मानदंडों एवं मानकों को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि एनसीटीई द्वारा नवाचारी कार्यक्रमों को अधिक कुशलता के साथ मान्यता प्रदान करना चाहिए ताकि अध्यापकों का अल्प समय में विकास करने के लिए इन कार्यक्रमों को शुरु किया जा सके। अभी हाल ही में शुरु किया गया अध्यापक शिक्षा इंडेक्स का अध्यापक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मापन करने के लिए व्यापक प्रयोग किया जाएगा। अव्यवस्था से बचने के लिए अनुमोदित निकायों द्वारा तृतीय पक्षकार आकलन प्रत्येक पांच वर्ष में आवधिक तौर पर किया जाना चाहिए और इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे आम जनता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्यापक शिक्षकों का विकास

21.158. बारहवीं योजना के दौरान गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। भारी संख्या में अध्यापक शिक्षा प्रदायकों का विकास एक पारदर्शी सक्षमता आधारित प्रक्रिया के जरिए संभावित अध्यापक शिक्षा प्रदायकों का अभिज्ञान करके किया जाएगा। उन्हें चुनिंदा संस्थानों में पूर्णकालिक क्षमता कार्यक्रम में भाग लेना होगा। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से भरोसेमंद संस्थानों को लगाया जाएगा। अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करने वाले स्वयंसेवी व्यावसायिकों के नेटवर्क को सुलभ एवं सुदृढ़ बनाया जाएगा जिससे कि वे पेशेवर अन्योन्यक्रिया एवं विकास के लिए फोरम प्रदान कर सकें।

21.159. अध्यापक शिक्षा प्रदायकों के लिए नये कार्यक्रमों की संकल्पना की जायेगी। एम.एड. कार्यक्रम के पाठ्यक्रम, अवधि और ढांचे में एनसीएफटीई 2009 तथा एनसीटीई द्वारा प्रस्तावित नये प्रतिमान पाठ्यक्रम के आधार पर सुधार किया जाएगा। संपूर्ण देश के सभी राज्यों के लगभग 100 संस्थानों को अभिज्ञात किया जाएगा और उन्हें यह पाठ्यक्रम चलाने के लिए तैयार किया जाएगा। बहु-संकाय युक्त चुनिंदा सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा विभाग/विद्यालय स्थापित करने की सुविधा दी जायेगी जिनका संपर्क अच्छे-अच्छे विद्यालयों के साथ होगा और जो व्यावहारिक शिक्षण कौशल प्रदान करने के लिए अभ्यास संस्थान के रूप में कार्य कर सकेंगे। विश्वविद्यालय विशेष पाठ्यक्रम भी प्रदान कर सकते हैं जिन्हें शैक्षिक पाठ्यक्रमों के विशेषीकृत विषय ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए और एकीकृत ढंग से व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा ताकि विषय अध्यापकों की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

सतत व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना

21.160. बारहवीं योजना के दौरान अध्यापकों की सेवाकालीन, सतत, व्यावसायिक विकास की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण जरूरतों को व्यवस्थित ढंग से अभिज्ञात किया जाएगा और उनकी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन किया जाएगा ताकि इन कार्यक्रमों में अध्यापकों को लगाया जा सके और यह कार्यक्रम अध्यापकों को उपयोगी लगे। अल्प अवधि के क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं संगत रूप से दीर्घ अवधि के पूर्णकालिक या दूरस्थ-सह-संपर्क उपाधि कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को अध्यापकों में आवश्यक उन्मुखता विकसित करनी चाहिए और उन्हें दक्षताओं/गतिविधियों की ऐसी श्रृंखला से अभिमुख कराया जाना चाहिए जिसका प्रभाव कक्षाकक्ष में गुणवत्ता पूर्ण अध्यापन में प्रदर्शित हो। प्रौद्योगिकी एवं नवाचारी सुपुर्दगी तरीकों का प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण संघटक होगा। विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ शिक्षापूर्ण यात्राओं और कार्य अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन भी क्षेत्र संगठनों और अकादमियों द्वारा किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के लिए अध्यापकों को लम्बी छुट्टी का विकल्प अथवा सेवाकालीन प्रशिक्षण के अपेक्षित अनिवार्य दिनों की संख्या एवं विद्यालयों को प्रतिदिन/प्रति अध्यापक समुचित बजटीय सहायता का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि वे इन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

21.161. अप्रशिक्षित अध्यापकों और अर्धशिक्षकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूरस्थ-सह-संपर्क प्रणाली में प्रतिमान पाठ्यक्रम चलाये जा

सकते हैं ताकि अध्यापक लोग तीन से पांच वर्ष की अवधि में औपचारिक योग्यता प्राप्त कर सकें। अध्यापक शिक्षा संस्थानों और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कॉलेजों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच सहभागिता की जानी चाहिए जिससे कि इन कार्यक्रमों का विकास किया जा सके और इनको कार्यान्वित करने की संवर्धित गति को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए।

गुणवत्ता एवं प्रमाणन मुद्दे

21.162. अध्यापकों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए टीईटी का संस्थानीकरण किया जाएगा और इसे अध्यापकों की भर्ती के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अध्यापक होने के अलावा अन्य विकल्प खुले होने के बावजूद अध्यापन का मानक अनुक्षित किया जा सकता है। अध्यापकों को अपना प्रमाणन समय-समय पर नवीकरण कराने की जरूरत होगी ताकि वे अपना विकास करने में निरंतर निवेश कर सकें। अध्यापक शिक्षा संस्थानों की श्रेणी का निर्धारण पात्रता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जा सकता है। अध्यापक एवं अध्यापक शिक्षा संस्थानों के कार्यनिष्पादन के लिए पात्रता परीक्षा पर उद्देश्यपरक एवं पारदर्शी परिणाम साधन के रूप में प्रकाश डालते हुए इस तथ्य पर ध्यान देने कि जरूरत है कि यह पात्रता परीक्षण अपने में ही समाप्त न हो जाए।

21.163. अतः, टीईटी के अलावा अध्यापकों, अध्यापक-शिक्षकों और अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय निष्पादन मानकों को विकसित किया जाना चाहिए। अध्यापक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की एक सुपरिभाषित व्यवस्था (अध्यापक सक्षमता, अध्यापक निष्पादन, सीखने से संबंधित प्रक्रियाओं को कक्षाकक्ष में संप्रेषित करने के लिए अध्यापक द्वारा किये गये प्रयासों और शिक्षण स्तरों के आधार पर) की शुरुआत चरणबद्ध रूप से की जानी चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल किया जा सकता है: (1) एक लाइसेंस प्राप्त करने से पहले तीन वर्ष की इंटरशिप की संभावना; (2) उपस्थिति, प्रभावी शिक्षण, कक्षाकक्ष कार्य के मूल्यांकन तथा अन्य के आधार पर अध्यापक का मूल्यांकन करने की व्यवस्था की शुरुआत करना; (3) एक बार नियुक्त किए गए अध्यापक प्रति पांच वर्ष के उपरांत अपने लाइसेंस का मूल्यांकन कराने और नवीकरण कराने के लिए आ सकते हैं; (4) अध्यापकों के लिए, यदि वे कोई अन्य कोई नौकरी चाहते हैं तो उन्हें फिर से प्रशिक्षित करने के लिए द्वार खुले रहने चाहिए, और (5) अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए विलम्बतः एवं वर्टिकल संचलता।

शिक्षक एवं शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय मिशन

21.164. बारहवीं योजना के दौरान शिक्षक एवं शिक्षण संबंधी एक राष्ट्रीय मिशन शुरु किया जाएगा ताकि शिक्षक शिक्षा के मुद्दों का व्यापक ढंग से हल निकाला जा सके। यह वर्टिकल एवं विलम्बतः संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत तंत्र को भी सुदृढ़ करेगा। यह अध्यापक एवं अध्यापन से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों का प्रभावी समन्वय करके एवं निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि करके सुदृढ़ किया जाएगा और समेकित किया जाएगा। प्रस्तावित मिशन के अंतर्गत 30 शिक्षा विद्यालयों की स्थापना चुनिंदा विश्वविद्यालयों में की जायेगी जो अध्यापक शिक्षकों से संबंधित पाठ्यक्रम, शिक्षण में अनुसंधान तथा डिग्री कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण आयोजित करने से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन और आकलन करेंगे। सीटीई जो बीएड की डिग्री प्रदान करते हैं स्नातक कॉलेज होते हैं, यह तथा एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी जैसे अन्य संगठन विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के साथ सार्थक संपर्क नहीं बना पाते हैं।

अभिशासन एवं शिक्षा नेतृत्व

21.165. विद्यालय प्रणाली के अभिशासन में सुधार करने के लिए निष्पादन आधारित नवाचारी प्रक्रियाओं जैसे सामाजिक अंकेक्षण, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं से संबद्ध, ग्राम शिक्षा समितियों को ऊर्जा प्रदान करना एवं उनका सशक्तीकरण करना, परिणामों एवं आउटकम से जुड़े व्यय की सार्वजनिक रिपोर्टिंग और बहुपणधारी चर्चा का प्रयोग किया जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा स्थानीय समुदायों को सशक्त करना ताकि उनकी स्कूलों एवं अध्यापकों पर बेहतर नजर रखी जा सके। स्थानीय समुदायों को समुदाय आधारित उन संविदा अध्यापकों (नियमित अध्यापकों की संख्या के अलावा नियुक्त) की नियुक्ति करने, उनका वेतन निर्धारण करने तथा उनकी संविदा का नवीकरण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो स्कूल समय के पश्चात का ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान अनुपूरक या उपचारी अनुदेशों पर प्रकाश डाल सकें।

21.166. अभिशासन सुधार की समग्र कार्यनीति अधिदेशित करने और प्रेरण करने के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। हित धारकों को सुनने और उनकी चिंताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ कोई ऐसी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जहां सुधार करने या समुदाय को प्रचलित व्यवस्था से आगे बढ़कर कार्य करने की अनुमति दी जाए। शुरुआती स्तर पर सभी सुधार केन्द्रीय एजेन्सियों से अभिप्रेरित होते हैं। बाद में, जब व्यवस्था में थोड़ा सुधार आ जाता है तो सुधार का उत्तरदायित्व अनुदेशात्मक व्यवहार की ओर अंतरित हो जाता है और यह प्राथमिकतः अध्यापकों या स्वयं विद्यालय द्वारा अभिप्रेरित होता है।

21.167. विद्यालयों का प्रबंधकीय और शैक्षिक दोनों पहलुओं से नियमित आकलन करते रहने की प्रणाली की जरूरत है। यह विद्यालयों के औपचारिक प्रत्यायन का स्तर निर्धारित करेगी। इसके अतिरिक्त, विद्यालय सेटिंग के अनुरूप अध्यापक सहायता व्यवस्था भी स्थापित करने की आवश्यकता है। डीपीईपी के अंतर्गत संकल्पित तथा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत जारी ब्लाक संसाधन केन्द्रों और क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के मूल्यांकन अध्ययन को चुस्त दुरुस्त करना और उन्हें पुनर्स्थापित करना ताकि वे अध्यापकों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कारगर ढंग से कार्य कर सकें। उनकी भूमिका को माध्यमिक विद्यालयों तक बढ़ाया जा सकता है। अंततः सिस्टमैटिक सुधार का विभिन्न स्तरों पर एकीकरण करने और समन्वयन करने की जरूरत है जैसा कि तालिका 21.6 में देखा जा सकता है। बारहवीं योजना में ऐसे एकीकरण एवं समन्वयन पर बल दिया जाएगा।

21.168. बारहवीं योजना में सात विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव किया गया है। पहला, मौजूदा संस्थानों जैसे एससीईआरटी, एसआईईएमएटी और डीआईईटी आदि के कार्यकरण में सुधार करना तथा उन्हें सुदृढ़ बनाना। ये निकाय कारगर कक्षाकक्ष अनुदेश, अध्यापकों की प्रमाणकारी शिक्षण में सहायता करने और विद्यालय स्तर पर संसाधनों का कार्य कुशल संगठन करने (अर्थात् व्यक्तियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, स्थान और समय) के लिए बेहतर प्रक्रियाएं बनाएंगे तथा उनका प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि सभी बच्चों को पढ़ाई करने का इष्टतम अवसर प्रदान किया जा सके। एक प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि अत्यधिक सक्षम अध्यापक की पहचान करके उसे शैक्षिक नेतृत्व करने और मेन्टरिंग करने तथा कोचिंग एवं सहायता के लिए कम कारगर अध्यापकों को अभिज्ञात करने के लिए नियुक्त किया जाए।

21.169. दूसरा लक्ष्य यह होगा कि जिला और ब्लाक स्तर के शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधान अध्यापकों को बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाने विद्यालय निष्पादन को बेहतर निगरानी करने एवं सहायता देने के लिए डेटा का प्रयोग करने तथा विद्यालय के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए समुदाय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के प्रयास करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। विद्यालयों एवं अध्यापकों के बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान की जाए तथा इसके लिए अध्यापकों को एवं प्रशासकों को उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह मान्यता या तो वित्तीय या गैर वित्तीय हो सकती है, परन्तु समग्र रूप में व्यवस्था द्वारा यह दर्शाया जाना चाहिए कि प्रयासों एवं कार्यनिष्पादन को महत्व दिया जाता है और उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। तीसरा लक्ष्य है पहले से स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व

तालिका 21.6
व्यवस्था सुधार में भूमिका

पणधारी	प्रमुख भूमिका
अध्यापक	कक्षाकक्ष अनुदेश देना। ऐसे शैक्षिक व्यवहार विकसित करने और उनमें भागीदारी करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के साथ सहयोग करना जो बेहतर शिक्षण परिणाम प्रदान कर सकें। विद्यार्थियों का कार्यनिष्पादन करने के लिए माता-पिता को यथोपेक्षित ढंग से शामिल करना।
विद्यालय प्रशासक	जिला/राज्य मुख्यालयों से प्राप्त निदेशों के अनुरूप विद्यालय में सुधार करने की नीतियां बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना। विद्यालय के लिए अनुदेशात्मक या प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना। विद्यालय में सुधार करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय कम्युनिटी को शामिल करना।
जिला/उप जिला विद्यालय नेतृत्व	विद्यालय को लक्षित सहायता प्रदान करना तथा उसके अनुपालन को मॉनिटर करना। विद्यालय एवं राज्य के बीच सम्प्रेषण सुलभ बनाना अंतर विद्यालय सहयोग को प्रोत्साहित करना बदलाव के लिए समुदाय के विरोध का सामना करना।
राज्य नेतृत्व	सुधार के लिए व्यवस्था कार्यनीति स्थापित करना, व्यवस्था के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहायता एवं विश्वसनीयता तंत्र का सृजन, करना व्यवस्था में शामिल सभी निकायों एवं स्तरों के अनुरूप निर्णय लेना। व्यवस्था के सभी स्तरों पर नेतृत्व क्षमता एवं दक्षता का निर्माण करना।

स्रोत: मोना मौरिश्ड, चिनेजी चिजिओके और माइकेल बारबर द्वारा लिखित 'एजुकेशन: हाउ दि वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पूव्ड सिस्टम्स कीप गेटिंग बैटर'

केन्द्र का पूर्ण कार्यकरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा प्रबंधन के चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना मौजूदा संस्थानों के साथ ही की जाए।

21.170. चौथा लक्ष्य यह है कि इसमें माता-पिता को अधिक प्रभावकारी ढंग से शामिल किया जाए ताकि वे बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा और परिणामोन्मुखी अध्यापन, सीखने की प्रक्रिया की मांग कर सकें। इस कार्य के लिए, एसएमसी द्वारा माता-पिता, अध्यापक एसोसिएशनों (पीटीए) द्वारा कारगर कार्य किया जाना आवश्यक है। यह विद्यालय विकास की योजनाएं बनाने तथा विद्यालयों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्य किए जाने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। निरक्षर, अर्ध-साक्षर या कम पढ़े-लिखे माता-पिता को अपने बच्चों की शिक्षा प्रक्रिया में विद्यालय के साथ भागीदारी करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रयास करने और नवाचारी अधिगम अपनाने की जरूरत है। पांचवां है समुदाय आधारित ढांचे तथा विद्यालयों का अनुवीक्षण करने में सरकारी मशीनरी के समर्थन में उनके उत्तरदायित्व की प्रशंसात्मक एवं सुदृढ़ प्रवृत्ति पर प्रकाश डालना। इस बात पर ध्यान देते हुए कि सरकार समावेशी कक्षाकक्ष के मुद्दे पर गंभीरता से विचार/कार्य कर सकती है, समुदाय आधारित संस्थानों का अनुवीक्षण करने के लिए कुछ सामान्य संकेतक विकसित किए जा सकते हैं।

21.171. छठा, अच्छे विद्यालय आसपड़ोस के विद्यालयों के लिए उदाहरण बन सकते हैं तथा विद्यालयों की मेन्टरिंग करने की व्यवस्था

का, खासकर शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, संस्थागतीकरण किया जा सकता है। सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था भी शामिल की जा सकती है। इसका आशय यह है कि विद्यालयों को उसी क्षेत्र में अन्य विद्यालयों से कई परिदृश्यों से खुद को बेहतर प्रक्रियाओं के अनुरूप ढालना होगा। सभी केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा नव-स्थापित मॉडल स्कूल आस-पास के विद्यालयों के लिए अनुकरणीय गतिविधियां एवं उदाहरण स्थापित करने वाले बन सकते हैं।

21.172. सातवां, शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्र स्तर के कार्यकारियों का पुनर्उन्मुखीकरण किया जाएगा तथा उन्हें संवेदनशील बनाया जाएगा ताकि वे अपने कार्यों में एवं शिक्षण परिणामों में गुणवत्ता ला सकें। सभी स्तरों पर होने वाली समीक्षा बैठकों की कार्यसूची में गुणवत्ता संकेतकों की जरूरत को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की हाजिरी, शिक्षण परिणाम, क्षेत्र कार्यकारियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला सहायक पर्यवेक्षण, ग्रेजुएशन/स्कूल छोड़ने की दर तथा अन्य को शामिल किया जा सकता है। गुणवत्ता मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए, विशिष्ट प्रावधान युक्त एमआईएस/रिपोर्टिंग व्यवस्था और विद्यालय में प्रदान की जा रही गुणवत्ता का अनुवीक्षण करने में माता-पिता की सक्रिय संलग्नता की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए।

प्रौढ़ एवं किशोर शिक्षा


21.173. चित्र 21.2 में दर्शाए गए अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता स्तर 64.8 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है और निरक्षरों की संख्या में कमी हुई। जो समग्र रूप से 31 मिलियन हो गई। साक्षरों की संख्या बढ़कर 218 मिलियन हो गयी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर का अंतराल 5 प्रतिशत बिन्दु तक कम हुआ है। पुरुष साक्षरता दर (6.88 प्रतिशत) की तुलना में महिला साक्षरता दर में (11.79 प्रतिशत) तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है, अतः लिंग अंतराल 21.59 प्रतिशत से घटकर 16.68 प्रतिशत रह गया। साक्षरता दर में यह वृद्धि आंशिक रूप से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सफलता के कारण और आंशिक रूप से प्राथमिक शिक्षा में सुधार के कारण आई है। प्रत्येक के संगत योगदान की जानकारी वर्ष 2011 की जनगणना के आयु-वार समेकित आंकड़े प्राप्त होने पर ही हो पाएगी। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद साक्षरता स्तर में अभी भी लिंग एवं क्षेत्रीय विसंगतियां बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।

साक्षर भारत

21.174. ग्यारहवीं योजना के दौरान साक्षर भारत योजना, जो केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम थी, लागू की गई जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा पर तथा सामान्य तौर पर उपेक्षित वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। साक्षर भारत योजना इस समय 372 जिलों

में चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग के 70 मिलियन प्रौढ़ों (60 मिलियन महिलाओं और 10 मिलियन पुरुषों) को कामचलाऊ, साक्षरता प्रदान कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, 3 मिलियन प्रौढ़ों को जिनमें से आधे लोगों को आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम और दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय स्वशासन निकायों का आश्रय प्राप्त है तथा इसमें महिलाओं, अजा, अजजा एवं अल्पसंख्यक वर्ग पर बल देते हुए एक निश्चित लक्ष्य बनया गया है। यह गुणवत्ता, प्रयोक्ता संदर्भ तथा समूह विशिष्ट अधिगम पर बल देती है; समाभिरूपता और सहभागिता संवर्धन करती है तथा कार्यान्वयन में आईसीटी का कारगर उपयोग करती है। साक्षर भारत संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की संकल्पना का प्रयोग करता है और मुख्यतः प्रौढ़ साक्षरता के लिए पाठ्यक्रम ढांचे का विकास कर रहा है।

21.175. यद्यपि साक्षर भारत की संकल्पना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) के एक प्रकार के रूप में की गई है, तथापि दसवीं योजना अवधि के दौरान विवृत्ति के कारण एनएलएम के अंतर्गत प्रबंधन ढांचे में अवरोध उत्पन्न हो गया। अतः, साक्षर भारत के लिए कार्यान्वयन तंत्र को प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती थी। अब चूंकि यह अपने प्रचालन के तीसरे वर्ष में है, इसलिए साक्षर भारत के लिए



स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

चित्र 21.2: साक्षरता स्तर में सुधार 1981-2011 (प्रतिशत)

भारी सहायता की व्यवस्था की गई है। बड़े पैमाने पर देश व्यापी माहौल सृजन एवं जन प्रेरण अभियान चलाकर स्वयंसेवी अध्यापकों/प्रेरकों को प्रोत्साहित एवं भारी संख्या में प्रशिक्षित किया गया है और समुदाय को सचलता प्रदान की गई है। प्रौढ़ शिक्षा स्कीमों/और विद्यालय शिक्षा में सहक्रिया के लिए विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों का सृजन किया जा रहा है।

साक्षरता से आजीवन शिक्षा में कार्यनीतिक विस्थापन

21.176. प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक प्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में साक्षर भारत को बारहवीं योजना के दौरान जारी रखा जाएगा और वर्ष 2017 तक साक्षरता दर 80 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा लिंग अंतराल को घटाकर 10 प्रतिशत से भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। आने वाले वर्षों में साक्षरता पर निरंतर बल देते हुए वर्ष 2025 तक या उससे पहले सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। बारहवीं योजना के दौरान साक्षर भारत में युवकों और किशोरवय (15-19 वर्ष) के बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा।

21.177. साथ ही, साक्षरता को न केवल नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है बल्कि आधारभूत साक्षरता से जीवन पर्यन्त सीखने जैसा प्रतिमानी बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। मौजूदा प्रौद्योगिकी आधारित, ज्ञान आधारित, प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में पढ़ने-लिखने और समझने का आधारभूत ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रौढ़ों को यह सीखना है कि सूचना एवं ज्ञान का प्रबंधन तर्क संगत एवं संवेदनशील ढंग से किस तरह किया जाए तथा उन्हें यह सीखना है कि मुद्रित, मास मीडिया या इंटरनेट, जहां कहीं भी हो, पर उपलब्ध ज्ञान की तलाश कैसे की जाए, उसे कैसे अभिज्ञात किया जाए, कैसे उसका मूल्यांकन किया जाए, कैसे उसका चयन किया जाए या उस सूचना एवं ज्ञान का कैसे उपयोग किया जाए। ऐसा होते हुए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि साक्षर होने का कार्य जीवन के एक विशिष्ट भाग तक ही सीमित होता है। वास्तव में साक्षरता तो आधारभूत ज्ञान की शुरुआत है और जीवन पर्यन्त सीखने के लिए यह पहला प्रयास है। आज अतिजीविता के लिए और व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने एवं राष्ट्रीय, मानवीय, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जीवन पर्यन्त सीखना आज के जीवन में अनिवार्य हो गया है। इसमें जीवन भर की जाने वाली सीखने की सभी गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वे व्यक्ति के व्यक्तिगत, सिविक या सामाजिक जीवन में ज्ञान, दक्षता एवं सक्षमता संवर्धन के लिए औपचारिक, गैर औपचारिक या अनौपचारिक सेटिंग्स में हों और चाहे वे रोजगार के परिदृश्य से संबंधित हों। इसके अंतर्गत जीवन या सीखने एवं साक्षरता का एक नया प्रतिमान विकसित हुआ है जिसमें

न केवल अनौपचारिक शिक्षा सेटिंग्स पर बल दिया गया है बल्कि पिछली शिक्षा को मानने एवं प्रत्यायन के लिए तंत्र युक्त औपचारिक व्यवस्था के साथ सम्पर्क स्थापित करने को भी महत्व दिया गया है।

21.178. तदनुसार, बारहवीं योजना के दौरान साक्षर भारत को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा और उसे जीवन पर्यन्त सीखने की नई व्यस्था के साथ जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. यह प्रकार्यात्मक साक्षरता, मौलिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और भावनात्मक विकास, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं मनोरंजन सहित सीखने के लिए अनिवार्य सभी तरह की जरूरी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने का अवसर प्रदान करेगा। सीखने का यह अवसर सभी वयस्कों, जिन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला अथवा मिला भी तो जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक है, और जिन्होंने पढ़ाई का मौका गंवा दिया तथा उन सभी वयस्कों को मिलेगा जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के बाहर सीखना चाहते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी मलिन बस्तियों में न्यून साक्षरता वाले क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, अजा एवं अल्पसंख्यक आबादी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत करके शिक्षा की व्यवस्था करना जारी रखेगा। अधिक समान पहुंच एवं सहभागिता को सुलभ करने के लिए फिर से बनाए गए यह कार्यक्रम, खासकर दुर्गम, पिछड़े, जन-जातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करेंगे और आईसीटी जागरूकता, सचलता, माहौल सृजन तथा सुनियोजित और लक्षित मार्गदर्शन, सूचना एवं प्रोत्साहन के जरिए सहभागिता करने के अवरोधों को दूर करके सीखने एवं शिक्षा प्राप्त करने की संस्कृति का संवर्धन करेंगे।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर तथा शहरी क्षेत्रों में उसके समान स्तर पर मौजूदा सुसज्जित आईसीटी-समर्थित, बहु उद्देश्यीय प्रौढ़ शिक्षा एवं दक्षता विकास केन्द्रों (ईईएसडीसी) को सुदृढ़ किया जाएगा (या जहां यह केन्द्र मौजूद नहीं है वहां उन्हें स्थापित किया जाएगा) ताकि स्थानीय प्रौढ़ों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत की जा सके। प्रौढ़ शिक्षा के उच्चतर स्तर के लिए ब्लाक स्तर पर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों तथा जिला स्तर पर समुदाय कालेज स्थापित किए जाने की जरूरत है।
3. कार्यक्रम के मौजूदा ढांचे, जिसमें शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन

प्राधिकरण और जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा समितियों तथा संसाधन सहायता निकाय शामिल हैं, को पुनः मॉडल किया जाएगा, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और उन्हें जीवन पर्यन्त सीखने एवं शिक्षा के अनुरूप बनाया जाएगा। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर मंत्रालयी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करने, उनका कार्यान्वयन करने एवं मूल्यांकन करने के लिए प्रशासन के सभी स्तरों पर लोक प्राधिकारियों, सिविल सोसायटी, निजी क्षेत्र, समुदाय प्रौढ़ लर्नर्स सोसायटी को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। पुनर्गठित कार्यक्रम को ऐसे संस्थापनों एवं ढांचे के एक राष्ट्र व्यापी एवं बहुस्तरीय नेटवर्क की आवश्यकता होगी जो इस मापदंड को पूरा करती है। पंचायती राज संस्थानों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की दक्षता निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधन आबंटित किए जाएंगे।

4. शिक्षण परिणामों, दक्षता विकास, पूर्व सीखने का आकलन करने के लिए उद्देश्यपरक प्रक्रिया का विकास किया जाएगा जिसके आधार पर तृतीय पक्षकार द्वारा आकलन एवं प्रमाणन कराया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए प्रत्यायित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों एवं मुक्त दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के साथ भागीदारी विकसित की जाएगी। पुनरुज्जीवित किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन 'पर्यन्त पढ़ो और सीखो' को, औपचारिक गैर-औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच क्रेडिट अंतराल को सुकर बनाने के लिए उसके समरूप ढांचा स्थापित करके क्षेत्रीय एवं वर्टिकल प्रवासन के लिए औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा।

21.179. सुविकसित साक्षर भारत कार्यक्रम जीवन पर्यन्त सीखने तथा साक्षरता सपोर्ट व्यवस्था के रूप में देश के लिए एक सतत शिक्षा कार्यक्रम होगा। एक व्यवस्थित जीवन पर्यन्त शिक्षण को संवर्धित करने के लिए देश को औपचारिक शिक्षा के अलावा शिक्षा के अन्य रूपों को औपचारिक मान्यता देने, औपचारिक, गैर-औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा को एकीकृत करने तथा गैर औपचारिक तरीके से प्राप्त शिक्षा को मान्यता देने, उसका वैधीकरण करने तथा उसका प्रत्यायन करने के लिए एक व्यापक विधान की जरूरत होगी।

उच्च शिक्षा

21.180. आधुनिक अर्थव्यवस्था एक न्यायसंगत समाज और ज्वलंत राजनीति का विकास करने के लिए उच्चतर, शिक्षा अनिवार्य होती है। यह युवकों को श्रम बाजार के लिए संगत दक्षता एवं सामाजिक सचलता के लिए अवसरों से सज्जित करती है। यह पहले से

रोजगार में लगे व्यक्तियों को तेजी से उभरती कैरियर व्यवस्थाओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। यह सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए तैयार करती है जो एक प्रजातांत्रिक एक विविधतापूर्ण समाज का मूल्य समझते हैं। अतः, राष्ट्र, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव पूंजी के रूप में एक बौद्धिक भंडार सृजित करता है और इसका भविष्य निर्माण करता है। वास्तव में उच्च शिक्षा वह प्रमुख स्थल है जिस पर हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य, विकास की प्राथमिकता और सिविल मूल्यों को परखा जा सकता है एवं उसमें सुधार किया जा सकता है।

21.181. यह अनुमान लगाया जाता है विकसित देशों तथा चीन को भी वर्ष 2020 तक उच्च दक्षता प्राप्त 40 मिलियन कामगारों की कमी का सामना करना पड़ेगा जबकि उच्चतर शिक्षा के वर्तमान प्रक्षेपणों के मुताबिक भारत में वर्ष 2020 तक स्नातकों की अधिकता हो सकती है। इस प्रकार भारत वैश्विक ज्ञान आधारित कार्य में उच्चतर हिस्सा बंट सकता है, उदाहरण के लिए यदि उच्चतर शिक्षा पर बल दिया जाए और उसकी गुणवत्ता को विश्वस्तर का बनाया जाए तो यह ज्ञान आधारित वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात कर सकता है। अब देश को समय नहीं गंवाना चाहिए। भारत की आबादी के पिरामिड में जनसांख्यिकीय निम्नतर उत्पादकता दर को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे आबादी की वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आ रही है और अगले कुछ दशकों में 25 वर्ष तक आयुवर्ग की प्रमुख शिक्षा योग्य आबादी में कमी हो जाएगी।

21.182. ग्यारहवीं योजना के दौरान पर्याप्त प्रगति होने के बावजूद भारत में एच.ई.आई. में संभावित 120 मिलियन विद्यार्थियों की तुलना में 20 प्रतिशत कम विद्यार्थी नामांकित हैं जो पूरे विश्व की औसत 26 प्रतिशत से कम है। राज्य तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन प्रतिशत में व्यापक विसंगतियां हैं जबकि समाज के उपेक्षित वर्ग और महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत औसत राष्ट्रीय प्रतिशत से बहुत कम है। चूंकि वर्ष 2020 तक नामांकन योग्य पात्र विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए वहनीय शिक्षा तक उनकी पहुंच बनाने का दबाव भी बढ़ रहा है। साथ ही प्रदान कराई जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में भी पर्याप्त समस्याएं हैं। इस सेक्टर में प्रशिक्षित संकाय की बहुत कमी है, बुनियादी सुविधाएं पुरानी एवं बहुत कम हैं तथा पाठ्यक्रम असंगत है। उच्चतर शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग सीमित है और भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं अनुसंधान का मानक अंतरराष्ट्रीय मानक से बहुत न्यून है और भारत का कोई भी विश्वविद्यालय विश्व के चोटी के 200 संस्थानों की रैंकिंग में कहीं भी नहीं आता है।

21.183. मुख्य चुनौती भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग खोजना है। देश के 'जनसांख्यिकीय लाभांश' की संभावना को साकार करने के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा उस तक आम आदमी का पहुंच बनाना अनिवार्य है। भविष्य के विस्तार को सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय और सामाजिक विसंगतियां दूर हो सकें, संस्थानों का मानक में सुधार करने के लिए विकास किया जा सके तथा उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क को प्राप्त किया जा सके, रोजगारपरकता में सुधार करके मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर किया जा सके और ज्ञान की सीमाओं में विस्तार किया जा सके।

बारहवीं योजना के कार्यनीतिक उद्देश्य

21.184. ग्यारहवीं योजना के दौरान शुरू किए गए कार्यों को बारहवीं योजना में गति प्रदान की जायेगी और विस्तार, समता एवं उत्कृष्टता के तीन 'ई' पर लगातार बल दिया जाता रहेगा। तथापि इस योजना में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए – तीन नए सिद्धांत अपनाकर पर्याप्त परिवर्तनों का प्रस्ताव है। पहला, गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा क्योंकि गुणवत्ता में सुधार किये बिना उसका विस्तार करने से भावी भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस सेक्टर में गुणवत्ता के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। दूसरे, इस योजना में उच्चतर शिक्षा का विविधीकरण इस तरह किया जाएगा कि यह न केवल रोजगार प्रदान कर सके परन्तु युवकों को सफलता के व्यापक मार्ग दिखा सके। भारत को विश्व स्तरीय अनुसंधान विश्वविद्यालय विकसित करने होंगे तथा प्रमुख व्यावसायिक एवं अन्य कौशल समयबद्ध ढंग से प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक शिक्षण संस्थान बनाने होंगे जिससे कि तेजी से परिवर्तित हो रही श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा किया जा सकता। तीसरे, उत्कृष्टता में इस विविधता का क्रियान्वयन अभिशासन में सुधार करके किया जाएगा ताकि संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए स्वायत्तता प्रदान की जाये और उन पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भरोसा किया जा सके। अतः, बारहवीं योजना में विस्तार, समता एवं उत्कृष्टता के मुद्दे

को समग्र अधिगम के रूप में लिया गया है ताकि शिक्षा का विस्तार विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या का नामांकन करने के लिए ही न होकर यह विद्यार्थियों को पढ़े जाने वाले विषयों, स्तर और संस्थानों में विकल्प प्रदान किया जा सके और शैक्षणिक गुणवत्ता के न्यूनतम मानक को सुनिश्चित किया जा सके तथा समाज के सभी वर्गों को, खासकर उपेक्षित वर्ग, उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

21.185. ये सभी उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के सभी तीनों खंडों: केन्द्रीय संस्थान; जिसमें कुल नामांकन का केवल 2.6 प्रतिशत नामांकन होता है; राज्य संस्थान; जिनमें 38.5 प्रतिशत नामांकन होता है तथा निजी संस्थान; जो शेष विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करते हैं, के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। नामांकन का लक्ष्य (बॉक्स 21.7 देखें) प्राप्त करने के लिए शिक्षा के इन सभी खंडों का अतिरिक्त क्षमता सृजन करने और सभी को शिक्षा तक पहुंच के समान अवसर सृजित करके, विस्तार किया जाएगा और शिक्षण एवं सीखने की गुणवत्ता में सुधार एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त की जायेगी तथा आर्थिक विकास में योगदान दिया जाएगा।

बारहवीं योजना की कार्यनीतिक संरचना


21.186. विगत के अनुभवों के आलोक में तथा विस्तार, समता एवं उत्कृष्टता के बीच अंतर-संबंधों पर विचार करते हुए बारहवीं योजना के उद्देश्यों का अनुकरण करने के लिए एक नये कार्य नीतिक ढांचे (चित्र 21.3 देखें) की जरूरत होगी। इसमें उन सांस्कृतिक, कार्यनीतिक और संगठनात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत होगी जिनका उच्चतर शिक्षा के सभी पहलुओं, पहुंच और अभिशासन में समता, वित्तपोषण, निगरानी एवं विनियमन, संस्थागत ढांचा, पाठ्यक्रम और शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया, पर प्रभाव होता है।

21.187. बारहवीं योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए कार्यनीति संरचना के शैक्षणिक परिवर्तन में विस्तार, समता, उत्कृष्टता, अभिशासन और वित्त पोषण से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

बॉक्स 21.7

बारहवीं योजना के लिए नामांकन लक्ष्य

बारहवीं योजना के अंत तक 10 मिलियन विद्यार्थियों का नामांकन करने की अतिरिक्त क्षमता, जिसमें 1 मिलियन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में होंगे, सृजित की जायेगी। इससे लगभग 3 मिलियन अधिक विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगे और वे देश का जीईआर 17.9 प्रतिशत (वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित) से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 तक 25.2 प्रतिशत कर देंगे तथा जीईआर का यह लक्ष्य 2020-2021 तक 30 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा जो विश्व के औसत स्तर के समान होगा।



चित्र 21.3: कार्यनीतिक ढांचा

विस्तार

1. संस्थानों की संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा संस्थानों की क्षमता का मापन करके उन तक पहुंच बढ़ाना तथा संवेदनशील क्षेत्रीय एवं सामाजिक अंतराल को दूर करने के लिए नये संस्थान स्थापित करना।
2. विद्यार्थियों के विविध निकायों और नियोक्ताओं की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थात्मक विशिष्टीकरण एवं विशेषता की प्रणाली का सृजन करना।
3. गुणवत्ता में सुधार करने, लागत में कमी लाने, प्रक्रियाओं और कार्यकुशलता में सुधार करने तथा भारी संख्या में विद्यार्थियों की पहुंच सुनिश्चित करने एवं कार्यकुशल और पारदर्शी अभिशासन संवर्धित करने, शिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करना।

समता

1. लक्षित, एकीकृत और कारगर समता स्कीमों के जरिए समता संबंधी उपायों के लिए बजटीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रावधान करना। यह स्कीम वर्तमान में लागू विविध एवं अपविस्तृत स्कीमों के स्थान पर लागू होगी।

उत्कृष्टता

1. शिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इनपुट केन्द्रित और प्रत्यायान आधारित शैक्षिक अधिगम के बजाय विद्यार्थी केन्द्रित और सीखने के परिणामों पर आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा।
2. गुणवत्ता पूर्ण संकाय की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता, भर्ती और अवधारणा सुनिश्चित करना; मौजूदा संकाय की दक्षता का उन्नयन करना तथा अध्यापन एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता संवर्धन करने के लिए दोनों के बीच तालमेल बनाना।
3. शैक्षणिक अनुसंधान का नवाचारों तथा समाज एवं अर्थव्यवस्था में उसका व्यावहारिक उपयोग करने के लिए अनुवाद सुलभ कराना और उद्यमिता संवर्धन करना जो धन और सार्वजनिक अच्छाई का सृजन करता है।
4. संस्थानों और उनके संकायों को प्रोत्साहित करके और सहायता देकर अंतरराष्ट्रीयकरण बढ़ाना तथा अध्यापन-सीखने से लेकर अनुसंधान एवं आउटरीच के क्षेत्रों में संपूर्ण विश्व में संस्थानों एवं संकायों के साथ गहनता से संलिप्त होना।

- शैक्षणिक संस्थानों का एक दूसरे के साथ तथा अनुसंधान संस्थानों एवं उद्योग के साथ सहयोग, नेटवर्क, क्लस्टर, संघ सृजित करना और उसे सुलभ बनाना ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग करके और आपसी विशेषज्ञता का लेनदेन करके ज्ञान विकास की प्रक्रिया को बढ़ाना।

अभिशासन

- सरकार की भूमिका आदेश देने और नियंत्रित करने के बजाय मार्गदर्शन करने और मूल्यांकन करने में अंतरित करना जिससे कि संस्थागत स्वायत्तता बन सके।
- उच्च शिक्षा व्यवस्था की क्षमता बढ़ाना जिससे कि व्यापक एवं समन्वित विनियामक सुधार करके स्वयं को शासित करना।
- सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के संस्थानों में प्रवेश शुल्क संकाय, कार्यक्रमों, प्लेसमेंट, अभिशासन, वित्त बिजनेस समझौतों और स्वामित्व संबंधित महत्वपूर्ण मानकीकृत सूचना का प्रकटन करके पारदर्शिता बढ़ाना।

वित्तपोषण

- उच्च शिक्षा में सार्वजनिक एवं निजी निवेश में वृद्धि को कार्यान्वित करना जिससे कि बारहवीं योजना के लिए निर्धारित विभिन्न लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना की निधियों में वृद्धि करना और इन निधियों का कार्यनीतिक ढंग से उपयोग करना ताकि उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था, राज्य व्यवस्था सहित, में सुधार किया जा सके।
- उपयुक्त क्रियान्वयन एवं निगरानी तंत्र सहित राष्ट्रीय, राज्य एवं संस्थान स्तर पर अभिशासन की व्यवस्था में सुधार करके वित्तपोषण की व्यवस्था को सीधे परिणामों और योजनागत उद्देश्यों के वास्तविक प्रभावों से जोड़ना।

21.188. चित्र 21.3 में कार्यनीतिक ढंग के विभिन्न तत्वों और उनके अंतर संबंधों को दर्शाया गया है। पहुंच को व्यापक बनाने और उसमें विस्तार करने, पहुंच में समता बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने, अभिशासन, वित्तपोषण, योजना क्रियान्वयन, उसकी निगरानी और मूल्यांकन के मुद्दे का वर्णन उत्तरवर्ती खंडों में किया गया है। प्रत्येक खंड में पहले ग्यारहवीं योजना के अनुभवों का विश्लेषण किया गया जिससे यह ज्ञात हुआ कि बारहवीं योजना में कौन सी विशिष्ट कार्य नीतियां अपनाई जाएं तथा कौन सी पहलें की जाएं।

उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार

ग्यारहवीं योजना में नामांकन विस्तार

21.189. ग्यारहवीं योजना में उच्च शिक्षा के लिए बढ़ती मांग को माना गया और उसका समाधान प्रस्तुत किया गया। नामांकन में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में वृद्धि हुई। तालिका 21.7 में दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना में नामांकनों की संख्या और नामांकन में वृद्धि तथा संयुक्त वार्षिक दर दर्शायी गयी है (सीएजीआर)।

21.190. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (आडीएल) में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2006-07 के दौरान 27.41 लाख विद्यार्थियों से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 42.01 लाख हो गयी (तालिका 21.8) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित 183 अन्य दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डीईआई) हैं। डीईआई जिसमें कम से कम 44 गैर सरकारी संस्थान हैं, में नामांकन ग्यारहवीं योजना के दौरान 10 प्रतिशत बढ़ गया।

21.191. जीईआर का उपयोग सामान्यतः उच्च शिक्षा तक पहुंच को मापने के लिए किया जाता है। जीईआर, 18-23 वर्ष के पात्र आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा (दोनों डिग्री एवं डिप्लोमा कार्यक्रम) में कुल नामांकन होता है। इस परिभाषा का उपयोग करते हुए, 2006-07 में उच्च शिक्षा के लिए जीईआर 12.3 प्रतिशत था जो 2011-12 में बढ़कर 17.9 प्रतिशत हो गया है। केवल नियमित कार्यक्रमों में जीईआर 2006-07 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 15.2 प्रतिशत हो गया है।

21.192. ग्यारहवीं योजना में बृहत नामांकन से भारतीय उच्च शिक्षा 15 प्रतिशत जीईआर की दहलीज पार कर सकी और देश में 'वर्ग विशेष' से 'व्यापक' उच्च शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ। इसके बावजूद उच्च शिक्षा तक पहुंच की अनापूर्ति मांग महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो यह संकेत करती है कि और विस्तार अपेक्षित है। तथापि, बारहवीं योजना के दौरान विस्तार में इस बात पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है कि हाल ही में हुए विकास को कतिपय क्षेत्रों, शिक्षणों और हलकों की ओर मोड़ दिया गया है (अध्ययन के क्षेत्र के अनुसार विकास के लिए तालिका 21.9 देखें) और यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि आगे के विस्तार में उच्च शिक्षा में प्रावधान में विविधता हो, जिसमें संस्थानों, अध्यापक वर्ग और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार पर केन्द्रीकृत जोर देना शामिल हो।

तालिका 21.7
ग्यारहवीं योजना में नामांकन में वृद्धि

श्रेणी	2006-07		2011-12		वृद्धि	विकास दर (प्रतिशत)
	कुल	%	कुल	%		
	(नामांकन लाख में)					
संस्थानों के प्रकार के अनुसार						
सरकारी	63.38	45.8	89.63	41.1	26.25	7.2
केन्द्रीय	3.10	2.2	5.63	2.6	2.53	12.7
राज्य	60.28	43.6	84.00	38.5	23.72	6.9
निजी	75.12	54.2	128.23	58.9	53.11	11.3
डिग्री/डिप्लोमा के अनुसार						
डिग्री	123.54	89.2	184.84	84.8	61.30	8.4
डिप्लोमा	14.96	10.8	33.02	15.2	18.06	10.8
डिप्लोमा	138.50	100.00	217.86	100.00	79.36	9.5

स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), एनसीटीई, भारतीय नर्सिंग परिषद (एनसीटीई)

टिप्पणी: (क) केन्द्रीय संस्थानों में भारतीय प्रबंधन संस्थान शामिल हैं हालांकि वे प्रबंधन में परा-स्नातक डिप्लोमा प्रदान करते हैं; (ख) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष के कुल के प्रतिशत हैं।

तालिका 21.8
ग्यारहवीं योजना में मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन का विकास

नामांकन	2006-2007		2011-2012		वृद्धि	विकास दर (प्रतिशत)
	कुल	%	कुल	%		
(नामांकन लाख में)						
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	4.68		6.97		2.29	8.3
राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय (एसओयू)	7.77		10.80		3.03	6.8
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डीईआई)	14.96		24.24		9.28	10.1
कुल	27.41		42.01		14.60	8.9

स्रोत: दूरस्थ शिक्षा परिषद

ग्यारहवीं योजना में संस्थागत विस्तार

21.193. ग्यारहवीं योजना के दौरान उच्च शिक्षा क्षमता में वृद्धि मुख्य तौर पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा नए संस्थानों की स्थापना के माध्यम से हासिल की गई थी। संस्थानों की संख्या 29,384 से बढ़कर 46,430 हो गई, जो 58 प्रतिशत वृद्धि है। योजना के अंत तक देश में डिग्री प्रदान करने वाले 645 संस्थान, 174 विश्वविद्यालयों से सहबद्ध 33,023 कॉलेज और डिप्लोमा प्रदान करने वाले 12,748 से भी अधिक संस्थान थे। इस विकास की झलक तालिका 21.10 देखी जा सकती है। संस्थानों की विकास दर के

साथ नामांकन का मिलान करते हुए प्रति संस्थान न्यून नामांकन की समस्या, जो ग्यारहवीं योजना के आरंभ में सदृश थी, बनी हुई है। अभियांत्रिकी और तकनीकी शिक्षण के पक्षपातपूर्ण विकास के संयोजन से यह संकेत मिलता है कि आगे का विकास शिक्षण विविधता प्राप्त करने और नये संस्थानों के सृजन के बजाय मौजूदा संस्थानों में क्षमता वृद्धि के संदर्भ में भी आरंभ किया जाना चाहिए।

21.194. ग्यारहवीं योजना की अवधि के दौरान निजी संस्थानों में वृद्धि सार्थक थी। योजना अवधि के दौरान 98 निजी राज्यीय

तालिका 21.9
ग्यारहवीं योजना के दौरान अध्ययन के क्षेत्र के अनुसार नामांकन का विकास

संकाय	2006-07		2011-12		विकास दर (प्रतिशत)
	कुल	%	कुल	%	
कला	54.86	39.6	65.78	30.2	3.7
विज्ञान	25.43	18.4	30.57	14.0	3.8
वाणिज्य एवं प्रबंधन	22.87	16.5	34.34	15.8	8.5
शिक्षा	6.21	4.5	13.00	6.0	15.9
अभियांत्रिकी	18.06	13.0	54.68	25.0	24.8
चिकित्सा, नर्सिंग और फार्मसी	5.98	4.3	12.02	5.5	15.0
कृषि तथा पशुचिकित्सा विज्ञान	0.93	0.7	1.21	0.6	5.4
विधि	3.00	2.2	3.48	1.6	3.0
अन्य	1.16	0.8	2.78	1.3	19.1
कुल	138.5	100	217.86	100	9.5

स्रोत: यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई और आईएनसी

तालिका 21.10
ग्यारहवीं योजना में संस्थानों का विकास

श्रेणी	2006-07	2011-12	वृद्धि	विकास दर (प्रतिशत)
केन्द्रीय संस्थान				
डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान	87	152	65	11.8
कॉलेज	58	69	11	3.5
उप कुल	145	221	76	8.8
राज्य संस्थान				
डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान	227	316	89	6.8
कॉलेज	9,000	13,024	4,024	7.7
डिप्लोमा संस्थान	1,867	3,207	1,340	11.4
उप कुल	11,094	16,547	5,453	8.3
निजी संस्थान				
डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान	73	191	118	21.2
कॉलेज	12,112	19,930	7,818	10.5
डिप्लोमा संस्थान	5,960	9,541	3,581	9.9
उप कुल	18,145	29,662	11,517	10.3
कुल	29,384	46,430	17,046	9.6

स्रोत: यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई और आईएनसी

टिप्पणी: केन्द्रीय संस्थानों में भारतीय प्रबंधन संस्थान शामिल हैं हालांकि वे प्रबंधन में परा-स्नातक डिप्लोमा प्रदान करते हैं।

विश्वविद्यालय, 17 निजी मानित विश्वविद्यालय, 7,818 निजी कॉलेज और 3,581 निजी डिप्लोमा संस्थान स्थापित किए गए थे जबकि इनमें से या अधिकांश लगभग स्वयं पेशेवर अथवा व्यवसायिक कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। फिर भी, यह गौरतलब है कि हाल ही के वर्षों में निजी क्षेत्र में अनेक कला, वाणिज्य तथा विज्ञान कॉलेज और कुछ व्यापक बहु शिक्षण विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं।

21.195. ग्यारहवीं योजना के दौरान केन्द्रीय संस्थानों का विस्तार ऐतिहासिक था। केन्द्र सरकार ने एक ही योजना अवधि में इतने संस्थान कभी स्थापित नहीं किए थे। केन्द्र सरकार ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 51 नए संस्थान स्थापित किए हैं (तालिका 21.11 देखें)। गोवा को छोड़कर, जहां राज्य सरकार इच्छुक नहीं थी, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। मौजूदा केन्द्रीय संस्थानों को सामान्य सीटों की संख्या को प्रभावित किए बिना अन्य पिछड़ा वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी प्रवेश क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने 45 मॉडल डिग्री कॉलेज (न्यून नामांकन जिलों में प्रस्तावित 374 की तुलना में) और 279 सरकारी पॉलिटेक्निक (प्रस्तावित 300 की तुलना में) स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता भी की थी। इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों ने स्वयं 89 विश्वविद्यालय, 4,024 कॉलेज और 1,340 डिप्लोमा संस्थान स्थापित किए हैं।

21.196. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अलावा, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार भी महत्वपूर्ण था जिसके अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा 14 संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें चिकित्सा एवं कृषि विश्वविद्यालय, फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, फार्मेस्युटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तथा दक्षिणी एशिया एवं नालंदा विश्वविद्यालय शामिल हैं। तथापि, इसमें जहाजरानी महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित समुद्री शिक्षा और उड़ान तथा एयरोनॉटिकल शिक्षा संबंधी संस्थान शामिल नहीं हैं।

21.197. सहबद्ध कॉलेज, जो सभी छात्रों में से 86.7 प्रतिशत का नामांकन करते हैं, देश की उच्च शिक्षा प्रणाली के मुख्य स्तम्भ हैं। वे 90 प्रतिशत से अधिक स्नातक छात्रों, 70 प्रतिशत से अधिक परास्नातक छात्रों और लगभग 17 प्रतिशत डॉक्टरल छात्रों का नामांकन करते हैं। वे सहबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालियों को अपनाते हैं।

तालिका 21.11
ग्यारहवीं योजना के दौरान केन्द्रीय संस्थान की विकास

संस्थान के प्रकार	2006-07	2011-12	वृद्धि
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	19	40	21
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	7	15	8
भारतीय प्रबंधन संस्थान	6	13	7
भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	2	5	3
स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर	1	3	2
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	20	30	10
अन्य तकनीकी संस्थान	15	15	0
अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान	17	31	14
कुल	87	152	65

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अन्य मंत्रालय

टिप्पणी: अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में केन्द्रीय सरकार (यूजीसी) द्वारा और अन्य मंत्रालयों के तहत संस्थानों द्वारा पूर्ण निधिकृत सम विश्वविद्यालय शामिल हैं।

21.198. संस्थानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद उनका भौगोलिक विस्तार बहुत अधिक पक्षपातपूर्ण बना हुआ है और ये ज्यादातर बड़े शहरों और कस्बों में स्थित हैं। जबकि ग्यारहवीं योजना के दौरान समग्र संस्थागत घनत्व प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर में 10 से बढ़कर 14 हो गया है फिर भी 10,000 से अधिक और 1,00,000 से कम जनसंख्या वाली अनेक बस्तियों और आबादियों के आसपास कोई उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है।

21.199. हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जीईआर 18 प्रतिशत है फिर भी बड़े पैमाने पर अंतर-राज्य विषमताएं हैं। दिल्ली, चण्डीगढ़ और पुडुचेरी, जो बड़ी संख्या में अपने राज्यों के बाहर के छात्रों को आकर्षित करते हैं, का जीईआर 30 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि बिहार, झारखंड, असम, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जीईआर बहुत ही कम है। यह सुझाता है कि बारहवीं योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार के मुद्दों का समाधान करने में राज्य-विशेष कार्यनीतियों की आवश्यकता है।

21.200. संस्थागत विस्तार का समर्थन करने के लिए उच्च शिक्षा पर केन्द्र सरकार का खर्च वर्षों के दौरान धीरे-धीरे बढ़ा है और इसमें 2006-07 और 2011-12 के बीच छह गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, राज्यों का गैर-योजना व्यय धीमी गति से बढ़ा है हालांकि राज्य क्षेत्र में संस्थानों का महत्वपूर्ण विस्तार भी

हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य संस्थानों की गुणवत्ता में वर्षों के दौरान हास होता रहा है।

21.201. ग्यारहवीं योजना के दौरान उच्च शिक्षा में नामांकन (मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा में नामांकन सहित) में 9.3 मिलियन की वृद्धि हुई है जो 16.6 मिलियन (2006-07 में) से बढ़कर 2011 में 25.9 मिलियन हो गया है। बारहवीं योजना के लिए नामांकन क्षमता में और 10 मिलियन की वृद्धि करने का लक्ष्य है। इसमें से 1 मिलियन की वृद्धि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में की जाएगी, 3.3 मिलियन कौशलदायी डिप्लोमा कार्यक्रमों के व्यापक पैमाने पर विस्तार के माध्यम से और शेष 5.7 मिलियन की वृद्धि परास्नातक और डॉक्टरल कार्यक्रमों के तीव्र विस्तार के साथ डिग्री कार्यक्रमों के और विस्तार के माध्यम से की जाएगी (तालिका 21.12 देखें)।

21.202. छात्रों की इस अतिरिक्त 10 मिलियन नामांकन क्षमता से प्रत्येक आयु वर्ग के 3 मिलियन और छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश कर सकेंगे और जीईआर मोटे तौर पर मौजूदा वैश्विक औसत 17.9 प्रतिशत (2010-11 के लिए अनुमानित) से बढ़कर 2017 तक 25.2 प्रतिशत हो जाएगा। केन्द्रीय संस्थानों की नामांकन क्षमता 0.6 मिलियन से दुगुनी होकर 1.2 मिलियन हो जाएगी। राज्यीय संस्थानों में यह

तालिका 21.12

बारहवीं योजना के लिए स्तर/प्रकार के अनुसार नामांकन लक्ष्य

स्तर/प्रकार	छात्रों की संख्या लाख में		
	2011-12 (अनुमान)	2016-17 (लक्ष्य)	विकास दर (प्रतिशत)
पीएचडी	1	3	24.6
परास्नातक सामान्य	17.3	33.2	13.9
परास्नातक तकनीकी	5	12.2	19.5
स्नातक सामान्य	116.6	128	1.9
स्नातक तकनीकी	45	66	8.0
उप जोड़	184.9	242.4	5.6
डिप्लोमा	33	65	14.5
कुल	217.9	307.4	7.1
मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा	42	52	4.4
सकल जोड़	259	359.4	6.7
जनसंख्या 18 से 23 वर्ष	1,451.2	1,427.4	-01.1
जीईआर (प्रतिशत)	17.9	25.2	

स्रोत: योजना आयोग के अनुमान/लक्ष्य


8.4 मिलियन से बढ़कर 11 मिलियन हो जाएगी। अधिकतर विकास निजी संस्थानों में होगा। निजी संस्थानों में नामांकन क्षमता मौजूदा 12.7 मिलियन से बढ़कर बारहवीं योजना अवधि के अंत तक 18.5 मिलियन हो जाएगी (चित्र 21.4 देखें)।

21.203. विस्तार के लिए आयोजन मांग संचालित होना चाहिए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय सरकार दीर्घकालिक व्यवसायिक मांग प्रक्षेपण तैयार करे जिनमें इस बात को मान्यता दी जाए कि इन्हें सावधिक तौर पर अद्यतित करना अनिवार्य होगा ताकि अर्थव्यवस्था तथा समाज की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। केन्द्रीय संस्थानों के लिए विकासशील संस्थागत आपूर्ति लक्ष्यों द्वारा इन्हें अपनाना जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए विस्तार योजना इसी प्रकार राज्यस्तरीय मांग प्रक्षेपणों पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर समन्वयी प्रयास और इस प्रकार के आयोजन के लिए क्षमता परिवर्द्धन अपेक्षित होगा।

बारहवीं योजना विस्तार कार्यनीति

21.204. ग्यारहवीं योजना में जो विस्तार हुआ था वह युवा लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं, उन्नत स्कूली शिक्षा और इस तथ्य की तार्किक प्रतिक्रिया थी कि द्रुत आर्थिक विकास तथा कौशल आधारित तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से सृजित रोजगार के लिए उच्चस्तरीय शिक्षा अपेक्षित है। ग्यारहवीं योजना के दौरान भारतीय उच्च शिक्षा 'वर्ग विशेष' से 'व्यापक' उच्च शिक्षा (15 प्रतिशत जीईआर) की ओर अग्रसर हुई और अब वैश्विक उच्च शिक्षा (50 प्रतिशत जीईआर) की ओर अग्रसर है। इसे व्यापक, विविध शिक्षा के दायरे की पेशकश का समर्थन अपेक्षित है - छात्र को कौशलों के एक टोस सैट की प्राप्ति के साथ-साथ बहु शिक्षणों में कौशल उस गति पर प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जो सीखने की व्यक्तिगत क्षमता के लिए प्रथागत हो। इसको ध्यान में रखते हुए आगे के विस्तार के लिए उच्च शिक्षा के डिजाइन, संगठन, परिभाषा और उद्देश्य की पुनः जांच अपेक्षित होगी। बारहवीं योजना में जहां एक ओर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पास होने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध शैक्षिक अवसर सृजित करने का प्रयास किया गया है वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था और समाज की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। इसलिए बारहवीं योजना में उच्च शिक्षा विस्तार की कार्यनीति को संचालित करने वाले जो चार प्रमुख सिद्धांत होंगे, वे इस प्रकार हैं:

1. विस्तार, समूचे बोर्ड में अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की बजाय स्थितियों, राज्यों, संबंधित क्षेत्रों/शिक्षणों और उन



स्रोत: यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईटी, एमएचआरडी और आईएनसी से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

चित्र 21.4: उच्चतर शिक्षा में नामांकन (लाख में): 2006-07 से 2016-17

- संस्थानों के प्रकार पर केन्द्रित होना अनिवार्य है, जहां मौजूदा क्षमता बहुत कम है।
- विस्तार, देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप होना अनिवार्य है इसलिए रोजगार बाजार के विभिन्न खंडों की जरूरतों को पूरा करने या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संरचित परिवर्तनीय तथा प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले अनेक प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान विकसित किया जाना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा में कौशल-आधारित कार्यक्रमों के विकास पर विशेष जोर दिया जाना अनिवार्य है।
 - विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थानों की तुलनात्मक शक्ति को उपयोग में लाया जाना अनिवार्य है। केन्द्रीय संस्थानों को गुणवत्ता-प्रधान संस्थान बनने में सहायता प्रदान किया जाना अनिवार्य है। राज्य संस्थानों को और विस्तार करने के साथ-साथ इक्विटी संबंधी मुद्दों का समाधान करने तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समर्थन दिया जाना अनिवार्य है। लोकहितैषी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उसे अधिक निधियां लगाने के लिए तथा बड़े, स्थायी तथा उच्च गुणवत्ता के निजी संस्थान निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के नए मॉडलों को न केवल प्रौद्योगिकी तीक्ष्ण शिक्षा के लिए बल्कि बहु शिक्षण तथा अनुसंधान आधारित शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। लागत प्रभावी तथा लचीले तरीके से पहुंच को व्यापक बनाने के लिए मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।
 - समग्र तौर पर, विस्तार की सावधानीपूर्वक योजना बनायी जाएगी ताकि गरीबों तथा उपेक्षित सामाजिक वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों की पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को बेहतर पहुंच उपलब्ध करायी जा सके।
- 21.205.** विस्तार का अर्थ केवल एक ही प्रकार के अधिक संख्या में संस्थान होना नहीं बल्कि नए प्रकार के संस्थानों का विकास भी होना चाहिए। सर्वप्रथम देश में वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धात्मक अनुसंधान-तीव्र संस्थान होना अनिवार्य है जिन्हें (1) भारत को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मोर्चे पर सबसे आगे रखना चाहिए; (2) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक विषय वस्तु तथा पाठ्यक्रम वैश्विक मानकों का हो और उसे नियमित तौर पर अद्यतित किया जाए; (3) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत की अपनी स्वयं की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुसंधान का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाए; और (4) छात्रों की नई पीढ़ी को अपने संस्थान के अंदर और बाहर दोनों जगह शिक्षित करने में देश के सर्वोत्तम अनुसंधानकर्ताओं को नियुक्त किया जाए।
- 21.206.** दूसरे, शिक्षण-केन्द्रीकृत संस्थानों द्वारा उदार कला से पेशेवर तथा तकनीकी शिक्षा तक उत्तम गुणवत्ता शिक्षा विकल्पों के

व्यापक दायरे की पेशकश की जानी अनिवार्य है। कार्यरत पेशवरों और व्यस्क शिक्षार्थियों के लिए अंश-कालिक कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए और उनमें वही डिग्रियां प्रदान की जानी चाहिए जो परंपरागत पूर्ण-कालिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

21.207. तीसरे, ऐसे संस्थान भी होने अनिवार्य है जो ऐसे विश्वसनीय अल्प-कालीन कार्यक्रमों की पेशकश करें जो विकास अवसरों के साथ-साथ उपचारात्मक शिक्षा के लिए कौशल प्रदान करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो छात्र अलग-अलग गुणवत्ता माध्यमिक स्कूलों से बाहर निकलें उनके पास उच्च शिक्षा पर्यावरण में सफलता प्राप्त करने के अवसर हों। चौथे, उच्च शिक्षा संस्थानों का भौगोलिक मानचित्रण किया जाना चाहिए ताकि उन बस्तियों और आबादियों की पहचान हो सके जहां उच्च शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। राज्य या जिला स्तर पर विस्तार की योजना बनायी जानी चाहिए ताकि रोजगार के अवसरों तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पास होने वाले छात्रों की संख्या पर निर्भर करते हुए विविध प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों का विकास किया जा सके।

21.208. क्षमता का विस्तार करते समय उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत को कम करना होगा। यह लक्ष्य यह सुनिश्चित करते हुए प्राप्त किया जा सकता है कि विस्तार मुख्य रूप से मौजूदा संस्थानों की क्षमता बढ़ाकर किया जाता है। अनेक विश्वविद्यालय तथा कॉलेज कुछ सौ छात्रों के साथ कम क्षमता पर संचालित किए जाते हैं। सर्वोत्तम संचालनों के लिए विभिन्न विशिष्ट कार्यनीतियों को अपनाया जा सकता है। सर्वप्रथम, मौजूदा भौतिक सुविधाओं का बहुल पारियां और पूरे वर्ष संचालनों की अनुसूची बनाकर और अधिक सक्षमतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। दूसरे, मंहगे पूर्णकालिक अध्यापकों को उच्च महत्व के शिक्षण के लिए नियुक्त किया जा सकता है जबकि विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षा सहायकों या अनुबद्ध अध्यापकों का शिक्षकीय कार्य तथा उन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा सकता है जिनमें मौखिक अनुदेश भी शामिल होते हैं।

21.209. तीसरे, भूमि, जो नए परिसर स्थापित करने के लिए एक बाध्यकारी अड़चन बन गई है, का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। भूमि क्षेत्रफल की आवश्यकता के लिए मानकों की समीक्षा शिक्षण के लिए पर्याप्त भौतिक स्थान प्रदान करते हुए ऊर्जा तथा पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की संरचना करते समय नयी शिक्षण तकनीकों की आनुषंगिकता को ध्यान में रखना अनिवार्य है। विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में स्थित संस्थानों को

विलयन के माध्यम से क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिक प्रतिष्ठावान संस्थानों को बहुदेशीय परिसर स्थापित करने तथा मान तथा दायरे की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अंततः बड़े शिक्षा तथा एकीकृत केन्द्रों में संस्थानों को सह-स्थापित करने में लाभ है, जहां प्रतिभा की भरमार होगी और उसका विकास होगा, नवीन पर्यावरण प्रणाली सृजित होगी और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। बारहवीं योजना के दौरान कुछ बड़े शिक्षा समूह स्थापित किए जाएंगे। इन्हें सार्वजनिक और/या निजी विश्वविद्यालय के साथ अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों तथा निकट के ज्ञान तीव्र उद्योगों द्वारा स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। इससे विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों तथा फर्मों के बीच अन्योन्यक्रिया तथा सहयोग में वृद्धि करने की सुविधा प्राप्त होगी।

बारहवीं योजना विस्तार के प्रयास

21.210. बारहवीं योजना के प्रयासों को नई तथा निरंतर प्रयासों के माध्यम से इन कार्यनीतिक उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए संरचित किया जाएगा। बारहवीं योजना की विशिष्ट प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

केन्द्रीय संस्थानों को गुणवत्ता-प्रधान संस्थानों के रूप में विकसित करना

21.211. केन्द्रीय संस्थानों में नामांकन को मुख्य रूप से मौजूदा केन्द्रीय संस्थानों के अंदर 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया जाएगा। केवल अनुसंधान तथा नवीनता आधारित संस्थान या आदर्श संस्थान ही केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे या केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित किए जाएंगे (बॉक्स 21.8 देखें)। पुराने केन्द्रीय संस्थानों को मान की प्राप्ति के लिए परिसरों के पुनर्विकास तथा आधुनिक सुविधाएं निर्मित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कुछ क्षेत्रों में बहु परिसरों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि मान तथा संस्थागत दक्षता की अर्थव्यवस्थाओं को समर्थ बनाया जा सके। बारहवीं योजना के दौरान जिन परिसरों को अपग्रेड किया जाएगा उनमें आईएसएम धनबाद को आईआईटी के स्तर का बनाना, बीईएसयू शिवपुर को भारतीय आभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में अपग्रेड करना और एनआईएफएफटी रांची को गलाई तथा ढलाई प्रौद्योगिकी हेतु एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपग्रेड करना शामिल है। संघीय क्षेत्रों में संभावना के साथ उच्च शिक्षण संस्थान जो केन्द्रीय सरकार (गृह मंत्रालय के माध्यम से) के अधीन हैं और जहां प्रचुर मात्रा में प्रतिभा है जैसेकि पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा चण्डीगढ़ वास्तुकला कॉलेज, उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा।

बॉक्स 21.8

टीआईएसएस: एक बहु-स्थान नेटवर्क विश्वविद्यालय

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने 2006 के बाद द्रुत गति से विकास किया है और सामाजिक विज्ञान के लिए यह एक बहु-स्थान नेटवर्क विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। इसने सामाजिक विज्ञान में अपने अनुसंधान आधार को बढ़ाया है और पूरे देश में शिक्षण से परे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में छात्रों को पहुंच उपलब्ध कराने के लिए अपने पाठ्यक्रमों की पेशकश में विविधता लेकर आया है। इसके मुम्बई परिसर की क्षमता, जो 2006 में 200 मास्टर और 50 डॉक्टरल छात्रों की थी, 2012 में बढ़ कर 1,650 मास्टर और 350 डॉक्टरल छात्रों की हो गई है और अन्य पाठ्यक्रमों, जिनकी यह पेशकश करता है, में भी अनुरूप वृद्धि हुई है। संस्थान ने तुलजापुर (2004 से संचलनात्मक), हैदराबाद और गुवाहाटी में तीन परिसर स्थापित किए हैं, प्रत्येक में 2016 तक लगभग 1,000 छात्र होंगे। इस विस्तार का वित्त पोषण मुख्यतः उन भारतीय न्यासों और संस्थाओं के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों से किया गया है जिन्होंने अब तक लगभग 130 करोड़ रुपए का अंशदान किया है और साथ ही साथ केन्द्र सरकार ने अन्य 26 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने अनुसंधान कार्य तथा नए शैक्षिक कार्यक्रमों की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगाई है। इसके अलावा, संस्थान ने देश के 60 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ अनुसंधान, अध्यापक वर्ग और छात्र विनिमय के वित्त पोषण में सहयोग किया है - प्रत्येक सहयोग संस्थान द्वारा सुरक्षित प्रतिस्पर्धात्मक धनराशि द्वारा समर्थित है जिससे छात्रों पर विनिमय के लिए कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

21.212. केन्द्रीय संस्थानों को अन्य संस्थानों के लिए नियंत्रण, बुनियादी ढांचा, अध्यापक वर्ग और पाठ्यक्रम सहित सभी पहलुओं में उत्प्रेरक रोलमॉडल बनना चाहिए। उदाहरण के लिए बुनियादी ढांचा विकास में वे प्राथमिक बुनियादी ढांचे के लिए नई निर्माण प्रौद्योगिकी, तयशुदा लागत के उपयोग तथा ईपीसी अनुबंधों तथा पीपीपी मॉडलों के समय को परिभाषित करने में सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार वे मानकों में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से उन राज्यों या क्षेत्रों में जहां वे स्वयं अवस्थित हैं, अन्य संस्थानों की सहायता करेंगे। नए केन्द्रीय संस्थानों के साथ राज्य तथा निजी संस्थानों तथा अन्य उद्यमों की सह-स्थापना से गुंजायमान नवीन समूहों का निर्माण किया जा सकता है।

राज्यीय उच्च शिक्षा के लिए कार्यनीतिक समर्थन

21.213. राज्य उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रीय निधिकरण बहुत कम है; इसकी पहुंच सीमित है और इसका प्रभाव निरर्थक है। इसका समन्वय ठीक ढंग से नहीं होता है और यह अत्यधिक नौकरशाही,

अदक्षता, निगरानी के न्यून स्तर और परिणामों की खराब गुणवत्ता से ग्रस्त है। इसलिए इस धन का बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है। बारहवीं योजना के दौरान राज्यीय उच्च शिक्षा को और अधिक सार्थक केन्द्रीय धन उपलब्ध कराया जाए। उस तरीके में कार्यनीतिक बदलाव किया जाएगा जिस तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यीय उच्च शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रीय निधिकरण राज्य-विशेष आधार पर किया जाएगा और इसका समग्र रूप से निर्धारण राज्यीय उच्च शिक्षा के लिए किया जाएगा, हालांकि यह अलग-अलग विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को पहले की तरह यूजीसी के माध्यम से ही मिलेगा। राज्यीय विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के लिए केन्द्रीय धन के निर्धारण और उसके प्रवाह का विवरण एक परामर्शदायी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाएगा। केन्द्रीय धन के निर्धारण तथा सवितरण में यूजीसी द्वारा एक महत्वपूर्ण और अधिक कार्यनीतिक भूमिका निभायी जाएगी, विशेषकर उन कार्यनीतिक निवेश योजनाओं के वित्तपोषण में, जो चुनिंदा आधार पर संस्थानों द्वारा प्रस्तावित की गई है (बॉक्स 21.9 देखें)।

बॉक्स 21.9

राज्यीय उच्च शिक्षा के लिए केन्द्रीय निधिकरण में कार्यनीतिक बदलाव

- राज्य को प्रणाली-व्याप्त आयोजन सम्भाव्यता में समर्थ बनाना और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा व्यय में सहयोग से लाभ उठाना।
- राज्यों द्वारा राज्यीय उच्च शिक्षा की विस्तृत योजनाएं विकसित किया जाना जिनमें विस्तार, निष्पक्षता और उत्कृष्टता के मुद्दों के एक साथ समाधान के लिए अन्तर संबंधित कार्यनीति का उपयोग किया जाएगा।
- केन्द्रीय वित्त पोषण को राज्यीय उच्च शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनात्मक तथा वित्तीय सुधारों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।
- वित्तीय सहायता
- पल्लेगशिप कार्यक्रम: राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

21.214. राज्यीय उच्च शिक्षा के केन्द्रीय वित्तपोषण का लक्ष्य, राज्य तथा केन्द्र के व्यय के बीच सहयोग से लाभ उठाना और राज्यीय प्रणालियों में प्रशासनात्मक, शैक्षिक तथा वित्तीय सुधार लाने के लिए केन्द्रीय वित्तपोषण को और अधिक प्रभावी तरीके से और इक्विटी मुद्दों के समाधान के लिए एक शक्तिशाली औजार के रूप में उपयोग करना और राज्य स्तर पर गुणवत्ता करना होना चाहिए।

गुणवत्ता प्राप्त निजी विकास

21.215. ग्यारहवीं योजना के दौरान उच्च शिक्षा के विस्तार में निजी क्षेत्र ने सार्थक योगदान किया है और इस समय निजी उच्च शिक्षा में 58.5 प्रतिशत नामांकन किए जाते हैं। बारहवीं योजना में बड़े और उच्चतर गुणवत्ता वाले संस्थान स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को उत्साहित किया जाएगा। इस समय, लाभ-कमाऊ हस्तियों को उच्च शिक्षा में उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है और गैर लाभ-कमाऊ या लोकहित संचालित संस्थान उच्च शिक्षा में मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए इतना पैसा लगाने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए उच्च शिक्षा में लाभ नहीं कमाने वाली स्थिति की, व्यवहारिक महत्व के लिए संभवतः पुनः जांच की जानी चाहिए ताकि लाभ-कमाऊ संस्थानों को उन चुनिंदा क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी जा सके जहां ऐसे संस्थानों की अत्यधिक कमी है। तथापि, इस पर आवश्यक निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी प्रत्यायन व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। लाभ कमाऊ निजी उच्च शिक्षा पर कर लगाया जा सकता है और उससे प्राप्त राजस्व को बड़े पैमाने वाले छात्रवृत्ति कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है ताकि निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा सके जैसाकि ब्राजील और चीन में किया जाता है।

21.216. इसके साथ-साथ ऐसे परिवर्तनीय तरीकों की तलाश करनी होगी जिनसे परंपरागत गैर लाभ कमाऊ उच्च शिक्षा में और अधिक निजी पूंजी के निवेश को उत्साहित किया जा सके। जिन प्रस्तावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना अपेक्षित है उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (1) क्षेत्र को उदार वित्तीय विकल्प प्रदान करना जैसे कि निजी संस्थानों को बॉण्ड या शेयरों की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति देना; (2) ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र के कानूनी दर्ज में परिवर्तन करना जैसे कि सभी प्रकार के संस्थानों को धारा 25 कंपनियों के रूप में स्थापित होने की अनुमति देना और मौजूदा न्यासों और सोसाइटियों को धारा 25 कंपनियों में परिवर्तित होने की अनुमति देना; (3) क्षेत्र को प्राथमिकता आधार पर मान्यता देना जैसे कि उसे समान वित्तीय तथा कर संबंधी सुविधाओं के साथ 'बुनियादी' दर्जा प्रदान करना।

21.217. सरकार, गैर लाभ-कमाऊ निजी संस्थानों को तीन प्रकार से समर्थन दे सकती है – (1) मान्य निजी संस्थानों को सरकारी छात्र वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान की जाए; (2) अनुसंधान वित्तीय सहायता तक सरकारी संस्थानों के समान पहुंच हो जिसमें ऐसे अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा की उपयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए; और (3) निजी संस्थान विभिन्न दीर्घकालिक गुणवत्ता परिवर्द्धन प्रयासों जैसेकि प्रौद्योगिकी का बृहत उपयोग और अध्यापक वर्ग विकास प्रयासों से लाभान्वित होंगे। उच्च शिक्षा में कार्पोरेट क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है और विशेष रूप से कौशल विकास और प्रबंधन में उनकी विशाल आंतरिक प्रशिक्षण क्षमताओं का उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए भरपूर लाभ उठाया जा सकता है।

21.218. इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी संस्थान गुणवत्ता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति वचनबद्ध रहें, सुधारों के माध्यम से विनियामक निगरानी के उपाय लागू किए जाएंगे। मौजूदा विनियामक ढांचे को निम्न हेतु पुनर्जीवित करना आवश्यक है: (1) उच्च गुणवत्ता की शिक्षा में नवीनता लाने और मुहैया कराने के लिए संजीदा लोकहित तथा निवेश को उत्साहित करना; (2) जनता को निजी संस्थानों की जानकारी की बेहतर उपलब्धता को बढ़ावा देना; (3) यह सुनिश्चित करना कि जो संस्थान अनुचित गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाएं उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई की जाए।

21.219. बारहवीं योजना में उच्च शिक्षा में विशेष रूप से अनुसंधान और परिवर्तनीय संस्थानों की स्थापना में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) को उत्साहित किया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के दौरान पीपीपी पद्धति के अंतर्गत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीज) तथा पॉलिटेक्निकस स्थापित करने के अनुभव के आधार पर, पीपीपी मॉडलों के विस्तार और विकास को उत्साहित करने, संसाधन उपयोग में वृद्धि तथा सुधार करने और ऐसे संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए एक ढांचा कायम किया जाएगा। कुछ मामलों में जो सरकारी संस्थान मानकों की पूर्ति में विफल रहें उनको परिवर्तनीय पीपीपी मॉडलों के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए निजी भागीदारों द्वारा उनकी सहायता की जा सकती है।

कौशल आधारित कार्यक्रमों का विस्तार

21.220. बारहवीं योजना के दौरान उच्च शिक्षा में कौशल आधारित कार्यक्रमों के विस्तार पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर अमरीकी

बॉक्स 21.10

सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना की संकल्पना और ढांचा

- सामुदायिक कॉलेज मॉडलर क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे जिनमें प्रवेश और बहिर्गमन का लचीलापन होगा और जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएचक्यूएफ) के अनुरूप होंगे।
- वे ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करेंगे जिनके बाद प्रमाण पत्र (1 वर्ष बाद), डिप्लोमा, एडवांसड डिप्लोमा या एसोसिएट डिग्री (2 वर्ष बाद) मिल सकेगी और उनमें नियमित डिग्री कार्यक्रमों में अंतरण का विकल्प भी होगा।
- उनके पाठ्यक्रम में शैक्षिक तथा रोजगारोन्मुखी कौशल का उपयुक्त मिश्रण भी सम्मिलित होगा और वह नियोक्ता-अग्रणी क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय व्यवसायिक मानकों के अनुरूप होगा।
- सामुदायिक कॉलेजों द्वारा प्रदान किए गए रोजगारोन्मुखी कौशल और प्रशिक्षण का मूल्यांकन, क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विकसित मूल्यांकन शिष्टाचार के अनुसार किया जाएगा।
- अध्यापक वर्ग में महत्वपूर्ण रूप से स्थायी प्रकृति के अध्यापक शामिल होंगे, जो मौलिक शिक्षा (भाषा, गणित, विज्ञान) शिक्षा प्रदान करेंगे और अधिकांश सहायक या अंश-कालिक अध्यापक विशेषज्ञताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- गुणवत्ता में वृद्धि करने और उसे बनाए रखने के लिए आमने-सामने अनुदेशों के साथ सुसंरचित ऑनलाइन पेशकशें एकीकृत की जाएंगी।
- सामुदायिक कॉलेज ऐसे इलाकों में अवस्थित किए जाएंगे जहां संभावित छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो।
- उनके शैक्षिक तथा प्रशासनिक बोर्डों में स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा।
- उन्हें विद्यमान कॉलेजों, पॉलिटेक्निक या उच्च माध्यमिक स्कूलों के परिसरों में स्थापित किया जा सकता और वे जहां कहीं संभव हो, ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा औद्योगिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं।

मॉडल पर आधारित सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने के लिए एक ढांचा विकसित किया जा रहा है और इसे शिक्षा संबंधी केन्द्रीय परामर्शदाता निकाय द्वारा सैद्धांतिक तौर पर पृष्ठांकित कर दिया गया है (बॉक्स 21.10 देखें)।

21.221. सामुदायिक कॉलेज बहुविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (1) कार्यबल में सीधे प्रवेश करने के इच्छुक छात्रों को जीविकोन्मुखी शिक्षा तथा कौशल मुहैया कराना; (2) स्थानीय नियोक्ताओं के लिए अनुबंधित प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम मुहैया कराना; (3) जो माध्यमिक विद्यालय स्नातक परंपरागत कॉलेजों में नामांकन के लिए तैयार न हों उन्हें हाई-टच रेमेडियल शिक्षा मुहैया कराना ताकि उन्हें तीन या चार वर्षीय संस्थानों में अंतरण का मार्ग उपलब्ध कराया जा सके; (4) समुदाय को वैयक्तिक विकास और हित के लिए सामान्य रुचि के पाठ्यक्रमों की पेशकश करना। इन उद्देश्यों के साथ सामुदायिक कॉलेज उपेक्षित छात्रों को सहज पहुंच उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए जाएंगे। ऐसे कॉलेजों को या तो 'कौशल एवं आजीवन शिक्षण विभाग' (डीएसएलएल) के माध्यम से नियंत्रित, मार्गदर्शित और प्रबंधित विश्वविद्यालयों के सहबद्ध कॉलेजों के रूप में या क्षेत्र कौशल परिषदों से सम्बद्ध पूर्णतः स्वायत्त संस्थानों के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

21.222. यूजीसी की चल रही पहलकदमियों, जो परंपरागत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जीविकोन्मुखी अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का समर्थन करती हैं और इग्नू की सामुदायिक कॉलेजों की स्कीम की समीक्षा की जाएगी। मौजूदा प्रयासों का निर्माण करने और देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र के अंदर कौशल आधारित शिक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा सृजित करने के लिए लोकहितैषी संस्थानों और भारतीय सामुदायिक शिक्षा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (जिससे अपने 230 सामुदायिक कॉलेज हैं) का तकनीकी समर्थन लिया जाएगा। इसमें पूर्व शिक्षण की मान्यता के लिए संस्थागत व्यवस्था शामिल हो सकती है।

मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षण पहलकदमियां

21.223. पहुंच को व्यापक बनाने और क्षमता में लागत प्रभावी तथा लचीले तरीके से सार्थक विस्तार करने के लिए मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) का उपयोग किया जाएगा। बारहवीं योजना के दौरान विशेष रूप से सामान्य स्कूली आयु से अधिक आयु के छात्रों के लिए पहुंच में विस्तार करने के लिए इग्नू, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा के अन्य संस्थानों को दिए जाने वाले समर्थन में वृद्धि की जाएगी। ऐसे कार्यक्रमों का, शिक्षण के परिणाम के लिए नियमित मूल्यांकन किया जाएगा ताकि निरंतर आधार पर पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक परिवर्तन किया जा सकें। ओडीएल कार्यक्रमों की

गुणवत्ता से संबंधित बढ़ती चिंता के प्रति बारहवीं योजना के दौरान विनियामक निगरानी को मजबूत बनाया जाएगा। परंपरागत संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम के भाग की ऑनलाइन पेशकश करने के लिए उत्साहित किया जाएगा ताकि मिश्रित शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और लागत को कम रखते हुए छात्रों को ज्यादा विकल्प प्रदान किए जा सकें। इससे वे ज्यादा छात्रों और गैर-परंपरागत शिक्षार्थियों तक पहुंच बनाने में भी सक्षम होंगे।


उच्च शिक्षा तक पहुंच में निष्पक्षता

बहु-आयामी असमानताएं

21.224. 'अवसर की समानता' के संवैधानिक आश्वासन को पूरा करने के साथ-साथ बारहवीं योजना में समावेशित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता प्राप्त उच्च शिक्षा तक समान पहुंच अनिवार्य पूर्व शर्त है। तथापि, इनमें से अधिकांश असमानताएं स्कूल स्तर पर वंचित, उपेक्षित तथा पार्श्ववर्ती वर्गों के बीच न्यून नामांकन और अधिक नाम कटाने के कारण पैदा होते हैं। इस प्रकार, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए ऐसे छात्रों की संख्या बहुत सीमित होती है। परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अशक्त व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं (चित्र 21.5 देखें)।

21.225. वर्ष 2007-08 के सकल उपस्थिति अनुपात संबंधी आंकड़ों से यह पुष्टि होती है कि सभी उपेक्षित सामाजिक वर्गों के लिए उच्च शिक्षा पहुंच राष्ट्रीय औसत 17.2 प्रतिशत से कहीं कम है। जैसाकि चित्र 21.5 में दर्शाया गया है, भारी मात्रा में समग्र सुधार के बावजूद अंतरवर्गीय असमानता की स्थूल छवि में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। जबकि उपेक्षित वर्गों सहित सभी सामाजिक वर्गों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार हुआ है लेकिन उनकी तुलनात्मक असमानताओं में कोई सार्थक कमी नहीं आयी है। ये असमानताएं एकल आयामी नहीं हैं; लिंग, अशक्तता, वर्ग, जात, धर्म, स्थान और क्षेत्र असमानता के कुछ ऐसे प्रमुख आयाम हैं और जब इनमें से एक से अधिक परिस्थितियां मौजूद हों तो उनका प्रभाव कई गुना हो जाता है। उच्च शिक्षा, विशेष रूप से उन प्रतिष्ठित कार्यक्रमों और संस्थानों तक पहुंच, जिनकी मांग है, अंतर्वेशित सामाजिक विशेषाधिकारों को प्रतिबिंबित कर रही है।

21.226. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की कम प्रतिशतता एक विकट समस्या है जो अभी भी विद्यमान है, जो देश को पीछे खींचती है। एनएसएस के 64वें दौर के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग में जीईआर



स्रोत: यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईटी और आईएनसी जैसे विभिन्न स्रोतों से तैयार किया गया ग्राफ

चित्र 21.5: सकल उपस्थिति अनुपात, 2007-08

सामान्य वर्ग के छात्रों का एक चौथाई है। यह एससी वर्ग से आधा और ओबीसी छात्रों के आधे से अधिक है। वर्ष 2004-05 के आंकड़ों से तुलना करने पर एससी और ओबीसी वर्ग के शिक्षा के स्तरों में सुधार हुआ है लेकिन एसटी वर्ग के लिए आंकड़ों में गिरावट आई है।

21.227. जैसे-जैसे उच्च शिक्षा का विस्तार होगा, समाज के पार्श्ववर्ती वर्गों से अधिक विद्यार्थी आएंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि पहुंच में असमानताओं को और कम करने के लिए ऐसे छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की चुनौती का सामना करने के लिए अपने-आप को तैयार करें। उच्च शिक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य है:-

1. उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तौर पर उपेक्षित वर्गों के प्रवेश को सुविधानजक बनाए और कुछ अति उपेक्षित समुदायों के मामलों में ऐसे प्रोत्साहन सृजित करे जो मौजूदा अल्प संख्या में पात्र छात्रों में से ज्यादा से ज्यादा नामांकन की अनुमति देते हैं।
2. जो उपेक्षित छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश करें, उनको यह सुनिश्चित करते हुए रोकने का समर्थन करे कि वे संसाधनों के अभाव तथा अपर्याप्त शैक्षिक तैयारी के कारण बाहर न हो जाएं।
3. उपेक्षित छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करे और उन्हें ऐसे शिक्षण में प्रवेश करने के अवसरों में सुधार का समर्थन करे जिससे मर्यादित रोजगार के अवसर या शेष संस्थानों में परास्नातक डिग्री में प्रवेश सुनिश्चित करे।
4. उच्च गुणवत्ता की प्रासंगिक शिक्षा की पेशकश करने वाले व्यापक रूप से अवस्थित समुदाय आधारित संस्थानों के जरिए नियमित उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए 'सामुदायिक कॉलेज का एक मुख्य साधन के रूप में उपयोग'।

ग्यारहवीं योजना का अनुभव

21.228. निष्पक्षता और समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्यारहवीं योजना में अनेक उपाय आरंभ किए गए थे। उपेक्षित वर्गों के प्रवेश में वृद्धि करने तथा सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या को प्रभावित किए बिना ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता प्राप्त संस्थानों को विशेष वित्तीय सहायता दी गई थी। न्यून जीईआर जिलों में 374 कॉलेजों तथा 1,000 नए पॉलिटेक्निक की स्थापना का कार्य आरंभ किया गया था। सीमावर्ती, पहाड़ी, दूर-दराज के इलाकों, छोटे कस्बों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और उन इलाकों, जहां एससी/एसटी/

ओबीसी/अल्पसंख्यक/अशक्त व्यक्तियों की संख्या अधिक है, में स्थित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का समर्थन किया गया था। उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में बालिका छात्रावासों के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया था।

21.229. जिन परिवारों की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों के छात्रों के लिए योग्यता-सह-आवश्यकता छात्रवृत्तियां वर्ष 2008-09 में आरंभ की गई थी। वर्ष 2009-10 से लेकर केन्द्र सरकार ने जिन परिवारों की पारिवारिक आय 4.5 लाख प्रतिवर्ष से कम है, उन परिवारों के छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण पर विलंबन अवधि के दौरान 100 प्रतिशत ब्याज रियायत प्रदान की है। इन प्रयासों की समीक्षा और पिछले अनुभव से निम्नलिखित मूलभूत सीख मिलती है:

- प्रगति के बावजूद विभिन्न सामाजिक वर्गों में तुलनात्मक असमानताएं और शिक्षा प्राप्ति में लैंगिक अंतर आज भी बहुत अधिक बना हुआ है और इन असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्र/लाभार्थी लक्षित दृष्टिकोण तथा विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है;
- उपेक्षित छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों, वजीफों, सहायता तथा ऋणों के रूप में छात्र समर्थन की मात्रा, दायरे और राशि में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता में सार्थक वृद्धि आवश्यक है;
- इस प्रकार की सहायता के लिए वित्तपोषण के तंत्र की संरचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि धनराशि उन्हीं छात्रों तक पहुंचे, जिनको यह मिलनी चाहिए;
- विभिन्न वर्गों और विशेष रूप से उन अति उपेक्षित समुदायों/सामाजिक वर्गों के लिए विभिन्न पहुंच कार्यनीतियां होना आवश्यक है, जो बड़ी संख्या में अभी भी उच्च शिक्षा के जगत से बाहर हैं;
- उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों तथा संस्थानों में असमानताओं को नापने और उनका समाधान करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है;
- उन योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, जो असुविधाओं की अंतर-वर्गीय प्रकृति को मान्यता देती है ताकि असमानताओं के सभी पहलुओं का मर्यादित तरीके से समाधान किया जा सके;
- वित्तीय सहायता की सुपुर्दगी प्रणाली का जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है ताकि भारी-भरकम प्रक्रियाओं से छुटकारा मिल सके और अभिप्रेत लाभार्थियों के बीच स्कीमों की जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके;

बॉक्स 21.11

छात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रम (एसएफएपी)

- इसमें सभी स्तरों पर उच्च शिक्षा जैसे स्नातक, परास्नातक, डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान के साथ-साथ सामान्य तथा पेशेवर शिक्षा भी सम्मिलित होगी;
- छात्र-वृत्ति की राशि निर्धारित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण लागतें शामिल होंगी और मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के लिए इसके संशोधन से जोड़ने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा;
- विद्यमान नीति के अनुसार एससी, एसटी, एसईबीसी, अल्पसंख्यकों और अशक्त व्यक्तियों के लिए इन छात्रवृत्तियों का निश्चित अनुपात निर्धारित करना;
- एक बहु-आयामी 'सुविधा सूचकांक' का सृजन करना, जो समानता के अन्तर-वर्गीय आयामों को नाप सके, जिसमें जाति/समुदाय, लिंग, गरीबी और ग्रामीण पृष्ठभूमि को उचित महत्व दिया जा सके और अतिरिक्त छात्रवृत्तियों तथा इस सूचकांक से जुड़ी व्यक्तिगत उन्मुखी वित्तीय सहायता स्कीमें प्रदान की जा सकें;
- यूआईडी स्कीम के अधीन प्रक्रियाओं, स्व-प्रमाणीकरण और अन्य कड़ियों को सरल बनाए; और
- केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी छात्र-वृत्तियों की डिलीवरी के लिए एक ही पोर्टल कार्यान्वित करे तथा राज्यों को अपने छात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को इस एकल पोर्टल के साथ जोड़ने और एकीकृत करने की अनुमति देने की संभावना का पता लगाए।

- संस्थानों के निष्पक्षता कार्यनिष्पादन की निगरानी करने और इसे मौद्रिक प्रोत्साहन से जोड़ने के लिए एक 'विविधता सूचकांक' जैसे तंत्र की आवश्यकता है।

बारहवीं योजना की कार्यनीति

21.230. बारहवीं योजना का मुख्य जोर छात्र वित्तीय सहायता स्कीमों की संख्या, दायरे और मात्रा में काफी हद तक वृद्धि हासिल करना होगा ताकि (1) निष्पक्षता संबंधी उपायों के लिए वित्त पोषण में सार्थक वृद्धि की जा सके; (2) असमानता के विभिन्न आयामों के प्रति अंतरीय प्रक्रिया विकसित की जा सके; (3) स्कीमों के दायरे को समेकित किया जा सके, विशेष रूप से, उन स्कीमों को, जो असुविधा के एक से अधिक आयामों के विरोध का समाधान करती हैं।

21.231. योजना में अंतर-राज्यीय असमानताओं, ग्रामीण-शहरी विभाजन, आय असमानता, लैंगिक असमानताओं, अशक्त व्यक्तियों, पार्श्ववर्ती सामाजिक वर्गों जैसे एससी, एसटी, मुस्लिम और विशेष रूप से असुरक्षित उप-वर्ग जैसेकि सफाई में सम्मिलित समुदाय, विशेष रूप से असुरक्षित एसटी, अत्यधिक पिछड़े एसईबीसी और खानाबदोश/डीएनटी समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सचर समिति रिपोर्ट द्वारा मुस्लिम असुविधा पर प्रकाश डाला गया है और सफाई में सम्मिलित समुदायों और डीएनटी/खानाबदोश समुदायों पर भी हाल ही में खूब ध्यान दिया गया है। व्यक्तिगत उन्मुखी स्कीमों को बहुआयामी 'असुविधा सूचकांक' के साथ जोड़कर असमानताओं के अंतर-वर्गीय आयामों को मान्यता दी जाएगी। असमानता के अंतर-वर्गीय आयामों का समाधान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी प्रवेश नीतियों को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया

जाएगा जैसाकि तीन दशकों से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। उपेक्षित वर्गों की बढ़ती भागीदारी में संस्थानों के कार्यनिष्पादन को 'सुपुदर्गी सूचकांक' के माध्यम से नापा जा सकता है और इसे बजटीय प्रोत्साहनों से जोड़ा जा सकता है।

21.232. सरकारी गारंटी के साथ छात्रवृत्तियों तथा छात्र ऋणों की पहुंच को वैश्विक बनाया जाएगा ताकि कोई भी छात्र वित्तीय कारणों से उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। विभिन्न वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए स्कीमों में परिवर्तन करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में अध्यापन-शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार जैसे उपायों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि असमानता के भाषा-आधारित आयाम का भी समाधान किया जा सके।

बारहवीं योजना के प्रयास

एक व्यापक छात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रम का सृजन

21.233. छात्र वित्तीय सहायता पर सरकारी व्यय में विचारणीय वृद्धि की जाएगी ताकि छात्र-वृत्तियों की संख्या और राशि में वृद्धि की जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन सभी छात्र वित्तीय सहायता स्कीमों को केवल एक 'छात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रम' के अधीन समेकित किया जाएगा ताकि उन्हें केवल एक छात्र संबंधी प्रयास के अधीन लाकर निष्पक्षता-संबंधी स्कीमों के प्रशासन को तार्किक और मजबूत बनाया जा सके (बॉक्स 21.11 देखें)। एक शक्तिसंपन्न समिति, दोहरेपन से बचने तथा बढ़ते प्रभाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र-वृत्ति के दिशा-निर्देश तय करेगी।

21.234. छात्र वित्तीय सहायता कार्यक्रम, जो छात्र-वृत्तियों पर जोर देता है, के अतिरिक्त केन्द्र सरकार छात्र ऋण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। छात्र ऋण की अदायगी में चूक के विरुद्ध गारंटी के लिए एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के प्रबंधन के अधीन एक छात्र ऋण गारंटी ढांचा सृजित किया जाएगा। इससे ऋणदाता संस्थानों को छात्रों की चूक से भारी सुरक्षा मिलेगी जिससे उन्हें और अधिक छात्र ऋण देने में प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी गारंटी से छात्र ऋण पर ब्याज की दर में कमी आनी चाहिए (यह तुलनीय 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय से केवल थोड़ा अधिक होना चाहिए) जिससे बड़ी संख्या में छात्र समुदाय को लाभ होगा।

अशक्त व्यक्तियों के सम्मेलन संबंधी राष्ट्रीय प्रयास

21.235. अशक्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए सभी चालू तथा अनेक नए प्रयासों को उच्च शिक्षा में अशक्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने से संबंधित एक ही छात्रा राष्ट्रीय प्रयास के अधीन सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रयास से:

1. अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तिगत छात्रों और अध्यापकों को प्रोत्साहन तथा समर्थन प्रदान किया जाएगा;
2. उच्च शिक्षा संस्थानों को समर्थन तथा नीतिगत निर्देशन दिया जाएगा और उन्हें अशक्त अनुकूल बनाने तथा राज्य तथा जिला स्तरों पर मॉडल विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सृजन के लिए सेवाएं प्रदान की जाएंगी;
3. अनेक पहुंच संबंधी युक्तियों और उच्च गुणवत्ता शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से अशक्त व्यक्तियों के शिक्षण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया जाएगा;
4. अशक्तता संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता, ज्ञान और संवेदनशीलता में वृद्धि करने के लिए पाठ्यक्रम सृजित किया जाएगा और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी;
5. अशक्तता पहुंच के ऐसे न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिन्हें उच्च शिक्षा की पेशकश करने वाली सभी मूलभूत संस्थाओं द्वारा पूरा किया जाना अनिवार्य होगा।

भारतीय भाषाओं में गुणवत्ता प्राप्त उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयास

21.236. प्रस्तावित राष्ट्रीय पहल ('भाषा पहल') में इस बात को मान्यता दी गई है कि भाषा, पहुंच तथा निष्पक्षता को शिक्षा की

गुणवत्ता के साथ जोड़ती है और इस प्रकार असमानताओं को कम करने के लिए भारतीय भाषाओं में अध्यापन-शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना एक लागत प्रभावी तथा स्थायी हस्तक्षेप है। यह पहल उन सभी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर लक्षित है, जो शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के साथ अध्यापन-शिक्षण में वृद्धि करने और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं में मूल अनुसंधान एवं प्रकाशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देती हों। इस पहल को भाषा विकास एवं पुस्तक संवर्द्धन के लिए अन्य चालू तथा नए प्रयासों के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा जाएगा। इस विकेन्द्रीकृत लचीली तथा प्रयोक्ता संचालित पहल में विश्वविद्यालयों के अंदर और बाहर नए केन्द्र स्थापित करना, अध्यापन-शिक्षण संसाधनों का सृजन करना, ई-बुक तथा भारतीय भाषाओं में अन्य शिक्षण माध्यम सृजित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, अध्यापकों के लिए जीविका संबंधी प्रोत्साहन एवं समर्थन देना और शैक्षिक शिक्षणों में गुणवत्ताप्राप्त भारतीय भाषा प्रकाशनों के लिए समर्थन देना शामिल होगा।

मुस्लिमों, एससी, एसटी और ओबीसी पर ध्यान केन्द्रित करना

21.237. न्यून जीईआर वाले जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज, समुदायिक कॉलेज और नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए स्कीमों को संशोधित किया जाएगा ताकि उनमें वे जिले भी शामिल किए जा सकें जहां मुस्लिमों की संख्या अधिक हो। छोटे कस्बों में महिला कॉलेजों की स्थापना और महिला छात्रावासों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ क्षमता में मात्रात्मक वृद्धि को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी स्कीमों को प्रत्येक राज्य की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखने के लिए उच्च शिक्षा की राज्य कार्यनीतिक योजनाओं के दायरे में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

21.238. मुस्लिम छात्रों, जिनकी उच्च शिक्षा में भागीदारी कम है, को आकर्षित करने के लिए लक्षित स्कीमें आरंभ की जाएंगी। इन स्कीमों में इन समुदायों के स्कूल से पास होने वाले छात्रों की कम संख्या के लिए विशेष प्रोत्साहन (उदाहरण के लिए पहली डिग्री से डॉक्ट्रेट तक छात्रवृत्ति) इस पूर्व दृष्टिकोण के साथ सम्मिलित करने होंगे कि लाभार्थियों की इन समुदायों के बीच काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से पहचान की जा सके। उन जिलों में, जहां मुस्लिमों की संख्या अधिक है, उच्च शिक्षा संस्थानों के समर्थन के लिए विशेष स्कीमें बनायी जाएंगी। बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसरों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

21.239. पिछली योजना अवधियों में अनेक प्रयासों के बावजूद विभिन्न वर्गों के बीच आश्चर्यजनक अंतर है। अतः एससी तथा एसटी बहुल इलाकों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ एक लक्षित दृष्टिकोण तथा ओबीसी सहित उपेक्षित वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न निष्पक्षता स्कीमों का एक मिश्रित तरीके से अभिसरण महत्वपूर्ण होगा ताकि उच्च शिक्षा की मुख्य धारा में उनकी संख्या में वृद्धि की जा सके। सामाजिक तथा आवस्थितिक दोनों घटकों में शैक्षिक पिछड़ेपन के सह-अस्तित्व के रहते हुए, जैसेकि ग्रामीण, पहाड़ी, भौगोलिक रूप से पहुंचने में कठिन भू-भागों में उसकी मौजूदगी अधिक है, इन बहुल घटकों का एक मर्यादित तरीके से समाधान करने के लिए प्रयासों का सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

निष्पक्षता संबंधी अन्य प्रयास

21.240. उपेक्षित समुदायों के छात्रों के नामांकन में वृद्धि करने के संगठित प्रयासों को अध्यापन/कोचिंग मॉड्यूल्स, पूर्व प्रशिक्षण तथा बहुत अधिक चहते पाठ्यक्रमों तथा संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के साथ मौजूदा उपचारात्मक अध्यापन कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करके और बल प्रदान किया जाएगा।

21.241. न्यून जीईआर वाले जिलों में मॉडल कॉलेज, सामुदायिक कॉलेज तथा नए पॉलिटेक्निक स्थापित करने के लिए स्कीमों को संशोधित किया जा सकता है ताकि न्यून नामांकन वाले राज्यों पर अधिक ध्यान देते हुए अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों तथा पांचवी अनुसूची वाले जिलों को शामिल किया जा सके। विशेष रूप से, असुरक्षित समुदायों, जैसेकि मुस्लिमों के बीच अति अत्यधिक पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए लक्षित स्कीमों आरंभ की जाएंगी। उच्च शिक्षा में इन वर्गों की नगण्य मौजूदगी के रहते हुए इन स्कीमों में इन समुदायों के स्कूल से पास होने वाले छात्रों की कम संख्या के लिए विशेष प्रोत्साहन इस दृष्टिकोण के साथ सम्मिलित करने होंगे कि लाभार्थियों की इन समुदायों के बीच काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से पहचान की जा सके।

21.242. केन्द्र सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों के तहत उच्च शिक्षा में सभी निष्पक्षता संबंधी स्कीमों को एक छत नामतः 'उच्च शिक्षा के लिए समान अवसर प्रयास' के अधीन लाया जाएगा। इनकी प्रभावी ढंग से निगरानी करने के साथ-साथ राज्यस्तरीय प्रयासों को ध्यान में रखने के लिए इन्हें योजना आयोग द्वारा समन्वयित किया जाएगा।

उत्कृष्टता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना

गुणवत्ता की नाजुक स्थिति

21.243. उच्च-स्तरीय कुछ संस्थानों को छोड़कर, गुणवत्ता एक गंभीर चिंता है। शिक्षा के माध्यम से हासिल संज्ञात्मक कौशल और आर्थिक विकास के बीच अनियमित संबंध अब सुस्थापित हो चुका है अतः बारहवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य, प्रणाली में 'औसत' संस्थान की गुणवत्ता में सुधार के द्वारा देश में उच्च शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है।

21.244. तकनीकी उच्च शिक्षा के विकास के बावजूद, आधे से अधिक छात्र सामान्य स्नातक कार्यक्रमों (कला, विज्ञान और वाणिज्य) में नामांकन करेंगे। यदि उचित तरीके से प्रदान की जाए तो सामान्य शिक्षा सफल ज्ञान-आधारित जीविका के लिए एक उत्कृष्ट नींव बन सकती है। अतः मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्नातकों को मूलतः पढ़ने, लिखने और गणित से आगे कौशल हासिल करने में समर्थ होना चाहिए (3आर देखें)। आलोचनात्मक चिंतन, संसूचन, सहयोग और सृजनात्मकता (4सी) अब वर्धमान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मौखिक और लिखित संसूचन कौशल और विशेष रूप से अंग्रेजी, परंतु यहीं तक सीमित नहीं, पर विशेष बल देने से शक्तिविहीन युवाओं के बड़े और बढ़ते जनसमूह की नियोजनीयता में सुधार लाने में दीर्घकालिक लाभ होगा। 'पेशेवर' शिक्षा, जो इस समय केवल तकनीकी कौशल पर जोर देती है, को विषयों के विकल्प में बेहतर लचीलेपन और अपनी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए परिवर्तनीय शैक्षणिक परिपाटियों के साथ एकीकृत पाठ्यक्रमों को अपनाना चाहिए और बेहतर शिक्षा परिणाम देने में सक्षम बनना चाहिए।

ग्यारहवीं योजना का अनुभव

21.245. गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ग्यारहवीं योजना में अनेक पहलकदमियां आरंभ की गई थीं। ये अध्यापक वर्ग के मुद्दों, प्रौद्योगिकी के उपयोग, शैक्षिक तथा शासकीय सुधारों और मान्यता से संबंधित थी।

अध्यापक वर्ग संबंधी पहलकदमियां

21.246. अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल थे (1) अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करना जिसमें आगे 70 वर्ष तक विस्तार किए जाने का प्रावधान था; (2) एम. फिल और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अनेक शिक्षावृत्तियां और छात्रवृत्तियां लागू करना; (3) युवा अध्यापकों की बृहत उपलब्धता में समर्थ बनने

के लिए एक फैकिल्टी रि-चार्ज स्कीम; (4) सहयोगी अध्यापकों या आवासीय वृत्ति-छात्रों के रूप में शैक्षिक संस्थानों के बाहर से पेशेवरों और विशेषज्ञों की सूची बनाने की पहल; (5) अध्यापक संसाधनों में वृद्धि के लिए भारतीय वृत्ति-छात्रों के लिए पोस्ट-डॉक्टरल छात्रवृत्ति हेतु कार्यक्रम जो बारहवीं योजना के दौरान अपना कार्य आरंभ करेगा।

प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयास

21.247. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शिक्षा संबंधी मिशन (एनएमई – आईसीटी) का शुभारंभ ग्यारहवीं योजना के दौरान किया गया था। इस पहल के अधीन, 392 विश्वविद्यालयों और 18,374 कॉलेजों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। ई-कन्टेंट के सृजन के लिए जारी प्रयासों को और सुदृढ़ बनाया गया था और नई पहलकदमियां आरंभ की गई थी। विज्ञान तथा अभियांत्रिकी के लिए वास्तविक प्रयोगशालाएं विकसित की गई थी जिन्हें अब बाहर किया जा रहा है। संस्थानों के प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंधन के लिए उद्यम संसाधन आयोजन सॉफ्टवेयर और शिक्षण प्रबंधन प्रणाली दोनों को मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विकसित किया गया है और अनेक संस्थानों द्वारा इनका परीक्षण किया जा रहा है। एक कम लागत का गणना-सह-पहुंच यंत्र 'आकाश' विकसित किया गया था और इसको बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने के लिए इस समय इसका परीक्षण किया जा रहा है। इस मिशन पर ग्यारहवीं योजना के दौरान कुल मिलाकर 1,472 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था।

गुणवत्ता संबंधी प्रयास

21.248. विश्व बैंक के समर्थन से त्रि-चरणीय 'तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी)' का पहला चरण 2002 से 2009 तक संचालित किया गया था। 1,378 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कार्यक्रम में 127 अभियांत्रिकी संस्थान सम्मिलित किए गए थे। टीईक्यूआईपी के दूसरे चरण (2010-2014) में, जिसका कुछ हिस्सा बारहवीं योजना के अंतर्गत भी आता है, 180-190 संस्थान सम्मिलित किए जाएंगे। पहले चरण के मूल्यांकन से स्नातकों के नियोजन में चिन्हित सुधार, परा-स्नातक तथा डॉक्टरल कार्यक्रमों में अधिक क्षमता और उन्नत अनुसंधान कार्यनिष्पादन का स्पष्ट रूप से पता चलता है।

शासकीय, विनियामक और वित्तीय प्रयास

21.249. ग्यारहवीं योजना के दौरान शासन को तार्किक बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए थे ताकि परिवर्तनीय कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल सके और विशेष रूप से शैक्षिक ढांचे, अंतर-शिक्षण अध्यापन और अनुसंधान तथा मान्यता के क्षेत्रों में मानक सुनिश्चित किए जा सकें। स्नातक तथा परा-स्नातक दोनों स्तरों पर अन्तर-शिक्षण अध्यापन

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों के 417 विभागों/कॉलेजों को ग्यारहवीं योजना के दौरान 60 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। कुछ राज्यों ने अपने संस्थानों के लिए सत्र (आधा-वर्ष) प्रणाली अपनाई है और अनेक विश्वविद्यालयों, विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय, ने सत्र प्रणाली अपनाई है। हालांकि एनएएसीके माध्यम से संस्थागत मान्यता और एनबीए के माध्यम से कार्यक्रम संबंधी मान्यता में ग्यारहवीं योजना के दौरान तेजी आई है फिर भी व्याप्ति अभी भी कम है। अब तक केवल लगभग एक तिहाई (516 में से 167) पात्र विश्वविद्यालयों और लगभग एक पंचमांश (22,500 में से 4,529) पात्र कॉलेजों को ही मान्यता दी गई है।

बारहवीं योजना की कार्यनीति

21.250. शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना बारहवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत स्नातकों को न केवल तत्काल रोजगार के लिए बल्कि उस अर्थव्यवस्था के लिए भी तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति न केवल अपनी नौकरियां बदलेंगे बल्कि अपने जीवनकाल में जीविकाओं को भी कई बार बदलेंगे। इसलिए छात्रों में वह समर्थता पैदा करना अपेक्षित है जिससे वे सृजनात्मक तौर पर सोच सकें, स्पष्ट लिख सकें, नमनीय रह सकें और मुद्दों को खुले दिमाग से देख सकें। बदले में, इसके लिए सही पाठ्यक्रम, बेहतर अध्यापन-शिक्षण प्रक्रियाएं, सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों को साझा करने और संपूर्ण तथा सामाजिक सचेतन शिक्षा प्रदान करने की समर्थता अपेक्षित है।

21.251. इसलिए, बारहवीं योजना की कार्यनीति में, उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र शैक्षणिक अनुभव में सुधार पर लक्षित सुधारों की श्रृंखला शामिल है। इनमें संस्थागत संगठनों में सुधार, विशेष रूप से स्नातक स्तर पर शिक्षण और पाठ्यक्रम में सुधार; तथा अध्यापक वर्ग तथा उनके कार्य पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इन सुधारों का समर्थन, प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग, अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने की पहलकदमियों, उच्च शिक्षा में सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास, खेलों तथा तंदुरुस्ती को बढ़ावे, अंतर-संस्थान सहयोग तथा समन्वय में वृद्धि करने और मान्यता प्रणाली को मजबूत बनाने के द्वारा किया जाएगा।

बारहवीं योजना के प्रयास

सांस्थानिक संगठन में सुधार करना

21.252. बारहवीं योजना के दौरान कॉलेज प्रणाली की संबद्धता में सुधार करने के लिए पंचमुखी कार्यनीति अपनाई जाएगी।

पहली, बड़े और ख्याति प्राप्त कॉलेजों जिनमें आवश्यक क्षमता और विभिन्न अधिगम शाखाएं हों, उन्हें पूर्ण विश्वविद्यालयों में बदल दिया जाएगा। दूसरा, कॉलेज – समूह वाले विश्वविद्यालयों को उस विश्वविद्यालय के कैम्पस या घटक इकाई के रूप में कार्य कर रहे प्रत्येक कॉलेज को, नया नाम देकर विकसित किया जाएगा। तीसरा, कुछ विशाल और दुष्परिचालनीय संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालयों को दो भागों या तीन भागों में प्रबंधन योग्य इकाइयों में बदला जाएगा। चौथा, मौजूदा अवसंरचना के उपयोग को बढ़ाने और नए कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने के इच्छुक कॉलेजों को स्वायत्त ढांचे के अंतर्गत आमेलित कर समेकित करने की अनुमति दी जाएगी। अंत में, संबद्धता देने वाले विश्वविद्यालयों को अपनी कॉलेज विकास परिषदों में सुधार करना और सभी शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में अपने कॉलेजों को अधिकतम स्वायत्तता देना आवश्यक होगा।

शैक्षिकों सुधारों की गहनता

21.253. शैक्षिक सुधारों की गहनता के लिए सांस्थानिक ढांचे में रुचि-आधारित क्रेडिट प्रणाली, सीसीई और समकालीन तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए पाठ्यक्रम को आधुनिकतम और संगत बनाने हेतु उसमें निरंतर संशोधन करना शामिल होगा। संस्थानों को उनके पाठ्यक्रम, में सुधार करने के लिए सहायता हेतु विषय विशिष्ट मॉडल पाठ्यक्रम पैकज्ड, पुनर्प्रयोज्य डिजिटाइज्ड विषय वस्तु (जैसे पैकज्ड व्याख्यान और ओपन सोर्स पाठ्य – पुस्तिकाएं) अपेक्षित विशेषज्ञता वाले शिक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी। यह कार्य, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा संचालित समाज कार्य शिक्षा नेटवर्क और दिल्ली विश्वविद्यालय किए गए गणित संबंधी प्रयासों जैसे विषय – आधारित नेटवर्कों द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। विषय क्षेत्रों में ऐसे नेटवर्कों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सक्रिय शिक्षण पर्यावरण विकसित करना, इन सुधारों का महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा।

स्नातकपूर्व शिक्षा का सशक्तीकरण

21.254. बारहवीं योजना में निधिकरण और सांस्थानिक सहायता के माध्यम से स्नातक पूर्व शिक्षा में सुधार करने पर जोर दिया जाएगा। स्नातक पूर्व कार्यक्रमों में समग्र शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और छात्रों को बौद्धिक पर्यवेक्षण, नए अनुसंधान करने, कार्य कुशलता, अनुभव जनित शिक्षा, मौलिक चिंतन, नेतृत्व, नैतिक शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा और अन्य कार्यों के अवसर दिए जाने चाहिए। कई संस्थानों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्रिवर्षीय कार्यक्रमों के स्थान पर चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम शुरू किया है। बारहवीं

योजना के दौरान, चार वर्षीय स्नातक पूर्व कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस समय यूजीसी, बहुविषयक और उभरते क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। जिसे सशक्त किया जा सकता है और चार-वर्षीय स्नातक पूर्व कार्यक्रमों में सहायता हेतु शामिल किया जा सकता है।

शिक्षक और शिक्षण पर विशेष ध्यान देना

21.255. तेजी से विस्तार होने के कारण, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता वाले शिक्षकों की काफी कमी है। बारहवीं योजना के दौरान मौजूदा 8 लाख संकाय को दोगुणा कर 16 लाख करने पर जोर दिया गया है। स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तरों पर भारी मात्रा में क्षमता वृद्धि के लिए सभी संस्थाओं चाहे वे केंद्रीय, राज्य या निजी हों, को सहयोग से कार्य करना होगा।

21.256. यह आम धारणा है कि भारत में उच्च शिक्षा व्यवसाय में वेतन कम है। तथापि, 28 देशों में शैक्षिक वेतन के हाल में हुए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि भारत में औसत शैक्षिक वेतन (क्रयशक्ति तुलना के आधार पर) विश्व में सर्वाधिक है। अतः यह आवश्यक है कि भारत में प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए शिक्षण व्यवसाय के बारे में मिथ्या धारणा को दूर किया जाए।

21.257. इस समय उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कर रहे अधिकांश शिक्षक अनियत या अंश कालिक हैं और आगे भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। उनमें निष्पादन में सुधार करने के लिए उन्हें हायर करने की प्रणालियों और कार्यदशाओं में सुधार करना और संकाय विकास के लिए ऑनलाइन प्रौद्योगिकियां अपनाने सहित उन्हें संकाय विकास में लगाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से संकाय विकास के लिए स्थापित किए गए छियासठ शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों (एएससी) में से अधिकांश इससे मुक्त नहीं है। एनएएसी द्वारा हाल ही में इनकी समीक्षा की गई थी। समीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों में सांस्थानिक कमियां दूर की जानी चाहिए और उनकी विषय वस्तु तथा संकाय विकास की कार्य प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन अवश्य किया जाना चाहिए।

21.258. देश में, शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों के अतिरिक्त, मौजूदा विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से जहां सशक्त अनुसंधान संस्कृति तथा वृहत स्नातक पूर्व कार्यक्रम हैं, में "शिक्षण और अधिगम केंद्र (टीएलसी)" अवश्य स्थापित किए जाने चाहिए। बारहवीं योजना के दौरान ऐसे 50 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कुछ मामलों में शैक्षिक स्टाफ कॉलेज टीएलसी के रूप में भी काम कर सकेंगे।

21.259. वैश्विक पहचान दिलाने और इस प्रकार शिक्षण और अनुसंधान में नव प्रवर्तन तथा उत्तम प्रणालियां अपनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके एक भाग के रूप में, भारतीय विश्वविद्यालयों को भारतीय पूर्व डॉक्टरेट और संकाय का चयन करने हेतु ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा संचालित 2-4 सप्ताह को ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सहायता दी जाएगी। वार्षिक रूप से कई प्रसंगों और विषयों पर ऐसी चालीस से पचास कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों से सहयोग लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में संकाय को तीन से छः माह के प्रशिक्षण और परामर्श के लिए विश्व के सर्वोत्तम विश्व विद्यालयों में भेजा जाएगा। विदेशी संकाय, विशेष रूप से विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षण करने वाले भारतीयों को आकर्षित करने के लिए सशक्त नीतिगत ढांचा तैयार किया जाएगा। वरिष्ठ और सेवा अवधि वाली विदेशी संकाय को आकर्षक पारिश्रमिक का प्रस्ताव देकर अंतरराष्ट्रीय अतिथि प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

21.260. शोध छात्रों को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अध्ययन के लिए इस वचनबद्धता के साथ कि, अध्ययन पूरा होने पर वे भारत के संकाय पूल में शामिल होंगे, धन उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। अवकाश प्राप्त विशेषज्ञों के टैपिंग ग्राइंग पूल द्वारा इसे संपूरित किया जा सकेगा। वे, सहायक संकाय के रूप में कार्य कर सकेंगे और शोध डिग्री के लिए भी नामांकन करेंगे, जिसके लिए वर्तमान पात्रता आवश्यकताओं के बिना काम चलाया जा सकेगा।

21.261. शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संकाय की प्रेरणा निर्णायक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संकाय को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, उन्हें अपने कार्य, समय, तकनीक और कार्य वातावरण पर नियंत्रण करना होगा, जो प्रायः नहीं होता है। संकाय के एक बड़े वर्ग के लिए मौलिक सुख सुविधाओं का अभाव एक सर्वाधिक प्रेरणा समाप्त करने वाला कारक है। संकाय को प्रेरित करने की कार्यनीति उच्च गुणवत्ता युक्त न्यूनतम सुविधाओं और निष्पादन मूल्यांकन की जवाबदेही के लचीली रूपरेखा सहित कार्य में स्वस्थ वातावरण पर केंद्रित होगी। अंतरराष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के अनुरूप, संकाय चयन, निष्पादन मूल्यांकन और प्रोन्नति विभागीय स्तर पर की जाएगी। नई संकाय को पांच वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा और फिर नियमित समीक्षा तथा छात्र प्रतिक्रिया सहित यथार्थ निष्पादन मूल्यांकन आधार पर स्थायीकरण किया जाएगा।

21.262. शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका की पहचान करते हुए बारहवीं योजना में शिक्षक और शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। इससे शिक्षक और शिक्षण से संबंधित सभी मुद्दे व्यापक रूप से निपटाए जाएंगे और स्कूलों तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रों के बीच सशक्त जुड़ाव होगा। इसे क्रमशः स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए लक्षित दो उप-मिशनों के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा।

21.263. उच्च शिक्षा संबंधी उप-मिशन, संकाय विकास संबंधी सभी जारी प्रयासों और नवीन प्रयासों के कार्यान्वयन और बेहतर निगरानी के लिए उनका एक संघ बनाया जाएगा। स्कूल क्षेत्र से संबंधित उप-मिशन के अंतर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में 30 शिक्षा स्कूलों की स्थापना कर उनकी क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। शिक्षा के ये स्कूल, पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं और मूल्यांकन तथा मूल्यनिर्धारण प्रणालियों में अनुसंधान और क्षमता निर्माण का भी प्रबंध करेंगी। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा संस्थाओं में शैक्षिक नेतृत्व के स्कूलों की भी स्थापना की जाएगी।

21.264. अब ऑनलाइन अधिगम की रूपांतरकारी संभावना प्रकट होने की शुरुआत हो रही है। दो सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयों से कुछ पाठ्यक्रमों द्वारा विश्व के कई सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में व्यापक ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के वैश्विक प्रयास हो रहे हैं। संकाय की अत्याधिक कमी और इस असहनीय बाधा को पार करने की हमारी योग्यता की असंभाव्यता के कारण इन व्यापक ऑनलाइन, पाठ्यक्रमों का उपयोग कर प्रौद्योगिकी को उन्नत किया जाएगा। ताकि भारतीय छात्र बहुत कम लागत पर वैश्विक अधिगम प्रणालियों का हिस्सा बन सकें। देश का यह प्रयास होगा कि इस वैश्विक रिपोजिटरी, संदर्भाधीन बनाने और शायद इन पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में योगदान दे जिससे यह देश के अधिकांश छात्रों तक पहुंच सके।

उच्च शिक्षा में आईसीटी के उपयोग संबंधी राष्ट्रीय मिशन

21.265. बारहवीं योजना के दौरान, इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी, सफल और सतत बनाने के उद्देश्य के साथ ग्यारहवीं योजना की विभिन्न प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

1. डिजिटल अवसंरचना से संबंधी प्रयास: (1) क्रमशः 10 जीबीपीएस और 1 जीबीपीएस से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी का उन्नयन (2) सभी संस्थाओं में आवश्यकतानुसार कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का निर्माण करना

- और संकाय तथा छात्रों के लिए लैपटाप तथा अल्प लागत में प्राप्त होने वाले साधनों के उपलब्धता बढ़ाना; (2) स्मार्ट क्लास रूम उपलब्ध कराना; (3) उच्च विश्वविद्यालयों और संबद्ध विश्वविद्यालयों से जुड़ी परस्पर संबंधित वीडियो-कांफ्रेंस सुविधाओं वाले क्लास रूम तैयार करना; (4) क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए 100 सर्वर फॉर्मस स्थापित करना।
2. सामग्री संबंधी प्रयास: (1) आभासी प्रयोगशालाओं के विकास से प्रयोक्ता द्वारा तैयार सामग्री के सृजन को बढ़ावा देना; (2) स्वामित्व सामग्री हेतु एक राष्ट्रीय स्तर के संघ की स्थापना करना (3) अंतः प्रचालनीय संस्थागत संग्रहों सहित खुली पहुंच वाले सामग्री संग्रहालयों का सृजन (4) प्रयोक्ता द्वारा तैयार सामग्री तथा संबंधित नेटवर्कों की सुविधा के मंच बनाना (5) सभी सामग्रियों के लिए पहुंच के एक पोर्टल का सृजन (6) डिजिटल शैक्षिक वीडियो के प्रसारण हेतु डीटीएच चैनलों के वर्तमान प्रयासों को जारी रखना।
 3. अभिशासन संबंधी प्रयास: (1) सांस्थानिक एंटर प्राइज रिसोर्स योजना (ईआरपी) तैयार करना; (2) सभी विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरीकृत परीक्षा कक्ष (3) सभी विश्वविद्यालयों की उनसे संबद्ध कॉलेजों के साथ संतुलित ऑनलाइन जुड़ाव उपलब्ध कराना (3) ऑनलाइन आंकड़ा एकत्रण प्रणाली विकसित करना; (4) पुस्तकालय स्वचालन (5) अनुदान प्रबंध का स्वचालन।
 4. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी प्रयास: (1) अनुदेशात्मक डिजाइन सामग्री सृजन में संकाय का प्रशिक्षण, (2) कक्षा कक्षाओं में प्रौद्योगिकी – माध्यम से अध्ययन शुरू करने के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यान्वित करना।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

21.266. बारहवीं योजना के दौरान, टीईक्यूआईपी का दूसरा चरण जारी रखा जाएगा और टीईक्यूआईपी का चरण –3 शुरू किया जाएगा। चरण-3 के अंतर्गत, पाठ्यक्रम विविधता और क्षेत्र-वार कार्यक्रम बढ़ाना शुरू कर राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों को सहयोग देकर, 'पारि-प्रणाली' पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता सुधार संबंधी हस्तक्षेपों का लाभ तकनीकी शिक्षा के सभी क्षेत्रों को प्राप्त हो। इस कार्यक्रम से शिक्षक और शिक्षण मिशन और प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी मिशन जैसे अन्य प्रयासों के साथ सहक्रिया को भी बल मिलेगा। टीईक्यूआईपी के चरण-3 में कृषि और नगर नियोजन को शामिल किया जाएगा। प्रबंधन शिक्षा, फार्मसी शिक्षा और होटल प्रबंधन जैसे अन्य क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधारने के लिए अलग और स्वतंत्र प्रयास किए जाने चाहिए।

भाषा और पुस्तक प्रोत्साहन कार्यक्रम

21.267. बारहवीं योजना के दौरान, प्रतिष्ठित भाषाओं, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संकटापन्न भाषाओं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से भी कम है, उनके परिरक्षण, प्रोत्साहन और विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को सुदृढ़ किया जाएगा। अनुवाद प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम तैयार करने और लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा भाषा शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अनुवादकों की क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज्ञान प्रदान करने में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को स्वीकार करते हुए, बारहवीं योजना के दौरान ई-बुक्स और नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) बुक्स तथा अभिलेखों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए एनबीटी की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

बौद्धिक संपदा अधिकारों का सुदृढ़ीकरण

21.268. बारहवीं योजना के दौरान, बौद्धिक संपदा शिक्षा अनुसंधान और सार्वजनिक पहुंच' (आईपीईआरपीओ) की योजना के अंतर्गत मौजूदा कार्यक्रमों को बनाए रखा जाएगा। नए योजना प्रयासों में नई आईपीआर पीठ की स्थापना करना, कॉपीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरण और आईपीआर अध्ययन के लिए केंद्र की स्थापना कर ना शामिल है। प्रकाशन और वितरण की नई इलेक्ट्रॉनिक विधियां ईजाद होने के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के कॉपीराइट क्षेत्र का विस्तार हुआ है। जून, 2012 में अस्तित्व में आने वाले नए कॉपी राइट (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अनुसार कॉपीराइट कानून के नए और उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ मिलकर कॉपीराइट बोर्ड को सुदृढ़ किया जाएगा। ट्रेडमार्क कार्यालय और पेटेंट कार्यालय जैसे अन्य आईपीआर कार्यालयों की तर्ज पर कॉपीराइट कार्यालयों का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा।

उच्च शिक्षा अंतरराष्ट्रीयकरण

21.269. बारहवीं योजना के दौरान, उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए विकसित की जाने वाली कार्यनीति में संकाय और छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम, शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए सांस्थानिक सहयोग, शिक्षण-अधिगम प्रदर्शनों के विविध प्रदर्शन और आईसीटी का बढ़ता प्रयोग शामिल होगा। वैश्विक रूप से अनुकूल शैक्षिक ख्याति वाली प्रणालियां, पाठ्यक्रम का अंतरराष्ट्रीयकरण और योग्यता की पारस्परिक मान्यता संबंधी प्रक्रियाओं को स्थान दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीयकरण कार्यक्रमलाप शुरू करने के लिए एक व्यावसायिक राष्ट्रीय अभिकरण, 'इंडिया इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर' गठित किया

जाएगा। यह, समर्पित अंतरराष्ट्रीयकरण इकाइयां स्थापित करने के लिए चुनिंदा संस्थाओं का सहयोग करेगा।

उच्च शिक्षा में सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना

21.270. एचईआई के समाज से बढ़ते अलगाव के दृष्टिगत वास्तविक रूप से सामुदायिक लगाव, सामाजिक रूप से संगत अनुसंधान शिक्षा प्रदान करने, छात्रों के मुख्य मिशन में एक भाग के रूप में उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देने के लिए एचईआई हेतु नवीन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए, उच्च शिक्षा में सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करने हेतु एक राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए सामुदायिक विनियोजन, प्रैक्टिशनरों, अकादमिक और सामुदायिक नेतृत्व कर्ताओं के लिए साहचर्य का सृजन किया जाएगा।

खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना

21.271. बारहवीं योजना में खेल और स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया जाएगा। इस प्रयास के अंतर्गत कार्यक्रमों में शामिल होंगे: (1) सभी छात्रों के लिए फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम (2) सामान्य सांस्थानिक आवश्यकता के रूप में शारीरिक शिक्षा को शामिल करने के लिए सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना; (3) प्रतियोगितात्मक खेलों में छात्रों की सहभागिता को मौजूदा 2 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत करना; (4) सभी संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा हेतु विभाग और इकाइयां सृजित करना और उन्हें सहयोग प्रदान करना; (5) संस्थाओं में पर्याप्त खेल अवसंरचना सृजित करने में सहयोग देना; (6) खेल क्लब प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करना; (7) खेल प्रौद्योगिकी, खेल औषधि और खेल प्रबंधन से संबंधी बहु-विषयक अनुसंधान केंद्र शामिल करना; (8) खेलों से संबंधित सूचना नेटवर्क तैयार करना।

अंतर-सांस्थानिक सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना

21.272. बारहवीं योजना में क्षमताओं में हस्तक्षेप और क्षमताओं से लाभ प्राप्त करने तथा शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए शेयर्ड विजन और कार्यसूचियां तैयार करने में अंतर-सांस्थानिक सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित किया जाएगा।

21.273. बारहवीं योजना में छात्रों के लिए विकल्प बढ़ाने और नवाचार बहु-विषयक कार्यक्रमों की परिकल्पना में वृद्धिकर ने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के रूप में उच्च – विश्वविद्यालय ढांचे में वृद्धि की जाएगी। यह उनके विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के संपर्क में आने और विषयों के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करने,

सभी संस्थाओं की संकाय और छात्रों से समान व्यवहार करने और सभी नेटवर्क सदस्यों को विषय, शिक्षण तथा आवश्यक अनुसंधान सहायता तक पहुंच उपलब्ध कराने में समर्थ बनाएगा। इस ढांचे के अंतर्गत, प्रभावशाली ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रत्यायन प्रणाली को सुदृढीकरण

21.274. बारहवीं योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए विनियामक व्यवस्थाओं में प्रत्यायन केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करेगा। स्पष्ट प्रोत्साहनों और परिणामों सहित प्रत्यायन अनिवार्य होगा। वृहत-पुस्तक लेखन में प्रत्यायन के लिए बहु-प्रत्यायन निकाय (सांस्थानिक प्रत्यायन के लिए एनएएसी के अतिरिक्त और कार्यक्रम प्रत्यायन के लिए एनबीए) स्थापित किए जाएंगे। छात्र गतिशीलता और शैक्षिक प्रयासों को सुगम बनाने के लिए तंत्र के माध्यम से सुगमता से तुलना करने योग्य, व्यापक रूप से संगत योग्यताएं विकसित करना आवश्यक है। इस समय, राष्ट्रीय प्रत्यायन प्राधिकरण में पंजीकृत स्वतंत्र अलाभकारी अभिकरणों द्वारा प्रत्यायन व्यवस्था वाला एक नया प्रत्यायन कानून विचाराधीन है। जबकि, समुचित सांस्थानिक ढांचा, नया कानून बनने के बाद ही तैयार होगा, अंतरिम काल में, मौजूदा अभिकरणों, एनएएसी और एनबीए की क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। विश्वास योग्य अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों के चयन समूह से कार्यक्रम संबंधी प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

अनुसंधान और नवाचार

21.275. अब अनुसंधान और नवाचार, विश्वभर में उच्च शिक्षा के अत्यावश्यक कार्य हैं। बहुविषयक अनुसंधान के महत्व को विश्वभर में पहचाना गया है, क्योंकि अब शिक्षण के इंटरसेक्शन में हो रहा है। अब सहयोग नवाचार का मुख्य भाग है। नवाचार को बढ़ावा देने वाली ठेकेदारी भी उच्च शिक्षा प्रणाली का बढ़ता हुआ अभिन्न अंग है। यद्यपि, सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं के अनुसंधान आधारित होने की आशा नहीं की जा सकती है अतः यह अत्यावश्यक है कि नवीनतम अनुसंधान में शामिल होने लायक सभी संस्थाओं को विशेष सहायता सुनिश्चित करते हुए देश में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए।

21.276. उच्च शिक्षा संस्थाओं को राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम में योगदान देना चाहिए हालांकि विभिन्न तरीकों से भले ही वे अनुसंधान में प्रोत्साहन देने वाले न हों। शिक्षण केंद्रित संस्थाओं को अपने छात्रों को अनुसंधान तकनीक में अवश्य प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि उनके लिए अनुसंधान आधारित स्नातक शिक्षा और रोजगार के

दरवाजे खुलें। व्यावसायिक संस्थाओं को आगामी कार्यबल को कम से कम अनुसंधान और विकास के 'विकास' घटक में अवश्य शामिल करना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी संस्थाएं अपने स्नातकों में संवेदनशील सोच, संचार, सहयोग और सर्जनात्मकता की मुख्य कौशल विकसित करें ताकि देश को नया वातावरण अपनाने के लिए लगातार नव परिवर्तन लाने में सक्षम बनाया जा सके।

21.277. एक दशक से अधिक समय तक स्थिर रहने के पश्चात् पिछले दो दशकों में भारत के अनुसंधान कार्य में आशातीत परिवर्तन हुए हैं। स्थिर पदों और तुलना समूह से संबंधित दोनों में वैज्ञानिक परिणाम में स्पष्ट सुधार दिखाई दिया है। विगत 10 वर्षों के दौरान 1999 से शोधकर्ता उत्पादकर्ता में महत्वपूर्ण सुधार के साथ विश्व के प्रकाशनों में भारत की समग्र हिस्सेदारी 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई है। भारत एक दशक पूर्व एक वर्ष में जितने वैज्ञानिक प्रकाशन प्रस्तुत करता था उसका दोगुणे से अधिक परिणाम प्रस्तुत करता है। यद्यपि, यह चीन की उपलब्धियों से पीछे है, भारत के प्रकाशनों का परिणाम ब्राजील और रूस की तुलना में काफी तेजी से बढ़ा है।

21.278. इस बात के संकेत मिले हैं कि अनुसंधान की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है। भारत के प्रकाशनों ने चीन की तुलना में बेहतर 5.77 प्रशस्ति पत्र प्रति वर्ष के साथ 16,10,511 वे प्रशस्ति पत्र संचित किए हैं परंतु 10.81 प्रशस्ति पत्र प्रति लेख के विश्व औसत की तुलना में अभी भी काफी कम हैं। संबंधित प्रभाव 0.48 से बढ़कर 0.66 (विश्व औसत एक होने पर) हो गया है। आईएसआई वेब ऑफ साइंस के अनुसार भारत प्रकाशित लेखों की संख्या के संदर्भ में ग्यारहवें, प्रशस्ति पत्रों की संख्या के संदर्भ में सत्रहवें और प्रतिलेख प्रशस्ति पत्रों की संख्या के संदर्भ में चौतीसवें स्थान पर रहा है।

21.279. ऐसी सफलताओं के बावजूद भारतीय उच्च शिक्षा में अभी भी सीमित अनुसंधान क्षमता हैं। निधीयन के निम्न स्तर और देश के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से अलगाव भारतीय विश्वविद्यालयों की अनुसंधान क्षमता में कमजोरी के लिए जिम्मेदार है। यह उल्लेख करना निराशाजनक है कि देश के शीर्ष विश्वविद्यालय भी अधिकांशतः सीमित अनुसंधान और शोध शिक्षा के साथ शिक्षा पर जोर देते हैं।

21.280. सर्वोत्तम भारतीय संस्थानों में भी अनुसंधान अनुकूलन का यह अभाव वैश्विक रैंकिंग में उनकी स्थिति में दिखाई पड़ता है जिसमें से अधिकांश अनुसंधान निष्पादन के मापनीय निर्देशिकाओं पर

पूरी तरह निर्भर है। वर्ष 2011 के लिए द टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) रैंकिंग या एकाडेमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनी वर्सिटीज (एआरडब्ल्यूयू) में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान नहीं मिला है। यद्यपि, सभी विश्वविद्यालयों से अनुसंधान उत्कृष्टता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने की आशा रखना न तो आवश्यक है और न ही यथार्थवादी गुणवत्ता उत्कृष्टता का वास्तविक यह सुझाव मिलता है कि यदि औसत गुणवत्ता में सुधार होता है तो सर्वोत्तम, अनुसंधान प्रोत्साहन विश्वविद्यालयों को शीर्ष संघों में शामिल किया जाएगा।

21.281. अंतरराष्ट्रीय दृष्टि की तुलना में वर्ष 2008-09 भारत में पीएचडी की उपलब्धि मात्र 10,781 थी। विज्ञान और इंजीनियरी में पीएचडी की कुल 4,500 की संख्या, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रमशः लगभग 30,000 और 25,000 की तुलना में बहुत कम है। नवाचार और बौद्धिक संपदा के सृजन के संदर्भ में भारतीय विश्व भर में बहुत कम पेटेंट आवेदन दाखिल करते हैं और प्राप्त करते हैं (वर्ष 2009 में चीन द्वारा दाखिल किए गए 2,41,546 आवेदनों की तुलना में भारतीयों द्वारा मात्र 11,937 आवेदन दाखिल किए गए) और कोई भी भारतीय शैक्षिक संस्थान पेटेंट दाखिल करने वाले आवेदकों की शीर्ष सूची में स्थान नहीं पा सका।

21.282. प्रकाशन, पेटेंट/लाइसेंसिंग और स्पिन ऑफ से संबंधित उपलब्धि उपायों से अनुसंधान को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं के लिए अनुसंधान और नवाचार निष्पादन के कुछ संकेत उपलब्ध कराए जा सकते हैं, यद्यपि उनके लिए भी इन समग्र अनुसंधान निष्पादन का अनुमान लगाना काफी मुश्किल होगा। कम अनुसंधान प्रोत्साहन वाली संस्थाओं, के लिए नवाचार और आर्थिक विकास में उनके योदान को अपेक्षाकृत कम दृष्टिगोचर होने वाली गतिविधियों जैसे संकाय से परामर्श करने या विकास परियोजनाओं अथवा सृजनशीलता तथा उत्साह के साथ छात्रों को शिक्षा देने से प्राप्त किया जा सकता है।

ग्यारहवीं योजना के अनुभव

21.283. ग्यारहवीं योजना के दौरान शैक्षिक अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की गई थी। बेसिक साइंटिफिक रिसर्च (बीएसआर) को बढ़ावा देना, एक मुख्य योजना थी। इसमें बुनियादी अवसंरचना में सुधार करने, शोध कार्य और शोध कार्य के पश्चात् फेलोशिप, नेटवर्किंग केंद्रों, ग्रीष्म और शरद कालीन स्कूलों, संकाय बढ़ाने की योजना और स्नातकपूर्व स्तर पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभागों और कॉलेजों को अनुदान देना शामिल है।

21.284. इसके अतिरिक्त, ग्यारहवीं योजना में अनुसंधान कार्य पर केंद्रित अनेक नई केंद्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तथापि, इन प्रयासों से संसाधनों का बहुत कम प्रसार हुआ और आवश्यकताओं की 'प्रासंगिकता' तथा नवाचार और विशेष रूप से उद्यमशीलता से संबंधित हस्तक्षेप बढ़े। यद्यपि, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, कुछ मुख्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथापि इस क्षेत्र में और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

बारहवीं योजना की कार्यनीति

21.285. बारहवीं योजना अनुसंधान प्रयासों को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में और अधिक प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने तथा उद्योग और समाज की आवश्यकताओं से बेहतर ढंग से जोड़ने की आवश्यकता है। सार्वजनिक अनुसंधान और विकास संस्थाओं को अभिशासन संरचनाओं सहित उच्च शिक्षा की स्थानीय संस्थाओं के साथ स्थायी और घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाना चाहिए। बदले में उच्च शिक्षण संस्थाओं को उद्योगों के साथ सहयोग करना चाहिए। अनुसंधान उत्पादकता के लिए संकाय पर विशेष ध्यान देने हेतु सांस्थानिक केंद्रित करने से आगे विचार करने की भी आवश्यकता है ताकि संस्थाओं की सीमाओं को पारकर सकने वाली टीमों का निर्माण करने के लिए सक्षम सृजनात्मक संकाय बन सके।

21.286. बारहवीं योजना में संकाय, संस्थाओं, विभागों अथवा अनुसंधान और अनुसंधान प्रशिक्षण संबंधी उत्कृष्टता केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अनुसंधान में समग्र निवेश को जीडीपी की 1 प्रतिशत से कम वर्तमान स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतिशत से अधिक करने के लिए इसमें धीरे-धीरे वृद्धि करना आवश्यक होगा; इसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुसंधान निवेशों में पूर्व पहले की अपेक्षा और अधिक हिस्सेदारी प्राप्त होगी।

21.287. देश के अत्याधिक प्रतिभाशाली स्नातकों को आकर्षित करने और देश को छोड़कर विदेश में अध्ययन के लिए गए तीव्र वृद्धि भारतीय स्नातकों को वापस लाने के लिए बेहतर अनुसंधान अवसंरचना तथा कार्य वातावरण सृजित करने पर जोर दिया जाएगा। उच्च स्तरीय संस्थाओं को स्थायी नियुक्ति के लिए विदेशियों सहित विश्व भर से संकाय हायर करने और पुनर्वासितों संकाय को प्रति पूर्ति लाभ उपलब्ध कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।

21.288. शोध शिक्षा के अभिशासन और ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि डॉक्टरेट को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्तमान

कार्यक्रमों में प्रायः गुणवत्ता की बलि दे दी जाती है। क्षमता संबंधी वैश्विक आवश्यकताओं वाले बेंचमार्किंग शोध कार्यक्रम विकसित किया जाना मुख्य है। विद्यमान पीएचडी कार्यक्रमों को आधुनिक बनाया जाएगा विशेष रूप से नए और बहु-विषयक प्रयासों की आवश्यकता वाले संस्थानों में नए कार्यक्रम सृजित किए जाएंगे।

21.289. अनुसंधान व्यय जिसका अधिकांश भाग उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा व्यय किया जाना चाहिए उसमें व्यापक वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है जिससे अनेक लाभ प्राप्त होंगे। वैश्विक विशिष्टता के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रतियोगिता द्वारा उच्च संभावना वाले संस्थाओं और संकाय के लिए महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना आवश्यक है। अनुसंधान, समाज विज्ञान के क्षेत्र में पहले हुई उपेक्षा के कारण इसके निधीयन में अत्याधिक वृद्धि किया जाना आवश्यक है। नवाचार, जो वैश्विक मानक बन गया है, को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान क्षमता हेतु देश में बेहतर तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए, शिक्षा और उद्योग के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित कर, नवाचार और वाणिज्यीकरण में शामिल होने में शिक्षकों को सहायता देने के लिए सांस्थानिक क्षमता निर्माण और नवाचार तथा एंटरप्रीन्योरशिप के लिए उचित वातावरण उपलब्ध करा सकने वाली गतिशील पारि प्रणाली का सृजन करने की उच्च संभावना वाले क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुसंधान क्षमता तैयार करना आवश्यक होगा। भारतीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर्स, प्रूफ-ऑफ-कांसेप्ट केंद्रों, एंटरप्रीन्योरशिप कार्यक्रमों उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र जैसी सांस्थानिक सहयोग तंत्रों की श्रृंखला निर्मित करने की आवश्यकता है। संस्थाओं को प्रौद्योगिकी कंपनियों, पूंजी हस्तक्षेपों तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं सहित नवाचार और एंटरप्रीन्योरशिप के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

21.290. बारहवीं योजना के दौरान, देश में ऐसे लक्ष्य और पारदर्शी अनुसंधान मूल्यांकन पद्धतियां विकसित की जानी चाहिए जो राष्ट्रीय संदर्भ और संस्कृति के अनुकूल हों। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अनुसंधान मूल्यांकन के लिए विश्लेषणात्मक आधार उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन विश्वविद्यालय में अनुसंधान मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जा सकती है।

बारहवीं योजना के प्रयास

21.291. बारहवीं योजना में गुणवत्ता क्रय में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की पहचान की जाएगी और उन्हें भरपूर सहायता दी जाएगी ताकि वे श्रेष्ठ वैश्विक संघ तक पहुंच सकें। अभिजात समीक्षा के माध्यम

से संस्थाओं के सभी स्तरों में समान रूप से महत्वपूर्ण, होनहार संकाय की पहचान की जाएगी और उन्हें सहयोग दिया जाएगा। इसी प्रकार विद्यमान विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र सृजित किए जाएंगे। अस्थाई शिक्षण नियुक्ति के संबंध में विश्वभर से उच्च योग्यता वाली संकाय आकृष्ट की जाएगी और इसी तरह, भारतीय संकाय को विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अनुसंधान प्रणालियों का प्रदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। बारहवीं योनजा के दौरान 'इंडिया एक्सीलेंस इनीशिएटिव' के अंतर्गत सहक्रिया से लाभ प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित प्रयासों को एकीकरण किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

बहु विषयक अनुसंधान विश्वविद्यालय

21.292. बारहवीं योजना के दौरान बहु विषयक अनुसंधान और शिक्षण में शामिल होने की क्षमता रखने वाले अनुसंधान विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बारहवीं योजना के अंत तक 20 संस्थाओं की स्थापना के लक्ष्य के साथ ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए इस समय 'यूनिवर्सिटीज फॉर रिसर्च एंड इन्नोवेशन' नाम से एक विधायी ढांचे पर विचार विमर्श चल रहा है। ये सार्वजनिक या निजी विश्वविद्यालय हो सकते हैं अथवा इन्हें सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के रूप में स्थापित किया जा सकता है और विद्यमान तथा नए विश्वविद्यालयों के परिवर्तन में शामिल किया जा सकता है। कुछ विद्यमान विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों में परामर्शदाता हो सकते हैं। उत्कृष्टता प्राप्त करने में विश्वभर से उच्च गुणवत्ता युक्त संकाय को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना मुख्य योग्यता है।

उत्कृष्टता केंद्र

21.293. बारहवीं योजना में राष्ट्रीय ख्याति के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थानों में विश्वस्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में 20 उत्कृष्टता केंद्र सृजित करने का लक्ष्य होगा। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के सीमान्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए पचास (50) केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय महत्व के चुनिंदा विषयों में मेजबान संस्थानों के क्षमता निर्माण का लक्ष्य है। पूरे देश में होनहार संकाय के साथ सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रयास

21.294. मौलिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय प्रयास में यूजीसी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जारी कार्यकलाप शामिल होंगे। होनहार

छात्रों को मानविकी और सामाजिक विज्ञान के कार्यक्रमों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करने और इन विषयों में शिक्षण तथा अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी में उत्कृष्टता हेतु एक नया राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया जाएगा। विद्यमान सांस्थानिक निधिकरण में सुधार करने के लिए शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाएगी तथा मौलिक विज्ञान के लिए आईएनएसपीआईआरई की तर्ज पर छात्रवृत्ति देने शोधकार्य एवं शोधकार्य के पश्चात फेलोशिप बढ़ाने, वैश्विक उत्कृष्टता के विद्यमान केंद्रों को आसानी से एक मुश्त सहायता उपलब्ध कराने और नए अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र सृजित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएगी।

21.295. नवाचार और उद्यमशीलता के लिए राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया जाएगा। इस प्रयास में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे (1) नवाचार, मूल्यसर्जन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण तैयार करना; (2) जागरूकता उत्पन्न करने और उच्च शिक्षा संस्थाओं में आईपीआर के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए संस्कृति विकसित करना; (3) विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा उद्योगों के बीच साझेदारी विकसित कर अनुसंधान में निवेश से अधिकतम लाभ और रिटर्न प्राप्त करने में सहायता देना (4) राष्ट्रीय अनुसंधान उद्यानों का सृजन करना। यह प्रयास एमएचआरडी, यूजीसी और एआईसीटीई के अधीन सभी संबंधित कार्यकलापों का एकीकरण करेगा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन समान कार्यकलापों योजनाओं तथा कार्यक्रमों के साथ सहक्रिया निर्मित करेगी।

21.296. अभिकल्पना केंद्रित नवाचार वह बहु सृजित शामिल है जो भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतियोगी बनाकर मूल्य श्रृंखला बढ़ाने में देश की सहायता कर सकती है बाहरी योजना में इस संदर्भ में नेशनल इनीशिएटिव फॉर डिजाइन इन्नोवेशन शुरू किया जाएगा। इस प्रयास के अंतर्गत 20 नए डिजाइन इन्नोवेशन केंद्र (डीआईसी); एक ओपन डिजाइन स्कूल (ओडीएस), और इन सभी स्कूलों को एक साथ जोड़कर एक नेशनल डिजाइन इन्नोवेशन नेटवर्क (डीएनआईएन) स्थापित किया जाएगा। ओडीएस विभिन्न सहयोगात्मक शिक्षा कार्यक्रमों शैक्षिक संस्थानों के वृहत स्पेक्ट्रम से जोड़कर के माध्यम से देश में अभिकल्पना शिक्षा और पद्धतियों की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करेगा और इंटरनेट द्वारा इसके कोर्स वेयर की निःशुल्क हिस्सेदारी होगी। एनडीआईएन, अभिकल्पना स्कूलों का एक नेटवर्क होगा जो, अन्य उद्योग और अग्रणी शैक्षिक संस्थानों, एनजीओ और सरकार के निकट संपर्क में रहकर अभिकल्पना शिक्षा

की पहुंच तथा उपलब्धता में सहायता देने सभी क्षेत्रों में अभिकल्पना नवाचार को बढ़ावा देने और संस्थाओं के बीच विस्तृत क्षेत्र वाली सहयोगात्मक परियोजनाओं को विकसित करने का कार्य करेगा। ओडीएस और एनडीआईएन भी बड़े पैमाने पर शैक्षिक संस्थाओं में संरचना प्रयोगशालाओं और डिजिटल मीडिया क्षेत्रों के सृजन सहित विभिन्न प्रयासों द्वारा देश में अभिकल्पना शिक्षा और नवाचार के मानकों की शिक्षा देंगे।

सहयोगपूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना

21.297. अनुसंधान आधारित अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों (आईयूसी) की सफलता और विश्वविद्यालय तंत्र पर उनके सकारात्मक प्रभाव से प्रेरित होकर बारहवीं योजना में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नए अनुसंधान – आधारित आईयूसी स्थापित किये जा सकेंगे। ये क्षेत्र विस्तृत, समकालीन, अंतर – विधायी और देश के कार्यनीतिक महत्व के होंगे तथा इनमें आधारभूत और अनुप्रयुक्त, दोनों अनुसंधान शामिल होंगे। सभी अनुसंधान – आधारित आईयूसी एक अम्ब्रैला शासी परिषद के अंतर्गत लाए जा सकेंगे, जबकि उनमें से प्रत्येक का अपना शासी बोर्ड होगा।

21.298. अंतर-विधायी अनुसंधान को प्रोत्साहन देने, अनुसंधान प्रशिक्षण को बढ़ाने और नवाचार क्षमता में वृद्धि करने के क्रम में बारहवीं योजना में लगभग 10 अंतर – संस्थागत केंद्र (आईआईसी) स्थापित किये जाएंगे। ये केंद्र या तो बहु-अनुसंधान अभिमुखी संस्थानों के बीच व्यापक साझेदारी अथवा निधीयन अभिकरणों और अनुसंधान संस्थानों के बीच कार्यक्रम – विशिष्ट साझेदारी के रूप में प्रकट हो सकते हैं।

21.299. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों और विश्वविद्यालयों के बीच संपर्क सृजित करने के द्वारा उत्कृष्टता समूह और नेटवर्क स्थापित किये जाएंगे। बारहवीं योजना के दौरान इनमें से अनेक समूह और नेटवर्क को दो या दो में अधिक संस्थानों को शामिल करते हुए अनुसंधान दलों के लिए विनिर्दिष्ट अनुसंधान निधियों के माध्यम से सहायता दी जाएगी।

21.300. इसी प्रकार, विभिन्न शहरों में स्थानीय सहयोग सृजित किये जाएंगे और ऐसे केंद्रों में संस्थानों के बीच अन्योन्य क्रिया को एक संरचनाबद्ध, अत्यधिक अन्योन्य क्रियात्मक और सहयोगपूर्ण कार्य ढांचे के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। संस्थानों को सहयोग करने और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए अपने पाठ्यक्रमों को उपलब्ध करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

21.301. हालांकि, शैक्षिक – जगत और उद्योगों के बीच अब सहयोग बढ़ रहा है, लेकिन इसका कम महत्वपूर्ण होना जारी है और इसमें सुधार हेतु पर्याप्त गुंजाइश है। बारहवीं योजना के दौरान इन साझेदारियों के परिणाम और कार्य – क्षेत्र के सुदृढ़ बनाने हेतु एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके लिए एक नोडल अभिकरण – संभवतः जिसे उद्योग एवं उच्चतर शिक्षा सहयोग परिषद (सीआईएचईसी) कहा जाता है – को उद्योग – उच्चतर शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया जाएगा। सीआईएचईसी, उद्योग और सरकार के योगदानों से संस्थापित एक स्वतंत्र अलाभार्थ संगठन होगा और व्यवसाय तथा उच्चतर शिक्षा प्रमुखों से युक्त होगा। सीआईएचईसी के लक्ष्य कार्य ढांचा विकास, क्षमता सृजन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रमाणन सहित समस्त उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान परिदृश्य का विस्तार करना है। कॉर्पोरेट क्षेत्र, उच्चतर शिक्षा के मौजूदा संस्थानों में विशिष्ट क्षेत्रों में डिग्री/गैर डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना करने, अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्रों को सृजित करने और संकाय को प्रशिक्षित करने हेतु शिक्षण अधिगम केंद्रों को स्थापित करने के द्वारा भागीदारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट क्षेत्र के योगदान से भारतीय कॉर्पोरेट उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति निधि और सरकार तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित भारतीय कॉर्पोरेट आर एंड डी निधि भी स्थापित किए जा सकते हैं।

21.302. अंततः, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग अब वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता हेतु अहम भूमिका निभाते हैं। केवल कुछ ही शीर्ष भारतीय संस्थान वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोगों में संलग्न हैं। बारहवीं योजना में, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संपर्कों को सुदृढ़ बनाने और ऐसे संपर्कों को बढ़ाने में बड़ी संख्या में भारतीय संस्थानों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ऐसे सहयोग 22 मिलियन – सशक्त भारतीय प्रसार को बढ़ाएंगे जो कि अनुसंधान, नवाचार और टेकेंदारी हेतु शक्तिशाली आस्ति के रूप में पूरे विश्व में अभिज्ञात है।

अभिशासन

21.303. सरकार को उच्चतर शिक्षा के अभिशासन और विनियमन में वर्तमान के मुकाबले अधिक संवेदी और कम अन्तर्वेधी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सभी संस्थानों के संबंध में एक समान विनियामक भूमिका के स्थान पर सरकार की भूमिका शामिल किए गए संस्थान के प्रकार के अनुसार अंशशोधित किया जा सकता है। जबकि, सरकार उच्चतर – स्तरीय संस्थानों हेतु एक प्रवर्तक और मूल्यांकनकर्ता

की भूमिका हो सकती है तो भी यह मध्य-स्तरीय संस्थानों में एक संचालक की भूमिका निभा सकते हैं और इसे निम्नतर – स्तरीय संस्थानों को सक्रिय रूप से नियमित करना चाहिए। अभिशासन संरचना को, संस्थानों को पाठ्यक्रम विविधता, बहु विधायी कार्यक्रमों और अन्य दृष्टिकोणों के माध्यम से स्वयं को वर्धमानतः विशिष्टीकरण हेतु समर्थ भी बनाना चाहिए। विशिष्टीकरण को समर्थ बनाने के लिए नई विनियामक संरचना की आवश्यकता है जो कि अन्य क्षेत्रों को तकनीकी क्षेत्रों के विनियमन को पृथक करने वाली वर्तमान संरचना के बजाय शिक्षा के सभी क्षेत्रों को समाविष्ट करती है। इस संदर्भ में, अभिशासन में एक निदर्शन परिवर्तन की आवश्यकता है इसे स्वतंत्र तृतीय – पक्षकार मान्यकरण, अनिवार्य स्वयं – प्रकटीकरण और उद्देश्य मूल्यांकन स्कीमों के माध्यम से निरीक्षण – आधारित प्रक्रियाओं से स्वायत्तता और जबाबदेही में परिवर्तित किया जाना चाहिए। समग्र दृष्टिकोण, संस्थानों को कार्य-निष्पादन संबंधी व्यापक रूप से परिभाषित समझौता ज्ञापन के भीतर अपनी स्वयं की नीतियों और निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करना है।

राष्ट्र-स्तरीय अभिशासन

21.304. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005) और उच्चतर शिक्षा के नवीकरण और कायाकल्प संबंधी समिति (2009) की सिफारिशों के आधार पर देश में उच्चतर शिक्षा हेतु एक नया विधायी कार्यवाहक सृजित करने और एक नई अभिशासन संरचना प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान कदम उठाए गए थे। इस प्रयोजन के लिए अनेक नए कानून वर्तमान में विचाराधीन हैं। इनमें शामिल हैं (1) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरणों के माध्यम से प्रति व्यक्ति शुल्क और भ्रामक विज्ञापन से संबंधित अनुचित प्रक्रियाओं को रोकने पर लक्षित तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालय बिल में अनुचित प्रक्रियाओं का निषेध, (2) सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों हेतु स्वतंत्र प्रत्यायन अभिकरणों द्वारा प्रत्यायन को अनिवार्य बनाने की मांग करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान बिल हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण, (3) संस्थानों, संकाय, विद्यार्थियों और विनियामक प्राधिकरणों से संबंधित विवादों को तीव्रता से निपटाने के लिए एक केंद्रीय न्यायाधिकरण और राज्य स्तरीय न्यायाधिकरणों के सृजन हेतु शिक्षा न्यायाधिकरण बिल, (4) गुणवत्ता विदेश शिक्षा संस्थानों को भारत में प्रवेश और प्रचालन करने तथा विदेश शिक्षा प्रदाताओं के प्रचालनों को विनियमित करने हेतु समर्थ बनाने के लिए विदेश शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और प्रचालनों का विनियमन) बिल, (5) यूजीसी और वर्तमान विनियामकों, एआईसीटीई, एनसीटीई और डीईसी को सम्मिलित करते हुए एक अम्ब्रैला विनियामक प्राधिकरण सृजित करने के लिए राष्ट्रीय

उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर) बिल, और (6) देश में सभी शैक्षिक प्रत्यय – पत्रों का एक आधान सृजित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक न्यासी बिल, 2011

21.305. ये नए कानून गुणवत्ता, जवाबदेही, पहुंच और अंतर्विष्टता पर तथा अधिक प्रतिस्पर्धी वैश्वीकृत विश्व हेतु देश के उच्चतर शिक्षा तंत्र को तैयार करने के संबंध में सरकार का ध्यान एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ये सुधार नवाचार को समर्थ और सुविधाजनक बनाएंगे तथा उच्चत गुणवत्ता संस्थानों का विकास करेंगे जबकि, निम्न – गुणवत्ता संस्थानों को प्रचालन करना कठिन बनाएंगे। आने वाले कुछ वर्षों में, एनसीएचईआर, राष्ट्रीय और राज्य – स्तरीय न्यायाधिकरणों तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन प्राधिकरण को प्राथमिक रूप से सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक नई अभिशासन संरचना स्थापित होगी।

21.306. इसी बीच, यूजीसी और अन्य विनियामक अभिकरणों के पास एनसीएचईआर के सुगम संचरण सुनिश्चित करने हेतु स्वयं को पुनः सक्रिय बनाने का अवसर है। इस संदर्भ में, आंतरिक प्रक्रियाओं और कर्मचारी क्षमताओं की समीक्षा अनिवार्य है और अभिकरणों को वर्ष-वार रूपांतरकारी कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा, यूजीसी अनेक नवाचार वित्तीयन स्कीमों को तुरंत कार्यान्वित कर सकता है, जो कि उच्चतर शिक्षा की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, (1) यूजीसी, अपने वर्तमान स्कीम आधारित दृष्टिकोण से संस्थानों के मानदंड – आधारित वित्तीयन सहित अधिक प्रभावी कार्यक्रम – संबंधी हस्तक्षेपों को परिवर्तित हो सकता है, (2) यह, सामान्य प्रचालनों के लिए ऐतिहासिक रूप से निर्धारित विस्तृत प्रचालनात्मक बजटों से सूत्र – आधारित निधीयन परिवर्तन पर विचार कर सकता है, (3) यह, चयनित रूप से और प्रतिस्पर्धी रूप से मूल्यांकित संस्थागत प्रस्तावों पर आधारित कतिपय कार्यकलापों/परिवर्तनों/निवेशों को बढ़ावा देने के लिए नवाचार कार्यक्रमों का कार्यनीतिक निधीयन आरंभ कर सकता है, (4) अंततः, यूजीसी और कुछ अन्य केंद्रीय अभिकरण, विद्यार्थियों के उच्चतर शैक्षणिक चक्र से होते हुए कार्य-स्थल में अंतरित होने पर उनके देशान्तरीय पार्श्वचित्रण में प्रमुख भूमिका भी निभा सकते हैं तथा देशांतरीय आधार पर संस्थागत निर्देशचिह्नित करने में भी भूमिका निभा सकते हैं।

राज्य स्तरीय अभिशासन

21.307. उच्चतर शिक्षा के अभिशासन की संरचना और उनके विधायी कार्यवाहक राज्यों में व्यापक तौर पर भिन्न हैं। सभी राज्यों को उच्चतर शिक्षा में उनके द्वारा सामना की जा रही अनन्य चुनौतियों

के लिए उनको तैयार करने के विचार से उनके वर्तमान विधायी और अभिशासन व्यवस्थाओं की समीक्षा प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

21.308. राज्य में उच्चतर शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास प्रारंभ करने और विश्वविद्यालयों के बीच संसाधनों के सहभाजन को बढ़ावा देने, संस्थानों के बीच सहक्रिया और संस्थानीय स्तर पर प्रमुख शैक्षिक एवं अभिशासन सुधारों से लाभ को बढ़ाने, उच्चतर शिक्षा संबंधी डेटा बैंक का रखरखाव करने तथा अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों को संचालित करने के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राज्य परिषद की स्थापना करना प्रत्येक राज्य (छोटे राज्यों को छोड़कर) से वाछनीय होगा। छोटे राज्यों में, मुख्य संबद्ध विश्वविद्यालय यह भूमिका निभा सकता है। निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, अनेक राज्यों में उच्चतर शिक्षा का एक बड़ा भाग तैयार करते हैं। राज्य, निजी एचईआई को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र अभिकरणों को भी स्थापित कर सकते हैं।

संस्थागत स्तरीय अभिशासन

21.309. शैक्षिक संस्थान, लंबी समयवधि से अपनी अनन्य संस्कृति और परम्परा का विकास करने के लिए वैयक्तिक पहल और सर्जनात्मकता पर प्राथमिक रूप से निर्भर करते हैं। शैक्षिक स्वतंत्रता के सिद्धांत, सहभाजित अभिशासन, मेधावतंत्रीय चयन, विविधता का संवर्धन और संस्थागत उत्तरदायित्व एक सु-अभिशासित शैक्षिक संस्थान की परिभाषापूर्ण विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त, एचईआई के निरीक्षण, अभिशासन और प्रबंधन को, उनके मिशन के लिए भली-भांति संबद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए, सभी संस्थानों से एकसमान व्यवहार करने की वर्तमान पद्धति का परित्याग करने की आवश्यकता होगी। शिक्षा और प्रक्रियाओं के मानकीकरण को लागू करने से संस्थागत प्रकारों, मिशनों, संसाधनों और विशेषाधिकारों में विविधता हेतु अनुमति प्रदान करने पर परिवर्तित होने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक विनियम, अभिशासन और निधीयन के प्रयोजनों हेतु विभिन्न रूप से व्यावहारिक किए जा रहे संस्थानों की प्रत्येक श्रेणी के साथ उच्चतर शिक्षा के संस्थानों का श्रेणीकरण अपेक्षित है।

21.310. आनुभविक साक्ष्य सुझाते हैं कि बेहतर ढंग से चलाए जा रहे संस्थान अत्यधिक स्वायत्त हैं, विशेष रूप से जब शैक्षिक मामलों की स्वायत्तता संकाय के पास होती है, वित्त संगठनात्मक संरचना, प्रचालनों और स्टाफिंग के क्षेत्रों में स्वायत्तता भी महत्वपूर्ण है लेकिन मूल्यांकन और जवाबदेही के आंतरिक तंत्रों के साथ संगत होनी चाहिए और संस्थान के मिशन से संबद्ध होनी चाहिए। हाल में, केंद्र

सरकार ने अपने द्वारा निधिक संस्थानों पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान के मामले में है, जहां बोर्ड सदस्यों के चयन में सरकार की अब कोई भूमिका नहीं है। निदेशक के चयन में बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी भी सरकार द्वारा लिया जाता है। सरकार ने तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य – निधिक संस्थानों में स्वायत्तता को भी स्पष्टतया बढ़ावा दिया है। सरकार के नियंत्रणों से सार्वजनिक संस्थानों को मुक्त करने की यह प्रक्रिया बारहवीं योजना में जारी रहेगी। यह, अपने सभी पांच आयामों के संबंध में स्वायत्तता हेतु कार्यवाही के लिए निर्भर होगी।

21.311. विद्यार्थियों और संकाय हेतु प्रतिस्पर्धी अनुदानों और प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होने वाली संस्थागत स्वायत्तता और बाह्य अनुशासन साथ-साथ चलते हैं। प्रभावी संस्थागत अभिशासन के लिए लघुत्तर और अधिक प्रभावी शासी निकायों, जिनके पास विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं चयन किए गए अनेक बाह्य विशेषज्ञ होते हैं, संकाय प्रतिनिधित्व और ऐलुमिनी, जो कि संस्थान की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करता है, की ओर परिवर्तित होने की आवश्यकता है। संभाल्य सकारात्मक योगदान, जो कि संस्थानों के विकास में ऐलुमिनी कर सकता है, देते हुए 10 वर्षों से अधिक अस्तित्व वाले सु-स्थापित संस्थानों का अपनी शासी निकायों में ऐलुमिनी का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कुल मिलाकर, बाह्य परिवर्तन से प्रभावनीय दक्ष और व्यावसायिक शासी बोर्डों वाले संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बारहवीं योजना में प्रोत्साहित किया जाएगा।

शैक्षिक नेतृत्व का विकास करना

21.312. बारहवीं योजना के दौरान, उच्चतर शिक्षा में व्यवसायिक शैक्षिक नेतृत्व की छात्रवृत्ति और विकास हेतु एक परितंत्र सृजित किया जाएगा। इसके लिए, एक 'उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक नेतृत्व हेतु संस्थान', एनयूईपीए अथवा उच्चतर शिक्षा के किसी अन्य संस्थान के भीतर सह-स्थित हो सकता है। यह संस्थान, नोडस के रूप में विश्वविद्यालय – आधारित 'नेतृत्व विकास हेतु अकादमी' के साथ एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बारहवीं योजना में कम से कम पांच ऐसी अकादमियां स्थापित की जाएंगी।

विद्यार्थी सेवाएं और प्रवेश

21.313. भारतीय उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थी मामले और सेवाओं पर कम ध्यान दिया जाता है और व्यावसायिकता की कमी से ग्रसित हैं। बारहवीं योजना, विद्यार्थियों को कक्षा – बाह्य विद्यार्थी सेवाओं का

एक समग्र सेह उपलब्ध कराने के द्वारा उनकी आधारभूत व्यक्तिगत आवश्यकताओं का निराकरण करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सहायता करने पर बल देती है।

21.314. चूंकि, एचईआई अनेक अभिकरणों के अंतर्गत आते हैं इसलिए, संस्थानों के बारे में विश्वसनीय और वर्तमान सूचना किसी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होती है और विनियामक अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना विद्यार्थी – हितैषी प्रपत्र में नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, विद्यार्थी और उनके माता – पिता अकसर दलालों/अभिकर्ताओं और संस्थानों के चयन में प्रोत्साहन सामग्रियों पर निर्भर रहते हैं। ऐसी सूचना अकसर अविश्वसनीय होती है। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुचित पद्धतियों का निषेध बिल में ऐसे प्रावधान हैं जो ऐसी प्रवेश – संबंधी अनुचित पद्धतियों और रूकावटों का निपटान कर सकते हैं। यह बिल विचाराधीन है। तथापि, कानून के लागू होने तक विद्यार्थियों और माता-पिता को संस्थान और पाठ्यक्रमों के बारे में सटीक और वर्तमान सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रित पोर्टल का सृजन इस तरह से किया जाए जो कि प्रवेश हेतु संस्थानों और पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सहायता करें।

21.315. देश में संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया में सुधार करने की बहुत स्पष्ट आवश्यकता भी है। प्रवेश परीक्षाओं की अधिकता के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर अनुशिक्षण प्रारंभ हुआ है जो कि अकसर नियमित शिक्षा की लागत पर होता है। देश को कुछ ही प्रवेश परीक्षाओं की ओर परिवर्तित होना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक को एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ रीति से आयोजित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को उनके अपने प्रवेश मानदण्ड स्थापित करने तथा उनके शैक्षिक मिशन और प्रवेश दर्शनशास्त्र हेतु यथा उपयुक्त उनकी प्रवेश प्रक्रिया के लिए राष्ट्रव्यापी परीक्षाओं के परिणामों का उपयोग करने हेतु स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। यह, विद्यार्थियों को उपयुक्त संस्थान से सुयोजित करेगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को महत्वपूर्ण रूप से कम करेगा और प्रवेश – संबंधी अनुचित पद्धतियों को कम करेगा।

वित्तीय कार्यनीति

वित्तीय प्रवृत्तियों की समीक्षा

21.316. भारत, अपने तेजी से बढ़ रहे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को निधीयन की विशाल चुनौती का सामना करता है। कुल मिलाकर,

देश ने वर्ष 2011–12 में उच्चतर शिक्षा पर अपने जीडीपी का लगभग 1.22 प्रतिशत खर्च किया। निजी क्षेत्र द्वारा घरेलू खर्च और निवेश, हाल के वर्षों में उच्चतर शिक्षा पर सरकारी खर्च से अधिक तेजी से बढ़े हैं। सरकारी खर्च और विशेष रूप से राज्य सरकार का खर्च तंत्र के नाटकीय विस्तार तथा गुणवत्ता, साम्या और पहुंच के संदर्भ में लोगों की बढ़ रही प्रत्याशाओं के रूप में निधीयन आवश्यकता से बहुत कम हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से उच्चतर शिक्षा को निधीयन करती हैं। केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है, जबकि राज्य सरकारें, शेष 70 प्रतिशत को अधिकांशतः, गैर – योजना शीर्ष के अंतर्गत खर्च करती हैं। तालिका 21.13, देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के निधीयन उत्तरदायित्वों को प्रदर्शित करती है।

21.317. कुल मिलाकर, राज्य संस्थानों का केंद्रीय निधीयन अपर्याप्त है। साथ ही साथ राज्य तंत्रों ने केंद्रीय संस्थानों से 15 गुणा अधिक विद्यार्थियों का नामांकन किया, लेकिन ग्यारहवीं योजना के दौरान योजना अनुदानों का केवल एक तिहाई प्राप्त किया। केंद्रीय योजना निधियों का आधा (20,630 करोड़ रुपए) केंद्रीय संस्थानों को जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और पॉलीटेक्नीक्स केवल लगभग 10,446 करोड़ रुपए प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय संस्थानों ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान गैर-योजना अनुदानों के रूप में लगभग 25,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जबकि राज्य संस्थान कोई गैर-योजना अनुदान प्राप्त नहीं करते। परिणामस्वरूप, राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करते हैं जिसका परिणाम अकसर निम्न गुणवत्ता होता है।

21.318. उच्चतर शिक्षा पर सरकारी खर्च, कुछ वर्षों से नियमित रूप से बढ़ा है। केंद्रीय योजना खर्च, वर्ष 2005–06 में 1,600 करोड़ रुपए

तालिका 21.13

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए निधीयन उत्तरदायित्व

निधीयन उत्तरदायित्व	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
केंद्र सरकार (योजना और गैर-योजना दोनों)	152	69
केंद्र सरकार (यूजीसी द्वारा केवल राज्य संस्थानों हेतु योजना)	144	6,285
राज्य सरकार (योजना और गैर-योजना दोनों)	316	13,024
केंद्र अथवा राज्य सरकारों से गैर-निधीयन	191	19,930

स्रोत: योजना आयोग

से 13,100 करोड़ रुपए (आठ गुणा से अधिक) तक सर्वाधिक तेजी से बढ़ा है, जबकि राज्य योजना निधीयन बहुत कम बढ़ा है। जबकि गैर-योजना पर केंद्रीय खर्च ढाई गुणा बढ़ा लेकिन इसी अवधि के दौरान राज्य गैर-योजना निधीयन मात्र लगभग दोगुणा हुआ। अतः, राज्य सरकार का खर्च, केंद्रीय खर्च से मद गति से बढ़ता रहा है और निधीयन स्तरों में वृद्धि, राज्य उच्चतर शिक्षा तंत्रों के तीव्र विस्तार से सदृश नहीं है।

21.319. कुल योजना परिव्यय में शिक्षा का हिस्सा दसवीं योजना में मात्र 6.7 प्रतिशत से बढ़कर ग्यारहवीं योजना के लिए 19.4 प्रतिशत हो गया है, जिसमें उच्चतर शिक्षा के लिए 30 प्रतिशत विनिर्दिष्ट था। यह दसवीं योजना से नौ-गुणा वृद्धि थी – दसवीं योजना के दौरान 96,00 रुपए के मुकाबले 84,943 रुपए। ग्यारहवीं योजना के दौरान वास्तविक व्यय 39,647 करोड़ रुपए (योजना परिव्यय का 45.6 प्रतिशत) रहा है। यह मुख्यतः इस तथ्य के कारण हुआ था कि निधियां, अनुमोदित परिव्ययों के अनुसार आबंटित नहीं की गई थीं। यह नोट करना उचित होगा कि ग्यारहवीं योजना में प्रारंभ की गई गतिविधियों के लिए 53,200 करोड़ रुपए से अधिक का वचनबद्ध निवेश है। इसका एक बड़ा भाग ग्यारहवीं योजना के दौरान स्थापित किए गए नए केंद्रीय संस्थानों में होगा, जहां अब तक निवेश बहुत कम रहा है।

बारहवीं योजना कार्यनीति

21.320. बारहवीं योजना में निर्धारित किए गए विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने और बहुविध उद्देश्यों के संबंध में वितरण हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए बड़े निवेश, महत्वपूर्ण रूप से अपेक्षित हैं। यह निवेश, सार्वजनिक और निजी, दोनों स्रोतों से तथा केंद्र और राज्य दोनों के राजकोषों से होने चाहिए। उच्चतर शिक्षा हेतु केंद्रीय योजना निधियों की भूमिका केवल केंद्रीय संस्थानों के पुनरुद्धार हेतु ही महत्वपूर्ण नहीं है, ताकि वे तीन ई प्रदान करने में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिकाएं निभा सकें, बल्कि उच्चतर शिक्षा के संपूर्ण तंत्र में वांछित परिवर्तन को करने में भी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्यायन और निधीयन निकायों और कार्य तंत्रों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण करने में भारी निवेश शामिल होंगे, ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्यनीतिक केंद्रीय भूमिकाओं को ग्रहण कर सकें। बेहतर कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए निवेशों सहित केंद्रीय योजना निधियों में निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि अनिवार्य है।

21.321. बारहवीं योजना, निधीयन में मांग – आधारित अनुदानों और निवेश – आधारित बजट बनाने से नियामक और हकदारी

– आधारित अनुदानों और परिणाम आधारित बजट बनाने पर निदर्शनात्मक परिवर्तन का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए, रेखा – मद बजटों के स्थान पर समुचित अनुदान होने चाहिए और योजना आबंटन, संस्थानों द्वारा तैयार की गई दीर्घकालिक कार्यनीतिक योजनाओं पर आधारित होने चाहिए। परिणामतः, वार्षिक निधीयन को संस्थानों की कार्यनीतिक योजनाओं में निर्धारित किए गए उद्देश्यों और लक्ष्यों के समक्ष उनके कार्य-निष्पादन से संबद्ध किया जाना चाहिए। बदले में, संस्थानों को अपने वित्तीय विवरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के द्वारा अपने वित्तीय कार्य-निष्पादन और निधियों के उपयोग के बारे में पूर्ण पारदर्शिता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सभी संस्थानों को आईसीएआई द्वारा हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखांकन मानकों का क्रियान्वयन करना चाहिए जो कि वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए एकसमान प्रपत्र निर्धारित करता है।

सार्वजनिक निधीयन

21.322. केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों से निधीयन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है और बारहवीं योजना के दौरान इसके उपयोग की दक्षता में सुधार हुआ है। यह योजना, उच्चतर शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को वर्तमान 1.22 प्रतिशत से जीडीपी के 1.5 प्रतिशत तक पहुंचाने पर लक्षित होने चाहिए। इसके लिए, केंद्र सरकार को अधिक राज्य निधीयन को प्रोत्साहित करने और व्यय में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अपनी योजना निधियों का उपयोग कार्यनीतिक ढंग से करना होगा।

21.323. बारहवीं योजना के दौरान, राज्यों को उच्चतर शिक्षा हेतु कार्यनीतिक योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसी योजनाएं व्यापक होनी चाहिए और इनमें स्कूल तंत्र में सुधारों सहित बड़े मांग दबाव और अर्थव्यवस्था तथा श्रमिक बाजार से अधिक योग्य लोगों की बड़ी आवश्यकता पर एक समग्र विचार किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजनाओं के संयुक्त निधीयन के लिए एक संस्थागत कार्यतंत्र विकसित किया जाएगा और निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त समीक्षा कार्यतंत्र होगा। केंद्रीय निधीयन को राज्य तंत्र के अभिशासन और शैक्षिक सुधारों से संबद्ध किया जाएगा, जो कि समस्त तंत्र क्षमता का निर्माण करने पर बल देगा।

संस्थागत शुल्क संरचना

21.324. जबकि, लगभग 60 प्रतिशत विद्यार्थी निजी असहायता प्राप्त संस्थानों में नामांकित होते हैं और पूरा शुल्क अदा करते हैं तथा

शेष 40 प्रतिशत सार्वजनिक – निधिक संस्थानों में नामांकित होते हैं और सामान्यतया बहुत कम शुल्क देते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से जो दिल्ली आधारित हैं, ने दशकों से शुल्क नहीं बढ़ाया है, जबकि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों ने शुल्क को यथोचित स्तरों तक बढ़ाया है। शुल्क के निम्न स्तरों का बनाए रखना धारणीय नहीं है, दरअसल, यह प्रतिगामी है चूंकि यह अकसर अधिक सम्पन्न विद्यार्थियों को लाभ देने पर अभिमुख है। बढ़ती सम्पन्नता, घरेलू आय और मजबूत परिवार मूल्यों के बढ़ने के साथ अधिक से अधिक घर अब अधिक शुल्क देने के लिए इच्छुक हैं। अतः, शुल्क बढ़ाते की प्रक्रिया, जो कि आईआईएम और आईआईटी जैसे सर्वोत्कृष्ट केंद्रों के साथ प्रारंभ हुआ जो हाल के वर्षों में अपने शुल्क को बढ़ा रहे हैं, को जारी रखा जाना चाहिए और यथोचित स्तरों तक लाया जाना चाहिए। यह, अंततः सभी केंद्रीय संस्थानों को शामिल करेगा। इसी प्रकार, राज्य सरकारों को भी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यथोचित और धारणीय स्तरों तक शुल्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शुल्क निर्धारण से संबंधित मामलों में निजी संस्थानों को कुछ नम्यता भी प्रदान की जानी चाहिए जो कि संभाव्य विद्यार्थियों को गुणवत्ता और शुल्क स्तरों के बारे में विश्वसनीय सूचना की पारदर्शिता और प्रावधान से युक्त होना चाहिए।

अन्य स्रोतों से आय

21.325. संस्थानों को वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी शुल्क आय का एकमात्र स्रोत न रहे। उन्हें, अनुसंधान, परामर्श और/अथवा प्रशिक्षण परियोजनाओं हेतु बाह्य ठेकों। अनुदानों के माध्यम से विविध पणधारियों से निधीयन मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बाह्य निधीयन का पार्श्वचित संस्थागत प्रकारों में भिन्न होगा, जिनमें से कुछ प्रत्यक्ष अनुज्ञापति प्रदान करने से आय प्राप्त करते हैं जबकि अन्य अल्प पाठ्यक्रमों अथवा परामर्श अथवा प्रशिक्षण द्वारा भी बड़ी आय प्राप्त करते हैं। देश में शिक्षा क्षेत्र में दान को प्रोत्साहित करने और परोपकार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक कार्यवाहिका विकसित किए जाने की भी आवश्यकता है। विश्व भर में, व्यक्तिगत और सामूहिक दान शैक्षणिक संस्थानों हेतु आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, ऐसी पद्धति को सरकार द्वारा प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना चाहिए। व्यक्तियों और समूहों से निधियां प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार और निष्पादित करने के लिए अधिकार सम्पन्न समितियां स्थापित करने पर बल दिया जा सकता है। ऐसी निधियों को विशिष्टता वाले विषयों हेतु सृजित और चलाए जा रहे अनुसंधान केंद्रों जैसी

विशिष्ट परियोजनाओं के प्रयोजन हेतु परिनियोजित करने पर लक्षित किया जा सकता है।

बारहवीं योजना परिव्यय

21.326. बारहवीं योजना के दौरान, मौजूदा संस्थानों की क्षमता बढ़ाकर विस्तार करने, साम्यता पहलों को बेहतर लक्ष्य बनाने पर बल दिया जाएगा तथा गुणवत्ता में सुधार करने और उत्कृष्टता को बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाएगा। केंद्रीय संस्थानों, विशेषकर ग्यारहवीं योजना में स्थापित किए गए नए संस्थानों, को महत्वपूर्ण जनसमूह प्राप्त करने के लिए आधारभूत अवसंरचना एवं सुविधाएं विकसित करने और एक अर्थपूर्ण प्रभाव डालने के लिए आने वाले कुछ वर्षों में बड़े निवेशों की आवश्यकता पड़ेगी। एचईआई का बड़ा भाग गठित करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बहुत कम निधियां प्रदान की जाती हैं और वे अत्यधिक गुणवत्ता के अभाव को झेलती हैं। राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए केंद्रीय निधीयन में क्वांटम जम्प पर विचार किया गया है। इस निधीयन का शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों को करने, चुनौतियों का निराकरण करने और उच्चतर शिक्षा हेतु संपूर्ण राज्य योजनाओं में अंतरालों को कम करने के लिए कार्यनीतिक ढंग से उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा हेतु बृहत – स्तरीय परितंत्र के सृजन के लिए एक पृथक परिव्यय रखा गया है। विभिन्न साम्यता – संबंधी पहलों के साथ-साथ सरकार – समर्थित गारंटी के माध्यम से छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋणों तक पहुंच को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने हेतु पुनर्स्थापित विद्यार्थियों की वित्तीय सहायता कार्यक्रम के लिए बृहत परिव्यय की आवश्यकता है।

21.327. इसके अतिरिक्त, एचआरडी मंत्रालय, यूजीसी और एआईसीटीई की अन्य जारी स्कीमों और पहलें हैं, जिनके लिए बृहत परिव्ययों की आवश्यकता है। इनमें फ्लेक्सी निधियों का प्रावधान भी शामिल होगा। समेकन और गुणवत्ता में सुधार करने तथा पहुंच, साम्यता और उत्कृष्टता की चुनौतियों का निराकरण करने हेतु केंद्रीभूत हस्तक्षेपों पर अधिक बल दिया जाएगा। कुल मिलाकर, बारहवीं योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए 1,10,700 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। यह, ग्यारहवीं योजना में परिव्यय से मात्र 30 प्रतिशत ही अधिक है, फिर भी यह, ग्यारहवीं योजना में वास्तविक व्यय के ढाई गुणे से अधिक है। ग्यारहवीं योजना के दौरान खर्च करने की कामियों सहित दोगुणी हुई उन्नत स्कूलिंग से प्रेरित होकर बेहतर उच्चतर शिक्षा की बढ़ी रही मांग के कारण ऐसी महत्वपूर्ण वृद्धि को तर्कसंगत ठहराया गया है। इस परिव्यय का एक विस्तृत आव्यूह परिशिष्ट में दिया गया है।

21.328. बारहवीं योजना परिव्ययों में ग्यारहवीं योजना में हुई वास्तविक व्यय से लगभग दो तिहाई वृद्धि के लिए निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्र जिम्मेवार हैं:

1. राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय (पॉलीटेक्नीक सहित),
2. साम्यता पहल (विद्यार्थी वित्तीय सहायता सहित),
3. केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं संस्थान, और
4. अनुसंधान एवं नवाचार पहल।

कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन

कार्यान्वयन कार्य संरचना

21.329. बारहवीं योजना के दौरान किए गए विशिष्ट हस्तक्षेपों को योजना दस्तावेज में उल्लिखित विस्तृत कार्यनीति के अनुरूप किया जाएगा। कार्यविधिक गत्यावरोधों पर काबू पाने के लिए अधिकार सम्पन्न समितियों के एक तंत्र को आवश्यकतानुसार परिनियोजित किया जाएगा। मंत्रालयों और अभिकरणों के बीच समन्वयन हेतु नई संरचनाएं और संस्थागत कार्यतंत्र भी सृजित किए जाएंगे।

21.330. बारहवीं योजना का कार्यान्वयन कार्य संरचना निम्नलिखित पर लक्षित है:

1. विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता को अंतर – संबद्ध करना और उन कार्यक्रमों पर बल देना जो ऐसे स्थान के रूप में कार्य करते हैं जिनमें एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।
2. अंतर विधायी कार्रवाई बिंदुओं पर बल देते हुए तकनीकी शिक्षा से उच्चतर शिक्षा को पृथक करने वाली दीवारों को गिराना।
3. राज्य संस्थानों की औसत गुणवत्ता में सुधार करने के संबंध में विस्तार करने और बल देने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में राज्य शिक्षा तंत्रों को मान्यता देना।
4. यह पहचानना कि विविध वंचित समूह विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का सामना करते हैं तथा उन्हें विशिष्ट रूप से लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।
5. व्यक्ति – संकेंद्रित साम्यता स्कीमों हेतु मुख्य माध्यम के रूप में विद्यार्थी वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का पुनरुद्धार।
6. यह पहचानना कि उत्कृष्टता को बढ़ाना एक बहुत – आयामी चुनौती है जिसके लिए अनेक स्तरों पर समकालिक कार्रवाई अपेक्षित होती है।
7. अम्ब्रेला राष्ट्रीय पहलों के अंतर्गत स्कीमों के समूह के द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को अधिक सुनम्यता प्रदान करना।

निगरानी और मूल्यांकन

21.331. कार्यान्वयन कार्यसंरचना के आधार पर विभिन्न लक्ष्यों के लिए कार्यनीतिक सूचकों को विकसित करना आवश्यक हो जो स्पष्टतः पहचान करते हों कि क्या मापा जाएगा। बारहवीं योजना लक्ष्यों, वार्षिक और संचयी, की उपलब्धि की निगरानी बारहवीं योजना की शुरुआत में आधार – रेखा आंकड़े पर की जा सकती है। निगरानी निधियों के प्रवाह और उनके उपयोग तक सीमित नहीं होगी बल्कि इसमें परिणामों और प्रभाव हेतु कार्यक्रमों और पहलों का मूल्यांकन भी शामिल होगा। इस प्रयोजन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरणों और अनुसंधाकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न मानदंडों पर संस्थागत कार्य-निष्पादन के संबंध में आंकड़े एकत्रित, समेकित और सहभाजित किए जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने, विद्यार्थी अनुभव सर्वेक्षण संचालित करने और विद्यार्थियों के देशांतरीय अध्ययन प्रारंभ करने, चूंकि वे शैक्षणिक चक्र से होते हुए कार्य-स्थान में स्थानांतरित होते हैं, की पद्धति प्रारंभ की जानी चाहिए। भारतीय उच्चतर शिक्षा को वैश्विक रूप से निर्धारित करने के लिए भारत को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों और मूल्यांकनों में अधिक सक्रिय ढंग से भागीदारी करनी चाहिए।

उच्चतर शिक्षा डेटाबेस प्रबंधन तंत्र

21.332. देश में साक्ष्य आधारित नीति तैयार करने और प्रभावी आयोजना हेतु वर्तमान और व्यापक डेटा की कमी है। पूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और प्रवृत्तियों सहित उच्चतर शिक्षा के परिदृश्य के संबंध में एक व्यापक डेटा पुस्तक प्रकाशित करना महत्वपूर्ण होगा। इसमें समय और भूगोल के बीच डेटा को शामिल किया जा सकता है और इसमें दोनों राज्य – स्तरीय ब्यौरे और अंतर – सांसारिक प्रवृत्तियां भी समाविष्ट होनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा संबंधी डेटा एकत्रण को हाल में यूनेस्को द्वारा अंतिम रूप दिए गए शैक्षणिक डेटा के अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के अनुरूप किया जाना चाहिए। देश में संस्थागत परिदृश्य की बेहतर समझ पाने के लिए एचईआई का वर्गीकरण कार्यवाही भी आवश्यक होगा।

21.333. केंद्र सरकार, अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण संचालित कर रही है। यह, उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और व्यापक उच्चतर शिक्षा डेटा प्रबंधन तंत्र सृजित करने की दिशा में प्रथम कदम हो सकता है। एक केंद्रित वेब – आधारित उच्चतर शिक्षा डेटा प्रबंधन के लिए विद्यार्थी नामांकनों और अन्य कार्यनीतिक सूचकों। महत्वपूर्ण माप सिद्धांत के संबंध में सामयिक और विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराने का दायित्व शैक्षणिक संस्थानों, चाहे सार्वजनिक हो अथवा निजी, का होना चाहिए। वेब आधारित उच्चतर शिक्षा डेटा प्रबंधन प्रणाली का एचईआई

की प्रगति की खोज करने और एचईआई के उन्नत कार्य-निष्पादन तक लाने वाले विभिन्न विश्लेषणों को करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा डेटा प्रबंधन प्रणाली का सर्वेक्षण संचालित करने और शैक्षणिक संस्थानों से अतिरिक्त डेटा प्राप्त करने में उपयोग किया जा सकता है, जिसका केंद्रीय, राज्यीय और संस्थागत स्तरों पर उच्चतर शिक्षा आयोजना हेतु निवेशों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उच्चतर शिक्षा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली राष्ट्रीय शैक्षिक न्यासी, आयोजना निकायों, अनुसंधान इकाइयों, विद्यार्थियों और अन्य शैक्षिक निकायों जैसी विभिन्न पणधारियों को वांछित डेटा भी उपलब्ध करा सकती है।

उच्चतर शिक्षा नीति अनुसंधान

21.334. भारत में कोई प्रमुख उच्चतर शिक्षा अनुसंधान केंद्र अथवा इस महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रीभूत अनुसंधानकर्ताओं का समूह नहीं है। उच्चतर शिक्षा को एक शैक्षिक विषय के रूप में भारतीय विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय उच्चतर शिक्षा के बारे में विश्वस्त, विश्वसनीय, तथ्य – आधारित, निष्पक्ष, विचारधारा – तटस्थ नीति सूचना का अभाव है। उच्चतर शिक्षा संबंधी उच्चतर गुणवत्ता नीति अनुसंधान हेतु एक पारितंत्र का सृजन करना देश के लिए महत्वपूर्ण है। बारहवीं योजना में, ऐसी अनुसंधान गतिविधि के लिए सुविज्ञता वाले संस्थानों में अवस्थित उच्चतर शिक्षा अनुसंधान हेतु केंद्रों का एक तंत्र सृजित किया जाएगा।

21.335. निष्कर्ष में, यह अत्यावश्यक है कि बारहवीं योजना के दौरान देश उच्चतर शिक्षा का जीर्णोद्धार प्रारंभ करे और एक सख्त, गुणवत्ता – प्रेरित तंत्र सृजित करे, जो समाज के सभी वर्गों तक अभिगम्य हो। यह, मात्र देश का आर्थिक विकास जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह संसक्ति और देश के युवा लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। उच्चतर शिक्षा के ऐसे तंत्र का निर्माण करने के लिए वर्तमान तंत्र की कमियों और समस्याओं का स्पष्ट उच्चारण, समाधानों की एक सहभाजित समझ और इन समाधानों को कार्यान्वित करने के लिए उच्चतर शिक्षा में विभिन्न पणधारियों के प्रयासों का सुयोजन अपेक्षित है। इस अध्याय ने देश में उच्चतर शिक्षा के सांस्कृतिक, नीति, कार्यनीतिक और प्रचालनात्मक परिवेश में ऐसे निदर्शन अंतरण को प्रभावित करने के लिए आवश्यक व्यापक सर्वांगी परिवर्तनों की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

वित्तीय संसाधन

21.336. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए निर्देशात्मक बारहवीं पंचवर्षीय योजना सकल बजटीय सहायता 4,53,728 करोड़ रुपए है। विभाग-वार आबंटन तालिका 21.14 में नीचे दिए गए हैं:

तालिका 21.14
बारहवीं योजना हेतु सकल बजटीय सहायता

	करोड़ रुपए
स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग	343.028
जिसमें से	
1. सर्व शिक्षा अभियान	1,92,726
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	27,466
3. एमडीएमएस	90.155
4. अन्य	32.6821
उच्चतर शिक्षा विभाग	1,10,700
जिसमें से	
1. केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय निधिक संस्थान	45,000
2. राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, आरयूएसए सहित	25,000
3. साम्यता पहलें (विद्यार्थी वित्तीय सहायता सहित)	7,000
4. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	2,000
5. अनुसंधान और नवाचार पहलें	3,000
6. पॉलीटेक्नीक और समुदाय महाविद्यालयों सहित कौशल – आधारित उच्चतर शिक्षा का विस्तार	5,000
7. आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी)	4,000
8. शिक्षण गुणवत्ता सुधार पहलों सहित राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	2,000
9. मुक्त और दूर – शिक्षण	700
10. यूजीसी (फ्लेक्सी निधियों सहित विभिन्न स्कीमें)	10,000
11. एआईसीटीई (फ्लेक्सी – निधियों सहित विभिन्न स्कीमें)	5,000
12. अन्य पहलें (भाषा विकास, पुस्तक प्रचार एवं प्रतिलिप्यधिकार, अंतरराष्ट्रीयकरण, आयोजना और अन्य सहित)	2,000

स्रोत: योजना आयोग

नोट

1. जिनी गुणांक असमानता का एक माप है। शून्य मान परिपूर्ण असमानता दर्शाते हैं जहां सभी मान समान होते हैं जबकि एक का मान अधिकतम असमानता दर्शाता है।
2. अल्प-वयस्क और अधिक-वय बच्चों सहित विनिर्दिष्ट आयु वर्गों में बाल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कुल नामांकन।
3. विनिर्दिष्ट आयु-वर्ग में आकलित बाल जनसंख्या के आयु विशिष्ट नामांकन की प्रतिशतता।
4. डीआईएसई, 2010-11
5. आईएमआरबी, 2009
6. आईएमआरबी, 2005, 2009, एएसईआर ग्रामीण, 2011
7. एएसईआर, 2011
8. एएसईआर, 2011
9. यूनेस्को (यूएनईएससीओ), 2010
10. एएसईआर, 2010
11. एनएसएस, 2007-08
12. वैश्विक तौर पर 18-22 आयु वर्गों में नामांकन का उपयोग जीईआर मापने के लिए किया जाता है। वैश्विक परिभाषा का उपयोग करते हुए जीईआर, वर्ष 2008-08 में 15.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 20.2 प्रतिशत हो गया।
13. ओडीएल कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों को प्रत्येक सत्र/वर्ष में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। वे सामान्यता, नियमित कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों द्वारा अपने अध्ययनों को पूर्ण करने से अधिक समय लेते हैं और ओडीएल विद्यार्थियों का एक बड़ा अनुपात, पारम्परिक आयु वर्ग के विद्यार्थियों से पुराना है और उनमें से कुछ को नियमित कार्यक्रमों में भी नामांकित किया जा सकता है।
14. यह सर्वेक्षण, बोस्टन विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा केंद्र और अर्थशास्त्र उच्चतर विद्यालय (एस) की संस्थागत विश्लेषण प्रयोगशाला (एलआईए) द्वारा संचालित किया गया था। <http://acarem.hse.ru/> देखें।

रोजगार और कौशल विकास

रोजगार

22.1. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए कार्य करने की उदार परिस्थितियों में बढ़ती श्रम शक्ति को समायोजित करने के लिए उत्पादक और लाभकारी रोजगार का पर्याप्त पैमाने पर उत्पादन एक महत्वपूर्ण तत्व था। ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य प्रक्षेपित अतिरिक्त श्रम शक्ति से अधिक कार्य के उत्पादन द्वारा बेरोजगारी को समग्र रूप से कम करना रहा। एनएसएस के 66वें दौर (2009-10) के परिणाम दर्शाते हैं कि 2004-05 और 2009-10 के बीच सीडीएस आधार पर 18 मिलियन नए कार्य अवसर सृजित किए गए थे। परम संदर्भों में बेरोजगारी 6.3 मिलियन तक कम हुई और 1993-94 के बाद से पहली बार 2009-10 में 6.6 प्रतिशत तक कम बेरोजगारी दर दर्शाई गई जो 1999-2000 में बढ़ कर 7.31 प्रतिशत और 2004-05 में 8.28 प्रतिशत हो गई। यूपीएसएस आधार पर भी इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी की दर 2004-05 में 2.3 प्रतिशत से घट कर 2009-10 में 2 प्रतिशत हो गई। समग्र श्रम शक्ति में केवल 11.7 प्रतिशत का विस्तार हुआ। श्रम शक्ति में यह वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में कम थी। यद्यपि यह एक सकारात्मक विकास है क्योंकि इससे विद्यालयों और महाविद्यालयों में युवाओं को अधिक समय प्रतिधारित करने में योगदान मिल सकता है और साथ ही कामकाजी आयु की महिलाओं की भागीदारी द्वारा श्रमिक कठिनाई में कमी आ सकती है क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवार की आय में सुधार हुआ है।

22.2. भारत में पिछले दशक में रोजगार के लचीलेपन में दशक 1999-2000 से 2004-05 के पहले अर्ध में 0.44 की कमी आई है और यह दशक के दूसरे अर्ध में 2004-05 से 2009-10 के दौरान 0.01 रहा है। यही रुझान क्षेत्रगत विकास, जो हैं कृषि, सेवा, विनिर्माण क्षेत्र, देखा गया है। दशक के दूसरे अर्ध में कृषि और

विनिर्माण रोजगार का लचीलापन ऋणात्मक रहा है। कृषि में रोजगार के ऋणात्मक लचीलेपन से लोगों का कृषि कार्य से बाहर आकर अन्य क्षेत्रों में जाना दर्शाया गया, जहां पारिश्रमिक की दरें अधिक हैं। उत्पादक और लाभकारी रोजगार के लिए इन अधिदेश श्रमिकों का अन्य क्षेत्रों में यह प्रवास समावेशी वृद्धि के लिए अनिवार्य है। जबकि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का ऋणात्मक लचीलापन खास तौर सरोकार रखने का कारण है, जब इस क्षेत्र में 11वीं योजना के दौरान परिणाम में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की गई।

श्रम शक्ति और कार्य बल भागीदारी की दरों के रुझान

रोजगार के मात्रात्मक आयाम

22.3. श्रम शक्ति, कार्यबल में शहरी - ग्रामीण, पुरुष-महिला और क्षेत्रगत स्तर पर रुझानों में रोजगार के मात्रात्मक आयाम देखे गए। तालिका 22.1 में दशक 1999-2000 और 2009-10 के दौरान श्रम शक्ति दरें (एलएफपीआर) और कार्यबल भागीदारी दरें (डब्ल्यूएफपीआर) दी गई हैं। यह आबादी में वृद्धि के बावजूद पिछले दशक के दूसरे अर्ध में एलएफटीआर में देखी गई कमी के रूप में उभरे हैं। पुनः यह प्रकट होता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही एलएफपीआर और डब्ल्यूएफपीआर में दशक के दूसरे अर्ध में एक कमी रही है। महिला एलएफपीआर और डब्ल्यूएफपीआर में ग्रामीण भारत में खास तौर पर बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखा गया है। दशक के प्रथम अर्ध के दौरान एलएफपीआर और डब्ल्यूएफपीआर में वृद्धि कृषि की कठिनाइयों का परिणाम हो सकता है, जिससे घर की आय में कमी आई और महिलाओं को मजबूरी वश श्रम शक्ति में जाना पड़ा। चूंकि श्रम शक्ति में प्रवेश करने वाली सभी महिलाओं को रोजगार नहीं मिला, अतः दशक के पहले अर्ध को बेरोजगारी की दर में एक वृद्धि के रूप में लाक्षणिकृत किया गया। परम संदर्भों में दशक

तालिका 22.1

सामान्य प्रधान भागीदारी और सहायक स्थिति द्वारा एलएफपीआर और डब्ल्यूएफपीआर, 1999-2000, 2004-05 और 2009-10 (प्रतिशत) तक - व्यक्ति

	यूपीएसएस द्वारा 1999-2000, 2004-05 और 2009-10 की एलएफपीआर, डब्ल्यूएफपीआर और बेरोजगारी दर								
	एलएफपीआर			डब्ल्यूएफपीआर			यूआर		
	1999-2000	2004-05	2009-10	1999-2000	2004-05	2009-10	1999-2000	2004-05	2009-10
ग्रामीण	42.3	44.6	41.4	41.7	43.9	40.8	1.5	1.7	1.6
शहरी	35.4	38.2	36.2	33.7	36.5	35	4.7	4.5	3.4
सभी		43	40	39.7	42	39.2		2.3	2

स्रोत: एनएसएस का 55वां, 61वां और 66वां दौर।

के पहले अर्ध में कृषि के तहत 20 मिलियन श्रमिकों (238 मिलियन से 258 मिलियन तक) की वृद्धि देखी गई। श्रम शक्ति में धीमी वृद्धि और इस प्रकार कार्यबल में भी इसके धीमे होने का कारण 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद पुरुष और महिला दोनों वर्गों द्वारा शिक्षा में बढ़ती भागीदारी हो सकता है।

22.4. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति और कार्य बल की वृद्धि की दिशा में एक बड़ा विचलन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति में 2004-05 में 6.8 मिलियन से 348.7 मिलियन तक और 2009-10 में 341.9 मिलियन तक की आंशिक गिरावट आई है। कार्य बल के आकार में भी समान प्रकार के रुझान दर्शाए गए हैं। कार्य बल में ग्रामीण क्षेत्र में 2004-05 में 342.9 मिलियन से घट कर 2009-10 के दौरान 336.4 मिलियन तक की गिरावट हुई है, जिसमें 6.5 मिलियन की कमी दर्शाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में श्रम शक्ति और कार्य बल में इस गिरावट पर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य नए अवसरों तथा मनरेगा कार्यक्रम का प्रभाव बढ़ा है। कृपया तालिका 22.2 देखें।

22.5. शहरी क्षेत्र में ये रुझान एक पूरी तरह अलग तस्वीर दर्शाते हैं। श्रम शक्ति का आकार 2004-05 में 6.6 मिलियन से 120.3 मिलियन से बढ़ कर 2009-10 में 126.9 मिलियन तक पहुंच गया। शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 में 7.6 मिलियन से 115 मिलियन तक की श्रम शक्ति 2009-10 में 122.6 मिलियन तक पहुंच गया। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की संख्या 2004-05 में 5.9 मिलियन से कम होकर 2009-10 में 5.5 मिलियन तथा शहरी क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान 5.4 मिलियन से कम होकर 4.3 मिलियन रह गई, जिससे संकेत मिला कि शहरी क्षेत्र में यह कमी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक तीव्र थी। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की दरों में 2004-05 में 1.7 प्रतिशत से लेकर 2009-10 में 1.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 4.5 से 3.4 प्रतिशत की आंशिक कमी भी हुई है (तालिका 22.1)।

22.6. वर्ष 1993-94 में 6.06 प्रतिशत से वर्ष 1999-2000 में 7.31 प्रतिशत और पुनः 2004-05 में 8.2 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। यह 2009-10 में 6.6 प्रतिशत तक गिर गई। यूपीएसएस बेरोजगारी की दर में 2004-05 में 2.3 प्रतिशत से 2009-10 में 2 प्रतिशत तक की

तालिका 22.2

व्यक्तियों की अनुमानित संख्या मिलियन में

		एनएसएस (2004-05) का 61वां दौर		एनएसएस (2009-10) का 66वां दौर	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
सामान्य स्थिति	श्रम शक्ति	348.7	120.3	341.9	126.9
(पीएस + एसएस)	कार्य बल	342.9	115	336.4	122.6
	बेरोजगार	5.9	5.4	5.5	4.3

स्रोत: एनएसएस का 61वां और 66वां दौर।



स्रोत: एनएसएस के दौर।

चित्र 22.1: बेरोजगारी दर के रुझान

तालिका 22.3
बेरोजगारी, पारिश्रमिक और खपत व्यय, 1993-94 - 2009-10

	बेरोजगारी दर (प्रतिशत) (सीडीएस)	वेतन और मजदूरी		खपत	
		नियमित	आकस्मिक	ग्रामीण	शहरी
		(पुरुष ग्रामीण श्रमिकों के लिए प्रतिदिन रु.)		प्रति व्यक्ति मासिक (रु.)	
1993-94	6.06	58.48 (33.23)	23.18 (13.17)	281.4 (159.9)	458.04 (264.8)
1999-00	7.31	127.32 (46.98)	45.48 (16.78)		
2004-05	8.2	144.93 (45.43)	55.03 (17.25)	558.78 (175.2)	1,052.36 (311.3)
2009-10	6.6	249.15 (50.44)	101.53 (20.55)	927.7 (187.8)	1,785.81 (355.0)

स्रोत: एनएसएस के दौर

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े स्थिरांक मूल्य पर हैं। कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई से उत्पन्न ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आधार 1986-87 = 100 है और शहरी गैर मैन्युअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई से उत्पन्न शहरों के लिए आधार 1984-85 = 100 है।

कमी आई। महिलाओं के लिए एलएफपीआर में यह कमी और पुरुषों के लिए कार्यबल भागीदारी की दरों में वृद्धि उनके पारिश्रमिकों में वृद्धि का संकेत हैं। तालिका 22.3 में बताया गया है कि नियमित वेतन पाने वाले पुरुष ग्रामीण श्रमिकों के पारिश्रमिक में लगभग 51 प्रतिशत और दैनिक श्रमिकों के लिए 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तालिका 22.3 से यह भी पता चलता है कि पारिश्रमिक में 1993-94 से 2009-10 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खपत में क्रमशः 17.4 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

22.7. पुरुषों के लिए रोजगार और पारिश्रमिक में इस वृद्धि से खपत में भी तेजी से वृद्धि हुई है। खपत पर एनएसएस आंकड़ों के

अनुसार (एनएसएस 66वां दौर) ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति खपत का व्यय 2004-05 से 2009-10 के पांच वर्षों में प्रति वर्ष 1.4 प्रतिशत वास्तविक संदर्भ में और 1993-94 से 2004-05 की अवधि में प्रति वर्ष 0.8 प्रतिशत की दर पर बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों के लिए समान अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति व्यय 1993-04 और 2004-05 के दौरान 1.47 प्रतिशत से बढ़ कर 2004-05 और 2009-10 के दौरान 2.67 प्रतिशत तक तेजी से बढ़ा है। रोजगार और बेरोजगारी के संकेतों की संकल्पनात्मक रूपरेखा बॉक्स 22.1 में दर्शाई गई है।

22.8. रोजगार के क्षेत्रगत हिस्सों में यह उभर कर आया है कि कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी दशक की शुरुआत में 59.9 प्रतिशत से

बॉक्स 22.1

प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों की संकल्पनात्मक रूपरेखा

गतिविधि स्थिति का निर्धारण करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण: कुछ निर्दिष्ट संदर्भ अवधियों के दौरान व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई गतिविधियों के आधार पर। इसमें तीन संदर्भ अवधियां हैं अर्थात् (1) एक वर्ष (2) एक सप्ताह और (3) संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन। इन तीन अवधियों के आधार पर, गतिविधि स्थिति के तीन विभिन्न उपाय ज्ञात किए गए हैं। इन्हें क्रमशः सामान्य स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति और वर्तमान दैनिक स्थिति कहा जाता है।

सामान्य गतिविधि स्थिति: गतिविधि की वह स्थिति जब एक व्यक्ति सापेक्ष रूप से सर्वेक्षण की तिथि के 365 दिन पहले की तिथि के दौरान लंबा समय बिताता है, इसे व्यक्ति की सामान्य प्रधान गतिविधि स्थिति कहा जाता है।

सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति: एक व्यक्ति जिसकी प्रधान सामान्य स्थिति का निर्धारण मुख्य समय मानदण्ड के आधार पर किया जाता है, जिसमें सर्वेक्षण की तिथि के 365 दिन पहले की संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिनों के लिए कुछ आर्थिक गतिविधि की गई। वह स्थिति जिसमें सर्वेक्षण की तिथि के 365 दिन पहले की संदर्भ अवधि के दौरान कुछ आर्थिक गतिविधि की गई है, इसे व्यक्ति की सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति कहते हैं।

वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि की स्थिति: एक व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तिथि से 7 दिन पहले की संदर्भ अवधि के दौरान एक व्यक्ति के लिए गतिविधि की स्थिति है। इसका निर्णय कुछ प्राथमिकता सह प्रमुख समय मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। एक व्यक्ति को कामकाजी (या नियुक्त) तब माना जाता है यदि वह किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है, उसने सर्वेक्षण की तिथि से 7 दिन पहले के दौरान कम से कम 1 दिन कम से कम एक घण्टे तक काम किया है। एक व्यक्ति को "कार्य की तलाश में या उपलब्ध" (या बेरोजगार) तब माना जाता है यदि संदर्भ सप्ताह के दौरान उस व्यक्ति द्वारा कोई आर्थिक गतिविधि नहीं की गई परन्तु उस व्यक्ति ने संदर्भ सप्ताह के दौरान किसी समय कार्य पाने का कठोर प्रयास किया या कार्य के लिए उपलब्ध रहा, जबकि इस धारणा में कार्य पाने के लिए सक्रिय नहीं रहा कि कोई कार्य उपलब्ध नहीं था।

वर्तमान दैनिक गतिविधि की स्थिति: वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति का निर्धारण किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्राथमिक – सह – प्रमुख समय मानदण्ड (प्रतिदिन के परिश्रम का समय प्रकृति) का उपयोग करते हुए संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन पर उसकी गतिविधि की स्थिति के आधार पर किया जाता है।

श्रम शक्ति की भागीदारी दर (एलएफपीआर): श्रम शक्ति का अर्थ है वह आबादी जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने हेतु प्रदायगी करती है या प्रदायगी का प्रस्ताव करती है और इसलिए इसमें 'रोजगाररत' और 'बेरोजगार' व्यक्ति/व्यक्ति दिवस दोनों शामिल हैं। श्रम शक्ति की भागीदारी दर (एलएफपीआर) को कुल व्यक्ति/व्यक्ति दिवस के अनुपात में श्रम शक्ति में व्यक्ति/व्यक्ति दिवसों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर): सामान्य प्रधान स्थिति के अनुसार नियुक्त (या कामगार) के आकलनों से उन व्यक्तियों की संख्या का पता लगता है जिन्होंने सर्वेक्षण की तिथि से 365 दिन पहले अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक कार्य किया। सामान्य प्रधान स्थिति और सहायक स्थिति, दोनों को विचार में लेकर श्रमिक बल में वे व्यक्ति शामिल हैं जो (क) सर्वेक्षण की तिथि से 365 दिन पहले अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक कार्यरत रहे और (ख) साथ ही वे व्यक्ति जो सर्वेक्षण की तिथि से 365 दिन पहले संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम 3 दिनों के लिए कार्यरत रहे।

बेरोजगारी दर (यूआर): बेरोजगारी दर (यूआर) श्रम शक्ति में बेरोजगार व्यक्तियों/व्यक्ति दिवसों के साथ व्यक्तियों की संख्या/व्यक्ति दिवसों की संख्या का अनुपात है (अर्थात् नियुक्त और बेरोजगार व्यक्तियों/व्यक्ति दिवसों की संख्या)। यूआर के आकलन व्यक्ति की गतिविधियों के स्थितियों के वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले तीन मार्गों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट

घटकर दशक के अंत में 53.2 प्रतिशत हो गई। जबकि यह क्षेत्र के अन्य देशों में कृषि की हिस्सेदारी की तुलना में अब भी बहुत कम है। दशक के पहले अर्ध में संपूर्ण रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत से घट कर दशक के दूसरे अर्ध में 11 प्रतिशत आ गई, जिससे कुशल जनशक्ति की अनुपस्थिति में अधिक पूंजी सघन प्रौद्योगिकी के उपयोग का संकेत मिला। दशक की शुरुआत में 1999 के दौरान सेवा की हिस्सेदारी 23.7 प्रतिशत से बढ़कर दशक के अंत में 25.3 प्रतिशत हो गई। गैर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में

तेजी से वृद्धि देखी गई है और यह अधिकांशतः निर्माण क्षेत्र में है। (तालिका 22.4)

क्षेत्रवार रोजगार सृजन

22.9. सीडीएस आधार पर 18 मिलियन कार्य के अवसर और यूपीएसएस आधार पर 2 मिलियन कार्य के अवसर 2004-05 और 2009-10 की अवधि के दौरान उत्पन्न किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन अलग अलग रहा है। खनन, विनिर्माण, ट्रेड, विद्युत संबंधी

तालिका 22.4
रोजगार में क्षेत्रों के अनुपातिक भाग

क्षेत्र	1999-2000	2004-5	2009-10
कृषि	59.9	56.6	53.2
विनिर्माण	11.1	12.2	11.0
गैर विनिर्माण	5.3	6.5	10.5
सेवाएं	23.7	24.7	25.3
कुल	100	100	100

स्रोत: एनएसएस के विभिन्न दौर।

क्षेत्रों में अच्छी क्षेत्रगत वृद्धि के बावजूद रोजगार के अवसरों में कमी देखी गई है। सभी क्षेत्रों में इस निष्पादन में योजना की शुरुआत के समय प्रक्षेपणों की कुछ कमी देखी गई थी। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के संदर्भ में आंकड़े अनुबंध 22.1 दिए गए हैं।

22.10. पिछले दशक में रोजगार में कृषि क्षेत्र के तहत बहुत उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। दशक के पहले अर्ध में 1999-2000 में 237.67 मिलियन से 21.25 मिलियन की वृद्धि के साथ 2004-05 में यह लगभग 258.93 मिलियन हो गई, इसमें दशक के दूसरे अर्ध में कृषि में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या में पर्याप्त कमी आई जो लगभग 14.08 मिलियन की कमी के साथ 258.93 मिलियन से घट कर 244.85 मिलियन हो गई। जबकि दशक के अंत में कृषि का कुल रोजगार अब भी शुरुआत की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक था (अनुबंध 22.1)। इससे संकेत मिलता है कि रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसकी अपेक्षा कृषि के बाहर अर्थव्यवस्था में परिणाम में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि की अवधि में की जा सकती है, बहुत तेजी से नहीं हो रही है।

22.11. विनिर्माण क्षेत्र में दशक के पहले अर्ध में रोजगार में परम वृद्धि देखी गई और यह 2004-05 में 44.05 मिलियन से लगभग 55.77 मिलियन हो गई। जबकि दशक के दूसरे अर्ध में रोजगार का स्तर 50.74 मिलियन तक पहुंचने के लिए इसमें लगभग 5 मिलियन की कमी देखी गई। जबकि यह दशक की शुरुआत में रोजगार की तुलना में अब भी 15 प्रतिशत अधिक था। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उत्पादन के रुझान में इस बदलाव का कारण संभवतया कुशल कामगारों (पूँजी सघन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से) और अकुशल दैनिक कामगारों की बहुत अधिक कमी से प्रेरित भारत में वास्तविक पारिश्रमिक में औसत वार्षिक वृद्धि में तेजी से हुई वृद्धि है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के लचीलेपन में दशक के पहले अर्ध में 0.76 से एक

अधोगामी रुझान दशक के दूसरे अर्ध में -0.31 तक गया। इससे कुल विनिर्माण परिणाम में एक वृद्धि के बावजूद कुल रोजगार में परिणामी पूँजी सघन प्रौद्योगिकियों द्वारा श्रमिकों का प्रतिस्थापन होने का संकेत मिला।

22.12. अनुबंध 22.2 में दिए गए मुख्य विनिर्माण उद्योग के रोजगार रुझान पर नजदीकी से नजर डालने पर रोचक परिणाम प्रकट होते हैं। इससे पता लगता है कि जिन उद्योगों ने दशक के पहले अर्ध के रोजगार में एक वृद्धि दर्ज की, उनमें से 80 प्रतिशत से अधिक में दशक के दूसरे अर्ध के दौरान रोजगार में कमी आई। यह गिरावट श्रमिक सघन उद्योगों में देखी गई जो 1999-2000 में कुल विनिर्माण रोजगार का 68 प्रतिशत हैं। इस गिरावट का कारण इन उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी हो सकता है, उदाहरण के लिए वस्त्र, खाद्य उत्पाद, तम्बाकू, पहनने वाली पोशाकें, लकड़ी के उत्पाद और फेब्रिकेटिड मद आदि। इन 6 उद्योगों में दशक के पहले अर्ध के दौरान 8.7 मिलियन रोजगार में वृद्धि तथा दूसरे अर्ध के दौरान 7.6 मिलियन रोजगार में गिरावट दर्ज की गई।

22.13. दशक में गैर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 1999-2009 के दौरान 27.44 मिलियन से बढ़कर 1999-2000 के सापेक्ष 2.3 गुना वृद्धि के साथ 2009-10 में 48.28 मिलियन तक पहुंच गया। दशक के पहले अर्ध में गैर विनिर्माण रोजगार 1999-2000 में 21 मिलियन से बढ़कर 2004-05 में 30 मिलियन तक पहुंचा या इसमें 1999-2000 में रोजगार से लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दशक के अंत में गैर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का परम आकार 2004-05 की तुलना में 1.6 गुना था या सापेक्ष 1999-2000 के स्तर से 2.3 गुना था। यह विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार से तुलना योग्य है, जो समान अवधि के दौरान 50 मिलियन था। निर्माण क्षेत्र द्वारा इस मुख्य वृद्धि का योगदान दिया गया, जहां दशक में रोजगार 26.6 मिलियन बढ़ गया, जिसमें से 8.5 मिलियन प्रथम अर्ध में और 18.1 मिलियन दूसरे अर्ध में था। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जो हैं खनन और उत्खनन, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति, में बहुत आंशिक वृद्धि देखी गई है (अनुबंध 22.1)।

22.14. इस दशक में रोजगार में सेवा/तृतीयक क्षेत्र में 2009-10 के दौरान 116.34 मिलियन के स्तर तक पहुंचने के लिए कुल रोजगार में लगभग 25.3 प्रतिशत के योगदान से वृद्धि देखी गई है। सेवा क्षेत्र में रोजगार की यह वृद्धि प्रथम अर्ध की तुलना में दशक के दूसरे अर्ध में अपेक्षाकृत कम थी। सेवाओं के अंतर्गत ट्रेड रोजगार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता था और दशक की शुरुआत और इसके अंत

में दोनों ही समय अर्थव्यवस्था में कुल सेवा और रोजगार का एक तिहाई हिस्सा रहा। इससे रोजगार में लगभग 36 प्रतिशत (7 करोड़ के आस पास) की वृद्धि हुई जो दशक के दूसरे अर्ध की तुलना में पहले अर्ध में भारत में सेवा क्षेत्र में उत्पन्न हुए, जिसमें रोजगार में शायद ही कोई वृद्धि देखी गई थी। सेवा के तहत दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र परिवहन, भंडारण और संचार है, जिनका कुल रोजगार में योगदान दशक के आरंभ में 15.5 प्रतिशत से बढ़ कर दशक के अंत में 2009-10 में 17.2 प्रतिशत तक पहुंच गया।

22.15. सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के रोजगार में रुकावट आ गई है और चिकित्सकों, नर्सों, अध्यापकों, पुलिसकर्मियों और न्यायाधीशों की सार्वजनिक सेवाओं में गंभीर कमी है। उक्त सेवाओं के एक साथ होने वाले तीव्र विस्तार के बिना तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कार्य नहीं कर सकती है। भारत में यह परिवर्तन अगले 10 वर्षों में होता है तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र सेवाओं में उच्च गुणवत्ता के कार्यों की संख्या में पर्याप्त सुधार हो सकता है। अन्य सेवा क्षेत्र जो हैं बैंकिंग और वित्तीय सेवा तथा रीयल एस्टेट, इनमें भी वृद्धि देखी गई है। बैंकिंग और बीमा में रोजगारों की संख्या जो 1999-2000 में 2.25 मिलियन थी, अब यह 2009-10 में बढ़ कर 3.82 मिलियन तथा 1999-2000 में रीयल एस्टेट में 2.7 मिलियन से बढ़ कर 5.7 मिलियन हो गई है। रीयल एस्टेट रोजगार की वृद्धि 11वीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचनात्मक निवेश तथा आवास, दोनों पर सरकार के बढ़ते फोकस के अनुरूप है।

22.16. अवसंरचना में निवेश के क्षेत्र में 11वीं पांचवर्षीय योजना के दौरान 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है, अर्थात्, लगभग 10 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में रोजगार पर एनएनएस आंकड़ों में दशक के दूसरे अर्ध में आंशिक वृद्धि दिखाई दी है, जबकि प्रथम अर्ध में एक वृद्धि देखी गई है। जबकि शिक्षा क्षेत्र के लिए जीवीए को दशक के दूसरे अर्ध में 8.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जो प्रथम अर्ध में 7.1 प्रतिशत था, दशक के पहले अर्ध में जीवीए की वृद्धि दर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूत थी (10.1 प्रतिशत प्रति वर्ष) और यह दशक के दूसरे अर्ध में घटकर 4.2 प्रतिशत हो गई है, जिससे संभवतया दशक के दूसरे अर्ध में स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार में इस छोटी सी वृद्धि को समझाया जा सकता है। सरकार द्वारा 12वीं योजना में शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य पर अधिक बल देने से 12वीं योजना में क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होगी।

राज्यों में रोजगार परिदृश्य

22.17. विभिन्न राज्यों में आबादी में वृद्धि में भिन्नता है और इसके कारण कामकाजी आयु वाली आबादी के रोजगार उत्पादन पर निहितार्थ हैं। विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में रुझानों के वर्तमान विश्लेषण से क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जा सकेगा जो अभी योगदान दे रहे हैं और भविष्य में रोजगार में योगदान देंगे।

कृषि

22.18. कृषि में राष्ट्रीय स्तर पर पिछले दशक (1999-2000 से 2009-10) में नियुक्त व्यक्तियों की परम संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि दशक के दूसरे अर्ध में इसके अनुपात में आंशिक गिरावट आई है। अधिकांश राज्यों में 2004-05 और 2009-10 के बीच कृषि में रोजगार की गिरावट महसूस की गई है। जबकि दशक के दूसरे अर्ध में कृषि में रोजगार की कुल गिरावट केवल 14.08 मिलियन थी, फिर भी इस गिरावट का वितरण राज्यों के बीच देखने पर कामगारों द्वारा कृषि से उद्योग या सेवाओं की ओर एक उल्लेखनीय प्रतिस्थापन दिखाई नहीं दिया। इससे यह संकेत नहीं मिलता कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में अस्थायी प्रवास नहीं हो रहा था। वास्तव में पिछले दशक के अंदर 1921 की जनगणना के समय से पहली बार अर्थात् 2001 से 2011 तक दशक में ग्रामीण आबादी (90 मिलियन) में होने वाली वृद्धि से शहरी आबादी (91 मिलियन) में वृद्धि अधिक रही है। इसका कारण यह है कि कामगार कृषि की कमी वाले मौसमों के दौरान अस्थायी अवधि के लिए ही गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं और मौसम के दौरान वापस आ जाते हैं। अतः यह कार्यबल उपयोग कौशल समूह की कमी के कारण विनिर्माण या आधुनिक सेवाओं में कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इनके प्रवास से ग्रामीण संकट का पता लगता है, जो इस तथ्य से प्रेरित है कि भारत के 84 प्रतिशत किसान छोटे और उपेक्षित हैं, केवल 2.5 एकड़ से कम भूमि की जुताई की जाती है।

22.19. इस संदर्भ में यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि केवल दो राज्यों ने दशक के दूसरे अर्ध में कृषि रोजगार में लगभग आधी गिरावट का योगदान दिया। इस प्रकार 2004-05 में बिहार में कृषि के रोजगार का आंकड़ा दशक के अंत में 21.2 मिलियन से घटकर 17.2 मिलियन रह गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में दशक के मध्य में कृषि के रोजगार का आंकड़ा 43.3 मिलियन से गिर कर अंत में लगभग 39.7 मिलियन रह गया। इसके विपरीत महाराष्ट्र राज्य में दशक के दूसरे अर्ध में एक वृद्धि देखी गई जो 3.97 मिलियन रही। एक अन्य राज्य पंजाब था जहां दशक के दूसरे अर्ध में कृषि में 3.6 से 4.7 मिलियन तक वृद्धि हुई है।

विनिर्माण

22.20. अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में दशक के दूसरे अर्ध में 55.77 से 50.74 मिलियन तक की गिरावट आई। रोजगार में यह अधिकांश गिरावट कुछ राज्यों तक सीमित थी जैसे महाराष्ट्र (1.81 मिलियन) तमिलनाडु (0.98 मिलियन), उत्तर प्रदेश (0.85 मिलियन) और झारखंड (0.25 मिलियन)। रोजगार में गिरावट का सबसे अधिक कठिन भाग सर्वाधिक औद्योगिकीकृत राज्यों, जो हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो दशक के दूसरे अर्ध में दशक में विनिर्माण रोजगार में 75 प्रतिशत की गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं।

22.21. रोजगार के राज्यवार हिस्से के संबंध में यह पता चला है कि विनिर्माण रोजगार की हिस्सेदारी का राष्ट्रीय औसत 2009-10 में कुल रोजगार का 11 प्रतिशत रहा। ऐसे 9 प्रमुख राज्य हैं जिनकी हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आंध्र प्रदेश (11.9 प्रतिशत) दिल्ली (24.8.4 प्रतिशत) गुजरात (12.6), हरियाणा (12.2 प्रतिशत) केरल (13.5 प्रतिशत) पंजाब (15.9 प्रतिशत) तमिलनाडु (19.6 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश (11.1) और पश्चिम बंगाल 18.4 प्रतिशत। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विनिर्माण क्षेत्र में समूह बनाने के लाभ हैं, यह संभावित है कि भविष्य में भी इन राज्यों द्वारा जीवीए के विनिर्माण तथा रोजगार में वृद्धि जारी रह सके। कर्नाटक राज्य (9.4 प्रतिशत) में भी राष्ट्रीय स्तर के समान रोजगार अनुपात है।

22.22. राज्य जीवीए में विनिर्माण की हिस्सेदारी के संदर्भों में 7 राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (15.9 प्रतिशत) 2009-10 में विनिर्माण हिस्सेदारी के राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है: छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये राज्य 12वीं योजना अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि जारी रख सकते हैं, परन्तु यह परिणाम के विनिर्माण रोजगार लचीलेपन पर काफी हद तक निर्भर करता है। जबकि छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में सकारात्मक रोजगार लचीलापन है, झारखण्ड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ऋणात्मक रोजगार लचीलापन है, जो अधिक पूंजी सघन प्रौद्योगिकी के उपयोग निहित करता है।

गैर विनिर्माण

22.23. सभी राज्यों ने मुख्य रूप से दशक के दूसरे अर्ध में निर्माण क्षेत्र में गैर-विनिर्माण रोजगार में वृद्धि अनुभव की।

सेवाएं

22.24. सेवा क्षेत्र ने 2009-10 में कुल रोजगार में लगभग 25.3 प्रतिशत का योगदान दिया है। अधिकांश राज्यों द्वारा दशक के

दूसरे अर्ध में सेवा क्षेत्र में रोजगार उत्पादन का सकारात्मक रुझान दर्शाया गया है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के अलावा, जहां सेवा क्षेत्र रोजगार और ऋणात्मक रोजगार लचीलेपन में गिरावट दर्शाई गई है। राज्य सरकारों द्वारा रोजगार उत्पादन के लिए सेवाओं के संवर्धन पर उनका ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। कुल रोजगार में सेवाओं की हिस्सेदारी 11 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक है जो हैं दिल्ली (67.9 प्रतिशत), हरियाणा (25.2 प्रतिशत), केरल (39.2 प्रतिशत), महाराष्ट्र (29.8 प्रतिशत), पंजाब (29.1 प्रतिशत), तमिलनाडु (27.0) और पश्चिम बंगाल (30.4 प्रतिशत)।

रोजगार रुझानों में गुणात्मक आयाम

22.25. जबकि उपरोक्त विश्लेषण से मैक्रो स्तर और राज्य स्तर पर कुल रोजगार के सृजन का रुझान और साथ ही इस प्रकार सृजित रोजगार का क्षेत्रगत संगठन भी प्रदर्शित होता है, यह अनिवार्य है कि साम्यता, प्रतिष्ठा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार की स्थिति आदि के संदर्भों में रोजगार के गुणात्मक आयामों पर विचार किया जाए। इससे कार्य करने की सम्मानित परिस्थितियों सहित उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने में भारत की भावी चुनौतियों के लिए कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी।

रोजगार का अनौपचारिकीकरण

22.26. अर्थव्यवस्था के रोजगार व्यवहार के आकलन में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में और खास तौर पर औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगारों के संदर्भ में रोजगार की वृद्धि एक निर्णायक मुद्दा है। आम तौर पर यह विचार व्यक्त किया जाता है कि असंगठित क्षेत्र का रोजगार संगठित क्षेत्र के रोजगार की तुलना में निम्न गुणवत्ता का है। तालिका 22.5 में आगे औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगार के संदर्भों में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति दर्शाई गई है।

22.27. उपरोक्त आंकड़े असंगठित क्षेत्र में 2004-05 में 86 प्रतिशत से लेकर 2009-10 में 84 प्रतिशत तक की गिरावट दर्शाते हैं। इसका अर्थ है कि संगठित क्षेत्र के रोजगार की हिस्सेदारी 1999-2000 और 2004-05 में 14 प्रतिशत से बढ़ कर 2009-10 में 16 प्रतिशत हो गई है। जबकि संगठित क्षेत्र के रोजगार में यह वृद्धि मुख्यतः अनौपचारिक श्रेणी में है। संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार का अर्थ है यह 2004-05 में 46.4 प्रतिशत से बढ़ कर 2009-10 में 57.8 प्रतिशत हो गई है। असंगठित क्षेत्र का अनौपचारिक रोजगार यथावत बना हुआ है। वर्ष 2009-10 में कुल कार्य बल का लगभग

तालिका 22.5
संगठित और असंगठित क्षेत्र (लाखों) में औपचारिक और
अनौपचारिक रोजगार

क्षेत्र	रोजगार		
	2009-10		
	अनौपचारिक	औपचारिक	कुल
असंगठित	385.08	2.26	387.34
संगठित	42.14	30.74	72.88
कुल	427.22	33.00	460.22
2004-05			
असंगठित	393.5	1.4	394.9
संगठित	29.1	33.4	62.6
कुल	422.6	34.9	457.5
1999-2000			
असंगठित	341.3	1.4	342.6
संगठित	20.5	33.7	54.1
कुल	361.7	35.0	396.8

स्रोत: 2009-10 के लिए, एनएसएस के 66वें दौर से अभिकलन, अन्य वर्षों के लिए एनसीईयूएस, 2007 से लिए गए।

93 प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार में है। इसमें 1999-2000 में 91 प्रतिशत से एक वृद्धि हुई है। यदि कृषि को कार्यबल से अलग कर दिया जाता है तो कुल गैर कृषि कार्यबल में अनौपचारिक कामगारों की हिस्सेदारी 93 प्रतिशत से गिर कर 85.6 प्रतिशत हो जाती है, जो अब भी ब्राजील (51 प्रतिशत), मेक्सिको (50 प्रतिशत), इंडोनेशिया (78 प्रतिशत), फिलीपींस (72 प्रतिशत) और थाइलैंड (49 प्रतिशत) की तुलना में बहुत उच्च है।

22.28. अनौपचारिक कृषि क्षेत्र के रोजगार से अनौपचारिक गैर कृषि क्षेत्रों में कामगारों के गमन का संकेत उपरोक्त रुझान से मिलता है। असंगठित क्षेत्र में अनौपचारिक कामगारों की संख्या में 8.4 मिलियन तक की गिरावट असंगठित क्षेत्रों से अनौपचारिक रोजगार और संगठित क्षेत्रों से अनौपचारिक रोजगार की ओर के संक्रमण का संकेत है और इसके साथ संगठित क्षेत्र में 13 मिलियन अनौपचारिक कामगारों की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय यह है कि संगठित क्षेत्र में औपचारिक रोजगार बढ़ नहीं रहा है। इससे दर्शाया जाता है कि संगठित उद्यम के नियोज्यता लगातार श्रमिक कानूनों और अन्य सर्वकारों के कारण संविदात्मक शर्तों पर कामगारों पर ले रहे हैं। छोटे और मध्यम आकार के उद्यम आम तौर पर असंगठित क्षेत्र के

हैं और इनमें अनौपचारिक कामगारों की नियुक्ति की जाती है। अतः उद्यमियों के आकार से रोजगार का विश्लेषण करने पर रोजगार के गुणात्मक आयामों पर कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की जाएगी।

रोजगार द्वारा उद्यमों का आकार

22.29. तालिका 22.6 में कामगारों की संख्या द्वारा उद्यमों के आकार वर्ग के आंकड़े दिए गए हैं जिन्हें वे नियुक्त करते हैं, इनसे 2000 में गैर कृषि रोजगार की ओर विस्थापन दर्शाया गया है। 6 कर्मचारियों से कम वाले उद्यमों में (अर्थात् सूक्ष्म उद्यम) कामगार 2004-05 और 2009-10 के बीच परम और सापेक्ष दोनों की संदर्भों में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाते हैं। उक्त सूक्ष्म उद्यमों में दशक के मध्य में 152.5 मिलियन कामगार हैं या ये सभी गैर कृषि कामगारों का 75 प्रतिशत है। दशक के अंत तक उक्त उद्यमों में कामगारों की संख्या लगभग 4 मिलियन तक गिर गई और कुल गैर कृषि रोजगार में उक्त सूक्ष्म उद्यमों की हिस्सेदारी 65.6 प्रतिशत तक कम हो गई। संगत रूप से 6 से अधिक तथा 10 से कम कामगारों वाले उद्यमों में नियुक्त कामगारों की संख्या में दशक के मध्य में 15.2 मिलियन से लेकर इसके अंत तक लगभग 24 मिलियन की वृद्धि हुई। इस प्रकार उक्त उद्यमों में कामगारों की हिस्सेदारी देश के सभी गैर कृषि रोजगार में 7.5 प्रतिशत से बढ़ कर 10.5 प्रतिशत हो गई। यह कामगारों के लिए बेहतर, क्योंकि इससे विखंडन में कमी आती है और उन्हें संगठित करने की सक्षमता बनती है।

रोजगार की स्थिति द्वारा कामगारों की श्रेणी

22.30. श्रम बाजार में दैनिक श्रमिक और स्वयं रोजगार करने वाले लोग सबसे अधिक सुभेद्य हैं। तालिका 22.7 में दशक के दूसरे अर्ध की तुलना में दशक के पहले अर्ध के रोजगार की श्रेणी द्वारा कार्यबल में वार्षिक वृद्धि दर्शाई गई है। एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि नियमित वेतन पारिश्रमिक तथा एक दैनिक कामगार के रूप में सृजित नौकरियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका कारण गैर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि है, जैसा कि पहले बताया गया है।

युवा और शिक्षित के बीच बेरोजगारी

22.31. नीचे दिए गए आंकड़े और चित्र दर्शाते हैं कि बेरोजगारी उन युवा और शिक्षित लोगों के बीच अधिक है जो बेहतर गुणवत्ता की नौकरियों की तलाश में हैं। चित्र दर्शाता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु समूह 15-29 वर्ष के बीच बेरोजगारी सभी व्यक्तियों की बेरोजगारी के औसत स्तर से उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

तालिका 22.6
उद्योग और सेवा क्षेत्र में उद्यम के आकार के आधार पर कामगार की संख्या

उद्यम में कामगारों की संख्या	2004-05		2009-10	
	मिलियन में कामगारों की संख्या	शेयर प्रतिशत	मिलियन में कामगारों की संख्या	शेयर प्रतिशत
6 से कम	152.5	74.93	148.7	65.6
6 और अधिक किंतु 10 से कम	15.2	7.46	23.8	10.5
10 और अधिक किंतु 20 से कम	11.8	5.81	15.4	6.8
20 और अधिक	24.0	11.8	38.8	17.1
कुल		100		100

स्रोत: एनएसएस, 2009-10 (66वें दौर) और एनएसएस, 2004-05 (61वें दौर) से संकलित।

तालिका 22.7
व्यापक रोजगार की स्थिति (मिलियन कामगार) द्वारा सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) मार्ग के अनुसार कामगारों की संख्या

	1999-00	2004-05	2009-10
स्व रोजगार	209.3(52.6)	258.4(56.4)	232.7(50.7)
नियमित/वेतनभोगी कर्मचारी	58.2(14.6)	69.7(15.2)	75.1(16.4)
आकस्मिक श्रमिक	130.3(32.8)	129.7(28.3)	151.3(33.0)

स्रोत: एनएसएस 55वें, 61वें और 66वें दौरों से संकलित।

22.32. अनुबंध 22.3 में भारत में शिक्षा के स्तर द्वारा (यूपीएसएस) रोजगार की दर से संकेत मिलता है कि निरक्षरों के बीच बेरोजगारी की सबसे कम दर है और बेरोजगारों की दर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ बढ़ती जाती है और डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के साथ बेरोजगारी का प्रतिशत उच्चतम है (या जिन्हें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद एक या दो वर्ष का अनुभव है)। डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारकों के लिए बेरोजगारी की दर दशक के अंत में 9.6 प्रतिशत थी। बेरोजगारी की दर स्नातकों के लिए गिर जाती है और स्नातकोत्तर होने पर इससे अधिक के लिए गिरती है, किन्तु ये उल्लेखनीय नहीं हैं।

सामाजिक समूहों के बीच रोजगार के रुझान महिलाओं के रोजगार

22.33. जबकि 1980 से महिलाओं की कार्य बल प्रतिभागिता दर (डब्ल्यूपीआर) में लगातार गिरावट आई है, किन्तु यह कमी दशक के दूसरे अर्ध में और भी अधिक बढ़ गई है। अर्थात् 2004-05 और 2009-10 के बीच समग्र एलएफपीआर और डब्ल्यूएफपीआर निचले


स्तर की ओर गई है। महिला श्रमिक दल प्रतिभागिता की गिरावट ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में हुई है, जबकि यह गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है। इससे इस तथ्य की ओर संकेत मिलता है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वाली शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की बालिकाएं (अर्थात् कार्य करने की आयु) न तो शैक्षिक संस्थानों में जाती है या उन्हें परिवार की आय बढ़ाने के लिए कार्य से वापस ले लिया गया है। सर्वाधिक गंभीर समस्या है कि कार्यबल पर महिलाएं दुर्बल गुणवत्ता के कार्यों को करती हैं। गैर कृषि रोजगार में महिलाओं की अधिकांश संख्या घर में गृह आधारित कार्यों से कार्य करती हैं, जो उन्हें कम उत्पादकता वाले कार्यों की अनेक किस्मों (उदाहरण के लिए बीड़ी बनाना, जरी बनाना आदि) को उनके पुरुष संविदाकारों द्वारा आम तौर पर उप संविदा के रूप में सौंपा जाता है या वे निर्माण उद्योग में सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। यह अपेक्षित है कि शिक्षा प्राप्त करने से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा और वे कुछ आगे की उम्र में बेहतर योग्यता पाकर श्रम बाजार में शामिल होंगी और असंगठित क्षेत्र में ही सही, किन्तु गुणवत्तापूर्ण रोजगार पाएंगी। (तालिका 22.8 व 22.9)

22.34. नीतिगत स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ग्रामीण विकास मंत्रालय के) में महिलाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। एनआरएलएम से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन की सुविधा मिलेगी और स्वयं सेवी समूहों को ऋण प्रदान किए जाएंगे ताकि वे आत्म निर्भर आर्थिक गतिविधियां कर सकें।

बाल श्रम

22.35. तालिका 22.10 में 1993-94 के बाद से बाल श्रम की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। बाल श्रम की घटनाओं में 1990 के दशक के बाद से गिरावट आई है।

Unemployment Rate Among Youth (15–29 years)



स्रोत: एनएसएस 55वें, 61वें और 66वें दौर।

चित्र 22.2: युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर

22.36. ऐसा ज्ञात होता है कि बाजार में लड़कों और लड़कियों की सक्रिय भागीदारी में गिरावट आई है। बाल श्रम में गिरावट से लड़कों और लड़कियों दोनों का स्कूलों में नामांकन उल्लेखनीय रूप से बढ़ता है। वर्ष 2000 के दशक के मध्य तक उन लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में अधिक होता था जो स्कूल से बाहर थे, बालिका श्रमिकों की दर स्कूलों में इनके नामांकन के कारण कम रही है। जबकि 1993–94 और 2007–08 के लिए एनएसएस के

आंकड़े प्रकट करते हैं कि लड़कियों को अब भी घरेलू कामकाज के लिए घर पर रोक लिया जाता है। आयु समूह 5–14 वर्ष के बच्चों का अनुपात न तो बाल श्रमिकों के रूप में है और न ही स्कूलों में नामांकित छात्रों के रूप में है। इसमें 11.4 प्रतिशत लड़कियां कहीं भी दर्ज नहीं हैं, जिनका आयु समूह 6–14 वर्ष के बीच है, जबकि समान आयु समूह के केवल 3.8 प्रतिशत लड़के कहीं दर्ज नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र की यह सुनिश्चित करने में एक पूर्व – ज्ञात भूमिका है कि 6–14

तालिका 22.8

जेंडर द्वारा सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति द्वारा एलएफपीआर 1993–94, 2004–05 और 2009–10 (प्रतिशत)

क्षेत्र	पुरुष			महिला		
	1993–94	2004–05	2009–10	1993–94	2004–05	2009–10
ग्रामीण	87.6	85.9	82.5	49	49.4	37.8
शहरी	80.1	79.2	76.2	23.8	24.4	19.4

तालिका 22.9

जेंडर द्वारा सामान्य प्रधान और सहायक की स्थिति 1993–94, 2004–05 और 2009–10 (प्रतिशत) द्वारा डब्ल्यूपीआर

	पुरुष			महिला		
	1993–94	2004–05	2009–10	1993–94	2004–05	2009–10
	86.4	84.6	81.2	48.7	48.5	37.2
	76.8	76.3	74	22.3	22.7	18.3

तालिका 22.10

यूपीएसएस (प्रतिशत) 1993–94, 2004–05, और 2009–10 द्वारा बाल कार्य शक्ति की भागीदारी दर

क्षेत्र	1993–94			2004–05			2009–10		
	बालक	बालिका	बच्चे	बालक	बालिका	बच्चे	बालक	बालिका	बच्चे
ग्रामीण	6.8	7.8	7.3	3.5	3.7	3.6	2.0	2.4	2.2
शहरी	3.5	2.7	3.1	2.6	1.9	2.3	0.7	1.5	1.1
संयुक्त	6.2	6.0	6.2	3.3	3.3	3.3	1.7	2.2	2.0

स्रोत: एनएसएसओ 1993–94, 2004–05 और 2009–10

वर्ष आयु समूह के बच्चे स्कूल में हैं। सर्व शिक्षा अभियान और बाल श्रम विनियमन के कठोरतर कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश से बाल श्रम का उन्मूलन हो जाए।

दुर्बल सामाजिक समूह: अनुसूचित जाति (अनु.जा.), अनुसूचित जनजाति (अनु.ज.जा.)

22.37. सामाजिक समूहों में अनु. जाति (अनु. जा.) और अनु. जनजाति (अनु. ज. जा.) अधिकांश सामाजिक सूचकांकों के सदर्थ में सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग हैं (तालिका 22.11) उदाहरण के लिए, वर्ष 1993-94 में अनु. जाति के लिए कार्य बल प्रतिभागिता दर (सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति द्वारा) 71 प्रतिशत और अनु. जनजाति के लिए 81 प्रतिशत थी, जिनमें से दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सामाजिक समूहों (68 प्रतिशत) के लिए कार्य बल प्रतिभागिता दर (डब्ल्यूएफपीआर) से बहुत अधिक थी, इसी प्रकार ये 2004-05 में अधिक थीं। जबकि शहरी डब्ल्यूएफपीआर सभी समूहों के लिए एक समान रूप से कम है, सभी समूहों की तुलना में अनु. जाति और अनु. जनजाति का डब्ल्यूएफपीआर काफी अधिक है। अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के लिए औसत से अधिक डब्ल्यूएफपीआर इस तथ्य में योगदान देता है कि कामकाजी आयु के अनु. जाति और अनु. जनजाति के लोगों (अर्थात 15 वर्ष और अधिक) का माध्यमिक स्कूलों में अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में कम नामांकन अनुपात है।

श्रम बाजार के संदर्भ में अनु. जाति और अनु. जनजाति की सुभेद्यता पर इस तथ्य से बल मिलता है कि कम से कम शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर वर्तमान दैनिक स्थिति में अनु. जाति और अनु. जनजाति में बेरोजगारी की दरें काफी अधिक हैं।

22.38. 22.12 तालिका 1993-94 से 2009-10 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से अनु. जाति और अनु. जनजाति सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बेरोजगारी की दर है। 2004-05 और 2009-10 के बीच अनु. जातियों के लिए बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में 2.1 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह नहीं बदली है और 1.6 बनी रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक समूहों के लिए बेरोजगारी की दर कमी ग्रामीण क्षेत्रों में 0.1 और शहरी क्षेत्रों में 1.0 प्रतिशत देखी जा सकती है। लेकिन 2004-05 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनु. जनजातियों के लिए बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

बारहवीं योजना के लिए श्रम शक्ति और कार्य बल का अनुमान

श्रम शक्ति अनुमान

22.39. एनएसएसओ और 2011 जनगणना आंकड़ों के नवीनतम जनसंख्या प्रक्षेपणों का उपयोग करते हुए श्रमिक बल के प्रक्षेपण

तालिका 22.11
सामाजिक समूह 1993-94, 2004-05 और 2009-10 द्वारा सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति के कार्य बल भागीदारी दर

क्षेत्र	अनु. जाति			अनु. जनजाति			सभी समूह		
	1993-94	2004-05	2009-10	1993-94	2004-05	2009-10	1993-94	2004-05	2009-10
ग्रामीण	71.1	68.7	61.4	81.4	79.1	68.9	67.8	66.6	59.5
शहरी	56.8	54.1	51.8	57	54.9	49.2	50.9	50.6	47.2

स्रोत: एनएसएस दौर

तालिका 22.12
सामाजिक समूह 2004-05 और 2009-10 द्वारा सामान्य प्रधान और सहायक स्थिति द्वारा बेरोजगारी दर

क्षेत्र	अनु. जाति			अनु. जनजाति			सभी		
	1993-94	2004-05	2009-10	1993-94	2004-05	2009-10	1993-94	2004-05	2009-10
ग्रामीण	1	1.6	1.6	0.6	0.8	1.4	1.2	1.7	1.6
शहरी	4.4	5.3	3.2	3.9	3.1	4.4	4.5	4.4	3.4

स्रोत: एनएसएस दौर

किए गए हैं। बारहवीं योजना अवधि के दौरान श्रमिक बल में 15 वर्ष और इससे अधिक के आयु समूह के लिए अब वृद्धि 2011 में 477.9 मिलियन से 24.5 मिलियन बढ़कर 2016-17 के अंत तक 502.4 मिलियन आकलित की गई है। इसकी गणना आयु विशिष्ट एलएफपीआर और जनसंख्या वितरण रुझान के आधार पर की गई है जो 2004-05 से मौजूदा थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है (जनगणना 1991, 2001 और 2011)। महिलाओं की प्रतिभागिता दर में 66 वें दौर में भी कमी दर्शाई गई है, जो शैक्षिक संस्थानों में नामांकन बढ़ने और साथ ही आयु बढ़ने के प्रभाव से हो सकती है, जहां महिलाएं निम्न गुणवत्ता की नौकरियां नहीं करना चाहती (पीछे की ओर मुड़ता श्रम आपूर्ति वक्र) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के बढ़ने पर नीति निर्माताओं के फोकस सहित श्रमिक बल में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि न होने की संभावना है। पिछले रुझान के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट की दर मानकर और महिला कार्य प्रतिभागिता पर शिक्षा तथा परिवार की बढ़ती आयु को विचार में लेकर एलएफटीआर में आगे और गिरावट आने की संभावना है। अतः बारहवीं योजना के दौरान श्रमिक बल में परम वृद्धि बहुत कम होने की संभावना है। इन अवधारणाओं के आधार पर बारहवीं योजना के दौरान जनसंख्या और श्रमिक बल प्रक्षेपण तालिका 22.13 में दर्शाए गए हैं।

22.40. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) का अधिनियम होने, राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) की शुरुआत होने और व्यावसायिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा के साथ एकीकरण होने से विद्यालय छोड़कर बाहर रहने की संख्या में काफी कमी होने की संभावना है। शिक्षित युवकों के लिए गैर-कृषि रोजगार के अवसर सृजित करना हमारे देश के लिए निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती है। माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण सार्वभौमिकरण करने (>90

प्रतिशत) के लक्ष्य को पूरा करने, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में 65 प्रतिशत का जीईआर प्राप्त करने, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन की संख्या जो वर्ष 2011-12 में 200.3 लाख थी, उसमें वृद्धि करके वर्ष 2011-12 तक 200.3 लाख करने के लिए श्रम बल (15-59 आयु वर्ग के) से लगभग 28 मिलियन को हटाना होगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समग्र श्रमिक बल सहभागिता दर में योजना अवधि के दौरान अधिक गिरावट न आए, महिला कार्मिकों की सहभागिता दर में वृद्धि करने के प्रयास किए जाएंगे।

कार्यबल प्रक्षेपण: कुल एवं क्षेत्रीय रोजगार प्रक्षेपण

22.41. इस अवधि के दौरान कुल रोजगार का आकलन अलग-अलग क्षेत्रों के लिए रोजगार प्रक्षेपणों के आधार पर किया गया है जिन्हें बाद में अर्थव्यवस्था के लिए समग्र रूप से संकलित किया जाता है। यह क्षेत्रीय रोजगार प्रक्षेपण जीडीपी विकास दर को रोजगार नम्यता के साथ जोड़कर (1999-00 से 2009-10), उसके आधार पर किया गया है। बारहवीं योजना अवधि में रोजगार की स्थिति के संबंध में दो संभावित परिदृश्य हैं। पहला है यथा-सामान्य व्यापार परिदृश्य जिसमें प्रक्षेपण कृषि, विनिर्माण, अविनिर्माण उद्योग और सेवाओं के लिए पिछले पांच वर्षीय योजना अवधि के लिए रोजगार की प्रवृत्तियों और विकास के विश्लेषण पर भरोसा करके किया गया है। यह इन प्रत्याशाओं पर बनाया गया है कि बारहवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि प्रणाली वही होगी जो ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान थी। दूसरा है बारहवीं योजना का परिदृश्य जो गुणवत्तापूर्ण एवं उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है जिसमें निम्न उत्पादकता वाले कृषि श्रमिकों का अंतरण, उच्चतर उत्पादकता वाले उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में बढ़ाने पर बल दिया गया है। यदि विनिर्माण क्षेत्र रोजगार में वृद्धि की गिरती प्रवृत्ति को कम करने तथा श्रम गहन विनिर्माण उद्योग के विस्तार पर अधिक बल देने में सक्षम होता है

तालिका 22.13
जनसंख्या और श्रम शक्ति अनुमान

वर्ष	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
कुल जनसंख्या (0+)	1210.2	1227.1	1244.0	1260.6	1277.1	1293.5	1309.7
15 और उससे अधिक जनसंख्या (प्रतिशत)	70.2	71.0	71.8	72.6	73.4	74.2	75.0
मिलियन में जनसंख्या (15 और उससे अधिक)	849.6	871.3	893.2	915.2	937.4	959.8	982.2
15 और उससे अधिक आयु के लिए एलएफपीआर (प्रतिशत)	56.3	55.4	54.6	53.7	52.9	52.0	51.2
श्रम शक्ति (15 और उससे अधिक) (मिलियन में)	477.9	482.7	487.2	491.5	495.4	499.1	502.4

स्रोत: एनएसएस दौर और 2011 की जनगणना।

तालिका 22.14
पिछले डेटा से रोजगार नम्यता

	कृषि	खनन और उत्खनन	विनिर्माण	उपयोगिताएं	निर्माण	व्यापार, परिवहन आदि	वित्त, अचल संपत्ति आदि	अन्य सेवाएं	कुल
रोजगार सापेक्षता	0.04	0.52	0.09	0.04	1.13	0.19	0.66	0.08	0.19

तो कृषि में उत्पादकता एवं विविधीकरण करके सुधार किया जाता है तो यह 4 प्रतिशत वृद्धि करने में सक्षम है और गैर विनिर्माण क्षेत्रों, खासकर सृजन एवं सेवा क्षेत्रों, में वृद्धि होती है, सुनियोजित परिदृश्य रोजगार प्रक्षेपणों के वैकल्पिक सेट को प्रदान करता है (सेट-2) बारहवीं योजना अवधि के दौरान विकास कार्यनीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि रोजगार अवसरों के रूप में प्रक्रिया में अवसंरचनात्मक परिवर्तन में तेजी आए।

रोजगार नम्यता

22.42. क्षेत्रीय रोजगार में उतार-चढ़ाव का परिकलन वर्ष 1999-00 से 2009-10 (स्वतंत्र चर) तक स्थिर कीमतों पर क्षेत्रीय जीडीपी के प्रक्षेपण में हुए परावर्तन के आधार पर और विभिन्न एनएसएसओ दौरों से प्राप्त 1999-00, 2004-05 और 2009-10 के रोजगार परिणामों को जोड़कर किया गया है।

सामान्य व्यापार परिदृश्य

22.43. यदि अर्थव्यवस्था एवं इसके क्षेत्रों में उसी दर से विकास होता रहा जिस दर से ग्यारहवीं योजना के दौरान हुआ था (तालिका 18.14) तो प्रक्षेपित रोजगार (15 वर्ष तथा उससे ऊपर के आयु वर्ग के लिए) मांग आधार पर 508.9 मिलियन हो जाएगा। इससे बेरोजगारी दर में कमी आएगी और जब इन्हें श्रम बल सहभागिता दर के साथ समायोजित किया जाएगा तो कृषि में रोजगार में कमी आने की संभावना है। सामान्य व्यापार परिदृश्य विकास दर से रोजगार में कृषि क्षेत्र के हिस्से में 2011-12 के 51.8 प्रतिशत से कम होकर 2016-17 में 47.3 प्रतिशत होने की संभावना है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र में अंतरण कम होगा यदि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में विस्तार तथा दक्षता उन्नयन न हो। (तालिका 22.15 व 22.16)

बारहवीं योजना परिदृश्य

22.44. यदि विनिर्माण क्षेत्र समग्र विकास दर (11 प्रतिशत) के अलावा दो प्रतिशत के विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो क्षेत्रीय विकास दर वही होगी जो तालिका 22.17 में दी गई है:

तालिका 22.15
क्षेत्रवार वृद्धि दर: व्यवसाय के रूप में सामान्य परिदृश्य

क्षेत्र	वृद्धि दर
कृषि	3.3
खनन और उत्खनन	3.2
विनिर्माण	6.8
उपयोगिताएं	6.0
निर्माण	7.3
व्यापार, परिवहन, होटल आदि	10.0
वित्त, बीमा, अचल संपत्ति आदि	10.7
सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	8.3
कुल	7.9

22.45. बारहवीं योजना के लिए विनिर्माण नीति का मुख्य लक्ष्य श्रम-गहन विनिर्माण पर बल देकर तथा श्रम विनियामक ढांचे में उपयुक्त संशोधन द्वारा 10 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना है ताकि विनिर्माण क्षेत्र देश में रोजगार संवर्धन का एक वास्तविक साधन बन जाए। यदि हम विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में अधिक उत्पादनकारी एवं गुणवत्तापूर्ण (संगठित एवं स्वरोजगार) रोजगार पर अधिक प्रकाश डालते हैं तो गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन अतिरिक्त कार्य सृजित होंगे परन्तु इसके लिए बाजार जरूरतों के मुताबिक दक्षता विकास के रूप में भारी प्रयास करने की जरूरत है। विशेषकर विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, आतिथ्य एवं वित्तीय सेवाएं वे क्षेत्र हैं जहां दक्षता विकास से रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होगी।

22.46. चूंकि श्रम बल की ओर अधिक दक्ष व्यक्ति, अपनी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कार्य पूरा करने के पश्चात, आ रहे हैं इसलिए कृषि क्षेत्र में अर्ध रोजगार में लगे श्रमिकों को गैर-कृषि क्षेत्र में नौकरियों के अवसर सृजित करके भरा जा सकता है। इससे, योजनागत परिदृश्य में, कृषि क्षेत्र में रोजगार के प्रक्षेपित हिस्से में कुल में से लगभग 45 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इसका विस्तृत विवरण संक्षेप में तालिका 12.18 में दिया गया है।

तालिका 22.16
क्षेत्रवार रोजगार (मिलियन में): व्यवसाय के रूप में सामान्य परिदृश्य

वर्ष	कृषि	खनन और उत्खनन	विनिर्माण	उपयोगिताएं	निर्माण	व्यापार, परिवहन, होटल आदि	वित्त, बैंकिंग, अचल संपत्ति आदि	सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	कुल
2009-10	241.7	2.7	50.0	1.4	43.6	68.6	9.5	37.2	454.7
2011-12	242.3	2.8	50.6	1.4	51.1	71.2	10.9	37.7	468.0
2016-17 (शुद्ध मांग पक्ष)	243.9	3.1	52.2	1.4	75.8	78.2	15.4	39.0	508.9
2016-17 (श्रम शक्ति की भागीदारी दरों के लिए समायोजित)	237.4	3.1	52.2	1.4	75.8	78.2	15.4	39.0	502.4
प्रतिशत में रोजगार के अनुमानित शेयर									
2011-12	51.77	0.60	10.81	0.29	10.91	15.22	2.34	8.06	100.0
2016-17	47.25	0.61	10.38	0.28	15.09	15.57	3.06	7.77	100.0

तालिका 22.17
क्षेत्रवार वृद्धि दर: बारहवीं योजना परिदृश्य

	कृषि	खनन और उत्खनन	विनिर्माण	उपयोगिताएं	निर्माण	व्यापार, परिवहन, होटल आदि	वित्त, बीमा, अचल संपत्ति आदि	सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	कुल
वृद्धि दर	4.0	3.2	11.0	6.0	7.3	10.0	10.7	8.3	9.0

22.47. संक्षेप में बारहवीं योजना में मांग से जुड़े दक्षता विकास पर बल दिया जाना चाहिए और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए ताकि बेरोजगार श्रम बल को कम वेतन वाले कृषि क्षेत्र से बाहर लाकर अधिक वेतन वाले विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में लगाया जा सके। इसी तरह हमें महिलाओं द्वारा कार्य करने की स्थितियों में सुधार करने की जरूरत है ताकि महिला सहभागिता की दर को बढ़ाया जा सके और अधिक संगठित क्षेत्र के काम पर बल दिया जा सके जिससे शिक्षितों और कार्यकुशल युवकों की बढ़ती संख्या की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

रोजगार नीति की चुनौतियां

रोजगार के अवसर बढ़ाना

22.48. विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन में वृद्धि होने के बावजूद रोजगार में उतार-चढ़ाव आया है। उच्च विकास से जुड़ा सामान्य संरचनात्मक रूपान्तरण, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में अभी तक नहीं हुआ है और अधिक से अधिक लोक कृषि क्षेत्र में तथा कृषि संबंधी अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करते रहे। ऐसी उम्मीद है कि

बारहवीं योजना में विनिर्माण क्षेत्र को विकास का प्रमुख साधन बनाया जाएगा जो वर्ष 2022 तक 100 मिलियन कार्य के अवसर सृजित करेगा। श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र अर्थात् वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं पदत्राण, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि की जा सकती है बशर्ते कि सरकार समर्थक नीति बनाए। इनमें से कुछ का उल्लेख निम्नलिखित उप-खंड में किया गया है।

22.49. संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त एवं बैंकिंग पर्यटन, व्यापार और परिवहन जैसे सेवा क्षेत्रों में बारहवीं योजना के दौरान तथा उसके पश्चात रोजगार में भारी वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीतियां अपनाने की जरूरत है।

विनियामक रूपरेखा को सरल बनाना

22.50. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अभिशासित श्रम कानूनों की बहुलता फ़ैक्टरी क्षेत्र में रोजगार का विकास करने में सहायक नहीं

तालिका 22.18
क्षेत्रवार रोजगार (मिलियन में): बारहवीं योजना परिदृश्य

वर्ष	कृषि	खनन और उत्खनन	विनिर्माण	उपयोगिताएं	निर्माण	व्यापार, परिवहन, होटल आदि	वित्त, बैंकिंग, अचल संपत्ति आदि	सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	कुल
2011-12	242.4	2.8	51.0	1.4	51.1	71.2	10.9	37.7	468.6
2011-12	कृषि 242.4	गैर कृषि 226.1							
2016-17	226.0	3.1	63.5	1.4	75.8	78.2	15.4	39.0	502.4
2016-17	कृषि 226.0	गैर कृषि 276.4							
रोजगार के अनुमानित शेर (प्रतिशत में)									
2011-12	51.74	0.60	10.88	0.29	10.90	15.20	2.33	8.06	100.00
2016-17	44.99	0.61	12.65	0.28	15.09	15.57	3.06	7.77	100.00

स्रोत: क्षेत्रीय रोजगार अनुमान 9 प्रतिशत की आरंभिक विकास दर पर आधारित है और अगर 8 प्रतिशत पर आधारित होते हैं तो परिवर्तन से गुजरना होगा।

है। असंगठित क्षेत्र का 84 प्रतिशत श्रम कानूनों की परिधि से बाहर है जबकि 16 प्रतिशत संगठित क्षेत्र के सभी स्तरों पर विनियामक हस्तक्षेप हैं। श्रम कानूनों को केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तर पर सरल बनाने की जरूरत है। विशेषकर निम्नलिखित कार्य तत्काल आधार पर किए जाने की जरूरत है:

1. औद्योगिक विवादों, खासकर उन सामूहिक विवादों का शीघ्र निपटारा करने की जरूरत है जिनका कानून एवं व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी को समझौता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
2. संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे कामगारों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए जिसमें पेंशन, चिकित्सा बीमा और वे सभी बेरोजगारी लाभ प्रदान कराने का प्रावधान किया जाए जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सभी नियोक्ताओं द्वारा अबाध रूप से हस्तांतरणीय हैं। असंगठित क्षेत्र में भी कामगारों के लिए समुचित प्रावधान करने की जरूरत है जहां उनके अंशदान को सरकार द्वारा कुछ सहायता देकर बढ़ाया जा सकता है।
3. समग्र रोजगार में वृद्धि करने के लिए कम से कम श्रम गहन विनिर्माण उद्योगों जैसे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा एवं पदत्राण, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण आदि को अपना श्रम बल मांग में उतार-चढ़ाव के अनुरूप समायोजित करने की अनुमति होनी चाहिए। अधिक बल श्रम बाजार नम्यता पर श्रमिकों की कार्यकुशलता से समझौता किए बिना दिया जाना चाहिए।

विशिष्ट वर्गों की समस्याओं का निराकरण

22.51. एनएसएस आंकड़े दर्शाते हैं कि अभी हाल ही के वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला रोजगार में कमी आयी है। यह चिंता का एक प्रमुख विषय है तथा बारहवीं अवधि के दौरान इसका निराकरण किए जाने की जरूरत है। इसमें लड़कियों तथा युवतियों को माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा में अधिक दाखिले दिलाकर आंशिक रूप से सुधार किया जा सकता है, इससे महिलाओं द्वारा कार्य में सहभागिता से घरों की बढ़ती आय दर के रूप में भी महसूस किया जा रहा है। जैसे घरों की आय बढ़ती है और बजट की दिक्कत कम होती है, महिलाएं उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अधिक उपयोग करती हैं और अपने घर की देखभाल भी अधिक सावधानी से करती हैं। कार्य में महिलाओं की गिरती सहभागिता में कमी लाने का केवल एक ही तरीका है और वह है कार्य के माहौल को महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी बनाना तथा घर निर्माण एवं शिशु देखभाल की जरूरतों के लिए प्रावधान करना।

22.52. शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की वृद्धि बारहवीं योजना अवधि के दौरान चिंता का एक मुख्य मुद्दा हैं। भारत विश्व के उन कुछ प्रमुख देशों में से है जहां पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसका प्रमुख कारण है व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव जिससे नौकरी बाजार में गड़बड़ी होती है। इसी तरह, अल्पसंख्यकों, अ.जा./अ.ज.जा. तथा अपंग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और रोजगार उन्मुखी शिक्षा इस ढंग से देने की जरूरत है जिससे समाज के सम्वेदनशील तबके की जरूरतों का सुनिश्चयन हो सके।

कौशल अंतराल को भरना

22.53. श्रमिक वर्ग में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का कौशल बढ़ाने और उनमें पुनः कौशल बढ़ाने एवं भारत के भौगोलिक बदलाव के अनुरूप उनके कौशल में वृद्धि करने की जरूरत है। हालांकि, उच्च तकनीकी शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ा है परन्तु नियोजित वर्ग अभी भी इस बात की शिकायत कर रहा है कि कार्यकुशल व्यक्तियों की अपेक्षित संख्या अभी भी उपलब्ध नहीं है। इस चुनौती का अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर दोनों पर मिशन मोड तरीके से समाधान निकालने की जरूरत है, ऐसा न करने पर जनसांख्यिकीय बदलाव से होने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कौशल संवर्धन से कार्मिकों के वेतन में वृद्धि होती है और इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक विकास प्रभाव पड़ता है।

22.54. ऊपर उल्लेख किए गए रोजगार संबंधी चुनौतियों का निराकरण करने की जरूरत है जिससे कि बारहवीं योजना की कार्यसूची में शामिल अधिक तेजी से एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसलिए, बारहवीं योजना में रोजगार के लिए बनी कार्यनीति में कौशल विकास को मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए। भारत में दक्षता विकास की वर्तमान स्थिति, उससे उभरी चुनौतियों तथा अपेक्षित मानव शक्ति में दक्षता विकास करने के लिए कार्ययोजना का विस्तृत वर्णन किया जाएगा ताकि एक ओर जनसांख्यिकीय बदलाव से होने वाले लाभ प्राप्त हो सके तथा दूसरी ओर समावेशी विकास के लिए श्रमिकों की रोजगारपरकता में वृद्धि की जा सके।

कौशल विकास: एक चुनौती

22.55. कौशल विकास एक ओर अधिक तेज, स्थिर और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तथा दूसरी ओर देश के बढ़ते युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए आवश्यक है। प्राप्त में उपलब्ध अवसरों का जनसांख्यिकीय वर्णन इसे विश्व में सर्वाधिक कुशलता प्राप्त युवा वर्ग के रूप में विकसित करेगा। भारत न केवल अपनी विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव शक्ति की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी बल्कि यह पुरानी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी हितकर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी सत्य ही उल्लेख किया है कि युवा वर्ग केवल तभी एक परिसंपत्ति होता है जब वह शिक्षित, कुशल हो और उसे उत्पादक रोजगार मिले। यदि ऐसा होता है तो भारत की 10 प्रतिशत या उससे अधिक वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने का हमारा सपना काफी हद तक पूरा हो जाएगा। बोस्टन परामर्शी वर्ग द्वारा 2007 में किए गए अध्ययन से स्पष्ट संकेत मिलता है कि 2020 तक भारत

में 56 मिलियन कार्यशील युवक बेरोजगार होंगे वही शेष विश्व में 47 मिलियन युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तथापि, इस भारी एवं बढ़ती युवा आबादी को अल्प साधनों द्वारा दक्ष बनाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बारहवीं योजना की कुशलता कार्यनीति में इन कौशल चुनौतियों का प्रतिदर्श आउटरीच, गुणवत्ता, व्यवस्थित/संस्थागत सेट अप, कौशल विकास प्रयासों की वर्तमान स्थिति तथा बारहवीं योजना में प्रस्तावित विभिन्न आर्थिक नीतियों की वर्तमान स्थिति के रूप में किया गया है।

22.56. द्वितीयक एवं जीडीपी के भूभागीय क्षेत्रों के योगदान में वृद्धि और जनसांख्यिकीय बदलाव का दक्षता विकास कार्यनीति पर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2022 तक भारत ने इसकी आबादी के 63 प्रतिशत लोग कार्य करने वालों की आयु वर्ग में होगी। वर्ष 2015 में चीन के जनसांख्यिकीय बदलाव में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा परन्तु भारत में यह वर्ष 2040 तक बना रहेगा। भारत को अपनी युवा आबादी को दक्षता एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, यदि यह अवसर बना रहा। तथापि, भारत में पूरे देश में जनसांख्यिकीय बदलाव मौजूद है तथा पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी राज्यों में यह भिन्नता सर्वाधिक है, उत्तरी राज्यों में युवा वर्ग की आबादी ज्यादा होगी जबकि दक्षिणी राज्यों में बुजुर्ग लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अनुबंध 22.4 से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में निर्भरता की दर क्रमशः 1.05 एवं 1.08 है जोकि तमिलनाडु एवं केरल में निर्भरता की दर क्रमशः 17.4 तथा 1.79 हैं। यह अखिल भारतीय निर्भरता दर के स्तर 1.33 से न्यूनतर दर है।

22.57. कार्य करने वाले युवा वर्ग की आबादी के हिस्से में वृद्धि से रोजगार के अवसरों की मांग में बढ़ोतरी होगी। तथापि, जनसांख्यिकीय भिन्नता की पूर्ण संभावनाओं से लाभ प्राप्ति गैर कृषि रोजगार अवसरों का सृजन करके और मौजूदा कौशल का उन्नयन करके तथा कार्यबल में नव आगन्तुकों की संख्या बढ़ाकर की जा सकती है।

श्रमिक बल की शिक्षा का स्तर

22.58. एनएसएस (तालिका 22.19) के 66वें दौर के अनुसार भारत में 15 से 59 आयु वर्ग के 50 प्रतिशत से अधिक श्रमिक बल में सामान्य शिक्षा का स्तर बहुत अधिक कम है। यूपीएसएस आधार पर कुल 431 मिलियन श्रमिक बल में से 29 प्रतिशत लोग साक्षर भी नहीं हैं और 24 प्रतिशत लोग केवल प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त है। बाकी बचे में से 29 प्रतिशत श्रमिक वर्ग की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक है जिसमें 17.6 प्रतिशत व्यक्ति माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त है।

लगभग 17 प्रतिशत को उच्चतर शिक्षा प्राप्त है (उच्चतर माध्यमिक, डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, स्नातक, और स्नातक से अधिक)।

22.59. जैसा कि एक अध्याय में उल्लेख किया गया है, विकास से कृषि में लगे श्रमिकों का उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अंतरण होने की संभावना है। तथापि, श्रमिक बल की शिक्षा का न्यून स्तर, खासकर कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की शिक्षा का स्तर, इन्हें गैर कृषि क्षेत्र में जाने में समस्या या दिक्कतें पैदा करता है। वे केवल अल्पवेतन वाले निर्माण उद्योग में श्रमिक के रूप में कार्य पाने में सक्षम होते हैं। दूसरे शब्दों में, आधारभूत दक्षता सुनिश्चित करने की जरूरत है अर्थात् श्रमिक बल में कम से कम कार्यात्मक साक्षरता और संख्याओं की जानकारी होना आवश्यक है।

श्रमिक बल में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित लोगों की भागीदारी

22.60. एनएसएस के 66वें दौर (2009-10) के अनुसार श्रमिक बल में 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित लोगों की संख्या उस आयु वर्ग में कुल श्रमिक बल की संख्या 10 प्रतिशत के लगभग हैं। औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की समग्र संख्या वर्ष 2009-10 में 1.9 मिलियन थी। श्रमिक बल में 9 मिलियन अन्य लोगों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण औपचारिक रूप से पहले ही प्राप्त कर लिया है। अंततः 32.7 मिलियन अन्य लोगों को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। अतः, श्रमिक

बल में (15 – 59) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके या प्राप्त कर रहे लोगों की कुल संख्या वर्ष 2009-10 में 43 मिलियन थी।

कामगारों की शैक्षिक अर्हता और व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.61. कामगारों की प्रोफाइल पर नजर डालने से यह स्पष्ट होता है कि अशिक्षित कामगारों का अनुपात कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों में सबसे ज्यादा (लगभग 40 प्रतिशत) हैं उसके बाद गैर विनिर्माण क्षेत्र में यह संख्या सर्वाधिक (33 प्रतिशत) हैं जैसा कि तालिका 22.20 से स्पष्ट है।

22.62. 15-59 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 10 प्रतिशत श्रमिक वर्ग को किसी न किसी तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कामगारों का अनुपात सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक (33 प्रतिशत) है उसके पश्चात विनिर्माण में (31 प्रतिशत), कृषि (27 प्रतिशत), और गैर विनिर्माण एवं सहबद्ध क्रियाकलापों में (9 प्रतिशत) है। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि कामगारों की अधिकांश संख्या ने अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों का सर्वाधिक अनुपात कृषि क्षेत्र में है और यह प्राथमिकता पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के अंतरण पर आधारित है। गैर कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केवल कार्य के ज्ञान के बारे में था। इतनी अधिक सीमा तक अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निर्भरता यह दर्शाती है कि हमारे देश में इस समय विद्यमान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली

तालिका 22.19
15-59 वर्ष आयु समूह में श्रम शक्ति (पीएस+एसएस) के सामान्य शिक्षा स्तर

	संख्या (एमएन)	15-59 आयु समूह में श्रम शक्ति में शेयर प्रतिशत	श्रम शक्ति (470.1 मिलियन) प्रतिशत में शेयर
साक्षर नहीं	125.65	29.14	26.73
औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर	2.12	0.49	0.45
प्राथमिक से कम + प्राथमिक	102.38	23.74	21.78
मध्यम	76.08	17.64	16.18
माध्यमिक	52.39	12.15	11.14
उच्चतर माध्यमिक	29.19	6.77	6.21
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	6.02	1.40	1.28
स्नातक	28.01	6.49	5.96
स्नातक और उससे अधिक	9.40	2.18	2.00
कुल	431.23	100.00	91.73

स्रोत: एनएसएस 66 दौर 2009-10।

तालिका 22.20

क्षेत्र (मिलियन), 2009-10 द्वारा शिक्षा के स्तर द्वारा कामगारों (15-59 के आयु समूह में पीएस+एसएस) की अनुमानित संख्या

	कृषि और संबद्ध	विनिर्माण	गैर – विनिर्माण	सेवा	कुल
साक्षर नहीं	87.36	9.56	14.42	13.65	124.99
औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर	1.23	0.25	0.21	0.42	2.11
प्राथमिक से कम + प्राथमिक	57.62	12.69	12.47	18.32	101.10
मध्यम	36.20	10.27	8.67	18.98	74.12
माध्यमिक	21.30	7.02	4.27	18.21	50.79
उच्चतर माध्यमिक	10.36	3.21	1.45	12.43	27.45
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	0.58	1.16	0.53	3.12	5.39
स्नातक	3.84	3.01	1.25	17.82	25.93
स्नातक और उससे अधिक	0.74	0.73	0.24	7.00	8.70
कुल	219.23	47.90	43.50	109.96	420.59

स्रोत: एनएसएस (66वां दौर), 2009-10 से गणना।

सकल रूप से अपर्याप्त है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त उन लोगों की विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र में भागीदारी, जिन्होंने अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, के बीच बहुत कम अंतर है (कृषि क्षेत्र में 86 प्रतिशत और विनिर्माण क्षेत्र में 91.7 प्रतिशत)। उन अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी 56 प्रतिशत से काफी कम है (तालिका 22.21)।

बारहवीं योजना के लिए कौशल लक्ष्य

22.63. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के 50 मिलियन अवसर सृजित होने का प्रस्ताव है और लगभग इतने ही लोगों को कौशल प्रमाणपत्र दिया जाएगा। देश में मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता 4.5 मिलियन है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे दोगुने से ज्यादा करने की जरूरत है।

ग्यारहवीं योजना का सिंहावलोकन

22.64. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन के उपयोग पर प्रकाश डालते समय यह माना कि कौशल निर्माण केवल स्थिर प्रक्रिया नहीं है और लोगों के कौशल में लगातार उन्नयन करने की जरूरत होती है जिससे कि श्रमिक बल संगत और रोजगार योग्य बना रहे। इसी को महसूस करते हुए कौशल विकास पर समन्वित कार्यवाई वर्ष 2008 में शुरू की गई थी जिसमें तीन स्तरीय अभिशासन संरचना का प्रावधान किया गया था अर्थात् नीति निर्देशन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में प्रधान मंत्री की कौशल

विकास परिषद, जिसे योजना आयोग में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीबी) द्वारा कौशल विकास एवं राष्ट्रीय कौशल विकास के कार्य में लगे विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रयासों का समन्वय करने और उनके साथ सहक्रिया करने के लिए सहायता दी जाएगी ताकि कौशल विकास हेतु निजी क्षेत्र के प्रयासों का समन्वय किया जा सके। ग्यारहवीं योजना के दौरान अधिकांश राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में कौशल विकास के प्रयासों को मापने तथा उनका समन्वय करने एवं उन पर बल देने के लिए राज्य कौशल विकास मिशन स्थापित किए थे। वर्ष 2009 में कौशल विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति भी बनाई गई जिसमें नीति सामर्थ्यता, समावेशन, गुणवत्ता सुधार को शामिल किया गया था जिससे कि रोजगार में वृद्धि की जा सके। अतः, सरकार ने कौशल पहलों के कार्यान्वयन के लिए उच्चतम स्तर पर अभिशासन रूपरेखा बनाई तथा समर्थकारी माहौल का प्रावधान करने के लिए एक नीति बनाई और कौशल विकास के सामने उपस्थित चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए एक रूपरेखा तैयार की।

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009

22.65. वर्ष 2009 में बनी राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में सभी व्यक्तियों को विकसित कौशल, ज्ञान और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त अर्हता के जरिए सशक्त करने की परिकल्पना की गई है जिससे कि उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके और वे विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित कर सकें।

तालिका 22.21

2009-10 में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों (प्रतिशत) के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षित कामगारों (15-59 वर्ष के आयु समूह में पीएस+एसएस) का वितरण

	कृषि और संबद्ध	विनिर्माण	गैर-विनिर्माण	सेवा	कुल
औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त	18.7	16.6	5.5	59.2	100
औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण: औपचारिक	7.8	19.8	8.1	64.4	100
गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त, किस में	31.9	35.0	11.0	39.7	100
गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त: वंशानुगत	56.9	26.3	4.1	12.6	100
गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त: स्वयं सीखना	26.4	33.5	9.2	30.8	100
गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त: नौकरी पर अध्ययन	11.1	45.1	14.5	29.3	100
गैर औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त: अन्य	22.0	33.6	7.0	37.4	100
कुल	26.8	31.4	8.7	33.1	100

स्रोत: एनएसएस (66वां दौर), 2009-10 से गणना।

कौशल अंतराल में चुनौतियों से निपटने की नीति की मुख्य विशेषताएं बॉक्स 22.2 में दी गई हैं।

प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार— औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एमईएस (वीटीपीएस) एवं पॉलीटेक्निस

22.66. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा निजी क्षेत्र में चलाए जा रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अवसंरचना का स्तर जो योजना के प्रारंभ में 5114 था, जो बढ़कर 9447 के स्तर तक पहुंच गया। सिटिंग क्षमता भी जो वर्ष 2007 में 7.42 लाख भी बढ़कर 13.35 लाख हो गयी। तथापि, आईटीआई/आईटीएस संस्थान अधिकांशतः दक्षिण और पश्चिम में ही अधिक रहे जो निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर कुछ 67 प्रतिशत के लगभग है। ये देश की 51 प्रतिशत आबादी की जरूरतें पूरी करते हैं। इनकी सिटिंग क्षमता देश की कुल सिटिंग क्षमता की 60 प्रतिशत है इसके अलावा उत्तर एवं पूर्व में देश की 49 प्रतिशत आबादी के लिए 40 प्रतिशत सिटिंग क्षमता सहित केवल 33 प्रतिशत आईटीआई है। प्रत्येक जोन में राज्यवार विभिन्नताएं हैं।

22.67. स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों को प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच बनाने/और असंगठित क्षेत्र में कामगारों को प्रशिक्षण देने की जरूरत को मानते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने “मॉड्यूलर रोजगार योग्य दक्षताओं (एमईएस)” कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें भावी प्रशिक्षुओं को सरकारी एवं निजी अवसंरचना का प्रयोग करके अल्पावधिक पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। 60 से अधिक क्षेत्रों को कवर करते हुए

1402 मॉड्यूलर विकसित किए गए हैं, आकलन करने के लिए 36 आकलन निकायों को पैनलबद्ध किया गया है, 6951 व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वालों का पंजीकरण किया गया है और दिनांक 31.3.2012 तक 13.53 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया/परीक्षा ली गई।

22.68. इसके अतिरिक्त, आईटीआई में बहु-दक्षता पाठ्यक्रमों की शुरुआत द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण से उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन करके और उनका उन्नयन में सुधार आया है। यह संस्थान प्रबंधन समितियों (आईएससी) के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी है जिसमें उद्योगों, सरकार एवं शैक्षिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं जो स्थानीय उद्योग में उभरती दक्षता मांग के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अभिज्ञान प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आईएमसी को 10 वर्ष के ऋण स्थगन सहित ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है और यह ऋण 20 वर्षों की अवधि में समान वार्षिक किस्तों में देय होता है। उक्त प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन से भौतिक अवसंरचना में सुधार प्रदर्शित होता है।

22.69. परन्तु गुणवत्ता प्रशिक्षकों की कमी चिंता का मुख्य कारण बना हुआ है, जिसे तत्काल मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एमआईटीआई) में सुविधाओं के उन्नयन और डीजीएफटी के तहत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की क्षमता उन्नयन द्वारा भी सुलझाने की जरूरत है। पॉलीटेक्निस में परंपरागत विषयों के अलावा सेवा क्षेत्र की कुशल जनशक्ति मांग को पूरा करने के लिए विविधीकृत किया

बॉक्स 22.2

विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करने के लिए कौशल नीति

उद्देश्य

सुस्थापित एवं नवाचारी पहुंच अपनाकर आउटरीच का विस्तार करके सभी को लिंग, क्षेत्र, समाज या क्षेत्रीय भेदभाव के बिना प्रशिक्षण देना जिससे कि सभी समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

- सामाजिक भागीदारों सहित सभी पणधारियों की बेहतर एवं सक्रिय संलग्नता का संवर्धन करना और कौशल विकास में एक सशक्त, सहजीवी, निजी सार्वजनिक भागीदारी विकसित करना।
- मौजूदा एवं रोजगार की उभरती बाजार जरूरतों से संगत उच्च क्वालिटी मांग प्रेरित दक्ष कार्यबल/उद्यमी विकसित करना।
- ऐसी नम्य सुपुर्दगी व्यवस्था विकसित करना जो पणधारियों की विस्तृत जरूरतों को पूरा कर सके।
- केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न मंत्रालयों, तथा सार्वजनिक एवं निजी प्रदाताओं के बीच में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।
- अनुसंधान, विकास, गुणवत्ता सुनिश्चय, परीक्षा एवं प्रमाणन, सम्बद्धता एवं प्रत्यायन और सम्पूर्ण देश में कौशल विकास का समन्वय करने के लिए संस्थागत तंत्र सृजित करना।

कवरेज

राष्ट्रीय कौशल नीति का उद्देश्य दक्षता सुपुर्दगी के निम्नलिखित तरीकों का संवर्धन करना: आईटीआई/निजी आईटीआई/ व्यावसायिक स्कूल/ तकनीकी विद्यालय/पॉलीटेक्निक/ व्यावसायिक कॉलेजों सहित संस्था आधारित कौशल विकास करना; विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कौशल विकास की सीखने की पहल; औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षुता तथा उद्यमियों द्वारा अन्य प्रकार का प्रशिक्षण, स्व-रोजगार/उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, सेवानिवृत्त होगा या सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों का पुनःप्रशिक्षण तथा आजीवन सीखना, सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण सहित अनौपचारिक प्रशिक्षण; और ई-अधिगम, वेब आधारित अधिगम एवं दूरस्थ शिक्षा।

वित्त

सभी पणधारी केन्द्र एवं राज्य सरकारें, उद्यम-निजी एवं सार्वजनिक और प्रत्यक्ष लाभग्राही व्यक्ति दक्षता विकास के लिए वित्तपोषण करके या वस्तु रूप में सहायता देकर भागीदारी करेंगे।

गया है। महिला पॉलीटेक्निक्स वस्त्र प्रौद्योगिकी, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र डिजाइन जैसे पाठ्यक्रम प्रदान करते रहे। पॉलीटेक्निक्स की संख्या बढ़कर वर्ष 2009-10 में 1914 हो गई। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास संबंधी समन्वित कार्य के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित की स्थापना के प्रयास किए हैं –

- सीआईआई, फिक्की, एसोचेम और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ परामर्श करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पीपीपी के जरिए 300 पॉलीटेक्निक्स स्थापित किए जाएंगे।
- निजी क्षेत्र द्वारा 400 अतिरिक्त पॉलीटेक्निक्स स्थापित किए जाएंगे।

22.70. प्रभावी व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था के लिए केवल प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है परन्तु प्रशिक्षण का न्यूनतम स्तर बनाए रखना भी आवश्यक है। अधिदेशित प्रत्यायन प्रणाली के लिए उपयुक्त संस्थागत रूपरेखा सृजित करनी होगी। तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालयों आदि के लिए प्रत्यायन निकायों की क्षमता बढ़ाने का विवरण शिक्षा वाले अध्याय में दिया गया है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस)

22.71. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 254 उद्योगों के समूह शामिल हैं और लगभग 27000 प्रतिष्ठान प्रशिक्षुओं को नियोजित करते हैं। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय केन्द्र सरकार के उपक्रमों तथा विभागों में ट्रेड प्रशिक्षुओं के मामले में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसे कोलकाता, मुम्बई, चेन्नै, हैदराबाद, कानपुर तथा फरीदाबाद स्थित छह क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना में 15-18 वर्ष की आयु के कम से कम आठ वर्षों तक स्कूली शिक्षा प्राप्त बच्चे शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का माध्यमिक शिक्षा विभाग स्नातकों, तकनीशियनों एवं तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के मामले में इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसे कानपुर, कोलकाता, मुम्बई तथा चेन्नै स्थित चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से किया जाता है और 19 से 22 वर्ष के इंजीनियरी एवं प्रबंध में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री

तालिका 22.22
भारत में प्रशिक्षुओं की संख्या
(प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत)

वर्ष	ट्रेड प्रशिक्षु (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)			स्नातक, तकनीशियन एवं तकनीशियन (व्यावसायिक) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)		
	सीटों की उपलब्धता लाख में	उपयोग की गई सीटें लाख में	उपयोग का प्रतिशत	सीटों की उपलब्धता लाख में	उपयोग की गई सीटें लाख में	उपयोग का प्रतिशत
मार्च, 2011 तक	3.37	2.21	65.57	1.02	0.65	63.74

स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।

धारी बच्चे इसमें शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत विनिर्माणकारी एवं गैर-विनिर्माणकारी उद्योग और उनमें भी केवल संगठित क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है तथा असंगठित क्षेत्र को पूरी तरह प्रशिक्षुता की अनौपचारिक प्रणाली पर छोड़ दिया जाता है। योजना के तहत कार्यक्रम की प्रगति तालिका 22.22।

स्कूली शिक्षा का व्यावसायीकरण

22.72. विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षण वर्ष 1985 में आरम्भ किया गया था लेकिन 11वीं योजना के आरम्भ में योजना की प्रगति बहुत कम थी केवल 3 प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिल हुए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के व्यावसायीकरण की वर्तमान योजना में सुधार करने के लिए इसमें वर्ष 2011 में परिवर्तन किया, जिसका उद्देश्य 10000 विद्यमान माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विषयों से सुदृढ़ करना तथा राज्य सरकारों के माध्यम से 100 नए व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करना है। इस योजना में 500 व्यावसायिक विद्यालयों को पीपीपी मोड के अन्तर्गत चलाने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षण के 2000 शिक्षकों को 7 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने तथा व्यावसायिक शिक्षण के 1000 नए शिक्षकों को 30 दिनों का प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करने का एक प्रावधान है। प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए दक्षता आधारित 250 अलग-अलग मॉड्यूलों के विकास का प्रस्ताव है। तीन वर्षों में एक बार पाठ्यविषयों में संशोधन अनिवार्य है जिससे पाठ्यविषयों को उद्योग की आवश्यकता के अनुसार तैयार करने का सुनिश्चय किया जा सके। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक अलग व्यावसायिक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। अल्पावधि अभिनव व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। सभी घटक तथा कार्यक्रमलाप राष्ट्रीय कुशलता अर्हता रूपरेखा (एनक्यूएफ) के मार्गदर्शन में होंगे।

22.73. अब तक का दृष्टिकोण स्वतंत्र व्यावसायिक शिक्षण सुविधाएँ तैयार करने की दिशा में है। समय की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालयों का उपयोग विद्यालय के कार्यसमय के उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए किया जाए। इस पद्धति के जरिए कुशलता हासिल करने के लिए विद्यार्थियों तथा युवाओं को प्रमाणित करने के प्रयोजन से व्यावसायिक शिक्षण प्रमाणन की एक औपचारिक प्रणाली तैयार करनी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसमें पर्याप्त एवं उपयुक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता होगी।

सार्वजनिक निजी भागीदारी का संवर्धन

22.74. ग्यारहवीं योजना के दौरान कुशलता विकास की कार्यनीति में निदर्शनात्मक बदलाव देखा गया है जब कुशलता विकास में सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता मॉडल को प्रोत्साहित किया गया है। आईटीआई तथा पॉलीटेकनिक दोनों ही स्तरों पर वर्तमान संस्थानों की क्षमता का दर्जा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के अलावा, निजी क्षेत्र के प्रयासों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम (एनएसडीसी) के रूप में एक सांस्थानिक ढाँचा तैयार किया गया है। एनएसडीसी द्वारा कौशल कार्यक्रमलाप के लिए निजी भागीदारों को आसान ऋण प्रदान किए जाते हैं। एनएसडीसी 28 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 365 जिलों के संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्य करता है। अपने भागीदारों के सहयोग से, एनएसडीसी ने वर्ष 2011-12 के दौरान 1.8 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जिनका कुल प्लेसमेंट लगभग 79 प्रतिशत है।

22.75. जिसमें सभी पणधारी – उद्योग, प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा शैक्षिक संस्थानों को एक साथ लाया जाना। एनएसडीसी द्वारा अभिज्ञात प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए आंचलिक कुशलता परिषदों को

अनुमोदन प्रदान किया गया है। मार्च 2012 तक, ऐसी 11 आंचलिक कुशलता परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है। आंचलिक कुशलता परिषदों से अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तैयार करना, प्रमाणन एवं प्रत्यायन के मानदण्ड निर्धारित करना, उद्योग में कुशलता विकास की वर्तमान आवश्यकताओं पर ज्ञान का भण्डार तैयार करने का प्रयास करना, कुशल कामगारों की आपूर्ति का मूल्यांकन करना, प्रत्येक क्षेत्र में माँग और पूर्ति के बीच अन्तराल का पता लगाना, तथा प्रवृत्तियों एवं भावी आवश्यकताओं का पता लगाना अपेक्षित है।

गरीब तथा संवेदनशील लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

22.76. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब एवं समाज के कमजोर वर्गों के युवा लोगों को कुशलता का प्रशिक्षण देकर और लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराकर अधिकारिता प्रदान करने की योजनाएँ आरम्भ की हैं जिनमें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई-एसपी) के अन्तर्गत "ग्रामीण बीपीएल युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी कुशलता विकास विशेष परियोजनाएँ" तथा उद्यमशीलता विकास के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में प्रयोजनमूलक कुशलता विकास अवसरचना की स्थापना के लिए आरयूडीएसईटीआई शामिल हैं। एसजीएसवाई का पुनर्गठन किया गया है और इसे एनआरएलएम/आजीविका का नाम दिया गया है, जो गरीबों की सहजात क्षमताओं का उपयोग करने पर ध्यान देता है और देश की विकासशील अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए उनकी क्षमताओं (सूचना, ज्ञान, कुशलता, उपकरण, वित्त, सामूहिकीकरण) को समर्थन प्रदान करता है। मंत्रालय ने जम्मू तथा कश्मीर के युवाओं के लिए हिमायत नामक रोजगार से जुड़ी एक कुशलता विकास योजना भी आरम्भ की है। हिमायत योजना में जम्मू तथा कश्मीर के 1 लाख युवाओं को अगले 5 वर्षों में शामिल किया जाएगा और निजी तथा अला कारी संगठनों के सक्षम प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षित युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार की गारंटी दी जाएगी। युवाओं को रोजगार पूरे देश में, जम्मू तथा कश्मीर के अन्दर और बाहर उपलब्ध कराए जाएंगे। एसईई जम्मू तथा कश्मीर योजना के अन्तर्गत, अलग-अलग युवा समूहों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण की कार्यनीतियाँ तैयार की जाएंगी - विद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले, 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले, तथा जिन्होंने महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। मंत्रालय ने ग्रामीण बीपीएल अल्पसंख्यक युवाओं के लिए परवाज नामक एक विस्तृत कुशलता एवं शिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किया है जिसका उद्देश्य देश के बीपीएल युवाओं को शिक्षा,

कुशलता एवं रोजगार द्वारा अधिकारिता प्रदान करके मुख्य धारा में ले आना है। इससे सामाजिक विभाजन को दूर करने में सहायता मिलेगी।

असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कुशलता विकास

22.77. 66वें एनएसएसओ दौर 2009-2010 के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कुल कार्य बल का 84 प्रतिशत था, अनौपचारिक रोजगार में 93 प्रतिशत था (तालिका 22.5)। यह क्षेत्र विषम है और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी आर्थिक कार्यकलापों में हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 60 प्रतिशत है। असंगठित क्षेत्र के अधिकतर कार्मिक लघु उद्यमों के श्रमिक, परिवार के अवैतनिक सदस्य, आकस्मिक मजदूर, घरों से काम करने वाले श्रमिक, प्रवासी मजदूर, विद्यालय से निकले लेकिन कुशलता हीन युवा, किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कामगार हैं। ये समूह कुशलता के पिरामिड के निचले स्तर के हैं जिनकी कुशलता कम, उत्पादकता अपर्याप्त तथा आय निम्न है।

22.78. युवा समूह में इस श्रमिक दल की कुशलता का चित्र दुखद है। असंगठित क्षेत्र में कुशलता विकास के मुख्य मुद्दों में अनौपचारिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपर्याप्तता शामिल है। औपचारिक प्रशिक्षण प्रणाली, इसमें प्रवेश की अपेक्षाओं तथा शहरी ग्राहकों की आवश्यकताओं के कारण, सीमित शिक्षा प्राप्त लोगों को कुशलता नहीं प्रदान करती है और जब यह करती है, तब यह ग्रामीण गैर फार्म के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अधिकांश श्रमिक अपने कार्य स्थल पर काम करते समय अन्य निम्न कुशलता प्राप्त लोगों से अनौपचारिक रूप में शिक्षा प्राप्त करते हैं। श्रम मंत्रालय का मॉडुलर रोजगारक्षम कुशलता कार्यक्रम; महिला एवं बाल विकास का एसटीईपी; ग्रामीण विकास विभाग का हिमायत, परवाज तथा एनआरएलएम; मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सामुदायिक पॉलीटेकनिक विकास कार्यक्रम तथा लघु, छोटे एवं मझोले उपक्रम मंत्रालय के कार्यक्रम कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो कार्मिकों के इस खण्ड को ला पहुँचाते हैं। लेकिन समस्या के स्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण क्षमताओं का दर्जा बढ़ाने, पूर्व प्रशिक्षण की स्वीकृति तथा कार्यात्मक साक्षरता आदि की दृष्टि से काफी कुछ करने की आवश्यकता है।

22.79. इन प्रयासों के अलावा, वस्त्र, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि, एमएसएमई, शहरी विकास आदि जैसे अलग-अलग क्षेत्र के मंत्रालयों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों तथा

समूहों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं।

१२वीं योजना के मुद्दे तथा प्राथमिकताएँ

22.80. एक ओर जहाँ औपचारिक शिक्षण प्रणाली में मुख्य धारा की कुशलता का निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर औपचारिक शिक्षण प्रणाली से बाहर कुशलता के सृजन के लिए नवाचारी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। हालाँकि कुशलता विकास की दिशा में समन्वित कार्रवाई के कारण कुशलता विकास की प्रासंगिकता के मुद्दों का समाधान करने में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, तथापि कुशलता विकास के क्षेत्र में अन्तराल की पहचान करनी होगी जिससे आधार तैयार करते समय मात्रा, गुणवत्ता, विस्तार तथा गतिशीलता के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। कर्मचारियों को न केवल सभी क्षेत्रों तथा सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसरों तथा बाजार की वास्तविकताओं से भी जोड़ा जाना चाहिए। इससे आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ी लेकिन किसी प्रकार के उत्पादक कार्यकलाप नहीं करने वाली युवा जनसंख्या को उत्पादनशील कार्मिक में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है:

22.81. चूँकि भारत के 90 प्रतिशत से ज्यादा मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हैं, अतः इस क्षेत्र तक पहुँचना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी। कार्मिकों के इस बहुत बड़े वर्ग की कुशलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दृष्टिकोण तैयार करना होगा। पंचायती राज निकाय जैसे शुरुआती स्तर के संगठनों के माध्यम से कार्य करने के अभिनव दृष्टिकोणों पर विचार करना आवश्यक होगा।

- एक राष्ट्रीय कुशलता अर्हता रूपरेखा लागू करना जो उद्योग के लिए अपेक्षित विभिन्न स्तर की कुशलताएँ निर्धारित करता है, प्रवेश एवं निकास के कई मार्गों की अनुमति देता है, पूर्व अधिगम को स्वीकृति देता है तथा जो विभिन्न स्तरों के साथ ही साथ एक ओर व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण तथा दूसरी ओर सामान्य शिक्षा पर गतिशीलता की अनुमति देता है।
- अपेक्षित प्राधिकार तथा संसाधन प्रदान करके एक स्थायी सांस्थानिक रूपरेखा तैयार करना, जो देश में कुशलता का विकास करने के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को आसान शर्तों पर बैंक ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना होगा, जो उच्चतर शिक्षा ऋण की ही तरह उनके रोजगार से जुड़ा हुआ है।

- असंख्य दृष्टिकोण अपनाकर देश में प्रशिक्षण की क्षमता को बढ़ाना – जैसे कि सार्वजनिक निजी भागीदारी में क्षमता के सृजन की सुविधा उपलब्ध कराना जो एनएसडीसी द्वारा अपनाया जा रहा है, उपलब्ध सरकारी अवसंरचना का सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों द्वारा प्रशिक्षण के लिए प्रयोग करने की अनुमति देना, प्रशिक्षण संस्थानों को कई पारियों में चलाना, शिक्षक प्रशिक्षण क्षमता में अभिवृद्धि करके तथा अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षक की आजीविका चुनने के लिए इसे आकर्षित करके देश में प्रशिक्षकों की संख्या में वृद्धि करना। इस दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं, उपकरणों तथा जनशक्ति का उपयोग करने की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करते हुए मॉड्यूलर रोजगारक्षम कुशलता कार्यक्रम की संभावनाओं को और अधिक सुदृढ़ करना कि मॉड्यूलों के ऐसे मिश्रण प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाएँ जो उनकी रोजगार क्षमता के लिए पर्याप्त हों। इसके लिए और अधिक पाठ्यक्रम मॉड्यूल लागू करना तथा त्वरित प्रदायगी के लिए मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रणालियों को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा।
- कुशलता विकास में उद्योग की प्रतिभागिता के लिए, विशेष रूप में उद्योग की आवश्यकताओं से संबद्ध पाठ्यक्रम की पाठ सामग्री का विकास करने के प्रयोजन से, एक निश्चयक एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोण का विकास करना। इसी प्रकार, प्रत्यायन एवं प्रमाणन मानकों का विकास आंचलिक कुशलता परिषदों के माध्यम से उद्योग की सक्रिय प्रतिभागिता से करना।
- क्षेत्रीय आधार पर तात्कालिक सूचना की उपलब्धता के लिए श्रम बाजार सूचना प्रणाली का विकास करना जिससे प्रशिक्षार्थियों की सहायता की जा सके और प्रशिक्षण को संगत बनाया जा सके।
- प्रशिक्षुओं के रोजगार को शासित करने वाले विनियामक रूपरेखा में आवश्यक परिवर्तन करना जिससे यह मार्ग देश में कुशलता विकास के प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर सके। इसे हासिल करने के लिए, उद्योग को एक सक्रिय भागीदार बनाना आवश्यक होगा, और उद्योग के साथ मिलकर एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ऐसे दृष्टिकोण से एमएसएमई इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावनाओं का प्रयोग करने की भी सुविधा मिलेगी। नीति तथा अन्य माध्यमों के प्रयोग के जरिए, प्रशिक्षण की क्षमता का सृजन इस प्रकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो जनसंख्या और आंचलिक आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करे। प्रशिक्षण की सुविधाओं के वर्तमान असंतुलित भौगोलिक वितरण, और केवल कुछ ही क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं के संकेन्द्रण को सुधारा जाएगा

जिससे प्रशिक्षण की क्षमता ऐसे स्थानों पर सृजित किए जाएँ जहाँ जनसंख्या अधिक है और ऐसे क्षेत्र जिन्हें कुशलता के अन्तराल के प्रयोजन से चुना गया है।

- सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता का अभियान चलाकर कुशलता को युवाओं में आकांक्षित बनाना। इन प्रयासों की सहायता विनियामक रूपरेखा में आवश्यक परिवर्तन करके की जाएगी जिससे व्यक्तियों को कुशल बनने के लिए आर्थिक रूप में पुरस्कृत किया जा सके – जैसे कि अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी में पर्याप्त अन्तर करना।
- व्यावसायिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण के जरिए औपचारिक कुशलता प्राप्त कार्मिकों के प्रतिशत को 10.0 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर बारहवीं योजना के अन्त तक 25.0 प्रतिशत करने का लक्ष्य होना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि अगले पाँच वर्षों में कुशलता में प्रशिक्षित किया जाएगा।

22.82. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण ने रोजगार सृजन तथा कुशलता विकास के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों को चुना है (नीचे बॉक्स 22.3 देखें)।

22.83. जिन मुख्य चुनौतियों/क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, उन पर नीचे चर्चा की गई है:

गुणवत्ता, मात्रा, समानता तथा व्यवस्थित सुधार

22.84. उपर्युक्त पैराग्राफों में वर्णित कुशलता विकास एवं प्रशिक्षण की प्राथमिकताओं/चुनौतियों को निम्नलिखित के अन्तर्गत समूहित किया

जा सकता है: 1. गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता, 2. मात्रा, 3. उपलब्धता का विस्तार एवं समानता, तथा 4. व्यवस्थागत सुधार।

गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

22.85. गुणवत्ता संबंधी मुद्दे: कुशलता विकास की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा किसी व्यक्ति के अच्छे रोजगार प्राप्त करने के अवसर में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्व-रोजगार के संवर्धन सहित भावी श्रम बाजार के साथ इसकी प्रासंगिकता में वृद्धि करने के लिए सॉफ्ट स्किल तथा उद्यमशीलता कौशल को कुशलता विकास के अभिन्न अंग बनाए जाने चाहिए।

22.86. माँग एवं आपूर्ति में बेमेल: कुशलता विकास में दूसरा प्रमुख मुद्दा कुशलताओं की माँग और आपूर्ति के बीच बेमेल है। यह समस्या आपूर्ति आधारित कुशलता प्रदायगी प्रणाली के कारण पैदा हुई है। इस समय श्रम बाजार एक अद्भुत स्थिति का सामना कर रहा है जहाँ एक ओर जब नियोक्ता को अपेक्षित कुशलता की जनशक्ति नहीं प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर लाखों रोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिलता है। ऐसे बेमेल से संभावित आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक है:

- कुशलता सूची एवं कुशलता मानचित्र पर सूचना तात्कालिक आधार पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र की स्थापना करना।
- आजीविका के चयन, विकल्पों तथा अर्हताओं की स्वीकार्यता में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज गतिशीलता और स्पष्टता का सुनिश्चय करने के लिए राष्ट्रीय अर्हता रूपरेखा।

बॉक्स 22.3

बारहवीं योजना में चुने गए प्राथमिकता के क्षेत्र

बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्र: कपड़ा एवं वस्त्र, चमड़ा एवं जूता, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प।

विनिर्माण में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्रबल करने वाले क्षेत्र: मशीन टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स।

महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाले क्षेत्र: दूरसंचार उपस्कर, एरोस्पेस, जहाजरानी, रक्षा उपस्कर।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी क्षेत्र: सौर ऊर्जा, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियाँ, नाभिकीय विद्युत सृजन।

भारत के अवसंरचना विकास के लिए पूँजीगत उपस्कर: भारी वैद्युत उपस्कर, भारी परिवहन, अर्थ मूविंग एवं खनन उपस्कर।

भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ वाले क्षेत्र: ऑटोमोटिव क्षेत्र, औषधि निर्माण तथा चिकित्सा उपस्कर।

लघु, छोटे तथा मझोले उपक्रम क्षेत्र: विनिर्माण क्षेत्र का आधार – रोजगार एवं उद्यम सृजन।

स्रोत: 12वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा दृष्टिकोण पत्र।

- कुशलता प्रशिक्षण का निर्माण एक मुख्य धारा तथा समग्र कार्यक्रम के रूप में करना जिसका संवर्धन प्रदायगी की प्रक्रिया में तीन मुख्य पणधारियों अर्थात् सरकार, उद्योग तथा कुशलता प्रदाताओं के बीच औपचारिक व्यवस्था तैयार करके किया जाएगा।
- कुशलताओं की माँग में तेजी से हो रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान देना तथा कुशलता के ऐसे समाधान उपलब्ध कराना जो मॉडलों तथा पद्धतियों को पक्षान्तरित करते हैं तथा भारत से विश्व को सर्वोत्तम पद्धतियों का अन्तरण प्रतिलोमित करते हैं।

22.87. औद्योगिक प्रतिभागिता तथा आंचलिक कुशलता परिषद की स्थापना: कुशलता विकास प्रणाली को संगत तथा श्रम बाजार के संकेतों द्वारा चालित बनाने के लिए, आंचलिक कुशलता परिषदों के माध्यम से उद्योगों की प्रतिभागिता में वृद्धि करना आवश्यक है। आंचलिक कुशलता परिषदों के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, कुशलता के अन्तरालों का पता लगाना, कुशलता विकास योजनाएँ तैयार करना तथा प्रशिक्षण की आयोजना एवं प्रदायगी में सहायता करने के लिए सु-व्यवस्थित क्षेत्र विशिष्ट श्रम बाजार सूचना प्रणाली की स्थापना करना शामिल हैं।

गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

22.88. सीमित क्षमता: सुविधाओं की पहुँच में विस्तार करने की पहली प्रमुख बाधा श्रम बाजार में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को अवशोषित करने की सीमित क्षमता है। 12वीं योजना के अनुमानों के अनुसार, लगभग 25 मिलियन नए व्यक्ति अगले 5 वर्षों में श्रमिकों की संख्या में शामिल होंगे।

22.89. प्रशिक्षकों की कमी: कुशलता विकास का एक मुख्य घटक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण है। न केवल वर्तमान ट्रेडों में बल्कि नए प्रस्तावित ट्रेडों में भी प्रशिक्षकों की भारी कमी है। प्रशिक्षकों के संसाधन में गुणवत्ता तथा आकार की दृष्टि से सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। प्रशिक्षकों की कुशलता का दर्जा बढ़ाना, उनका गुणवत्ता आश्वासन, तथा समाज में उनके दर्जे में सुधार करना प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षकों की शिक्षाशास्त्रीय विशेषज्ञता ही यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी सम्पूर्ण अनु व प्राप्त करे, मानकों को समझे तथा अपने रोजगार के दौरान सीखी गई अवधारणाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हो। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एक प्रमुख चुनौती बन जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में एनएसडीसी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2008 – 2022 के बीच क्रमिक वृद्धि से 8,664,000 शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों

की आवश्यकता होगी। धनराशि की सहायता से राज्य सरकारों को न केवल विद्यालयों तथा अन्य संस्थानों के लिए प्रशिक्षकों को जारी रखने में सहायता मिलेगी, बल्कि और अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण उद्योग में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगी।

सुविधा प्राप्ति का विस्तार एवं समानता

22.90. भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं 640 जिलों के कठिन भू-भाग एवं अलग-अलग सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों वाले 6,38,365 ग्राम, 4378 नगर शामिल हैं, मानकीकृत कुशलता प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अत्यधिक जनसंख्या वाले 11 राज्यों जैसे कि बिहार (जिसकी जनसंख्या जर्मनी से अधिक है), झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए जहाँ कुशलता प्रशिक्षण की बहुत कम सुविधा है। 15-59 वर्ष के लगभग 90 प्रतिशत लोगों का कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है। जिस 10 प्रतिशत ने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनमें से केवल 2 प्रतिशत ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अतः कुशलता प्रशिक्षण का अभिगम एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, कई नए उदीयमान क्षेत्र सामने आ रहे हैं जिसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है (जैसे कि नैनो प्रौद्योगिकी, हरित प्रयास आदि) जिससे अद्यतन परिवर्तनों के संगत रहा जा सके। भौगोलिक विविधताओं, स्थानीय लोगों की क्षमताओं तथा उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। तीव्र एवं समग्र विकास हासिल करने तथा न्यायोचित एवं समानता आधारित समाज के विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, लिंग संबंधी, स्थान तथा क्षेत्र संबंधी भिन्नताओं पर विचार किए बिना समाज के सभी वर्गों के लिए कुशलता विकास के अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

व्यवस्थागत सुधार

22.91. राष्ट्रीय कुशलता अर्हता रूपरेखा: इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो कुशलता विकास एवं प्रशिक्षण के एक सम्पूर्ण आयाम के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराता हो। कई क्षेत्रों में कोई मानक निश्चित नहीं है जिससे सभी पणधारियों के लिए कई समस्याएँ पैदा होती हैं। अतः एनएसक्यूएफ को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करना तथा चलाना आवश्यक है।

22.92. श्रम बाजार सूचना प्रणाली: गतिशील एवं संगत सूचना ढोस निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ रोजगार एवं प्रशिक्षण के पणधारी अर्थात् सरकार,

उद्योग, रोजगार अभ्यर्थी, निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण संगठन आदि एक सर्वसामान्य आईसीटी प्लेटफार्म पर संगत सूचना उपलब्ध एवं प्राप्त कर सकते हैं।

22.93. परीक्षण निकाय: विगत वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा प्राविधिक संस्थानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण का मॉडल्युर पैटर्न लागू करने के कारण, आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इन सभी कार्यकलापों से इनसे संबंधित कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप प्रमाणन की प्रक्रिया में विलम्ब होता है। सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए महीनों इन्तजार करना पड़ता है। रोजगार के परिणाम शीघ्र प्राप्त करने की सुविधा के लिए मूल्यांकन एवं प्रमाणन निकायों को अलग किया जा सकता है।

अन्य देशों के अनुभवों से शिक्षा-प्राप्ति

22.94. जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुशलता विकास एवं व्यावसायिक शिक्षण भारतीय संदर्भ में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ तक व्यावसायिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिले का संबंध है, भारत का शुद्ध दाखिला 3.5 मिलियन प्रति वर्ष है, जबकि इसकी तुलना में चीन में यह 90 मिलियन और अमेरिका में 11 मिलियन है। भारत दूसरे देशों की व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रणालियों की शक्तियों से सीख ले सकता है, जैसे कि कुशलता की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं का परिमाणन करने के लिए उद्योगों तथा नियोजकों की सक्रिय प्रतिभागिता; उद्योग द्वारा कार्य बेंचों का साझा; निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों द्वारा प्रयोग करने के लिए अवसरचक्रात्मक सुविधाओं का परिसम्पत्ति बैंक तैयार करना; अपनी विशाल युवा जनसंख्या को एमएसएमई समूहों का प्रयोग करने के माध्यम से प्रशिक्षुता कार्यक्रम में कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित करने की क्षमता; व्यावसायिक शिक्षकों के परीक्षण एवं प्रमाणन सहित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अपनाया जा सकता है; प्रशिक्षण प्रदान करने तथा आईसीटी का व्यापक प्रयोग करने के एवज में कर में छूट की दृष्टि से उद्योग का प्रोत्साहन।

विभिन्न राज्यों के प्रयासों से प्राप्त अनुभवों से शिक्षा-प्राप्ति

22.95. राज्यों के स्तर पर सरकारों के लिए भी कुशलता विकास एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना रहा है। राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार तथा राज्य से संबंधित मुद्दों पर उनकी अपनी योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं। कुशलता वाउचर, बहु कुशलता विकास केन्द्र, गैर-शिक्षितों

तथा पढ़ाई पूरी नहीं करने विद्यार्थियों आदि की दृष्टि से कुछ अच्छी प्रक्रियाएँ विभिन्न चुनौतियों का समाधान कर रही हैं जैसे कि सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्ता में सुधार, गतिशीलता लचीलेपन का सुनिश्चय, जिनकी अनुकृति तथा स्तर उन्नयन राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों का समाधान करने के लिए की जा सकती है। विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों से प्राप्त मुख्य शिक्षा इस प्रकार हैं:

- परिणाम न कि अवसरचक्रा पर जोर।
- सरकार द्वारा निजी प्रदाताओं तथा सार्वजनिक संस्थानों के लिए बराबरी का दर्जा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- अपने समय के अनुसार लचीली समय-सारणी तथा बहु कुशलता प्रदान किया जाना।
- प्रशिक्षण तथा विकास में अभिनवत्व के माध्यम से सफलता।
- उद्योग के साथ निरन्तर सम्पर्क।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन।
- प्रशिक्षार्थियों के लिए विकल्प में अभिवृद्धि करना।
- संभावित प्रशिक्षार्थियों एवं नियोजकों में जागरूकता का सृजन करना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रोडमैप

22.96. उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रसार इस समय कम है और युवाओं में कुशलता की अभिलाषा अभी तक पैदा नहीं हुई है। कुशलता विकास पर प्रधान मंत्री के परिषद के विजन को हासिल करने के लिए, समुचित नीतियाँ तथा कार्यक्रम तैयार करना समय की माँग है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग की सक्रिय प्रतिभागिता के जरिए व्यावसायिक शिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता में सुधार करने के लिए कुशलता के प्रयासों का स्तर बढ़ाया जा सके; कुशलता विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके; सामान्य एवं व्यावसायिक विषयों के बीच गतिशीलता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके; तथा उद्योग की सहभागिता से एक विश्वसनीय प्रमाणन एवं मूल्यांकन प्रणाली तैयार की जा सके। कुशलता के प्रयासों की सफलता युवाओं में जागरूकता पैदा करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

22.97. मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार; सुविधा का विस्तार एवं समानता तथा व्यवस्थागत एवं सांस्थानिक सुधार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कुशलता की प्रदायगी पर ध्यान देते हुए सुनिर्धारित कार्यान्वयन एवं प्रचालनात्मक कार्यनीतियों की दृष्टि से एक समयबद्ध कार्य योजना समय की माँग है। अनुसरण की जाने वाली मुख्य कार्यनीतियाँ बॉक्स 22.4 में दी गई हैं।

बॉक्स 22.4

12वीं योजना में कुशलता विकास का विस्तार करने तथा स्तर बढ़ाने की कार्यनीतियाँ

कार्यान्वयन की कार्यनीतियाँ:

- सभी विभाजनों को दूर करने के लिए सुविधा प्राप्ति का विस्तार करना;
- बेहतर अवसंरचना, नई मशीनों एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षकों द्वारा गुणवत्ता में सुधार करना;
- परिणाम आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मानकों का निर्धारण एवं नियमित निगरानी करना;
- राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक मानक तथा गतिशील प्रक्रियाएँ अपनाकर लचीलापन लागू करना;
- सभी पणधारियों में मजबूत साझेदारी का विकास करना, निजी भागीदारों को प्रोत्साहनों के जरिए प्रेरित करना;
- परिणाम हासिल करने के लिए समर्थक वातावरण तैयार करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी करना।

प्रचालनात्मक कार्यनीतियाँ

- अनुकरणीयता एवं स्तर बढ़ाए जाने योग्यता; वर्तमान केन्द्रों को सुदृढ़ करना;
- प्रशिक्षण को परिणाम के साथ जोड़ना;
- सभी आर्थिक स्तरों के लिए व्यय भार सह्यता;
- समग्रता तथा प्रौद्योगिकी एवं उद्वहन पर जोर;
- पाठ्यक्रम की पाठ सामग्री में लचीलापन; अर्हता के मानक; गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षक; प्रदायगी पर फोकस।

कुशलता विकास एजेंडा को प्रेरित करने के लिए स्थायी सांस्थानिक संरचना

22.98. एक ऐसे सर्वसुविधा युक्त सांस्थानिक संरचना की आवश्यकता है जिसके पास प्राधिकार के साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर सभी अन्य एजेंसियों के कुशलता विकास कार्यकलापों का समन्वय करने तथा कॉर्पोरेट एवं एनजीओ क्षेत्र सहित गैर-सरकारी संगठनों का शामिल करने की जिम्मेदारी भी हो। तदनुसार, एक राष्ट्रीय कुशलता विकास प्राधिकरण की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित प्राधिकरण बॉक्स 22.5 में उल्लिखित कार्यों को निष्पादित कर सकता है।

राष्ट्रीय कुशलता अर्हता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ)

22.99. राष्ट्रीय कुशलता विकास नीति में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर कुशलता प्रणाली में विखण्डन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने; विभिन्न टीवीईटी पाठ्यक्रमों के मामले में पाठ्यक्रमों के नाम, अवधि, पाठ्यचर्या डिजाइन, सामग्री तथा परीक्षा प्रणाली में एकरूपता और पूर्व अधिगम की स्वीकृति का अभाव; व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षण के बीच विद्यार्थियों के आसान प्रवेश एवं निकास तथा सामान्य शिक्षण की ही तरह व्यावसायिक शिक्षण में श्रेणीकरण और पूरे देश में कार्यक्रमों एवं संस्थानों के बीच गतिशीलता की सुविधा के लिए अर्हता रूपरेखा की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास प्रणाली से विद्यार्थियों को अनिवार्य स्कूली शिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कुछ कुशलता प्राप्त करने, उसके बाद श्रम बाजार में प्रवेश करके कुछ

कार्य-अनुभव प्राप्त करने और फिर व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रणाली में अपना व्यावसायिक शिक्षण/प्रशिक्षण जारी रखने के लिए वापस लौटने की सुविधा प्राप्त होगी। यह प्रणाली क्रेडिट के एकत्रित होने तथा अन्तरण करने की सुविधा प्रदान करेगी जो प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री स्तर के अधिगम के सभी रूपों में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह अपेक्षाकृत गरीब विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ला दायक होगी, क्योंकि यह उन्हें शैक्षिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण से पूरी तरह निकल जाने के स्थान पर या तो माध्यमिक प्रणाली की व्यावसायिक शिक्षण धारा में या फिर आईटीआई प्रणाली में जारी रहने की सुविधा प्रदान करेगी।

22.100. यह प्रशिक्षण प्रणाली को उद्योग की माँग के अनुरूप बनाने तथा पूर्व अधिगम की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करेगी। पहले सीखी गई कुशलता के प्रमाण-पत्र से रोजगार की क्षमता में सुधार होगा तथा आय बढ़ेगी और ऐसे कुशल कर्मचारियों का सम्मान भी बढ़ेगा। सक्षमता के मूल्यांकन एवं प्रमाणन से वर्तमान कार्यरत अनौपचारिक रूप में प्रशिक्षित कार्मिकों को या तो वीईटी प्रणाली में प्रवेश लेकर आगे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रयास जारी रखने या फिर ऐसी मान्यता तथा प्रमाणन से ही श्रम बाजार में वापस लौटने की सुविधा प्राप्त होगी। एनएसक्यूएफ सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षण में समानता स्थापित करके ऊर्ध्वधर एवं क्षैतिज दोनों ही गतिशीलता के मुद्दों का समाधान करेगा; पाठ्यचर्या विकास, प्रमाणन आदि में उद्योग की सहभागिता के जरिए कुशलता प्रशिक्षण के लिए श्रम बाजार की आवश्यकता को प्रतिबिम्बित करेगा; बहु प्रवेश एवं बहु निकास तथा पूर्व अधिगम की स्वीकृति को प्रोत्साहित करेगा।

बॉक्स 22.5

प्रस्तावित कुशलता विकास प्राधिकरण के प्रमुख कार्य

- क. एक राष्ट्रीय कुशलता विकास मिशन आरम्भकरना, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, 12वीं योजना के दौरान राज्य सरकारों/राज्य कुशलता मिशनों सहित समुचित कार्यनीतियों के माध्यम से प्रस्तावित प्राधिकरण द्वारा कम से कम 3 करोड़ व्यक्तियों सहित 5 करोड़ कुशलता उपलब्ध कराए जाएँ तथा निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों आदि के साथ सक्रिय सहभागिता की जाए।
- ख. कुशलता विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए कार्यनीतियाँ, वित्तपोषण एवं शासन के मॉडल निर्धारित करना तथा एनसीवीटी, एआईसीटीई, क्षेत्रीय कुशलता परिषद, आदि जैसे विनियामकों के साथ घनिष्ठ समन्वय से कुशलता विकास के मानकों का समन्वय करना।
- ग. केन्द्रीय मंत्रालयों की कुशलता विकास क्षमताओं में अभिवृद्धि करने के लिए उनकी सहायता करना।
- घ. राज्य कुशलता विकास मिशनों को मार्गदर्शन देने तथा कुशलता विकास कार्यक्रमों के स्तर में वृद्धि करने के लिए उन्हें धनराशि उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- ङ. राष्ट्रीय कुशलता अर्हता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) आरम्भ करने तथा प्रचालन करने के लिए तथा एनएसक्यूएफ को निरन्तर रूप से अद्यतन बनाने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- च. कुशलता विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी, मूल्यांकन एवं विश्लेषण एक प्रौद्योगिकी समर्थित राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के माध्यम से करना, तथा किसी विशिष्ट कार्यक्रम/योजना के किसी भाग में या पूरी योजना में मध्यावधि संशोधन, परिवर्धन तथा बन्द किए जाने का सुझाव देना/कार्रवाई आरम्भ करना।
- छ. कुशलता विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना।
- ज. समर्थन अभियान का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि कुशलता विकास कार्यक्रमों में आकांक्षा के पहलू तथा दाखिले में वृद्धि होती रहे।
- झ. कुशलता विकास से संबंधित विभिन्न मामलों में आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देना तथा आवश्यक कार्रवाई करना जैसे कि प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रत्यायन, प्रमाणन प्रणालियाँ तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक आदि।
- ञ. कुशलता विकास के संबंध में कोई अन्य कार्य करना तथा भारत सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य जिम्मेदारी को निभाना।
- ट. केन्द्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रालयों तथा विभागों के कुशलता विकास संबंधी चल रहे प्रयासों का निरीक्षण करना और सहायता प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि 12वीं योजना के लिए 5 करोड़ के अनुमानित प्रशिक्षण के लक्ष्य को हासिल किया जाए।

असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों को कुशलता प्रदान करना

22.101. जैसा कि पैरा 22.77 में बताया गया है, 84 प्रतिशत कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं और 93 प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार में नियोजित हैं। हालाँकि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने कई पहल किए हैं लेकिन लघु उद्यमों, परिवार के अवैतनिक सदस्यों, किसानों, कामगारों, विद्यालयों से निकले विद्यार्थियों, आकस्मिक, स्थानान्तरित तथा गृह आधारित श्रमिकों की प्रमुखता वाले विषम क्षेत्र की समस्या का आकार बहुत बड़ा है और उनकी कुशलता में सुधार करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में लगभग 7000 समूह हैं जिनमें से 6000 से ज्यादा लघु उद्यम समूहों के रूप में वर्गीकृत हैं तथा लगभग 650 विनिर्माण समूह हैं। कुशलता का दर्जा बढ़ाने का कार्य उन समूहों में आरम्भ किया जा सकता है जो अनौपचारिक रोजगार प्रदान कर रहे हैं। लघु, छोटे एवं मझोले उपक्रम मंत्रालय द्वारा ऐसे समूहों को विकसित करने के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनें और साथ ही उद्यमकर्ता के रूप में विकसित हों। समूहों के साथ जिला स्तर के कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र

में कुशलता विकास की अधिक आवश्यकता है। देश में 2.6 करोड़ एमएसएमई हैं जो 6 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं तथा 6000 से ज्यादा उत्पादों का विनिर्माण करते हैं। कुल विनिर्माण में इसका योगदान लगभग 45 प्रतिशत है, निर्यात में इसका अंश 40 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 8 प्रतिशत है।

22.102. असंगठित क्षेत्र में कुशलता विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए:

- क) प्रशिक्षण की क्षमताओं का स्तर वर्तमान क्षमता से बढ़ाना,
- ख) कुशलता का ग्रेड-उन्नयन एवं प्रमाणन,
- ग) पूर्व अधिगम की स्वीकृति,
- घ) कुशलता विकास के कार्यक्रमों को पूरे देश में, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, फैलाना तथा कुशलता विकास केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों तक पहुँचना,
- ङ) साक्षरता एवं मूलभूत शिक्षण का प्रावधान,
- च) सफल मॉडलों की अनुकृति,

- छ) अधिक क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए सचल प्रशिक्षण वाहनों का प्रावधान,
- ज) प्रत्येक एमएसएमई समूह एक-एक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य कर सकता है,
- झ) स्व-रोजगार या जॉब रोजगार में प्रशिक्षण – ऋण – सम्पर्क – सहायता की प्रक्रिया के जरिए प्रशिक्षण की सफलता की दर में सुधार करने के लिए एक आर्थिक प्रणाली का विकास करना,
- ञ) पर्याप्त तकनीकी दक्षता सहित प्रमाणित प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार करना,
- ट) कार्यक्रमों के संचालन, प्रतिभागियों के पंजीकरण आदि के लिए एक पारदर्शी प्रणाली का विकास करना तथा इसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराना।

सार्वजनिक निजी भागीदारी का पोषण करना

22.103. सरकार ने कुशलता विकास के प्रयासों में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को उत्प्रेरित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें एनएसडीसी का सांस्थानिक रूपरेखा स्थापित करने से लेकर अवसंरचना का दर्जा बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रबंध समितियों की स्थापना, औद्योगिक घरानों द्वारा संस्थानों को अंगीकार किया जाना आदि शामिल है। लेकिन वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने की चुनौती के आकार को ध्यान में रखते हुए, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तथा प्रशिक्षार्थी एवं प्रशिक्षक दोनों के ही प्रशिक्षण की दृष्टि से निजी क्षेत्र की अधिक प्रतिभागिता की आवश्यकता है। इसमें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने तथा विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। पाठ्यचर्या को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसे तैयार करने तथा मूल्यांकन एवं प्रमाणन की प्रक्रिया में उद्योग को शामिल करने की जरूरत है। सरकारी व्यवस्था के अन्दर सृजित जिस क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है/कम उपयोग हुआ है, उसका उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देना पीपीपी दृष्टिकोण को पोषित करने का एक और कम खर्चीला माध्यम होगा। दूर-दराज वाले तथा दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी रूप में पहुँचने में गैर-सरकारी संगठन प्रभावी भागीदार हो सकते हैं।

सांस्थानिक संरचना को सुदृढ़ करना तथा नए सिरे से तैयार करना

22.104. कुशलता रूपरेखा लागू करने के लिए विद्यमान संस्थानों की पुनः इंजीनियरी तथा नए संस्थान तैयार करने की जरूरत होगी। पैरा 22.98 में बताए गए अनुसार एक स्थायी सांस्थानिक संरचना की

जरूरत है जो कुशलता विकास के क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्य सरकारों के प्रयासों का समन्वय करने के लिए एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर सकता है। प्रस्तावित नया प्राधिकरण नीति का प्रतिपादन करने, क्षमता अभिवृद्धि में कुशलता विकास मिशन की सहायता करने तथा कुशलता विकास में गैर-सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र को शामिल किए जाने को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा।

22.105. एक और महत्वपूर्ण प्रकार के जिन नए संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए वे हैं आंचलिक कुशलता परिषद। कुशलता की उपलब्धता का पता लगाने और विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता विकास के प्रयासों का स्तर बढ़ाने के लिए, आंचलिक कुशलता परिषद उद्योग के स्वामित्व को बढ़ावा देने और कुशलता विकास के मानकों को स्वीकृति देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं। विद्यमान संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी, जो इस समय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का एक अंग है) की भूमिका; नए क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों की स्थापना; अनुदेशक प्रशिक्षण की क्षमता का विस्तार आदि की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

22.106. राष्ट्रीय कुशलता विकास नीति में कुशलता विकास में अधिक भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की पुनः इंजीनियरी करने की अभिकल्पना की गई है। एनसीवीटी इस समय एक शीर्षस्थ सलाहकारी निकाय है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जैसे कि ट्रेड परीक्षण एवं प्रमाणन, आईटीआई के सरकारी एवं निजी संगठनों द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण के लिए पाठ्यविषय आदि के संबंध में मानक निर्धारित करना। एनसीवीटी को संसद में एक विधेयक के जरिए स्वायत्ता दी जानी चाहिए जिसका अपना एक सचिवालय होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 11वीं योजना में इस संबंध में प्रयास पहले ही आरम्भ कर दिया है।

22.107. इसके अतिरिक्त, एक अतिरिक्त ट्रेड परीक्षण क्षमता, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ट्रेड परीक्षण बोर्ड की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र जारी करने में होने वाले असाधारण विलम्ब से बचा जा सके ताकि रोजगार प्राप्ति में तेजी आए। इस केन्द्र को प्रदायगी व्यवस्था से स्वतंत्र होना चाहिए जिससे मूल्यांकन अधिक प्रासंगिक, पारदर्शी एवं तीव्र हो। इस केन्द्र द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा का डिजाइन एवं आयोजन किया जाएगा; मूल्यांकन के पश्चात परिणामों को केन्द्रीय ट्रेड परीक्षा प्रमाणन प्रणाली में उपलब्ध कराया जाएगा,

जिसका विकास एनबीटीटीसी द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक केन्द्र द्वारा इंटरनेट/वीपीएन के माध्यम से इसका अभिगम किया जा सकेगा। एनबीटीटीसी विद्यार्थियों को केन्द्रों के द्वारा अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी करवाने का सुनिश्चय किया जाएगा (जो टीटीसी प्रणाली द्वारा ऑन-लाइन तैयार होंगे), ट्रेड प्रमाण-पत्रों का मुद्रण एनबीटीटीसी द्वारा किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक भागीदार के साथ एक पूर्व निर्धारित सेवा स्तर समझौते के अनुसार कूरियर द्वारा प्रेषित किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्र का भी प्रावधान किया जाएगा तथा उसे वैधानिक मान्यता दी जाएगी।

कम पहुँच वाले क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पीपीपी के माध्यम से सुविधा प्राप्ति का विस्तार

22.108. देश के कम पहुँच वाले क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा कुशलता विकास केन्द्रों की स्थापना करने की जरूरत है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कौशल विकास योजना में पीपीपी मोड के अन्तर्गत इन संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव कर रहा है। कार्यान्वित हो जाने पर इस योजना के अन्तर्गत देश में 3000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 500 कुशलता विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। यह कुशलता विकास को ग्रामीण जनसंख्या के द्वार तक ले जाएगी। कुशलता विकास केन्द्र अल्पावधि मॉडुलर आधार की पाठ्यक्रम प्रमाणन प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, नए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोलकर महिला कुशलता विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे उन्हें अच्छा रोजगार मिलने तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता मिले। अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की भी आवश्यकता है जिससे उनके रोजगार की क्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए कुशलता विकास में उनकी प्रतिभागिता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

22.109. ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों के निम्न आय वर्ग के परिवारों के युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनमें मुख्यतः शहरी केन्द्रों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आमतौर पर प्रभारित फीस का भुगतान करने की क्षमता नहीं होती है। सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के वर्तमान नेटवर्क इस समय प्रतिवर्ष लगभग 1.4 मिलियन लोगों को औपचारिक कुशलता विकास के अवसर उपलब्ध कराते हैं, जो अनुमानित आवश्यकता के बहुत ही कम है। चूँकि वर्तमान नीति एवं विनियामक रूपरेखा इस क्षेत्र में अपेक्षित पूँजीनिवेश आकर्षित नहीं कर सकेगा, इसलिए एक समर्थक रूपरेखा स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है जो

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी प्रतिभागिता को आकर्षित करेगा।

22.110. कुशलता विकास के कार्यक्रमों में वृद्धि करने के सरकार के प्रयासों के एक भाग के रूप में, प्रधान मंत्री जी ने ग्यारहवीं योजना के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से 1,500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। ग्यारहवीं योजना में यह योजना शुरू नहीं की जा सकी और अब बारहवीं योजना में 3,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऐसे ब्लॉकों में स्थापित करने का प्रस्ताव है जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, अर्थात् ऐसे ब्लॉकों में सरकार द्वारा अनुमोदित कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। इस प्रयोजन से, केन्द्र सरकार ने कौशल विकास योजना (केवीवाई) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निजी प्रतिभागिता की एक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 30 लाख युवाओं, जिनमें से 15 लाख युवा सामाजिक एवं आर्थिक रूप में असमर्थ श्रेणियों के होंगे, की कुशलता के विकास के लिए पीपीपी के माध्यम से 3,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना है।

22.111. कुशलता विकास के कार्यकलापों से जुड़े सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों की क्षमताओं का अनुकूलतम उपयोग करना इस योजना का लक्ष्य है। अपेक्षित पूँजीनिवेश की व्यवस्था करना, प्रथम-श्रेणी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, प्रचालन एवं प्रबंध में कुशलता का सुनिश्चय करना तथा प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना निजी क्षेत्र के संगठनों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी, जबकि सरकार समर्थक रूपरेखा तथा विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त परिवारों के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। प्रस्तावित मॉडल इस अति आवश्यक कुशलता विकास कार्यक्रम में तेजी लाएगा और न केवल आकांक्षा रखने वाले बड़ी संख्या में युवाओं के लिए ला कारी अवसर उपलब्ध कराएगा बल्कि कुशल कार्मिकों की बढ़ती कमी को भी पूरा करेगा।

22.112. पूर्वोत्तर में भी प्रशिक्षण की अवसरचना में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे रोजगार की क्षमता तथा दक्षताओं में अभिवृद्धि की जा सके और युवाओं में स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग (डोनर) के विद्यमान कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएँ आरम्भ करने का प्रस्ताव करता है।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

22.113. रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के क्षेत्रीय संस्थानों के अनुदेशकों के प्रशिक्षण की क्षमता की तुलना में प्रशिक्षित अनुदेशकों की माँग बहुत ज्यादा है। इस समय अनुदेशकों की सकल माँग 79000 है। प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुदेशकों की आवश्यकता लगभग 20000 है जबकि वर्तमान अनुदेशक प्रशिक्षण क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 2000 है जो माँग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अन्तराल बहुत बड़ा है और अधिकांश संस्थानों में 60 से 70 प्रतिशत रिक्तियाँ हैं जो कुशलता विकास के लक्ष्य में वृद्धि करने की एक बड़ी बाधा होगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस प्रयास से अतिरिक्त क्षमता का निर्माण होगा जो माँग और वर्तमान में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं के बीच अन्तराल को पूरा करेगा। इसके परिणामस्वरूप 300 प्रशिक्षित अनुदेशक प्रति मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की दर से प्रतिवर्ष 1200 प्रशिक्षित अनुदेशक तैयार होंगे। अब तक 4 मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। समर्पित प्रशिक्षक कुशलता संस्थानों की स्थापना करने की आवश्यकता है।

22.114. इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में उद्योग को शामिल किया जा सकता है। ऐसा विभिन्न अध्येतावृत्ति कार्यक्रमों, अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों का परिचय उद्योग के साथ कराने; लचीले अध्यापन तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के लिए शिक्षकों को उद्योग में भेजने और उद्योग के कार्मिकों को संस्थानों में भेजने; औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्योग की सक्रिय प्रतिभागिता; रक्षा बलों से सेवानिवृत्त प्रशिक्षित जनशक्ति के रोजगार को प्रोत्साहित करने; उद्योग के कुशल कार्मिकों को नियोजित करने तथा सेवानिवृत्त अनुदेशकों को नियोजित करने के जरिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यचर्या के विकास से संबद्ध लाइन मंत्रालयों तथा संस्थानों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षुता प्रणाली में सुधार

22.115. भौतिक एवं मानव अवसंरचना दोनों ही दृष्टियों से प्रशिक्षुता प्रणाली में भारी सुधार करने की आवश्यकता है। आरडीएटी में एक केन्द्रीय सांस्थानिक तंत्र प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सहित जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर एक मैचिंग वेब पोर्टल का विकास करने की जरूरत है। वेब आधारित पोर्टल से नियोजकों को अपनी ट्रेड-वार प्रशिक्षुओं की आवश्यकता प्रकाशित करने में सहायता मिलेगी और प्रशिक्षुओं

को ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्राप्त होगी। इन प्रक्रियाओं की सुविधा एलएमआईएस द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कुशल कर्मचारियों को प्रशिक्षुओं के रूप में नियोजित करने से संबंधित मानदण्डों को लचीला बनाने की जरूरत है। भुगतान की जाने वाली वजीफे की राशि को बढ़ाकर राज्य स्तर पर संबंधित ट्रेड की न्यूनतम मजदूरी के बराबर की जा सकती है। उद्योग यदि चाहें तो प्रशिक्षुओं को उच्चतर वजीफे का भुगतान कर सकते हैं। रोजगार के प्रयोजन से अधिक संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई को प्रशिक्षुओं को नियोजित करने के मार्गों का पता लगाना चाहिए। प्रशिक्षु अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत और अधिक मॉडुलर पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है।

विश्वसनीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रणाली

22.116. प्रमाणन एवं मूल्यांकन गुणवत्ता आश्वासन तथा रोजगार की क्षमता में अभिवृद्धि के मुख्य तत्व होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग में रोजगार मिलने की संभावना रहती है। कार्यविधि के रूप में और एक परिणाम के रूप में प्रमाणन एवं मूल्यांकन सहयोग के मुख्य पहलू हैं।

श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस)

22.117. इस समय ऐसा कोई सार्वजनिक मंच नहीं है जहाँ उद्योग, रोजगार अभ्यर्थी तथा सरकार सूचना का आदान-प्रदान कर सकें और यथोचित निर्णय ले सकें। भावी कर्मचारी ऐसी कुशलता हासिल कर सकते हैं जिसकी माँग या तो बहुत कम या बिलकुल ही नहीं है अथवा आजीविका का ऐसा मार्ग चुनते हैं जिसकी बाजार के साथ प्रासंगिकता बहुत कम है। सरकार के पास उद्योग की माँग/उपलब्ध कुशलताओं तथा श्रम बाजार की परिस्थितियों पर कोई विश्वसनीय डेटा स्रोत नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले तथा युवाओं के रोजगार की क्षमता में अभिवृद्धि करने के संबंध में कोई प्रभावी नीतिगत निर्णय लेना संभव नहीं होता है। यह स्थिति भावी नियोक्ताओं के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी हतोत्साही है जिसके फलस्वरूप रोजगार में बेमेल तथा कम एवं घटिया क्वालिटी की जनशक्ति प्राप्त होती है। यह परिस्थिति एक श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) के कार्यान्वयन की आवश्यकता को जन्म देती है, जो साझाकृत मंच का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा सभी पणधारियों को श्रम बाजार के संबंध में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचना एवं आसूचना उपलब्ध कराएगी जिससे वे

अपने व्यवसाय की आवश्यकता, आजीविका की आयोजना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रोजगार की खोज, र्तियों, श्रम नीतियों तथा कार्यबल निवेश कार्यनीतियों से संबंधित यथोचित योजनाएँ, विकल्प तथा निर्णय ले सकें। एलएमआईएस कुशलता के अन्तराल को पूरा करने के लिए प्रभावी नीतियाँ तैयार करने; श्रम से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के परिणामों का मूल्यांकन करने; श्रमिकों की माँग एवं आपूर्ति पर मुख्य सूचक उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह रोजगार अभ्यर्थियों को भी श्रम बाजार की आवश्यकताओं पर सूचना उपलब्ध कराकर अपनी भावी आजीविका के बारे में यथोचित निर्णय लेने; वर्तमान एवं भावी रोजगार बाजार के अवसरों का पता लगाने में सहायता करेगी; आर्थिक विकास पर आधारित श्रम बाजार का विश्लेषण उपलब्ध कराएगी और साथ ही नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की कुशलता का दर्जा बढ़ाने के संबंध में निर्णय लेने; श्रम बाजार में उपलब्ध कुशलताओं; श्रमिकों की विभिन्न विशेषताओं जैसे कि श्रम नीतियों, श्रम लागत आदि पर सूचना का प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगी।

हिमायत के जरिए कुशलताओं को आकांक्षित बनाना

22.118. व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रतिष्ठित बनाने तथा समाज में इसे आकांक्षित बनाने की बहुत जरूरत है। सामाजिक स्वीकार्यता में सुधार करने के लिए, गहन जागरूकता सृजन अनिवार्य है। इस समय, व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों, ट्रेडों के प्रकार, तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र में संस्थानों और इस क्षेत्र में अवसरों के बारे में जागरूकता का अभाव है। जागरूकता के सृजन के लिए विभिन्न श्रव्य दृश्य माध्यमों, कुशलता मेलों तथा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के जरिए संवेदनशीलता; अच्छे रोजगार के लिए रोजगार की क्षमता में अभिवृद्धि करने में व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व के बारे में लोक अभियान की आवश्यकता होती है।

22.119. सूचना का सृजन तथा प्रसार मुख्य स्थानों/केन्द्रों के माध्यम से किया जा सकता है जहाँ से इसे लक्षित समूह द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सके। सूचना का भण्डार होने के अतिरिक्त, ये केन्द्र प्रशिक्षण/परीक्षण केन्द्रों के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा अच्छे स्तर की स्वायत्तता सहित कुशलता विकास केन्द्रों की स्थापना करके व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की एक ब्राण्ड मान तैयार करने में सहायता की जा सकती है।

22.120. एनएसक्यूएफ भी बेहतर आजीविका की संभावनाओं के लिए सामान्य शिक्षण प्रणाली के स्थान पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों

में विद्यार्थियों को आकर्षित करने में बहुत सहायक होगा। इस समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न माध्यमों के जरिए जागरूकता का सृजन किया जा रहा है, लेकिन यह बहुत ही सीमित है। एनएसडीसी व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए संकेन्द्रित रूप में हिमायत कर रहा है। माध्यमिक विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षण में कुशलता विकास के लिए किए गए उपायों के विवरण योजना के दस्तावेज के संबंधित अध्यायों में दिए गए हैं।

कुशलता विकास का वित्तपोषण

22.121. भारत में इस समय केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण योजनागत बजट से किया जाता है। लेकिन युवा वर्ग को कुशलता प्रदान करने की चुनौती का सामना करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कुशलता विकास के वित्तपोषण की पद्धति में निदर्शनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है जिसमें अभिनव समाधान शामिल होंगे। कुशलता विकास के वित्तपोषण में संसाधनों की गतिशीलता एवं उनका आबंटन शामिल है। वित्तपोषण में सार्वजनिक, निजी तथा पीपीपी मोड शामिल हैं। व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए सफल वित्तपोषण मॉडल माँग पर आधारित कुशलता प्रणाली; दीर्घकालीन निधि; पारदर्शी एवं परिणाम आधारित निधि आबंटन; प्रशिक्षण प्रदाताओं में निधियों के लिए प्रतिस्पर्धा आदि जैसे घटकों पर निर्भर करता है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब निधियों का तदर्थ आबंटन बन्द कर दिया जाए और संस्थानों को केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर कुछ पारदर्शी दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई जाएँ जिसमें अन्तिम परिणाम के रूप में प्लेसमेंट की आवश्यकता हो (अर्थात् जैसे कि एनएसडीसी वित्तपोषण मॉडल में)। प्रशिक्षण निधियों का सृजन विश्व के कई देशों में प्रशिक्षण के लिए वित्तपोषण का माध्यम बनता जा रहा है। प्रयोजन पर आधारित प्रशिक्षण के लिए निधियों का वर्गीकरण बॉक्स 22.23 में दिया गया है।

22.122. कुशलता विकास के लिए वित्तपोषण की कार्यनीति में वित्तपोषण की दोनों पहलुओं अर्थात् संसाधनों की व्यवस्था तथा संसाधनों के आबंटन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। संसाधनों की व्यवस्था करने में यह जरूरत होती है कि सभी पणधारी अर्थात् सरकार, विद्यार्थी तथा कर्मचारी इस भार का वहन सभी मिलकर करें। जबकि सरकार बजट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराती है, प्रशिक्षण को वित्तपोषित करने में नियोक्ताओं तथा विद्यार्थियों की अधिक प्रतिभागिता की भूमिका है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब प्रशिक्षण के परिणामों में सुधार नियोक्ताओं को सही कुशल कर्मचारियों

तालिका 22.23
प्रशिक्षण निधियों का वर्गीकरण

प्रकार	मुख्य प्रयोजन	वित्तपोषण के स्रोत
रोजगार-पूर्व प्रशिक्षण निधि	रोजगार से पहले आरम्भिक प्रशिक्षण का विस्तार एवं प्रदायगी के लिए वित्तपोषण	वेतनपत्रक उगाही – राजस्व सृजन
उपक्रम प्रशिक्षण निधि	उपक्रम के अन्दर कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण में बढ़ोतरी करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना	वेतनपत्रक उगाही – प्रोत्साहन योजनाएँ
इक्विटी प्रशिक्षण निधि	सुविधाओं से वंचित समूहों द्वारा कुशलता प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि जिन्हें उपक्रम योजनाओं द्वारा शामिल नहीं किया गया है	सार्वजनिक उपदान, उगाही अथवा दानकर्ता

स्रोत: जोहनसन 2009 (आप इस पर निर्णय ले सकते हैं।)

की उपलब्धता तथा कुशल युवाओं को अच्छा रोजगार मिलने की दृष्टि से हो। जहाँ तक विद्यार्थियों द्वारा प्रशिक्षण की लागत के भार का वहन करने का संबंध है, यह बताया जा सकता है कि सरकार छात्रवृत्ति/आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से गरीब विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकती है। वस्तुतः बड़ी संख्या में केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकारें गरीब तथा समाज के सीमान्त वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रही हैं। निजी क्षेत्र को कुशलता विकास के लिए अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। भारत में नियोजित अपने सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से लागत का वहन करते हैं लेकिन उनके परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। बॉक्स 22.6 में कई देशों में सफल वित्तपोषण के विवरण दिए गए हैं।

22.123. कर में कटौती, उगाही अनुदान प्रणाली, प्रशिक्षण निधि; कुशलता वाउचर जैसे अभिनव वित्तपोषण समाधानों की दृष्टि से दूसरे देशों के अनु वाँ पर विचार किया जाना चाहिए। पूरे विश्व में तथा

दक्षिण एशियाई एवं पूर्वी एशियाई देशों में प्रशिक्षण के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण निधि (एनटीएफ) या कुशलता विकास निधि (सिंगापुर) या मलेशिया में मानव संसाधन विकास निधि, उगाही प्रतिपूर्ति योजना तैयार की गई है। प्रशिक्षण निधि प्रशिक्षण प्रदाताओं को निधियों से संग्रहण एवं आबंटन के लिए एक सांस्थानिक रूपरेखा उपलब्ध कराता है। प्रशिक्षण में भारी वृद्धि के लिए निधियाँ काफी जिम्मेदार रही हैं। निधि सार्वजनिक वित्तपोषण का एकीकरण एवं अभिवृद्धि करती है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का आबंटन करती है। प्रशिक्षण निधियों को सम्पोषणीय होना चाहिए तथा इसका प्रयोग औपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों को बजट के रूप में, एक प्रकार की उगाही अनुदान योजना के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए औपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहन के रूप में, बेरोजगार एवं सुविधाओं से वंचित समूहों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में, सूक्ष्म उपक्रमों तथा अनौपचारिक क्षेत्र को प्रशिक्षण के रूप में किया जाना चाहिए।

बॉक्स 22.6

वित्तपोषण के अच्छे निश्पादनकर्ता - चिली, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर

- कर की कटौती तथा क्रेडिट (निजी व्यय को प्रोत्साहित करता है)
- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कार्यनिष्पादन के आधार पर बजटीय आबंटन (सार्वजनिक व्यय के अच्छे प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, वित्तपोषण के फार्मूला में परिणामों पर ध्यान देता है)
- वाउचर एवं अधिगम लेखे (विशेष समूहों का लक्ष्य, आजीवन अधिगम में उपयोग, बाजार के माँग पक्ष को अधिकार प्रदान करता है)
- प्रशिक्षण निधियाँ तथा प्रतिस्पर्धी खरीद (प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, सीमान्तक समूहों का लक्ष्य)
- उगाही अनुदान प्रणालियाँ (सेवाकालीन प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है, प्रशिक्षित करने के लिए उपक्रमों को प्रोत्साहित करता है, मुक्त-राइडर समस्या)

स्रोत: अर्विल वॉन एडम्स, 2012

22.124. जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत में अधिकांश प्रशिक्षणों का वित्तपोषण सार्वजनिक संसाधनों द्वारा किया जाता है, हालाँकि 11वीं योजना में राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम की स्थापना निजी क्षेत्र के प्रयासों को प्रेरित करने तथा निजी प्रतिभागिता, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संस्थानों द्वारा निधियाँ तैयार करने के लिए की गई है। कुशलता विकास की चुनौतियों की मात्रा के लिए बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों तथा अभिनव पद्धतियों की आवश्यकता होती है जिससे संसाधनों की व्यवस्था की जा सके और उनका आबंटन कुशल पद्धति से किया जा सके। कुशलता की चुनौतियों को पूरा करने के लिए जिन कुछ अभिनव वित्तपोषण कार्यनीतियों का प्रयोग किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं:

- संसाधनों की व्यवस्था तथा आबंटन के लिए एक प्रशिक्षण निधि की स्थापना समुचित प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है। दक्षिण एशियाई देशों में निधियों की व्यवस्था या तो वेतन पत्रकों या फिर कर उगाही के माध्यम से की जाती है। शुरुआत के रूप में, उगाहियाँ संगठित क्षेत्रों में मजदोरे तथा बड़े उपक्रमों से एकत्रित की जा सकती हैं क्योंकि अत्यन्त विखण्डित व्यापक रूप में फैले असंगठित क्षेत्र से उगाहियाँ एकत्रित करना कठिन होगा। संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों उपक्रम निधियाँ प्राप्त करने के पात्र होने चाहिए। लेकिन पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक अंश का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे संगठित क्षेत्र के उपक्रमों को यह महसूस हो कि उनका इस प्रणाली में दावा है, और साथ ही साथ निधियों के वितरण के बारे में निर्णय लेते समय समानता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, संसाधनों का आबंटन सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में संस्थानों के कार्यनिष्पादन के आधार पर किया जा सकता है।

- भारत को राजस्व सृजन तथा उगाही वितरण दोनों ही योजनाओं का अपनाने की आवश्यकता है। आकार की दृष्टि से और संगठित/असंगठित खण्डों के रूप में विभिन्न प्रकार के उपक्रमों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को अपनाना बेहतर होगा। किस खण्ड के उपक्रमों को किस पद्धति को अपनाना होगा, इसके बारे में निर्णय संबंधित पणधारियों के बीच विचार-विमर्श करके लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जबकि राजस्व सृजन तथा उगाही वितरण योजनाओं के मिले जुले रूप को बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में लागू किया जा सकता है, मजदोरे उपक्रमों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए उगाही वितरण योजनाओं को अपनाने का प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- छात्रवृत्ति के भुगतान के जरिए प्रशिक्षण के माँग पक्ष के वित्तपोषण के लिए काफी गुंजाइश होनी चाहिए। भारत में प्रशिक्षण का प्रावधान ऐतिहासिक रूप में आपूर्ति आधारित रहा है और कुशलता विकास की माँग की अनदेखी की गई है। गरीब पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण उगाही निधि का प्रयोग करने का मामला बहुत मजबूत है, जो श्रम बाजार में प्रवेश करने से पहले प्रशिक्षण की लागत का वहन करने में असमर्थ रहते हैं। विद्यार्थियों को टिके रहने के लिए अर्जित करना होगा, और उन्हें प्रशिक्षित किया जाना 'समर्थ' नहीं होगा। यदि प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है तो यह कार्य नहीं करने की अवसर लागत, तथा प्रशिक्षण शुल्क की लागत को आंशिक रूप में कम करेगा।

बॉक्स 22.7

प्रयोक्ता फीस के इक्विटी प्रभाव

प्रयोक्ता फीस के माध्यम से लागत की वसूली के धनात्मक वित्तीय ला पर इक्विटी पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की दृष्टि से विचार करना चाहिए। यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण स्पष्ट है। फीस उच्च, वास्तविक होने पर ऐसे लोग प्रशिक्षण से वंचित रह जाएंगे जो इसका भुगतान करने में असमर्थ हैं, जबकि फीस कम होने पर प्रशिक्षण प्रदाता के लिए लागत की वसूली में इसका योगदान पर्याप्त नहीं होगा। गरीब, अल्पसंख्यकों, ग्रामीण जनसंख्या, तथा सुविधाओं से वंचित अन्य समूहों के लिए प्रशिक्षण के अवसरों के अभिगम पर ऋणात्मक प्रभाव जारी रहने की संभावना है। सरकारें फीस की आय से हासिल की गई बचत का कुछ हिस्सा निम्न आय वर्ग के प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति देकर इक्विटी पर फीस के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकती हैं। कम से कम सैद्धान्तिक रूप में, बढी हुई फीस से अभिगम की समानता में वृद्धि होगी क्योंकि बचत के द्वारा सरकार निम्न आय वर्ग के अधिक विद्यार्थियों के दाखिले का वित्तपोषण कर सकती है। वस्तुतः यह मान लिया जाता है कि अपेक्षाकृत धनी विद्यार्थी फीस का भुगतान करने के लिए तैयार हैं – वे ऐसा तभी करेंगे जब वे यह समझ लेंगे कि प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है और पास कर लेने के बाद उन्हें रोजगार मिलने की संभावना है। फीस प्रभारित करने की समानता के प्रभाव जोखिम वाले समूहों के लिए छात्रवृत्ति तथा फीस में छूट के रूप में इमदाद लागू करने की व्यापक रूप में स्वीकृत आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। चुनौती समुचित तंत्रों का विकास करने के क्षेत्र में होगी जिसका लक्ष्य गरीबों के लाभार्थ होगा।

स्रोत: जोहनसन एवं वॉन एडम्स (2004)

- माँग पक्ष वित्तपोषण की योजनाओं को सेवाकालीन प्रशिक्षण में भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह न केवल प्रशिक्षार्थियों को सामने आने और विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा बल्कि उद्योगों को भी सामने आने और ऐसे योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे श्रम का भुगतान सीधे निधि द्वारा किया जा सके। माँग पक्ष के इमदाद की मुख्य विशेषता अभीष्ट ला ग्राहियों, इमदाद तथा अपेक्षित आउटपुट अर्थात् इस मामले में प्रशिक्षण, के बीच सीधा सम्पर्क है। इन्हें पूरा करने के लिए जिन विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, वे हैं छात्रवृत्ति, लक्षित खजांची तथा वाउचर। कुशलता वाउचर से प्रशिक्षार्थी अपना प्रशिक्षण खरीद सकते हैं जो प्रशिक्षण के माँग पक्ष को तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। वे प्रशिक्षण प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रेरित कर सकते हैं। मुख्य तत्व निधियों के लिए प्रतिस्पर्धा है।
- उत्पादों की बिक्री तथा प्रशिक्षार्थियों के सेवा संबंधी कार्यकलापों से आय का सृजन करने और प्रचालन संबंधी लागतों को पूरा करने के प्रयोजन से इसका धारण करने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहन देना। डीजीईटी के अनुमानों के अनुसार, इनमें से 64 प्रतिशत ने राजस्व सृजन के कार्यकलाप आरम्भ कर दिया है। इसका सांस्थानीकरण किया जाना चाहिए। यह न केवल अतिरिक्त संसाधनों का सृजन करने में सहायता करेगा बल्कि स्थानीय बाजार से भी परिचित कराएगा तथा बाजार उन्मुखी प्रशिक्षण में सहायता करेगा। इसके लिए प्रशिक्षण शुल्क नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जिससे निधियों संस्थान की बजट के अंग बनें और सरकार के राजस्व में वापस न जाएँ।
- कुशलता विकास के लिए वित्तपोषण में अभिवृद्धि करने के लिए आज कई संभावनाएँ मौजूद हैं। पहला, केन्द्र सरकार एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य की परियोजना वाली सिविल निर्माण कम्पनियों से उप-कर संग्रह करती है। यह निर्माण कर्मचारी उप-कर निधि जमा होकर कई हजार करोड़ हो गई है, जो वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी है। इन निधियों के एक भाग का प्रयोग निर्माण कर्मचारियों की कुशलता के विकास के लिए किया जा सकता है, जो ऐसे उद्योग में हैं जिसका विस्तार तेजी से हो रहा है और जिसमें रोजगार में वृद्धि की गति पिछले 10 वर्षों में किसी भारतीय उद्योग में सबसे तेज है (जैसा पहले चर्चा की गई है)।
- प्रशिक्षण के लिए केवल योजनागत निधियों के धनराशि उपलब्ध कराने की वर्तमान पद्धति से बाहर निकलने के उद्देश्य से, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) व्यावसायिक शिक्षा ऋण योजना तैयार करने का कार्य कर रहा है जो श्रमिक बल की कार्य कुशलता में सुधार

करने करने तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बल के एक भाग के रूप में देश के कुशलता मिशन को प्रेरित करेगा। यह योजना न केवल विद्यार्थियों की सहायता करेगी बल्कि वित्तीय कारणों से कम दाखिले की शिकायत करने वाले कुशलता प्रदाताओं की भी सहायता करेगी। किसी समर्थक ऋणाधार का विचार नहीं है और ब्याज की दर बैंकों की आधारभूत दरों से जुड़ी होगी। अध्ययन की अवधि के दौरान तथा अदायगी आरम्भ होने तक साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा। अदायगी की समय-सीमा पाठ्यक्रम की अवधि पर आधारित होने का प्रस्ताव है। कुशलता ऋण की राशि 20,000 रु. से 1.5 लाख रु. के बीच होगी। कार्यविधियों को एनएसडीसी तथा आईबीए के बीच विचार-विमर्श के जरिए तैयार किया जा रहा है। एक सर्वव्यापी व्यावसायिक ऋण योजना से गरीब विद्यार्थियों के लिए वित्त प्राप्त करने की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। गुजरात प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोगात्मक रूप में कुशलता वाउचर योजना चला रहा है।

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: कुशलता प्रशिक्षण के वित्तपोषण के लिए यह निधियों का अन्य स्रोत है। सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्र की कम्पनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में कुशलता प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए। नियमों के अनुसार, लगभग 100 करोड़ रु. का लाभ वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रशिक्षण में लगभग 5 प्रतिशत निवेश करना होगा। केन्द्र सरकार तथा राज्यों को इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सक्रिय रूप में शामिल करना होगा तथा निर्धारित संसाधनों का व्यय सार्थक रूप में करना होगा।

संक्षेप में, 12वीं योजना में निम्नलिखित पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

1. मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से कुशलता विकास के विस्तार में सुधार करना जिससे विभाजन को दूर किया जा सके जैसे कि स्थान, अंचल, क्षेत्र तथा लिंग आदि।
2. एक ऐसा सांस्थानिक तंत्र लागू करना जिसमें केवल कुशलता विकास पर ध्यान दिया जाता है।
3. आवश्यक समर्थक तंत्र स्थापित करना जिससे गरीब विद्यार्थियों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं/कुशलता ऋण की सुविधा प्राप्त हो (क्रेडिट गारंटी निधि)
4. आंचलिक कुशलता परिषदों द्वारा विकसित मानकों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय कुशलता अर्हता रूपरेखा का विकास करना,

- तथा कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए एक विनियामक रूपरेखा स्थापित करना तथा आंचलिक कुशलता परिषदों की जवाबदेही का सुनिश्चय करना।
5. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देते हुए गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार करना।
 6. सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
 7. कुशल जनशक्ति की माँग एवं आपूर्ति के बीच अन्तराल को कम करने के लिए उद्योग, शैक्षिक संस्थानों तथा कुशलता प्रदाताओं के बीच अधिक बातचीत को प्रोत्साहित करना।
 8. एक ऐसे मॉडल का वित्तपोषण करके अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान देना जो आजीविका संवर्धन संस्थानों के रूप में जनता तक पहुँचता है, पंचायती राज संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों को प्रभावी रूप से शामिल करना।
 9. आईसीटी आधारित तात्कालिक श्रम बाजार सूचना प्रणाली का विकास करना।
 10. परिणाम आधारित एक दृष्टिकोण जो यह सुनिश्चित करे कि सृजित रोजगार क्षमता का उपयोग प्रशिक्षार्थियों के तात्कालिक, परिमाण योग्य एवं ठोस रोजगार/स्व-रोजगार में किया जाए।
 11. कुशलता प्राप्त व्यक्तियों तथा उनके वर्तमान रोजगार का एक ऑनलाइन राष्ट्रीय रजिस्टर न केवल नियोक्ताओं तथा सभी पणधारियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस उपलब्ध कराता है बल्कि एक पारदर्शी निगरानी प्रणाली की सुविधा भी प्रदान करता है।
 12. श्रम कानूनों की समीक्षा करना जो अल्पावधि इंटरनॉ तथा प्रशिक्षार्थियों के नियोजन को निषिद्ध करते हैं।
 13. सभी रोजगार कार्यालयों को ऑनलाइन बनाना तथा उनके द्वारा सक्रिय परामर्श एवं प्लेसमेंट केन्द्र के रूप में कार्य किया जाना।
 14. राज्य कुशलता मिशनों को सक्रिय बनाना तथा उन्हें केन्द्र सरकार से कुशलता से संबंधित सभी वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए नोडल केन्द्र बनाना।
 15. राष्ट्रीय कुशलता रजिस्ट्री की स्थापना करना जिसमें विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्यों के विविध डेटा बेसों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की सुविधा हो ताकि वह प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षकों/प्रायोजित करने वाले संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करवाने तथा कुशलता प्राप्त व्यक्तियों का सम्पर्क संभावित नियोक्ताओं के साथ करवाने के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कर सके।
 16. कुशलता विकास कार्यक्रमों पर सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए कार्य करने वाले मंत्रालयों जैसे कि एसजेई, टीडब्ल्यू, अल्पसंख्यक कार्य, महिला एवं बाल विकास, डोनर आदि के फोकस में सुधार करना जिससे कुशलता विकास के लिए उनके माध्यम से काफी अधिक वित्तपोषण सुनिश्चित हो सके।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए योजनागत परिव्यय

22.125. विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करने के प्रयोजन से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए 13223 करोड़ रु. का एक निदर्शात्मक परिव्यय रखा गया है। इस राशि में से, 7316 करोड़ रु. की राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा 5907 करोड़ रु. की राशि श्रम मंत्रालय की अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित की गई है।

अनुबंध 22.1
यूपीएसएस आधार पर (स्रोत: एनएसएस रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण) पर 1999-2000, 2004-05,
2009-10 के विभिन्न क्षेत्रों में विकास

क्षेत्र	विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार (मिलियन में)			रोजगार में पूर्ण वृद्धि (मिलियन में)	
	1999-2000	2004-5	2009-10	1999-00 2004-05	2004-05 2009-10
कृषि	237.67	258.93	244.85	21.25	-14.08
विनिर्माण	44.05	55.77	50.74	11.72	-5.03
गैर विनिर्माण	20.84	29.96	48.28	9.11	18.32
खनन और उत्खनन	2.17	2.64	2.95	0.47	0.31
बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1.13	1.30	1.25	0.17	-0.05
निर्माण	17.54	26.02	44.08	8.48	18.06
सेवा	94.20	112.81	116.34	18.77	3.53
व्यापार	36.63	43.36	43.53	6.74	0.17
होटल और रेस्तरां	4.62	6.10	6.13	1.48	0.03
परिवहन, भंडारण और संचार	14.61	18.47	19.97	3.86	1.5
बैंकिंग (और बीमा)	2.25	3.10	3.82	0.84	0.72
रियल एस्टेट, किराए पर लेना और व्यावसाय गतिविधि	2.67	4.65	5.75	1.98	1.12
लोक प्रशासन और रक्षा	10.48	8.84	9.46	-1.64	0.62
शिक्षा	8.47	11.43	11.85	2.96	0.42
स्वास्थ्य	2.62	3.34	3.59	0.73	0.25
अन्य सेवाएं	11.85	13.51	12.24	1.66	-1.27
कुल	396.76	457.46	460.22	60.70	2.76

टिप्पणी: विभिन्न एनएसएस दौरों पर आधारित।

164 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

अनुबंध 22.2
विनिर्माण 1999-2000, 2004-05, 2009-10 में विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण वृद्धि/रोजगार में कमी (मिलियन में)

क्षेत्र	1999-00 से 2004-05		2004-05 से 2009-10	
	वृद्धि/कमी		वृद्धि/कमी	
खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ	-0.30	↓	-0.15	↓
तंबाकू उत्पाद	0.25	↑	-0.52	↓
वस्त्र	2.25	↑	-1.7	↓
पहने हुए परिधान, ड्रेसिंग और फर की रंगाई	5.26	↑	-1.62	↓
लकड़ी और लकड़ी और काग के उत्पाद, फर्नीचर अलावा	0.70	↑	-1.62	↓
कागज और कागज उत्पाद	0.36	↑	-1.15	↓
कोक, रिफाईंड पेट्रोलियम उत्पाद और परमाणु ईंधन	-0.28	↓	-0.84	↓
रसायन और रसायन उत्पाद	0.24	↑	-0.39	↓
अन्य गैर धातु खनिज उत्पाद	1.07	↑	-0.16	↓
मूल धातु	-0.12	↓	0.37	↑
फेब्रीकेटेड मेटल उत्पाद, मशीनरी और उपकरण के अलावा	0.53	↑	-2.01	↓
विद्युत मशीनरी और उपकरण अर्थात्	-0.21	↓	0.05	↑
मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर, अन्य परिवहन उपकरण	0.50	↑	-0.42	↓
चिकित्सा, सटीक और ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां और घड़ियां	.83	↑	-3.14	↓
रिसाइकिल	0.07	↑	0.01	↑
फर्नीचर: विनिर्माण एन.ई.सी.	0.6	↑	2.89	↑
रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	-		0.7	↑
कार्यालय लेखांकन और कम्प्यूटिंग मशीन	-		0.1	↑
रेडियो, टेलीविजन और संचार उपकरण और उपकरण	-		0.2	↑
प्रकाशन, मुद्रण और रिकॉर्डेड मीडिया का पुनःउत्पादन	-		1.1	↑
अन्य परिवहन उपकरण	-		0.8	↑
मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	-		1.6	↑
कुल विनिर्माण रोजगार परिवर्तन	11.7		-5.07	

स्रोत: एनएसएसओ विभिन्न दौर।

अनुबंध 22.3

शिक्षा के स्तर द्वारा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह के लिए बेरोजगारी की दर, 2004-5 और 2009-10 (यूपीएसएस) प्रतिशत में

शिक्षा का स्तर	2004-05	2009-10
साक्षर नहीं	0.3	0.3
औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर	1.2	0.3
प्राथमिक से कम	1.2	0.7
प्राथमिक	1.4	1.2
मध्यम	2.7	2.1
माध्यमिक	4.8	2.7
उच्च माध्यमिक	6.4	5.2
डिप्लोमा/प्रमाण पत्र	10.4	9.6
स्नातक	8.8	6.9
स्नातकोत्तर और उसे अधिक	8.1	6.7
शिक्षा के सभी स्तर	2.3	2.0

स्रोत: एनएसएस डेटाबेस, रोजगार और बेरोजगार सर्वे (2004-05 और 2009-10) की गणना।

अनुबंध 22.4

भारत के राज्यों में निर्भरता अनुपात, जनगणना 2001

	अनुपात - 15-59:<15	अनुपात - 15-59:>59	अनुपात - डब्ल्यूए: गैर डब्ल्यूए
	व्यक्ति	व्यक्ति	व्यक्ति
बिहार	1.22	7.72	1.05
उत्तर प्रदेश	1.26	7.37	1.08
मेघालय	1.25	11.62	1.13
राजस्थान	1.32	7.84	1.13
मध्य प्रदेश	1.40	7.63	1.19
झारखण्ड	1.37	9.26	1.19
अरुणाचल प्रदेश	1.36	12.10	1.23
छत्तीसगढ़	1.51	7.72	1.26
उत्तराखण्ड	1.53	7.23	1.26
हरियाणा	1.57	7.51	1.30
असम	1.51	9.67	1.31
जम्मू और कश्मीर	1.61	8.60	1.35
उड़ीसा	1.76	7.07	1.41
नागालैंड	1.60	12.92	1.42
त्रिपुरा	1.75	8.11	1.44
महाराष्ट्र	1.84	6.77	1.45
मिजोरम	1.67	10.71	1.45

(क्रमशः)

166 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

(क्रमशः)

	अनुपात – 15-59:<15	अनुपात – 15-59:>59	अनुपात – डब्ल्यूए: गैर डब्ल्यूए
	व्यक्ति	व्यक्ति	व्यक्ति
सिक्किम	1.70	11.05	1.47
पंजाब	1.90	6.60	1.47
पश्चिम बंगाल	1.79	8.37	1.48
लक्षद्वीप	1.74	9.69	1.48
हिमाचल प्रदेश	1.93	6.63	1.49
गुजरात	1.83	8.72	1.52
आंध्र प्रदेश	1.88	7.93	1.52
कर्नाटक	1.89	7.85	1.53
मणिपुर	1.85	9.01	1.54
दादरा और नगर हवेली	1.72	15.18	1.55
दिल्ली	1.92	11.97	1.65
केरल	2.43	6.05	1.74
तमिलनाडु	2.38	7.22	1.79
पांडिचेरी	2.40	7.77	1.83
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.23	13.39	1.91
चंडीगढ़	2.27	13.21	1.94
गोवा	2.71	7.99	2.02
दमन और दीव	2.47	13.29	2.09
भारत	1.61	7.64	1.33

टिप्पणी: डब्ल्यूए: कामकाजी आयु, एनडब्ल्यूए: गैर कामकाजी आयु

नोट:

1. संगठित और असंगठित क्षेत्रों को एनसीईयूएस परिभाषा के अनुसार परिभाषित किया गया है।

महिला अभिकरण एवं बाल अधिकार

प्रस्तावना

23.1. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारत की महिलाओं और बाल विकास कल्याण को उचित महत्व दिया गया है जिसके दायरे में भारत की 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता आती है। इस अध्याय में इनकी आवाज और आकांक्षाओं को वर्णित किया गया है और इस योजना अवधि के दौरान इस दृष्टिकोण को वास्तविक स्थिति में बदलने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। बारहवीं योजना की कार्यनीति की विकास योजना तैयार करने में समेकित विकास पर बल दिया है और मुख्य रूप से बाल कल्याण के अनुकूल बनाया गया है। इसके लिए संरचनागत बदलाव का आह्वान किया है जिसमें सिर्फ महिला और बाल संबंधी प्रत्यक्ष नीति और कार्यक्रम में उन्नत सुधार ही शामिल नहीं हैं बल्कि इसमें अनेक क्षेत्रों की नीतियों और कार्यक्रमों में आम तौर पर शामिल ऐसे घटक भी हैं जिनका महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव पड़ता है इसमें विशेष रूप से कमजोर वर्ग या ऐसा वर्ग शामिल है जिनकी निजी परिस्थितियां इन्हें अति संवेदनशील बना देती हैं। इसमें गरीब वर्ग, अत्यंत वंचित सामाजिक धार्मिक समुदाय, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय, गैर – अधिसूचित और खानाबदोश वर्ग, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्ग, प्रवासी, जो दयनीय अगम्य या छिन्न – भिन्न पल्लियों में रहते हैं, असुरक्षित परिवेश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग की महिलाओं और बच्चों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

23.2. चूंकि बाल और महिला विकास से संबंधित अधिकतर कार्यक्रमों को तीसरे चरण की सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात् पंचायती राज संगठन (पीआरआई) तथा स्थानीय शहरी निकाय (यूएलबी) – इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मुख्य रूप से सरकार के इन स्तरों में महिलाओं की सहभागिता पर और कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित इनके सशक्तीकरण पर निर्भर करती है। हमें अवश्य ही 'महिला एवं बाल अनुकूल पंचायतों' और स्थानीय शहरी

निकायों का सृजन करने के साथ साथ बाल पंचायतों का निर्माण भी करना होगा जिसमें बच्चों की सहभागिता के नए आयाम को भी शामिल किया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों की ओर शक्ति के निरंतर स्थानांतरण तथा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण करने वाले राज्यों की संख्या बढ़ने से बारहवीं योजना में जमीनी स्तर पर लिंग संवेदनशीलता और बाल विकास के प्रति अनुकूल विकास योजना प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए नए अवसर उभरकर सामने आए हैं।

23.3. असुरक्षा और वंचित रहने के कई स्वरूप हैं जिनका महिला और बच्चों के लिए बारहवीं योजना की कार्यनीति में समाधान दिया गया है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात, लड़कियों तथा महिलाओं द्वारा झेले जा रहे बहु-वंचन और हिंसा के अंतर-पीढ़ी चक्र का प्रतीक है। लिंग आधारित असमानता, भेदभाव तथा हिंसा को समाप्त करना बारहवीं योजना की उच्च प्राथमिकता है। अतः प्रतिकूल और तेजी से गिरते शिशु लिंग अनुपात में सुधार सहित बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने को महिलाओं और बच्चों के संबंध में बारहवीं योजना में सर्वोच्च निगरानी-योग्य लक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं की पहुंच को सुसाध्य बनाने के लिए 12वीं योजना में महिलाओं के लिए पोषक, संरक्षात्मक और सुरक्षित माहौल प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

23.4. इस अध्याय के भाग 1 में महिलाओं के अभिकरण तथा विकास को प्रशस्त करने पर ध्यान दिया गया है। बारहवीं योजना में महिलाओं की एजेंसी के लिए मुख्य कार्यनीतियों के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं की पहचान की गई हैं: (1) आर्थिक सशक्तीकरण; (2) सामाजिक और वास्तविक अवसरचना; (3) सक्षम वैधानिक कानून; (4) शासन में महिला सहभागिता; (5) सभी श्रेणियों की असुरक्षित महिलाओं को

शामिल करना; (6) राष्ट्रीय नीतियों/कार्यक्रमों में एंजेंडरिंग (महिलाओं को शामिल करना)। इन कार्यनीतियों से महिलाओं की एजेंसी द्वारा पारंपरिक निर्धारक तथ्यों द्वारा मुख्य चुनौतियों का सामना किया जाएगा और इन्हें सशक्त बनाया जाएगा जैसे परिसम्पत्ति स्वामित्व, कौशल विकास, वित्तीय समेकन, इसके साथ साथ शहरीकरण द्वारा उत्पन्न नई और उभरती हुई चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा असुरक्षा, मीडिया की भूमिका आदि। असुरक्षित महिलाओं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक से संबंधित; अकेली महिला, निःशक्त महिला; प्रवासी और देह व्यापार वाली महिलाओं को शामिल करने की कार्यनीतियों की पहचान भी कर ली गई है। बारहवीं योजना में महिला सशक्तीकरण और इनजेंडर विकास के विशिष्ट नए पहलुओं को भी निरूपित किया गया है।

23.5. बारहवीं योजना के इस अध्याय के भाग 2 में बच्चों के निर्वाह, संरक्षण, प्रतिभागिता और विकास के अधिकार को पूरा करने के लिए कार्यनीति का उल्लेख किया गया है। बच्चों की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के आधार पर इस अध्याय में बच्चों के लिए बारहवीं योजना कार्यनीति के परिदृश्य मुख्य प्राथमिकताओं तथा निगरानी योग्य लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है। इसमें बच्चों के लिए विशिष्ट और बच्चों से संबंधित नीति और कार्यक्रम के उन्नत हस्तक्षेप शामिल हैं जो कि अपने स्वरूप में बहु क्षेत्रीय हैं। यह (1) शिशु जीवन निर्वाह और विकास जिसमें आईसीडीएस का पुनर्गठन शामिल है; (2) बचपन के आरंभिक चरण में देखभाल और शिक्षा; (3) बाल संरक्षण और सहभागिता; (4) बालिका और (5) किशोरों से संबंधित हैं। इस खण्ड में बच्चों के लिए बाल विशिष्ट नई पहलों और योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया है जबकि संबंधित क्षेत्रवार कार्यनीतियों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का उल्लेख संबंधित विषयों के अध्याय में किया गया है।

23.6. भाग 3 में बारहवीं योजना कार्यनीति में 'सभी के लिए पोषण सुरक्षा' को हासिल करने का उल्लेख किया गया है इसमें विशेष रूप से असुरक्षित बच्चे, किशोरी लड़कियां तथा महिलाएं शामिल हैं जो अनेक प्रकार के वंचित रहने के परस्पर पीढ़ीवार चक्र के दायरे में आती हैं। पोषण सुरक्षा लिए निगरानी योग्य लक्ष्य तथा मुख्य प्राथमिकताओं को विस्तृत परिस्थिति विश्लेषण तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान की गई प्रगति के मूल्यांकन से तैयार किया गया है। भाग 3 में पोषण कार्यनीति को स्पष्ट किया गया है: (1) पोषण के लिए बहु क्षेत्रीय हस्तक्षेप तैयार करना जिसमें क्षेत्रवार कार्यक्रमों की ठोस पोषण पर ध्यान केंद्रित करने की शुरुआत शामिल है, 200 उच्च भार वाले जिलों में संस्थागत प्रबंधन तथा बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को मजबूत और पुनः सक्रिय करना (2) अनुकूल मातृत्व, शिशु और बाल

शिशु देखभाल तथा आहार प्रक्रिया को बढ़ावा देना; (3) समग्र रूप में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का सामना (4) कुपोषण की दोहरी मार पर ध्यान देना; (5) पोषण क्षमता विकास; (6) पोषण शिक्षा और सामाजिक सक्रियता – इसमें पोषण के विरुद्ध सामाजिक अभियान शामिल हैं तथा (7) पोषण परिणामों की निगरानी और समीक्षा के लिए पोषण निगरानी और सेवा रहित प्रणाली।

महिलाओं के अभिकरण और एनजेंडरिंग विकास

23.7. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की संख्या 586.47 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 48.46 प्रतिशत थी। यद्यपि लिंग अनुपात में 7 अंकों की समग्र वृद्धि हासिल की गई है जो वर्ष 2001 में 933 से बढ़कर वर्ष 2011 में 940 हो गया, शिशु लिंग अनुपात (0 – 6 वर्ष) में 13 अंकों की गिरावट आई जो 2001 में 927 से कम होकर 2011 में 914 हो गया जो चिंता का विषय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन से लिंग संबंधी अनेक मुद्दों में काफी सुधार हुआ है। जनन क्षमता दर कम हो गई और अनेक राज्यों में यह प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंच गई; मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) में सुधार हुआ जो 2003 में प्रति 100,000 जीवित जन्म पर 301 से कम होकर 2009 में 212 (एसआरएस 2007–2009) हो गई; यद्यपि नवजात शिशु मृत्यु दर अभी भी काफी ज्यादा है जो कम होकर 2010 में प्रति 1000 पर 41 थी। संस्थागत प्रसूति के मामले 2006 में 41 प्रतिशत से बढ़कर 2009 में 73 प्रतिशत हो गए। बालक और बालिका मृत्यु दर के बीच बढ़ता अंतराल एक चिंता विषय है – लड़कों में 46 की तुलना में लड़कियों में 49 मृत्युदर है। भारत में पांच वर्ष की आयु तक लड़कियों की मृत्युदर 1000 प्रति जीवित शिशु पर 64 है जबकि लड़कों में यह 1000 प्रति जीवित शिशु पर 55 है। एमएमआर में गिरावट काफी पीछे छूट गई है और यह ग्यारहवीं योजना के 100 के लक्ष्य से भी कम थी।

23.8. महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है जो 53.67 प्रतिशत (2001 जनगणना) से बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011 जनगणना) हो गई। यद्यपि लिंग अंतराल को कम करना अभी भी चुनौती है जो 16.68 प्रतिशत है। शिक्षा में लिंग अंतराल में कमी आई है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर। लड़कियों को पढ़ाई के दौरान विद्यालय में रुकने, शिक्षा की गुणवत्ता तथा अलग शौचालय का प्रावधान, भाई बहन की देखभाल की सुविधाएं आदि मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 1993 – 94 से 2009–10 के दौरान श्रम शक्ति में महिला सहभागिता में कमी आई है जो एनएसएसओ डेटा द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 36.8 प्रतिशत से 26.1 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 17 प्रतिशत से 13.8 प्रतिशत थी। चिंता का एक

अन्य मुख्य कारण श्रम शक्ति के शैक्षणिक स्तर में लिंग अनुपात का पाया जाना है। वर्ष 2004 – 05 में 60 प्रतिशत नौकरी करने वाली महिलाएं अनपढ़ और 3.7 प्रतिशत स्नातक थीं जबकि पुरुषों में यह दर क्रमशः 28 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत थी। कृषि में महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की मजदूरी के 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक थी और यह अत्यधिक गरीबी की स्थिति से उबरने में अपर्याप्त है।

23.9. महिलाओं के विरुद्ध सार्वजनिक और निजी दोनों परिवेश में हिंसा पर ध्यान देना एक मुख्य चुनौती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता लगा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है जिसमें 2006 और 2010 के दौरान 29.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे व्यथित घटक यह है कि दोष सिद्ध होने की दर अभी भी काफी कम है जो अन्य बातों के साथ साथ यह दर्शाती है कि ज्यादातर मामलों को सही कानूनी तरीके से नहीं लड़ा जाता और न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जाते। वर्ष 2005–06 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 3) में भी यह दर्ज है कि 15 से 49 वर्ष की आयु वाली एक तिहाई महिलाओं को शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ती है और 10 में से लगभग 1 महिला यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। कम आयु में शादी करने से महिलाएं घरेलू हिंसा के प्रति ज्यादा असुरक्षित हो जाती हैं। एनएफएचएस 3 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की शादी की मध्यम आयु 20 – 49 वर्ष है इसकी सीमा 16.5 वर्ष से 18.3 वर्ष है। महिलाओं और बच्चों का अवैध रूप से व्यापार मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अवैध व्यापार वाली महिलाओं और बच्चों का अनेक स्थितियों में कई तरह से शोषण होता है जैसे व्यावसायिक रूप से यौन शोषण और बंधुआ मजदूर।

महिला सशक्तीकरण के अवरोध

23.10. महिला सशक्तीकरण के मार्ग में अनेक प्रकार के अवरोध हैं। इनमें लिंग आधारित गहरी रुढ़िवादी विचारधारा और भेदभाव शामिल है जैसे महिला को निजी घरेलू दायरे में कैद करना, इनके आने जाने पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य लाभ तक पहुंचने में परेशानी, पोषण, शिक्षा और रोजगार तथा सार्वजनिक और राजनैतिक परिवेश से बाहर रखना, इस कारण पूरे देश की महिलाएं हमेशा भयभीत रहती हैं। अन्य मानदण्ड जिनमें समाज में महिलाओं की स्थिति और हैसियत झलकती है इनमें कार्य में सहभागिता दर, 0 – 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंग अनुपात और लिंग आधारित हिंसा शामिल है जो हमेशा से महिलाओं के काफी विरुद्ध है। नई चुनौतियों जैसे देश के अंदर प्रवासी की वृद्धि, श्रमिक बाजार में परिवर्तन के लिए नई कौशल की आवश्यकता है और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियां भी उभरकर सामने आई हैं।

23.11. मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच महिलाओं की स्थिति और समाज को बेहतर बनाने में इनकी सहभागिता और दक्षता को आधारित करने का मुख्य कारक है। प्रत्येक आयाम में पहुंच के विवरण पर संबंधित अध्यायों (कृपया विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं शिक्षा अध्याय देखें) में विचार विमर्श किया गया है। यद्यपि समग्र चित्रण अनेक आयामों में एक प्रगति है और अभी भी व्यापक अंतराल बना हुआ है। वर्ष 2011 में भारत का लिंग असमानता सूचकांक का मान 0.617 था जिससे विश्व के 149 देशों में से भारत का स्थान 129 था जो देश में प्रचलित उच्च लिंग असमानता को दर्शाता है। मुख्य मानव विकास में महिलाओं की न्यूनतम मौजूदगी देश में महिला और पुरुष के लिए उपलब्ध अवसरों में गहरी विषमता के संकेतक हैं। निर्बाध रूप से डरने वाला घटक यह है कि शिशु लिंग अनुपात काफी बिगड़ रहा है।

23.12. इस प्रकार बारहवीं योजना में लिंग समानता के मुख्य मुद्दे निम्नलिखित विषयों के साथ मिलाया जा सकता है:

- (1) आर्थिक सशक्तीकरण
- (2) सामाजिक और वास्तविक बुनियादी ढांचा
- (3) सक्षम वैधानिक कानून
- (4) शासन में महिलाओं की सहभागिता
- (5) असुरक्षित महिलाओं के सभी वर्गों का समावेशन
- (6) एनजेंडरिंग राष्ट्रीय नीति/कार्यक्रम
- (7) जेंडर बजटिंग द्वारा जेंडर मुद्दे को मुख्य धारा में शामिल करना।

आर्थिक सशक्तीकरण

23.13. बारहवीं योजना में महिलाओं की रोजगार क्षमता को औपचारिक क्षेत्र में बढ़ाने के साथ साथ इनके परिसम्पत्ति आधार को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इससे स्वयं रोजगार सृजन वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। महिला श्रमशक्ति पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा विशेष रूप से गौण और तृतीयक क्षेत्र, इनके लिए बेहतर काम को सुनिश्चित करना, खेतिहर महिलाओं तक पहुंच तथा विनिर्माण, वित्तीय एकीकरण और महिलाओं को भूमि और संपत्ति अधिकार प्राप्त हों।

कार्य स्थितियों में रोजगार सृजन सहित समानता

23.14. औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता है अर्थात् न्यूनतम भुगतान और स्थितियों के साथ काम जो महिला श्रमिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सौभाग्यवश, बारहवीं योजना की कार्यनीति में स्वास्थ्य, शिक्षा,

सफाई और अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे अनेक लाभकारी नौकरियां पैदा हुई हैं इनमें से बड़ा अनुपात औपचारिक क्षेत्र का है। इसमें इन नए रोजगार अवसरों तक महिलाओं की पर्याप्त पहुंच को सुनिश्चित करने की विधि शामिल है।

23.15. योजना से समान लाभकारी अधिनियम तथा मातृत्व लाभ अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े कार्य सुदृढ़ होंगे। औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए कार्यनीति के अनुपूरक के रूप में यह जरूरी है कि कार्य स्थल में महिलाओं की यौन उत्पीड़न के सुरक्षा करने वाले विधेयक को कानून में बदला जाए।

कौशल विकास

23.16. कार्यशक्ति में विशेष रूप से गौण तथा तीसरे क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में एक मुख्य अवरोधक है कौशल की कमी। बारहवीं योजना में 'रोजगार और कौशल विकास' अध्याय में कौशल विकास को मुख्य रूप से स्पष्ट किया गया है। इसमें महिलाओं की कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के विशेष प्रयासों का उल्लेख है जिसमें पारंपरिक कौशल को बढ़ाकर अपेक्षित अनुकूल कौशल स्तर तक लाया जाएगा इससे महिलाओं को लिंग एकाधिकार को समाप्त करने और उच्च कौशल वाले रोजगार को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को बीपीओ कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कार्मिक, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, मैसन आदि के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास का उपयोग महिलाओं की जीविका के लिए ही नहीं बल्कि इनको जीवन एवं रहन सहन में सुधार के रूप में किया जाएगा। महिलाओं को स्वयं एकल रूप में और सामूहिक रूप में मदद करने में पहचाने गए घटकों को इसके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लिंग असंगत आंकड़ों का रखरखाव किया जाएगा जिसमें कॉर्पोरेट द्वारा सहायतार्थ कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या को नोट किया जाएगा। इससे इस तथ्य का मूल्यांकन होगा कि क्या महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षित 33 प्रतिशत सीटों का उपयोग किया जा रहा है, क्या महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्हें बाजार की अर्थव्यवस्था में जगह मिल रही है।

घरेलू आधार पर काम करने वाले श्रमिकों/लघु उत्पादकों के उद्यमों का विशेष प्रोत्साहन

23.17. घरेलू आधार पर काम करने वाले श्रमिकों, स्वयं अपना काम करने वाले श्रमिकों तथा लघु उत्पादकों के उद्यमों को प्रोत्साहित करना बारहवीं योजना का अनिवार्य घटक है और यह महिलाओं के

लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। बारहवीं योजना कार्यनीति में ऐसे श्रमिकों की पहचान की जाएगी और इन्हें सभी मुख्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र खोलते हुए इनके उद्यमों को सहायता प्रदान की जाएगी इन मुख्य सेवाओं में प्रौद्योगिकी और कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता प्रशिक्षण, बाजार सूचना, संस्थागत ऋण प्राप्ति तक पहुंच, बिजली और अन्य बुनियादी तथा संबंधित सुविधाएं तुरंत प्रदान करना शामिल है।

23.18. महिला प्रधान तथा एकल महिला द्वारा चलाए जा रहे परिवारों की आवश्यकताओं को समझते हुए चिकित्सा बीमा नीति को संशोधित किया जाए और समानरूपी परिसीमन मानदण्डों को प्रोत्साहित किया जाए। अकेली महिला और महिला प्रधान परिवारों की आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों पर नीतियों को तैयार किया जाए। महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं। साथ ही समांतर रूप में संयुक्त पट्टा दिया जाए। महिला उद्यमियों को आर्थिक कार्यकलापों में अपनी सहभागिता बढ़ाने के लिए पुनः निधिकरण ऋण का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं को आसानी से ऋण प्राप्त करने के लिए समांतरता के रूप में सरकारी ऋण गारंटी भी प्रदान की जाए। एसएचजी को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और रियायती दरों पर ऋण दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत सरकार द्वारा ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि एसएचजी लाभार्थी अपने ऋण पर सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करें। एसएचजी गरीब महिलाओं के हित में बेहतर रूप में कैसे काम करेगी, इसके निर्धारण के लिए और समग्र एसएचजी नीति रूपरेखा में अपेक्षित बदलाव का सुझाव देने के लिए एसएचजी हस्तक्षेप तथा जमीनी वास्तविकता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

कृषि में महिलाएं

23.19. कृषि श्रमिक के रूप में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है विशेष रूप से पारिवारिक कृषि कार्यों में इनकी भूमिका बढ़ने से हम कृषि के महिलाकरण की प्रक्रिया के प्रति धन्यवाद देते हैं (कृषि के अध्याय को देखें)। इस प्रक्रिया में तथ्यों को दर्शाया गया है कि छोटे और विखंडित जोत क्षेत्र पर्याप्त पारिवारिक आय का सृजन नहीं कर सकते जिसके कारण घर के पुरुष सदस्य अन्य क्षेत्रों में लग गए, इससे पारिवारिक खेती की जमीन ज्यादातर महिलाओं और बच्चों के पास आ गई। बारहवीं योजना में कृषि के बढ़ते महिलाकरण के बारे में नीति निर्माताओं की संवेदनशीलता से जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि खेती में लिंग एकाधिकार के पुरुष वर्चस्व वाले कार्यों को पर्याप्त रूप से चुनौती दी जा सके।

23.20. मौजूदा औपचारिक संगठनों को महिलाओं की भूमिका और कृषि कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकताओं को समझना होगा और तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए कार्यक्रम बनाने में किसान महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना होगा। बनाए जाने वाले कार्यक्रमों की प्रक्रियाविधि, समयावधि, स्थान और अन्य घटक महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए। महिलाओं को भूमि और जल प्रबंधन, पानी पंचायत, मृदा उपजाऊपन तथा पोषण प्रबंध के संरक्षण, मृदा जल पशुधन और मात्स्यिकी संसाधनों के टिकाऊ उपयोग तथा ग्राम स्तर के सामुदायिक बीज बैंक के निर्माण आदि कार्यों में अवश्य ही शामिल किया जाए।

23.21. सरकार द्वारा कार्यान्वित अनेक कृषि स्कीमों तक महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। कृषि संबंधी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए इसमें महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित किया जाए। एसएचजी को बीज उत्पादन, भण्डारण, संरक्षण तथा वितरण के लिए वित्तीय और बुनियादी सहायता प्रदान करते हुए महिला सहभागिता को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।

23.22. महिलाओं के लिए कृषि प्रौद्योगिकी तक पहुंच से महिला अनुकूलन कृषि प्रौद्योगिकी तैयार करने में सुधार आएगा। प्रौद्योगिकी से कड़ी मेहनत वाले काम में बहुत मदद मिलती यह स्वास्थ्य और उत्पादकता दोनों के लिए बेहतर होती है। कृषि के सभी पहलुओं और कृषि प्रबंधन में महिलाओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी इसमें शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकियां, पशु पालन, वानिकी, टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, उद्यम विकास, वित्तीय प्रबंधन तथा नेतृत्व विकास शामिल है। इन्हें फसल कटाई से पहले और बाद की प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई प्रौद्योगिकियों और कृषि क्रियाओं में महिला किसानों के प्रशिक्षित करने, स्कीमों और सब्सिडी पर सूचना प्राप्त करने, फसल नियोजन में प्रशिक्षण आदि के लिए विशेष संसाधन केंद्र प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं और युवा लड़कियों को बोर वैल के उपयोग और मरम्मत पर प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके साथ ही कम लागत वाली सिंचाई को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

23.23. संपन्न और भूमि स्वामित्व वाली महिलाएं सशक्तीकरण में काफी सहायक हैं इनकी सामाजिक और राजनैतिक लिंग असमानता की चुनौती की क्षमता को मजबूत किया जाएगा और इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए भूमि के तीन मुख्य स्रोत हैं: सीधे सरकार द्वारा हस्तांतरण, बाजार से खरीदी या लीज

पर और वंशागत रूप से प्राप्त। सभी तीन स्रोतों से महिलाओं की भूमि तक पहुंच को बढ़ाने के लिए अनेक तरह की नई पहलों की आवश्यकता है जिसमें सभी सरकारी भूमि हस्तांतरण में संयुक्त भूमि स्वामित्व, बाजार से खरीदने और लीज दर जमीन लेने के लिए गरीब महिलाओं को ऋण सहायता, महिलाओं के वंशागत अधिकारों के लिए कानूनी जागरूकता और कानूनी सहायता को बढ़ाना, सहायक सरकारी योजनाएं और महिलाओं के वंशागत हिस्से को दर्ज करना आदि शामिल है। विश्वसनीय, निष्पक्ष और सरल पहुंच वाली प्रक्रिया की आवश्यकता है जैसे अवधि और लीज सुरक्षा से संबंधित मामलों में विवाद निपटाने और समाधान प्रदान करने के लिए लेखा परीक्षण निकायों में महिलाओं की अधिक सहभागिता के साथ साथ सामाजिक लेखा परीक्षण।

23.24. राज्यों द्वारा कृषि भूमि और उत्पादक परिसंपत्ति में निवेश में 'सामूहिक मार्ग' को अपनाने पर भी विचार करना चाहिए। राज्यों को सरकार के पास वर्तमान में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का आकलन करना चाहिए, जिस पर खेती नहीं हो रही है और महिला वर्गों को लंबी अवधि के लिए इस पर सामूहिक खेती हेतु भोगाधिकार पर देना चाहिए। कृषि को प्रोत्साहन के लिए सरकारी कार्यक्रमों के तहत समूह पट्टा अधिकारों को मान्यता दी जाए जिससे महिलाएं स्कीमों का लाभ उठा पाएंगी जैसे कृषि विस्तार सेवाएं और जोखिम को कम करने के लिए फसल बीमा। महिलाओं को सामूहिक खेती के लिए भूमि की सामूहिक खरीद में मदद की जाएगी इसमें ऋण – एवं अनुदान योजना द्वारा 50 प्रतिशत ऋण कम ब्याज पर और शेष 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। महिला किसानों/एसएचजी को पट्टा या स्वामित्व वाली भूमि पर सामूहिक खेती के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इसमें समूह बनाने के लिए वित्तीय सहायता; संयुक्त ऋण सब्सिडी, सामूहिक खेती के लिए प्रौद्योगिकी पहुंच शामिल है।

23.25. जहां भी नई जमीन वितरित या नियमित की जा रही हैं वहां पति के साथ संयुक्त रूप में स्वामित्व के बजाय महिलाओं के नाम पर स्वामित्व पर विचार किया जाएगा। राज्यों द्वारा इसके माध्यम से महिलाओं के समूहों को समूह स्वामित्व देने पर विचार करना चाहिए इसके लिए किराएदारी के कानून में परिवर्तन जरूरी है जिससे महिला समूह की पट्टे वाली जमीन को भूमि मालिकों की वैध श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। पिछले कुछ समय में कई राज्यों ने सरकारी जमीन पर पट्टा जारी किया है और यह प्रवृत्ति जारी रखी जाए इस प्रकार के पट्टे हिस्से के रूप में बनाए जाएं ताकि यदि पत्नी चाहे तो अपने निजी नाम पर इस तरह के आधे पट्टे को अपने नाम पर करा सके। वर्तमान वास्तविकता यह है कि तलाक या

छोड़ देने के बाद पत्नी इस भूमि पर अपना हिस्सा लिए बगैर ही चली जाती है।

23.26. वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम (एचएसएए) में समाप्त कृषि भूमि को अन्य संपत्तियों के समकक्ष माना गया है। इससे हिंदू महिलाएं राज्यों में, सिर्फ किसी तरह के गैर प्रासंगिक राज्य कानूनों के अलावा, वंशागत भूमि पर पुरुषों के समान कानूनी रूप से बराबर की हिस्सेदार हैं। अनेक प्रावधानों की समीक्षा करने और इन पर नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें महिलाओं की संपत्ति का पुरुषों की भांति विलय भी शामिल है; पत्नी और पुत्रियों के वंशागत अधिकार को रोकने के प्रति महिलाओं की संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसी ताकतों को समाप्त करने का प्रावधान किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कृषि भूमि से संबंधित कोई राज्य का कानून एचएसएए का हनन न कर पाए। इसके अलावा भूमि संसाधन विभाग की मदद से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एचएसएए को कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जा रही है और इसके तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया गया है।

23.27. सिंचाई परियोजनाओं में किसी भी नई भूमि व्यवस्था (अर्थात् विस्थापित व्यक्ति को दी गई मुआवजा भूमि) को पुरुषों और महिला के संयुक्त नाम पर किया जाए या सिर्फ महिला के नाम पर किया जाए यदि यह मुख्य रूप से आय सृजक है। इससे संपत्ति में महिलाओं का हिस्सा बढ़ेगा।

विनिर्माण के क्षेत्र में महिलाएं

23.28. विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के क्रम में योजना सहायता में उत्पादन कार्यकलापों में बाजार योग्य विनिर्माण कौशल के प्रोत्साहन के साथ साथ सीमांत वर्गों से संबंधित महिलाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्य पारंपरिक उद्योगों जैसे चमड़ा, हैंडलूम, हस्तशिल्प और रेशम के लिए उद्योगों की बाजार क्षमता और मौजूदा कौशल की पहचान के लिए मौजूदा सार्वजनिक वित्त प्राप्त संस्थानों को सक्रिय किया जाएगा। आधुनिक बाजार उन्मुख उत्पादन के अवरोधों का पता लगाया जाएगा और नियमित प्रौद्योगिकी सुधार किया जाएगा जिसमें उद्योग परिवेश के लिंग विश्लेषण द्वारा समन्वय के लिए कंप्यूटरीकृत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन उद्योगों में क्षमतावान महिला उद्यमियों को अवसर प्रदान करने तथा इनके उद्यमों में इन महिलाओं को सहायता देने के प्रचार हेतु राज्य द्वारा प्रोत्साहन नीतियां बनाई जाएं। बारहवीं योजना में कौशल पर लिंग एकाधिकार के रूझान को बदलने

की सामाजिक कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जाएगा और जाति आधारित कार्यों और श्रमिक समुदाय के विरुद्ध दुराग्रह को समाप्त किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र में महिलाएं

23.29. असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है जिसमें छुट्टी, वेतन, काम का परिवेश, पेंशन, आवास, शिशु देखभाल, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ, सुरक्षा और व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा यौन उत्पीड़न के लिए शिकायत समिति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब इन क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा प्रदान की जाए विशेष रूप से महिला श्रमिकों पर ध्यान देते हुए।

सामाजिक और वास्तविक बुनियादी ढांचा

23.30. समेकित वृद्धि के लिए सामाजिक और वास्तविक बुनियादी ढांचा विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा, सफाई, परिवहन आदि को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। अनेक बुनियादी ढांचे की विकास परियोजनाओं में पुरुष और महिलाओं की आवश्यकताओं में काफी लिंग भेद हैं। अतः महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे की नीतियों के लिंग विश्लेषण की आवश्यकता है। परियोजना बनाते समय महिलाओं से परामर्श किया जाए जैसे परियोजना का स्थान चयन, उद्देश्य, संचालन और रखरखाव योजना आदि। इन्हें इन कार्यक्रमों के सामाजिक लेखा परीक्षण में भी शामिल किया जाए।

स्वास्थ्य

23.31. यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए महिलाओं के जीवन निर्वाह से संबंधित जीवन चक्र की संकल्पना को अपनाया जाए। लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात में गिरावट स्पष्टतया एक मुख्य समस्या है। उच्च एनीमिया, देखभाल का बोझ, रुग्णता तथा मृत्युदर में अंतराल और देखभाल तक पहुंच पर भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बीमारी के बोझ पर लिंग के असंगत आंकड़े और उपचार तक पहुंच अपर्याप्त है और इसे बारहवीं योजना में अवश्य ही बढ़ाया जाएगा। यह आंकड़े अत्यधिक असुरक्षित महिलाओं की पहचान के लिए सामाजिक धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर आगे और असंगत थे। योजना में स्वास्थ्य समस्याओं के लिंग आयाम को समझा है और जीवन चक्र की संकल्पना द्वारा महिला जीवन निर्वाह और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

23.32. लगातार महिला आईएमआर की उच्च संख्या के साथ साथ शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए एनआरएचएम के तहत महिला आईएमआर के कम करने का अलग लक्ष्य रखा गया है। जननी सुरक्षा योजना 'जनसंख्या स्थिरता कोष' का प्रभाव आकलन किया गया और स्वास्थ्य बीमा, प्रयोक्ता शुल्क तथा अन्य कार्यकलापों के इक्विटी निहितार्थ को भी एनआरएचएम के तहत शामिल किया गया।

23.33. गर्भवती तथा प्रसूति काल वाली माताओं से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावशाली स्थानान्तरण के लिए आईजीएमएसवाई (एक पायलट सशर्त मातृत्व लाभ योजना), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल (एनएफएसबी) तथा संबंधित राज्य की योजनाओं के साथ एनआरएचएम का सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। एमएमआर को कम करने के लिए सफलतम राज्य स्तर की स्कीमें/नई पहलों पर पुनरावृत्ति के लिए विचार किया जाएगा।

शिक्षा

23.34. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत अनेक महिला शिक्षकों के अनुकूल कार्य परिवेश में सुधार किया जाएगा विशेष रूप से ग्रामीण और दूरवर्ती विद्यालयों, दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत महिला शिक्षकों के संदर्भ में, इसमें परिवहन और आवासीय सुविधाएं भी शामिल हैं। आर्टीई के आलोक में पूर्ण समेकन शामिल करने तथा विद्यालय छोड़ने के विषय पर ध्यान देने के लिए चाइल्ड ट्रेकिंग प्रणाली को अपनाया जाए। लड़कियों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ गैर पारंपरिक व्यवसायिक प्रशिक्षण को समग्र शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल करना शिक्षा कार्यनीति की इनजेन्डरिंग के लिए बेहतर उपाय है। इन विषयों पर 'शिक्षा' अध्याय में विस्तृत विमर्श किया गया है।

स्वच्छता

23.35. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की कमी विशेष रूप से शौचालयों की गंदगी हमारी प्रणाली की बहुत बड़ी कमजोरी है और इसका महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बारहवीं योजना में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत लिंग प्रभाव आकलन किया जाएगा जिसमें इस बात का मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या इससे महिलाओं का कार्यभार कम होगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी, स्वच्छता में सुधार और महिलाओं की जनन क्षमता स्वास्थ्य में सुधार, लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की घटनाओं आदि में कमी आएगी। योजना में सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी में पानी की सुविधा युक्त शौचालय के प्रावधान और सफाई की सुविधाओं के स्थान निर्धारण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जगह पानी की

अत्यंत कमी को देखते हुए पारिस्थिकीय शौचालय, गैर-प्लशिंग, स्वतः कम्पोस्टिंग शौचालय का कार्यान्वयन लंबे समय तक सफलतम रूप से काम करेंगे।

परिवहन

23.36. महिला विशिष्ट परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता है जैसे आरंभिक उत्पादों का परिवहन; आंतरिक और गांव के अंदर सड़कें/रास्ते; बिना मोटर वाले परिवहन साधन; समर्पित साईकल लेन, सड़क के किनारे पैदल चलने के लिए रास्ता, यात्री सुरक्षा आदि इन्हें किसी भी परिवहन नीति या योजना में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक बड़ी परिवहन परियोजना में सबसे पहले 'रेपिड जेंडर मूल्यांकन सर्वेक्षण' किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि डिजाइन और योजना स्तर पर महिलाओं की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया गया है।

23.37. महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन में सुधार जरूरी है विशेष रूप से बस और रेल में अंदर जाने के लिए कदम रखने वाली जगह की ऊंचाई को कम करना, स्ट्रैप की लंबाई आदि, हैंडरेल, रैंप लगाना आदि। हमारी सामाजिक स्थितियों में विशिष्ट समर्पित सेवाएं जैसे महिला स्पेशल बस और रेल सेवा चलाना भी जरूरी है। महिलाओं की आवश्यकताओं पर बेहतर योजना की आवश्यकता है जिसमें विशेष बसों का प्रावधान, गैर व्यस्ततम घंटों के दौरान या जहां लोग कम यात्रा करते हैं उन रुटों पर बस सेवाओं को बढ़ाना शामिल है इन सभी पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्किंग स्थल, बसों, बस स्टाप, हवाई अड्डा, राजमार्ग आदि पर लोगों की सुरक्षा भी महिलाओं के यात्रा पैटर्न को प्रभावित करती है। परिवहन टर्मिनल का लिंग लेखा परीक्षण किया जाए और महिलाओं के सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। यात्रा में सुविधा के लिए इस योजना में महिलाओं के लिए बस अड्डे आदि पर रात्रि शरण गृह (शेल्टर) और शौचालय आदि बनाए जाएंगे। योजना में महिलाओं, विशेष रूप से जो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन भी किया जाएगा।

ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

23.38. महिलाएं ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में मुख्य भागीदार हैं विशेष रूप से घरेलू उपयोग हेतु। ऊर्जा विकल्प पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए घरेलू ऊर्जा पर एक गहन नीति तैयार की जाए। बिजली और बायोमास स्रोतों के अलावा छोटी उत्पादन यूनिटों के लिए सौर ऊर्जा सहित गैर बायोमास ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं के समूहों को लघु उत्पादन

बॉक्स 23.1

केरल में महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे का विकास

केरल में वर्ष 2010-11 में यह निर्णय लिया गया था कि महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसमें सार्वजनिक भवनों, बस अड्डों में शौचालयों का निर्माण, महिला मछुआरों के लिए रात्रि शरण स्थल का निर्माण, ईजीएस स्कीमों के तहत ऊर्जा कुशल गैस स्टोव, महिलाओं के लिए कम किराए वाले मकान, सार्वजनिक अस्पतालों में घरेलू हिंसा काउंसलिंग डेस्क का निर्माण आदि हस्तक्षेप शामिल हैं। इन उपायों से बदलाव को बढ़ावा मिला है और यह मुख्य विभागों जैसे केरल राज्य परिवहन निगम (केएसआरटीसी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), बंदरगाह और आवासीय विभाग में जेंडर बजटिंग को मुख्य धारा में लाने के उदाहरण भी हैं। इन हस्तक्षेपों के साथ अनेक विभागों में महिला विशिष्ट योजनाओं में वृद्धि हुई जो 2009-10 में 10 से बढ़कर 2010-11 में 16 हो गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए बजट आबंटन में भी वृद्धि हुई जो 2009-10 में 5.5 से बढ़कर 2010-11 में 8.6 प्रतिशत और 2011-12 में लगभग 10 प्रतिशत तक हो गया है।

यूनिट और ऊर्जा आधारित उद्यमों जैसे चारकोल बनाने, ब्रिकेट निर्माण और गैसीफायर शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए महिलाओं को आरंभिक पूंजी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें सौर लालटेन की मरम्मत, उन्नत कुकिंग स्टोव, पम्पसेट आदि शामिल हैं। महिलाओं के विचार और अनुभव को दर्शाने तथा प्रशिक्षित महिला ऊर्जा तकनीकी विशेषज्ञ/ऊर्जा उद्यमों के विशाल पूल के निर्माण के लिए आवश्यकता अनुसार बदलाव की प्रौद्योगिकी की दो कार्यनीतियों द्वारा बारहवीं योजना में लिंग संवेदनशील ऊर्जा विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

शहरी योजना और आजीविका

23.39. नीतियों, विनियमों तथा निगम के कार्यों और शहरी योजनाओं द्वारा प्रायः शहरी जीवनयापन की अनदेखी की जाती है और शहरी संशोधन स्कीमों को काट दिया जाता है। कुल शहरी महिलाओं में से अनौपचारिक तौर पर 85 प्रतिशत महिलाएं रोजगार में लगी हैं। शहरी भारत में महिलाओं को दैनिक आधार पर अपनी जीविका का खतरा झेलना पड़ता है। गरीबों के जीविकोपार्जन के लिए शहरी जमीन/जगह और अन्य संसाधनों का आबंटन किया जाए। प्रभावित समुदायों के आलोक में पुनर्वास योजनाओं योजनाओं का आकलन विस्थापितों की जीविकोपार्जन पर प्रतिक्रिया के लिंग आकलन के साथ किया जाना चाहिए। सभी शहरों में संतृप्ति स्तर तक पहुंचने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा शेल्टर आवास, महिला अनुकूल शौचालय, सार्वजनिक क्रेच सुविधाओं आदि की संख्या को बढ़ाया जाए।

जलवायु परिवर्तन

23.40. जलवायु परिवर्तन के सभी पहलुओं में लिंग परिपेक्ष एक मुख्य घटक है। अनुकूलन प्रयास प्रणालीबद्ध और प्रभावशाली होनी चाहिए जिसमें जलवायु परिवर्तन के अनेक क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, जल,

खाद्य सुरक्षा, कृषि और मात्स्यिकी, जैव विविधता और पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवाओं, स्वास्थ्य, उद्योग, मानव रिहायस, आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा में लिंग विशिष्ट प्रभाव पर ध्यान दिया जाएगा। संसाधनों के पहुंच में लिंग असमानता, जिसमें ऋण, विस्तार सेवाएं, सूचना और प्रौद्योगिकी शामिल है इन पर न्यूनीकरण कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते समय जरूर ध्यान दिया जाएगा। यद्यपि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कार्यवाही योजना तैयार की जा रही है फिर भी बारहवीं योजना में जलवायु परिवर्तन की न्यूनीकरण और अनुकूलन योजना बनाने में महिलाओं में संबंधित और आवश्यकताओं से संबंधित पहलुओं को शामिल करने के लिए इन योजनाओं के लिंग आकलन को सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें लिंग विशिष्ट उद्देश्य, संकेतक, निगरानी और आकलन के आयाम, क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। लिंग और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यनीतियों, चल रही गरीबी न्यूनीकरण और विकास नीतियों के एक हिस्से के रूप में होगी जिसमें आपदा जोखिम कम करने (डीआरआर) की स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर योजना और कार्यान्वयन, देश के राष्ट्रीय अनुकूल कार्यक्रमों की कार्यवाही (एनएपीए); और अपने स्थापन की प्रक्रिया चरण में विशाल जलवायु कोष शामिल है।

मीडिया इनजेन्डरिंग

23.41. टेलीविजन, फिल्म और रेडियो के कार्यक्रम सहित विजुअल और ऑडियो मीडिया सूचना प्रचार का मुख्य माध्यम है। बारहवीं योजना मीडिया के विविध माध्यमों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है इसमें स्थानीय मीडिया जैसे नुककड नाटक, सामुदायिक रेडियो आदि शामिल है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुख्य कार्यक्रमों और शो में सभी चैनलों में लिंग संबंधी प्रेरणा पद संदेशों को प्रोत्साहित किया है। इससे सभी चैनलों के कार्यकारी प्रोड्यूसर, विषयवस्तु लेखक और संपादक इस लिंग संबंधी चिंताजनक और मुख्य मुद्दे पर पर्याप्त रूप से ध्यान देंगे। कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाएगी कि महिला सशक्तीकरण के लिए प्रसारण संदेश महत्वपूर्ण हैं।

सक्षम वैधानिक कानून

23.42. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी - पीएनडीटी अधिनियम): समाज में महिला असमानता तथा लिंग संतुलन के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इन्हें राज्यों की मुख्य जिम्मेवारी के साथ प्रभावशाली ढंग से संचालित किया जाए। महिला के गर्भ में लिंग निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जा रही प्रौद्योगिकी को प्रासंगिक रूप से अपनाने की आवश्यकता है। पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के लिंग चयन बताने के प्रावधानों की समीक्षा की जाए और इस कार्य को प्रभावशाली रूप से दंडनीय बनाया जाए। इसके लिए अधिनियम की कार्यान्वयन प्रक्रिया तंत्र मजबूत करने और गंभीर जुर्माना लगाने की आवश्यकता है। लिंग की पहचान और लिंग चयन के विज्ञापनों पर रोक को कार्यान्वित किया जाए। सोनोग्राफी मशीन के पंजीकरण/विनियम को सुनिश्चित किया जाए। सभी पंजीकृत केंद्रों को मशीन के सभी रिकॉर्ड, चार्ट, फार्म, रिपोर्ट और दो वर्ष की अवधि के लिए या संबंधित उचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि तक सहमति पत्र को अनिवार्य किया जाए। महिलाओं के लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण पर गर्भपात करने वाले गैर कानूनी कार्यों में लिप्ट डॉक्टरों/क्लीनिक को पकड़ने के लिए नकली ग्राहक और स्टिंग ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

23.43. मातृत्व लाभ अधिनियम: मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में फैक्टोरियों, खदानों, संयंत्रों तथा दुकानों आदि में काम करने वाली महिलाओं के अवकाश की अवधि में वृद्धि की समीक्षा की जाए और भुगतान युक्त अवकाश अवधि को इन्हें अपनी सुविधानुसार उपयोग करने का विकल्प दिया जाए।

23.44. समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (ईआरए): समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (ईआरए) के प्रावधानों के बावजूद पारिश्रमिक भुगतान में महिला श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जाता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन और निगरानी को सख्ती से लागू किया जाएगा।

महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) तथा दहेज निरोधक कानून (डीपीए) के कार्यान्वयन में सुधार

23.45. महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, सेवा प्रदानकर्ता पंजीकरण तथा अधिसूचित चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। ज्यादातर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा अधिकारियों को ही

संरक्षण अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है जिससे अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित पद पर कार्मिक नियुक्त किया जाए और इन्हें काउंसलिंग सुविधाएं या पारिवारिक काउंसलिंग केंद्र खोलने के लिए तथा क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाए संरक्षण अधिकारी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस बारे में बारहवीं योजना में एक स्कीम शुरू की जाएगी। डीपीए अधिनियम को लागू करने के लिए पूर्वाकालिक दहेज निरोधक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए। कानून लागू करने वाली अधिकरणों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और महिलाओं के दहेज संबंधी उत्पीड़न के मुद्दों पर न्यायालय मामलों तथा दहेज हत्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा नई पहलें जैसे शेल्टर प्रदान करने के लिए एकल क्राइसिस केंद्र, पुलिस डेस्क, कानून, चिकित्सा और काउंसलिंग सेवाएं तथा महिला हेल्प लाइन सेवा पर भी विचार किया जाएगा।

23.46. बारहवीं योजना में लिंग असमानता तथा कार्पोरेट क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में लिंग भेद के विरुद्ध लिंग समानता लाने में कार्पोरेट क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता को समझा गया है। कार्पोरेट क्षेत्र को घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सहयोग और सहायता देने तथा देह व्यापार पीड़ितों के पुनर्वास के लिए परियोजनाएं शुरू करने को प्रोत्साहित किया जाए।

शासन में महिलाओं की सहभागिता

23.47. शासन संचालन में महिलाओं की प्रभावशाली सहभागिता महिला सशक्तीकरण और महिलाओं पर लिंग मुद्दे के आलोक में ध्यान देने का एकमात्र आश्वस्त रास्ता है।

पंचायतों में महिलाएं

23.48. चुनी गई महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) की शक्ति का बेहतर संचालन और सामाजिक परिवर्तन के लिए रूपांतरण एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। समेकित बाल विकास स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि के तहत इन्हें सार्वजनिक सेवा के कुशलतम प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व रूप से सुसज्जित किया जाएगा जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक आदि की निगरानी की जाएगी। ग्राम स्तर की समितियां अवश्य बनाई जाएं जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं अर्थात् पंचायत और एसएचजी के सदस्य, एडब्ल्यूडब्ल्यू, एसएचए के सदस्य, विद्यालय शिक्षक आदि

सामूहिक विचार विमर्श करेंगे और कार्यक्रम कार्यान्वयन में उभरने वाले मुद्दों, ग्रामसभा में उठाए गए मुख्य मुद्दों और प्रमुख अभियानों की कार्य योजना तैयार करने पर काम करेंगे।

23.49. जन्म, मृत्यु, विवाह और प्रवास के पंजीकरण के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जाए तथा देह व्यापार और बाल विवाह के मुद्दों पर प्रभाव पड़े और महिलाओं तथा लड़कियों के विरुद्ध होने वाली हिंसा के उन्मूलन पर ध्यान देने में ईडब्ल्यूआर अपनी पंचायतों में स्वयं सक्षम हो और सर्व शिक्षा के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

23.50. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों के सहयोग से अनेक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनमें (1) सरकारी क्षेत्र और अधिकारियों के लिए महिलाओं के कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण मॉडल तथा क्षमता निर्माण (2) महिला उम्मीदवारों और मतदाताओं की चुनाव से पहले तैयारी, चुनी हुई पंचायत महिला प्रतिनिधियों का गहन प्रशिक्षण और (3) ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों, में जेंडर बजटन तथा जेंडर ऑडिट।

23.51. महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के जेंडर संसाधन केंद्र (जीआरसी) ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी सशक्तीकरण को लाने की निधि तैयार की है, विशेष रूप से जो समाज के वंचित वर्ग संबंधित हैं। जीआरसी कार्यकलापों में निम्न को सुनिश्चित किया जाएगा। (1) सामाजिक सशक्तीकरण (2) कानूनी अधिकार (3) स्वास्थ्य देखभाल तथा पहुंच (4) गैर औपचारिक प्रायोगिक साक्षरता (5) आर्थिक पहलें – कौशल निर्माण/पारंपरिक और गैर पारंपरिक व्यापारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (6) स्वयं सेवी दलों द्वारा लघु उद्यम और उद्यमशीलता विकास और (7) सूचना आदान-प्रदान तथा नेटवर्किंग पहलुओं के लिए सूचना एवं सुविधा केंद्र। इन परीक्षणों का अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

शहरी निकायों में महिलाएं

23.52. शहरी स्थानीय निकायों के लिए जरूरी हैं (क) प्रत्येक निकाय में जेंडर फोकल बिंदु (ख) नागरिक रिपोर्ट कार्ड जिसमें शहरी सेवाओं में महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाए इन सेवाओं में पानी और स्वच्छता, विधवा पेंशन आदि शामिल हैं। योजना में शहरी बुनियादी सुविधाओं की योजना में महिला सहभागिता के बढ़ाने के लिए महिला काउंसलरों की क्षमता निर्माण और नेटवर्किंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें योजना, बजटन तथा संसाधन सक्रियता आईसीटी और नेटवर्किंग आदि शामिल हैं।

संवेदनशील वर्गों में महिलाओं की विशिष्ट समस्याएं

23.53. बारहवीं योजना में असुरक्षित महिलाओं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अ. पि. वर्ग और अल्पसंख्यक शामिल है, की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन वर्गों से संबंधित कार्यनीति को प्रभावशाली इनजेन्डरमेंट सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाए। इन वर्गों की महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विषय पर अध्याय में विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। प्रत्येक राज्य और प्रत्येक समुदाय, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि की महिलाओं की संवेदनशीलता का मूल सत्य यह है कि यह नशापान के प्रचलन से पीड़ित है जिसमें इनके परिवार की मुख्य आय बर्बाद हो जाती है इसकी वजह से गरीबी, कुपोषण तथा घरेलू हिंसा तथा योजना में लक्षित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

23.54. विशेष ध्यान देने वाले महिला वर्गों के बारे में नीचे विचार विमर्श किया गया है।

अनुसूचित जाति की महिलाएं

23.55. अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली अनेक प्रकार की असुरक्षित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले मकान की जगह पत्नी और पति के संयुक्त नाम पर दी जानी चाहिए। पीडीएस के तहत अनुसूचित जाति इलाकों में आउटलेट खोले जाएंगे जिन्हें स्थानीय अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा यथासंभव संचालित किया जाएगा। अनुसूचित जाति की महिलाओं, बच्चों और प्रवासी श्रमिकों द्वारा झेली जा रही विशिष्ट असुरक्षित स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनके लिए विशेष कार्यक्रम और हस्तक्षेप तैयार किए जाएंगे विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में यह कार्यान्वित किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम 1989 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बारहवीं योजना में विशेष उपाय किए जाएंगे।

अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं

23.56. बारहवीं योजना में आदिवासी महिलाओं के बीच नीतियों, कार्यक्रम, स्कीमों तथा इसके लिए वैधानिक कानूनों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जागरूकता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बारहवीं योजना में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन संबंधी अधिकारों को मान्यता) अधिनियम के कार्यान्वयन पर और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत सभी भूमि मालिकों की पर्याप्त भूमि विकास सुविधाओं

तथा ऋण सुविधाओं पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा। लघु वनोपज (एमएफपी) को न्यूनतम समर्थन निधारित करने के लिए बनी समिति में आदिवासी महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विचार किया जाए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत पीवीटीजी (विशेष असुरक्षित आदिवासी वर्ग) नामक विशेष श्रेणी की पहचान की गई है। इस समुदाय में महिलाओं को लक्षित करते हुए एक विशेष स्कीम तैयार की जाए। बारहवीं योजना के दौरान हस्तक्षेपों की आवश्यकता है कि अन्य आदिवासी वर्गों के अनुरूप इनके स्तर को बढ़ाया जाए।

धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं

23.57. शिक्षा के लिए मुस्लिम लड़कियों को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी जिसमें सामूहिक परिवहन सुविधा का प्रावधान (चक्रण तक सीमित नहीं) शामिल है जिससे इनके नामांकन और उपस्थिति में सुधार होगा। यह एसएसए का हिस्सा होगा और यह केजीबीवी विद्यालय से जुड़ा होगा। धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अ. पि. वर्ग को लक्ष्य दल में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए एनआरएचएम के तहत अल्पसंख्यक बहुलता वाले ब्लॉक के दायरे की विशेष समीक्षा की जाएगी। मदरसों सहित धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं (शौचालय निर्माण सहित) प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यक वर्ग की महिला दस्तकार जो व्यवसायिक विविधीकरण की इच्छा रखती हैं उन्हें वैकल्पिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

विशिष्ट सक्षमता वाली महिलाएं

23.58. विशिष्ट रूप से सक्षम महिलाएं दोहरे रूप से वंचित हो रही हैं क्योंकि एक तो इन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबंध होता है इसके साथ ही प्रचलित आर्थिक प्रतिबंध होता है जो इन्हें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार में बाधित करता है। बारहवीं योजना में विशिष्ट सक्षमता के लक्षित सभी कार्यक्रमों के इनजेंडर युक्त प्रयास किए जाएंगे। विद्यालय में विविध कौशल वाले बच्चों का पहले पता लगाने के लिए जांच अभियान चलाया जाएगा, विशेष रूप से केजीबीवी तथा छात्राओं के विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालयों, केजीबीवी, पॉलीटेक्निक तथा एडब्ल्यूसी में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय के शिक्षकों और एडब्ल्यूडब्ल्यू को प्रशिक्षण, विभिन्न कौशल के साथ महिलाओं के लिए सुनिश्चित रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, मौजूदा एमडब्ल्यूसीडी द्वारा चालित अल्पावधि विश्राम आवास के प्रावधान के अलावा विशेष पुनर्वास सेवा और छात्रावास सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

अकेली महिलाएं और विधवाएं

23.59. अकेली महिलाएं विशेष रूप से विधवाओं के मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। विधवाओं के लिए आर्थिक पैकेज के अलावा पुनर्वास और मुआवजे के प्रावधान की जांच की जाए। इसके अलावा विधवा पेंशन योजना को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हुए कुछ राज्यों में आयु की पात्रता की समीक्षा द्वारा लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है। पेंशन सूचकांक के लिए महंगाई पर भी विचार किया जाएगा।

23.60. अकेली महिलाओं के लिए इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना के तहत अलग कोटे पर विचार किया जाएगा और मनरेगा के तहत अकेली महिलाओं के लिए विशेष नौकरी कार्ड द्वारा रोजगार और समान मजदूरी को सुनिश्चित किया जाएगा। अकेली महिलाओं के लिए अलग उद्यमशीलता और नेतृत्व विकास योजना को प्रोत्साहित किया जाएगा इसके साथ साथ भुगतान की लचीली विधि और कम ब्याज दर के साथ ऋण देने में प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा।

23.61. अकेली महिलाओं को अपने मातृत्व और वैवाहिक परिवारों के अंदर अपने अधिकारों और पात्रताओं के बारे में जागरूक बनाया जाए। इस परियोजना हेतु अकेली महिलाओं को जरूरी कानूनी सहायता देने और ब्लॉक तथा जिला स्तर पर अकेली महिलाओं की अलग फेडरेशन को प्रोत्साहित करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

वृद्ध महिलाएं

23.62. बारहवीं योजना में स्वास्थ्य, पोषण तथा पेंशन संबंधी विषयों के बारे में वृद्ध महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वृद्ध महिलाओं को ज्यादा असुरक्षित रोगों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा जिनमें ऑस्टिपोरोसिस, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसे रोग शामिल हैं। वृद्ध महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। अकेले, गरीब वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा प्रक्रिया लागत को सहायता दी जाएगी। ग्रामीण छात्रों, शहरी स्लम/जेजे कॉलोनियों में 75 वर्ष से ज्यादा की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय के मानदण्डों में छूट दी जाएगी। गैर संगठित क्षेत्रों में वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन कोष बनाया जाएगा जो बिना किसी बचत और नौकरी न होने पर तथा काम करने में अक्षम होने पर सहायता देगा।

एचआईवी/एड्स से प्रभावित महिलाएं

23.63. बारहवीं योजना के लाभ एचआईवी तथा एड्स ग्रस्त महिलाओं तक पहुंचेगे विशेष रूप से अपना घर छोड़ चुकी हैं,

जिनके पति नहीं है और जिनके पास कोई सामाजिक या आर्थिक सहायता नहीं है। अनेक जीविकोपार्जन कार्यक्रमों में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। एचआईवी से ग्रस्त महिला को व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्त बनाया जाएगा जिसमें एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण भी शामिल हैं। कानूनी सेवाएं भी पुनर्वास प्रक्रिया का एक हिस्सा होंगी। एचआईवी और एड्स जागरूकता को सरकारी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समेकित किया जाएगा। एचआईवी (पीएलएचआईवी) तथा एड्स से ग्रस्त रोगी की देखभाल करने वाले को रोग के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। आईसीडीएस के निर्देशों को एआरटी पर महिला और बच्चों को पोषण सहायता की सूचना के साथ समेकित किया जाएगा। क्रैच में कार्यरत कार्मिकों के लिए एचआईवी से ग्रस्त बच्चों की देखभाल और आवश्यकताओं पर जानकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। पीएलएचआईवी तथा एचआईवी ग्रस्त बच्चों को परिवहन और पोषण सहायता दी जाएगी।

प्रवासी श्रमिक

23.64. बारहवीं योजना में प्रवासी महिलाओं को वित्तीय सेवाओं के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे जिससे बचत को बढ़ावा मिलेगा और पैसा दूसरी जगह भेजने में सुरक्षित अंतरण को सरल बनाया जाएगा। प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण से प्रवासी घरेलू नौकरों को सुरक्षित बनाने के लिए पंजीकरण प्रणाली और प्लेसमेंट एजेंसियों की घरेलू नौकरों के प्रति जिम्मेवारी और निगरानी प्रणाली को शुरू किया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को हाशिए पर रखने से रोकने के लिए विशेष रूप से प्रवासी महिलाओं को नई जगह पर, आरएसबीवाई के अनुभव के आधार पर पात्रता सुविधा जैसे राशन कार्ड जारी करना सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी श्रमिक बाजारों में बहेतर एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रवासियों के लिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहित सूचना काउंसलिंग देने के लिए मुख्य स्थानों पर प्रवासी संसाधन केंद्र/सहायता केंद्र खोले जाएंगे।

अशांत क्षेत्रों में महिलाएं

23.65. अशांत क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं विशेष स्थितियों को झेलती हैं जिसमें सेना की नियमित उपस्थिति नागरिक अधिकारों का निलंबन और लगातार हिंसा के कारण सुविधाओं/सेवाओं का अभाव शामिल है। यह छुआछूत के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं और इनके स्वास्थ्य – देखभाल, विद्यालय, मुफ्त कानूनी सहायता आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन अधिकरणों के लिए लिंग संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो अशांत क्षेत्रों में

विशेष कानून को कार्यान्वित करते हैं जैसे सशक्त सेना विशेष शक्ति (एएफएसपीए) अधिनियम। बारहवीं योजना में जेंडर लेंस का उपयोग करते हुए सशस्त्र सेना विशेष शक्ति अधिनियम (एएफएसपीए) की समीक्षा शुरू की जाएगी। वर्तमान में एएफएसपीए के तहत अशांत क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिंग आयामों के उल्लंघन का प्रलेखीकरण और आवश्यकताओं का आकलन किया गया।

23.66. महिलाओं की न्याय तक पहुंच, सभी केंद्र सरकार की स्कीमों से लाभ लेने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए इन्हें सूचना और काउंसलिंग देने के क्रम में अशांत क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सभी पॉकेट में महिला और बाल विकास के लिए राज्य विभागों द्वारा जेंडर रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अशांत क्षेत्रों में जिला योजनाओं और कोष को टिकाऊ आजीविका अवसर, भूमि तक समान और अधिक पहुंच, सामान्य संपत्ति संसाधन, उन्नत सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा और शासन संगठन मनरेगा तथा एनआरएलएम का व्यापक क्षेत्र तथा महिलाओं के लिए बेहतर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

देह व्यापार वाली महिलाएं

23.67. महिलाओं और बच्चों का व्यावसायिक रूप से यौन शोषण के लिए देह व्यापार महिला और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध का सबसे घिनौन रूप है क्योंकि इसमें जीवन शोषण तथा यौन उत्पीड़न में व्यतीत होता है। महिलाओं और बच्चों को इस तरह के देह व्यापार के प्रति संवेदनशील बनाने वाले घटकों में गरीबी, अशिक्षा, जीविता के साधनों का अभाव, प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदा और सामाजिक एवं परिवार सहायता की कमी, प्रवास शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित तथा ग्राम नियोजन केंद्र (जीएनके) द्वारा “भारत में वेश्यावृत्ति में लड़कियां और महिलाएं” (2002-2004) शीर्षक पर एक अध्ययन किया गया जिसमें आकलन किया गया। महिला और बच्चों की लगभग तीन चौथाई संख्या का वेश्यावृत्ति में प्रवेश अवैध व्यापार के कारण होता है और देश में लगभग 2.8 मिलियन वेश्याओं (सेक्स वर्कर) में 36 प्रतिशत बच्चे हैं। भारत में बांग्लादेश और नेपाल से सीमापार से अवैध व्यापार चिंता का एक अन्य विषय है।

23.68. सरकार ने पारदेशीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र की संघ और लोगों विशेष रूप से महिला और बच्चों की अवैध व्यापार को रोकने, उन्मूलन और दंड देने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोटोकॉल में राष्ट्रों ने अवैध व्यापार की रोकथाम के उपाय अपनाने की प्रतिबद्धता दी है और अवैध व्यापार के पीड़ित व्यक्ति

की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हालत में सुधार की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की अवैध व्यापार की रोकथाम और इससे लड़ने पर सार्क संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

23.69. बारहवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए प्रयासों को तेज किया जाएगा और ट्रैफिक की शिकार महिला के पुनर्वास के प्रयास तेज किए जाएंगे जिसमें वेश्यावृत्ति वाली महिलाएं भी शामिल हैं जो इस शोषण वाली स्थिति से निकलना चाहते हैं। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को वैकल्पिक जीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे यह वेश्यावृत्ति से बाहर निकलकर अपने परिवार की सहायता करेंगी। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिला की दूसरी पीढ़ी को इस कुचक्र और वेश्यालय संबंधी जीवन यापन से बचाने के लिए सेक्स वर्करों के बच्चों को उचित शिक्षा से समाज की मुख्यधारा में लाना होगा और एक सक्षम, प्रेरक परिवेश प्रदान करना होगा जिसमें इन्हें उचित घरों में रखना तथा सर्वशिक्षा अभियान के तहत आवसीय विद्यालयों में इनका पंजीकरण करना होगा।

कारावास में महिलाएं

23.70. वर्ष 2010 में भारत में कैदियों की संख्या 36,68,998 थी जबकि इनकी अधिकारिक क्षमता 3,20,450 है। कैदियों में लगभग 4 प्रतिशत महिलाएं हैं। कारावास सुधार के अनेक प्रयासों के बावजूद अनेक समस्याएं आम जनता द्वारा बार-बार शिकायत के रूप में सामने लाई जाती है जिसमें क्षमता से ज्यादा कैदी विचाराधीन लोगों को लंबे समय तक बंद रखना, जीविका की घटिया स्थितियों तथा शारीरिक, यौन और मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं शामिल हैं। बच्चों वाली महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल की सुविधाएं बहुत कम मामलों में दी जाती हैं और कौशल की कमी इन्हें अपना कारावास पूरा करने के बाद सार्थक रोजगार ढूँढने में समस्या पैदा कर देता है। जेल सुधार पर अखिल भारतीय समिति (1980-1983), उच्चतम न्यायालय तथा महिला सशक्तीकरण (2001-2002) समिति सभी ने कारावास कानून के गहन संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस विषय में अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है।

ट्रांसजेंडर समुदाय

23.71. बारहवीं योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है जिसमें यह पुष्टि की गई है कि संबंधित मंत्रालयों द्वारा इनकी शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, कौशल विकास, रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता शामिल है। तीसरे लिंग को शामिल

करने के लिए पृथक कॉलम शुरू करके सभी सरकारी और गैर सरकारी रिकॉर्ड में ट्रांसजेंडर लोगों को पहचान दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में ट्रांसजेंडर लोगों की संख्या निर्धारित की जाएगी तथा समुदाय के हितों की रक्षा व सामाजिक आर्थिक स्तर माप कर इनकी आजीविका स्थितियों में सुधार हेतु कानून बनाया जाएगा।

मुख्य इनजेंडरिंग कार्यक्रम

23.72. बारहवीं योजना के प्रबलित क्षेत्र में तीव्र, टिकाऊ तथा महिला और पुरुष दोनों के लाभ के लिए ज्यादा समेकित वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि सभी स्तरों पर विशेष रूप से विशिष्ट कार्यक्रमों के संचालन में लिंग संबंधी चिंताजनक मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

23.73. भारत सरकार ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुंच बुनियादी ढांचे का विकास, शहरी विकास आदि के सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। यद्यपि इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम औचित्य जेंडर उदसीन संबंधी के प्रायः इसका महिलाओं पर अलग – अलग प्रभाव पड़ता है जो इनके जीवन अनुभव, आवश्यकताओं, सामाजिक सांस्कृतिक द्वाइवरों तथा प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। इन बाधाओं की पहचान की जाएगी और ध्यान दिया जाएगा।

23.74. सभी मुख्य कार्यक्रमों का लिंग विश्लेषण डिजाइन स्तर पर किया जाएगा। इसमें एक विशिष्ट रूपरेखा वाले कार्य को शामिल किया जाएगा जिसमें 'महिलाएं क्या करेंगी' और महिलाओं की नियंत्रण रूपरेखा और पहुंच को परियोजना में लिंग विचारार्थ बनाने में कैसे उपयोग किया जा सकता है को शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना तैयार करते समय इसके स्थान, उद्देश्य आदि के बारे में महिलाओं से विचार – विमर्श किया गया है, इसके लिए एक प्रणाली प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रमों के सामाजिक और लिंग ऑडिट को शुरू किया जाएगा। संबंधित मुद्दों का सार नीचे दिया गया है।

23.75. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन/सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मुख्य कार्यक्रमों के लिंग संबंधी आयामों की निगरानी की जाएगी।

भारत निर्माण कार्यक्रम

- कोई भी नया भूमि समझौता (अर्थात् मुआवजे वाली जमीन विस्थापितों को दिया जाना) महिला और पुरुष दोनों के संयुक्त

नाम पर होगा या सिर्फ महिला के नाम पर होगा। विशेष रूप से महिलाओं को पीने के पानी की परियोजना के संचालन और रख-रखाव के काम में प्रशिक्षित किया जाएगा।

- जगह के चयन में महिलाओं को शामिल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)

- पी.एम.जी.एस.वाई. में महिलाओं की आर्थिक, घरेलू तथा सामुदायिक प्रबंध जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए लिंग विभेद और महिला विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा।
- पी.एम.जी.एस.वाई. तथा मनरेगा के बीच समेकन की वर्तमान प्रक्रिया से महिला सशक्तीकरण में एन.आर.एल.एम. के उद्देश्यों के साथ समन्वयन कार्यनीति द्वारा और मजबूती आएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)

- महिला एस.एच.जी.के. अधिक समूहों और फेडरेशन को व्यापक स्तर पर महिला संचालन में समर्थ बनाने के लिए और औसतन रूप से लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- महिलाओं को विपणन और व्यापार कौशल की सूचना प्रदान की जाएगी जिसमें मूल्य, बजट और पेंशन पहुंच तथा बीमा उत्पाद शामिल हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

- प्रत्येक माह में एक दिन सुग्राही दिवस होगा जो विभिन्न घटकों तथा मनरेगा के तहत जागरूकता बढ़ाने वाले सत्र को समर्पित होगा इसके साथ ही यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक कानून जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, पी.सी. – पी.एन.डी.टी. अधिनियम और दहेज निरोधक अधिनियम से संबंधित होगा। उपस्थित जनता को सामान्य कार्य दिवसों के आधार पर मेहनताना दिया जाएगा जिससे उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा।
- मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों की सूची को बढ़ाया जाएगा जिससे कार्यों में ज्यादा विवेकशीलता आएगी।
- महिला दलों को मनरेगा कार्यों की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया जाएगा।
- कार्यस्थल पर क्रेच के मौजूदा प्रावधान को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। आई.सी.डी.एस आंगनवाड़ी के साथ सहयोग से क्रेच बनाने की संभावना का पता लगाया जाएगा।
- मनरेगा के तहत मजदूरी को खंडित दर के आधार पर नहीं गिना जाएगा जो प्रायः महिलाओं पर हानिकारक सिद्ध होता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

- असुरक्षित समुदाय से विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अधिसूचित और आदिवासी वर्ग अल्पसंख्यकों की महिलाओं तक इसके लाभ पहुंचाए जायेंगे।
- लिंग के आधार पर आंकड़ों को रोग के भार तथा उपचार तक पहुंच के बारे में तैयार किया जाएगा।
- महिलाओं की बीमारी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इसमें विशेष रूप से मेनोपॉज समस्या के बाद, ऑस्टिपोरोसिस तथा स्तन और सरवाइकल कैंसर आदि बीमारियां शामिल हैं।
- एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- एन.आर.एल.एम. के साथ आई.जी.एम.एस.वाई. (एक पायलट सशर्त मातृत्व लाभ योजना) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल को तैयार करने पर काम किया जाएगा।

समेकित बाल विकास योजना

- आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण घटक में पोषण, काउंसलिंग, बाल अधिकार जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा और लिंग भेदभाव को दूर किया जाएगा।
- स्थानीय खरीद के आधार पर उत्पादन/खपत का क्षेत्र आधारित कार्यनीति को प्रोत्साहित किया जाएगा। पी.डी.एस. के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आशा/ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू. के कार्य को सम्मान और मान्यता दी जाएगी।

सर्व - शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दर्जा बढ़ाकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक किया जाएगा।
- सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाएगा जिसमें शिक्षकों की उपलब्धता, उचित बुनियादी ढांचा और शिक्षण स्तर के मानकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
- लिंग संवेदनशील शिक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे यौन उत्पीड़न मामलों पर ध्यान दिया जाएगा, विद्यालय के शिक्षकों के व्यवहार और संकल्पना में बदलाव, बालिकाओं के लिए सुरक्षित परिवेश प्रदान किया जाएगा विशेष रूप से अनु. जाति, अनु., जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा, आसान व नजदीक जगह पर विद्यालय का प्रावधान,

बाल देखभाल सहायता दी जाएगी जिससे छात्राएं भाई – बहन देखभाल के भार से मुक्त होंगी और छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे।

इंदिरा आवास योजना/राजीव आवास योजना

- असुरक्षित महिलाओं विशेष रूप से अकेली महिला और परिवार की मुखिया महिला के लिए आवासों का विशेष प्रावधान।
- शहरी स्लम क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने के हिस्से के रूप में राजीव गांधी योजना स्थापना में महिलाओं को कार्य स्थल शेड बनाने के लिए जगह और भवन आबंटित किए जाएंगे यदि यह स्थापन शहर से बारह है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

- महिलाओं को स्वच्छता सुविधा के स्थान निर्धारण में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।
- सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी के साथ शौचालय सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाएगा।

23.76. शौचालय इस्तेमाल में परेशानी पर ध्यान दिया जाएगा (अर्थात बिजली की आवश्यकता, अनुचित स्थान आदि)। सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान द्वारा इसमें सहायता की जाएगी।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

- कुछ राज्यों ने फार्म और आवास के लिए जगह को अलग करने की नीति को अपनाया है। इससे आवासीय क्षेत्रों में नियमति बिजली आपूर्ति से महिलाएं पेय जल, बच्चों के अध्ययन और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं। इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

- सुरक्षित शहर योजना के घटकों को शामिल किया जाएगा।
- सुरक्षित लेखा परीक्षण करने के लिए पर्याप्त संसाधन आबंटित किए जाएंगे और इसके लिए अवसंरचना बनाई जाएगी।
- अवसंरचना बनाने के लिए नए प्रावधान किए जाएंगे उदाहरणार्थ महिला हॉर्कर्स के लिए बाजार में जगह देने का प्रावधान किया जाएगा।
- महिला जल उपयोग वर्ग, महिला काउंसलर, महिला अनुकूल प्रक्रिया, महिला सदस्य के साथ मोहल्ला समिति को निर्णय लेने में शामिल किया जाएगा।

- महिलाओं में कौशल और क्षमता निर्माण शुरू किया जाएगा जिससे जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं में इनके रोजगार बढ़ेंगे।

लिंग (जेंडर) बजटीय (जीबी)

व्यापक चित्रण के साथ संस्थागत लिंग संबंधी बजटन

23.77. जीबी की प्रक्रिया को बारहवीं योजना में और ज्यादा मजबूत किया जाएगा और इसे सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों तक पहुंचाया जाएगा। जेंडर बजट सेल को सुदृढ़ और सशक्त करते हुए जीबी प्रक्रिया को ज्यादा संस्थागत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसको सुनिश्चित करने के लिए जीबीसी अध्याय में कार्य के सुझाए गए क्षेत्रों को तिमाही/छमाही/वार्षिक कार्रवाई योजना में शामिल किया जाएगा। जीबीसी का समेकित आकलन भी किया जाएगा।

23.78. जीबीएस को मुख्य समर्थन विधि के रूप में शामिल किया गया जो महिलाओं के लिए राशि प्रवाह को दर्शाता है और जेंडर बजटन पर बहस और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करता है। जीबी विवरण के दायरे को बढ़ाकर समस्त मंत्रालय और विभागों तक किया जाएगा जिसमें सभी को इस बारे में रिपोर्ट देना अनिवार्य बनाया जाएगा। जीबीएस की नई प्रक्रिया विधि और ढांचे से उद्देश्यपरक लिंग नियोजन (जेंडर प्लानिंग) को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए ढांचे और जेंडर बजट विवरण प्रक्रिया की समीक्षा बारहवीं योजना में की जाएगी। केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया में आगामी इनजेंडर के लिए महिला समूहों को वित्त मंत्रालय के साथ बजट से पहले औपचारिक विचार विमर्श करना चाहिए यह प्रक्रिया कई देशों में अपनाई जा रही है।

नए पीपीएस के लिए डिजाइन स्तर पर जीबी

23.79. मौजूदा परिवेश से हटकर नीति/कार्यक्रम/स्कीमों (पीपीएस) की वास्तविक इनजेंडरिंग दर्ज करने के लिए अनेक मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा स्कीमों के उद्देश्य, संचालन निर्देश, वित्तीय मानदंडों तथा यूनिट लागत को ज्यादा जेंडर जवाबदेह बनाने के लिए जोर देने की आवश्यकता है। बजट नियोजन और अनुमोदन प्रणाली को संशोधित किया जाए जिससे यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाए कि जीबीसी की जेंडर स्वीकृति और विशेष अनुमोदन दिया गया है कि संबंधित प्रस्ताव अपने डिजाइन चरण से इनजेंडर है।

23.80. ईएफसी फॉर्मेट को संशोधित करके इसमें प्रश्न शामिल किया जाए कि स्कीम की जांच मंत्रालय के जीबीसी द्वारा कर ली गई है। केंद्रीय स्तर पर योजना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य योजना बोर्ड द्वारा यह पुष्टि की जाएगी कि किसी भी नई नीति, वैधानिक

कानून, कार्यक्रम या योजना के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में लिंग संबंधी चिंताजनक मुद्दों/प्रभाव के आकलन को उसी तरह शामिल किया है। यह स्वीकृति पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुरूप अनिवार्य बनाई जाए।

लिंग (जेंडर) विश्लेषण और लेखा परीक्षण

23.81. लिंग (जेंडर) बजटिंग का एक मुख्य भाग लिंग (जेंडर) ऑडिट है। इसे बारहवीं योजना में प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालयों/विभागों द्वारा मुख्य कार्यक्रमों, स्कीमों और नीतियों को जेंडर ऑडिट किया जाएगा। राज्य स्तर पर समस्त केंद्र द्वारा प्रयोजित और केंद्रीय स्कीमों के जेंडर ऑडिट को अनिवार्य किया जाएगा। जेंडर ऑडिट करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता तैयार करने को जीबी प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से में समेकित किया जाएगा। सीएजी द्वारा किए जाने वाले व्यय और निष्पादन ऑडिट में जेंडर परिदृश्य को शामिल करने से इस दिशा में काफी सफलता हासिल की जाएगी।

सामान्य मूल्यांकन, निगरानी और आकलन

23.82. बाहरी एजेंसी द्वारा आकलन और प्रभाव आकलन योजना अवधि में मौजूदा स्कीमों को जारी रखने की अनिवार्य शर्त है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कीमों के सभी प्रभाव आकलन और मूल्यांकन में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के जेंडर आकलन/स्तर को शामिल किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मौजूदा स्कीम इनजेंडर हैं।

असमान लिंग आंकड़ों का सृजन

23.83. प्रभावशाली जेंडर बजटिंग में आंकड़ों की आवश्यकता है। अतः यह जरूरी है कि असमान लिंग आंकड़ों के अनिवार्य संग्रहण के लिए एक प्रक्रिया तंत्र बनाया जाए। इस कार्य के लिए सभी मंत्रालय/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं/लाभार्थियों की संख्या पर सृजित समस्त एमआईएस डेटा को लिंग (सेक्स) द्वारा वर्गीकृत किया जाए।

क्षमता निर्माण पर नियमित जोर देना

23.84. योजनाकारों कार्यक्रम नियोजन कर्ताओं, बजटिंग और कार्यान्वयन कार्मिकों के क्षमता निर्माण के वर्तमान प्रयासों को जेंडर बजटन की विधि और तकनीक पर नियमित रखा जाएगा और इसे आगे जिला और शहरी स्थानीय निकायों तक बढ़ाया जाएगा।

लिंग संकेद्रित मुद्दे

23.85. लिंग संकेद्रित मुद्दों को अनेक संगठनों के तहत स्थापित किया जाएगा और समस्त संगठनों को जेंडर मुद्दों की पहचान और

ध्यान देने के लिए सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभाग तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की तहत काम किया जाएगा। जेंडर रूपरेखा को प्रभावशाली बनाने के लिए एक व्यापक मानव संसाधन योजना तैयार करते हुए पर्याप्त और उचित प्रशिक्षित मानव संसाधन की मौजूदा समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। देश में सम्पूर्ण रूपरेखा का व्यापक आकलन बारहवीं योजना में किया जाएगा।

जीबी के लिए तकनीकी सहायता

23.86. इस प्रक्रिया को तकनीकी प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जेंडर सुचारु तथा जेंडर जवाबदेह बजटिंग के प्रति समर्पित अधिकारियों को तैनात किया जाए। जीबीसी को जेंडर विशेषज्ञ या जेंडर संसाधन केंद्र द्वारा सहायता दी जाए।

जीबी पर जिम्मेदारी को बढ़ाना

23.87. सरकार की मौजूदा जिम्मेवारी प्रक्रिया में जेंडर बजटिंग का उपयोग जेंडर को मुख्यधारा के लिए उपयोग किया जाएगा। परिणाम ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी) एक जिम्मेवारी प्रक्रिया तंत्र है यह आरएफडी के अनिवार्य हिस्से के जेंडर परिणाम को तैयार करते हुए जेंडर को मुख्यधारा में डाला जाएगा। जेंडर जिम्मेवारी बढ़ाने के लिए सरकार को कार्मिक मूल्यांकन प्रणाली के हिस्से के रूप में लिंग असमानता के लिए लिंग (जेंडर) संवेदनशीलता और नई पहलों पर एक अनुभाग को शामिल किया जाएगा।

23.88. जीबी प्रयासों की प्रगति की निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक जेंडर लक्ष्य दल गठित किया जाए जिसमें जेंडर बजट सेल के कार्यों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इसी प्रकार राज्य और जिला स्तर पर भी प्रक्रिया तंत्र को तैयार किया जाए।

परिणाम रूपरेखा दस्तावेज में जेंडर के चिंताजनक मुद्दों का निरूपण

23.89. जेंडर एक परस्पर संबंधी मुद्दा है अतः मंत्रालयों के आरएफडी दस्तावेज में इनके दृष्टिकोण (विजन) में जेंडर संबंधी मुद्दों, विशेष मिशन के उद्देश्य, विशेषतः जो समानता, एकीकरण तथा सशक्तीकरण से संबंधित है, इनको विशेष रूप से दर्शाया जाएगा और आंतरिक जेंडर असमानता, लक्ष्य/सफलताएं संकेतक जेंडर परिणाम को जिम्मेवार तथा दृष्टिगत बनाया जाएगा। चूंकि इन मंत्रालयों की नीतियां, कार्यक्रम और स्कीम का इनको आरएफडी के सामाजिक,

राजनैतिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण, जेंडर मुख्यधारा में महत्वपूर्ण भूमिका है अतः यहां लिंग (जेंडर) समानता और समेकन जरूरी है।

23.90. उन मंत्रालयों की सूची नीचे तालिका 23.1 में दी जा रही है जिन्होंने लिंग संबंधी मुद्दों को आरएफडी के तहत अपने विजन, उद्देश्य तथा संकेतकों में पहले से ही शामिल किया है।

बारहवीं योजना की स्कीमें

23.91. बारहवीं योजना के दौरान महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक नई पहलें आरंभ की जाएंगी। सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा स्कीमों को सुदृढ़ किया जाएगा जिनमें कौशल विकास तथा आय सृजन के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सहायता कार्यक्रम (एसटीईपी), टिकाऊ जीविका अवसरों में सुधार तथा कामकाजी महिला छात्रावास के लिए प्रियदर्शिनी योजना शामिल है। स्वयंसिद्धा योजना के चरण 2 में एसएचजी द्वारा टिकाऊ रूप में महिलाओं का व्यापक सशक्तीकरण किया जाएगा।

23.92. देह व्यापार (ट्रेफिकिंग) की रोकथाम के लिए 'उज्ज्वला' एक सघन स्कीम है जिसमें बचाव कार्य, पुनर्वास तथा पीड़ित का पुनः

स्थापन का प्रावधान है, इससे पीड़ित वापस समाज की मुख्यधारा में आएगा। स्वाधार गृह स्कीम पूर्व में चल रही दो स्कीमों के विलय पर आधारित है अर्थात् स्वाधार और लघु अवधि विश्राम गृह, यह उन महिलाओं तक पहुंचती है जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों की शिकार पीड़ित महिलाएं होती हैं जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में बारहवीं योजना में बलात्कार पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए वित्तीय सहायता देने तथा सहायक सेवाएं देने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी।

23.93. जेंडर बजटिंग योजना जो बजट के जेंडर विभेद प्रभाव का आकलन करती है इसे बारहवीं योजना अवधि में जारी रखा जाएगा।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू)

23.94. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/कार्यक्रमों के बीच अभिसरण और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के विशिष्ट उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू) प्रारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों के कार्यान्वयन की समन्वित संकल्पना पर ध्यान देते हुए महिलाओं

तालिका 23.1
लिंग संबंधी चिंताओं का मंत्रालय-वार समावेशन

मंत्रालय/विभाग	आरएफडी के तहत प्रतिबद्ध
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	कमजोर वर्ग, महिलाओं तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए एस एंड टी का प्रयोग मंत्रालय का मुख्य कार्य है। मुख्य उद्देश्यों में से एस एंड टी में जेंडर समानता के लिए महिलाओं की सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	अगत अनुसंधान के लिए विशिष्ट मानव संसाधन के प्रोत्साहन के उद्देश्य के तहत विभाग ने रोजगार / बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों की सहभागिता को प्राथमिकता दी है।
सूचना प्रौद्योगिकी	सामान्य सेवा केंद्र को टिकाऊ बनाने के लिए प्राथमिकता दी गई है जिसमें सफलतम संकेतक के रूप में महिलाओं के लिए ई-साक्षरता क्षेत्र शामिल है।
श्रम मंत्रालय	श्रम मंत्रालय के मुख्य उद्देश्यों में महिलाओं को वोकेशनल प्रशिक्षण प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई।
युवा कार्य	'राष्ट्र निर्माण कार्यों में ग्रामीण युवाओं को शामिल करना' नामक मुख्य उद्देश्य के तहत जम्मू एवं कश्मीर तथा सीमा से लगे क्षेत्रों की महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए।
पंचायती राज	पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए बढ़ाए गए आरक्षण और साथ ही अपने उद्देश्यों में इनके नेतृत्व के गुण का भी निगमन किया है।
मानव संसाधन विकास	विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने केजीबीवी में पंजीकरण वृद्धि द्वारा वंचित वर्ग तथा कमजोर वर्गों के समानता और समेकन के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्य उद्देश्यों में लड़कियों की शिक्षा को दर्शाया है और उच्चतर विद्यालय छात्राओं के लिए महिला छात्रावास की स्वीकृति दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आरएफडी दस्तावेज में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट दर्ज करना शामिल है।
ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास मंत्रालय के आरएफडी दस्तावेज में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए असमान जेंडर के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है।

के समग्र विकास को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है। इसमें जागरूकता बढ़ाना, प्रत्यायित पैतृक विश्वास के प्रश्नों के लिए कार्यनीति बनाना, प्रगुणित स्तर दर अभिसरण तंत्र स्थापित करना, जेंडर संसाधन केंद्रों का सृजन, महिला संग्रहण का गठन और सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, कानून तथा नीतियों के लाभ के मूल्यांकन हेतु इनकी क्षमता का सुधार तथा महिलाओं की जीवन निर्वाह, दृष्टिगत, स्वतंत्रता तथा समानता से संबंधित सशक्तीकरण विकसित करना शामिल है। एनएमईडब्ल्यू में महिलाओं के समेकित विकास पर ध्यान दिया जाएगा इसमें विषम परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की संवेदनशीलता का वर्णन – आयु को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जाति, विविध दक्षताएं, महिला प्रमुख परिवार, नीतिपरक, शिक्षा, आय, अल्पसंख्यक स्तर, धर्म, वैवाहिक स्थिति, क्षेत्र आदि मानदंडों के रूप में शामिल है। महिला मृत्यु दर के आंकड़ों का संग्रहण विशेष रूप से मातृत्व मृत्यु दर, रोग से होने वाली मृत्यु तथा हिंसा आधारित मृत्यु को इसमें शामिल किया है, विभिन्न दक्षताओं और विविध सामाजिक आर्थिक प्राचलों की इसमें सिफारिश की गई है।

एमडब्ल्यूसीडी के तहत स्वायत्त निकाय

23.95. केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) द्वारा अपनी अनेक योजना के तहत कई स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता नियमित रूप से प्रदान की जाएगी जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण के लिए समेकित योजना, महिलाओं की शिक्षा के लिए गहन पाठ्यक्रम, ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन परियोजना, परिवार सलाहकार केंद्र आदि। सीएसडब्ल्यूबी द्वारा शारीरिक और यौन शोषण से पीड़ित महिला के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए नई योजना शुरू की जाएगी जिसमें पीड़ित महिला को आय सृजन के साथ प्रशिक्षण को जोड़ा जाएगा। इसमें महिलाओं के पारंपरिक और गैर पारंपरिक व्यापारों में गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बाजार योग्य उचित कुशलतम कौशल से सुसज्जित किया जाएगा।

23.96. राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) एमडब्ल्यूसीडी का ऋण प्रदानकर्ता के रूप में है, इसे सुदृढ़ किया जाएगा और 500 करोड़ रु. की समग्र निधि को बढ़ाया जाएगा। इससे यह राशि बड़ी संख्या में गरीब संपत्तिहीन तथा सीमांत महिलाओं तक आय सृजन, उत्पादन, कौशल विकास तथा आवासीय कार्यों के लिए उपलब्ध होगी।

23.97. राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 1992 में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। बारहवीं योजना में राष्ट्रीय

आयोग और राज्य आयोगों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न संचार कार्यनीतियों के द्वारा महिलाओं के कानून और अधिकारों की जागरूकता का प्रसार भी करेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि महिला संबंधी कानूनों के उचित कार्यान्वयन के लिए न्यायिक और पुलिस अधिकारियों के क्षमता निर्माण को सुनिश्चित किया जाए।

II. बाल अधिकार

23.98. बच्चों के साथ ज्यादा समेकित वृद्धि शुरू होती है। अतः बारहवीं योजना में हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों के जीवन निर्वाह, विकास, संरक्षण तथा मानव विकास के आधार के रूप में सहभागिता के इनके अधिकारों की पूर्ति हो रही है और यह तीव्र, ज्यादा सुदृढ़ तथा टिकाऊ वृद्धि के विशाल वाहक बनेंगे।

निगरानी योग्य लक्ष्य

23.99. बच्चों से संबंधित बारहवीं योजना की निगरानी योग्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- लिंग अनुपात में 2011 में 914 से 2017 में 950 करते हुए सुधार
- पोषण की कमी वाले बच्चों की रोकथाम और इन्हें कम करके एनएफएसएच-3 के आधे स्तर (50 प्रतिशत) तक लाना। (0-3 वर्ष के बच्चों में प्रचलित वजन की कमी का प्रतिशत)
- लड़कियों और महिलाओं में एनिमिया को आधा (50 प्रतिशत) स्तर तक कम करना
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बच्चों को परिवार, सामुदायिक स्तर और शिशु देखभाल केंद्र, विद्यालयों द्वारा सुरक्षित परिवेश और अन्य सुविधाएं मिल रही है।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 80 प्रतिशत या अधिक पंचायतों, जिलों और शहरों को बच्चों के प्रति सहज और अनुकूल बनाया जाए।

बच्चों की स्थिति: एक सिंहावलोकन

23.100. विश्व में भारत सबसे ज्यादा संख्या वाले बच्चों का घर है। विश्व के लगभग प्रत्येक पांच में से एक बच्चा भारत में रहता है। यह अनुमान है कि भारत में 0-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 43 करोड़ है। यह आकलन है कि इनमें से ज्यादा अनुपात ऐसे बच्चों का है जो काफी विषम स्थितियों पर असुरक्षित स्थितियों में रहते हैं। इसमें गरीब परिवारों में आय के साधनहीन परिवारों के बच्चे,

बॉक्स 23.2

बाल लिंग अनुपात में गिरावट - तत्काल कार्रवाई का आह्वान

न्यूनतम बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) हरियाणा (830), पंजाब (846) तथा जम्मू एवं कश्मीर (859) में है इसके साथ ही चेतावनी पूर्ण न्यूनतम बाल लिंग अनुपात हरियाणा के झज्जर (774) तथा महेंद्रगढ़ (778) जिलों में है।

भारत के 22 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों में बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) में गिरावट आई है जो गंभीर चिंता का विषय है जो समस्या की तीव्रता और प्रसार दोनों को दर्शाता है। जम्मू एवं कश्मीर में 82 अंकों की तीव्र गिरावट आई है साथ ही अनेक राज्यों में भी तीव्र गिरावट पाई गई जैसे महाराष्ट्र (30) तथा राजस्थान (26)। जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 0-6 वर्ष बाल लिंग अनुपात 915 से कम है उनकी संख्या 2001 में नौ से बढ़कर 2011 में चौदह हो गई और इस श्रेणी में जनसंख्या का हिस्सा दोगुना हो गया।

शिक्षा का अवसर न मिलने और काम करने के लिए मजबूर किए गए बच्चे, यौन उत्पीड़न/देह व्यापार वाले बच्चे, सड़कों पर रहने वाले बच्चे, वास्तविक अपमान, सशस्त्र युद्ध / नागरिक अशांति/प्राकृतिक आपदा आदि द्वारा प्रभावित बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों का जीवन निर्वाह, वृद्धि, विकास तथा संरक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

23.101. बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा परिवेश की स्थिति का विस्तार से विचार विमर्श संबंधित स्वास्थ्य और शिक्षा में किया गया है। विभिन्न सामाजिक धार्मिक समुदायों का आगामी विश्लेषण 'सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण' अध्याय में किया गया है। बच्चों की स्थिति के कुछ मुख्य संकेतकों का सारांश नीचे दिया गया है।

23.102. मातृत्व मृत्यु अनुपात सुधार हुआ है और यह (2004-06) 254 की तुलना में (2007-2009) 212 है।

23.103. नवजात शिशु मृत्यु दर 2005 में 58 से कम होकर 2010 में 47 हो गई इसे तरह पिछले 5 वर्षों में इसमें 11 अंकों की गिरावट आई है और यह लगभग 2.2 अंकों की वार्षिक औसत गिरावट है। इस गिरावट के बावजूद प्रत्येक 21 नवजात में एक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 20 नवजात में से एक और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 32 नवजात में एक बच्चा हमारे देश में (एसआरएस 2010) आज भी पैदा होने के एक वर्ष के अंदर मर जाता है। भारत में नवजात मृत्यु दर प्रत्येक 1000 जीवित जन्मे (एसआरएम 2010) बच्चों में से 33 तक है। यह पांच मृत्यु के तहत लगभग 55 प्रतिशत का योगदान देती है। इनमें तीन चौथाई मृत्यु जन्म के पहले सप्ताह में, 20 प्रतिशत जन्म के 24 घंटे में होती है। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों के जीवन निर्वाह को सुनिश्चित करने में आरंभिक नवजात मृत्यु (वर्तमान में प्रत्येक 1000 जीवित जन्म में 25) को कम करना काफी महत्वपूर्ण है।

23.104. बाल मृत्यु दर: बच्चों में 5 वर्ष की आयु तक बाल मृत्यु दर 2010 में 59 थी जो 2009 से 5 अंक कम थी।

23.105. बाल लिंग अनुपात 0-6 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में बाल लिंग अनुपात 2001 में प्रति 1000 लड़कों में 927 लड़कियों से कम होकर 2011 में प्रति 1000 लड़कों में 914 लड़कियों तक आ गया (चित्र 23.1 में दर्शाए गए हैं)। यह गिरावट विशेष रूप से परेशान करने वाली है क्योंकि ठोस कानून और नीतिगत रूपरेखा तथा अनेक सरकारी पहलों के बावजूद यह गिरावट हुई है, इन पहलों में राशि अंतरण तथा प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। अनेक माध्यम और संदेश प्रेषक के प्रयास शामिल हैं। यदि इसमें बदलाव नहीं आया तो इससे जनसांख्यिकी बदलेगी, लिंग न्याय का क्षय होगा, सामाजिक सम्बद्धता और मानव विकास पर प्रभाव पड़ेगा। राज्यवार स्थिति का सारांश बॉक्स 23.2 में दिया गया है।


23.106. जन्म के समय लिंग अनुपात में मामूली सुधार देखने में आया है जो 2005-07 में 901 से बढ़कर 2008-10 में 905 हो गया। यह अस्वीकार्य रूप से कम है। छत्तीसगढ़ में जन्म के समय सबसे ज्यादा लिंग अनुपात (985) दर्ज किया गया जबकि पंजाब में सबसे कम (832) दर्ज किया गया।

23.107. मृत्यु दर लिंग भेदभाव नियमित रूप से बढ़ रहा है। नवजात मृत्यु दर लड़कियों में 49 की तुलना में लड़कों में 46 है, जिसमें 5 अंकों का अंतराल वर्ष 2010 में गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में पाया गया। भारत की बाल मृत्यु दर (5 वर्ष से कम के बच्चे) में काफी ज्यादा लिंग अंतराल (9 अंक) पाया गया जो वर्ष 2010 में 64 लड़कियों की तुलना में लड़कों में 55 था। पांच वर्ष तक की आयु में बाल मृत्यु दर में 10 अंक या ज्यादा का काफी अधिक लिंग अंतराल राजस्थान (19), उत्तर प्रदेश (16), झारखंड (14), हिमाचल प्रदेश (14) तथा पंजाब (10) राज्यों में पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कन्या शिशु की रक्षा और देखभाल के लिए गहन कार्यनीति लिंग समानता के लिए दीर्घवधि हस्तक्षेप में मूलभूत रूप से जरूरी है (एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2010, आरजीआई 2012)।

23.108. 23.108 बच्चों में पोषण कमी का उच्च स्तर: मुख्य रूप से पोषण की कमी को झेल रहा है, यहां 22 प्रतिशत शिशु कम वजन वाले पैदा होते हैं एनएचएफएस-3 द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 40.4 प्रतिशत बच्चे कम वजन, 44.9 प्रतिशत अविकसित तथा 22.9 प्रतिशत अपशिष्ट पैदा होते हैं। यह नोट किया जाए कि इन आंकड़ों में ग्यारहवीं योजना से पहले की स्थिति को दर्शाया गया है और यह संभव है कि ग्यारहवीं योजना में शुरू की गई पहलों से स्थिति में सुधार आया हो। दुर्भाग्यवश संबंधित आंकड़े कुछ समय तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।

23.109. पोषण की कमी का अंत: पीढ़ीवार चक्र: वर्तमान में विवाहित लगभग एक तिहाई महिलाएं 15 – 49 वर्ष आयु वर्ग की हैं जिनका बॉडी-मास – इंडेक्स (बीएमआई) कम है (18.5 कि.ग्रा./एम2 से कम) और 15–19 वर्ष की आयु वर्ग में 47 प्रतिशत लड़कियों का बीएमआई कम है। इन घटकों के साथ जल्दी शादी तथा जल्दी मां बनना, माता और नवजात दोनों के लिए प्रतिकूल परिणाम देते हैं जिसमें बच्चे का वजन कम होना भी शामिल है। वर्तमान विवाहित महिलाओं में 20–24 वर्ष की आयु की लगभग 43 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष से पहले विवाहित हो गई (डीएलएचएस3)।

23.110. एनिमिया का उच्च प्रकोप महिलाओं, युवतियों तथा बच्चों के लिए एक मुख्य चुनौती है। एनएचएचएस 3 (2005–06) में दर्शाया गया है कि 15–49 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 55 प्रतिशत महिलाएं एनिमिया से ग्रस्त हैं और 6–35 माह आयु वर्ग के लगभग 79 प्रतिशत बच्चे एनिमिया से ग्रस्त पाए गए।



चित्र 23.1: वर्ष 0-6 और संपूर्ण लिंग अनुपात के बच्चों के अनुपात भारत: 1961-2011

23.111. सामान्य नवजात शिशु और बचपन की बीमारियां जैसे श्वसन संक्रमण रोग, अन्य संक्रमण और परजीवी रोग और मलेरिया के कारण भारत में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की कुल मृत्यु में से आधे बच्चों की मृत्यु होती है। श्वसन संक्रमण और डायरिया दोनों रोगों से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या में से लगभग एक तिहाई इन दोनों रोगों के कारण होती है। डीएलएचएस 3 (2007–08) के अनुसार डायरिया के उपचार की कवरेज दर सिर्फ ओरल – रीहाइड्रेशन घोल के साथ (ओआरएस) सिर्फ 34 प्रतिशत है।

23.112. सम्पूर्ण प्रतिरक्षण (समस्त टीकाकरण) अभी भी एक चुनौती पूर्ण कार्य है जो कुछ राज्यों में चुनौतीपूर्ण है यद्यपि पिछले कुछ समय में टीकाकरण के लिए कवरेज दर में काफी सुधार हुआ है। एक मुख्य उपलब्धि यह है कि अब भारत पोलियो मुक्त देशों की सूची में आ गया है। यह भी देखने में आया है कि बच्चों में विटामिन ए संपूरक का वर्तमान स्तर कम है। डीएलएचएस-3 (2007–08) की रिपोर्ट में अवगत कराया है कि 12–35 माह आयु के सिर्फ 19 प्रतिशत बच्चों को विटामिन ए की 3–5 खुराक मिली है।

23.113. संवेदनशील समुदाय के अनेक तरह से वंचित बच्चे: बच्चों और उनके समुदायों से संबंधित सामाजिक संकेतकों में व्यापक असमानता नियमित रूप से बनी हुई है और राज्यों, जिलों तथा विविध सामाजिक धार्मिक समुदायों में यह असमानता मौजूद है। संवेदनशीलताएं जैसे गरीबी, बहिर्गमन, लिंग भेदभाव एक साथ मिलकर और इनका प्रभाव प्रायः अंतः पीढ़ी पर पड़ता है।

23.114. असुरक्षित परिवेश में रहने वाले बच्चे: असुरक्षित परिवेश में रहने वाले बच्चे स्वास्थ्य, शिशु देखभाल, शिक्षा और अन्य मूल सेवाओं से वंचित रहते हैं और यह हिंसा की असुरक्षित स्थिति में रहते हैं। एक समेकित कार्यवाही योजना द्वारा वामपंथी तथा अन्य आदिवासी और पिछड़े जिलों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए एक विशाल नई पहल प्रभावशाली ढंग से 9 राज्यों में 60 और 78 जिलों में प्रारंभ की गई। इससे इस प्रकार के क्षेत्रों जैसे परिवारों, समुदाय, स्वास्थ्य और शिशु देखभाल केंद्रों और विद्यालयों में सुरक्षित परिवेश के सुदृढीकरण के लिए शिक्षण मॉडल प्रदान किए गए इसके साथ ही प्रभावशाली समुदाय आधारित शिशु ट्रेकिंग प्रणाली, मानसिक देखभाल और सहायता तथा विशेष संरक्षण उपायों को उपलब्ध कराया जिनकी आवश्यकता थी। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में जहां माहौल असुरक्षित परिवेश द्वारा प्रभावित होता है वहां सक्षम प्रवृत्ति के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है।

23.115. शहरी गरीब समुदाय के बच्चे: जैसाकि शहरी विकास अध्याय में दर्शाया गया है, शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसमें बच्चों पर दबाव भी शामिल है क्योंकि शहरों की मूल सुविधाएं इस अनुपात में नहीं बढ़ रही हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीब बच्चे अनेक प्रकार से वंचित स्थिति को झेलते हैं यह प्रवृत्ति बड़े शहरों और नगरों में तेजी से बढ़ रही है इसमें मुख्य रूप से वह बच्चे आते हैं जो गैर पंजीकृत / गैर मान्यता प्राप्त झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। शहरी गरीब समुदाय के बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं प्रायः 'अदृश्य' होते हैं इनकी पहचान नहीं होती और यह अपमानजनक स्थिति, हिंसा तथा शोषण के साथ-साथ यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता होते हैं। घटना संबंधी दुरुपयोग के प्रति संवेदनशीलता इन स्थितियों का एक अन्य घटक है। अनेक नीतिगत प्रावधानों के बावजूद इन बच्चों को संरक्षित परिवेश प्रदान नहीं किया जाता बल्कि इन्हें अनेक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है जिसमें कई तरह के काम शामिल हैं जैसे घरेलू कार्य इसमें विशेष रूप से लड़कियों का शोषण किया जाता है यह सभी बच्चों को मूल सेवाएं प्रदान करने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता को दर्शाता है इसमें किसी तरह के स्थान और इनके निपटान की स्थिति पर विचार न किया जाए।

23.116. काम में लगे हुए बच्चे: काफी संख्या में बच्चों को परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 12.6 मिलियन बाल श्रमिक खतरनाक किस्म के कार्यों में लगे हैं। इनमें से कुछ बच्चे पटरी पर रहते हैं जो इनके शोषण का एक अन्य कारण है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में दर्शाया है कि 2004-05 में 90.75 लाख बाल श्रमिक थे जो 2009-10 में कम होकर 49.84 लाख हो गए। एनएफएचएस-3 के डेटा के अनुसार लगभग 11.8 प्रतिशत बच्चे श्रमिक कार्यों में लगे हैं।

23.117. कानूनी विवादों में उलझे हुए बच्चे: बच्चों की आपराधिक घटनाओं में 2009 में थोड़ी सी कमी आई है जो 2008 की तुलना में 2.5 प्रतिशत कम हो गई। आईपीसी अपराधों के तहत गिरफ्तारी सबसे ज्यादा चोरी के मामलों में हुई इसके बाद लड़ाई - झगड़े, डकैती तथा दंगों जैसे अपराध का स्थान है। यह सब कुल मिलाकर 55.8 प्रतिशत कारण है जिनमें बच्चे आईपीसी के तहत कानूनी मुकदमों में उलझे हुए हैं।

23.118. अपराधों से पीड़ित बच्चे: बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 2007 और 2009 के बीच 18.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई

है यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 'भारत में अपराध 2009' में दर्शाया गया है। यह वृद्धि अपहरण और भगाने, शिशु हत्या, बलात्कार और इस दौरान हत्या में बढ़ोतरी के कारण हुई है।

23.119. बाल अपराध से पीड़ित: 2007 में तेरह राज्यों एमडब्ल्यूसीडी द्वारा बाल अपराध पर किए गए अध्ययन में दर्ज किया गया है कि बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। बच्चों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न अपराधों पर पहले के कानून द्वारा पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ज्यादातर यौन उत्पीड़न के अपराधों को विशेष दर्जा नहीं दिया गया और न ही इन्हें सजा दी जा सकी इसके फलस्वरूप अपराधियों पर काफी लचीले और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के गैर विशिष्ट प्रावधानों के तहत मुकद्मा चलाया गया।

23.120. एचआईवी/एड्स से प्रभावित/संक्रमित बच्चे: एचआईवी/एड्स द्वारा प्रभावित/संक्रमित बच्चों के संदर्भ में इन्हें मूल सेवाएं नहीं दी जाती। यह विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र जैसी है जहां कलंक और भेदभाव सामाजिक सहायता प्रणाली को कमजोर करते हैं जिससे सामाजिक बहिष्कार की स्थिति आ जाती है।

23.121. विकलांगता से ग्रस्त बच्चे: विकलांग बच्चों द्वारा अनेक चुनौतीपूर्ण स्थिति झेली जा रही है जिसमें विकलांग के अनेक प्रकार का बहिष्कार, विकलांगता से ग्रस्त बच्चों से संबंधित जानकारी का अभाव इसमें वह भी शामिल है जिनमें सीखने की क्षमता कम होती है और कानून तथा इनकी विशिष्ट पात्रताओं के बारे में सूचना की कमी भी इसमें शामिल है।

11वीं योजना के दौरान प्रगति

23.122. ग्यारहवीं योजना के दौरान अनेक सरकारी योजनाओं की प्रगति का सारांश नीचे दिया है जो बच्चों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई गई थी।

बाल जीवन निर्वाह और विकास

आईसीडीएस की व्यापकता

23.123. ग्यारहवीं योजना 2008-09 में आईसीडीएस की व्यापकता की गवाह है और इस अवधि में आंगनवाड़ी का स्थाई विस्तार हुआ जो 14 लाख की अपेक्षित संख्या के एवज में 10.5 लाख से बढ़कर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 13.17 लाख हो गए। आईसीडीएस एक विशिष्ट आरंभिक बचपन विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य,

युवा बच्चों की पोषण और विकास जरूरतों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान देना शामिल है। आईसीडीएस के 1975 में 33 सामुदायिक विकास ब्लॉकों में शुरू किया गया और लगभग पूरे देश के सभी आवासीय क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। यद्यपि ज्यादा विस्तार (50 प्रतिशत से ज्यादा) 2005 के बाद हुआ है। आज आईसीडीएस अपनी 7005 संचालन परियोजनाओं में 13.17 लाख संचालन एडब्ल्यूसी/लघु एडब्ल्यूसी के नेटवर्क द्वारा 7.9 करोड़ बच्चों (6 माह से 6 वर्ष) तथा 1.82 करोड़ गर्भवती और स्तनपान वाली महिलाओं तक पहुंच है। कार्यक्रम के आरंभिक शिक्षण घटक से 3-6 वर्ष की आयु वाले 3.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए (30.6.12 तक)। आईसीडीएस ने संचार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा प्रणाली के बीच संपर्क प्रदान किया गया है।

23.124. आईसीडीएस के प्लेटफार्म से दो नई योजनाएं आरंभ की गई अर्थात् इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) तथा युवतियों के शक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना (एसएबीएलए)। इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और युवतियों के पूरे जीवन काल की जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 53 जिलों में अग्रत आधार पर शुरू की गई इसमें गर्भवती तथा स्तनपान वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए गर्भावस्था तथा स्तनपान के दौरान सीधे पैसा प्रदान किया जाता है इसमें प्रत्येक वर्ष 12.5 लाख माताओं को लाभ पहुंचता है। एसएबीएलए को मुख्य रूप से आईसीडीएस प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अग्रत आधार पर 200 जिलों में विद्यालय की युवतियों (11-18 वर्ष) के लिए तथा इनकी अनेक तरह की जरूरतों के लिए इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ युवतियों को लाभान्वित करेगी।

23.125. भारत की पोषण चुनौतियों पर प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद को 2008 के अंत में गठित किया गया था इसकी पहली बैठक 2010 के अंत में हुई इससे नीति को नई दिशा मिली इसमें बारहवीं योजना के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई (विस्तृत विवरण भाग 3 में है)।

शिक्षा

23.126. शिक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना था। आरटीई अधिनियम 01 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ जिसमें विकास की अधिकार आधारित प्रणाली की भारत की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई

और बच्चों की शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को 6-14 वर्ष के बच्चों के न्यायसंगत अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया। बच्चों के जीवन पर आरटीई के प्रभाव के संदर्भ में विकास क्षमता के पूर्ण रूप से हासिल करने के लिए इन्हें सक्षम बनाना और इनकी सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम में शारीरिक सजा के विरुद्ध प्रावधान वंचित बच्चों के लिए प्राइवेट विद्यालय में 25 प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण शामिल है।

23.127. परिवार कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभिक बचपन देखभाल तथा शिक्षा (ईसीसीई) में विशेषज्ञों की समिति गठित की गई इस समिति ने राष्ट्रीय ईसीसीई नीति का मसौदा, ईसीसीई के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा और गुणवत्ता मानकों को तैयार किया गया जिन्हें बारहवीं योजना में अंतिम रूप दिया जाएगा।

बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार

23.128. बाल सुरक्षा पर गहन ध्यान देने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना: जे जे अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बेहतर कार्यान्वयन को सरल बनाया गया वर्ष 2009-10 में केंद्र द्वारा प्रायोजित संरक्षक योजना "समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)" को आरंभ किया गया। इसे मंत्रालय की तीन स्कीमों के विलय से बनाया गया इसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे, कर्मचारी और वित्तीय मानदंडों को शामिल किया गया और नए तरीकों को शुरू किया गया।

23.129. यौन उत्पीड़न अपराधों से बच्चों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम, 2012: इस अधिनियम को मई 2012 में संसद द्वारा पारित किया गया और बच्चों का यौन उत्पीड़न अपराध से सुरक्षा प्रदान की गई। यह अधिनियम बच्चों के हितों तथा खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है और यह न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों के लिए सहायक होगा और इसमें मामला दर्ज करने, गवाही दर्ज करने, जांच तथा अपराधों की न्यायिक प्रक्रिया में बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया को शामिल किया गया है। यह अधिनियम बाल संवेदनशील न्यायशास्त्र की ओर एक कदम है। इस प्रक्रिया को किशोर न्याय अधिनियम 2000 में आगामी संशोधन द्वारा 12वीं योजना में और सुदृढ़ किया जाएगा।

23.130. बाल अधिकार: ग्यारहवीं योजना में बाल अधिकार से संबंधित अनेक मुख्य नई पहलें शुरू की गईं जैसे 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को स्वतंत्र संवैधानिक आयोग के रूप में खोला गया इसके साथ ही राज्य

स्तर पर समानरूपी आयोग भी बनाया गया। उस समय से पद्रह राज्यों में राज्य आयोग बनाए गए और इन एससीपीसीआर को सुदृढ़ और सशक्त बनाया गया साथ ही एनसीपीसीआर द्वारा सहायता की निगरानी भी की गई और एनसीपीसीआर द्वारा सहायता हमेशा मुदा होगा जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

23.131. राष्ट्रीय बाल नीति की समीक्षा और अद्यतन (एनपीसी) 1974 को व्यापक 'जरूरत आधारित' से 'अधिकार – आधारित' संकल्पना में परिवर्तित करने के लिए आरंभ किया गया था बारहवीं योजना की कार्यनीति दिशा के साथ इसे संशोधित किया जाएगा।

बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियां: मुख्य प्राथमिकताएं

नीतियों का सुदृढ़ीकरण और कानूनी ढांचा

- बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों को सदभाव पूर्ण व अनुकूल बनाना तथा बच्चों के प्रति संवेदनशील न्याय शास्त्र सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय बाल नीति का बारहवीं योजना के आलोक में अद्यतन
- अद्यतन नीति के आधार पर बारहवीं योजना के अनुरूप बच्चों के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर कार्रवाई के साथ निगरानी योग्य परिणामों का कार्यान्वयन और विकास।
- बालिकाओं की देखभाल और संरक्षण के लिए समग्र राष्ट्रीय कार्यनीति में बाल लिंग अनुपात के सुधार के हस्तक्षेप पर ध्यान दिया जाएगा।
- बहिष्कृत सामाजिक धार्मिक वर्गों जैसे अनु. जाति, अनु. जनजाति, विशेष रूप से असुरक्षित आदिवासी वर्ग, अल्पसंख्यक, अन्य वंचित समुदायों के साथ-साथ शहर के गरीब वर्ग के बच्चों की उभरती आवश्यकताओं पर व्यापक रूप से ध्यान देने के लिए नीतिगत संकल्पना तैयार करना।
- राष्ट्रीय ईसीसीई नीति पाठ्यक्रम ढांचा और मानकों को विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य की आरंभिक बाल विकास परिषद का विकास।

कार्यक्रम हस्तक्षेप

- आईसीडीएस का मिशन मोड रूप से सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के साथ कार्यान्वयन में लचीलापन।
- महिलाओं और सामुदायिक नियंत्रण में बेहतर बाल अनुकूल ईसीडी केंद्रों के रूप में एडब्ल्यूसी का संशोधन और इसके साथ

एडब्ल्यूसी एवं क्रैचों की अग्रत स्थिति को आईसीडी पुनर्गठन के साथ जोड़ना/एमजीएनआरईजीए/ आईसीडीएसएडब्ल्यूसी एवं क्रैच रूपांतरण के मॉडल भी तैयार किए गए।

- अनेक मॉडल के साथ राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच स्कीम का संशोधन।
- सबला तथा आईजीएमएसवाई का सुदृढ़ीकरण और प्रगतिशील विस्तार के साथ मसौदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत मातृत्व लाभ की व्यापकता को प्रक्षेपित किया जाएगा।
- पोषण की कमी वाली माताओं और बच्चों पर ध्यान देने के लिए अनेक क्षेत्रों की नई पहलों का डिजाइन और कार्यान्वयन (इसका विवरण इस अध्याय के भाग 3 में 'पोषण' पर दिया है)।
- राष्ट्रीय संसाधन केंद्र द्वारा संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण के साथ आईसीपीएम का समेकन और सुदृढ़ीकरण।
- परिवार और समाज में बच्चों के लिए संरक्षित और पोषण परिवेश का सुदृढ़ीकरण तथा सेवारत संस्थानों जैसे क्रैच, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र तथा बच्चों की देखभाल केंद्रों का सुदृढ़ीकरण।
- 'चाइल्ड लाइन' का प्रसार और इस तरह के प्रतिभागी मॉडल के अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल करना जैसे आईवाईसीएफ, आईएमएस अधिनियम और विशिष्ट व तीव्र कार्रवाई योजनाओं पर ध्यान देना जैसे बचपन के आरंभिक चरण में सीखने में अक्षमता, इस कार्य को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सामंजस्य से किया जाएगा।
- तरुण अवस्था वाले युवक व युवतियों (लड़कियां और लड़के) के लिए सदभावपूर्ण, डिजाइन और हस्तक्षेपों का समन्वय किया जाएगा।
- नवीन शिशु सहभागिता हस्तक्षेप के डिजाइन के साथ "बाल पंचायत" जो बच्चों के प्रति सहज व अनुकूल पंचायती संघटक होगा।

संस्थागत क्षमता विकास

- बाल विनिर्दिष्ट तथा बच्चों से संबंधित क्षेत्रों के संबंध में बच्चों हेतु बहु क्षेत्रीय कार्यवाही के अभिसरण हेतु राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर संस्थागत प्रणालियां एवं क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।
- राज्यों में अधिकारिता प्राप्त एससीपीसीआर के माध्यमों से बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर संस्थागत प्रणालियों एवं क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।
- बच्चों हेतु बहुविषयक संसाधन समर्थन तंत्र का सृजन।
- बाल अनुकूल पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों जहां पर बाल अधिकारों का सम्मान, रक्षा, प्रोत्साहन एवं पूर्ति की जाती है को सक्षम एवं मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित करना।

- बच्चों के मामलों एवं मंचों पर नागरिक समाज की सहभागिता सुदृढ़ करने हेतु दिशानिर्देश।
- प्रमुख देखभाल करने वालों तथा सेवा प्रदाताओं को संपूर्ण देखभाल, सुरक्षा एवं विकास के दायरे को समझने एवं ड्यूटी प्रतिक्रियाओं में सुधार करना।

बारहवीं योजना कार्यनीति

23.132. बारहवीं योजना में बाल विकास हेतु कार्यनीति उसी पर तैयार की जाएगी जो कि 11वीं योजना में पहले से ही हासिल कर लिया गया है। बाल अधिकारों की पूर्ति राष्ट्रीय, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर राष्ट्रीय विकास की एक प्रमुख संवेदनशील संकेतक होगी तथा बारहवीं योजना हेतु निगरानी योग्य लक्ष्यों में प्रतिबिम्बित होगी। यह उन संबंधित मंत्रालयों/विभागों जिनका बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है के लिए प्रतिबद्धता हेतु अति महत्वपूर्ण रूपरेखा उपलब्ध कराएंगी। संबंधित बाल विनिर्दिष्ट तथा बाल संबंधी क्षेत्रीय मंत्रालयों की नीतियां आवश्यक रूप से उसके अनुरूप होंगी। विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं बाल संबंधित परिणामों तथा सहवर्ती संसाधनों को प्रतिबिम्बित करेंगी। यह सहवर्तियां संबंधित मंत्रालयों के परिणाम रूपरेखा दस्तावेजों तथा पंचवर्षीय कार्यनीति योजनाओं में भी प्रतिबिम्बित होंगी एवं उनकी नियमित समीक्षा होगी।

बच्चों हेतु बहुक्षेत्रीय नीति तथा योजना

23.133. बच्चों के अधिकारों को पूर्ण करने हेतु नीतिगत वातावरण तैयार करने के लिए मुख्य बाल संबंधी नीतियों तथा कानूनों को विकसित और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसमें व्यापक बाल कोड का विकास बच्चों हेतु विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को सुसंगत बनाने तथा अद्यतन करने, "बच्चों" की परिभाषा में एकरूपता लाने तथा बाल संवेदन एवं बाल अनुकूल न्यायशास्त्र हेतु और प्रभावी प्रणालियों के सृजन की आवश्यकता है। आरटीई की तर्ज पर बाल मजदूरी (रोक तथा विनियमन) अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी ताकि 14 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों हेतु खतरनाक एवं गैर खतरनाक श्रेणियों के काम में अंतर स्पष्ट हो। इसमें बाल मजदूरी के प्रत्येक रूप को समाप्त करने हेतु संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि एक ही समय बच्चे काम पर तथा स्कूल में नहीं हो सकते। अवस्थांतर उपायों तथा परिवारों हेतु समर्थन, कौशल विकास हेतु बढ़े हुए अवसरों, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा बच्चों के पुनर्वास हेतु भी आवश्यकता होगी। सभी राज्य सरकारों को बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्य आयोगों की स्थापना करना अनिवार्य करने की आवश्यकता है। एनसीपीसीआर की नेतृत्व क्षमता

बढ़ाने की आवश्यकता है और एससीपीसीआर को अपने गठन एवं कार्यकरण के लिए नियामक दिशानिर्देश अपनाने की आवश्यकता है। मानवों का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) में संशोधन करके अवैध व्यापार तथा यौन शोषण को स्पष्ट परिभाषित करते हुए उसके लिए विभिन्न पहलुओं को मानने की आवश्यकता है। संसद द्वारा पारित बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 को बारहवीं योजना में शामिल किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में बच्चों के अधिकार सुरक्षित हैं और ये उच्चतम न्यायालय के निदेशों द्वारा अधिदेशित आईसीडीएस की सभी छः सेवाओं के पिछले प्रावधानों का अनुकरण न करें तथा इनमें मातृत्व संरक्षण का भी प्रावधान है।

23.134. बारहवीं योजना में बच्चों के अधिकारों को पूरा करने तथा राज्य हस्तक्षेपों को सुसंगत बनाने हेतु बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974 की समीक्षा तथा अद्यतन एक महत्वपूर्ण पहल है। बच्चों हेतु प्रस्तावित नवीकृत राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बच्चों हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य कार्रवाई योजनाओं (तथा बच्चों हेतु कार्रवाई के लिए प्रगामी जिला योजनाओं) को विकसित, कार्यान्वित तथा जवाबदेही की आवश्यकता है।

23.135. बारहवीं योजना के निगरानी योग्य लक्ष्य तथा कार्यनीतियों पर सृजित बच्चों हेतु कार्य योजनाओं में निगरानी योग्य परिणाम, मापनीय संकेतक तथा परिभाषित बहुक्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं, बढ़ा हुआ संसाधन आबंटन तथा विनिर्दिष्ट समय वाली रूपरेखा होंगी। बच्चों हेतु राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला कार्य योजनाओं में यह भी विनिर्दिष्ट रूप से इंगित होगा कि बालिका, की देखभाल और सुरक्षा के मुद्दों पर क्या किया जा रहा है।

23.136. बाल अधिकार से संबंधित कानूनों, नीतियों, योजनाओं तथा बाल विनिर्दिष्ट तथा बाल संबंधी क्षेत्रों में हस्तक्षेपों को तैयार, विनियमन, कार्यान्वयन तथा निगरानी में सुधार हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की भी आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय समन्वय समूह को सुधारने तथा पुनः परिभाषित करने, भारतीय पोषण की चुनौतियों पर प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद् से जोड़ने तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् में महिला तथा बच्चों पर स्थायी समिति के संभावित गठन की आवश्यकता है। इसी प्रकार राज्य/जिला स्तरों पर बच्चों हेतु संशोधित राष्ट्रीय नीति, बच्चों हेतु राज्य/जिला कार्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बहुक्षेत्रीय समन्वय तंत्रों की आवश्यकता है। राज्यों को सामाजिक कल्याण से अलग महिला बाल विकास विभागों के गठन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा महिलाओं हेतु और

बच्चों हेतु जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा करना चाहिए ताकि प्रत्येक समूह को उच्च वरीयता मिल सके।

23.137. बच्चों से संबंधित उभरते हुए मुद्दों तथा पहलों से निपटने हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर (जिला स्तरों पर प्रगामी रूप से) **क्षमता विकास** की आवश्यकता है तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के भीतर तकनीकी समर्थन की सतता से मानव संसाधनों को समृद्ध करने की आवश्यकता होगी। इसे सरकारी संसाधनों से योजनाबद्ध एवं सम्पोषणीय आधार पर उपलब्ध कराते हुए उसके लिए विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। प्रमुख योजनाओं के प्रगामी सार्वभौमिकरण/विस्तार तथा गुणवत्ता समृद्धि को ध्यान में रखते हुए सम्पोषणीय तकनीकी समर्थन हेतु बाल विकास तथा सुरक्षा हेतु एक तकनीकी निदेशालय की आवश्यकता है। अन्य राष्ट्रीय संस्थानों जैसे एनसीईआरटी, एनआईएन, एनएचएसआरसी, एनआईएचएफडब्ल्यू, एनआईयूए तथा बाल विशिष्ट एवं बच्चों से संबंधित अन्य विषयों पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्किंग करने में एनआईपीसीसीडी की भूमिका का संवर्धन करने की आवश्यकता है। संस्थागत क्षमता विकास में विश्वविद्यालयों में बाल विकास एवं संरक्षण केंद्र सृजित करने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य के सहयोग से गृह विज्ञान/चिकित्सा विद्यालय स्थापित करने (जैसा कि लिंग अध्ययन के लिए किया गया है अथवा अम्बेडकर विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा ईसीडी के लिए किया गया है) तथा शिक्षण केंद्र और बहु संकाय प्रशिक्षण संसाधन नेटवर्क स्थापित करने के लिए उपरोक्त के साथ संपूर्ण कदम या मिलकर काम करना शामिल है। बच्चों से संबंधित एक वेब पोर्टल बनाने की आवश्यकता है जिसमें बच्चों की अतिजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी संबंधी व्यापक डेटाबेस बनाने की आवश्यकता है। जिसे ऐसे ही राज्य पोर्टलों/अन्य क्षेत्रों के नेटवर्क तथा सहायक संसाधनों के साथ जोड़ा जाएगा।

23.138. समुदाय कार्य: इसे पंचायतें तथा शहरी स्थानीय निकाय बच्चों के अनुकूल बनाकर तथा निर्मल ग्राम पुरस्कार जैसी मान्यता एवं पुरस्कार देकर साथ ही ऐसी बाल पंचायतें गठित कर, जिसमें यह आकलन करने के लिए कि बच्चों की आवाज सुनी जाएगी कि उनकी पंचायतें कैसा कार्य कर रही हैं।

23.139. समाभिरूपता: विभिन्न क्षेत्रों के बहु क्षेत्रीय कार्यों की बाध्यकारी वचनवद्धताओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, बच्चों के अधिकारों को पूरा करने के लिए, किए जा सकने वाले संकेतक योगदान की रूपरेखा को बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति एवं राष्ट्रीय

कार्य योजना के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों से विभिन्न बाल विशिष्ट एवं बच्चों से संबंधित परामर्श के आधार पर तैयार किया जाएगा।

शिक्षा

23.140. बारहवीं योजना में शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है जो बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण है और जो शिक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि पर निर्मित किया जाएगा, अर्थात् बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना है। शिक्षा, खासकर प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के संबंध में शिक्षा से संबंधित अध्याय में विस्तृत चर्चा की गई है। देश के बच्चों को ज्ञानवान बनाने के लिए आवश्यक साधन हैं और बिना किसी भेदभाव के उनके विकास की पूर्ण सुम्भाव्यताओं का दोहन सुनिश्चित किया जाए।

बाल उत्तरजीविता एवं विकास

आईसीडीएस का पुनर्गठन करना

23.141. आईसीडीएस बच्चों के लिए एक विशेष राष्ट्रीय प्लैगशिप कार्यक्रम है। हालांकि, इसका सार्वभौमिकीकरण कर दिया गया है, फिर भी बच्चों का विकास एवं पोषण संबंधी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इसकी गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में भारत में पोषण की चुनौतियों संबंधी राष्ट्रीय परिषद् के निर्णयों और सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में बनी आईसीडीएस संबंधी अन्य मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर आईसीडीएस योजना के पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह पुनर्गठित आईसीडीएस बच्चों के विकास के लिए 12वीं योजना कार्यनीति का एक प्रमुख संघटक होगा। सुविकसित एवं सुदृढ आईसीडीएस बच्चों की देखभाल एवं उनका विकास करने के लिए एक प्रमुख एकीकृत जीवन चक्र अधिगम होगा जो एडब्ल्यूसी को जीवन्त बाल मित्रवत ईसीडी केंद्र में परिणत करेगी, इसके कार्य समुदाय की महिलाओं द्वारा किए जाएंगे।

23.142. एडब्ल्यूसी के बेहद बाल अनुकूल ईसीडी केंद्र (बाल विकास केंद्र) के रूप में पुनर्स्थापित करना जिस पर अंततः स्वामित्व समुदाय की महिलाओं का होगा। इसमें प्रारंभ में कार्य की अधिकता वाले 200 जिलों में, जिनमें अतिरिक्त एडब्ल्यूडब्ल्यू उपलब्ध कराए गए हैं तथा एडब्ल्यूसी के 5 प्रतिशत में प्रायोगिक क्रेच सेवाएं उपलब्ध हैं, संवर्धित/पुनर्गठित सेवाओं, बढ़े हुए कार्य के घण्टों (6 घण्टे) की

बॉक्स 23.3

एक अभूतपूर्व परिवर्तन - आईसीडीएस का पुनर्गठन

“अलग क्या है” - असुरक्षित आयु वर्ग पर विशेष बल देते हुए - गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एकीकृत शिशु विकास।

“ये कार्य एक अलग ढंग से कैसे किए जाएंगे” प्रमुख अंतर विकेंद्रीकरण का है, जिसके कार्यान्वयन में लोचशीलता होगी।

पंचायत संचालित प्रतिदर्श जो स्थानीय समुदायों विशेषकर सर्वाधिक सुभेद्य समुदायों अजा, अजजा एवं अल्पसंख्यक समुदायों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावकारी ढंग से कार्य करती हैं।

आईसीडीएस के पुनर्गठन में इस कार्यक्रम को प्रासंगिक बनाने तथा उसके लिए नवोन्मेषकारी हल निकालने के लिए राज्यों/जिलों/विकास खण्डों और ग्रामों को सशक्त करने तथा स्थानीय क्षमताओं एवं संसाधनों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

व्यवस्था की जाएगी। ये आंगनवाड़ी केंद्र स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक ज्ञान और महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अन्य जानकारी के प्रथम ग्रामीण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इसमें स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्यवर्धक एसएनपी व्यवस्था, जैसी समुचित अवसरचना सुविधाओं, वॉल पेंटिंग खेलने का स्थान, क्रियाकलाप कार्मर सहित प्रारंभिक ज्ञान तथा मातृत्व एवं शिशु संबंधी अन्य सेवाओं की एंकरिंग करने तथा राजीव गांधी किशोर बालिका अधिकारिता सशक्तीकरण स्कीम के जरिए विद्यालय में पढ़ाई न करने वाली बालिकाओं को देखभाल का प्रावधान होगा। इसका अधिकाधिक स्वामित्व महिलाओं एवं समुदायों के पास होने से इसमें आंगनवाड़ी प्रबंध समितियां स्थापित करना जैसे संस्थागत सुधार भी किए जाएंगे। इन समितियों में स्थानीय कार्यों के लिए निधियों का प्रावधान होगा तथा माताएं/महिला मंडल/माता पिता इसके सदस्य होंगे।

23.143. आईसीडीएस सेवाओं के पैकेज का पुनर्गठन एवं पुनर्बलन करना - इसमें ऐसी माताओं के लिए, जिनके बच्चों की उम्र तीन वर्ष से कम है, बच्चों की देखभाल और पोषण संबंधी परामर्श को शामिल किया जाएगा। इसमें नियमित रूप से घरों में जाने तथा किन्ही निर्धारित स्थलों पर मिलने परिवार की देखभाल संबंधी प्रमुख पहलुओं - अवोध बालक एवं शिशु का पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मनोवैज्ञानिक देखभाल, बालिकाओं एवं महिलाओं की प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल के कार्य शामिल होंगे।

23.144. संशोधित पोषण एवं फीडिंग मानदण्डों से पोषण संबंधित प्रभाव बढ़ाना; पोषक, ताजा पका, सही उपयुक्त भोजन (प्रातः काल में) स्नैक तथा उच्चतम न्यायालय के निदेशों तथा आईएमएस (तथा इसमें उपयुक्त संशोधनों) अधिनियम के अनुरूप घर ले जाने वाला राशन तथा इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की बढ़ती

संलग्नता का प्रावधान सुनिश्चित करना शामिल है। मिड डे मील के साथ समुदाय रसोई और संयुक्त रसोई की प्रायोगिक व्यवस्था की जाएगी। परिवार एवं समुदाय में गर्भवती माताओं, दूध - पिलाती माताओं और तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक पहुंच सम्बोधित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रारंभिक निवारक कार्रवाई पर विशेष बल दिया जाएगा।

23.145. परिवारों में, आंगनवाड़ियों में तथा समुदायों में स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वास्थ्य उप केंद्रों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा संपूर्ण जीवन में निरंतर स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन किया जाएगा। अत्यधिक कुपोषण का शिकार बच्चों की देखभाल करने तथा समुदाय आधारित प्रशमन को संवर्धन करने के लिए स्नेह शिविर (बॉक्स 23.4 देखें) एक प्रमुख नवाचारी संघटक है, साथ ही इस कार्य के लिए (एनआरएचएम के अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्रों) स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु बड़े बड़े अस्पतालों के साथ संपर्क रखा जाएगा। समुचित रक्षोपाय सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अबोध शिशुओं तथा छोटे छोटे अल्पवय बच्चों के पोषण में “उत्पाद विशिष्ट” वाणिज्यिक हस्तक्षेप न हो।

23.146. आईसीडीएस अनौपचारिक शाला पूर्व का अतिरिक्त एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान कर ईसीसीडी के रूप में पुनर्परिभाषित करके, विकास के अनुरूप हंसते खेलते शिक्षा प्राप्त करने के तरीकों युक्त समुचित पाठ्यक्रम ढांचे की शुरुआत करके प्रारंभिक शैशव देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीडी) को सुदृढ़ किया जाएगा। इसे स्थानीय संस्कृति के अनुरूप खेलकूद क्रियाकलाप सामग्री का प्रयोग करके बाल हितकारी एडब्ल्यूसी माहौल में एडब्ल्यूसी एक्टिविटी कार्नर तथा स्थानीय खिलौना बैंक स्थानीय करके बढ़ावा दिया जाएगा। 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए, जिनमें 5 से अधिक वर्ष की उम्र के

बॉक्स 23.4
करके सीखना - स्नेह शिविर

अल्पपोषित बच्चों के लिए समुदाय आधारित देखभाल की शुरुआत करने हेतु सकारात्मक अधिगम से प्राप्त सीखों के आधार पर स्नेह शिविर की शुरुआत। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में 12 दिनों का पोषण देखभाल एवं परामर्श सत्र, उन सकारात्मक रोल मॉडल माताओं, जिनके बच्चें अच्छी तरह से पोषित हैं, का सहयोग लेकर उसी समुदाय के अल्पपोषित बच्चों की माताओं के लिए समुचित देखभाल प्रक्रिया, कुकिंग एवं फीडिंग (माताओं के योगदान से) का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित करना शामिल है। इससे स्थिर अधिगम द्वारा स्पष्ट परामर्श के जरिए स्थानीय देखभाल क्षमताओं का संवर्धन करके, सकारात्मक देखभाल व्यवहार का प्रदर्शन करके एवं स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके - अल्पवय बच्चों एवं स्थानीय समुदाय के जीवन में सम्बल देकर परिवर्तन लाने से परिवार की देखभाल एवं फीडिंग व्यवहार (करके सीखो) में सुधार होगा।

बच्चों को अनिवार्यतः स्कूल भेजने की व्यवस्था शामिल है, हंसते खेलते प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिगम एडब्ल्यूसी में या स्कूलों में (राज्य के आधार पर) विकसित किया जाएगा। स्थानीय रूप से निर्णित स्कूलों के साथ आईसीडीएस एवं एडब्ल्यूसी का अवस्थापन करने से संसाधनों की भागीदारी करने, एडब्ल्यूडब्ल्यू परामर्श देने तथा बेहतर स्कूल तैयारी एवं परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। विभिन्न समुदायों के बच्चे एडब्ल्यूसी में साथ साथ खेलकूद कर/शिक्षा प्राप्त कर तथा एक साथ बैठकर खाना खाकर अधिक समावेशी सामाजिक व्यवस्था एवं अधिक समावेशी एवं सशक्तिशील समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगे।

23.147. आईसीडीएस परियोजनाओं की 10 प्रतिशत तक परियोजनाएं सीएसओ द्वारा प्रचालित करने की अनुमति देकर सभ्य समाज सहभागिता को सुदृढ़ करना। ये प्रतिदर्श नवाचार, संघटक समृद्धता, गुणवत्ता सुधार, बिना पहुंच वाले क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्थानीय संदर्भ में बेहतर उत्तरदायित्व बनाने में योगदान देंगे। इस संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्यों को अधिकार दिए जाएंगे।

23.148. संयुक्त योजना बनाकर, छोटे छोटे बच्चों से संबंधित मुद्दों को संगत सेक्टर की राज्य/जिला वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एपीआईपी) में शामिल कराना, प्रमुख परिणामों और संकेतकों तथा परिभाषित भूमिका एवं उत्तरदायित्वों की संयुक्त निगरानी करके एनआरएचएम, टीएससी, एनआरडीडब्ल्यूपी, एसएसए, मनरेगा जैसे संबंधित क्षेत्रों की समाभिरूपता सुनिश्चित करना। ग्राम स्वास्थ्य, ग्राम स्तर पर स्वच्छता एवं पोषण समितियां, जैसी पंचायती राज संसाधनों में समाभिरूपता के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित तथा सुदृढ़ किया जाएगा और एडब्ल्यूसी पर निर्धारित मासिक ग्राम दिवस (स्वास्थ्य, पोषण और ईसीसीई के लिए) द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। एडब्ल्यूसी निर्माण तथा उन्नयन के लिए अन्य कार्यक्रमों के संसाधनों का संघटन किया जाएगा।

23.149. संस्थागत सुधारों का उद्देश्य आईसीडीएस को विकसित प्रभावकारिता, कार्यकुशलता और विश्वसनीयता के लिए अनुवीक्षण योग्य परिणाम युक्त लोचशील कार्यान्वयन रूपरेखा युक्त "मिशन मोड" विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में अंतरित करना है। आईसीडीएस राष्ट्रीय मिशन विषय निर्वाचन समूह पोषण संबंधी समन्वय के लिए कार्य करेगा तथा प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद् को रिपोर्ट करेगा। इसके लिए एक बहुक्षेत्रीय नीति समन्वय सहायता देने हेतु योजना आयोग में एक नीति समन्वय सहायता एकक का गठन करने की आवश्यकता होगी।

23.150. सम्वर्धित मानव एवं वित्तीय संसाधन, व्यवस्था एवं ढांचा युक्त राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर आईसीडीएस मिशन जिन्हें, वित्तीय, मानव संसाधन, संचार तंत्र एवं प्रापण, कार्यक्रम एवं प्रचालन निगरानी के लिए स्पष्टतः निर्धारित प्रणालियों पर कार्य करने के लिए अधिकार प्राप्त हों। मौजूदा सेवा सुपुर्दगी तंत्र को राष्ट्रीय/राज्य आईसीडीएस मिशन निदेशालय, तकनीकी विषयवस्तु समूह, ब्लॉक, ग्राम एवं आंगनवाड़ी स्तर पर समन्वय एवं निगरानी युक्त राज्य एवं जिला बाल विकास सोसायटी स्थापित करके सुदृढ़ किया जाएगा।

23.151. पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों का क्रमिक अंतरण करने की परिकल्पना की गई है। आंगनवाड़ी केंद्र को समुदाय स्वामित्व में ग्रामीण वासभूमि स्तर के संस्थान के रूप में सशक्त करना, जिसे पंचायती राज संस्थान का नेतृत्व एवं सहायता प्राप्त होगी/पंचायती राज संस्थानों के क्षमता विकास, खासकर महिला सदस्यों और वीएचएसएनसी के सदस्यों के प्रशिक्षण को क्षेत्र स्तर पर एनजीओ के समर्थन से आवश्यकता आधार पर सहायता दी जाएगी।

23.152. आईसीडीएस प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का सुदृढीकरण: इसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और मोबाइल टेलीफोन की पहुंच का प्रयोग करके आकलन, विश्लेषण और कार्यवाही के लिए सृजित किए जाने वाले आंकड़ों के स्तर के निकटतम रियल टाइम डेटा पर प्रकाश डालने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। छोटे बच्चे की वृद्धि और विकास का संवर्धन एवं निगरानी करने के लिए माता एवं शिशु संरक्षण कार्डों जिसका ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों पर एवं समुदाय स्वामित्व वाली प्रत्यायन प्रक्रियाओं द्वारा वीएचएसएनसी तथा महिलाओं/समुदाय समूहों की सक्रिय संलग्नता के साथ प्रमाणीकरण किया गया हो, का प्रयोग करना आवश्यक है।

23.153. समुदाय स्वामित्व वाली आईसीडीएस प्रत्यायन व्यवस्था की शुरूआत सभी स्तरों पर शिशु देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी जिसका सेवा मानकों के आधार पर एक चेकसूची का प्रयोग करके, बच्चों से संबंधित परिणामों पर आधारित एडव्ल्यूसी, क्षेत्रों, विकास खण्डों/परियोजनाओं, जिलों द्वारा ग्रेडिंग की जाएगी। इसका समुदाय आधारित पहचान और शिशु अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायतों, ब्लॉकों जिलों को पुरस्कार द्वारा पुनर्बलीकरण किया जाएगा।

23.154. सामान्य ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन समितियों द्वारा आईसीडीएस का समुदाय स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा। आईसीडीएस के समुदाय स्वामित्व को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से महिला स्वयं सहायता समूहों, माता समितियां/महिलाओं से जुड़े स्वयं सेवकों को इस कार्य में शामिल किया जाएगा। अनुपूरक पोषण संघटकों सहित आईसीडीएस में महिला स्वयं सहायता समूहों की संलग्नता को गहन करने एवं उसका विस्तार करने के लिए ग्रामीण विकास की समाभिरूपता में पहल की जाएगी।

23.155. आईडीए सहायता प्राप्त बाल विकास सेवा प्रणाली सुदृढीकरण और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) थी 8 राज्यों के 162 उच्च भारयुक्त जिलों में आईसीडीएस के पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण पर बल देते हुए एवं बाल पोषण तथा विकास परिणाम संवर्धन करते हुए कार्यान्वित की जाएगी।

23.156. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाय) – सशर्त मातृत्व लाभ स्कीम की बारहवीं योजना में विस्तार 53 जिलों में प्रायोगिक परियोजना से सीख लेते

हुए किया जाएगा। जीवन चक्र अधिगम का संवर्धन करने वाली यह स्कीम आईसीडीएस मिशन की स्कीमों से जुड़ी होगी। इसे प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के अंतर्गत मातृत्व सुरक्षा के लिए हकदारी से भी जोड़ने की संभावना है।

23.157. राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (आरजीएनसीएस) पर जिसका उद्देश्य बच्चों के समान लक्ष्य वर्ग को देखभाल करना और जिससे सेवाओं के भारी दायरे का प्रावधान है आईसीडीएस का सार्वभौमिकीकरण करके फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है। आईसीडीएस मिशन के साथ प्रायोगिक आधार पर समुचित संपूर्ण स्थापित किया जा सकता है।

प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई)

23.158. यह अधिगम, आईसीडीएस से आगे जाकर, सार्वजनिक निजी एवं स्वयंसेवी क्षेत्रों की सभी सारणियों में ईसीसीई के अंतर्गत व्यवस्थित सुधार के सभी क्षेत्रों का निराकरण करेगा और इसका शिक्षा से सशक्त संपर्क होगा।

23.159. ईसीसीई संबंधी राष्ट्रीय नीति: ईसीसीई संबंधी एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी जिसमें एक व्यापक कार्य योजना का प्रावधान होगा। यह नीति संबंधी चार मुख्य चुनौतियों अर्थात् पहुंच, समावेशन, गुणवत्ता एवं ईसीसीई के लिए क्षमता का संस्थाकरण।

23.160. समावेशन सहित सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना: समावेशन सहित पहुंच का सार्वभौमिकीकरण करने का आशय है कि सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों से एक निश्चित आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे तक स्वीकार्य गुणवत्ता वाली ईसीसीई की पहुंच हो। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए घर पर ही शैशव विकास की व्यवस्था की जाएगी। समावेशन सहित सार्वभौमिक पहुंच में अधिक लोचशीलता होगी तथा यह मौजूदा अधिक केंद्रीयकृत, मानक डिजाइन से अलग हटकर यह अधिक विकेंद्रीकृत, वास भूमि आधारित तथा संदर्भाधीन योजना एवं कार्यों से जुड़ी होगी। ईसीसीई कार्यनीति में (क) आईसीडीएस का नम्यता और विकेंद्रीकरण करके पुनर्गठन करना; (ख) एनजीओ की संलग्नता; (ग) समुदाय आधारित मॉडल्स; (घ) मांग आधारित मॉडल्स (ड.) नई स्कीमों के लिए नवाचारी अनुदान (च) सार्वजनिक निजी भागीदारी का संवर्धन (छ) शहरी कार्यनीति; और (ज) समाभिरूपता शामिल होगी।

23.161. समावेशन युक्त गुणवत्ता: समावेशन युक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियों में (क) ईसीसीई के लिए

बॉक्स 23.5

हंसते खेलते शिक्षा - चिल्ली पिल्ली

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक की आंगनवाड़ियों में हंसते खेलते शिक्षा की संकल्पना की शुरुआत की। चिल्ली पिल्ली बच्चों के विकास से संबंधित सभी मुद्दों जैसे बाल शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं भाषा विकास का निराकरण करती हैं।

चिल्ली पिल्ली एक व्यापक पैकेज है जिसमें विकसित समुचित प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं जैसे स्थानीय संस्कृति के संदर्भ में संगत गतिविधि प्रयोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आईसीडीएस कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। श्री शक्ति गुप ये सामग्री बनाता है। ये क्रियाकलाप बच्चों को अपना माहौल जानने और करके सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। इस क्रियाकलाप में कहानियां, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, कला एवं शिल्प से संबंधित ज्ञान तथा रंगों, आकार की संकल्पना शामिल है। उत्सुकता कार्नर और बाल क्लस्टर इसे 3 से 4 वर्ष तथा 4 से 5 वर्ष के लिए दो समूहों में स्थापित किए जाते हैं। जिससे कि बच्चे का समुचित विकास करने के लिए उपयुक्त व्यवहार किया जा सके।

प्रभावी प्रदर्शन से, चिल्ली पिल्ली में बच्चों की भागीदारी तथा उनकी सीखने की क्षमताओं में विस्तार हुआ है, जिससे वे स्कूल के लिए बेहतर तैयार हो रहे हैं। इसने माता पिता समुदाय और आईसीडीएस में उन पंचायतों से संपर्क भी किया जिन्होंने इस प्रयास को अपनाया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा; (ख) गुणवत्ता मानक और प्रत्यायण की एक प्रणाली (ग) विकास युक्त समुचित पाठ्यचर्या; (घ) बाल अनुकूल हंसते खेलते शिक्षा प्राप्त करने का माहौल सुनिश्चित करना (ङ) ईसीसीई का व्यावसायीकरण करना; (च) प्रशिक्षण ढांचा और (ज) अधिवक्तता एवं सम्प्रेषण शामिल होगा।

23.162. संस्थानिक क्षमता: विकसित ईसीसीई के लिए संस्थानिक क्षमता सुदृढीकरण करने की कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल होगा (1) एक भरोसेमंद एवं कार्यकुशल प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना करना (2) अनुसंधान और (3) राष्ट्रीय/राज्य ईसीडी संसाधन केंद्रों की स्थापना करके क्षमता सुदृढीकरण करना, ये ईसीडी संसाधन केंद्र एनआईपीसीडी क्षेत्रीय केंद्रों एनसीईआरटी/एससीईआरटी और डीआईईटी की ईसीसीई इकाइयों से जुड़े रहेंगे। यह सुस्थापित विश्वविद्यालयों के ईसीसीई केंद्रों/अध्ययन यूनिटों के नेटवर्क से भी जुड़े रहेंगे जैसा कि अम्बेडकर और जामिया मिलिया विश्व विद्यालय में ईसीसीई केंद्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

23.163. राष्ट्रीय/राज्य ईसीडी परिषदें: ईसीसीई संबंधी नीति, पाठ्यचर्या ढांचा और मानकों के संबंध में विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय शैशव विकास (ईसीडी) परिषद् की स्थापना की जाएगी। तदुपरांत, राज्य स्तरों पर भी ऐसी ही परिषदें गठित करने की परिकल्पना है जिससे कि प्रस्तावित ईसीसीई नीति की प्रभावी निगरानी हो सके।

23.164. निपसिड का सुदृढीकरण: निपसिड का विश्व उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए सुदृढीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय केंद्रों/राज्य संस्थानों का संवर्धित संसाधन

नेटवर्क प्राप्त होगा जिससे कि यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्लस्टरों तक प्रभावकारी ढंग से पहुंच बना सके। आईसीडीएस का पुनर्गठन करने से प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षकों का एक पूल बनाने, मसौदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत आईजीएमएसवाई का सार्वभौमिकीकरण करने एसएबीएलए का सुदृढीकरण खासकर गैर पोषण संघटनों (जैसे कौशल) और उभरती नई ईसीसीई नीति और नए क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए आईसीपीएस का विस्तार करने की पहल की जाएगी।

23.165. आईसीडीएस का पुनर्गठन करने के मद्देनजर की गई सिफारिश कि आईसीडीएस परियोजनाओं का 10 प्रतिशत गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर किया जाएगा, एनआईपीसीडी और इसके क्षेत्रीय एवं राज्य केंद्रों का पुनर्गठन करने और महिला एवं बाल विकास से संबंधित स्वयं सेवी कार्य के लिए उनका सुदृढीकरण करने की आवश्यकता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य एनजीओ फोरमों को एक नेटवर्किंग, वार्ता और सृजित संसाधन मालसूची से लैस किया जाएगा ताकि इन एनजीओ की बाल विकास से संबंधित सूचना एवं संसाधनों तक पहुंच बन सके। अन्य परिकल्पित नई पहलों में शामिल है एक राष्ट्रीय पोषण संसाधन केंद्र एवं राष्ट्रीय/क्षेत्रीय बाल विकास संसाधन केंद्र स्थापित करना, बाल बजटिंग/प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करना तथा भारतीय स्तनपान संवर्धन नेटवर्क एवं शिशु फाउण्डेशन के समान एमडब्ल्यूसीडी के साथ सहयोग करना।

शिशु संरक्षण एवं भागीदारिता संवर्धन

एकीकृत शिशु संरक्षण सेवाएं

23.166. एकीकृत शिशु संरक्षण स्कीम के कार्यान्वयन का सुदृढीकरण: सभी जेजे अधिनियमों का कार्यान्वयन प्राथमिकता

आधार पर करने के लिए एक साधन के रूप में करना। हालांकि शिशु देखभाल एवं संरक्षण के संबंध में आईसीपीएस एक व्यापक स्कीम है तथापि यह बच्चों को अपने परिवारों तक वापस लाने एवं उनका पुनर्वास करने पर समुचित ध्यान नहीं देनी हैं। इसके कार्यान्वयन अंतराल को पूरा करने के लिए समेकन तथा इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः इसका राज्यों द्वारा बेहतर कार्यान्वयन करने, मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और क्षमता निर्माण पर जोर देने की आवश्यकता है।

23.167. आपातकालीन स्थिति में बच्चों के लिए बेहतर अनुक्रिया संवर्धन करना एवं सुनिश्चित करना: अपने परिवार से जुदा बच्चे अर्थात् गुमशुदा बच्चों, वे बच्चे जिनका अवैध व्यापार/दुरुपयोग या शोषण किया गया हो, बेघरबार बच्चों को 24 घण्टे उपलब्ध एक शिशु सेवा दूरभाष से समय पर सहायता पहुंचाई जा सकती है। यह सेवा अभी, केवल 181 शहरों में उपलब्ध है। सभी जिलों/शहरों में चाइल्डलाइन सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण करके इस सेवा को व्यापक बनाया जाएगा, सेवा का व्यावसायीकरण किया जाएगा, स्वयंसेवी संगठनों के साथ व्यापक परामर्श एवं सहभागिता की जाएगी तथा इसके संसाधनों एवं क्षमता निर्माण में अधिक निवेश किया जाएगा।

अत्यधिक सुभेद्य बच्चों तक पहुंचने का समावेशी अधिगम बच्चे जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है और जो गैर कानूनी कार्यों में लगे हैं:

23.168. किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन: इस अधिनियम का पिछला संशोधन वर्ष 2006 में किया गया था, तब से कई ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए हैं जैसे बच्चों का दुरुपयोग करना और बच्चों का अवैध व्यापार करना, घरों में लगाना आदि जो जेजे अधिनियम में शामिल नहीं थे। एक बाल केंद्रित न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाएगी और उसे कायम रखा जाएगा जिससे कि अगले पांच वर्षों में बच्चों की सभी समस्याओं (सुभेद्य बच्चों सहित) का समग्र ढंग से निराकरण किया जा सके।

23.169. बारहवीं योजना में बाल संरक्षण कार्यनीति के अन्य तत्वों में शामिल परिवारों और समुदायों को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए सुदृढ करना; मुक्त आश्रय, समुदाय आधारित पोषण देखभाल; संस्थागत सेवाओं का पंजीकरण, यौक्तिकीकरण एवं उन्नयन; शिशु संरक्षण सेवाओं का व्यावसायीकरण; तथा पुलिस कार्मिकों को अधिक जागरूक बनाना/प्रशिक्षण करना। शिशु संरक्षण सेवाएं प्राप्त करने

वाले बच्चों का एक डेटाबेस तैयार करना तथा 'गुमशुदा' एवं "प्राप्त" बच्चों की मैचिंग के लिए एक व्यवस्था विकसित करना, अनाथ बच्चों को गोद लेना तथा कारा/सारा शिशु संरक्षण कार्यनीति के अन्य तत्व होंगे। एसएसए जैसे कार्यक्रमों के साथ प्रभावी संपर्क आवश्यकतामंद बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण उन्हें पुनः मुख्य धारा में लाएगा।

23.170. अक्षम बच्चे: बारहवीं योजना में प्राथमिक शिशु अपंगता निवारण तथा एनआरएचएम के जरिए शीघ्र ध्यान देने पर बल दिया जाएगा और आईसीडीएस को समुदाय आधारित प्रबंधन और अलग क्षमता वाले बच्चों को शामिल करके सुदृढ किया जाएगा। प्रमुख संगत प्लैगशिप कार्यक्रमों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तक पहुंच बनाने और उन्हें शामिल करने के लिए विशिष्ट आबंटन किया जाएगा जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान में किया गया है। इसी तरह, पुनर्गठित आईसीडीएस में बहुत छोटे बच्चों में अपंगता का निराकरण करने के लिए उन्हें मुख्यधारा में लाने, शीघ्र कार्रवाई करने, समुदाय आधारित देखभाल और रेफरल सहायता के लिए विशिष्ट संसाधनों का प्रावधान करना शामिल होगा। संयुक्त आईसीडीएस/एनआरएचएम माता शिशु कार्ड एक उपयोगी शुरुआती कदम है, और सुदृढीकृत रेफरल देखभाल का स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ संपर्क किया जाएगा तथा संस्थागत सहायता तंत्र जैसे जिला पुनर्वास केंद्र (डीआरसी) को भी प्रभावी समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए सुदृढ किया जाएगा।

23.171. बारहवीं योजना की प्रमुख पहलों में शामिल है शैशव अपंगता पर राष्ट्रीय कार्यबल का गठन, संगत राष्ट्रीय संस्थानों एनआरएचएम, आईसीडीएस तथा एसएसए कार्मिकों (जैसे एनआईएचएफडब्ल्यू/एसआईएचएफडब्ल्यू एनसीईआरटी/एससीईआरटी, निपसिड/एमएलटीसी/एडब्ल्यूटीसी) को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख राष्ट्रीय/राज्य संस्थानों में शैशव अपंगता संसाधन केंद्रों की स्थापना करना, तथा अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकरण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण विकसित करना। इन नवाचारी मॉडलों एवं अधिगमों में सिविल सोसायटी की बढ़ती सहभागिता, जिसमें अभिभावक नेटवर्क भी शामिल है, इनका विकास करने में एक महत्वपूर्ण पहलू होगा।

विविध वंचनायुक्त अत्यधिक सुभेद्य समुदायों के बच्चे

23.172. नियामक मानकों युक्त सार्वभौमिक अधिगमों और लोचशील, स्थानीय रूप से संगत एवं सांस्कृतिक रूप से समुचित कार्यनीतियों के जरिए प्रत्येक बच्चे तक पहुंच बनाना एक चुनौती है, जिसका निराकरण न केवल सामाजिक समावेश करके परंतु इसे इसके आकस्मिक रूपरेखा में ऐसा संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा किया जा

सकता है जिसमें उपेक्षित वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई हों। सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों को संगत राष्ट्रीय प्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल करने और उस स्कीम के बच्चों से संबंधित संघटकों की सघन निगरानी करने की आवश्यकता को मानते हुए इन्हें अनुसूचित जाति उप योजना एससीएसपी तथा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) तथा अल्पसंख्यकों के लिए एमएसडीपी जैसी लक्षित योजनाओं में शामिल किया जाएगा तथा इस उद्देश्य के लिए बनी आकलन एवं अनुवीक्षण प्राधिकरण के साथ इसे जोड़ा जाएगा।

23.173. बच्चों से संबंधित संगत प्लैगशिप कार्यक्रमों को क्षमता विकास, अधिक समावेशी संस्थागत तंत्र (मिशन विषय निर्वाचन समूह/कार्यक्रम समितियों/ग्राम समितियां आदि), इन समुदायों की महिलाओं का समुदाय कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू, आशा, संपर्क स्वयंसेवी) के रूप में अधिक प्रतिनिधित्व और विकेंद्रीयकृत सहभागिता योजना प्रक्रिया जिसमें पंचायती राज संस्थानों का नेतृत्व होगा, करके इसे अधिक सक्षम बनाया जाएगा। विविध सामाजिक धार्मिक समुदायों के सामाजिक समावेशन को निगरानी करने के लिए बच्चों से संबंधित परिणामों की ट्रैकिंग एवं रिपोर्टिंग करना समुदाय आधारित अनुवीक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक प्रमुख पहल होगी।

23.174. उन क्षेत्रों, राज्यों (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के जरिए) और पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जहां सामाजिक धार्मिक समुदायों – अल्पसंख्यकों सहित के बच्चों से संबंधित सामाजिक समावेश में, राज्यों/जिलों में या उनके बाहर सर्वोत्तम/प्रक्रियाओं की भागीदारी करके शिक्षण/प्रेरण संबंधी सुधार के संकेत होंगे।

बालिकाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना

23.175. बालिकाओं के अधिकारों में वृद्धि करना तथा लिंग समानता सुनिश्चित करना विकास की एक प्रमुख चुनौती है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में की गई सिफारिशें इसके मुख्य कारणों का निराकरण करने के आशय से चार मुख्य संकल्पनात्मक मुद्दों पर केंद्रित होगी। ये हैं (1) बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना और उन्हें बढ़ाना (2) लिंग समानता (3) सशक्तीकरण एवं आत्म सम्मान बढ़ाना (4) संस्थागत व्यवस्था करना।

23.176. बालिकाओं से संबंधित जिला कार्य योजना: बालिकाओं पर विशेष ध्यान देते हुए एक एकीकृत पहुंच की आवश्यकता है। इसका नेतृत्व बालिकाओं की देखभाल और संरक्षण के लिए बने राज्य स्तर के बहु क्षेत्रीय कार्यबल द्वारा किया जाना चाहिए, जो बाल लिंग अनुपात में, उन राज्यों में जहां बाल लिंग अनुपात बहुत

कम है तथा इसमें गिरावट आ रही है, सुधार लाने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों तथा सिविल सोसायटी के साथ मिलकर कार्य करेगा। गर्भ-पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया जाएगा जिसमें कि लिंग चयन के लिए चिकित्सा तकनीक का दुरुपयोग न किया जा सके, इसके अलावा बालिकाओं का समान महत्त्व सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक मानकों में परिवर्तन लाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया द्वारा बालिका विशिष्ट जिला कार्य योजनाएं बनाई जाएगी इसमें पंचायती राज संस्थानों की अंतर्ग्रस्तता तथा सिविल सोसायटी संगठनों के साथ सहभागिता की जाएगी। इन्हें उन पंचायतों को पुरस्कृत करने की पंचायती राज मंत्रालय की योजना (प्रस्तावित राष्ट्रीय गैर व ग्राम सभा पुरस्कार) के साथ भी जोड़ा जाएगा जो बाल लिंग अनुपात में सुधार लाएगी तथा बालिकाओं की देखभाल एवं संरक्षण में वृद्धि करती हैं। बारहवीं योजना में, “बालिकाओं की देखभाल एवं उनका संरक्षण” करने संबंधी एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया जाएगा जो बाल लिंग अनुपात में अंतर जिसकी जड़े हमारे समाज में एक गहरी पैठ बना चुकी हैं को दूर करने के लिए बहु क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समावेशन एवं निगरानी करने के लिए एक तंत्र बनाएगी। इस संबंध में त्वरित एवं तत्काल कार्रवाई के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यनीति सरकारी, क्षेत्रों, राज्यों और सिविल सोसायटी को एकत्र करेगी। यह उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति राज्यों के कार्यबलों को भी इकट्ठा करेगी जो पूरे देश में राज्यों की कार्य योजनाएं तैयार करेंगे।

23.177. लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना लड़कियों एवं महिलाओं के लिए एक सकारात्मक कार्य योजना है, जिसका विस्तृत विवरण शिक्षा वाले अध्याय में किया गया है।

23.178. दहेज एवं बाल विवाह निषेध: बाल विवाह निवारण अधिनियम, दहेज निवारण अधिनियम (डीपीए) घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) का प्रभावी प्रवर्तन भाग 1 में यथा उल्लिखित कई कार्यों के जरिए किए जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

23.179. लड़कियों के लिए प्रोत्साहन योजना: लड़कियों के लिए नकद प्रोत्साहन स्कीम तथा सशर्त नकद अंतरण (धन लक्ष्मी सहित) की बारहवीं योजना की पहली आधी अवधि में समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें फिर से बनाया जाएगा। बीमा लाभ सहित सशर्त नकद

अंतरण की भारत सरकार की प्रायोगिक परियोजना “धन लक्ष्मी” पर भी पुनर्विचार किया जाएगा और नकद पुरस्कार देने के अलावा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का स्वामित्व देने पर विचार किया जाएगा।

23.180. लड़कियों एवं महिलाओं के आत्म सम्मान में सुधार करने की पहल: लड़कियों को पितृ प्रधान एवं पुरुष प्रभुत्व वाले समाज के मानदण्डों की चुनौती का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनाने हेतु उनके आत्म सम्मान में वृद्धि की जाएगी तथा अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जिनका उल्लेख भाग 1 में विस्तार से किया गया है। इसके अतिरिक्त नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने, उनकी बेंचमार्किंग करने, उनका कार्यान्वयन करने और उनकी निगरानी करने में लिंग, जाति, अल्पसंख्यक स्थिति एवं भौगोलिक अवस्थापनों से संबंधित आंकड़ों के आधार पर लिंग एवं बालिका प्रभाव विश्लेषण करने की आवश्यकता है। विलक्षण लड़कियों के मुद्दों पर बच्चों के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला कार्य योजनाओं में अधिक प्रकाश डाला जाएगा, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

किशोर वय

23.181. समन्वय तंत्र सुदृढ़ करना: मौजूदा समन्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने का अधिदेश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निहित है जिसमें युवा कार्यक्रम मंत्रालय की सहभागिता होगी और इसे बारहवीं योजना में राष्ट्रीय समन्वय समूह के पुनर्गठन के साथ जोड़ा जा सकता है।

23.182. आयु वर्ग में एकरूपता: विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आयुवर्ग अलग अलग है और उनका मानकीकरण करने की आवश्यकता है। किशोरवय के लिए 10 से 18 वर्ष को शामिल किया जा सकता है और तदनुसार दिशानिर्देशों का सुमेलीकरण किया जा सकता है।

23.183. सभी तरह के बाल श्रम को समाप्त करना: सभी रूप में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए आरटीई अधिनियम को अधिदेशित करने की आवश्यकता है। सभी तरह का बाल श्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सम्यक विकास में बाधक है। आरटीई अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है जबकि बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरे और गैर जोखिम कार्यों में अंतर बताया गया है। बच्चे स्कूल जाने तथा श्रम करने के दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं।

23.184. बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) को सेकेण्डरी शिक्षा तक बढ़ाने: बारहवीं योजना में आरटीई अधिनियम को माध्यमिक स्तर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे कि किशोरवय के बच्चे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के अपने अधिकार को जान सकें तथा लड़कियों की जल्दी शादी, किशोरावस्था गर्भावस्था एवं किशोर उपचार की समस्याओं का निराकरण कर सकें।

23.185. आरजीएसईएजी - सबला स्कीम का सुदृढ़ीकरण: सबला स्कीम के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी है। स्कीम के संघटक, खासकर शिक्षा एवं कौशल विकसित से संबंधित संघटक, या गैर पोषण संघटक को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तथा इसका विस्तार करने की सिफारिश करने से पूर्व इस स्कीम का मूल्यांकन करना अपेक्षित है।

बाल भागीदारी

23.186. उनके लिए कार्यक्रमों और नीतियों के संबंध में सभी निर्णयों में बच्चों की भागीदारी और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना देश में बाल अधिकार रूपरेखा को संस्थागत करने के लिए प्रमुख है। बच्चों को ऐसा माहौल मुहैया कराना चाहिए जिसमें वे अपने अधिकारों से अवगत हों; बच्चों को उनकी आयु और वयस्कता के अनुसार अपने विचारों को पूर्ण और स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अवसर मिलें; और विशेषकर बालिका और अल्पसंख्यक समुदायों अथवा सीमांतकृत समुदायों के बच्चों के विचारों का सम्मान किया जाए। बारहवीं योजना के दौरान, बाल अधिकारों संबंधी सूचना देने के दौरान, सभी बच्चों को उनकी आयु व वयस्कता के अनुसार उपलब्ध बाल अधिकारों, कानूनों व नीतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। एनसीपीसीआर विभिन्न मॉडल तैयार करने, बच्चों की भागीदारी के नियंत्रण-योग्य संकेतक विकसित करने के लिए अनुसंधान करने और बाल भागीदारी में सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों का विलेखन करने के लिए शीर्ष एजेंसी होगी। इन मॉडलों में बाल पंचायतों और बाल सभाओं का अनुभव शामिल होगा, जो बाल-मैत्री पंचायतों को पूर्ण करेगा।

बाल अधिकारों हेतु संस्थाओं व प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण - एनसीपीसीआर और एससीपीसीआरएस

23.187. बारहवीं योजना अवधि के दौरान, एनसीपीसीआर का एक स्वायत्त सांविधिक आयोग के तौर पर इसकी भूमिका का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिससे एससीपीसीआर को और वर्धित मानव और वित्तीय संसाधनों के साथ, अपनी मंत्रणा सहायता का विस्तार करने के प्रावधान का परिचालन हो। चूंकि सभी राज्यों में राज्य आयोग

स्थापित नहीं किए गए हैं, एनसीपीसीआर देशभर में सभी बच्चों को सेवा प्राप्त और बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी प्रदेशों को शामिल करने के लिए कुछ राज्यों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने पर भी विचार करेगा। पर्याप्त मूलभूत ढांचे और मानव संसाधनों सहित, जैसाकि बाल अधिकार अधिनियम, 2005 की सुरक्षा आयोग के तहत बताया गया है, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एनसीपीसीआर स्थापित करने के लिए प्रेरित करने हेतु, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषण पर भी विचार किया गया है। बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण मुहैया कराने के लिए, बाल ट्रेकिंग तंत्र युक्त, नीति और कार्यक्रम संस्तुतियां, विशेषकर विरोध से प्रभावित क्षेत्र (जैसाकि एकीकृत कार्य योजना जिले), बाल बंधु प्रायोगिक कार्यक्रम से शिक्षा-निर्माण प्राथमिकता होगी।

परिणाम उन्मुखी बाल बजट बनाना

23.188. ग्यारहवीं योजना में बाल बजट को मान्यता मिली है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न केवल पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जाएं और परिव्यय में बढ़ोत्तरी की जाए वरन् इन्हें प्रभावी तौर पर उपयोग किया जाए और बच्चों हेतु सार्थक परिणाम मिले, बाल बजट तंत्र के जरिए बेहतर लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है।

23.189. बारहवीं योजना के दौरान बाल बजट को संस्थाकृत बनाने के लिए केन्द्रीय और राज्य बजटों के विश्लेषण के लिए क्षमता निर्माण और बच्चों के लिए उनके परिणामों पर फोकस होगा। तदोपरान्त, इस मूल्यांकन की सूचना बच्चों के लिए नीति और कार्यक्रम निर्माण के लिए मंत्रालयों/विभागों को दी जाएगी। बारहवीं योजना अवधि में लैंगिक बजट पर अनुभव से परिणाम उन्मुखी बाल बजट को प्रगामी तौर पर संस्थाकृत किया जाएगा। 'महिला विकास सूचकांक' के अनुसार बाल विकास सूचकांक विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

23.190. बच्चों पर संबंधित क्षेत्रगत नीतियों और कार्यक्रमों को बारहवीं योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। इससे, विभिन्न समुदायों के समावेश के मूल्यांकन हेतु सदृश पहल से संबद्ध, अधिक समावेश वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मध्यावधि आधार पर नीति और कार्यक्रम को पुनः डिजाइन करने के लिए आधार मिलेगा।

पोषण


23.191. बाल कृपोषण की उच्च दर द्वारा रेखांकित भारत में पोषण की चुनौतीपूर्ण स्थिति काफी गंभीर मामला और आलोचना का उपयुक्त

फोकस है। पोषण संक्रमण के प्रति अति संवेदनशीलता, संबंधित विकृति, विकलांगता और मृत्यु भार में कमी लाकर और संचयी जीवनपर्यन्त शिक्षा-प्राप्ति क्षमता और वयस्क उत्पादकता में बढ़ोत्तरी कर मानव विकास की आधारशिला बनता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि बच्चों व वयस्कों, दोनों के पोषण स्तर में सुधार को मानव विकास कार्यनीति में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों की सर्वाधिक असुरक्षित आयु-वर्ग की पोषण की स्थिति मानव विकास की संवेदी प्रतिनिधि संकेतक और राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास की कार्यनीतियों की प्रभावशीलता का मुख्य निर्धारक तत्व, दोनों है।

23.192. तथापि, पोषण सुधार हेतु कार्यनीतियां बनाते हुए यह अवश्य ध्यान में रखा जाए कि पोषण बहु-क्षेत्रक हस्तक्षेपों का परिणाम होता है जो जीवनपर्यन्त समुदायों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों पर प्रभाव डालता है। अल्प पोषण बहुत से कारकों का परिणाम है। बच्चों व महिलाओं को अपर्याप्त आहार ग्राह्यता, अवशोषण, स्वास्थ्य और बाल देखभाल सेवाएं न मिलने से जुड़ी बीमारी/संक्रमण की अपर्याप्त रोकथाम और प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल, पर्यावरण की साफ-सफाई और स्वास्थ्यकर स्थितियों तक पहुंच के अभाव, गृहस्थ खाद्य सुरक्षा और आजीविका न होने और अपर्याप्त देखभाल और आहार व्यवहार प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। आधारभूत निर्धारक तत्वों में स्थूल समाज-आर्थिक और राजनैतिक वातावरण द्वारा निश्चित आय-स्तर, कृषि, पशु-पालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जल और पर्यावरणीय संसाधन, शिक्षा और संप्रेषण, संसाधनों (मानव आर्थिक, प्राकृतिक) का नियंत्रण व प्रयोग शामिल हैं।

23.193. इस अध्याय के भाग 3 में मां और बच्चे हेतु पोषण से सीधे तौर पर जुड़े हस्तक्षेपों पर फोकस किया गया है, साथ ही भिन्न अध्यायों में पोषण हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यवाही के अन्य पहलुओं को संबोधित किया गया है। इनमें अन्य अध्यायों के साथ स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, खाद्य और कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान और शिक्षा संबंधी अध्याय शामिल हैं।

23.194. भारत में, अल्पपोषण स्तर उच्च रहता है— विशेषकर असुरक्षित/वर्जित समुदाय वर्गों और गरीबी रेखा के नीचे और उच्च पोषण संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों या परिस्थितियों और जहां रोगग्रस्तता उच्चतर हो, में रहनेवाली किशोर लड़कियों में यूटेरो और जीवन के पहले दो वर्षों और महिलाओं में जीवनपर्यन्त। आयु के हिसाब से लंबाई अथवा लंबाई के हिसाब से भार के नवीनतम आंकड़े 2005-06 के दौरान एनएचएफएस 3 से है। जब इनकी तुलना एनएचएफएस 1 और एनएचएफएस 2 से की जाती है, समय के साथ प्रवृत्ति में थोड़ा सुधार हुआ है। (देखें चित्र 23.2)



नोट: विश्व स्वास्थ्य संगठन 2006 अंतरराष्ट्रीय संदर्भ जनसंख्या का उपयोग करते हुए

चित्र 23.2: 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति (प्रतिशत) सतत रूप से उच्च रूप में अल्पपोषण

23.195. एनएफएचएस 3 में रिपोर्ट की गई अल्पभार की व्यापकता के पैटर्न और प्रवृत्ति में काफी अधिक अंतरराष्ट्रीय भिन्नता भी है— बच्चों में यह मध्य प्रदेश (60 प्रतिशत), में सर्वाधिक था, इसके बाद झारखण्ड (57 प्रतिशत), और बिहार (56 प्रतिशत) आते हैं और यह मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर व केरल में न्यूनतम है।

23.196. हाल में, वर्ष 2011 में भारत के 112 ग्रामीण जिलों में विशेष तौर पर प्रभावित समाज-आर्थिक संकेतकों से कराया गया (भूख और कुपोषण) सर्वेक्षण दर्शाता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अल्प भार की व्यापकता में अनुमानित 53 प्रतिशत (2002-04 में डीएलएचएस 2 के अनुसार) से इस सर्वेक्षण में 42 प्रतिशत (2010-11) होने से पर्याप्त गिरावट आई है। यह 7 वर्ष की अवधि के दौरान 20.3 प्रतिशत (डीएलएचएस 2 की अपेक्षा) की गिरावट दर्शाता है और वार्षिक घटोत्तरी दर 2.9 प्रतिशत है। तथापि, इस अध्ययन में इन जिलों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अपशिष्ट स्तरों के मूल्यांकन का वर्णन नहीं किया गया है, जिसका लगभग आधे हिस्से का अनुमान एनएफएचएस 3 (2005-06) द्वारा अखिल भारतीय औसत दिया गया है।


23.197. संभव है कि कुपोषण में पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से कमी आ रही हो जैसाकि दरिद्रता में कमी के मामले में था। तथापि, इसे वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण और जिला स्तर घरेलू सर्वेक्षण से ही मान्य किया जा सकता है, जो 2013 तक उपलब्ध होगा।

23.198. नवजात शिशु और तरुण बच्चों के आहार व्यवहार: जीवित रहने, स्वास्थ्य वृद्धि और बौद्धिक व शारीरिक विकास के लिए

2 वर्ष तक के बच्चों में समुचित पोषण आदतें बहुत निर्णायक होती हैं। स्तनपान की शीघ्र शुरुआत (जन्म से 1 घण्टे के भीतर) और जीवन के प्रथम 6 माह केवल स्तनपान से वृद्धि और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पोषण प्राप्त होता है। लांसेट 2004 के अनुसार, स्तनपान के सार्वभौमिकरण (प्रथम 6 माह केवल स्तनपान और अगले 6 माह तक स्तनपान जारी रखना) से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में विश्व भर में 13 प्रतिशत और भारत में लगभग 16 प्रतिशत (भारत का विश्लेषण) तक की कमी आएगी। छह माह के बाद उपयुक्त अनुपूरक भोजन से भी बच्चों में अल्प-पोषण व विकास में अड़चन से बचाव होता है। भारत में एक घण्टे के भीतर स्तनपान की पहल केवल 24.5 प्रतिशत थी जबकि 6 माह से कम उम्र के बच्चों में केवल स्तनपान कराने की दर 46.4 प्रतिशत थी (एनएफएचएस 3), जैसाकि नीचे चित्र 23.3 में देखा गया है।

23.199. एनएफएचएस 3 के आंकड़े यह भी इंगित करते हैं कि 6-9 वर्ष तक के लगभग आधे (56 प्रतिशत) को अर्ध-ठोस अनुपूरक आहार और स्तन-दुग्ध दिया जाता है।

23.200. तथापि, आरंभिक पहल में कुछ सुधार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जन्म से 1 घण्टे के भीतर स्तनपान की दर डीएलएचएस 2 में 27.8 प्रतिशत से बढ़कर डीएलएचएस 3 में 40.5 प्रतिशत हो गई है। हाल में 9 राज्यों (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, असम, झारखण्ड और छत्तीसगढ़) के लिए जारी 2010-11 एचएस आंकड़ों में बताया गया है कि बच्चों में अनन्य स्तनपान (0-6 माह) की रेंज उत्तर प्रदेश में 17.7 प्रतिशत से लेकर छत्तीसगढ़ में 47.5 प्रतिशत है, विशेषकर इन क्षेत्रों में आगे आने वाली चुनौतियों को प्रमुखता से दर्शाया है।



स्रोत: एन एफ एच एस 3 2005-06

चित्र 23.3: भारत में विशेष रूप से अपर्याप्त मात्रा में स्तनपान (0-6 मास)

महिला और किशोर युवतियों का पोषण स्तर


23.201. एक-तिहाई से अधिक का (36 प्रतिशत) 15-49 आयु वर्ग की बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 18.5 से कम है जिससे चिरकालिक ऊर्जा के अभाव का पता चलता है। लगभग 16 प्रतिशत मध्यम से काफी अधिक दुबली हैं। बिहार (45 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (43 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (42 प्रतिशत) और उड़ीसा (41 प्रतिशत) ऐसे राज्य हैं जहां अल्प-पोषित महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। किशोर लड़कियां भी असुरक्षित समूह में आती हैं जिसे संकेंद्रित ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है। 11-18 वर्ष की लड़कियां महिला आबादी का 16.75 (लगभग 8.32 करोड़) हैं। इनमें से, लगभग 2.75 करोड़ (33 प्रतिशत) अल्प-पोषित हैं। शीघ्र विवाह और शीघ्र गर्भाधान द्वारा उनके स्वास्थ्य और पोषण स्थिति को जोखिम में डाला जाता है जैसाकि डीएलएचएस-3 के निष्कर्षों में दिखाया गया है जिसके अनुसार, वर्तमान में विवाहित 20-24 आयु वर्ग में से लगभग 43 प्रतिशत का विवाह 18 वर्ष की आयु होने से पूर्व कर दिया गया था।

सूक्ष्म पोषण का अभाव:

23.202. सूक्ष्मपोषक विटामिन और खनिज होते हैं मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य और विकास के लिए जिन्हें अल्प मात्रा में उपभोग करना आवश्यक होता है। सूक्ष्मपोषक तत्वों के अभाव के साथ अक्सर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी होता है और इसके स्वास्थ्य, विकास और प्रतिरक्षा क्षमता पर स्वतंत्र और अंतक्रियात्मक प्रभाव होते हैं। सर्वाधिक असुरक्षित वर्ग में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करानेवाली माताएं और किशोर बच्चे आते हैं। विटामिन और खनिज के अभाव में, लौह, विटामिन ए और आयोडिन की कमी प्रमुख जन-स्वास्थ्य समस्याएं हैं।

23.203. विटामिन ए: उप-क्लिनिकल विटामिन ए अभाव (वीएडी) विकृति और मृत्यु का प्रमुख कारण है, विशेषकर किशोरों व गर्भवती महिलाओं में। विटामिन ए की कमी से किशोर बच्चों का विकास सीमित हो जाता है, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और उग्र कमी होने पर, अंधापन हो जाता है और मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी होती है। विटामिन ए का अनुपूरक बीमारी होने और उसकी उग्रता को कम करने में सफल सिद्ध हुआ है। इसे बाल मृत्यु में कुल कमी से जोड़ा गया है विशेषकर डायरिया, खसरा और मलेरिया से। एनएफएचएस-3 के अनुसार, सर्वेक्षण से 6 माह पूर्व 12-35 माह आयु के चार में से केवल 1 बच्चे को 6 माह तक विटामिन ए का अनुपूरक मिलता था। 6-59 माह के बच्चों में यह आंकड़ा और भी कम, केवल 18 प्रतिशत है। यह आंकड़े 2005-06 के हैं।

23.204. बाद में 2008-09 का डीएलएचएस सर्वेक्षण दर्शाता है कि 54.5 प्रतिशत बच्चों (आयु 9 माह और अधिक) ने विटामिन ए



चित्र 23.4: 6-35 मास आयु के बच्चे जिन्हें पिछले 6 महीनों के दौरान विटामिन ए की खुराक दी गई (प्रतिशत) (एएचएस 2010-11)

अनुपूरक की कम से कम एक खुराक ली। सर्वाधिक नवीन वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11 (चित्र 23.4) में दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां यह आंकड़ा प्रत्येक तीसरा बच्चा है, एएचएस राज्यों में 6-35 माह के बच्चों में से कम से कम प्रत्येक दूसरे बच्चे को विटामिन ए अनुपूरक दिया गया है। (एएचएस 2010-11) में 9 राज्यों - उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, असम और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। ये सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि सभी 6 मासिक विटामिन ए की खुराक (9 माह - 5 वर्ष) को पूर्ण करते हुए उच्च कवरेज की चुनौती एक अपूर्ण कार्यसूची है, विशेषकर कम कवरेज दर वाले राज्यों में।

23.205. लौह: लौह अभाव एनिमिया (आईडीए) सभी आयु वर्गों में आम है लेकिन तरुण बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाले महिलाओं में सर्वाधिक है। गर्भवती महिलाओं में आईडीए के परिणाम बच्चे के कम भार अथवा समयपूर्व प्रसव होने का अधिक जोखिम, जन्म-पूर्व अथवा नवजात की मृत्यु, नवजात के लिए अपर्याप्त लौह भंडार, कम शारीरिक सक्रियता, थकान और मातृत्व की विकृति का अधिक जोखिम है। लौह के अभाव से वृद्धि, बौद्धिक विकास और प्रतिरक्षा कार्य-प्रणाली में बाधा आती है। इससे बच्चे विद्यालय में कम अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वयस्क की प्रजनन क्षमता कम होती है। 6-35 माह के बच्चों में एनिमिया की व्यापकता एनएफएचएस-2 में 74 प्रतिशत से बढ़कर एनएफएचएस-3 में 79 प्रतिशत हो गई है।

23.206. एएचएस 2010-11 आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 3 माह के दौरान 6-35 माह के बच्चों को आईएफए (आयरन फोलिक एसिड) की रेंज राजस्थान में 9.4 प्रतिशत से लेकर छत्तीसगढ़ में 37.7 प्रतिशत तक है। एएचएस द्वारा इस विशेषता पर अधिक ध्यान दिया गया जिसमें 9 राज्यों को कवर किया गया था, विशेषकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश को।

23.207. किशोर लड़कियों में, एनिमिया का स्तर अभी भी उच्च है (पाया गया कि 2.75 करोड़ लड़कियां अल्पपोषित हैं, और शीघ्र विवाह और गर्भाधान से उनके स्वास्थ्य की स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है।

23.208. एनिमिया वयस्कों के लिए भी एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है जिससे 55 प्रतिशत महिलाएं और 24 प्रतिशत पुरुष प्रभावित होते हैं। विवाहित महिलाओं में एनिमिया की व्यापकता एनएफएचएस-2 में 52 प्रतिशत से बढ़कर एनएफएचएस-3 में 56 प्रतिशत हो गई है। इससे रोगनिरोध हेतु हस्तक्षेप को तीव्र करने और जीवनपर्यन्त पोषण एनिमिया के नियंत्रण की आवश्यकता रेखांकित होती है।

23.209. आयोडिन: विश्व भर में आयोडिन की कमी निवारणयोग्य मानसिक विकलांगता और ब्रेन डेमेज का सर्वाधिक आम कारण है। प्रिग्नेंसी के दौरान आयोडिन के अभाव के कारण बच्चे का कम भार, मृत शिशु जनन (मृत जन्म) की अधिक संभाव्यता, अचानक गर्भपात और जन्मजात विकृतियां जैसे बौनापन और अपरिवर्तनीय मानसिक विकलांगता हो सकते हैं। बचपन में, इससे शारीरिक विकास में बाधा आती है, घेंघा (गॉयटर) होता है और शिशु के जीवित रहने की संभाव्यता में कम रहती है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 200 मिलियन व्यक्तियों को आयोडिन के अभाव है और 71 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को गॉयटर व आयोडिन के अभाव से जुड़ी अन्य बीमारियां हैं (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2005)। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, आईसीएमआरए एम्स, एनआईएन, हैदराबाद, राज्य स्वास्थ्य निदेशालय और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा आयोजित जिला स्तरीय आईडीडी सर्वेक्षण के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 365 जिलों को कवर करते हुए किए गए सर्वेक्षण में से 303 जिलों में महामारी है जहां आयोडिन विकृति की व्यापकता 10 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार, कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आईडीडी से मुक्त नहीं है।

23.210. एनएफएचएस-3 के अनुसार, उन गृहस्थों में जिन्होंने अपने नमक का परीक्षण कराया था, आधे से कुछ ज्यादा (51 प्रतिशत) ही ऐसे नमक का प्रयोग कर रहे थे जिनमें आयोडिन की पर्याप्त मात्रा नहीं थी अथवा बिल्कुल नहीं थी। तथापि, सीईएस 2009 दर्शाता है कि आयोडिन नमक का घरेलू उपभोग बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है।

23.211. जिंक की कमी से भी बच्चों की वृद्धि कम रह जाती है। जिंक की कमी के परिणामस्वरूप भी बच्चों का विकास अवरुद्ध होता

है। जिंक की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता कमजोर होती है, अतिसार और निमोनिया जैसे संक्रमण की घटनाओं और उग्रता में वृद्धि होती है। इसलिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिंक अनुपूरक प्रबंधन युक्त ओआरएस के माध्यम से अतिसार प्रबंधन पर विचार किया गया है।

कुपोषण की दोहरी मार: अल्प पोषण और मोटापा

23.212. अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में कम, लेकिन प्रतिशत में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जिन्हें गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह और हृदय वाहिनी संबंधी रोग होने का अधिक जोखिम है, की बढ़ती प्रतिशत अति पोषण के इन स्तरों का स्वास्थ्य और उत्पादकता में काफी गिरावट आती है। तथापि, 1990 के दशक के दौरान (एनएफएचएस-3) इस स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। एनएनएमबी 2006 रिपोर्ट वर्ष 2000-01 में ग्रामीण पुरुषों (8 प्रतिशत बनाम 6 प्रतिशत) और महिलाओं (11 प्रतिशत बनाम 8 प्रतिशत) में अधिक वजन/मोटापे की व्यापकता में एक वृद्धि दर्शाती है। दूसरी ओर एनएफएचएस -3 में बताया है कि लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं और 12 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन/मोटापे से ग्रस्त हैं जिनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों में, अमीर घरों से और वृद्ध वयस्क हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

23.213. मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) में 1997-98 में प्रति 100,000 जीवित जन्म मातृ मृत्यु दर 400 से गिरकर 2004-06 में 254 (एसआरएसए 2009) से 212 (एसआरएसए 2011) होने का अनुमान है। हालांकि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के स्वास्थ्य के लक्ष्यों में ये उपलब्धियां नहीं हैं। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अभी भी बहुत अधिक है यानी शिशु मृत्यु दर 47 प्रति 1000 जीवित शिशु (वर्ष 2010 के लिए 2011 एसआरएसए)। 2010 के दौरान, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्यु दर 59 थी, जो 2009 में 5 अंक की गिरावट दर्शाता है जिससे काफी लैंगिक भेदभाव का पता चलता है, क्योंकि 2010 में प्रति 55 लड़कों के लिए 64 लड़कियां थी। (एसआरएसए सांख्यिकीय रिपोर्ट 2010, आरजीआई 2012)।

23.214. मातृ, नवजात, शिशु और बाल स्वास्थ्य पोषण की स्थिति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अल्प-पोषण के कैजुअल मैट्रिक्स में, महत्वपूर्ण निर्धारक तत्वों में स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ वातावरण और देखभाल के आदर्श-लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, और मनोवैज्ञानिक देखभाल शामिल है। इस बारे में जागरूकता बढ़ रही है कि बच्चों के पालन. पोषण संबंधी सांस्कृतिक

और व्यवहारात्मक आदतें, बच्चों के पोषण, अस्तित्व और विकास को प्रभावित करती है। इस तरह के रूप में स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप जैसाकि प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, आम नवजात और बाल रोगों जैसे तीव्र श्वसन संक्रमण, अतिसार की रोकथाम और प्रबंधन, अपेक्षित विटामिन ए और आईएफए पूरकता के साथ समय पर और पूर्ण प्रतिरक्षण, डिवर्मिंग और नियमित निगरानी, बाल वृद्धि और विकास से पोषण संबंधी परिणाम बेहतर होने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन यह काफी नहीं है (इस का विवरण स्वास्थ्य अध्याय में दिया गया है)।

23.215. बच्चों (1-6 वर्ष) में पोषक तत्व की खुराक: 1975 और 2006 के बीच में बच्चों में स्कूल पूर्व पोषक तत्वों की खुराक पर एनएनएमबी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अनुमानित आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले दो दशकों के दौरान उनके आहार का सेवन में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। बच्चों की ऊर्जा और प्रोटीन के सेवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। भोजन के अंतर पारिवारिक वितरण के समय रुझानों से संकेत मिलता है कि पिछले 30 वर्षों में ऐसे परिवारों का अनुपात 30 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत हो गया है, जहां दोनों वयस्क और स्कूल पूर्व बच्चों को पर्याप्त भोजन मिलता है। ऐसे परिवारों के अनुपात में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिनमें स्कूल पूर्व बच्चों को पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता, जबकि वयस्कों को पर्याप्त आहार मिलता है। ये आंकड़े शिशु और किशोर बच्चे की देखभाल और आहार संबंधी आदतों के सुदृढीकरण की आवश्यकता पर बल देते हैं। आईसीएमआर की विशेषज्ञ समिति ने भारतीयों के लिए आरडीए में संशोधन किया है (भारतीयों के लिए संस्तुत पोषण आवश्यकताएं और आहार भत्ते: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, 2010 के विशेषज्ञ समूह की एक रिपोर्ट)। संशोधित आरडीए को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया जाए कि सबला, एमडीएन और आईजीएमएसवाय जैसे विभिन्न भोजन पूरक कार्यक्रमों को इन कार्यक्रमों के पोषणिक की समीक्षा के समय विचार में लिया जाए।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के निगरानी योग्य लक्ष्यों की समीक्षा

23.216. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 2008 में भारत में पोषण संबंधी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद के गठन से पोषण को एक केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। इसकी पहली बैठक 24 नवम्बर 2010 को आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों में (1) आईसीडीएस योजना का सुदृढीकरण और पुनर्गठन; (2) चयनित उच्च प्रभावा वाले 200 जिलों में मां एवं शिशु कुपोषण से निपटने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय

कार्यक्रम लागू करना; (3) कुपोषण के खिलाफ एक देशव्यापी सूचनाए शिक्षा और संचार अभियान छेड़ना; (4) क्षेत्रगत कार्यक्रमों में पोषण पर अत्यधिक फोकस करना शामिल है।

23.217. इन निर्णयों की सूचना कार्यवाही संस्तुतियों द्वारा की गई जो अगस्त, 2010 में योजना आयोग द्वारा अवलंबित, भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर बहु हितधारक आश्रय से उभरा है।

23.218. 11वीं योजना के तहत पोषण को कम करने के लिए एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता को मिशन मोड में आईसीडीएस के सुदृढीकरण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को लागू कर और दो नई योजनाएं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आईजीएमएसवाई और किशोर युवतियों के लिए सबला, शुरू कर पूरा किया गया जैसाकि इस अध्याय के भाग 2 में ब्यौरा दिया गया है।

23.219. तालिका 23.2 में संक्षेप मूल्यांकन दिया गया है कि निर्धारित निगरानी-योग्य लक्ष्यों की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में क्या उपलब्धि रही।

महत्वपूर्ण विकासों की समीक्षा

23.220. 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख विकास में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं, जिनका पोषण परिदृश्य पर पर्याप्त असर पड़ा है:

ड्राफ्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011

23.221. विधेयक का लक्ष्य जनता को गरिमामयी जीवनयापन करने के लिए, सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित कर, मानव जीवन चक्र मार्ग में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। पोषण संबंधी प्रावधानों में शामिल हैं: अप्रत्यक्ष प्रावधान और अन्य विविध प्रावधान। प्रत्यक्ष प्रावधानों की सूची में अन्य के साथ-साथ गर्भवती व स्तनपान कराने वाले महिलाएं, 0-6 वर्ष के बच्चे, बेसहारा व्यक्ति, बेघर व्यक्ति, प्रवासी, आपातकाल और आपदा से प्रभावित व्यक्ति और भुखमरी से ग्रस्त व्यक्ति विशेष तौर पर आते हैं। 0-6 माह तक के शिशुओं को अनन्य स्तनपान भी एक अनिवार्य अधिकार है।

परिषोधित संस्तुत आहार भत्ता (आरडीए)

23.222. आईसीएमआर विशेषज्ञ समिति ने भारतीयों के लिए आरडीए (भारतीयों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकता और अनुशंसित आहार भत्ता: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञ समूह की

तालिका 23.2
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के निगरानी योग्य लक्ष्य और इसकी उपलब्धियां

क्र. सं.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के निगरानी योग्य लक्ष्य/ कार्यनीतियां	उपलब्धियां
1	0-3 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण में गिरावट कर इसे 46 प्रतिशत तक लाना	वर्तमान आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं
2	2012 के अंत तक महिलाओं व लड़कियों में एनिमिया में 50 प्रतिशत तक कमी	हाल के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं
3	2009 तक सभी को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराना और इस स्थिति में गिरावट न होना सुनिश्चित करना	पेय जल के उन्नत स्रोत 88 प्रतिशत लोगों की पहुंच के भीतर है। (एनएफएचएस-3)
4	आरसीएच (एनआरएचएच) के तहत आईएफए अनुपूरक कार्यक्रम में शिशुओं व तरुण बच्चों को कवर करने के लिए सिरप के रूप में आईएफए प्रदान करना और किशोर लड़कियों (10-19 वर्ष) को साप्ताहिक लौह अनुपूरक देना।	इस संबंध में नीति तैयार कर ली गई है। कवरेज की सीमा के संबंध में हाल में कोई अध्ययन नहीं कराया गया। किशारियों हेतु योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।
5	9 माह से 5 वर्ष आयु-वर्ग के सभी बच्चों को कवर करने के लिए विटामिन ए अनुपूरक खुराक कार्यक्रम और वर्तमान निम्न कवरेज में कमी लाकर 2009 तक 90 प्रतिशत करना।	वर्तमान आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।
6	स्तनपान को बढ़ावा और समुदाय में फलों व सब्जियों के उपभोग को प्रोत्साहन, पर्यावरणीय साफ- सफाई व स्वास्थ्यकर स्थितियां (हाइजीन)	डीएलएचएस 3 में दिए गए आंकड़े एक घण्टे के अंदर स्तनपान शुरू कराने की दरों में सुधार दर्शाते हैं (एनएफएचएस-2 के अनुसार 24.5 प्रतिशत और (एनएफएचएस-3 तक 40.2 प्रतिशत)।
7	सूक्ष्म पोषण कुपोषण नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता, विशेषकर एनिमिया को ठीक करने के लिए।	दोहरी संपुष्टि वाला नमक पेश किया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण प्रदान करने की यह योजना तैयार की है।
8	सूक्ष्म पोषण के अभाव की व्यापकता की प्राथमिकता तौर पर निगरानी के लिए आरसीएच कार्यक्रम का डीएलएचएस	इस संबंध में सीमित प्रगति है।
9	आईसीएमआर की राष्ट्रीय पोषण मॉनीटरिंग ब्यूरो (एनएनएमबी) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा।	इस संबंध में सीमित प्रगति है।
10	सूक्ष्म पोषक तत्वों में अंतःक्रियाए अभाव में प्रादेशिक भिन्नता आदि के संबंध में प्रमाण एकत्र करने के लिए अध्ययन करना।	इस संबंध में सीमित प्रगति है।
11	प्रबल जागरूकता अभियान	कुपोषण के खिलाफ प्रबल आईईसी अभियान पर सक्रिय तौर पर विचार किया जा रहा है।

रिपोर्ट, 2010) को संशोधित किया है। सिफारिशों में इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि शरीर के वजन और शारीरिक गतिविधि, ऊर्जा की आवश्यकता के प्रमुख निर्धारक हैं। इसी प्रकार, विशेषज्ञ समिति ने बच्चों के संदर्भ के साथ-साथ प्रति किलोग्राम ऊर्जा आवश्यकता को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सिफारिशों की हैं ताकि वर्तमान स्तर के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा के उपभोग के बीच अंतर की गणना की जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि देश ने पोषण की दोहरी मार के युग में प्रवेश किया। संशोधित आरडीए के मद्देनजर, यह ध्यान दिया जाए कि विभिन्न खाद्य अनुपूरण कार्यक्रम जैसे सबला, एमडीएमए और आईजीएमएसवाई को इन कार्यक्रमों के पोषण मानदंडों की समीक्षा करते समय इस पर विचार करने की जरूरत होगी।

23.223. विभिन्न क्षेत्रगत नीतियों व कार्यक्रमों में पोषण पर प्रबल फोकस करना: प्रासंगिक कार्यक्रमों में एक मजबूत पोषण तंत्र की नियमित बहु क्षेत्रीय समीक्षा शुरू करना एक और मील का पत्थर था, जिसकी शुरुआत 2010 के मध्य में योजना आयोग द्वारा की गई। विभिन्न मंत्रालयों ने उन्मुख कार्यवाही करने के लिए अपनी प्रतिवद्धता जताई है। इन्हें बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पोषण हेतु नवीनकृत राष्ट्रीय कार्य-योजना के केन्द्र बिंदु बनना होगा जिसमें विनिर्धारित क्षेत्रगत परिणाम और संकेतक होंगे।

23.224. यह एक निदर्शन उदाहरण है कि इस पहल ने पोषण और बालिका हेतु पंचायती राज संस्थानों के नेतृत्व की लामबंदी किस प्रकार की गई। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों को पीआरआई

के प्रशिक्षण में पोषण को मुख्यधारा में लाने को कहा है – विशेषकर, कुपोषण मुक्त पंचायतों के लिए, कुछ वार्ड उनके लिए चिह्नित करते हुए महिला पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए। हर ग्राम पंचायत में अगस्त माह में पोषण के लिए समर्पित एक विशेष ग्राम सभा बैठक आयोजित करनी होती है। आंगनवाड़ी स्तरीय निगरानी के माध्यम से आईसीडीएस कार्यक्रम को भी सक्रिय रूप से निगरानी करने और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियों के माध्यम से प्रमुख सहायता समितियों तथा प्रमुख कार्यक्रमों (एनआरएचएम, आईसीडीएस, टीएससी) के लिए पंचायती राज संस्थाओं को भी योग्य बनाया जा रहा है।

23.225. पोषण अभिसरण, पंचायती राज संस्थाओं में अवलंबित, हेतु स्थापित ग्राम स्तर संस्थागत तंत्र: पोषण और आईसीडीएस को मिलाने के लिए ग्राम पंचायतों की उप-समितियों के उप-हब के तौर पर जानी जाने वाली ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण समितियां बनने के लिए जुलाई, 2011 में एनआरएचएम ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का विस्तार किया। ऐसी 4.97 लाख समितियां हैं जिनसे एनआरएचएम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान और आईसीडीएस के अभिसरण के लिए ग्राम स्तर पर संस्थागत तंत्र के साथ ही पेय जल भी उपलब्ध होगा। बारहवीं योजना में ब्लॉक और जिला स्तर पर इन को सदृश तंत्र से जोड़ना अगला उपाय होगा।

23.226. विश्व स्वास्थ्य संगठन के वृद्धि मानकों को अपनाया जाना वर्ष, 2007 में विकसित राष्ट्रीय सहमति के आधार पर, एक अन्य कीर्तिमान है। तरुण बच्चों की वृद्धि और विकास की निगरानी और बढ़ावा देने के लिए इन्हें 2008 के मध्य में आईसीडीएस के साथ ही एनआरएचएम तहत शुरू किया गया था। डब्ल्यूएचओ बाल विकास मानक अधिकार आधारित और लिंग विनिर्दिष्ट हैं। इन नियामक मानकों को स्तनपान शिशु के स्वस्थ विकास के लिए आदर्श माना गया है। जैसाकि प्रत्याशित था, मानकों और वर्गीकरण में प्रयुक्त इस परिवर्तन (एनसीएचएस मानकों से- आईएपी वर्गीकरण से डब्ल्यूएचओ मानक 2006) के परिणामस्वरूप अत्यधिक अल्प-पोषित बच्चों की संख्या अत्यधिक और 0-6 माह के शिशुओं में अल्प-पोषण की व्यापकता उच्चतर होने का अनुमान है।

23.227. यह पुनः दोहराने की जरूरत है कि कार्यक्रम में अत्यधिक अल्प-पोषित बच्चों का बताए गए प्रतिशत का आंकड़ा बच्चों की स्थिति के बेहतर होने की अपेक्षा प्रयुक्त मानकों/वर्गीकरण में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है। एनएफएचएस/अन्य सर्वेक्षणों और पूर्व में आईसीडीएस द्वारा पहले प्रयुक्त हार्वर्ड मानकों (आईएपी वर्गीकरण)

द्वारा प्रयुक्त एनसीएचएस मानकों से डब्ल्यूएचओ बाल विकास मानकों में परिवर्तन से विभिन्न प्रणालियों में प्रयुक्त मानकों के सामंजस्य और अद्यतन, दोनों में मदद मिली है। इस रवैये को इस अद्यतन और सामंजस्य प्रक्रिया से पूर्व प्रयुक्त विकास के विभिन्न मानकों/वर्गीकरण के परिदृश्य में समझने की आवश्यकता है कि आईसीडीएस के आंकड़े एनएफएचएस के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

राष्ट्रभर में मां और बच्चे, दोनों के संयुक्त कार्ड की शुरुआत:

23.228. मार्च, 2010 में आईसीडीएस और एनआरएचएम द्वारा संयुक्त कार्ड की शुरुआत एक अन्य कीर्तिमान था, जो मां और तीन वर्ष की आयु तक के बच्चों तक पहुंच पर कार्यनीतिक फोकस और बाल स्वास्थ्य और विकास के प्रति सर्वांगीण मार्ग की ओर संकेत करता है। मातृ एवं शिशु देखभाल पात्रता कार्ड, जो इससे वंचित वर्गों द्वारा स्वास्थ्य (एनआरएचएम) और बाल देखभाल (आईसीडीएस) सेवाओं की मांग और पहुंच बनी है, इसे वर्तमान में अभी तक आईसीडीएस की 7076 परियोजनाओं में से 6305 में रोल आउट किया गया है। यह एक परामर्श उपकरण है – जिससे परिवार की देखभाल संबंधी आदतों में सुधार आया, देखभाल की निरंतरता को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बिंदुओं का प्रयोग किया गया और माँ – बच्चे की संयुक्त ट्रेकिंग को आसान बनाया गया। यह कार्ड मातृ, नवजात और बच्चे की देखभाल को जोड़ने, स्वास्थ्य, पोषण और विकास को एकीकृत करने और इसके द्वारा किशोर बच्चों के आधार आधारित और एकीकृत मार्ग पर बल देने वाला एक अनूठा कार्ड है जो बाल अधिकारों की अविभाज्यता को मान्यता प्रदान करता है और परिवारों का सशक्तीकरण करता है। यह कार्ड जेएसवाई पंजीकरण संख्या एवं जन्म पंजीकरण संख्या के प्रयोग (भविष्य में इसे यूआईडी के साथ जोड़ने की संभावना सहित) को बढ़ावा देता है। यह किशोर बालिका की उत्तम देखभाल सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप तीव्र करने हेतु लैंगिक असंचयी ट्रेकिंग को भी समर्थ बनाता है।

शिशु दुग्ध प्रतिस्थानापन्न, आहार बोटलें और खाद्य (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 1992 और इसका संशोधन अधिनियम, 2003

23.229. आईएमएस अधिनियम के नाम से विख्यात, स्तनपान को बढ़ावा, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करने वाला और उत्तम शिशु व किशोर बाल पोषण विधियां सुनिश्चित करने वाला वैश्विक तौर पर सु-विख्यात साधन है। 2003 में संशोधन के बाद, आईएमएस के लिए प्रत्यक्ष विज्ञापन बंद कर दिया गया। तथापि, शिशु और किशोर

बाल पोषण विधियों व विकास संबंधी दावे के साथ-साथ गुप्त तरीके से वाणिज्यिक हस्तक्षेप अभी भी जारी हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनियों द्वारा संगोष्ठी व प्रायोजन के नाम पर संगोष्ठियों और स्वास्थ्य देखभाल व अन्य शिक्षा प्रणालियों के प्रोत्साहन हेतु गुप्त उपकरणों के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। अधिनियम का कार्यान्वयन प्रवर्तन मशीनरी, अधिनियम की समझ और जानकारी के पर्याप्त न होने, अपर्याप्त संसाधन और व्यावसायिक हमलों से प्रभावित है। इनके लिए उचित विनियमन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी।

23.230. प्रभावी अनुपालन के लिए स्वास्थ्य और आईसीडीएस प्रणाली, दोनों में राज्य/ जिला स्तर पर शीर्ष अधिकारियों सहित अधिक संसाधन, प्रवर्तन मशीनरी और संस्थागत तंत्र जैसे राष्ट्रीय/राज्य स्तनपान और आईवाईसीएफ समितियां अपेक्षित हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान हुआ अनुभाव रेखांकित करता है कि शिशु और किशोर बाल पोषण प्रथाओं के साथ व्यावसायिक हस्तक्षेप में कमी लाने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय भी स्थापित करने की जरूरत है।

पोषण पर कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रीय पोषण नीति और राष्ट्रीय योजना (एनपीएएन)

23.231. राष्ट्रीय पोषण नीति की तरह, एनपीएएन के कार्यान्वयन के लिए तेजी की आवश्यकता होगी। कुछ राज्यों में राज्य पोषण परिषदें स्थापित की गईं और कुछ राज्यों ने राज्य विनिर्दिष्ट कार्य-योजनाओं शुरू की थी। नीति और कार्यक्रम के वातावरण में आए परिवर्तनों के मद्देनजर, एनपीएएन और राज्य द्वारा की गई कार्यवाही और अन्य क्षेत्रगत संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे एनआरएचएम मिशन संस्थाओं अथवा राष्ट्रीय/राज्य खाद्य आयोगों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है यदि इनकी स्थापना एनएफएसबी को तैयार करने के समय हुई है। स्थापित कर रहे हैं की जरूरत है मसौदा एनएफएसबी जब अधिनियमित है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि पोषण संबंधी हस्तक्षेप का नियोजन और कार्यान्वयन राष्ट्रीय नीतिगत रूपरेखा के अनुसार किया जाता है।

एनिमिया नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए दोहरा संपुष्ट नमक

23.232. बहु क्षेत्रीय परामर्श के अनुसरण के तौर पर सरकार के खाद्य अनुपूरण कार्यक्रमों जैसे आईसीडीएस और मिड डे मिल, अन्य के साथ-साथ, में रोग निरोध और पोषण एनीमिया के नियंत्रण हेतु हस्तक्षेप को सुदृढ़ करने के लिए, दोहरे संपुष्ट नमक (डीएफएस) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया था।

विद्यमान कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा

23.233. भारत सरकार, ऐसे बहुत से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जिनमें पोषण, पोषण सुरक्षा में सुधार में योगदान करने की क्षमता है, क्योंकि वे कुपोषण के बुनियादी कारणों को रेखांकित करते हुए, कुपोषण-विशेषकर मां और बच्चे का अल्प पोषण का निवारण करती हैं। जीवन चक्र में विभिन्न वर्गों के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों की संकेत सूची, इस संकेत सहित कि उनका विस्तार कब किया गया, तालिका 23.3 पर दी गई है।

23.234. पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं में, मातृत्व और बाल देखभाल और किशोर युवतियों की देखभाल आते हैं। इनमें एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तीकरण (आरजीएसईएजी)— सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आईजीएमएसवाई शामिल हैं, जिन पर इस अध्याय के भाग 2 में पहले चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, निम्न से संबंधित कार्यक्रम भी उल्लेखनीय हैं—

- मातृत्व और शिशु देखभाल जैसे आईसीडीएस, आईजीएमएसवाई, और किशोर लड़कियों के लिए सबला तक पहुंच।
- स्वास्थ्य सेवा जैसे एनआरएचएम तक पहुंच।
- सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और पूर्ण स्वच्छता अभियान तक पहुंच।
- गृहस्थ खाद्य सुरक्षा और अनुपूरक कार्यक्रमों तक पहुंच जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, लक्षित जन वितरण प्रणाली, मिड डे मील योजना।
- कृषि, पशु-पालन, और बागवानी संबंधी कार्यक्रम।
- गरीबी उपशमन, आजीविका और कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम जैसे मनरेगा, और एनआरएचएम।
- सर्व-शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, बालिका शिक्षा अभियान, महिला साक्षरता और सशक्तीकरण और युवा-वर्ग पहल, सूचना अभियानों के माध्यम से शिक्षा, सूचना और संप्रेषण तक पहुंच।
- पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व सहित सामाजिक और सामुदायिक लामबंदी।
- समुदाय के विभिन्न असुरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य के साथ-साथ विशेष रूप से अतिअसुरक्षित जनजातीय समूहों और अल्पसंख्यकों हेतु लक्षित विकास हस्तक्षेप।
- बारहवीं योजना के संबंधित क्षेत्रगत अध्यायों में इन पर चर्चा की गई है।

तालिका 23.3
वर्तमान कार्यक्रम योजनाएं

लक्ष्य वर्ग	योजनाएं	विस्तार
गर्भवती महिलाएं और दुग्धपान कराने वाली माताएं	आईसीडीएसए आरसीएच -2, एनआरएचएम, जेएसवाई, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना (आईजीएमएसवाई) - सीएमबी योजना	एनआरएचएम (2005-06) जेएसवाई (2006-07) आईसीडीएस (2008-09)
बच्चे 0-3	आईसीडीएसए आरसीएच -2, एनआरएचएमए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना	आरजीएनसीएस (2005-06) आईसीडीएस (2008-09)
बच्चे 3-6	आईसीडीएसए आरसीएच -2, एनआरएचएम, राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना, पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), राष्ट्रीय ग्राम पेय-जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	टीएससी (2008-09)
विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे 6-14	मिड डे मील (एमडीएम), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	एसएसए (2002/2005-06) एमडीएम (2008-09)
किशोर लड़कियां 11-18	राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तीकरण योजना (आरजीएसईएजी), किशोरी शक्ति योजनाए पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), राष्ट्रीय ग्रामीण पेय-जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	एनआरडीडब्ल्यूपी (2010) आरजीएसईएजी (2010-11)
वयस्क और समुदाय	एमजीएनआरईजीएस, कौशल विकास मिशन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, टीपीडीएस, एएवाई, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्ति अन्नपूर्णा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य सुरक्षा मिशन, सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय आयोजन विकृति नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीपी), पोषण शिक्षा और विस्तार, भारत निर्माण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	एनएचएम (2005-06) एमजीएनआरईजीएस (2005-06) एनआरएलएम (2010-11) एनआईडीडीपी (1992) आरएसबीवाई (2007) भारत निर्माण (2005)

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्यनीतियां

23.235. भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के बारे में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक के निर्णय बारहवीं योजना का मार्गदर्शन करते हैं और यह इस प्रकार हैं:

- क गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष के कम आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए आईसीडीएस के सुदृढीकरण और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। आईसीडीएस को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान और पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रबल संस्थागत अभिसरण करने की भी आवश्यकता है, विशेषकर जिला और ग्राम स्तर पर। इसके लिए स्थायी कार्रवाई को लचीलापन प्रदान किए जाने और कार्यक्रम पर कुछ पकड़ रखने के लिए विशेषकर माताओं और सामान्य तौर पर समुदाय का सशक्तीकरण किए जाने की जरूरत है।
- ख चयनित 200 अत्यधिक ग्रस्त में मातृ एवं शिशु कुपोषण से निपटने के लिए बहु - क्षेत्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम से राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर

पर मजबूत संस्थागत और कार्यक्रम अभिसरण के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम एक साथ आएंगे।

- ग कुपोषण के खिलाफ एक देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया जाएगा।
- घ जो मंत्रालय कि स्वास्थ्य, पेयजल-आपूर्ति और स्वच्छता, स्कूल शिक्षा, कृषि और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण का कार्य करते हैं, अपने कार्यक्रमों में पोषण पर अत्यधिक फोकस करेंगे।

23.236. बहु क्षेत्रीय हस्तक्षेप की परिकल्पना की गई है जैसाकि पिछले भाग में दिया गया है, विभिन्न क्षेत्र कुपोषण के विभिन्न निर्धारक- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हैं जिससे वे पोषण के परिणामों में सुधार हेतु योगदान करते हैं। ऐसा मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं तक अधिक पहुंच, देखभाल के तरीकों में सुधार, स्वास्थ्य सेवा, जल, स्वच्छता और हाइजीन, घरेलू खाद्य सुरक्षा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि, गरीबी उन्मूलन तथा आजीविका, शिक्षा और संचार और समुदाय के समर्थन के लामबंदी द्वारा किया जा सकता है। अतः बारहवीं योजना में बहु- क्षेत्रीय कार्रवाई को प्राथमिकता प्रदान की गई है जो संबंधित क्षेत्र के अध्यायों में प्रतिबिंबित है। इस भाग में इस

रूपरेखा पर फोकस किया गया है कि ऐसे बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप और प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेप मातृत्व और शिशु संबंधी पोषण परिणामों और निगरानी योग्य लक्ष्यों को अभिसारित करेंगे।

23.237. इन व्यापक दिशा-निर्देशों के आधार पर बारहवीं योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों पर नीतिगत नियोजन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए –

पोषण हेतु बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप

23.238. बारहवीं योजना में राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति, भारत की पोषण चुनौतियों; बहु-क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं (योजना आयोग द्वारा बुलाई गई समीक्षा से उभरी) संबंधी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद के निर्णयों; योजना आयोग द्वारा आश्रित बहु-हितधारक पोषण आश्रय की कार्यवाही हेतु संस्तुतियों (अगस्त, 2010) और इस प्रक्रिया के जरिए तैयार संयुक्त कार्यनीति पर आधारित होगी। इसमें कार्रवाई की बहु-क्षेत्रीय राज्य/जिला पोषण योजना की परिकल्पना की गई है जिसका विकास, कार्यान्वयन और निगरानी राष्ट्रीय/राज्य/जिला पोषण परिषद द्वारा किया जाएगा, विशेषकर अधिक ग्रस्त/अधिक फोकस वाले राज्यों/जिले में प्रमुख प्रतिबद्धताओं को राज्य के समझौते ज्ञापन के तौर पर शामिल किए जाएंगे, जिससे सभी पार्टियां निगरानी योग्य परिणाम के लिए बाध्य हो जाएंगी। राष्ट्रीय/राज्य/जिला पोषण परिषदों के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास परिषद की उप-समिति द्वारा पोषण के निगरानी योग्य लक्ष्यों एवं परिणामों की आवधिक समीक्षा की जाएगी।

23.239. राष्ट्रीय पोषण नीति और पोषण हेतु राष्ट्रीय कार्य-योजना के निगरानी योग्य लक्ष्य, कार्यनीतियां और हस्तक्षेपों को नीतिगत दिशा-निर्देशों के मद्देनजर अद्यतन किया जाएगा। पोषण हेतु अद्यतन राष्ट्रीय कार्य-योजना (एनपीएएन) को बारहवीं योजना के अनुसार बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य भी मातृत्व, नवजात, शिशु और बाल मृत्यु दर और परस्पर अल्प-पोषण को संबोधित करते हुए बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप को मजबूत बनाना है— विशेषकर, एनआरएचएम के तहत 264 उच्च फोकस वाले जिलों को जोड़ते हुए 200 उच्च जोखिम वाले जिलों में।

क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए पोषण पर प्रबल फोकस करना

23.240. योजना आयोग द्वारा 2010-2012 में बहु-क्षेत्रीय समीक्षा पर निर्मित, पोषण घटक को बारहवीं योजना में क्षेत्रगत कार्यनीतियों, क्षेत्रीय परिणाम रूपरेखा दस्तावेजों, 5 वर्षीय कार्यनीति योजना और संबंधित ध्वजारोह कार्यक्रमों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के माध्यम से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और ध्वजारोह कार्यक्रमों में

प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में पोषण घटक को विशेष रूप से मजबूत बनाया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर की समीक्षा में 3 वर्ष से कम आयु (अल्प भारत व्यापकता) के तहत बच्चों के पोषण की स्थिति को अग्रणी प्रॉक्सी सूचक के रूप में प्रयोग किया जाएगा और विशेषकर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और आईसीडीएस के लिए।

23.241. ग्यारहवीं योजना में निदर्शनात्मक उदाहरण प्रदान करने के लिए – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) ने सभी तक समान योग्य, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाकर में पर्याप्त प्रगति की है जिसने पोषण के उन्नत परिणाम प्राप्त करने में सहयोग मिला है। एनआरएचएम और अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र संगठनों के तहत बहुत-सी स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, जिनमें शामिल है (1) प्रतिरक्षा कार्यक्रम; (2) नवजात की देखभाल; अतिसार व तीव्र श्वसन संक्रमण, सहित नवजात व शिशु को होने वाले आम रोगों की रोकथाम और प्रबंधन; (3) बीमार बच्चे की देखभाल – सामुदायिक स्तर पर आशा के माध्यम से और संस्थागत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के माध्यम से; (4) विटामिन ए प्रदान करना; (5) एनिमिया प्रबंधन और पेडियाट्रिक डि-वॉर्मिंग; (6) निगरानी में साप्ताहिक आईएफए अनुपूरक और छमाही डि-वॉर्मिंग वाले विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम; (7) पोषण पुनर्वास केन्द्र – बीमार और गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए; (8) किशोरों के स्वास्थ्य कार्यक्रम जिनमें पोषण संबंधी परामर्श और एनिमिया का निदान किया जाता है; (9) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना – जो अब जेएसवाई का हिस्सा है, और (10) पोषण अनुपूरक हेतु राज्य विनिर्दिष्ट कार्यक्रम जैसे कि तमिलनाडु में मुथ्युलक्ष्मी मातृत्व लाभ योजना और आन्ध्र प्रदेश में वेलुगु कार्यक्रम और (11) सार्वभौमिक लवण आयोडीनीकरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम। इन हस्तक्षेपों का विवरण स्वास्थ्य संबंधी अध्याय और अन्य भागों में दिया गया है।

संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढीकरण/पुनः सक्रिय बनाना

23.242. पोषण एक जटिल मुद्दा है जो प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। वर्धित पोषण परिणामों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों, दोनों के प्रभावी कवरेज के लिए संस्थागत तंत्र के साथ-साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन मंच की अनिवार्य आवश्यकता है। राष्ट्रीय पोषण नीति में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के प्रावधान हैं। जबकि कुछ राज्यों में इन संस्थागत व्यवस्थाओं ने कार्य करना शुरू कर दिया है, कुछ में यह पूरी तरह कार्यन नहीं कर रही हैं, विशेषकर जिला और उप-जिला स्तर पर। राष्ट्रीय पोषण मिशन

से संबंधित व्यापक संस्थागत तंत्र के सुदृढीकरण/पुनः सक्रियकरण और आईसीडीएस पुनर्निर्माण के तहत संस्थागत व्यवस्थाओं के साथ सहक्रियाशील लिंकेज सुनिश्चित करने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ये इस प्रकार है:

23.243. राष्ट्रीय स्तर: प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय पोषण परिषद के निर्देशन और नीतिगत दिशा-निर्देशों के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली कार्यपालक समिति (जो आईसीडीएस राष्ट्रीय मिशन विषय निर्वाचन समूह के समान होगी) पोषण संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देखेगी और इनका समन्वय करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली इस कार्यपालक समिति में कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों सहित रोटेशन आधार पर विभिन्न मंत्रालयों से प्रधान सचिव, और सचिव के साथ-साथ सदस्य, योजना आयोग (महिला एवं बाल विकास प्रभारी) उपाध्यक्ष के पद पर होंगे। संचालन स्तर पर, बहु-क्षेत्रीय अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए सचिव-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता और विभिन्न मंत्रालयों से प्रतिनिधियों वाली एक सशक्त समिति पोषण के संबंध में बहु-क्षेत्रीय नीतियों व कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में दिशा-निर्देश करेगी। यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर अभिसरण भी सुनिश्चित करेगी और इसकी रिपोर्ट कार्यपालक समिति (और इसके द्वारा प्रधानमंत्री परिषद) को देगी। इस परिषद को अंतर-क्षेत्रीय पोषण फोकस और उत्तरदायित्व लाने के लिए योजना आयोग में नीति समन्वय इकाई और सुदृढीकृत खाद्य एवं पोषण बोर्ड (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की तकनीकी सहायता भी प्राप्त होगी।

1. **राज्य स्तर:** प्रधान सचिव की अध्यक्षता में मुख्य मंत्री की राज्य पोषण परिषद और राज्य कार्यपालिका समिति राज्य स्तर पर अभिसरण कार्रवाई का दिशा-निर्देश करेगी।
2. **जिला स्तर:** संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला परिषद की अध्यक्षता वाली जिला पोषण परिषद जिला स्तर पर अभिसरण कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगी।
3. **ग्राम स्तर:** ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों में स्वास्थ्य प्रतिनिधि, आईसीडीएस, टीएससी के गण्यमान्य व्यक्ति, प्रयोक्ता समूह और पीआरआई होंगे, जिन्हें ग्राम पंचायत के सब-हब के तौर पर मान्यता प्राप्त है। वे एकल कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा के साथ ही बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई में अभिसरण के लिए भी उत्तरदायी होंगे, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को आर्बिट्रि विषयों के संदर्भ में पोषण संबंधी परिणामों को प्रभावित करती है।

4. **आवास योग्य स्तर:** आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर, आंगनवाड़ी निगरानी और सहायता समिति (एएलएमएससी), माताओं के समूह/महिला स्व सहायता समूह की प्रतिनिधियों सहित, अभिसरण कार्रवाई की निगरानी करेंगे और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करने हेतु सुझाव देंगी।
5. **शहरी संदर्भ में:** शहर/नगर/वार्ड की श्रेणी के आधार पर सदृश संस्थागत व्यवस्था की जाएगी और यूएलबी के चयनित प्रतिनिधियों से आस पास की समितियों का गठन किया जा रहा है।

23.244. सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता वाले आईसीडीएस पुनर्निर्माण अंतर-मंत्रालयी समूह में उपरोक्त रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया है और सहमति बनी। पोषण हेतु संस्थागत तंत्र के संदर्भ में, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों सहित, आईसीडीएस मिशन और निगरानी संरचनाओं वाली सदृश व्यवस्था को सह-संबद्ध किया जाएगा।

अल्प-पोषण के निर्धारक तत्वों पर कार्यवाही को गति देने हेतु बहु-क्षेत्रीय मार्ग

23.245. जैसा कि पूर्व में बताया गया है, राष्ट्रीय पोषण नीति में अल्प-पोषण की बहुमुखी समस्या से निपटने के लिए 14 क्षेत्रों (जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आहार-सेवन, रोग/संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन और जनता के पोषण की स्थिति को प्रभावित करते हैं) के बीच व्यापक अंतर-क्षेत्रीय कार्यनीति की संस्तुति की गई है। लामबंदी के क्षेत्रों की संख्या अब बढ़कर लगभग 20 हो गई है। एनएनपी के तहत परिकल्पित कार्यनीति संवेदरशील समूहों हेतु प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेपों के साथ ही विभिन्न विकास नीति साधनों के माध्यम से पोषण की समस्या से निपटना है जिससे बेहतर पहुंच होगी और पोषण की बेहतर दशाएं उत्पन्न होंगी। किसी एक क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, दोनों हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते। एक ऐसी व्यापक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है जो कुपोषण की बहु और अंतर-संबंधित निर्धारक तत्वों और पोषण की चुनौतियों की विभिन्न आयामों को सहक्रियात्मक रूप में समाधान करे। ऐसा करने के लिए, बारहवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित पर फोकस किया जाएगा।

23.246. चयनित २०० अत्यधिक ग्रस्त जिलों में मातृत्व एवं शिशु कुपोषण के निराकरण हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम: जैसाकि भारत की पोषण चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद द्वारा मंडेट दिया गया है, 200 अत्यधिक ग्रस्त जिलों में बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहु क्षेत्रीय पोषण

कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों से बनाया गया है (1) अल्प-पोषण को शीघ्रातिशीघ्र रोकने और कम करने के लिए पूरे जीवन चक्र में असुरक्षित आयु-समूहों (गर्भधारण, स्तनपान करना, शिशु और आरंभिक बाल्यकाल, किशोरावस्था) पर फोकस कार्रवाई, (2) अभिसरण को सरल बनाकर कुपोषण के प्रमुख अंतर्संबंधित निर्धारक तत्वों का समाधान; (3) स्थानीय लचीलापन प्रदान करना, अभिसरण कार्रवाई के प्रायोगिक और प्रवर्तन पंचायत मॉडलों को सहायता मुहैया कराना और (4) कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित जिलों पर फोकस करना, ताकि मातृत्व और बाल अल्प-पोषण में गिरावट में तेजी लाई जा सके। इसे एनआरएचएम द्वारा उच्च फोकस वाले जिलों में माताओं, नवजात, शिशु और किशोर बाल मृत्यु दर में कमी से भी जोड़ा जाएगा।

23.247. इसका डिजाइन और कार्यान्वयन महत्वपूर्ण सेवाओं और हितधारकों के अभिसरण की सुविधा के लिए किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करने और प्रभावी संस्थागत व्यवस्था से एकीकृत तरीके में अल्पपोषण के विभिन्न निर्धारक तत्वों को संबोधित करने के संबंध में महिलाओं और बच्चे की देखभाल सेवाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, सेवा के तौर पर पोषण संबंधी परामर्श, परिवारों और समुदायों में देखभाल व भोजन की परिवर्तनशील व्यवहारों तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। यह किशोर लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजनाएँ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, एनआरडीडब्ल्यूपी, एनआरएलएम और अन्य से बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप का अभिसरण करेगी। यह एडब्ल्यूडब्ल्यू, आशा, एएनएम, आईसीडीएस और एनआरएचएम पदाधिकारियों के मजबूत टीम वर्क से मातृ एवं शिशु अल्पपोषण के समाधान हेतु राज्य, जिला, और जमीनी स्तर समन्वित पोषण प्रासंगिक कार्रवाई का एक मंच, पंचायती राज संस्थाओं के नेतृत्व में महिला/समुदाय समूहों और नेतृत्व की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

23.248. मातृ एवं शिशु कुपोषण के समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि पोषण संबंधित परिणामों को केवल संबंधित क्षेत्र की योजनाओं में ही एकीकृत न किया जाए वरन यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए समुचित संसाधन आबंटित किए जाएं। जिला/राज्य पोषण योजनाओं के आधार पर ज्ञात आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय अंतराल को पाटने के लिए निधि मुहैया कराई जाएगी और जिला/राज्य पोषण

परिषद द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राज्य पोषण योजनाओं के आधार पर अनुमोदन एवं बजट जारी करने हेतु सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया जाएगा।

23.249. बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से अभिसरण प्रचालित करना: ऐसे कई कार्यक्रम और योजनाएँ हैं जिनका लक्ष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पोषण से संबंधित परिणामों को प्रभावित करना है। प्रोग्रामेटिक, विषयगत, संचालन और संस्थागत स्तर पर अभिसरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों में अधिक संगतता लाने की आवश्यकता है।

कुपोषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान की लामबंदी

23.250. कुपोषण के खिलाफ एक ठोस सामाजिक अभियान शुरू किया जाएगा, जो बच्चों व महिलाओं के पोषण और विकास के लिए एक जन-आंदोलन को जन्म देगा। एक राष्ट्रीय संचार कार्यनीति रूपरेखा (राज्य/जिला स्तर पर संदर्भिकरण/अनुकूलन सहित) विकसित किया जाएगा। इसमें एक संस्तुति कार्यनीति भी होगी जिससे पोषण हेतु आवश्यक प्राथमिकता और मीडिया के लिए वातावरण तैयार होगा; एक ऐसी सामाजिक लामबंदी कार्यनीति जिससे क्षेत्र स्तर पर देखभाल संबंधी प्रमुख व्यवहारों के संबंध में संयुक्त कार्रवाई और व्यवहारात्मक विकास कार्यनीति हेतु समुदाय और संसाधनों की लामबंदी होती है।

23.251. कुपोषण के खिलाफ योजना आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा समन्वित एक राष्ट्रव्यापी संप्रेषण अभियान चलाया जाएगा।

23.252. तकनीकी ज्ञान, अनुभवात्मक सीख का आदान-प्रदान करने, पोषण संघी जागरूकता और समुदाय आधारित निगरानी हेतु स्वैच्छिक कार्यवाही वाले सिविल सोसायटी संगठनों, पेशेवर नेटवर्क, स्वयं सहायता समूह, गृह विज्ञान, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य कॉलेजों, चिकित्सकों, सामुदायिक समूहों के साथ कार्यनीतिक और लिंकेज सहित एक सामाजिक लामबंदी या सामाजिक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

23.253. आईसीडीएस और एनआरएचएम टीम से कौशल परामर्श सहायता के माध्यम से परिवर्तनशील और स्थायी सकारात्मक देखभाल व्यवहार महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें संयुक्त आईसीडीएस एनआरएचएम

जच्चा-बच्चा सुरक्षा कार्ड बन जाने पर एक साझा मूल परामर्श का प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक भूमिका वाली मॉडल माताओं को स्नेह शिविरों के माध्यम से सामुदायिक/मातृ-समूहों को देखरेख और भोजन विधियों का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्यनीति में देखरेख व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाएगा जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, लड़कियों और महिलाओं की देखभाल, मनोवैज्ञानिक देखरेख और आरंभिक सीख, उन्नत लालन-पालन के लिए सहायता, अभिभावकों व पारिवारिक सहायता, दोनों के साझा उत्तरदायित्व की सहायता।

23.254. राष्ट्रीय/राज्य संचार कार्यनीतियों से भी प्रमुख स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल सेवाओं के उपयोग और निगरानी भी मांग में इजाफा होगा और यह समग्र रूप में बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम, आईसीडीएस पुनर्गठन और एनआरएचएम के तहत सेवा की गुणवत्ता में सुधार के उपायों के साथ संबद्ध हो जाएगा। संचार कार्यनीति के व्यवहारात्मक परिणामों की निगरानी पोषण के संबंध में संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी।

सर्वश्रेष्ठ मातृ, शिशु और किशोर बच्चा देखरेख और पोषण व्यवहार

23.255. सर्वश्रेष्ठ शिशु और किशोर बाल पोषण (आईवाईसीएफ) व्यवहार बाल देखरेख और विकास की आधारशिला है। स्तनपान के काफी ज्ञात फायदों और स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कुछ अभियानों के बावजूद, भारत में शुरुआती और अनन्य स्तनपान की दर कम है। बारहवीं योजना में निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल की जाएगी:

23.256. आईवाईसीएफ और आईवाईसीएफ के संबंध में राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों पर जोर: शिशु और किशोर बच्चों को पोषण के संबंध में, परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी, इसे पोषण संबंधी राष्ट्रीय नीति को अद्यतन करने और आईएमएस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए वैधानिक रूपरेखा के भीतर जोड़ा जाएगा। आईसीडीएसए एनआरएचएम व अन्य से जोड़ते हुए निगरानी योग्य परिणामों वाले राष्ट्रीय/राज्य कार्य-योजना विकसित की जाएंगी, विभिन्न कार्यात्मक अंतरालों को पाटने के लिए जिन्हें संसाधन आबंटन का पर्याप्त आश्रय होगा।

23.257. महिलाओं को सहायता हेतु सामुदायिक पहल: कंपनियों द्वारा शिशु आहार के प्रचण्ड विपणन से ऐसी महिलाएं आसानी से भटक सकती हैं जिनके पास इस संबंध में सटीक जानकारी नहीं है। सहानुभूति रखने वाली और कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ता जन्म के समय,

जन्म के समय से एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरुआत करने और लंबे समय तक शिशु को अपने से सटाकर रखने में उसे सहायता अवश्य देने में अवश्य सफल होगी। उनके पास पर्याप्त अनुपूरक आहार और 6 माह पूरा होने और 2 वर्ष या उससे आगे की अवधि के लिए स्तनपान जारी रखने के लिए परामर्श (एक से एक या समूह) सुविधा भी होनी चाहिए।

23.258. 6 माह से कम आयु के असुरक्षित शिशु: प्रायः 0-6 माह के शिशु को आरंभिक भार/बाल देखरेख परामर्श सत्र प्रदान नहीं किया जाता। बारहवीं योजना में पहले 6 माह तक स्तनपान शीघ्र शुरु कराने और अनन्य स्तनपान कराने को प्रोत्साहित करने एवं इन शिशुओं व माताओं से संपर्क बनाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कुशल परामर्शदाताओं वाले पोषण और स्तनपान केन्द्र खोले जाएंगे, आरंभ में सभी जिला अस्पतालों में – और तदोपरांत चरणबद्ध तरीके से सीएचसी, पीएचसी स्तरों पर।

23.259. आईसीडीएस को मजबूत बनाना: बारहवीं योजना में आईसीडीएस के रूप में, राज्य की आवश्यकताओं की आधार पर पोषण 200 अत्यधिक प्रभावित जिलों में अतिरिक्त कार्यकर्ता के प्रावधान सहित, देखभाल परामर्श की शुरुआत की जाएगी। इसमें 3 साल से कम आयु के बच्चों के लिए घरों में जाना और माताओं को शिशु और बाल देखरेख व पोषण व्यवहारों के लिए प्रोत्साहित करने पर प्राथमिकता आधार पर फोकस किया जाएगा।

23.260. आईवाईसीएफ व्यवहारों पर फील्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं की क्षमता में बढ़ोत्तरी करना: जानकारी और कौशल निर्माण, व्यवहारात्मक परिवर्तन संप्रेषण हेतु क्षमता, परामर्श और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सहायक नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) में आईवाईसीएफ व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए समस्या का समाधान करने का कौशल विकसित करने के लिए अनिवार्य है। आईसीडीएस और एनआरएचएम में आईवाईसीएफ के लिए क्षमता विकास हेतु संसाधन संबंधी प्रावधानों में बढ़ोत्तरी की जाएगी। पेशेवर नेटवर्क/सिविल समाज संगठनों/चिकित्सा कॉलेजों, विकेन्द्रीकृत और क्षेत्र आधारित क्षमता विकास युक्त 'जीवंत विश्वविद्यालयों' के तौर पर कार्यरत, आईवाईसीएफ के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय/राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

23.261. बारहवीं योजना में चिकित्सकों एवं नर्सों के लिए सेवा-पूर्व पाठ्यक्रम का व्यवस्थित तौर पर सुदृढीकरण किया

212 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

जाएगा। इससे सेवा के दौरान प्रशिक्षण की जरूरत में कमी आएगी और चिकित्सकों व नर्सों के कौशल में सुधार होगा, जो एक मान्य जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए चिकित्सा कॉलेजों को शामिल किया जाना चाहिए और संस्थागत सुदृढीकरण प्रयास के हब के गठन के दौरान आईवाईसीएफ में 'उत्कृष्टता केंद्र' को भी मान्यता प्राप्त होगी।

23.262. व्यवहार परिवर्तन संबंधी संप्रेषण: आईवाईसीएफ के संबंध में एक व्यापक और केन्द्रित संप्रेषण अभियान चलाया जाएगा, जो समग्र रूप से पोषण हेतु राष्ट्रव्यापी आईईसी अभियान से संबद्ध होगा।

23.263. कुशल पोषण परामर्श: कुशल पोषण परामर्श को मां और बच्चे की सह-ट्रेकिंग और संदर्भ सेवाओं सहित गांव के स्तर से उपकेन्द्र, पीएचसी, सीएचसी, उप प्रभाग, जिला व राज्य स्तरों तक सहायता श्रृंखला सेवा के तौर पर जाना जाएगा।

23.264. स्तनपान की सुरक्षा और शिशु-दुग्ध प्रतिस्थानापन्न अधिनियम (आईएमएस अधिनियम): बारहवीं योजना में, शिशु-दुग्ध प्रतिस्थानापन्न, दुग्धपान बोतलें और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 और संशोधन अधिनियम 2003, को प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने व इसकी निगरानी करने के लिए संसाधनों को चिह्नित कर सुदृढ किया जाएगा। आईएमएस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यावसायिक प्रभाव एवं हितों के टकराव से शिशु और किशोर बच्चों की पोषण प्रणाली बाधित न हों, कंपनियों द्वारा आईएमएस अधिनियम के अनुपालन की निगरानी भी की जाती है।

23.265. स्वास्थ्य सुविधाओं में आईवाईसीएफ परामर्श केन्द्र: एनआरएचएम पीआईपी में आईवाईसीएफ घटक के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा में कुशल आईवाईसीएफ परामर्शदाता-शिशु और किशोर बच्चों के पोषण संबंधी परामर्श के साथ साथ एचआईवी एवं शिशु आहार संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक और नर्स हों।

23.266. वीएचएनडी: अगली कतार के कार्यकर्ता दल में आशा, एडब्ल्यूडब्ल्यू, एनएम और पीआरआई के प्रतिनिधि होते हैं। ये बच्चों की देखरेख के व्यवहारों में परिवर्तन करने और आईवाईसीएफ व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए वीएचएनडी आयोजित करने में पूरी तरह शामिल होंगे। एक शीर्ष व्यक्ति की पहचान की जाएगी

और उसे एनएम और एएसएचए के बीच अभिसरण को देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा; और पोषण परामर्शदाताओं का नेटवर्क आईसीडीएस और एनआरएचएम के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करेगा।

23.267. आईईसी और पोषण संबंधी संदेश: जनसंचार मीडिया अभियान को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि परिवार बेहतर मातृत्व, बाल देखरेख और आईवाईसीएफ व्यवहारों को अपना सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेश की सामग्री अद्यतन और राष्ट्रीय नीतिगत रूपरेखा और आईएमएस अधिनियम के अनुरूप है, और स्थानीय परंपराओं, प्रथाओं व आवश्यकताओं के प्रति समुचित संवेदनशील है, राष्ट्रीय संस्थागत व्यवस्था के हिस्से के तौर पर एक तकनीकी कोर समूह का गठन किया जाएगा। एमडब्ल्यूसीडी, एमएचएफडब्ल्यू, एमवाईए, एमएचआरडी, एमआईबी और एमपीआर के अभिसरण को विशेष तौर पर सुदृढीकृत किया जाएगा।

23.268. ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड शुरू करना: वीएनएसएनसी सर्वेक्षित आबादी से सभी पात्र लाभार्थियों की कवरेज सुनिश्चित करते हुए एडब्ल्यूसी की कार्य प्रणाली की नियमितता की निगरानी करेगी और सहायता प्रदान करेगी। बच्चों के अच्छे विकास के लक्ष्य प्राप्ति और उन्हें अल्प-पोषण से बचाने के लिए ग्राम, पंचायतों, ब्लॉक और जिलों को मान्यता प्रदान करने के लिए आईसीडीएस पुनः निर्माण के तहत समुदाय आधारित मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। इनसे "बाल मैत्री पंचायतों" को योगदान करने वाले अन्य पहलुओं हेतु सामुदायिक अभियान को चिंगारी भी मिल सकती है और उत्प्रेरण हो सकता है। प्रत्येक गांव, यह दर्शाते हुए कि इस गांव में कितनी प्रगति हुई है, इन कार्डों को प्रमुखता से प्रदर्शित कर सकता है। अतः यह बाल अधिकार पर भाग 2 में विस्तृत शिशु और बाल-मैत्री पंचायतों की अवधारणा से संबद्ध है।

23.269. राष्ट्रीय आईवाईसीएफ/पोषण संप्रेषण अभियान और मीडिया की भूमिका: एक राष्ट्रीय पोषण संप्रेषण कार्यनीति तैयार की जाएगी जैसाकि पहले बाताया गया है, अभियान से संबद्ध क्षेत्रों (उदाहरणार्थ लिंग संबंधी मुद्दों, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकर दशाएँ) तैयार की जानी चाहिए। आईवाईसीएफ को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय अभियान इसका अभिन्न हिस्सा होगा।

23.270. राष्ट्रीय और राज्य समन्वय तंत्र को सुदृढ करना और शिशु व किशोर बच्चों को पोषण और आईएमएस अधिनियम का कार्यान्वयन: आईएमएस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तनपान समिति को पुनः जीवित व सुदृढ किया जाएगा

और विभिन्न स्तरों पर तकनीकी टीमों द्वारा सहायता प्राप्त राज्य महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के भीतर राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा मान्यताप्राप्त यथा कल्पित गठित राज्य स्तनपान समितियों को भी पुनः जीवित व सुदृढ़ किया जाएगा। इसे अनुपातिक तौर पर पोषण संस्थागत व्यवस्थाओं से संबद्ध किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दोनों से सहायता प्राप्त एनआरएचएम और आईसीडीएसए दोनों हेतु आईवाईसीएफ क्षमता विकास को समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त व्याससायिक नेटवर्क/स्वैच्छिक एजेंसियों की साझेदारी में अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के संबद्ध राज्य स्तरीय संसाधन इकाईयों के साथ एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय स्तर के साझेदार संगठनों के साथ भी किया जा सकता है, विशेषकर इस मुद्दे को फोकस करने के लिए।

23.271. हितों का टकराव: यह सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों और तंत्र विकसित किया जाएगा कि शिशु के पोषण संबंधी व्यवहारों को व्यावसायिक प्रभावों से मुक्त रखा जाए और यह कि पोषण कार्यक्रम का कार्यान्वयन हितों के टकराव से मुक्त हो जैसाकि आईएमएस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

सर्वांगीण विधि में सूक्ष्म - पोषण के अभाव से निपटना

23.272. बच्चों, महिलाओं व किशोर लड़कियों में सूक्ष्म-पोषक तत्वों के अभाव (लौह, विटामिन ए और आयोडीन) से निपटने के लिए स्पष्ट कार्यनीतियां हैं। एक व्यापक रास्ता अपनाया जाना चाहिए जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण के समाधान के लिए अनुपूरक खुराक की कार्यनीतियां शामिल हों, इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: (1) शिशु और किशोर बालक पोषण व्यवहार; (2) आहार का वैविध्यीकरण; (3) बागवानी हस्तक्षेप; (4) पोषक तत्वों का अनुपूरण; (5) खाद्य संपुष्टिकरण; और (6) जन स्वास्थ्य उपाय।

23.273. सूक्ष्म पोषक तत्व/भोजन पूरकता: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विशेष रूप से आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन अल्पता विकार और विटामिन ए की कमी का निम्न पर तीव्र कार्रवाई के माध्यम से निदान किया जाएगा: (1) एक व्यापक दृष्टिकोण में सुधार आईवाईसीएफ व्यवहारों, आहार के वैविध्यकरण, खाद्य पूरकता, खाद्य संपुष्टिकरण और बागवानी हस्तक्षेप, छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आयरन और फोलिक एसिड की अनुपूरक खुराक, साथ ही दोहरे संपुष्ट नमक के उपयोग से भी सहायता मिलती है द्वारा समर्थित; (2) एनीमिया के लिए

समय-समय पर जांच; (3) उन्नत कवरेज के लिए एनआरएचएम के साथ अभिसरण में विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण, (4) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयोडीन युक्त नमक और दोहरे संपुष्ट नमक की पर्याप्त आपूर्ति; (5) सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपाय - डिवार्मिंग, पर्यावरणीय स्वच्छता, सुरक्षित पेय-जल; और (6) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की खुराक और स्वास्थ्य जांच।

23.274. खाद्य संपुष्टिकरण: देश में सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रमों में कुछ संवेदी समूहों के पोषक तत्वों की पूरकता पर फोकस किया है। इसके साथ-साथ एक व्यापक कार्यनीति के माध्यम से सूक्ष्म पोषक कुपोषण को पूरित किया जाएगा। दोहरे संपुष्ट नमक ऐसा सफल उदाहरण है, जिसे सरकार के खाद्य अनुपूरण कार्यक्रमों के लिए शुरू किया गया है। उपरोक्त के लिए व्यावसायिक और नियामक तंत्र के खिलाफ अपेक्षित रक्षोपाय भी विकसित किए जाएंगे।

23.275. बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा और आईईसी: इसका उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ज्ञान का प्रसार करना और इसकी रोकथाम के साथ-साथ नियमित भोजन में लौह, विटामिन ए और कैरोटीन से भरपूर आहार शामिल कर भोजन के विविधीकरण की संस्तुति करना है। इससे अतिरिक्त, इससे हर घर में आरडीए को पूरा करने के लिए बेहतर आहार लेने, आईएफए के अधिक अनुपालन और बेहतर आयोडीन युक्त नमक के उपभोग को सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा।

23.276. मॉनीटरिंग और निगरानी: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कार्यक्रम की निगरानी के उपायों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, रक्तहीनता से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों का प्रतिशत शामिल करने के लिए एनआरएचएम/आरसीएच और आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत सुदृढ़ दिनचर्या रिपोर्टिंग को शामिल किया जाएगा। आईएफए गोलियों की खुराक को निगरानी करने के लिए आइएफए गोलियाँ का प्रतिशत, आइएफए का अनुपालन, बच्चों में विटामिन ए की पूरकता के साथ ही पीआरआई महिला स्वयं सहायता समूहों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरण दिया गया है।

23.277. वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण/जिला स्वास्थ्य सर्वेक्षण/राष्ट्रीय स्वास्थ्य के हिस्से के तौर पर, हीमोग्लोबिन आकलन, आईएफए कवरेज और आहार संबंधी प्रश्नों सहित, जारी प्रक्रिया और प्रभाव का मूल्यांकन किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा सर्वेक्षण, आइएफए कवरेज और सेवन के बारे में सवाल के एक भाग के रूप में उम्मीद की जाती

है। इसके अतिरिक्त, जैसे और जब भी बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किए जाते हैं, एनीमिया की व्यापकता के संबंध में सूचना एकत्र की जा सकती है।

23.278. जब कभी संभव हो, (जैसे कि विद्यालय में स्वास्थ्य जांच के दौरान) एनीमिया के लिए किशोर लड़कियों की जांच की जाएगी। उन लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो अल्प-पोषित हैं अथवा जिन्हें मासिक धर्म संबंधी समस्याएं हैं। एनीमिया की जांच और प्रबंधन के लिए उन किशोरियों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो गर्भवती हैं।

कुपोषण के दोहरे भार का निराकरण

23.279. कई विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणालियां एक साथ, तेजी से, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन गृहस्थों के भीतर-अल्प पोषण और अति-पोषण की विपरीत स्वास्थ्य स्थितियों का सामना कर रही हैं। अल्प-पोषण और अति-पोषण, दोनों स्वास्थ्य की विपरीत स्थितियों के साथ संबद्ध हैं। तथापि, महत्वपूर्ण बात है कि अल्प-पोषण और अति-पोषण, दोनों इस तरह से कुपोषण के ही रूप हैं कि किसी में ऊर्जा और/या पोषक तत्वों का अभाव है या कमी। कुपोषण की यह दोहरी मार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक अनूठी चुनौती है। दोनों प्रकार के कुपोषण को एक ही समय में दूर करने के लिए पोषक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बारहवीं योजना में, स्वास्थ्य प्रणाली लोगों के अति-पोषण की जांच के लिए उत्तदायी होगी जबकि आईसीडीएस और स्वास्थ्य अल्प-पोषण से ग्रस्त व्यक्तियों की जांच के लिए उत्तरदायी होगा। स्वास्थ्य प्रणाली में मोटापे की आरंभ में जांच हेतु व्यक्तिगत परामर्श सहायता और आहार संबंधी परामर्श के साथ-साथ सुधार की निगरानी और उन व्यक्तियों की विशेष देखभाल की जाती है जो अपनी जीवन-शैली में परिवर्तन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। संप्रेषण के सभी उपलब्ध तरीकों के माध्यम से पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में निम्नलिखित की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा: (1) संतुलित आहार लेना; और (2) पर्याप्त शारीरिक गतिविधि वाली स्वस्थ जीवन-शैली अपनाना। स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य हस्तक्षेप किए जाएंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे (1) अति-पोषित व्यक्तियों की जांच, वे जब भी स्वास्थ्य सेवा के लिए आएंगे; (2) अति-पोषण की प्रारंभिक जांच के लिए वयस्कों के लिए बीएमआई और बच्चों और किशोरों में आयु-बनाम- बीएमआई का प्रयोग; (3) अति-पोषित व्यक्तियों की पहचान और आहार और जीवनशैली में परिवर्तन के संबंध में व्यक्तिगत परामर्श और (4) उन व्यक्तियों में सुधार की निगरानी और विशेष देखभाल जो अपनी जीवन-शैली में परिवर्तन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

पोषण क्षमता का विकास

23.280. पोषण के लिए क्षमता विकास के लिए, खाद्य एवं पोषण बोर्ड और एनआईपीपीसीडी और कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेजों और होम साइंस कॉलेज में पोषण संसाधन इकाइयों के साथ नेटवर्किंग को मजबूत बनाते हुए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों जैसे एनआईएचएफडब्ल्यूए एनएचएसआरसी, एनआईआरडी के सुदृढीकरण और नेटवर्किंग को शामिल करना होगा। राज्य, जिला, ब्लॉक और प्रबंधन स्तर और सेवा प्रदाता और पर्यवेक्षण स्तर पर उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एक साझा प्रशिक्षण स्थल और टीम आवश्यक होगी। विभिन्न क्षेत्रों और हितधारकों की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया में पोषण हेतु महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य या पोषण संबंधी राज्य/जिला संसाधन केन्द्र के एक साझा संसाधन केंद्र – वर्तमान संस्थानों जैसे एसआईएचएफडब्ल्यूए/एसएचएसआरसी, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, होम साइंस कॉलेज, एडब्ल्यूसी के अनुसार निर्मित-स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे राज्य/जिला पोषण मिशन परिषदों से संबद्ध किया जाना चाहिए, और चरणबद्ध तरीके में स्थापित किए जाने की जरूरत है, आरंभ में अत्यधिक प्रभावित राज्यों/जिलों में इसकी शुरुआत किए जाने की आवश्यकता होगी। इसे जिला/ब्लॉक/स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक एजेंसियों, संसाधन टीमों से सहायता की भी आवश्यकता होगी, विशेष रूप से समुदाय प्रक्रियाओं के सुदृढीकरण, विकेन्द्रीकृत नियोजन और निगरानी हेतु।

23.281. पोषण संसाधन मंच पोषण शिक्षा के आधार को सुदृढ करने के लिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक और राज्य स्तरीय पोषण संसाधन केन्द्र और नेटवर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पोषण संसाधन मंच को पोषण एवं बाल विकास से संबंधित जानकारी तक आसान पहुँच के लिए एक वेब पोर्टल और अनुसंधान, नए प्रकाशन, सरकारी नीतियों, प्रशिक्षण सामग्री आदि सहित पोषण संबंधी संसाधनों के भंडार के रूप में परिकल्पित किया गया है।

पोषण संबंधी शिक्षा और सामाजिक लामबंदी

23.282. पोषण शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा में एकीकृत किया जाएगा और उचित/सुदृढ किया जाएगा और मध्याह्न भोजन से जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों में समुदाय में पोषण संबंधी व्यवहार और बच्चा दर बच्चा मार्ग द्वारा प्रोत्साहन मिले। इसे साक्षर भारत में शामिल किया जाएगा। इसी तरह, पोषण घटक को मेडिकल कालेज, नर्सिंग कॉलेजों और नेटवर्किंग मेडिकल कॉलेजों, परिषद, और नर्सिंग शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुदृढ किया जाएगा।

23.283. उनकी पोषण, विकास और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के अनुसार बालिका शिक्षा और महिला साक्षरता को प्रोत्साहित किया जाएगा। मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, आइएफए पूरकता और डिवार्मिंग हस्तक्षेप, स्कूली शिक्षा की अधिक अवधि, उच्च शिक्षा और बेहतर जीवन कौशल और उत्पादकता द्वारा उनके पोषण स्तर में भी वृद्धि होगी। लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की साक्षरता कई दीर्घकालिक फायदे होंगे।

23.284. समुदाय लामबंदी: सामुदायिक लामबंदी में सुधार से आशय है पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों का अधिक संवेदनशील होना और भागीदारी है। जमीनी कार्यकर्ता, पंचायती राज संस्थाओं, महिला और युवक समूहों के प्रभावी पोषण उन्मुखीकरण से पोषण के महत्व और कुपोषण की रोकथाम में उनकी निर्णायक भूमिका के बारे में समझ सृजित होगी।

पोषण मॉनीटरिंग और निगरानी प्रणालियां

23.285. राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए प्रक्रियाओं और परिणामों, दोनों की निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। पोषण संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए एक संवेदनशील और गतिशील पोषण निगरानी प्रणाली (एनएसएस) की व्यवस्था की जाएगी। इससे मौजूदा स्थिति का आकलन करने, समस्या के कारणों का विश्लेषण करने में मदद मिलती है और उपलब्ध विश्लेषण एवं संसाधनों के आधार पर, स्थिति में सुधार करने के लिए समाधान का सुझाव प्राप्त होते हैं। इससे पोषण की बहु-क्षेत्रीय प्रकृति के मद्देनजर, आईसीडीएस, एनआरएचएम और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों के तहत प्राप्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित अतिअसुरक्षित समूहों के पोषण व्यवहार के संबंध में सूचना प्राप्त होगी। इसमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए सहक्रियात्मक तौर पर निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

- नवजात शिशु की बेहतर उत्तरजीविता, पोषण और विकास सुनिश्चित करने के लिए एनएसएस नेटवर्क और एनआरएचएम मां-बच्चा सह ट्रेकिंग प्रणाली से जुड़े मातृ और बाल संरक्षण कार्ड की सहायता से प्रत्येक मां-बच्चे के मामले में, मातृ शिशु और बच्चे की देखभाल और पोषण के महत्वपूर्ण संकेतकों की लगातार निगरानी की जाएगी।
- किशोरी कार्ड को एनएसएस डेटाबेस के साथ संबद्ध करने से बीएमआई और आइएफए हस्तक्षेप संबंधी संगत डेटा आगतों के

माध्यम से किशोर लड़कियों के बीच बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित होगा।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने से पहले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों के आधारभूत सर्वेक्षण किए जाएंगे। राष्ट्रीय एनएसएस और डेटाबेस के लिए पोषण संकेतकों के बेंचमार्क स्थापित करने के लिए एनआईएन, मेडिकल कॉलेजों और गृह विज्ञान कॉलेज, जैसे तकनीकी संस्थानों से सहायता महत्वपूर्ण है। यह नियोजित एएचएसएडीएलएचएस और एनएचएफएस सर्वेक्षणों का पूरक होगा।
- ब्लॉक/जिला स्तर पर निगरानी के लिए आंगनवाड़ी स्तर पर आंकड़े उत्पन्न करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण (जीआईएस) का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण निगरानी और नीति आदानों के लिए राष्ट्रीय पोषण डेटाबेस सहायता प्रदान करेगा।
- इससे ज्ञात जिलों के संदर्भ में देश के अल्प-पोषित प्रकोप वाले जोन के मानचित्रण और उन्हें "उच्च जोखिम और असुरक्षित जिले" बताने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय एनएसएस के भीतर विशेष फोकस मुश्किल उत्तरजीविता वाले वातावरण जैसे देहाती, पहाड़ी, आदिवासी और सूखा प्रवण क्षेत्रों, रेगिस्तान, बीपीएल आबादी, विभिन्न सामाजिक धार्मिक समूहों आदि में घरेलू खाद्य सुरक्षा पर किया जाएगा।
- आईसीडीएस के तहत स्थापित केन्द्रीय निगरानी इकाई (सीएमयू) का एनएसएस के साथ ही क्षेत्र की स्थिति के व्यापक, पुनरावृत्ति-रहित आकलन और सुधार के लिए भी उपयोग किया जाएगा।

निष्कर्ष

23.286. बारहवीं योजना का उद्देश्य तीव्र और स्थायी आर्थिक विकास की उपलब्धि के लिए महिला के अधिकारों की पूर्ति को एक अनन्य स्थिति बनाना है। लिंग आधारित असमानताएं लड़कियों और महिलाओं को पेश आ रहे भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना योजना के उद्देश्य की आवश्यक शर्त है। अस्तित्व, विकास, सुरक्षा, और भागीदारी के लिए बच्चों के अधिकारों को पूरा करना महत्वपूर्ण विकास शर्त है जिसे बारहवीं योजना में पूरा किया जाना चाहिए। इस मार्ग को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रणाली से अभिसारित करना, देखभाल और विकास के लिए एक निरंतरता सुनिश्चित करना, बारहवीं योजना में समावेशी विकास के लिए अद्वितीय कार्यनीति है।

216 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

23.287. बारहवीं योजना में दोहराया गया है कि मानवाधिकारों को पूरा करने के लिए पोषण महत्वपूर्ण है— विशेष रूप से उन सबसे कमजोर बच्चों, लड़कियों और महिलाओं के लिए जो बहु-वंचन के अंतर-पीढ़ीगत चक्र में बंद हैं। अपरिवर्तनीय संचयी वृद्धि और विकास की गिरावट, जिससे मातृ, शिशु और किशोरों के स्वास्थ्य और उत्तरजीविका, शिक्षा और लैंगिक समानता में अधिकतम उपयोगी अध्ययन प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, से बचने के लिए जीवन-पर्यन्त यथासंभव शीघ्र अल्पपोषण की रोकथाम को महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्रदान की गई है। यह परिकल्पना की गई कि बारहवीं योजना में समुदायों के साथ साझेदारी में पंचायतों के नेतृत्व में बहु-क्षेत्रीय कार्यवाही के इस तालमेल से तीव्र, अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए पोषण सुरक्षा का हमारा लक्ष्य वास्तविकता में बदल सकेगा।

23.288. अभिसरण कार्यवाही से बच्चों और महिलाओं, विशेषकर, उनमें से सर्वाधिक असुरक्षित से संपर्क करते हुए, के जीवन में काफी फर्क पड़ेगा। इससे बारहवीं योजना की प्रतिबद्धताएं प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों का रूप धारण कर लेती है जो परिवारों और समुदायों में महिलाओं व बच्चों के जीवन को छूती है, जहां वे रहते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं।

23.289. महिला और बाल विकास क्षेत्र (पोषण सहित) के लिए कुल परिव्यय रु. 117707 करोड़ है जिसमें आईसीडीएस फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए रु. 108503 करोड़ का परिव्यय शामिल है।

बच्चों एवं महिलाओं के लिए बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई हेतु आह्वान

संकेतिक कार्यवाही

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- परिणाम की रूपरेखा दस्तावेज में निहित बहु-क्षेत्रीय प्रतिबद्धता सहित बच्चों, महिलाओं व पोषण के संबंध में बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई का नेतृत्व और आयोजन, एवं संबंधित मंत्रालयों, की पंचवर्षीय कार्यनीतिक योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं बनाई जाती हैं एवं समीक्षा की जाती है।
- नीतियों व कार्यक्रमों में अधिकार आधारित मार्ग व लैंगिक परिदृश्य को मुख्यधारा में लाना।
- बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और बाल-संवेदनशील न्यायशास्त्र का सामंजस्य करना।
- बारहवीं योजना और राष्ट्रीय नीति में सामंजस्य करते हुए बच्चों के पोषण के लिए राष्ट्रीय नीति अद्यतन करना।
- बच्चों के लिए कार्रवाई हेतु बारहवीं योजना पर अद्यतन नीति के आधार पर निगरानी योग्य परिणामों वाली राष्ट्रीय/राज्य/जिला योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन।
- लड़की की देखरेख एवं सुरक्षा और लैंगिक समानता के लिए दीर्घकालीन हस्तक्षेप हेतु समग्र राष्ट्रीय नीति के भीतर बाल लिंग अनुपात में सुधार हेतु केंद्रित हस्तक्षेप।
- बहिष्कृत सामाजिक – धार्मिक सामुदायिक समूहों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेषकर शहरी गरीब समुदायों सहित असुरक्षित जनजातीय समूहों, अल्पसंख्यकों व अन्य वंचित समुदायों के बच्चों की उभरती आवश्यकताओं के प्रति सर्वांगीण प्रतिक्रिया स्वरूप एक कार्यनीतिक एप्रोच तैयार करना।
- राष्ट्रीय ईसीसीई नीति, पाठ्यचर्या रूपरेखा और मानक तैयार करना।
- विकसित रूपरेखा के अनुसार आईसीडीएस का पुनर्निर्माण।
- आरंभिक देखभाल, विकास और अधिगम निरंतरता को मजबूत बनाना।
- सभी बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण का सुदृढीकरण दुरुपयोग – शोषण के प्रति असुरक्षा की रोकथाम पर फोकस करते हुए, टकराव और अशांत क्षेत्रों में सहित।
- विकास की पूर्ण क्षमता और गुणवत्ता वाली शिक्षा पाने के लिए बच्चों के अधिकारों की पूर्ति सुनिश्चित करना— दस में से एक विकलांग बच्चे सहित।
- मुख्यधारा की नीति और कार्यक्रम तैयार करने, कार्यान्वयन और निगरानी प्रक्रिया में बच्चों के विचारों के समावेश के माध्यम से बच्चे की भागीदारी संस्थागत करना।
- एडव्ल्यूडब्ल्यू और एडव्ल्यूएच के कार्यों का मूल्य निर्धारण और मान्यता प्रदान करना— लिंग समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए जिसकी वकालत की जा रही है।

- बच्चों को अधिकार प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज पंचायती राज संस्थाओं, परिवारों और समुदायों के बीच संस्थागत क्षमता और साझेदारी का सुदृढीकरण करना।
- 200 अत्यधिक ग्रस्त जिलों हेतु राज्य और जिला स्तरीय पोषण बहु-क्षेत्रीय कार्य-योजना की रूपरेखा, विशेषकर 264 उच्च फोकस वाले जिलों को एनआरएचएम से जोड़ते हुए।
- उपरोक्त में अंतर्विभागीय समन्वय समितियों, विषयगत कार्य-समूहों साथ-साथ राज्य और जिला स्तरीय पोषण परिषदों की स्थापना की जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिशु और किशोर बच्चों के भोजन और पोषण सहायता हस्तक्षेप व्यावसायिक प्रभाव और हित के टकराव से मुक्त हो, तंत्र बनाया जाए।
- आईजीएमएसवाई के संभाव्य आनुपातिक बढ़ोत्तरी के साथ मूल्यांकन रूपरेखा वाली आरजीएसईएजी सबला और आईजीएमएसवाई को हटाना, जैसाकि ड्राफ्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011, से जोड़ा गया था।
- बारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के हिस्से के रूप में बच्चों के संबंध में प्रासंगिक सेक्टरल नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन अनिवार्य करना।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति; जीवन चक्र में मृत्यु दर, विकृति और अल्प-पोषण के लगातार उच्च स्तर को दूर करने के प्रयासों में बढ़ोत्तरी करते हुए; मातृ, नवजात, शिशु और बाल मृत्यु व कुपोषण दूर करने पर फोकस करते हुए।
- क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना; लड़कियों और महिलाओं को पेश आने वाली खराब स्वास्थ्य, कुपोषण और लिंग भेदभाव के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को समाप्त करना।
- गुणवत्ता सार्वभौमिकता और सर्वाधिक असुरक्षित और वंचित समुदायों, महिलाओं और बच्चों – जैसेकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों, अल्पसंख्यकों और अन्य का समावेशन सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य की देखरेख, खासकर महिलाओं और बच्चे के प्रसव विधियों की कुशलता, प्रभावशीलता और उत्तदायित्व और प्रसव विधियों में समुदाय और महिलाओं के स्वामित्व में वृद्धि।
- किशोरावस्था में सर्वांगीण स्वास्थ्य को संबोधित करना— पहचानी गई स्वास्थ्य सुविधाओं में ड्राप-इन क्लिनिक में कुशल परामर्श सहायता सहित। इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित मुद्दों, असुरक्षित वातावरण में रहने और एचआईवी/एड्स की रोकथाम व निराकरण पर भी पड़ेगा।
- एक बहुस्तरीय एप्रोच, विभिन्न राज्य/शहर/जिला संदर्भों के प्रति प्रतिक्रियात्मक, के माध्यम से प्रतिकूल और तेजी से गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना।
- शिशु और पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक मृत्यु दर में लैंगिक भेदभाव पर सक्रिय तौर पर विचार करना – मदर-चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए खासकर उन राज्यों में जहां यह उच्च है या बढ़ रही है।
- मातृ एवं शिशु देखभाल, आपातकालीन प्रसूति देखभाल, बीमार नवजात शिशु की देखभाल, सुविधाओं में रेफरल सहायता और चाइल्ड केयर कॉर्नर्स स्थापित करना और सुनिश्चित करना कि प्रगामी तौर पर उत्तरोत्तर सभी मातृत्व सुविधाएं 'शिशु-मैत्री' हों।
- एनआरएचएम के अग्रणी प्रगति संकेतक के रूप में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर की स्थिति।
- एनआरएचएम पीआईपी के पोषण घटकों को सुदृढ करना— विशेषकर 264 एनआरएचएम उच्च फोकस वाले जिलों में, बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई हेतु पहचाने गए 200 उच्च ग्रस्त जिलों की सहक्रिया में।
- पोषण हस्तक्षेपों के सुदृढीकरण हेतु वीएचएनडी, प्रसव-पूर्व देखरेख, संस्थागत प्रसव (जेएसवाई) और मां और शिशु प्रतिरक्षा संपर्क केन्द्रों का उपयोग करें।
- पंचायत की उप-समितियों के तौर पर एनआरएचएम ग्राम स्वास्थ्य सेनिटेशन और पोषण समितियों का सुदृढीकरण और ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरों पर ऐसा ही सुदृढीकरण।
- समय पर और पूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करें और नवजात और बचपन में होने वाले रोगों जैसे अतिसार और तीक्ष्ण श्वसन संक्रमण, जो बाल पोषण पर काफी अधिक प्रभाव डालते हैं, की रोकथाम व प्रबंधन में सुधार करें।
- सूक्ष्म पोषक तत्व कुपोषण (विटामिन ए की कमी, रक्ताल्पता और आयोडीन के अभाव से उत्पन्न विकार सहित) को समाप्त करने के लिए सरकार खाद्य कार्यक्रमों में दोहरे संपुट नमक के उपयोग का समावेश करने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना।

- पेशेवर नेटवर्क के साथ साझेदारी में मौजूदा संस्थानों और/अथवा के भीतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण के लिए राष्ट्रीय/राज्य संसाधन केंद्र या उत्कृष्टता केन्द्र सृजित करना।
- सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में, प्रभावी निगरानी के लिए पोषण की स्थिति (नृजातीय सूचकांक) और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति संबंधी राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय गुणवत्तापूर्ण आंकड़े समय पर उपलब्ध हों।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

- सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना जैसाकि आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत परिकल्पना की गई है।
- गुणवत्तापूर्ण विद्यालय (प्राथमिक और माध्यमिक) और प्रौढ़ शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- समानता सुनिश्चित करें – वंचित और अधिक संवेदी समूहों जैसे अनु. जाति, अनु. जनजाति, अल्पसंख्यकों और कमजोर बाल समूह जैसे अध्ययन करने वाली प्रथम पीढ़ी, विकलांग बच्चों का समावेशन।
- कमजोर समूहों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों जैसे जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों, एमएसडीपी आदि से संबद्ध अल्पसंख्यक घनत्व वाले क्षेत्रों में शिक्षा के मूलभूत संरचना व संस्थागत क्षमता का सुदृढीकरण करें।
- लैंगिक समानता के लिए दीर्घकालीन हस्तक्षेप से संबद्ध बच्चों व महिलाओं पर फोकस वाले अभियानों जैसे केजीबीवी, एनपीजीईएल को सुदृढ किया जाए।
- शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों में सुधार सुनिश्चित करें – इसके अतिरिक्त, इसे बच्चों के अनुकूल और लिंग संवेदी बनाए।
- सभी बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण का सुदृढीकरण – दुरुपयोग और शोषण के प्रति असुरक्षा की रोकथाम पर फोकस करते हुए।
- चाइल्ड ट्रेकिंग प्रणाली शुरू करना, विशेषकर वाम पंथ के उग्रवाद प्रभावी क्षेत्रों में- बच्चों को स्कूल की शिक्षा में जारी रहने और वापस स्कूल लाने में सहायता।
- बाल श्रम को सर्वांगीण तरीके से दूर करने के लिए श्रम मंत्रालय के साथ संबद्ध करना।
- स्कूल जाने वाली व न जाने वाली दोनों किशोर लड़कियों के लिए अल्प-पोषण व एनमिया को दूर करने के लिए आरजीएसईएजी के साथ संपर्क स्थापित करना, स्कूल न जाने वाली लड़कियों को दूसरा मौका दिया जाए।
- आरंभिक देखरेख, विकास और अध्ययन की निरंतरता, एडब्ल्यूसी के समय/अवस्थिति को समक्रमिक बनाकर, जहां व्यवहार्य व उपयुक्त हो, को सहायता हेतु प्राथमिक विद्यालयों के आईसीडीएस अभिसरण और लिकेज को सुदृढ करना। इससे बाल देखरेख में सहायता भी मिलेगी, लड़कियों को अपने भाई-बहनों के बोझ से मुक्त हो विद्यालय में जा सकेंगी।
- 200 उच्च ग्रस्त जिलों में अभियान के भीतर स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ आईसीडीएस एसएनपी के लिकेज को सुदृढ करना और नवप्रवर्तन मॉडलों में सामुदायिक रसोईघरों का विशेष प्रयोग।
- स्कूल के पाठ्यक्रम में लिंग संवेदी, बाल-मैत्री और पोषण शिक्षा संबंधी घटकों और साक्षर भारत का सुदृढीकरण।
- क्षेत्रक समीक्षाओं और अभियानों में सर्वाधिक कमजोर बाल समूहों के समावेशन का आंकलन अनिवार्य करना।

4. कृषि मंत्रालय

- उन्नत कृषि उत्पादकता, बेहतर फसल पैटर्न, उन्नत खरीद और वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), के माध्यम से बच्चों, महिलाओं और उनके परिवारों में भोजन और पोषण सुरक्षा को सुदृढ करना।
- बच्चों व महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए पोषण के संबंध में कमजोर समूहों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा की बेहतरी के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का अन्य योजनाओं जैसे एमजीएनआरईजीए, बीआरजीएफ, एसजीएसवाई के साथ अभिसरण को सुदृढ करना।
- ग्राम निदर्शन स्थल के तौर पर एडब्ल्यूसी में किचन गार्डन को सहायता प्रदान करना।

5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

- अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ प्रारूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को अंतिम रूप देने में तेजी लाना, जिससे महिलाओं और कवर परिवारों के बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोत्तरी हो।
- उसी के दायरे में सार्वभौमिक मातृत्व सुरक्षा को शामिल किया जाए – मातृ और शिशु पोषण और देखरेख को सीधे प्रभावित करते हुए।

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घरेलू स्तर पर आवश्यक खाद्य अनाज (चावल, गेहूं और मोटे अनाज), खाद्य तेलों और उपलब्ध चीनी उपलब्ध कर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन, निरंतर जारी आधार पर निगरानी को सुदृढ़ करते हुए।
- 2000 ज्ञात उच्च प्रभावित जिलों में जिला योजनाओं के आधार पर उच्च भारत जिलों में सामुदायिक अनाज बैंकों के प्रायोगिकीकरण को सहायता।

6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

- स्वयं सहायता समूहों/फेडरेशन की महिलाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से (2010-11 में 564 एफपीटीसी) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और इसका उपयोग पोषण संचार के लिए करना, इसका उपयोग करना।
- पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए क्लस्टर विकास की जरूरतों को पूरा करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को पोषण-शिक्षक बनने और अपने परिवारों व समुदायों के भीतर पोषण व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने में सक्षम बनाना।

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय

- प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम बनाना जैसे एमजीएनआरईजीए और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें और अधिक बाल-मैत्री बनाना (जैसाकि पहले बताया गया है)। उदाहरण के लिए महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी करना, महिला-मैत्री गतिविधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों, का अधिक उपयोग करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, (वृद्ध महिलाओं या स्वास्थ्य की कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली या गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अधिक जवाबदेही सहित)।
- एमजीएनआरईजीए, एसजीएसवाई/एनआरएलएम के माध्यम से आजीविका में सुधार और परिवारों, उनकी महिलाओं व बच्चों हेतु सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण।
- प्रशिक्षण, कार्यक्रम प्रबंधन और मॉनीटरिंग में लिंग और बच्चों से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए संस्थागत क्षमता का सृजन- एसआईआरडी में महिला और बाल संसाधन इकाइयां बनाना।
- वृद्ध और विधवाओं को सहानुभूतिपूर्ण और गरिमापूर्ण सामाजिक सहायता देना।
- दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में क्रेच-सह-आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रायोगिकीकरण से, नरेगा के तहत महिला, मां और बच्चे की देखरेख हेतु प्रावधानों के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना।
- विविध प्रकार के कार्य और एडब्ल्यूसी निर्माण को, अनुमत कार्य के तौर पर शामिल करने से एमजीएनआरईजीए दिशा-निर्देशों में संशोधन।
- बीआरजीएफ धन का पोषण हस्तक्षेप को मजबूत बनाने के लिए उपयोग, एडब्ल्यूसी और एचएससी निर्माण को प्रोत्साहन
- कार्यक्रम प्रबंधकों, गण्यमान्य व्यक्तियों और महिला स्वयं सेवा समूहों के प्रशिक्षण में लिंग, बच्चों और पोषण हेतु मुद्दों को एकीकृत करना।
- आईसीडीएस में एसएनपी के प्रावधानों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों/एनआरएलएम को संबद्ध करना, जहां स्थानीय तौर पर व्यवहार्य हो।
- सभी कार्यक्रम समीक्षाओं और फोरा के तौर पर लिंग मूल्यांकन को अनिवार्य करना।

8. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

- जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों सहित सभी एडब्ल्यूसी, एचएससी और स्कूलों में शौचालय और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना। स्कूलों में लड़कियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त पृथक शौचालय को बढ़ावा दिया जाए।
- सुनिश्चित करें कि महिलाओं के कार्य स्थल और साइट किशोरियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कार्य स्थल उपयुक्त सुविधाओं से युक्त हों।
- सूक्ष्म योजना और सुविधाओं की अवस्थिति पर निर्णय में महिलाओं और ग्राम स्वास्थ्य जल स्वच्छता और पोषण समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।
- पेयजल सुविधाओं युक्त सरकारी/सामुदायिक/सार्वजनिक भवनों में चक्रानुक्रम निधि अथवा वर्धित किराए के जरिए शौचालय के किराए के परिसरों में संचालित एडब्ल्यूसी को कवर करना, जैसाकि नई एमजीएनआरईजीए के दिशा-निर्देशों में प्रावधान किया गया है।
- बच्चों को वातावरण के संरक्षक और अपने समुदायों में नेताओं के परिवर्तन करने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी और टीएससीए दोनों हेतुआईईसी घटकों को सुदृढ़ किया जाए। आईईसी अभियानों में टीएससी के तहत हाइजीन को बेहतर एकीकृत किया जा सकता है।

- टीएससी, एनआरडीडब्ल्यूपी, एनआरएचएम और आईसीडीएस के तहत प्रशिक्षण और आईईसी गतिविधियों को ग्राम स्वास्थ्य जल स्वच्छता और पोषण समितियों सहित संबद्ध और समन्वित किया जाए।

9. पंचायती राज मंत्रालय

- शक्ति के पंचायती राज संस्थानों निधियों, कार्यों और गण्यमान्य व्यक्तियों को प्रभावी न्यूनीकरण में राज्यों को सहायता देना क्योंकि महिला एवं बाल विकास 73वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 243 जी) का हिस्सा है।
- राज्यों को पंचायती राज संस्थानों में, क्षमता विकास की अपेक्षित सहायता सहित, महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण लागू करने में समर्थ बनाना।
- पंचायतों को मान्यता प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत कार्य करना जिससे अतिरिक्त लचीले संसाधनों के माध्यम से बाल लिंग अनुपात में सुधार हो।
- उपरोक्त के लिए राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभी पुरस्कार शुरू करना।
- पंचायती राज संस्थानों के प्रशिक्षण में मुख्यधारा पोषण – विशेषकर, कुपोषण मुक्त पंचायतों की महिला पंचायत सदस्यों के संबंध में, उनके लिए कुछ वार्ड चिह्नित करते हुए।
- उच्च भार वाले 200 जिलों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित नव प्रवर्तन जिला मॉडलों के विकास की सहायता करना।
- पोषण कार्यक्रमों से संबंधित शक्तियों के सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थानों के न्यूनीकरण को समर्थन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना।
- प्रत्येक ग्राम सभी और महिला सभा में पोषण और लडकी को पोषण को समर्थित विशेष ग्राम सभी बैठकों को गठन किया जाए।
- अशांत और अन्य विशेष क्षेत्रों में खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वास्तविक वितरण एजेंसी, ग्राम पंचायतें होनी चाहिए; वार्ड सभा और वार्ड सदस्यों को अनुपस्थित स्कूल शिक्षकों, स्कूल छोड़ कर गए और लापता बच्चों, लडकियों सहित, के मुद्दे को उठाना चाहिए और इसकी निगरानी और मॉनीटरिंग ग्राम सभा अथवा इसकी उप समितियों द्वारा किया जाए।
- जिन राज्यों में ग्राम पंचायतें नहीं हैं, ऐसे निकाय गठित किए जाने चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण अभियान और उन संस्थानों में जो लिंग और बच्चों पर संकाय संसाधन शामिल करने वाले पीआरआई सदस्यों को प्रशिक्षण देने वाले में परिकल्पित किए जा रहे प्रशिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/पैकेजों में लिंग और बच्चों के मुद्दे एकीकृत किए जाएं।
- "महिला और बाल अनुकूल पंचायत" अवधारणा हेतु अभियान जिसमें बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो और बच्चों, लडकियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करे।

10. शहरी और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

- शहरी गरीब बस्तियों में विशेष एडब्ल्यूसी के लिए भूमि/भवन का आबंटन।
- प्रवासी और अपरिचित शहरी गरीबों के समूहों के लिए पुनर्वास योजना में पोषण सुरक्षा जाल के समावेशन।
- जेएनएनयूआरएम से जुड़े, 200 उच्च ग्रस्त जिलों हेतु पहल में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अभिनव सिटी/मॉडल के नवप्रवर्तन के विकास को सहायता प्रदान करना।
- शहरी गरीबों के लिए सामुदायिक कैंटीन, योजना पर आधारित, का संचालन करना।
- कार्यवाही को राज्य सरकारों के माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है, जैसाकि शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय है और शहरी स्थानीय निकाय का कार्य है।

11. शहरी विकास मंत्रालय

- नगर नियोजन को भी, सुशासन के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में, बाल-मैत्री बनाया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिकृति करें जो पंचायती राज मंत्रालय ने पीआरआई के साथ किया है।
- "आधारभूत सेवा" के तौर पर बाल देखरेख का समावेशन जिसका गैर मान्यता प्राप्त शहरी गरीब क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों द्वारा किसी वैध अथवा सुरक्षा सेवाकाल के बिना, विरोध नहीं किया जा सकता।
- उत्तरोत्तर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा युक्त शहरी गरीब परिवारों हेतु आजीविका, और पीने के पानी की आपूर्ति, सीवरेज, सफाई, और सभी के लिए जल निकासी जैसी भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए।

- बाल-मैत्री कसौटी को मिलाते हुए जेएनयूआरएम की दूसरे चरण में पोषण संबंधी मुद्दों को एकीकृत किया जाए।

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

- सुनिश्चित करें कि विभिन्न योजनाओं के भीतर संबोधित विशेष समुदाय समूहों के बच्चों और महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। (यानी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए)
- अनुसूचित जातियों, अन्यो के लिए लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों के लिंग असंचयी ट्रेकिंग सुनिश्चित करें।
- रोकथाम, जल्दी पता लगाने, हस्तक्षेप, समुदाय आधारित प्रबंधन पुनर्वास, और शामिल किए जाने के नागरिक समाज और माता पिता के नेटवर्क सहित।
- बाल विकलांगता पर एक बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य बल का गठन करें – सिविल सोसायटी और अभिभावक नेटवर्क सहित प्रबंधन, पुनर्वास और समावेश आधारित रोकथाम, आरंभिक जांच, हस्तक्षेप।
- एनआरएचएम, आईसीडीएस और एसएसए कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य राष्ट्रीय/राज्य संस्थानों, संबंधित संस्थानों जैसे एनआईएमएच, एनआईएचएच, एनआईओएच, एनआईवीएच और संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकरण हेतु कोर प्रशिक्षण माड्यूल के विकास में बाल विकलांगता संसाधन केन्द्र स्थापित करना।
- नशीले पदार्थों के सेवन और हिंसा व शोषण की विभिन्न दुरुपयोग से प्रभावित बच्चों हेतु विशेष हस्तक्षेप किया जाए।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं में पोषण हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करना, उपयुक्त बजटीय आबंटन सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तकनीकी परामर्श ले सकता है और संस्थानों द्वारा मुहैया कराए जा रहे भोजन की क्वालिटी और पोषण मूल्य के संबंध में तकनीकी संस्थानों जैसे एनआईएन, एफएनबी से संपर्क कर सकता है।
- जिला योजनाओं के आधार पर समुदाय वंचित पोषण केन्द्र का प्रायोगिकीकरण।

13. श्रम और रोजगार मंत्रालय

- आरटीई के अनुसार बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम में संशोधन किया जाए।
- सुनिश्चित करें कि महिलाओं के लिए प्रासंगिक कानूनों के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं।
- गैर संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को सहायता देना और "गैर.मान्यता प्राप्त देखभाल अर्थव्यवस्था" को पहचानना।
- मातृत्व सुरक्षा और बाल देखरेख सहायता के प्रावधानों के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना।
- महिलाओं और बच्चों जैसे विशेष लक्षित समूहों के प्रावधानों, महिलाओं और बच्चों और पोषण से संबंधित घटकों को सुदृढ़ करने के लिए मौसमी/प्रवासी श्रमिक प्रावधान की समीक्षा करना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मजबूत बनाना और बीपीएल परिवारों को पोषण शिक्षा/आईईसी के लिए एक अवसर के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड उपयोग भी करें।

14. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

- सुनिश्चित करें कि मानक व्यवस्था में हैं ताकि मीडिया और इंटरनेट सामग्री/उसका उपयोग लिंग और बच्चे के प्रति संवेदनशील है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ राष्ट्रव्यापी ईआईसी और गहन मीडिया अभियान को सरल बनाना।
- निजी उपग्रह टीवी चैनलों के लिए जनहित में विज्ञापन/सार्वजनिक संदेश दिखाने को अनिवार्य करने के लिए 2005 के दिशा-निर्देशों के अपलिकग/डाउनलिकिंग पर विचार करना।
- दूरदर्शन पर प्राइम टाइम के दौरान पोषण संबंधी संदेश दिखाने के लिए समय आबंटित करना।
- स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण संदेशों के संप्रेषण के लिए समुदाय रेडियो सेवा के प्रयोग को सरल बनाना।

15. जनजातीय मामले मंत्रालय

- यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न योजनाओं के भीतर विशेष समुदाय को संबोधित समूहों (यानी अनुसूचित जनजातियों) की महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है।
- जनजातीय उपयोजना के भाग के रूप में जनजातीय क्षेत्रों के लिए पोषण हस्तक्षेप – विशेष तौर पर चयनित उच्च प्रभावित जिलों में।

222 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

- पीटीजी (विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों) पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- व्यापक मां एवं बाल देखरेख केन्द्र के तौर पर एडब्ल्यूसी का निर्माण और एचएसजी को जनजातीय उपयोजना द्वारा वित्तपोषण किया जाए – विशेषकर बड़े मूलभूत ढांचे के अंतराल वाले एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में।
- खाद्य की गुणवत्ता पर तकनीकी संस्थानों जैसे एनआईएन, एफएनबी को संलग्न करना और संस्थानों में उनके पोषण मान को मंत्रालय द्वारा संचालित संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है।

16. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

- सुनिश्चित करें कि विभिन्न योजनाओं के भीतर विशेष समुदाय समूहों (यानी अल्पसंख्यकों) के महिलाओं और बच्चों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए।
- क्षेत्रों, राज्यों और पंचायतों को प्रोत्साहित करना जहां, राज्य/जिले के भीतर और उनमें सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने के माध्यम से अल्पसंख्यकों सहित श्रेष्ठ अध्ययन/प्रेरण, सहित सामाजिक-धार्मिक समुदायों से संबंधित सामाजिक संकेतकों के समावेशन में सुधार आए।
- समुदाय स्तर पर अध्ययन केन्द्रों-समावेशन सहित, लड़कियों की शिक्षा हेतु विशेष हस्तक्षेप और एमएसडीपी में कौशल विकास को तीव्र किया जाए।
- सुनिश्चित करें कि लाभार्थी समूह (अल्पसंख्यक) द्वारा लाभार्थी उन्मुखी प्लैगशिप कार्यक्रमों में असंचयी और लैंगिक ट्रेकिंग ताकि बहु-अतिसंवेदनशीलता को संबोधित किया जा सके।
- एमएसडीपी के तहत आंगनवाड़ी सेवा और स्वास्थ्य सेवा के भौतिक मूलभूत संरचना का निर्माण।

17. पर्यावरण और वन मंत्रालय

- पर्यावरण के संरक्षक के तौर पर बच्चों का क्षमता विकास (स्कूल, कॉलेजों के माध्यम से)
- विस्थापित आबादी के लिए पुनर्वास योजनाओं के लिए पोषण सुरक्षा नेट का समावेशन।
- उन्नत वन/फसल वैविध्यकरण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के माध्यम से पोषण सुरक्षा में बढ़ोत्तरी हेतु समीक्षात्मक और सुदृढीकरण के उपाय।

18. युवा कार्य मंत्रालय

- पोषण और बालिका संबंधी संप्रेषण अभियानों के लिए युवा समूहों का लामबंदीकरण करना।
- प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण के माध्यम से कुपोषण मुक्त पंचायत/समुदायों हेतु युवा समूहों को सुदृढ करना।

19. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

- सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निगरानी योग्य लक्ष्यों, और सामुदायिक समूहों द्वारा लाभार्थी उन्मुखी प्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति की असंचयी संस्थागत करना।
- बाल लिंग अनुपात को संबोधित और पोषण हस्तक्षेप, एडब्ल्यूसी निर्माण आदि हेतु करने के लिए एमपीएलएडी फंड के प्रयोग की सर्वश्रेष्ठ विधियों/उदाहरणों को साझा करना।
- 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर को संबंधित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय/राज्य/विभाग/जिला स्तर पर समीक्षा के लिए प्रगति के संकेत के तौर पर रखना।

20. गृह मंत्रालय

- सुरक्षा और देह व्यापार-विरोध हेतु विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करते हुए बच्चों, महिलाओं व उनके समुदाय के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना।
- लिंग-संवेदी और बाल-अनुकूल कानून प्रवर्तन संस्थान और तंत्र सुनिश्चित करना।

24

सामाजिक समावेशन

प्रस्तावना

24.1. योजना में परम्परागत रूप से इस जरूरत पर प्रकाश डाला गया है कि ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित वर्ग को विशेष सहायता मुहैया कराई जाए। संविधान में अनुसूचित जाति (अनु. ज.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ. ज. जा.) को विशेष दर्जा दिया गया है। अन्य उपेक्षित वर्ग जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत है, उनमें अन्य पिछड़े वर्ग (अ. पि. व.) अल्पसंख्यक तथा अन्य सुभेद्य एवं हाशिए पर रखे गए वर्ग जो शारीरिक अपंगता से पीड़ित व्यक्ति जैसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बेसहारा बच्चे, भिक्षुक और मादक द्रव्यों के शिकार व्यक्ति शामिल हैं।

24.2. सामाजिक समूहों में गरीबी की दर अनु. जाति और अनु. जनजाति के बीच अधिक पाई गई है (तालिका 24.1)। जबकि इन समूहों के बीच गरीबी की दर पिछले वर्षों में अनु. जाति और अनु. जनजाति के लिए व्यक्ति संख्या अनुपात (एचसीआर) राष्ट्रीय औसत

से अधिक रही है। जबकि नवीनतम निर्धनता अनुमानों से यह जानना प्रोत्साहनकारी है कि निर्धनता अनु. जाति और अनु. जनजाति के लिए 2004-05 और 2009-10 के बीच तीव्र गति से कम हुई है। अनु. जाति और अनु. जनजाति के लिए एचसीआर में गिरावट की वार्षिक दर 2004-05 और 2009-2010 के बीच की अवधि में एचसीआर की गिरावट की समग्र वार्षिक दर से अधिक रही है। अनु. जाति के लिए वार्षिक दर में गिरावट 1993-94 और 2004-05 के बीच की अवधि में 0.80 प्रतिशत बिन्दु दर से तेजी से गिरावट के बाद 2004-05 और 2009-10 के बीच अब की अवधि में 2.25 प्रतिशत बिन्दु प्रति वर्ष हो गई है। अनु. जनजाति के बीच निर्धनता में कमी की वार्षिक गति 1993-94 और 2004-05 के बीच की अवधि में निराशाजनक थी (प्रति वर्ष 0.34 प्रतिशत बिन्दु)। जबकि 2004-05 और 2009-10 के बीच की अवधि में गिरावट की वार्षिक दर सीधे प्रति वर्ष 2.98 प्रतिशत बिन्दु की दर पर रही जो समग्र निर्धनता कमी की गति से अधिक है।

तालिका 24.1
सामाजिक समूहों के बीच निर्धनता की दर

सामाजिक समूह	ग्रामीण					शहरी				
	व्यक्ति संख्या अनुपात			गिरावट की वार्षिक दर		व्यक्ति संख्या अनुपात			गिरावट की वार्षिक दर	
	1993-94	2004-05	2009-10	1993-94 से 2004-05	2004-05 से 2009-10	1993-94	2004-05	2009-10	1993-94 से 2004-05	2004-05 से 2009-10
अनु. जाति	62.28	53.53	42.26	0.80	2.25	51.16	40.56	34.11	0.96	1.29
अनु. जनजाति	66.02	62.28	47.37	0.34	2.98	39.46	35.52	30.38	0.36	1.03
अखिल भारतीय	50.19	41.79	33.8	0.76	1.60	31.45	25.68	20.9	0.52	0.96

स्रोत: योजना आयोग।

24.3. इन उपेक्षित वर्गों तथा आबादी के अन्य वर्गों के बीच भेद भाव को दूर करने के लिए वर्षों से कई प्रयास किए गए हैं। परन्तु यह भेद अभी भी मौजूद है तथा इनको दूर करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। बारहवीं योजना के सामाजिक न्याय उद्देश्यों को समाज के इन सभी वर्गों के विकास लाभ में सम्पूर्ण भागीदारी करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए समावेशी विकास प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें इन स्कीमों के साथ मिलकर विकास की प्रक्रिया में सभी को भागीदारी करने का अवसर मिले जिससे या तो इनको प्रत्यक्ष लाभ पहुंचने या इन वर्गों को ऐसे लाभ प्राप्त करने में सहायता मिले जो विकास की सामान्य प्रक्रिया में इन्हें नहीं मिल पाते हैं।

24.4. इस अध्याय में, इन उपेक्षित वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए प्रयासों की समीक्षा की गई है और यह इसमें उनका सशक्तीकरण करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में की जाने वाली नई पहलों का उल्लेख किया गया है।

24.5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में त्रि-आयामी कार्यनीति बनायी गई थी:

24.6. सामाजिक अधिकारिता-सामाजिक विकास में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हुए आधारभूत न्यूनतम सेवाओं तक उनकी पहुंच सुलभ बनाने के अतिरिक्त, मौजूदा एवं चिरकालिक असमानाओं को दूर करना;

1. आर्थिक अधिकारिता-उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से रोजगार-सह-आय संवर्धन क्रियाकलाप करना; और
2. सामाजिक न्याय-विधायी सहायता, सकारात्मक कार्यवाही जागरूकता सृजन, लोगों के मन में भरी दुर्भावना में परिवर्तन लाकर सभी तरह के भेदभाव का उपशमन करने के प्रयास करना।
3. समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के निहितार्थों तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर इस कार्यनीति की प्रभावकारिता का वर्णन किया गया है।

अनुसूचित जाति (अ.जा.)

24.7. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में 16.2 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति की आबादी का है और यह प्रतिशत

वर्ष 2011 की जनगणना में मामूली सा बढ़कर 16.9 प्रतिशत हो गया है। अनुसूचित जाति समुदाय के लोग लगभग पूरे देश में फैले हुए हैं और उनकी आबादी में से 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अनुसूचित जाति का लगभग आधा भाग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार नाम पांच राज्यों में रहता है। अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा ऐतिहासिक रूप से सहन की जा रही गंभीर सामाजिक अशक्तता और शैक्षणिक एवं आर्थिक वंचना को मानते हुए हमारे संविधान ने उनके हितों का विकास करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।

अनुसूचित जाति का विकास: एक अवलोकन शिक्षा

24.8. शिक्षा को सामान्यतः बढ़ावा देना, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख क्षेत्र था और इसमें अनुसूचित जाति के लोगों, खासकर महिलाओं एवं बालिकाओं का शैक्षणिक विकास करने के विशेष उद्देश्य से कई स्कीमों शामिल की गईं। व्यक्तिगत छात्रवृत्ति की सात स्कीमों का विवरण नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्कीम के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए आबंटन और व्यय का वर्णन तालिका 24.2 में दिया गया है।

मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति

24.9. अनुसूचित जाति के वर्गों का शैक्षणिक सशक्तीकरण करने के लिए भारत सरकार की यह एक सबसे बड़ी पहल है। इसमें अनुसूचित जाति के लगभग 48 लाख विद्यार्थियों को मैट्रिकुलेशन के उपरांत

तालिका 24.2

अनुसूचित जाति के लिए विशेष योजनाओं हेतु ग्यारहवीं योजना में किया गया आबंटन और व्यय

	(करोड़ रुपए में)	
	आबंटन	व्यय
1 मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	4,082.00	7,344.93
2 अस्वच्छ पेशों में लगे व्यक्तियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	200.00	264.25
3 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा	204.00	44.36
4 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	125.00	18.32
5 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	574.70	518.98
6 योग्यता उन्नयन	10.00	10.74
7 निःशुल्क कोचिंग के लिए स्कीम	43.00	27.09
8 कुल	5,238.70	8,228.67

विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जहां वचनबद्ध उत्तरदायित्व उन पर लागू नहीं है, को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनकी वचनबद्ध देयता के अलावा, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम में दिसम्बर, 2010 में संशोधन किया गया था। इस स्कीम में छात्रवृत्ति की दर बढ़ाने के साथ-साथ उन अभिभावकों, जिनके बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं, की आय सीमा ₹1.00 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ₹2.00 लाख प्रतिवर्ष कर दी गई है।

अस्वच्छ पेशों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

24.10. 1977-78 से क्रियान्वित की जा रही इस स्कीम में हाथ से मैला साफ करने वाले चर्म परिशोधन करने वाले, चमड़ा उतारने वालों और सफाई कर्मियों के उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जिनके यहां हाथ से मैला साफ करने का काम परम्परागत रूप से होता है, ताकि वे मैट्रिक पूर्व शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस स्कीम में वर्ष 2008 में परिवर्तन करके वचनबद्ध उत्तरदायित्व के अलावा केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई और छात्रवृत्ति की दर बढ़ा दी गई। इस स्कीम के अंतर्गत कक्षा-1 से 10 तक की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे बच्चों को ₹110 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इन बच्चों को प्रतिवर्ष ₹750 का तदर्थ अनुदान भी दिया जाता है। तथापि, कक्षा-3 से 10 तक की कक्षाओं में पढ़ रहे उन बच्चों को, जो छात्रावासों में रहते हैं, ₹700 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है और प्रतिमाह ₹1000 का तदर्थ अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख बच्चों को फायदा मिलता है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा

24.11. इस स्कीम का उद्देश्य बारहवीं कक्षा के उपरांत देश के प्रमुख संस्थानों में अध्ययन करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता देकर अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम 1250 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 205 प्रमुख संस्थानों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा/दंत चिकित्सा, विधि, प्रबंधन और अन्य विशेषीकृत संकायों सहित 182 पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जाति के वे विद्यार्थी जो अधिसूचित संस्थानों (संबंधित संस्थानों द्वारा विनिर्धारित मानदंडों के अनुसार) में दाखिला प्राप्त करते हैं और जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹4 लाख (अभी हाल ही में ₹2 लाख से संशोधित करके) है, यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र है।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम (एमओएस)

24.12. इस स्कीम के अंतर्गत परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में उच्चतर अध्ययन करने के लिए चुनिंदा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2009-10 यह स्कीम केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्रों तक प्रतिबंधित थी परन्तु वर्ष 2010-11 में इसमें चिकित्सा, कृषि विज्ञान तथा प्रबंधन सहित अन्य शिक्षा शाखाओं को शामिल करके इसके दायरे को व्यापक बना दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 30 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिसमें 9 छात्रवृत्तियां (30 प्रतिशत) महिला अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित की गई हैं। इस स्कीम में संस्थान द्वारा प्रभारित शुल्क, मासिक अनुरक्षण भत्ता, पारगमन एवं वीजा शुल्क, आकस्मिक भत्ता आदि शामिल होता है। यह उन छात्रवृत्ति उन अभ्यर्थियों को दी जाती है जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं है और जिनके अभिभावकों/संरक्षकों की आमदनी प्रतिमाह ₹25000 से अधिक नहीं है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ)

24.13. इस स्कीम की शुरुआत वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने तथा एम-फिल और पीएच.डी जैसी अनुसंधान उपाधियां प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देने के विशेष प्रोत्साहन के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इसके लाभ यूजीसी की कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एसआरएफ) के समरूप होते हैं। इस योजना में वर्ष 2010-11 में संशोधन किया गया और अध्येतावृत्तियों की संख्या 1333 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई जिससे कि अनुसूचित जाति से अधिक विद्यार्थियों का लाभ मिल सके। यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आय सीमा ₹3.00 लाख प्रति वर्ष है।

मैरिट उन्नयन

24.14. यह योजना 1987-88 से लागू है और इसमें अनुसूचित जाति के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को उपचारी एवं निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराने वाले शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु उनकी योग्यता का उन्नयन किया जा सके।

मुक्त कोचिंग के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

24.15. यह योजना, जो छठवीं पंचवर्षीय योजना से कार्यान्वित की जा रही है, अनुसूचित जाति तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्ग के उन विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन परीक्षाओं में शामिल

हैं केन्द्र/राज्य सरकार के समूह 'क' और 'ख' श्रेणी की परीक्षाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अधिकारी ग्रेड परीक्षा, बैंक आदि और कॉल सेंटर्स, बीपीओ, खुदरा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए गैर सरकारी में रोजगार के लिए दक्षता विकास कार्यक्रम जैसी परीक्षाओं को कवर किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत आय सीमा ₹2.00 लाख प्रति माह है। इस स्कीम में अप्रैल, 2007 में संशोधन किया गया। इस स्कीम के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि में कुल परिव्यय ₹43.00 करोड़ का था और इस पर ₹27.09 करोड़ का सम्भावित व्यय हुआ जिससे लगभग 19500 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)

24.16. 1963-64 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य (जिसे 01.01.2008 से बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के रूप में पुनर्नामित किया गया) बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की अवधारण दर बढ़ाना है। अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं को माध्यमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन करने के लिए छात्रावासों के रूप में सुविधा प्रदान कराई जाती है। छात्रावास भवनों का निर्माण कराने के लिए राज्यों को (50: 50) मैचिंग आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत तथा (वर्ष 2007-08 से अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु छात्रावास के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान कराई जाती है। वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान 98 बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया गया जिससे 6379 लाभग्राहियों को फायदा पहुंचा तथा 9603 लाभग्राहियों को कवर करते हुए 125 बालक छात्रावासों का निर्माण कराया गया।

आर्थिक विकास

24.17. समावेशन प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों का आर्थिक सशक्तीकरण एक महत्वपूर्ण साधन है और शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण का प्रमुख तत्व है, अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए इस उद्देश्य को कई कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त किया जाता है जिसमें महिलाओं, से हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों और अधिकतम पिछड़े समुदायों को शामिल किया जाता है। अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय अनुसूचित वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)

24.18. एनएसएफडीसी की स्थापना 1989 में की गई थी। यह विभिन्न आय सृजनकारी गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए लाभग्राहियों को

वित्तीय एवं अन्य सहायता मुहैया कराता है। इस निगम ने दिसम्बर, 2009 से एक शिक्षा ऋण योजना शुरू की है। एनएसएफडीसी की प्राधिकृत पूंजी ₹1000 करोड़ और संचयी शेयर पूंजी ₹676.80 करोड़ है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (निगम ने अनुसूचित जाति के 7.95 लाख लाभग्राहियों को ₹2302.91 करोड़ का वितरण किया था।

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)

24.19. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम की योजना की शुरुआत 1979 में अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) के इक्विटी शेयर में 49: 51 (49 प्रतिशत एमएसजेई और 51 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा) के अनुपात में भागीदारी के उद्देश्य से की गई। एससीडीसी के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की पहचान करना, आर्थिक स्कीम ग्रहण करने के लिए उत्प्रेरण करना, ऋण सहायता के लिए इस स्कीम का वित्तीय संस्थानों को प्रायोजित करना, पुनर्भुगतान दायित्व को कम करने के उद्देश्य से अल्प ब्याज दर पर मार्जिन मनी और उपदान के रूप में वित्तीय सहायता देना और उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ जोड़ना। एससीडीसी वित्त में रोजगार उन्मुखी स्कीमों में हैं और इसमें लघु सिंचाई, लघु उद्योग परिवहन और व्यापार एवं सेवा सहित कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों को शामिल किया गया है।

24.20. एनएससीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी केवल सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर है जबकि यह उम्मीद थी कि वे एक सामाजिक अधिदेश के साथ स्वतंत्र वित्त पोषण करने वाले साधन बनेंगे। इससे निगम द्वारा अभिज्ञात आर्थिक क्रियाकलापों की व्यवहार्यता के सम्बंध में प्रश्न उठता है। समग्र रूप से यह स्कीम पुनर्गठित करने की जरूरत है ताकि ये निगम वित्तीय रूप से अधिक अर्थक्षम और वहनीय बन सके। इन निगमों का पूरी तरह व्यवसायीकरण करने की जरूरत है ताकि उनके द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों से ऋण प्राप्त करने वालों की उद्यमिता दक्षता विकास में सहायता मिल सके।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

24.21. एनएसकेएफडीसी की स्थापना 1997 में सफाई कर्मचारियों को स्वरोजगार का वैकल्पिक पेशा और दक्षता विकास की स्कीम का संवर्धन करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देकर उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से की गई थी। लाभग्राहियों की पहचान करने और ऋणों का संवितरण करने के लिए राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम सारणीकरण अभिकरण हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। तथापि, लक्ष्य वर्ग में महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अलावा हाथ से मैला साफ करने वाले उन व्यक्तियों के पुनर्वास और विकास को वरीयता दी जाएगी जिनकी आमदनी गरीबी रेखा से दोगुनी नीचे है। निगम प्राधिकृत शेरार पूंजी को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर फरवरी, 2009 में ₹600 करोड़ किया गया है। एनएसकेएफडीसी का इसके निगमन की तारीख से दिनांक 31.3.2012 तक ₹724.24 करोड़ का संचयी संवितरण हुआ जिससे 2.31 लाख लाभग्राहियों को फायदा पहुंचा।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

24.22. अनुसूचित जाति की आबादी बहुल 1000 गांवों का एकीकृत विकास करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस स्कीम की शुरुआत मार्च, 2010 में प्रायोगिक स्कीम के रूप में की गई थी। यह स्कीम इस समय पांच राज्यों अर्थात् असम (100 गांव), बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु (प्रत्येक में 225 गांव) में चलाई जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य है 50 प्रतिशत से अधिक की अनुसूचित जाति की आबादी वाले 1000 चुनिंदा गांवों को "प्रतिदर्श गांवों" के रूप में एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। इस चुनिंदा गांवों का एकीकृत विकास केन्द्रीय और राज्य सरकारों की मौजूदा स्कीमों के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त किया जाना है। इस योजना के लिए चयनित प्रत्येक गांव को ₹10 लाख की केन्द्रीय सहायता दी जाती थी जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011-12 से ₹20 लाख कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली अन्य महत्वपूर्ण स्कीमें

24.23. समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्रमों के अलावा केन्द्रीय सरकार के कई अन्य ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका लक्ष्य अनन्यतः अनुसूचित जाति को फायदा पहुंचाना ही नहीं है, फिर भी वे अनुसूचित जाति को उनकी आबादी से अधिक के अनुपात में फायदा पहुंचाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम 'भारत निर्माण' का भाग हैं और इसमें अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल हैं जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम आदि।

हस्त झाड़ू-बरदारी की समाप्ति एवं हस्त झाड़ू-बरदारी करने वालों का पुनर्वास

24.24. हस्त झाड़ू-बरदारों और उनके आश्रितों के लिए राष्ट्रीय हस्त झाड़ू-बरदारी मुक्ति एवं पुनर्वास स्कीम (एनएसएलआरएमएस) 1992 से चलाई जा रही है। एनएसएलआरएमएस के जरिए 7.70

लाख हस्त-झाड़ू बरदारों का पुनर्वास किया जाना है। वर्ष 2006 की समाप्ति तक 4.28 लाख लाभग्राहियों का पुनर्वास कर दिया गया था। हस्त झाड़ू बरदारों का पुनर्वास करने के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) की शुरुआत जनवरी, 2007 में शेष बचे 3.42 लाख हस्त झाड़ू-बरदारों और उनके आश्रितों का मार्च, 2009 तक पुनर्वास कर दिए जाने के उद्देश्य से की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत अभिज्ञात लाभग्राहियों को ₹5.00 लाख तक की लागत वाली स्वरोजगार परियोजना स्थापित करने के लिए इमदाद युक्त ब्याज दर पर (4-6 प्रतिशत प्रति वर्ष) ऋण और ₹25000 तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत की 50 प्रतिशत की दर से और ₹25000 से ऊपर की परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिन्कड अपफ्रन्ट पूंजी इमदाद जो न्यूनतम ₹12500 और अधिकतम ₹20000 होगी, प्रदान कराई जाती है। एसआरएमएस में मूल रूप से हस्त-झाड़ू-बरदारों को वैकल्पिक पेशों में लगाकर वर्ष 2009 तक उनका पुनर्वास करने की परिकल्पना थी। तदुपरांत यह समय सीमा बढ़ाकर मार्च, 2010 कर दी गयी। तथापि 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने 118474 ऐसे झाड़ू-बरदारों और उनके आश्रितों की सूचना दी है जिनको मार्च, 2010 की समाप्ति तक वैकल्पिक देशों में पुनर्वास किया जाना बाकी है। सभी 18 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने उनके द्वारा अभिज्ञात सभी पात्र एवं इच्छुक लाभग्राहियों का पुनर्वास करने की पुष्टि की है।

24.25. हस्त-झाड़ू-बरदारी प्रथा का पूरी तरह से उपशमन करने के लिए राष्ट्रीय परामर्शी समिति (एनएसी) ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के संकल्प में, अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि हस्त-झाड़ू-बरदारी प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दिए जाने के बावजूद अभी भी विद्यमान है और उसने केन्द्रीय सरकार से सभी राज्यों, स्थानीय निकायों और अन्य (रेलवे सहित) के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि यह प्रथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। "हस्त झाड़ू बरदारी का रोजगार के रूप में निषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012" को संसद में लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हस्त झाड़ू बरदारी का सर्वेक्षण सामाजिक - आर्थिक जाति जनगणना (ग्रामीण) के भाग के रूप में जारी है। शहरी क्षेत्रों में हस्त झाड़ू बरदारी का समान सर्वेक्षण करने के कदम आरंभ किए गए हैं। हस्त झाड़ू बरदारी के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) में संशोधन के भी कदम उठाए गए हैं।

संरक्षात्मक उपाय

24.26. अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण संरक्षणात्मक विधान हैं (1) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवर्णन) अधिनियम, 1989। इन संरक्षात्मक विधानों के बावजूद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों खासकर उनकी महिलाओं पर किए गए अत्याचारों और अपराधों की सूचना कमोबेश रूप से देश के सभी भागों से प्राप्त हुए।

24.27. आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में कुछ अत्याचार बहुल क्षेत्रों की पहचान की है। राज्य सरकारों से विशेष रूप से कहा गया है कि वे अत्याचार बहुत क्षेत्र की सावधानी से पहचान करें और उनकी आय सृजन करने वाली लाभग्राही उन्मुखी स्कीमों स्वयं सहायता समूहों, खासकर महिलाओं के लिए संवर्धन करने और लिक रोड जैसी बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन करने सहित उनके विकास के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ संरक्षणत्मक उपायों के रूप में विशेष कार्यनीति बनाएं।

अनुसूचित जाति: बारहवीं योजना के लिए कार्यनीति

24.28. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में समग्र सुधार के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए और इसके लिए इन समुदायों की वास्तविक जरूरतों और समस्याओं के आधार पर उनका सामाजिक विकास एवं आर्थिक सशक्तीकरण करने हेतु सुसंतुलित प्राथमिकीकरण प्रयास किए जाएं। अनुसूचित जाति का सशक्तीकरण करने के लिए बारहवीं योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

1. अनुसूचित जाति से संबंधित सभी व्यक्तियों खासकर महिलाओं पर ध्यान देते हुए उनकी सरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करना तथा अनुसूचित जाति के अत्यधिक पिछड़े समुदायों का विकास सुनिश्चित करना तथा सभी तरह की 'छुआछूत' और भेदभाव के जड़ से समाप्त करना।
2. अनुसूचित जाति के सभी पुरुषों और महिलाओं दोनों को अधिकतम यथा सीमा तक विकास के सभी पहलुओं अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, आय सृजन और रोजगार परकता में गैर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों के बराबर यथासम्भव अधिकतम सीमा तक पहुंचाना।
3. अनुसूचित जाति के लोगों को अन्य लोगों की तरह ही समाज और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के हेतु अधिकारिता प्रदान करना।
4. समावेशी वृद्धि के लिए एससीएसपी का एक आवश्यक उपाय के रूप में प्रभावकारी कार्यान्वयन करना।

शैक्षिक विकास

- अनुसूचित जाति की स्थिति में सुधार करने के लिए शिक्षा एक अत्यधिक साधन बना रहेगा क्योंकि इससे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की नए आर्थिक अवसरों में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित होगी। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उनका शैक्षणिक विकास करने के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति के रूप में जरूरी सहायता देकर, छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधाएं बढ़ाकर, योग्य शिक्षकों युक्त उच्च गुणवत्ता वाले प्री स्कूल संस्थानों को शामिल करके आंगनबाड़ियों का उन्नयन करके, संपूर्ण देश में उच्च क्वालिटी के आवासीय विद्यालयों की स्थापना द्वारा ताकि अनुसूचित जाति के सभी बालक एवं बालिकाओं को उनमें दाखिल मिल सके और वे कक्षा बारह तक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जनजाति के लोग उनके लिए आरक्षण का पूरा कोटा प्राप्त कर सकें और उच्चतर शिक्षा में मैरिट कोटा में भी शामिल हो सकें और जीवन यापन लागत सूचक या उपभोक्ता कीमत सूचक (सीपीआई) में वृद्धि के आधार पर हर दो वर्ष में छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन करके विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उपाय करने का प्रयास किया जाएगा:
- मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम जो इस समय हस्त झाड़ू-बरदारों के बच्चों के लिए मौजूद है उसे अनुसूचित जाति के सभी वर्गों के लिए शुरू करने की आवश्यकता है जिससे कि उन्हें हस्त झाड़ूबरदारी में संलग्न होने से रोका जा सके। वर्ष 2012-13 के दौरान कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले अनु. जनजाति के छात्रों के लिए एक नई पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई है। इस योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले अनु. जनजाति छात्रों तक विस्तारित करने की जरूरत है, ताकि कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले सभी अनु. जाति छात्रों को बारहवीं योजना के अंतिम वर्ष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलनी आरंभ हो सके। बच्चों को स्कूल में रोके जाने के लिए न केवल विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है बल्कि इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलनी चाहिए और अनुसूचित जाति के बच्चों खास तौर पर अनुसूचित जाति की लड़कियों को मुक्त किताबें, मध्याह्न भोजन और छात्रावास जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान कराई जानी चाहिए।
- अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति स्कीम में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकुलेशन के उपरांत विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। इस स्कीम में दसवीं या बारहवीं बोर्ड परीक्षा

निर्धारित प्रतिशत से अधिक प्रतिशत प्राप्त करके पास करने वाले अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप या अन्य उपयुक्त कम्प्यूटर देने का प्रावधान है।

- अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) को वर्ष 2010-11 में 2000 विद्यार्थियों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अध्येतावृत्ति में और अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- 'राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति' स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की संख्या को अध्ययन के क्षेत्र, जिसके लिए यह छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, को बिना किसी प्रतिबंध के पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग स्कीम के अंतर्गत आईआईटी, जेईई, एआईईईई, सीपीएमटी, सीएलपीटी, सीएटी आदि जैसे व्यावसायिक संस्थानों की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जानी चाहिए। इस स्कीम में व्यापक संशोधन किया जाए जिससे कि यह अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए और अधिक फायदेमंद हो सके। मधुर/संप्रेषण दक्षता का उन्नयन करना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख चुनौती है और इसका समुचित समाधान निकाला जाना चाहिए।
- राज्य सरकारों को चाहिए कि वे वित्त तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त निधियों का उपयोग करके छात्रावासों का संतोषजनक स्तर तक उन्नयन करें। ऐसी परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए दो लाख सीटों की अतिरिक्त क्षमता युक्त छात्रावास जरूरत के आधार पर बनाने की जरूरत है जिसमें न्यूनतम पचास प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए हों। बालक छात्रावासों का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संशोधन किया जाएगा ताकि समेकित छात्रावासों में अनु. जाति छात्रों के लिए विशिष्ट रूप से छात्रावासों के निर्माण के अलावा इनके लिए अतिरिक्त स्थानों हेतु सहायता प्रदान की जा सके।
- अच्छे स्कूलों/रिहायशी स्कूलों तक पहुंच, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, खासकर अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, उनकी वास्तविक जरूरत की तुलना में बहुत क्या है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने और नवोदय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित

आरक्षण हो। तथापि, सीमित पहुंच की समस्या अभी भी बनी हुई है। अतः उन ब्लॉकों में, जहां अनुसूचित जाति के लोगों का संकेन्द्रण ज्यादा है, अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के लिए अच्छे रिहायशी विद्यालय स्थापित करने की जरूरत है जिससे कि अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली बालक और बालिकाओं की उन रिहायशी विद्यालयों तक यथा संभव शीघ्र पहुंच सुनिश्चित हो सके।

आर्थिक विकास

24.29. बारहवीं योजना में रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक सशक्तीकरण करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। संबंधित लक्ष्य समूहों का आर्थिक विकास करने के लिए स्थापित विभिन्न वित्तीय संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एसएसीए) के जरिए अपनी निधियों के सुप्रवाह (चैनलाइजिंग) में कई बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है। इन एजेंसियों की ऋण वसूली बहुत कम है परन्तु राज्य सरकारें, ऋण देने के लिए अपेक्षित ब्लाक गारंटी देने के इच्छुक नहीं हैं। अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारियों को ऋण सरणीकरण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगमों को वैकल्पिक एजेंसियों के रूप पर विचार करने की जरूरत है ताकि वे सभी राज्यों में, अपना लक्ष्य पूरा कर सके। अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) को इक्विटी सहायता के संबंध में एलएसकेएफडीसी को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कम से कम एक लाख लाभग्राहियों को सहायता दी जानी चाहिए। दक्षता विकास कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

24.30. आर्थिक विकास कार्यक्रम को यथा आशयित सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित करने और संस्थागत ऋण सस्ती दरों पर दिलाने के उद्देश्य से एससीडीसीज को क्षमता निर्माण, सूक्ष्म वित्त पोषण के साथ नेटवर्क संयोजन, जोखिम शेरिंग, जोखिम प्रशमन और अर्थक्षम आर्थिक उद्यमों का चयन करने पर विशेष बल देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, ऋण वसूली में सुधार करने के लिए ऋणों की वसूली हेतु एक प्रभावकारी तंत्र बनाने की जरूरत है। एससीडीसी के प्रबंधन में व्यावसायीकरण के तत्व को इसके कर्मचारियों की सतत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और कम्प्यूटरीकरण करके शामिल करने की जरूरत है। एससीडीसी के प्रचालन, लागत प्रचालन को पूरा करने के लिए वसूली की वर्तमान दर पर आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं है। इसलिए एससीडीसी के कार्यकरण में सुधार

करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है जिससे कि वे अर्थक्षम एवं स्वतंत्र सहायक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।

24.31. गैर अनुसूचित जाति के लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति के लोग अधिक भूमिहीन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की अधिशेष भूमि अनुसूचित जाति के भूमिहीन कुछ श्रमिकों में बांटे जाने की तीव्र प्रयास किए जाने चाहिए। यह भूमि वितरण समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने की जरूरत है जिससे कि अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों को यथाशीघ्र इसका लाभ मिल सके।

24.32. अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्कीमों कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, उनके विकास के लिए उन विभिन्न नवोन्मेषकारी क्रियाकलापों को करने के लिए, जो इस समय किसी भी मौजूदा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं जैसे अनुसूचित जाति के प्रतिभावान दस्तकारों एवं कलाकारों को प्रशिक्षित करने और उनका विकास करने के लिए, एक राष्ट्रीय निधिकोष बनाने की जरूरत है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा और सम्भाव्यता, जो अन्यथा मौजूदा स्कीमों में शामिल नहीं है, को सम्बल देने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक नवोन्मेषकारी विकास क्रियाकलाप हेतु राष्ट्रीय विधि का सृजन करना वांछनीय है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जरिए किया जाएगा।

24.33. अनुसूचित जाति के दस्तकारों एवं उद्यमियों को अपने उत्पाद का विपणन करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विगत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी द्वारा उनके उत्पाद का प्रदर्शन और विपणन सुलभ बनाने के लिए कुछ पहले की थी। तथापि इन पहलों का दायरा बहुत सीमित है। अतः अनुसूचित जाति के उद्यमियों/दस्तकारों को अपने उत्पाद का विपणन संस्थात्मक ढंग से करने के लिए एक सदृढ़ संस्थागत तंत्र सृजित करने की आवश्यकता है। बारहवीं योजना में अनुसूचित जाति के उद्यमियों/दस्तकारों द्वारा विनिर्मित उत्पाद का विपणन करने के लिए ट्राइफेड की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्तर का स्थायी विपणन संस्थान स्थापित करने की जरूरत है।

अनुसूचित जनजाति

24.34. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 84.33 मिलियन है। अनुसूचित जनजातियों

देश की कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत हैं अनुसूचित जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के लोग देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 15 प्रतिशत भू-भाग और मुख्यतः वनों, पहाड़ों तथा दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनके एकांत क्षेत्रों एवं दूर दराज के क्षेत्रों में रहने के कारण उन तक अनिवार्य सेवाओं का पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और समग्र विकास की लहर का फायदा उन तक पहुंचाना भी असंभव हो जाता है। अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में से 2.59 मिलियन (3.07 प्रतिशत) विशेष रूप से सुभेद्य जनजाति वर्ग (पीवीटीजी) में आते हैं, जिनका पहले आदिम जनजाति वर्ग (पीटीजी) के रूप में उल्लेख किया गया था। 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीवीटीजी के 75 अभिज्ञात वर्ग हैं।

अनुसूचित जनजातियों का विकास: एक अवलोकन

24.35. अनुसूचित जाति की तुलना में अनुसूचित जनजाति की आबादी दूरदराज के क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण सामान्य विकास कार्यक्रमों का लाभ उन तक बहुत सीमित मात्रा में पहुंच पाता है और इसलिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। अनुसूचित जनजातियों को समुचित लाभ पहुंचाने के विशेष प्रयास करने की जरूरत को पहली योजना से प्रारंभ करके सभी योजनाओं में माना गया था। समय के साथ यह कार्यनीति बहुआयामी कार्यनीति में परिवर्तित हो गई जिसका चरम उत्कर्ष ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हुआ जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों तक विकास के सभी लाभ पहुंचाने का समावेशन किया गया।

24.36. योजना आयोग की मानव विकास रिपोर्ट 2011 में खुले तौर पर माना गया है कि पिछले समय से अनु. जनजाति के लिए खपत व्यय बढ़ता रहा है, फिर भी इसकी वृद्धि की दर अखिल भारतीय औसत से कम थी। पुनः, 1999-2000 और 2007-2008 के दौरान अनु. जनजाति और मुस्लिमों के लिए राष्ट्रीय औसत से मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (एमपीसीडी) में भिन्न मार्ग पर है, वे 1998-1999 और 2005-06 के दौरान महिला कुपोषण के संदर्भ में भी राष्ट्रीय औसत से 1998 के दौरान महिला कुपोषण के संदर्भ में भिन्न मार्ग पर रहे। अखिल भारत में 66 प्रतिशत की तुलना में केवल एक तिहाई अनुसूचित जनजाति और लगभग आधे अनुसूचित जाति के लोग पक्के घरों में रहते हैं। समय के दौरान सुधार की धीमी गति के कारण अनु. जनजाति के परिवारों ने पक्के घरों में रहने वाले परिवारों के राष्ट्रीय औसत से एक भिन्न मार्ग पर आगे बढ़ने का अनुभव किया है।

24.37. जनजातीय क्षेत्रों में मौजूदा योजनाओं के दुर्बल कार्यान्वयन का अर्थ है कि न केवल निर्धनता इन क्षेत्रों में असाधारण रूप से उच्च

तालिका 24.3
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण आबादी
(1993-94, 1999-2000, और 2004-05)

श्रेणी	1993-94	2004-05
कुल	50.19	41.79
अनु. जनजाति	66.02	62.28
अंतराल	15.83	20.49

स्रोत: पीपी प्रभाग, योजना आयोग।

स्तर पर बनी हुई है, परन्तु गरीबी में कमी संपूर्ण देश की तुलना में यहां बहुत कम आई है जैसा कि तालिका 24.3 में दर्शाया गया है।

24.38. इस प्रकार यह अंतर लगातार बढ़ता रहा है जिसका परिणाम 1993-94 और 2004-05 के बीच यह हुआ कि देश के निर्धनता में जनजातियों की हिस्सेदारी 15.83 से बढ़ कर 20.48 प्रतिशत हो गई। अनु.जनजातियों का पिछड़ा पन इस तथ्य को दर्शाता है कि भौगोलिक निष्कासन से स्व रोजगार के नए अवसरों तक इनकी पहुंच सीमित हुई है और श्रमिक आपूर्ति के रूप में ये दूरदराज के गांवों में अधिक संख्या में बने हुए हैं जहां उपेक्षणीय प्रवास के साथ इनके समूह कृषि के बर्बादी के कारण उस सीमा तक आगे नहीं बढ़ पाए जैसा कि अनुसूचित जातियों के साथ हुआ था।

24.39. अनु. जनजाति और सामान्य आबादी के साक्षरता स्तरों और स्वास्थ्य संकेतकों के बीच समान अंतराल बना हुआ है और यह पिछले वर्षों में और अधिक बढ़ गया है। अनु. जनजाति और सामान्य आबादी के बीच साक्षरता स्तरों के बीच का अंतर तालिका 24.4 और तालिका 24.5 में दर्शाया गया है।

24.40. इस प्रकार साक्षरता स्तरों के अंतराल में, जनजातीय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए इस तथ्य के बावजूद उल्लेखनीय रूप

तालिका 24.4
अनु. जनजाति और कुल आबादी की साक्षरता दरें (प्रतिशत)

श्रेणी	1971	1981	1991	2001
कुल जनसंख्या	29.45	36.23	52.21	65.38
अनु. जनजाति	11.30	16.35	29.60	47.10
अंतराल	18.15	19.88	22.61	18.28

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

से गिरावट नहीं आई है कि जनजातीय विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का एक बड़ा अनुपात शिक्षा के एकल क्षेत्र से संबंधित है। यह अंतराल और भी बढ़ जाएगा यदि उपरोक्त तालिका से पूर्वोत्तर राज्यों को हटा दिया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनजातियों के शिक्षा और स्वास्थ्य के मानक राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक हैं। भारत में ऐसे जिले भी हैं जहां आदिवासियों के बीच महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से भी कम है।

24.41. पढ़ाई छोड़ने की दर शैक्षिक विकास और एक दिए गए सामाजिक समूह द्वारा शिक्षा के विशिष्ट स्तर को पूरा करने में कमी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जनजातियों के मामले में पढ़ाई छोड़ने की दर अब भी बहुत उच्च हैं – वर्ष 2008-09 में कक्षा 1 से 5 तक 31.33 प्रतिशत, कक्षा 1 से 8 तक 58.3 प्रतिशत, और कक्षा 1 से 10 तक 76.9 प्रतिशत (स्रोत: भारत के चुने हुए शैक्षिक आंकड़े 2008-09, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

24.42. 2012 में सर्व शिक्षा अभियान के 16वें संयुक्त समीक्षा मिशन की टिप्पणियों से कुछ प्रमुख सरोकार की 6-14 वर्ष की आबादी में अनु. जाति और अनु. जनजाति तथा मुस्लिम बच्चों के नामांकन में कमी आई है। सामाजिक श्रेणियों के बीच अनु. जनजाति के नामांकन की दरें सबसे कम रही हैं। डीआईएसई आंकड़ों के अनुसार अनु. जाति के बच्चों का नामांकन 2009 में 19.81 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 19.06 प्रतिशत हो गया है। समान अवधि के लिए अनु. जनजाति के बच्चों का नामांकन 10.93 प्रतिशत से घट कर 10.70 प्रतिशत हो गया है। निगरानी संस्थानों की रिपोर्टों में भी देखा गया है कि इन सभी राज्यों अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा मुस्लिम बच्चों की अधिगम उपलब्धि के स्तरों में उल्लेखनीय अंतराल थे।

24.43. अनु. जाति और अनु. जनजाति दोनों की स्वास्थ्य स्थिति समाज के अन्य वर्गों की तुलना में बहुत खराब है। चूंकि अनु. जाति और अनु. जनजाति के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बहुत सीमित

तालिका 24.5
अनु. जनजाति और कुल आबादी की महिला साक्षरता दरें (प्रतिशत)

श्रेणी	1971	1981	1991	2001
सभी	18.69	29.85	39.29	54.16
अनु. जनजाति	4.85	8.04	18.19	34.76
अंतराल	13.84	21.81	21.10	19.40

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

232 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

हैं, केवल 42 प्रतिशत अनु. जाति महिलाएं प्रसव पूर्व देखभाल के लिए डॉक्टर तक पहुंच पाती हैं और केवल 28 प्रतिशत एएनएम की सुविधा पाती हैं। किन्तु अन्य 64 प्रतिशत महिलाओं को डॉक्टर से प्रसव पूर्व देखभाल मिलती है। पुनः, चूंकि अधिकांश अनु. जनजाति महिलाएं दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, केवल 18 प्रतिशत सभी अनु. जनजाति की महिलाएं स्वस्थ सुविधा में प्रसव करती हैं जबकि तुलनात्मक रूप से अन्य समुदायों में यह 51 प्रतिशत है। जबकि इसमें शासन की असफलता है जिसके अनेक आयाम हैं और यह केवल स्वास्थ्य प्रदायगी प्रणाली की अपर्याप्तता तक सीमित नहीं है। तालिका 24.6 देखें।

24.44. चूंकि अधिकांश आदिवासी निवास दूर दराज के गांवों और छोटे गांवों में स्थित हैं जहां जंगली क्षेत्रों के साथ उबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाली भूमि होने से उनके पास महत्वपूर्ण मूल संरचना की सीमित पहुंच है, जैसे सड़कें, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल आदि। इससे देश में लोगों और उनके जीवन की गुणवत्ता के बीच अंतराल बढ़ा जाता है।

शिक्षा विकास

24.45. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई जिससे कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों को, खासकर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं, प्रोत्साहन और सहायता दी जा सके। ग्यारहवीं योजना में इस पर होने वाले व्यय तथा आबंटन की तुलना तालिका 24.7 में की गई है।

मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति

24.46. अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति, केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम की शुरुआत 1944-45 में मैट्रिक स्तर के पश्चात उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित

तालिका 24.6
मृत्यु दर और अल्प पोषण

मृत्यु दर और अल्प पोषण	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य
1 बाल मृत्यु (1000 प्रति जीवित जन्म)	83	84	62
2 शिशु मृत्यु दर	39	46	22
3 एनीमिया के साथ बच्चों के अनुपात (प्रतिशत)	78	79	72
4 वजन वाले बच्चों के अनुपात (प्रतिशत)	21	26	14

स्रोत: योजना आयोग: एनएफएचएस 2005-06 रिपोर्ट।

तालिका 24.7
अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष स्कीमों हेतु ग्यारहवीं योजना में आबंटन एवं व्यय

	(करोड़ रु. में)	
	आबंटन	व्यय
1. मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	1,496.30	2,118.36
2. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों/लड़कों के लिए छात्रावास	272.96	322.00
3. प्रतिभा उन्नयन	*	5.28
4. अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क कोचिंग	300.00	229.76
5. उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	73.80	15.96
6. आश्रम विद्यालय	147.60	231.00
7. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए शिक्षा सुदृढीकरण	298.75	162.05
कुल	2,589.41	3,084.41

* यह आबंटन मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति में शामिल किया गया है।

स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए की गई थी। यह छात्रवृत्ति उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दी जाती है जहां के वे अधिवासी हैं और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता के अलावा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए यह दायित्व लागू नहीं होता है। इस स्कीम में दिसम्बर, 2010 में संशोधन किया गया छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों के माता-पिता की आय सीमा ₹1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹2.00 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। इस स्कीम में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम (सीपीएल) कोई भी शामिल किया गया है और प्रति वर्ष अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को 10 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रावास

24.47. इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को दूर दराज के उन स्थानों पर छात्रावास की सुविधा दिलाना है जो, उनका गांव दूर स्थित होने के कारण, अपना अध्ययन जारी रखने में अक्षम थे। ग्यारहवीं योजना में छात्रावास स्कीम के लिए ₹272.96 करोड़ का आबंटन किया गया था। इस स्कीम में 1 अप्रैल, 2005 में संशोधित किया गया था और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराने हेतु 100 प्रतिशत वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है। मूल्यांकन

अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश छात्रावासों में बुनियादी सुविधाएं बहुत कम हैं; भवन का रखरखाव अच्छा भी नहीं है, राज्यों से समुचित/पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण छात्रावास भवनों के निर्माण में बाधा पड़ती है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इन समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का प्रतिभा उन्नयन

24.48. मैट्रिक पश्चात अध्ययन छात्रवृत्ति के अंतर्गत कार्य करने वाली इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों, जिसमें पीवीटीजी के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी भी शामिल हैं, की प्रतिभा का आवासीय विद्यालयों में चहुंमुखी विकास की सुविधा देकर उन्नयन करना है ताकि वे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में और वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी पेशों में दाखिला लेने के लिए अन्य विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस स्कीम का वित्त वर्ष 2008-09 में संशोधन किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत अब राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्त वर्ष 2008-09 से 19500 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष का पैकेज दिया जाता है जिसमें कोचिंग देने वाले विशेषज्ञ या प्रधानाचार्य को भुगतान करने के लिए मानदेय तथा आकस्मिक प्रभार पूरा करने के लिए राशि शामिल होती है। इस स्कीम के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) के दौरान अनुसूचित जनजाति के 1053 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

अनुसूचित जनजाति को निःशुल्क कोचिंग

24.49. अनुसूचित जनजाति के लिए मुफ्त कोचिंग की यह स्कीम छठवीं पंचवर्षीय योजना से लागू है। इसे वर्ष 2007 में संशोधित किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपनी प्रतियोगिता क्षमता में सुधार करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है। यह कोचिंग राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/एनजीओ/गैर सरकारी निकायों द्वारा केन्द्रीय/राज्य सरकारों में समूह क और समूह ख की प्रतियोगिता परीक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि के लिए अधिकारी ग्रेड परीक्षा तथा काल सेंटर, बीपीओ, खुदरा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि को शामिल करते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र में दक्षता विकास कार्यक्रम के लिए कोचिंग दी जाती है। कोचिंग फीस के अलावा बाहर से आए विद्यार्थियों को प्रति माह ₹1500 की दर से और स्थानीय विद्यार्थियों को ₹750 प्रतिमाह की दर से वृत्तिका प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा ₹2.00 लाख प्रति वर्ष है।

उच्च शिक्षा के लिए (प्रमुख संस्थाओं में) छात्रवृत्ति

24.50. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम वर्ष 2007-08 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बारहवीं कक्षा के बाद देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता देकर अनुसूचित जनजातियों के बीच क्वालिटी शिक्षा का प्रचार करना है। यह नई छात्रवृत्ति प्रति वर्ष 1250 विद्यार्थियों को दी जायेगी। इस स्कीम के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के 125 संस्थान अनुमोदित हैं जो प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा देते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि अभी बहुत कम है क्योंकि ग्यारहवीं योजना में इस स्कीम का लाभ अनुसूचित जनजाति के केवल 1085 विद्यार्थी ही उठा पाए हैं जबकि लक्ष्य 10105 लाभग्राहियों को फायदा पहुंचाना था।

आश्रम विद्यालय

24.51. यह स्कीम 1990-91 से 22 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की लागू है और इसमें 2008-09 में संशोधन किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य पीवीटीजी सहित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कराना और उनका संवर्धन करना है। आश्रम विद्यालय में शिक्षा तथा विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था होती है जो सीखने के लिए हितकर होता है। राज्य सरकारें वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित क्षेत्रों में बालिका आश्रम विद्यालयों और बालक आश्रम विद्यालय का निर्माण करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त करने की पात्र है। अन्य बालक आश्रम विद्यालयों के लिए 50: 50 के आधार पर वित्त पोषण किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों में बनाए जाने वाले छात्र एवं छात्रा आश्रम विद्यालयों की सम्पूर्ण निर्माण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। आश्रम विद्यालय नियमित विद्यालय होते हैं और इनमें राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कराया जाता है। छात्रावासों के निर्माण पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ₹231.00 करोड़ व्यय किए गए थे जबकि योजना परिव्यय ₹147.60 करोड़ था। आश्रम विद्यालयों में सीटों की संख्या के रूप में ग्यारहवीं योजना की 10000 सीटों की तुलना में लगभग 5 गुना वृद्धि (49334 सीटें) हुई।

24.52. योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता है कि स्कूल भवनों के निर्माण में हुए विलम्ब के कारण इस कार्यक्रम और अनुसूचित जनजाति के होनहार बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ा

है। ऐसी रिपोर्ट है कि कई विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं या हैं ही नहीं या बहुत कम हैं तथा उनका अनुरक्षण न के बराबर है। जब तक इन आश्रम विद्यालयों में न्यूनतम मानक की बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं कराई जाती हैं तब तक इन विद्यालयों में विद्यार्थी जाने से कतराएंगे और इसे शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह भी देखा गया है कि पाठ्यपुस्तकें या तो प्रदान ही नहीं कराई जाती हैं या सत्र प्रारंभ होने के काफी समय बाद प्रदान कराई जाती हैं। इससे वह उद्देश्य हल नहीं होता है जिसके लिए इन विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं। आदर्श रूप से प्राथमिक स्तर तक पुस्तकें और शिक्षा जनजाति की बोलचाल की भाषा में दी जाएं और अध्यापकों की नियुक्ति भी स्थानीय जनजातीय समुदाय से की जाए।

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा सुदृढ़ करना

24.53. अल्प साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर होने की स्कीम में 2008-09 में संशोधन किया गया था और इसे अल्प साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा सुदृढ़ीकरण नाम दिया गया था। यह संशोधित स्कीम न्यून साक्षरता वाले अभिजात उन 54 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत या उससे अधिक और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है। इस संशोधित स्कीम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ मिला देने की परिकल्पना है। यह प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों और माध्यमिक/सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों की अपेक्षाओं को पूरा करती है और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करती है जिससे कि स्कूल में उनकी प्रतिधारण अवधि बढ़ जाए। औपचारिक शिक्षा के अलावा इस स्कीम में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उन्नयन भी किया जाता है। न्यून साक्षरता वाले प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा सहायता अभिकरण (डीईएसए) स्थापित करने की योजना भी है जो 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और मॉनिटर एवं सुविधा प्रदायक की भूमिका निभाएगा तथा विभिन्न संस्थानों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करेगा।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ)

24.54. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने और एम फिल और पीएच.डी. जैसी अनुसंधान उपाधियां प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देने के प्रोत्साहन के रूप में वर्ष 2005-06 में शुरू की गई थी। इस

स्कीम का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कराया जाता है और इसके लाभ यूजीसी की कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एसआरएफ) के समरूप होते हैं। इस स्कीम में वर्ष 2010-11 में संशोधन किया गया तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अध्येतावृत्ति की संख्या 1333 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम

24.55. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन 1954-55 में गैर योजना स्कीम के रूप में किया गया था। वर्ष 2007-08 में इस स्कीम को केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया जहां अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और पीएच.डी. पाठ्यक्रम में उच्चतर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम में प्रति वर्ष 30 समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां देने की परिकल्पना थी जिनमें से 30 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए चिन्हित थी। चुनिंदा अभ्यर्थियों को मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जो विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा भेजा जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजाति के 50 विद्यार्थियों को समुद्रपारीय छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य बनाया गया था। ग्यारहवीं योजना के पहले 4 वर्षों में केवल 8 छात्रवृत्तियां (2 छात्रवृत्ति प्रति वर्ष) दी गई थी। वर्ष 2011-12 में 15 छात्रवृत्तियां देने की परिकल्पना थी। वर्ष 2010-11 से इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले अध्ययन क्षेत्रों में संशोधन किया गया है जिससे कि इसका दायरा बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। इसमें चिकित्सा, विशुद्ध विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान और प्रबंधन जैसे संकायों को शामिल किया गया है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

24.56. इस समय विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 17 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं। जो संगत अनुसंधान, विद्यार्थी सर्वेक्षण और प्रशिक्षण का कार्य करते हैं तथा उपयुक्त नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने के लिए जरूरी निविष्टि प्रदान करते हैं। इन संस्थानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। टीआरआई को अपनी तकनीकी एवं व्यावसायिक मानव शक्ति अनुसंधान सहभागी अधिगम का कार्य करने में, खासकर पीवीटीजी विकास और आजीविका कार्यक्रमों में, लगाई जा सकती है। इन टीआरआई का समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टीआरआई को एक विशिष्ट क्षेत्र-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्वोत्तर और

मध्य – का प्रतिनिधित्व करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जा सकता है। टीआरआई की स्कीम के अंतर्गत 8 उप-स्कीमें (सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय मूल्यांकन आदि) हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण

24.57. जनजातियों में आर्थिक विकास मुख्यतः कृषि और इसके सहबद्ध क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त वन संसाधन और अल्प वन उत्पाद जनजातियों का आर्थिक विकास करने में सहायता देती है। चूंकि अनुसूचित जनजाति की आबादी का पांचवां हिस्सा कृषि और वनों पर निर्भर करता है इसलिए बदलते हुए आर्थिक परिवेश में, खासकर नई आर्थिक नीतियों का फायदा उठाने, अपने को ढालना मुश्किल है। इससे उनकी आजीविका के स्रोतों में परिवर्तन करने हेतु क्षमता निर्माण की मांग होती है। अनुसूचित जनजाति का आर्थिक सशक्तीकरण पीवीटीजी पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न आय और रोजगार सृजन वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक विकास कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:—

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

24.58. एनएसटीएफडीसी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है। यह अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास करने के लिए आय सृजन करने वाली स्कीमों को वित्तीय सहायता देता है। एनएसटीएफडीसी के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है अनुसूचित जनजाति के महत्व के आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना ताकि वे स्वरोजगार कर सकें और अपने आय के स्तर में सुधार कर सकें, अनुसूचित जनजाति के लोगों को संस्थागत और सेवाकालीन प्रशिक्षण देकर उनके द्वारा उपयोग की जा रही दक्षताओं और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना। इस स्कीम के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ₹260 करोड़ का योजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया था परन्तु वर्ष 2007-08 और 2009-10 की वार्षिक योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया था तथा वर्ष 2011-12 के लिए ₹70.00 करोड़ का आबंटन भी किया गया था। हालांकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएसटीएफडीसी से अनुसूचित जनजाति के 7.56 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य था परन्तु 3.88 लाख व्यक्तियों को ही फायदा पहुंचाया जा सकता है।

जनजातीय उत्पाद का विपणन विकास

24.59. जनजातीय उत्पादों/उत्पाद का विपणन विकास एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है इसके अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

को निम्नलिखित 4 क्रियाकलापों के लिए सहायता अनुदान देता है:— (1) खुदरा विपणन विकास क्रियाकलाप; (2) एमएफपी विपणन विकास क्रियाकलाप; (3) व्यावसायिक प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन; और (4) अनुसूचित जाति के दस्तकारों और एमएफपी का क्षमता निर्माण; और अनुसंधान एवं विकास/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) क्रियाकलाप।

24.60. ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदायक एवं बाजार विकासकर्ता के दोनों के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण के रूप में अपनी भूमिका में यह अनुसूचित जनजाति के दस्तकारों और लघु वनोपज (एमएफपी) इकट्ठा करने वालों को प्रशिक्षण देता है। ट्राइफेड इनके उत्पादों का 39 आउटलेट के जरिए बिक्री करता है (26 आउटलेट ट्राइफेड के हैं और 13 आउटलेट राज्य स्तरीय संगठनों के साथ सहयोग करते खेप आधार पर हैं)। वर्ष 2007-12 के दौरान केवल खुदरा विपणन क्रियाकलापों के जरिए ₹36.96 करोड़ का कारोबार किया गया था।

राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान

24.61. केन्द्रीय क्षेत्र की इस स्कीम के अंतर्गत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों (एसटीडीसीसीएस) को लघु वनोपजों आदि के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। यह एमएफपी प्रचालन 1992-93 में राज्य स्तरीय संगठनों को सहायता देने के लिए शुरू किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत इन संगठनों की प्रचालनात्मक क्षति को दूर करके एमएफपी वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने; जरूरत पड़ने पर एमएफपी प्रचालन करने और एतद्द्वारा इस समय चलाई जा रही एमएफपी की प्रमात्रा बढ़ाकर निगम के शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ करने; वैज्ञानिक भांडागार सुविधाएं स्थापित करने, जहां आवश्यक हो; जनजातियों के एमएफपी पर अधिकतम आय सुनिश्चित करने हेतु उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने; जनजातियों को खपत ऋण देने और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) क्रियाकलाप का संवर्धन करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

24.62. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्कीम 1992-93 में अनुसूचित जनजाति के युवकों का दक्षता विकास करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि वे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें और अपनी आय बढ़ाकर सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत आधुनिक ट्रेडों

सहित विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई, पॉलिटेकनीक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उन संस्थानों/संगठनों द्वारा भी व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है जो अपनी परियोजनाओं को "मॉड्यूलर इम्प्लॉयबल स्किल्स" और "क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम" के अंतर्गत प्रत्यायित परियोजना चला रहे हैं। इस स्कीम में अप्रैल, 2009 में संशोधन किया गया और संवर्धित वित्तीय मानकों और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम में संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्लेंसमेंट सेवाओं के साथ संपर्क स्थापित करें तथा प्रशिक्षित युवकों को वित्तीय संस्थानों, एनएसटीएफडीसी और बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त/ऋण प्रदान कराने की व्यवस्था करें।

24.63. जनजातीय उप-योजना से विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए टू टीएसपी) एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है जिसमें राज्य सरकारों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उनकी राज्य योजना में जनजातियों का त्वरित आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से सहायता प्रदान की जाती है (एससीए टू टीएसपी का विवरण एससीएसपी और टीएसपी नामक उप अध्याय में दिया जायेगा)।

सामाजिक न्याय एवं संरक्षण

24.64. एकांतिक अवस्थिति के कारण जनजातीय लोग सदैव परिवर्तित होते और जटिल सामाजिक आर्थिक विकास में अपने को ढालने में समर्थ नहीं है। उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ अपराध और अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है उनके वन अधिकारों की मनाही कर दी जाती है और उनकी आधिकारिक हकदारी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपवर्जन कर दिया जाता है। इन जनजातीय लोगों में पीवीटीजी सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं।

24.65. लोक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 (पीसीआर अधिनियम) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पीओए अधिनियम) दो ऐसे महत्वपूर्ण विधायी तंत्र हैं जो सभी तरह के सामाजिक भेदभाव जैसे छुआछूत, शोषण और अत्याचार दूर करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट 2007 में उल्लेख है कि मध्य प्रदेश (27.1 प्रतिशत), राजस्थान (20.01 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (13.06 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (11.01 प्रतिशत), उड़ीसा (7.01 प्रतिशत) और झारखंड (4.01 प्रतिशत) जैसे राज्यों में उच्च स्थान विशिष्ट अपराध/अत्याचार किए जा रहे हैं।

24.66. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों का शीघ्र अभियोजन सुनिश्चित

करने के लिए 151 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं जिनमें से आंध्र प्रदेश में (12), बिहार में (11), छत्तीसगढ़ में (7), गुजरात में (10), कर्नाटक में (7), मध्य प्रदेश में (43), राजस्थान में (17), तमिलनाडु में (4) और उत्तर प्रदेश में (40) न्यायालय हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अपराधों की शिकायतों का पंजीकरण करने के लिए विशेष पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं; इन 77 विशेष पुलिस थानों अनुसूचित जनजाति के खिलाफ दर्ज अपराध की घटनाओं में वर्ष 2006-07 में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

24.67. विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय वर्गों (पीवीटीजी) का विकास करने के लिए उनकी आबादी में हो रही कमी और उनकी नाजुक जीवन दशाओं को ध्यान में रखते हुए पीवीटीजी की अतिजीविका, उनका विकास और संरक्षण करने के लिए 1998-99 में एक स्कीम शुरू की गई थी। इस समय 75 अभिज्ञात पीवीटीजी हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में रह रहे हैं और जिनकी विशिष्ट समस्याओं और जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा है। इसलिए इस स्कीम को नम्य बनाया गया है जिससे विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले पीवीटीजी का उनके सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल के संगत विशिष्ट विकास और कल्याण किया जा सके। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पीवीटीजी के लिए संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत किए गए कार्यों में शामिल हैं आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, मुर्गी पालन, सम्पर्क सड़कें, बीमा नीति के तहत सामाजिक सुरक्षा आदि। इस स्कीम के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना में ₹670.00 करोड़ की राशि आबंटित की गई थी जिसमें से लगभग ₹614.00 करोड़ की राशि व्यय की गई जो कुल आबंटन का 92 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त सीसीडी आधारित क्रियाकलापों में जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत 22400 पीवीटीजी परिवारों को लाभ पहुंचाया गया था।

24.68. अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को नोडल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के जरिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान दिया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति का कल्याण करना और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर बढ़ाना। निर्मुक्ति की निधियां विशिष्ट परियोजनाओं पर आधारित है जैसे आवश्यक अवसंरचना बनाना तथा अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य आबादी के बीच अंतर को दूर करने के लिए अनुसूचित जनजाति के मानव विकास का संवर्धन करना है। एकलव्य

मॉडल आवासीय विद्यालय योजना 1997-98 से चल रही है; यह जनजातीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्रदान कराई गई निधियों से चलाई जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के मानक और शिक्षा संबंधी अवसंरचना में सुधार करने के लिए इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों के अनुरूप बनाया जा रहा है। ग्यारहवीं योजना के दौरान इस स्कीम के लिए ₹4059.00 करोड़ का आबंटन किया गया था जिसमें से ₹3326.04 करोड़ का व्यय किया गया जो कुल आबंटन का 82 प्रतिशत है।

पीईएसए: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (1996)

24.69. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243एम में उल्लेख है कि संविधान के भाग 9 का कोई भी उपबंध अनुच्छेद 244 के खंड (1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। यह खंड 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों का उल्लेख करता है जिसमें आजकल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान नामक 9 राज्य आते हैं। परन्तु 243 एम (4) (ख) में उल्लेख है कि "संसद, इस भाग के उपबंधों को कानून द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है।" और यह प्रावधान तब किया गया जब संसद ने 1996 में "पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1966" (पीईएसए) लागू किया। जबकि, उपबंध 9 को - अनुसूचित क्षेत्रों तक कुछ निश्चित अपवादों और आशोधनों के अध्यधीन बढ़ा दिया गया है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपबंध गांव और ग्राम सभा की परिभाषा, नियम, ग्राम सभा की शक्तियां और उत्तरदायित्व, सहायता का सिद्धांत और पीईएसए के अन्य कानूनों की संगतता से संबंधित हैं।

पीईएसए कार्यान्वयन

24.70. पीईएसए का बहुत कम नौ राज्यों में कार्यान्वयन हुआ। इस संबंध में आंशिक समस्या विधान अंतराल के कारण थी। तथापि इसके कार्यान्वयन में कमियां चिंता का विषय हैं। पीईएसए का प्रचालन करने में एक प्रमुख अवरोध गांव में प्रशासनिक व्यवस्था का इस अधिनियम के अनुरूप न होना है। कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में राजस्व व्यवस्था पहले जैसी ही है। इसके द्वारा एक गांव में न केवल 10-12 छोटे-छोटे गांव होते हैं बल्कि कई गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। यह 'आमने सामने कार्य करने को, जैसा कि पीईएसए में परिकल्पित है, प्रतिबाधित करती है और ग्राम सभा, जो स्वशासन की इकाई का उत्तरदायित्व उठा सकती है, की कार्यवाही संचालन का उन्मूलन करती है। इसके लिए कुछ उपचारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।

24.71. पीएसए की सफलता ग्राम सभा के प्रभावी कार्यकरण पर निर्भर करती है। आज, जनजातीय क्षेत्रों में भी ग्राम सभा की कार्यवाही स्वचालित नहीं है और इसमें महिलाओं तथा आदिवासी समुदायों के अंतर्गत व्याप्त सामाजिक-आर्थिक विभिन्नता के कारण गांव के गरीब या कमजोर वर्ग का अपवर्जन कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें वास्तव में होती हैं और यह पीईएसए के अंतर्गत यथा-परिकल्पित, प्रजातांत्रिक भागीदारी का एक मंच है, इस प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह होना चाहिए जिसको ग्राम सभा के संचालन का कार्य सौंपा जाए तथा इसमें उपेक्षित वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की जाए एवं पीईएसए और एफआरए जैसे कानूनों तथा सरकार के अन्य प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता सृजित की जाए।

24.72. भू-हस्तांतरण और भूमि अधिग्रहण: पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के अंतर्गत अधिसूचना निकाल कर पंचायती राज अधिनियम या राजस्व विधि में एक स्पष्ट और सुपरिभाषित प्रावधान करके ग्राम सभा को यह अधिकार दिया जाए कि अप्राधिकृत तरीके से हस्तांतरित भूमि इसके वैध स्वामी को वापस दे दी जाए।

24.73. समुदाय संसाधन: पीईएसए की खंड 4 (घ) में उल्लिखित 'समुदाय संसाधन' वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की खंड 129 ग (3) में परिभाषा का प्रावधान है जिसे अन्य राज्यों पर भी लागू किया जा सकता है जिसमें 'ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद भूमि, जल, और वन आदि को प्राकृतिक संसाधन माना गया है'।

24.74. खान एवं खनिज: खनिज नियमों को मध्य प्रदेश की प्रणाली के अनुरूप बनाया जाना चाहिए जिसमें 10 लाख मूल्य तक की सभी वार्षिक खदान पट्टों को देने का अधिकार ग्राम सभा और पंचायतों को है। इसमें सभी छोटे खनिजों को शामिल किया जाना चाहिए। खान एवं खनिज मंत्रालय के दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 के निदेश के अनुसार पट्टा देने से पहले संबंधित ग्राम सभा की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। खनिज युक्त भूमि की खनन कंपनियों द्वारा सीधी खरीद करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए और इन्हें केवल पट्टे पर दिया जाना चाहिए जैसा कि खनन अधिनियम में उल्लेख है।

24.75. मादक द्रव्य: पांचवीं अनुसूची के पैरा 5(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके पंचायती राज अधिनियम या उत्पाद कर विधि

में स्पष्ट प्रावधान द्वारा ग्राम सभा को अधिकार देना चाहिए जैसा कि मध्य प्रदेश उत्पाद कर अधिनियम में पीईएसए के खंड 4 (एम) (1) में उल्लिखित सभी पहलुओं पर ग्राम सभा को पूरा अधिकार प्राप्त है। मादक पदार्थों से संबंधित सभी मामलों जैसे शराब की दुकान रखना, शराब बनाने की इकाई स्थापित करना आदि में ग्राम सभा में महिला सदस्यों के विचारों को निर्णायक माना जाए चाहे उनकी संगत बैठक में उपस्थिति कम ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त पीईएसए का सार्थक एवं प्रभावी कार्यान्वयन तथा आदिवासी अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यापक परिवर्तन भी अपेक्षित है।

24.76. गैर-इमारती वन उपज (एनटीएफपी): एनटीएफपी के विपणन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए एनडीडीबी-जैसा संस्थान स्थापित करने का काफी दायरा है जो लघु वन उपज एकत्र करने वालों को सहायता दे सकता है। इस समय, ये संग्राहक, राष्ट्रीयकृत और गैर/पूर्व राष्ट्रीयकृत प्रणाली के अंतर्गत क) असंगठित ख) बहुत गरीब ग) अपने उत्पाद के अंतिम मूल्य का बहुत कम भाग अपने पास रखते हैं घ) स्थायी खपत प्रणाली (उदाहरणार्थ इमली, साल बीज, महुआ) की मूल्य श्रृंखला के सबसे नीचे के स्तर पर है परन्तु ड.) वे उपयुक्त हस्तक्षेपों द्वारा मूल्य श्रृंखला की उच्च श्रेणी पर पहुंच सकते हैं और इसका अधिक मूल्य ग्रहण कर सकते हैं।

24.77. पारंपरिक गैर काष्ठीय वनोपज (एनटीएफपी) नीतियों से राज्य को अधिकतम राजस्व मिला है परन्तु इससे संग्राहकों का कल्याण नहीं हुआ। इससे मोल तोल के अधिकार का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां स्वीकार करना चाहिए कि एनटीएफपी के आदिवासी संग्राहक एसजीएच में संगठित होने पर भी वे व्यापार को लम्बे समय तक प्रभावित नहीं कर सके। स्थानीय व्यापारियों ने विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर (वाणिज्यिक और अन्यथा) यह सुनिश्चित किया कि एसजीएच व्यापारी के रूप में गैर-अर्थक्षम हो जाए और उन्होंने समुच्चयित एवं संग्रहित सौदेबाजी करके इन संग्राहकों को बहुत अल्प मूल्य दिया। कुछ मामलों में व्यापारियों ने चतुराईपूर्ण कार्यनीति अपनाकर इन एसजीएच ने अपने सदस्यों के मध्य विश्वसनीयता समाप्त करा दी। "सामाजिक उद्यमिता" प्रणाली में एक नए एवं शक्तिशाली संस्थान की जरूरत है जो इन प्राथमिक संग्राहकों को व्यावसायिक छंटाई, ग्रेडिंग, संस्करण, पैकेजिंग, ब्रैंडिंग और स्थिति बनाकर मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने और मूल्य बनाए रखने में सहायता करेगा। यह संस्थान आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध हो और कड़े वाणिज्यिक सिद्धांतों के साथ स्वायत्ततापूर्ण ढंग से कार्य करता हो। जब इसे जोखिमों और विरोधी व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मक कार्रवाई का सामना करना

पड़ेगा, तब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की तरह इसमें शुरुआती वर्षों में घाटा सहन करने की क्षमता हो। एक ऐसा रोडमैप बनाने की जरूरत है (इस दिशा में कार्रवाई चल रही है) जिससे एनटीएफपी वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद बन सके और पीईएसए का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

24.78. प्रभावी प्रशासनिक तंत्र: यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रशासनिक ढांचा पीईएसए का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में अक्षम पाया गया। पांचवीं अनुसूची के प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थायी अधिकार-प्राप्त निकाय स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पीईएसए और एफआरए के अनुपालन का पर्यवेक्षण और निगरानी कर सके। इस निकाय की शक्तियों, इसके गठन, मौजूदा संवैधानिक निकायों के साथ इसके संक्षिप्त संबंधों और इसकी विश्वसनीयता सहित इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाने की जरूरत है।

24.79. विरोध का हल निकालने के लिए संस्थागत तंत्र: विरोध दूर करने के लिए भारत में उसी तरह का एक संस्थागत तंत्र सृजित करने की जरूरत है जैसा कि संपूर्ण विश्व में उन देशों में मौजूद है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने, खास कर स्वदेशी लोगों के बीच, में विरोध का सामना करते हैं। हमारी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप विरोध निराकरण का ढांचा तैयार करने से उन विरोधों का प्रशमन करने में सहायता मिलेगी जो ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से कोई अर्जन संभव नहीं है। सभी संबंधित पणधारियों के लिए लाभदायक परिदृश्य सृजित करके कई विरोध हल किए जा सकते हैं जो अन्यथा माओवाद का रूप धारण कर लेते हैं। इससे अंतःभूमि में औद्योगिकीकरण करने में भी सहायता मिलेगी।

वन अधिकार अधिनियम

24.80. वन अधिकार अधिनियम के रूप में ज्ञात अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन वासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में 'वनवासी समुदायों के प्रति प्राचीन काल से किए जा रहे अन्याय' को दूर करने के लिए किया गया था। ये समुदाय वन भूमि की जुताई करते हैं/कृषि कार्य करते हैं और युगों से वन उत्पादों का प्रयोग करते हैं परन्तु उन्हें स्थायी सुरक्षा प्राप्त नहीं है क्योंकि औपनिवेशिक समय में उनके अधिकारों और उपयोगों को लेखाबद्ध नहीं किया गया था। यह अधिनियम वनवासियों को वन में रहने 2005 से पूर्व अधिग्रहीत भूमि पर वानिकी कार्य करने का व्यक्तिगत अधिकार देता है और उनकी पहचान बनाता है और 13 दिसम्बर वन का प्रबंधन करने, उसकी सुरक्षा करने और पुनर्वानिकी करने का समुदाय

वन अधिकार प्रदान करता है तथा जहां पर उनकी परंपरागत पहुंच है वहां से लघु वनोपजों को कब्जे में लेने और उनका निस्तारण करने का अधिकार देता है।

24.81. इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए गठित सरकारी समिति के निष्कर्षों के अनुसार अधिकांश राज्यों ने अपने को व्यक्तिगत वन अधिकारों (आईएफआर) के उपबंधों का कार्यान्वयन करने तक सुनिश्चित कर रखा है पर कुछ राज्यों ने व्यक्तिगत अधिकार देने में काफी प्रगति भी की है। प्रगति एफआरए के समुदाय अधिकार सीएफआर का कार्यान्वयन करने में सभी राज्यों को बहुत कम उपलब्धि मिली है और इसलिए लघु वन उत्पादों को एकत्र करने के लिए आजीविका सुरक्षा प्राप्त करने की संभावना और वन अभिशासन में परिवर्तन तथा वन परिरक्षण के सुदृढीकरण जैसी उपलब्धियां बहुत कम रही हैं जैसा कि नीचे बताया गया है।

व्यक्तिगत हकदारियां

24.82. 30 जून, 2011 तक 31.3 लाख से अधिक दावे दायर किए गए थे, जिनमें से 26.8 लाख दावों (86 प्रतिशत) का निस्तारण कर दिया गया। कुल 11.9 लाख हकदारियों (निस्तारित हकदारियों का 34 प्रतिशत) का वितरण किया गया और शेष को नामंजूर कर दिया गया। ग्यारह राज्यों में कार्यान्वयन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। इनमें शामिल हैं, पूर्वोत्तर राज्य (त्रिपुरा को छोड़कर), बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा। तमिलनाडु में उच्च न्यायालय द्वारा एक दर्ज याचिका में प्रतिबंधात्मक आदेश दिए जाने के कारण प्रगति बहुत मन्थर है। कुछ राज्यों (जैसे झारखंड) में ना तो भारी संख्या में दावे प्राप्त हुए हैं और ना ही प्राप्त दावों का प्रसंस्करण किया गया है।

समुदाय अधिकार

24.83. एफ.आर.ए के अंतर्गत समुदाय वन अधिकार (सीएफआर) के कार्यान्वयन की प्रगति बहुत धीमी है। सभी राज्यों में समुदायों के बीच जागरूकता के अभाव, सिविल सोसायटी संगठनों या संगत अधिकारी न होने के कारण सीएफआर प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं की गई। इसका मुख्य कारण है कि राज्य सरकारों ने सीएफआर प्रावधानों का ना तो पर्याप्त प्रचार किया है और ना ही उनके महत्व को आंतरिक रूप से बताया गया है। अधिकांश समुदाय एफआरए में सीएफआर उपबंधों के प्रति जागरूक नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रपत्र दोषपूर्ण प्रकार के हैं क्योंकि उनमें अधिनियम के संगत उपखंडों का उल्लेख नहीं है। सीएफआर के कार्यान्वयन के संबंध में सभी स्तरों पर गंभीरता नहीं होने के कारण सभी राज्यों में इसके द्वितीय चरण

के कार्यान्वयन, जिसमें सीएफआर पर प्रकाश डाला जाए, शुरू किए जाने की जरूरत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय दोनों को सीएफआर के कार्यान्वयन में गंभीरता नहीं होने पर ध्यान देना चाहिए।

जनजातियों के विस्थापन की जांच

24.84. भूमि और वन जनजातियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरोकार हैं। अतः मार्ग निर्देशक सिद्धांत यह होने चाहिए कि जनजातियों को उन स्थानों से नहीं हटाया जाए जहां वे निवास करते हैं। यदि उन्हें हटाना परम अनिवार्य है तो यह इस नियम के बजाए अपवाद के रास्ते होना चाहिए, उन्हें सूचित स्वीकृति के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। जनजातीय भूमि के साथ जुड़ी सभी समस्याओं के लिए उपचारात्मक मुआवजा देने को पूरी तरह निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

24.85. सार्वजनिक प्रयोजन और सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करने के लिए जनजातियों को विस्थापित करना, उन्हें अपने घर, परिसंपत्ति, आजीविका के साधन और व्यवसाय छोड़ने और उन्हें अन्यत्र रहने पर तथा उन्हें एक नई शुरुआत करने के लिए मजबूर करना। गैर अनुपातिक रूप से जनजातियों के विस्थापन का एक बड़ा प्रभाव इस तथ्य से स्पष्ट है कि सभी विस्थापित लोगों में से कम से कम 55 प्रतिशत जनजातीय लोग हैं और गुजरात जैसे राज्य में इनका अनुपात 76 प्रतिशत है। यह इनके गरीब होने का महत्वपूर्ण कारण रहा है, बहुधा जिससे वे आवासहीन और परिसंपत्तिविहीन निराश्रित बनने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह अनुमान है कि सभी विकास प्रयासों के अपरिहार्य परिणाम विस्थापन ही होते हैं इसे इन परियोजनाओं से पीड़ित मनुष्यों की बड़ी लागत के प्रकाश में पुनः आकलन करने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर किए जाने वाले ऐसे विस्थापनों से बचने की जरूरत, खास तौर पर जनजातियों के मामले में और ऐसे मामलों में जहां गैर उपेक्षणीय विस्थापन, इनके व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) विकास प्रक्रिया के केन्द्रीय मुद्दों में से एक बन गए हैं।

24.86. आज परियोजना प्रभावित व्यक्ति गहन कष्ट पाने के इरादे नहीं रखते। परिणामस्वरूप इनकी ओर से विरोध और तनाव, विवाद तथा हिंसा की ओर उनका लड़ाकूपन बढ़ रहा है। इनके पुनर्वास और पुनर्स्थापना की असंतोषजनक व्यवस्था से भूमि के अधिग्रहण का विरोध होता है और अंततः इसकी लागत में भूमि का विलंबित अधिग्रहण की लागत बढ़ जाती है, जो संतोषजनक मुआवजे और पुनर्वास के मामले में व्यय की जाएगी। एक सुआशयित, उधार और

व्यापक पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति से न केवल विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा सकती है जो जिससे शीघ्र अधिग्रहण और उक्त अधिगृहीत भूमि पर जल्दी पहुंच से सार्वजनिक हितों को सुनिश्चित किया जाएगा।

24.87. भारत में पुनर्वास और विस्थापन के अनुभव का एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें पुनर्वास की कमी या गलत योजना, बुरा निष्पादन अपर्याप्त और अनुपयुक्त पुनर्वास किए गए। यहां तक कि सरकारी अनुमानों के अनुसार भी केवल 29 प्रतिशत प्रभावी व्यक्तियों का पुनर्वास होने से लगभग 13.2 मिलियन लोग अपने घरों से दूर कर दिए गए (संघ 1994)। ये सभी विस्थापित व्यक्ति अपने श्रम के साथ छोड़ दिए गए – जिनमें से अधिकांश अकुशल थे और इस लिए इन्हें जो भी काम मिला उसे उन्होंने अपनी उत्तरजीविता के लिए अपनाया। इसके अलावा जनजातियों को उनकी भूमि से विस्थापित करना संविधान की पांचवीं अनुसूची का उल्लंघन है, क्योंकि इससे वे प्राकृतिक संसाधन के नियंत्रण और स्वामित्व और उनके जीवन के लिए अनिवार्य भूमि से वंचित किया जाता है।

जनजातीय महिलाओं की स्थिति

24.88. जनजातीय महिलाएं भारत में उपेक्षित व्यक्तियों में सर्वाधिक सुभेद्य हैं। उन्हें जनजातीय होने और जनजाति घरानों की महिला होने की दोहरी मार सहन करनी पड़ती है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं को डंडों से पीटा जाता है तथा सरकारी कर्मचारियों और विद्रोहियों दोनों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था अथवा समस्याओं का समाधान करने की कोई प्रणाली नहीं है। जैसे ही जनजातीय महिलाएं घरेलू काम वालियों के रूप में काम करने के लिए बाहर निकलती हैं तो उनका कार्य स्थलों पर भी शोषण किया जाता है।

24.89. जनजातीय महिलाओं में साक्षरता के आंकड़े अत्यधिक निम्न हैं। सरकारी सेवाएं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और एड्स, रोजगार के साधन यद्यपि पर्याप्त मात्रा में हैं फिर सेवाओं के प्रति उनकी पहुंच उपलब्ध नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप न तो वे उपलब्ध सेवाओं तक अपनी पहुंच बना पाती हैं और न ही इसकी पूर्ण संभावना का पता लगा पाती हैं।

24.90. जनजातीय बस्तियों से मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, बिजली, और आधारभूत स्वच्छता सुविधाएं ना होने का प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। अनुसूचित जनजाति के केवल 15.2 प्रतिशत घरों में पेयजल की व्यवस्था है इसलिए इसका बोझ भी महिलाओं को ही ढोना पड़ता है।

उत्पाद कर और एल्कोहलिज्म

24.91. जनजातीय परम्परागत रूप से चावल या अन्य खाद्यान्नों से अपने उपयोग के लिए शराब का उपभोग करते हैं, यह उनके कुछ धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक अवसरों या उत्सवों से भी जुड़ा है। जनजातीय क्षेत्रों में शराब की वाणिज्यिक बिक्री शुरू किए जाने से जनजातीय आबादी की अशक्तता बढ़ने लगी और वे विभिन्न प्रकार के ऋण और शोषण में फंस गए। 1975 में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय ने जनजाति क्षेत्रों में उत्पाद कर नीति के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा निर्देश जारी किए थे जिसमें जनजाति क्षेत्रों में वाणिज्यिक बिक्री बंद करने, जनजातीय समुदायों को अपनी खपत के लिए परम्परागत चावल की बीयर बनाने और शराब पीने की उनकी आदत छुड़ाने का निदेश दिया था। हालांकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन दिशा निर्देशों को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है, फिर भी इनके कार्यान्वयन के लिए प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है। महत्वपूर्ण है कि जो राज्य अपने राजस्व को बढ़ाना चाहते हैं और जनजातीय क्षेत्रों में शराब की वाणिज्यिक बिक्री करना चाहते हैं उन्होंने जनजातीय आबादी पर इसके नुकसानदाक प्रभावों को नकार दिया है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

24.92. जनजाति समुदायों की जैव संसाधनों जैसे वृक्षों/जानवरों और पक्षियों पर बड़ी सघन निर्भरता है। उनकी आजीविका और जीवन इन पर निर्भर करता है और इन्हीं संसाधनों के मुताबिक ढल जाता है। अतः, उनकी उत्तरजीविता और उनका आहार-विहार इन संसाधनों के परीक्षण और उपयोग पर निर्भर करता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों/व्यापार साधनों और सामान्य सम्पदा संसाधनों जैसे डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ट्रिप्स से उत्पन्न होने वाले पेटेंट और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के रूप में कॉर्पोरेट संरक्षण त्वाद इन समुदायों की आर्थिक आजीविका तथा संसाधनों के उनके आधार के सम्भावित शोषण के स्रोत के रूप में वास्तविक चुनौती उत्पन्न करते हैं क्योंकि जीवन रूपों और ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त जैव विविधता को निजी सम्पत्ति के रूप में बदलने और जो इसका गैर सरकारीकरण और पेटेंट करना चाहते हैं उनके द्वारा इसके मुक्त शोषण के लिए इसे खुली पहुंच प्रणाली के रूप में मानने की मांग की जा रही है। जनजातीय समुदायों के इन संसाधनों और ज्ञान के अधिकार को तत्काल मानने और उन्हें मान्यता की जरूरत है।

जनजातीय क्षेत्रों में अशांति वामपंथी उग्रवाद

24.93. अधिकांश जनजातीय जिलों में पिछले लगभग दो दशकों से हिंसा की समस्या है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र

प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित देश के 76 जिलों में से 32 पीईएसए जिले हैं। इस उग्रवाद का प्रभाव बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण हिस्सों में फैला हुआ है जिसे "लाल गलियारे" के रूप में जाना जाता है। तथापि कुछ विश्लेषण तर्क देते हैं कि "स्पेकल्ड बैंड" की सादृश्यता को माओवादी प्रभाव क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिनका मध्य भारत की हृदय स्थली में फैले जिलों के वनीय भाग पर नियंत्रण है। इसमें शामिल हैं दंडकारण्य क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमाओं पर अवस्थित एक विशाल वनीय क्षेत्र है, में आधारित प्रतिबंधित दलों का केन्द्र होना। हालांकि इन दलों का नेतृत्व अधिकांशतः गैर जनजातीय समुदायों द्वारा किया जाता है तथापि अधिकांश सामान्य वर्ग स्थानीय गांवों से आता है और यह सब पीईएसए का कार्यान्वयन न होने से उनकी समस्याओं से उभरकर आता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजाति: भावी परिदृश्य

24.94. अब तक किए गए प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जनजाति के लोगों में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन एक चुनौती सृजित करता है और बारहवीं योजना में विकास के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी और परिणामोन्मुखी प्रयासों की मांग करता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में समग्र विकास करना है। इस विषय में निम्नलिखित मुख्य बिंदु होने चाहिए:

- जनजाति की बहुलता वाले क्षेत्रों में एक कार्यक्रम या योजना को लेने के बारे में मानक शर्तों में रियायत देना।
- अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की प्रशासनिक सुदृढ़ता। इसके लिए एक स्पष्ट कार्मिक नीति की आवश्यकता उन अधिकारियों की तैनाती के विषय में होगी जो उस स्थिति में हैं, उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाए और निर्दिष्ट अवधि के लिए इन क्षेत्रों में इनकी सेवाएं देने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाए।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और विस्तार सेवाओं, पोषण, सार्वजनिक वितरण आदि पर सरकारी प्रयासों के लिए फैलाने जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में जनजाति समुदाय से लोगों की नियुक्ति को प्राथमिकता देना। यदि अनिवार्य हो तो उक्त नियुक्तियों के लिए निर्दिष्ट अवधि (उदाहरण के लिए बारहवीं योजना अवधि

के दौरान) छूट दी जा सकती है। उदाहरण के लिए जनजातीय बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आस पास के स्थानों से +2 छात्रों को नियुक्त करना।

- अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों में सेवा के लिए संवेदनशील बनाना ताकि वे जनजातीय जीवन और उनकी परंपराओं की संवेदनशीलता को समझ सकें।
- मूलभूत सेवाओं को पुनः आयोजित करना जैसे पोषण हस्तक्षेप, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा के तहत रोजगार उत्पादन गतिविधियों में कार्यकाल की सुनिश्चितता सहित उचित कर्मचारियों की तैनाती और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निधि का आश्वासन।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका समर्थन पर बल। शिक्षा के लिए जहां जरूरी हो वहां स्कूल खोले जाएं और मेट्रिकुलेशन और उच्च शिक्षा के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर सुविधाओं का सृजन किया जाए। स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य विस्तार कार्य और निवारणात्मक चिकित्सा देखभाल की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। आजीविका समर्थन के लिए भूमि और जंगल आधारित गतिविधियों के अलावा मनरेगा के तहत कौशल प्रदान किए जाएं तथा उनके निवास के पास रोजगार के अवसर प्रदान करने को बढ़ावा दिया जाए। जनजातियों के लिए संगत कौशलों को सामाजिक – आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अभिज्ञात किया जाए और इसके बाद उन्हें अनिवार्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएं।
- कार्यान्वयन एजेंसियों में अनुसूचित क्षेत्रों/जनजाति बहुलता वाले क्षेत्रों में कोई ऐसा खाली पद नहीं छोड़ा जाए, प्रत्येक पद भरा जाए और जहां अनिवार्य हो वहां प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए।
- योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी निर्दिष्ट समय पर की जानी चाहिए। इसका कार्यान्वयन निधि के अंतरण से जुड़ी समस्याओं के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- जनजातीय क्षेत्रों में उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में (500 – 10,000 की आबादी) वाले क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में रेलवे द्वारा बेहतर कनेक्टिविटी
- जन जातीय भूमि के भूमि अधिग्रहण का पीईएसए के अंतर्गत यथपेक्षित समाधान और विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनर्वास करना तथा उन्हें पुन स्थापित करना
- आदिवासी जनजातियों को छोटे-छोटे वन उत्पादों का अधिकार
- जनजातीय लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए मनरेगा से किस तरह जोड़ा जाए, जिनमें से अधिकांश दस्तकारी के कार्यों में लगे हैं।

242 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

- भूमि एवं पट्टेदारी में सुधार: जनजातीय स्वामित्व के शेष बचे मामलों को निपटाना
- अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अति संवेदनशील लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल करना। स्वास्थ्य कर्मियों के केडर में वृद्धि करना जिससे वे जनजातीय लोगों की बेहतर सेवा कर सकें।
- बारहवीं योजना की योजना के अंतर्गत योजना: केन्द्रीय भारतीय जन जातीय बेल्ट, सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों में तथा डीएनटी जैसे भेदभाव से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम।
- विवादों का समाधान करने के लिए पीईएसए और एफआरए संस्थागत तंत्र का बेहतर एवं त्वरित कार्यान्वयन

शैक्षिक विकास

24.95. जनजातीय आर्थिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक, विद्युत या सिंचाई सुविधाओं जैसी कई विकास परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। हालांकि ये परियोजनाएं इन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को आर्थिक विकास करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है फिर भी, सृजित कार्य के लिए अनुसूचित जनजाति का उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण जनजातीय लोगों को इसका वास्तव में बहुत कम लाभ मिल पाता है। इन क्षेत्रों में तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरियों के अवसरों का लाभ उठाने के लिए जनजातीय युवकों को आवश्यक शिक्षा एवं दक्षता प्रदान कराना अनिवार्य है। अन्यथा, ये अवसर बाहरी लोगों के हाथों में चले जाएंगे और जनजातीय युवक इससे वंचित हो जाएंगे जिससे उनमें निराशा आएगी।

24.96. यद्यपि, स्कूलों का कवरेज बढ़ा है, शेष आबादी से अनु-जनजातियों का पिछड़ापन जारी है। एक विशेष समस्या यह है कि अनु-जनजाति उस भाषा का उपयोग करती है जो राज्य से अलग है और इससे उनकी क्षमता तथा शैक्षिक प्रणाली में अच्छे निष्पादन पर बुरा असर पड़ता है।

24.97. जनजातियों की शिक्षा के न्यून स्तर दूर करने और जनजातीय तथा गैर जनजातीय वर्गों के बीच स्कूल छोड़ने की दरों का अंतराल दूर करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल देने की जरूरत है। अतः सम्पूर्ण देश के अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की जरूरत है। प्रस्तावित स्कीम का उद्देश्य कक्षा 1-10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों के माता-पिता को सहायता देना है ताकि प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर तक स्कूल छोड़ने की संख्या को कम से कम किया जा सके।

24.98. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की स्कीम का उद्देश्य जन जातीय युवकों का उनकी शैक्षिक

योग्यता के वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों और बाजार सम्भावनाओं के अनुरूप विभिन्न परम्परागत/आधुनिक व्यवसायों में दक्षता विकास करना है। जिससे अपने उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने या स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम हो सके। यह स्कीम अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातियों और पीटीजी का कल्याण करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण सहित सभी को व्यावसायिक शिक्षा दिलाना प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर एक सम्पूरक भाग होना चाहिए। टीएसपी क्षेत्रों के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक आईटीआई/पॉलीटेक्निक स्थापित की जानी चाहिए। अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में शामिल होना चाहिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करके ग्रामीण एवं समुदाय विकास क्रियाकलाप करने वाली महिला समुदाय पॉलीटेक्निक।

24.99. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति (पीएमएस) स्कीम अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक अधिकारिता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक मात्र ऐसी स्कीम है जिसमें राज्यों को उनके द्वारा वचनबद्धता दी गई देयता के अलावा 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता शामिल है जिसमें अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को मैट्रिकुलेशन के पश्चात अध्ययन जारी रखने और सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने के लिए की गई सिफारिशों में शामिल हैं:-

- छात्रवृत्ति की दर और आय सीमा में नियमित अंतराल के पश्चात प्रतिवर्ष कीमत सूचकांक के आधार पर संशोधन किया जाना चाहिए। माता-पिता की आय सीमा में भी समय-समय पर यथोचित संशोधन किया जाए।
- कॉलेजों की फीस का प्रत्यक्ष भुगतान करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए और विद्यार्थियों से कहा जाए कि वे इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी शुल्क न जमा करें। शुल्क का भुगतान शैक्षिक वर्ष के दौरान ही किया जाना चाहिए जिससे कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को किसी भी तरह की प्रताड़ना का सामना न करना पड़े।
- डे-स्कॉलर्स या हॉस्टलर्स को छात्रवृत्ति का भुगतान मासिक आधार पर आन लाइन या विद्यार्थियों के बैंक खातों में भेजकर किया जाना चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा उन्नयन करने की स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को प्रतिवर्ष आबंटित पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि की जाए जिससे कि वे व्यावसायिक

कॉलेजों/संस्थानों में दाखिले के लिए अधिक बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपनी शैक्षिक कमियों को दूर कर सकें।

24.100. अनुसूचित जनजाति की बालक और बालिकाओं में शिक्षा संवर्धन करने के लिए और बीच में पढ़ाई छोड़कर घर बैठने के बजाय अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाने की स्कीम में विस्तार करना चाहिए तथा इसमें राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने पर विशेष बल देना चाहिए। मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, भवनों का रखरखाव अच्छी तरह से नहीं किया जाता है, और राज्यों से समुचित/पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न हो पाने के कारण छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य में व्यवधान पड़ता है। छात्रावासों की बुनियादी सुविधाओं और उनके रखरखाव में लगातार सुधार करने की जरूरत है। छात्रावासों का निर्माण करने में लगने वाले पांच वर्षों के समय को कम करके दो वर्ष करने की जरूरत है।

24.101. टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्कीम के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की वे राज्य सरकारें, जो लड़कों के आश्रम विद्यालयों और छात्राओं के लिए आश्रम विद्यालयों की स्थापना करती हैं, उन्हें 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता है। यह सिफारिश की जाती है कि:

- अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए आश्रम विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना करने के लिए दिए जाने वाले 100 प्रतिशत सहायता अनुदान को गैर-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक बढ़ाना वांछनीय होगा।
- स्थानीय जनजातीय समुदाय के योग्य अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी आश्रम विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की जाए।

24.102. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) की शुरुआत वर्ष 2006 में अनुसूचित जनजाति के एम. फिल और पीएच. डी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभग्राहियों को 667 अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत अध्येतावृत्ति की संख्या 667 से बढ़ाकर 1000 करना न्यायोचित है।

24.103. उत्कृष्ट संस्थानों/उच्च श्रेणी के संस्थानों को छात्रवृत्ति देने की स्कीम में प्रमुख व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रति वर्ष अनुसूचित जनजाति के दाखिला लेने वाले अधिकतम 625 विद्यार्थियों

को उदार वित्तीय सहायता देने के प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के अधिकाधिक विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग की व्यवस्था करने से इसकी प्रभावकारिता में और अधिक वृद्धि होगी क्योंकि तब इन प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेने के लिए अधिक अभ्यर्थी योग्य होंगे।

24.104. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) स्कीम का उद्देश्य विदेशों में इंजीनियरिंग स्तर के पाठ्यक्रमों और पीएचडी कार्यक्रमों में उच्चतर अध्ययन कर रहे 15 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का हिस्सा इस स्कीम में बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे वे इसका अधिक लाभ उठा सकें। इस स्कीम 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी जानी चाहिए। इस स्कीम को इस तरह बढ़ाया जाए कि इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के सभी संकायों को शामिल किया जा सके। उन्मुखीकरण प्रक्रिया को सुविधा केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर प्रदान कराई जानी चाहिए।

स्वास्थ्य

24.105. जनजातीय कार्य मंत्रालय इस स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक विस्तारों वाले अस्पताल चलाने या चलते-फिरते औषधालयों के लिए अनुसूचित जनजाति का कल्याण करने के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। दूरदराज के जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी करने के लिए भारी पैमाने पर स्वास्थ्य परियोजनाएं/कार्यक्रम चलाने की जरूरत है।

24.106. जनजातीय लोग अपनी दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी बीमारियों और बड़ी बीमारियों का इलाज अपने परम्परागत तरीकों से करते हैं। स्वदेशी जनजातीय चिकित्सा को अन्य चिकित्सा प्रणालियों के साथ जोड़ने के लिए एक नई कार्यनीति विकसित करने की जरूरत है। जनजातीय लोगों के चिकित्सा संबंधी/औषधीय पौधों से संबंधित इस परम्परागत ज्ञान को पुस्तकबद्ध कराने, इसका मानकीकरण करने और इसे उपचार की एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में मान्यता दिलाने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने की जरूरत है। स्थानीय जनजातियों खासकर परम्परागत रूप से इलाज करने वालों को प्रशिक्षित करने और पारिश्रमिक लेकर लोगों का इलाज करने का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जा सकता है।

24.107. कुपोषण की समस्या का सामना करने के लिए जनजातीय परिवारों को स्थानीय अनाज, दालें और खाद्य तेल पर्याप्त मात्रा में

दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए जिससे यह पीवीटीजी पर विशेष ध्यान देते हुए जनजातीय समूहों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पीडीएस और आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रबंधन का कार्य स्थानीय जनजातीय वर्गों, खासकर महिलाओं द्वारा किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को स्थानीय रूप से खया जाने वाला भोजन ही दिया जाता है। अत्यधिक कमजोर पीवीटीजी को कृषि एवं आय सृजन के अन्य कार्यों में लगाकर पूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

24.108. जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की कमी या अनुपलब्धता की समस्या है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक जनजातीय क्षेत्रों के सभी निवासियों को स्वच्छ पेय जल के स्रोत और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करा दी जानी चाहिए। स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि गंदे माहौल में रहने से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इस उद्देश्य के लिए पंचायत के सदस्यों और समुदाय को महामारी के समय देखभाल करने, गांव में स्वच्छता और सफाई बनाए रखने तथा पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसकी सफाई करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

24.109. जनजातीय क्षेत्रों में एक निश्चित अंतराल पर टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा सार्वजनिक उपचार प्रणाली एवं चलते-फिरते स्वास्थ्य केन्द्रों में इसकी व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों, लिंग पूर्वाग्रह और गलत रीतिरिवाजों जैसे धूम्रपान करने, नशे की लत, शराब पीने, कुपोषण, असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने और कम उम्र में बच्चे को जन्म देने के संबंध में नियमित आईईसी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

24.110. जनजातीय विकास खंडों में मनरेगा का कार्यान्वयन किया जाए जिससे कि इसके अंतर्गत परिकल्पित लाभ उन्हें मिल सकें तथा परेशान होकर दूसरे स्थान पर जाने और अनैतिक व्यापार की समस्या का निराकरण किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए ही अनुसूचित जनजातीय महिलाओं को कार्ड और रोजगार मिल रहा है या नहीं इसकी प्रभावी निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण और उसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

24.111. मनरेगा कार्य का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा पीईएसए के अनुसार किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसी परंपरा है कि उनका निर्धारण

सबसे निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों और उनके विभागों द्वारा किया जाता है। उनका लक्ष्य मुख्यतः आदिवासी भूमि में पौधे लगाना होता है। मनरेगा धन का उपयोग करके वे रबड़ की पौधे लगाने, पाम आयल, जैव ईंधन, काजूगिरी, कॉफी आदि के कार्यक्रम अपनाने के लिए बल डालते हैं। इस तरह की क्रियाकलाप इस नीति के खिलाफ हैं और ऐसा करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए।

24.112. मनरेगा की स्कीम के लाभग्राहियों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या अधिक होने से यह संकेत मिलता है कि समाज के इस वर्ग के प्रति इस संबंध में अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस स्कीम के कार्यान्वयन में एक टीएसपी संघटक निगमित करने की जरूरत है ताकि समावेशी विकास का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। यह टीएसपी संघटक केवल आबादी भागीदारी पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे वंचित व्यक्तियों और उनकी जरूरतों पर आधारित होना चाहिए।

24.113. मनरेगा के अंतर्गत एक परिवार को एक वित्त वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की सीमा को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में कृषि कार्य वर्ष में केवल 2-3 माह की अवधि के लिए ही उपलब्ध होता है।

उद्यमिता

24.114. जनजाति नवयुवकों में उद्यमियों का विकास किया जाना चाहिए। भूमि अवधारण होने के बावजूद जनजातीय समुदाय आर्थिक रूप से उन्नत न होने का एक कारण यह है उनमें व्यवसाय करने की कोई दक्षता नहीं है। जनजातीय उद्यमियों को लघु एवं बड़े पैमाने पर व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जनजातीय हस्तशिल्प के निर्यात को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे उनको अधिक नौकरियां मिलेंगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

भूमि

24.115. भूमि जनजातीय लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है परन्तु कई दशकों से उन्हें कानून की जानकारी न होने, जनजातीय भूमि के दुर्विनियोजनकर्ताओं द्वारा कानून का खुले आम उल्लंघन करके राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत से अपनाए जाने वाले धोखाधड़ी, अवपीड़क तथा अन्य विविध तरीकों से यह भूमि उनके हाथ से निकल रही है। नोडल मंत्रालय भूमि हस्तान्तरण विधियों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित

करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा। जनजातीय वर्गों की गैर-जोत भूमि को मनरेगा के सकारात्मक कार्यों के अंतर्गत जोत भूमि में बदलेगा। उच्च उत्पादकता और उच्च उत्पादन के लिए सिंचाई एक आवश्यक साधन है। जनजातीय क्षेत्रों में लघु और उतनी लघु भी नहीं (बड़ी परियोजनाओं को छोड़कर) सिंचाई परियोजनाएं चलाने की जरूरत है। व्यापक सिंचाई के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने (इनमें से कुछ पहले से भी मौजूद होगी) और उनका कार्यान्वयन करने की जरूरत है। ये सिंचाई स्कीमें न केवल कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगी बल्कि जनजातीय पुरुषों एवं महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में अब तक दोहन न किए गए जनजातीय क्षेत्रों में अब तक नगण्य रहे बड़े-बड़े भू-भागों का, स्वदेशी बीजों, प्रक्रियाओं और परंपरागत तकनीकों एवं तरीकों से होने वाले लाभ और गुणों को ध्यान में रखते हुए, उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

24.116. भूमिहीन जनजातीय लोगों को भूमि दिलाने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की विभिन्न उपदान एवं ऋण स्कीमों में समाभिरुपता सुनिश्चित की जाए ताकि अनुसूचित जनजाति खास कर उनकी महिलाओं को उपदान और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होनी चाहिए।

24.117. भूमि हस्तांतरण विधियों और पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत पहले से मौजूद सांविधिक संरक्षण के मद्देनजर जनजातीय भूमि के अधिग्रहण की, अधिग्रहण से रक्षा की जानी चाहिए। किसी भी जनजातीय भूमि का अधिग्रहण पीईएसए अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित जनजातियों की स्पष्ट और लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

24.118. किशोर न्याय अधिनियम (जेजे), बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, पीओए, अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) आदि के सभी विधायी उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए जिससे कि जनजातीय महिलाओं और बच्चों का संरक्षण हो सके। इसके लिए एक उपर्युक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि प्राथमिकी दर्ज न किए जाने की शिकायतों का निराकरण हो सके और जनजातीय लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत राहत एवं मार्गदर्शन मिल सके। इन पहलों की निगरानी करने और सहायता देने के लिए विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों/अधिवक्ताओं और अन्य पणधारकों को मिलाकर एक जिला स्तरीय समिति गठित

की जानी चाहिए। एनसीएसटी के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अपेक्षित मानव शक्ति की तैनाती करके और आयोग के कार्यक्रम में सुधार करके इसको सुदृढ़ करने की जरूरत है।

भौगोलिक अपवर्जन और मानव संसाधन प्रबंधन

24.119. जनजातीय क्षेत्र भौगोलिक अपवर्जन की समस्या से जूझ रहे हैं जिसका भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना की उपलब्धता तथा जनता को प्रदान कराई जा रही सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सुविधाएं अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं क्योंकि सेवा प्रदाता इस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक नहीं हैं। इन सेवाओं को समय-समय पर प्रोत्साहन देकर करने के उपाय स्थिति में परिवर्तन करने से असफल रहे। इस समस्या के बने रहने का मुख्य कारण हैं विभिन्न पदों के लिए केन्द्रीयकृत भर्ती और पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की पात्रता शर्तें, जिनके कारण शहरी/विकसित क्षेत्रों के गैर जनजातीय अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं और उन की भर्ती हो जाती है। जबकि दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में काम करने और इन सेवा प्रदाताओं की केन्द्रीयकृत केडर प्रबंधन की उनकी कोई मंशा नहीं होती है। इस समस्या का समाधान यह है कि उन जनजातीय क्षेत्रों से, जहां ये सेवाएं अपर्याप्त हैं, उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाए और उन्हें अपेक्षित विशेषज्ञता पाठ्यक्रम में प्रायोजित किया जाए और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा होने पर उनकी भर्ती की जाए। इसके अतिरिक्त भर्ती नियमों और पात्रता प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाए ताकि स्थानीय लोग जरूरी योग्यता हासिल कर सकें और उनकी भर्ती की जा सके।

24.120. इन सेवाओं का संवर्ग प्रबंधन राज्य स्तर से जिला स्तर और यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम स्तर पर विकेन्द्रित करने की जरूरत है। इससे जिले के अंदर स्थानांतरण और तैनाती करना सुलभ हो जाएगा तथा बाहरी व्यक्ति आकर यहां नौकरियां हासिल नहीं कर पाएंगे। एक अन्य सुझाव यह है कि मूलभूत सेवाओं की सुपुर्दगी करने का कार्य विकेन्द्रीकृत करके समुदाय को सौंप दिया जाए। इससे, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राम सभा के लिए क्षमता निर्माण होगा। ग्राम सभाओं को जनजातीय विकास कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए विधिक रूप से और प्रचालनात्मक रूप से अधिकार प्राप्त किया जाए जिससे वे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और कार्यान्वयन एजेंसियों तथा कर्मचारियों में विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता ला सकें।

जनजातीय महिलाओं का संरक्षण

24.121. जनजातीय महिलाओं की दोहरे कष्टों का सामना करना पड़ता है तथा उनके साथ घरों में भी भेदभाव किया जाता है।

जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सम्पूरक भाग व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देना भी शामिल है, होता है। टीएसपी क्षेत्र के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम से दो आईटीआई/पॉलीटेक्निक स्थापित किए जाने चाहिए। अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में शामिल है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ग्रामीण एवं समुदाय विकास कार्यक्रमों को करने के लिए महिलाओं के पॉलीटेक्निक। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए जनजातीय परिवारों को स्थानीय अनाज तथा दालें और तेल प्रयाप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। पीडीएस का प्रबंधन जनजातीय समुदायों के अपने निजी संस्थानों को सौंप दिया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी बच्चों को स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन दिया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रबंधन स्थानीय जनजातीय महिलाओं द्वारा किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार की उपदान और ऋण की योजनाओं का समाभिरूपण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को सस्ते ब्याज पर ऋण और उपदान दोनों मिल सके। कृषि संबंधी उपकरणों, पूंजी और प्रौद्योगिकी, खासकर सिंचाई प्रौद्योगिकी, का प्रावधान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए करने और उसका विस्तार करने के विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) बनाए जाएं जिससे कि इन प्रणालियों का अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बीच वितरण संवर्धन किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नौकरियों की गणना की जाए (उदाहरण के लिए यह देखा जाए कि सड़क परिवहन निगम में कितने ड्राइवर अनुसूचित जनजाति के हैं) और अनुसूचित जनजाति के युवकों और युवतियों को इन कार्यों के लिए दक्षता प्रशिक्षण दिलाने हेतु आईटीआई को विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए।

अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य

24.122. इस समय चल रही "अनुसंधान, सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य" स्कीम का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन; क्षमता निर्माण तथा जागरूकता सृजन; और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव है और इसमें शामिल हैं जन जातीय संस्कृति का परिरक्षण, संरक्षण और संवर्धन; विभिन्न

पणधारियों का क्षमता निर्माण और अधिवक्तता; प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन के जरिए विकसित सुपुर्दगी प्रणाली— परंपरागत जनजातीय संस्थानों (टीटीआई)/जहां व्यवहार्य हो, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के साथ भागीदारी करना। यह स्कीम नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं तथा लाभग्राहियों एवं नागरिकों की सूचना और ज्ञान की जरूरत को पूरा करेगी।

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

पृष्ठभूमि

24.123. आजादी के बाद संवैधानिक निदेशों और सरकार द्वारा किए गए गई विधायी एवं कार्यकारी उपायों के बावजूद सामान्य वर्ग की आबादी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के रहन-सहन के स्तर में भारी अंतर है। उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में इस अंतराल को दूर करने का प्रयास किया और इसमें कुछ समभिरूपता भी आई परन्तु यह अंतर अभी भी चिन्तनीय रूप से बहुत अधिक है।

24.124. विकास प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से एक विशेष और उन्हीं के लिए कार्यनीति बनाए जाने की जरूरत है जिससे कि वे, अन्य बातों के साथ-साथ समग्र आर्थिक विकास के लाभ समान रूप से प्राप्त कर सकें। इसे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विशेष संघटक योजना के जरिए (एससीपी) किए जाने का प्रयास किया गया जिसे अब अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के रूप में जाना जाता है।

अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)

24.125. अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) का प्रमुख उद्देश्य उन अभिजात स्कीमों के जरिए निधियों और लाभों का चैनलाइजेशन करना है जिनके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय मंत्रालयों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और देश में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में चिन्हित करना होता है। विशेष संघटक योजना, जिसमें वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण दिया होता है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्र के योजना दस्तावेजों का अभिन्न अंग होना चाहिए। ऐसी परिकल्पना है कि इनमें से कुछ स्कीमें संयुक्त आय सृजन कार्यक्रमों के जरिए अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को सहायता पहुंचाएगी। इन परिवार उन्मुखी कार्यक्रमों अनुसूचित जाति वर्ग के सभी तरह के पेशों में लगे लोगों जैसे कृषि मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान,

बटाई पर फसल उगाने वाले, मछुआरे, स्वीपर और हस्तझाडू बरदार, गरीबी रेखा से नीचे के शहरी असंगत श्रमिक आदि को शामिल किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त, इस विशेष संघटक योजना में अनुसूचित जाति के परिवारों के रहन सहन के स्तर, पेय जल आपूर्ति सम्पर्क सड़कें, आवास स्थल और आवास सुधार तथा अग्रलिखित सेवाओं जैसे प्राथमिक स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पशुचिकित्सा केन्द्र, पंचायत घर, समुदाय हाल, पोषण केन्द्र, विद्युत संयोजकता सामान्य कार्य स्थल, सामान्य सुविधा आदि की स्थापना करके बढ़ाना है।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

24.126. जनजातीय उप-योजना का प्रमुख उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्र का विकास करना। इस तरह टीएसपी का उद्देश्य एक ओर उप-योजना क्षेत्रों में इसके आकार के अनुरूप निवेश का परिमाण न करना और दूसरी ओर जनजातीय समुदायों का उनकी जरूरत के आधार पर समग्र विकास करना है। जनजातीय लोगों की पृथक स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीएसपी ने दो उद्देश्य निर्धारित किए हैं: (1) अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना और (2) जनजातीय लोगों की शोषण से रक्षा करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करके टीएसपी कार्यनीति का अंतिम उद्देश्य जनजातीय वर्गों के विकास का अन्य देश के विकास के बीच अंतराल दूर करना।

24.127. टीएसपी के अंतर्गत जनजातीय अर्थव्यवस्था का विकास क्षेत्रगत विकास के जरिए किए जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें शामिल हैं: (1) कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलाप, लघु एवं मध्यम सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान तथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कट पालन, आदि का विकास करना (2) विकसित ऋण एवं विपणन सुविधाएं ताकि जनजातीय लोगों को कृषि एवं अल्प वन उत्पादों से अर्जन सुनिश्चित हो सके (3) कृषि विस्तार के लिए जनजातीय कृषकों को विशेष प्रशिक्षण तथा कृषि के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना (4) उपयुक्त वानिकी कार्यक्रम तैयार करना जिसमें जनजातीय लोगों की समान भागीदारी हो (5) खेती बाड़ी के विकसित तरीकों का प्रयोग करके कृषि उपज बढ़ाना और लघु उद्योगों का विकास करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण करना।

24.128. टीएसपी के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करना एक अन्य प्राथमिकता है। विकास केन्द्र, संचार नेटवर्क, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, तथा अन्य सुविधाएं जनजातीय वर्गों को प्रदान कराई जा रही हैं। जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय वर्गों को प्रदान कराई जा रही हैं। जनजातीय भूमि का गैर जनजातीय

लोगों को अंतरण निषेध संबंधी विधियां बनाकर, जनजातीय क्षेत्रों में ऋण देने को विनियमित करने की विधियां बनाकर, तथा वन उत्पादों का संग्रहण करने और उनका विपणन करने का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए कानून बनाकर जनजातीय लोगों का शोषण रोकने का प्रयास किया जा रहा है। टीएसपी में; विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय वर्गों (पीटीजी) तथा विशेष समस्या से ग्रसित जनजातीय वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पीटीजी के हित में राज्यों द्वारा विशेष विकास परियोजनाएं बनाई गई थी।

एससीएसपी और टीएसपी के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)

24.129. एससीएसपी और टीएसपी के लिए 1979 में शुरू की गई विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके एससीएसपी और टीएसपी कार्यक्रमों के लिए संवर्धक के रूप में वित्तीय सहायता देना है। इसका लक्ष्य अ.जा. एवं अ.ज.जा. का समग्र विकास करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देना है। एससीए के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान कराई गई निधियों का उद्देश्य आर्थिक विकास स्कीम के लिए किए गए प्रयासों का संवर्धन करना है। एससीए योजना आयोग से प्राप्त एकमुश्त राशि है और यह नोडल मंत्रालयों अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की जाती है।

24.130. एससीएसपी को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के अंतर्गत परिवार उन्मुखी आय सृजनकारी स्कीमों के अंतराल तथा अनुपस्थित इनपुटों को दूर करने के लिए शुरू करने में 100 प्रतिशत सहायता दी गई थी। एससीपी को एससीए के उपयोग का दायरा बढ़ाने के लिए वर्ष 1993 में नए दिशा निर्देश जारी किए गए। नए दिशानिर्देशों के अनुसार एससीए का प्रयोग अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी वाले विकास उपखंडों में बुनियादी संरचना का विकास करने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते कि इस आबंटन का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए अधिक प्रयास किए जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एससीए जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है—

- i. (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की आबादी के आधार पर: 40 प्रतिशत
- (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संगत पिछड़ेपन के आधार पर: 10 प्रतिशत

248 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

- ii. (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के परिवार के प्रतिशत के आधार पर: 25 प्रतिशत
- (ख) वार्षिक योजना में एससीपी के प्रतिशत के आधार पर: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के तुलनात्मक रूप में 25 प्रतिशत

24.131. एससीएसपी के लिए एससीए जिसके लिए 1979-80 में ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया था ग्यारहवीं योजना में यह आबंटन बढ़कर ₹2805.00 करोड़ हो गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्यारहवीं योजना (2007-08 से 2011-12) के पहले चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के 64 लाख परिवारों को अर्थक्षम आर्थिक क्रियाकलाप करने और गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए सहायता का प्रावधान किया गया था। इस समय एससीएसपी का निर्माण करने के लिए 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

24.132. टीएसपी के लिए यह विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) राज्यों/संघ राज्यों को उनके योजना परिव्यय में अंतराल को पूरा करने और एक संयोजक के रूप में दी जाती है। यह कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वानिकी, शिक्षा, सहकारिता, मछली पालन, ग्राम एवं लघु उद्योगों तथा न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम नामक क्षेत्रों में आय सृजन करने के लिए दी जाती है।

24.133. टीएसपी को विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण कुछ मानदंडों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसी (एमएडीए) पाकेट, आदिम जनजातीय वर्ग और बिखरे हुए जनजातीय वर्गों के आधार पर किया जाता है। बिखरे हुए जनजातीय लोगों के लिए 10 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता को अलग रखकर शेष राशि का आबंटन अनुसूचित जनजाति की आबादी, भौगोलिक क्षेत्र और राज्य का प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद के विपरीत अनुपात के आधार पर किया जाता है। ग्यारहवीं योजना में टीएसपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल ₹2872.10 करोड़ की विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया गया था। ग्यारहवीं योजना के दौरान लगभग 15 लाख अनु. जनजाति के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए सहायता दी गई थी।

एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन की समीक्षा

24.134. इस तथ्य के बावजूद कि टीएसपी और एससीएसपी कार्यनीतियां तीन दशकों से अधिक समय से प्रचालन में हैं फिर भी

उनका इष्टतम प्रचालन प्रभावकारी रूप से नहीं किया जा सकता। कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन पर होने वाला व्यय आबंटित निधि का 50 प्रतिशत भी नहीं था। टीएसपी/एससीएसपी निधियों से अन्य सामान्य क्षेत्रों में निधियों का विपथन रोकने के लिए बजट शीर्ष / उपशीर्ष नहीं बनाए गए हैं। नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली नहीं थी और प्राथमिकता क्षेत्रों में निधियों का आबंटन, उनका नियोजन और पर्यवेक्षण करने का तंत्र नहीं उतना प्रभावी नहीं था जितना होना चाहिए।

24.135. टीएसपी और एससीएसपी से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इन विशिष्ट कार्यनीतियों को पुनर्जीवित करने/पुनःसक्रिय करने, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास में अन्य क्षेत्रों की विकास की तुलना में निधियों का प्रवाह आबादी के अनुपात के रूप में सुनिश्चित करने के लिए मई 1999 में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अधिदेश के लिए एक केन्द्रीय स्थाई त्रिपक्षीय समिति गठित की गई थी:-

1. एससीपी और टीएसपी से संबंधित दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन न किए जाने के कारणों की जांच करना और उनके अनुपालन के लिए विशिष्ट उपायों का सुझाव देना;
2. उन विशेष स्कीमों की पहचान करना जो विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचाएंगे तथा उनके लिए निधियां निर्धारित करने के साथ-साथ प्राथमिकीकरण करना और
3. एससीपी और टीएसपी के कार्यान्वयन की प्रगति, प्रभाव आकलन और निगरानी तथा एससीपी एवं पीएसपी को एससीए के प्रयोग एवं अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत दिए गए सहायता अनुदान की समीक्षा करना और योजना आयोग को उन सुझावों का परामर्श लेना जो इन समुदायों के हितों को अधिक प्रभावकारी ढंग से पूरा कर सकें।

24.136. समिति ने, कुछ उपचारी उपाय सुझाने के अतिरिक्त, संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों तथा राज्यों की त्रिपक्षीय समितियों के साथ प्रभावकारी ढंग से योगदान करने का सुझाव भी दिया। अब तक आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और गुजरात नामक 6 राज्यों ने इन समितियों की स्थापना की है। एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बनाई गई सीटीसी की व्यवस्था उतनी प्रभावी सिद्ध नहीं हुई, अतः इसके स्थान पर एक नई उच्च स्तरीय समिति लाई जाएगी, जो सक्रिय होगी और जिसके साथ एससीएसपी / टीएसपी से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की जाएगी।

एससीपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों की सीमा की जांच करने और उनमें संशोधन करने के लिए कार्यबल

24.137. योजना आयोग ने टीएसपी/एससीएसपी के कार्यान्वयन ने आने वाली प्रचलनात्मक दिक्कतों की समीक्षा करने और मौजूदा दिशा-निर्देशों का प्रभावी एवं सार्थक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करने और उनमें समुचित संशोधन करने के लिए आवश्यक उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग एक सदस्य श्री डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन 2010 में किया था।

24.138. इस कार्यबल ने सिफारिश की कि केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग टीएसपी और एससीएसपी के अंतर्गत होने वाले योजना व्यय को दो श्रेणियों में विभाजित करें अर्थात् 1) गरीबी उन्मुलन और व्यक्तिगत लाभग्राही स्कीम; और 2) अन्य स्कीमों पर व्यय जिसमें क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांव, ब्लॉकों, जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में होने वाले व्यय, जिससे इन गांवों, ब्लॉकों और जिलों को फायदा पहुंचा हो तथा ख) अन्य क्षेत्रों में होने वाला व्यय जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचा हो।

24.139. केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनकी योजना निधि में से एससीएसपी और टीएसपी के अंतर्गत निर्धारित कि जाने वाली राशि की सीमा के रूप में चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है अर्थात् 1) वे मंत्रालय/विभाग जिनका टीएसपी/एससीएसपी के अंतर्गत निधियां चिन्हित करने का कोई दायित्व नहीं है 2) वे मंत्रालय/विभाग जिनसे आंशिक निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती है; 3) वे मंत्रालय/विभाग जिनसे अपने योजना परिव्यय में से टीएसपी के लिए 7.5 प्रतिशत से लेकर 8.2 प्रतिशत तक तथा एससीएसपी के लिए 15 से 16.2 प्रतिशत तक निधियां निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है 4) वे मंत्रालय/विभाग जिनसे अपने योजना परिव्यय में से टीएसपी के लिए 8.2 प्रतिशत से अधिक तथा एससीएसपी के लिए 16.2 प्रतिशत से अधिक निधियां चिन्हित करने की अपेक्षा की जाती है। इस कार्य बल ने यह भी सिफारिश की कि केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों में प्रशासनिक तंत्र को समुचित ढंग से सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है जिससे कि वे एससीएसपी/टीएसपी का क्रियान्वयन समुचित ढंग से कर सकें।

24.140. कार्य बल की सिफारिशें विचाराधीन हैं। इसका अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण एससीएसपी और टीएसपी के अंतर्गत निधियां

चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यथाअपेक्षित प्रक्रिया वर्ष 2011-12 के दौरान पहले ही शुरू कर दी गई है। एससीएसपी/टीएसपी का कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों द्वारा टीएसपी के लिए कोड 796 और एससीएसपी के लिए कोड 789 को पृथक बजट शीर्ष के रूप में सृजित किया गया। योजना आयोग तथा केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों ने एससीएसपी/टीएसपी के अंतर्गत निर्धारित आबंटन को अपने बजट अनुमानों में दिखाना शुरू कर दिया जिनपर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं।

एससीएसपी/टीएसपी बारहवीं पंचवर्षीय योजना: भावी परिदृश्य

अपूर्व बदलाव की ओर: कार्योत्तर लेखाकरण से 'एससीएसपी/टीएसपी के लिए सकारात्मक आयोजना'

24.141. अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य के अनुरूप, एससीएसपी और टीएसपी को सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इन योजनाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य वर्गों के बीच विकास के अंतर को कम करने हेतु कारगर तंत्र बनने की क्षमता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बारहवीं योजना में एससीएसपी/टीएसपी आयोजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु प्रमुख कार्यान्वयन उपायों के एक सैट का प्रस्ताव किया गया है। इनमें शामिल हैं— वित्त वर्ष आरंभ होने से काफी पहले कुल योजनागत परिव्ययों में से एससीएसपी/टीएसपी निधियां उद्दिष्ट करना, उप-योजनाओं के रूप में सकारात्मक आयोजना दस्तावेज तैयार करना, इस प्रकार तैयार की गई उप-योजनाओं हेतु मूल्यांकन और अनुमोदन तंत्र तथा परिणामों के मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए एक सुदृढ़ तंत्र। इन परिवर्तनों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग में एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा। राज्य स्तर पर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय होगा तथा निर्दिष्ट नॉडल विभाग द्वारा राज्य के लिए एससी/एसटी उप-योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

24.142. कार्यदल की सिफारिशों के अनुसरण में किए गए प्रयासों से अंततोगत्वा, एससीएसपी और टीएसपी को तैयार करने और इनका कार्यान्वयन करने में कुछ स्पष्ट परिवर्तन आए हैं। स्पष्टतया, 2011-12 में पहली बार, 25 और 28 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने क्रमशः एससीएसपी और टीएसपी के तहत सुनिश्चित रूप से निधियां उद्दिष्ट की हैं। वार्षिक योजना 2011-12 में शुरुआत करने के बाद, सभी क्षेत्रों में एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन

को और अधिक सुदृढ़ करने और सुधार करने की जरूरत है ताकि दिशानिदेशों के अनुसार एससीएसपी/टीएसपी के तहत निधियों को न केवल इष्टतम रूप से उद्दिष्ट किया जाए अपितु परिमेय दृष्टि से परिणामों को हासिल करने में इनका उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। नॉडल समन्वयकर्ता एजेंसियों के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को एससीएसपी/टीएसपी को तैयार करने, इनका कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग करने के कार्य का नेतृत्व करना होगा।

24.143. केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीएसपी/टीएसपी के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर, योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिदेशों की, किसी प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए, समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय योजना परिव्यय का कम-से-कम 16.2 प्रतिशत उन स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत उद्दिष्ट किया जाए जो प्रमाणिक रूप से अनुसूचित जाति समुदाय को लाभान्वित करते हैं, तथा केन्द्रीय योजना परिव्यय का 8.2 प्रतिशत उन स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत उद्दिष्ट किया जाए जो प्रमाणिक रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय को लाभान्वित करते हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग- (अ. पि. व.)

24.144. अन्य पिछड़ा वर्ग- (अ. पि. व.) में वे सभी जातियों और वर्ग शामिल हैं जो मंडल आयोग रिपोर्ट की सूची में और राज्य सरकार द्वारा सूची में शामिल हैं राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई सूची में सामान्य पाई गई। वर्ष 2004-05 (61वां दौर) में आयोजित एनएसएसओ सर्वेक्षण से अनुमान लगाया गया है कि कुल आबादी की 41 प्रतिशत आबादी अ. पि. व. की है।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय

24.145. संविधान में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है, परन्तु संविधान का अनुच्छेद-15 राज्यों को यह शक्तियां प्रदान करता है कि वह सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करें। अनुच्छेद-16 (4) राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी पिछड़ी जाति के लिए नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुबंध बना सकता है यदि राज्य के विचार से उस जाति का उस राज्य की सेवाओं को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। संविधान (अनुच्छेद-46) की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि "राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की विशेष रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा और उनकी सामाजिक अन्याय सभी तरह के शोषण से रक्षा करे"। यह राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है (अनुच्छेद 340)।

पिछड़े वर्ग का सिंहावलोकन: ग्यारहवीं योजना की पुनरीक्षा

शैक्षिक विकास

24.146. वर्ष 1998 में शुरु की गई मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य मैट्रिक पूर्व स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को अभिप्रेरित करना है। इस कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनके अभिभावकों/संरक्षकों की आय सभी स्रोतों से मिलाकर ₹44500 से अधिक न हो। यद्यपि, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है परन्तु राज्यों में इसकी दर में भिन्नता है।

24.147. वर्ष 1998 से कार्यान्वित की जा रही मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति स्कीम का आशय अन्य पिछड़ा वर्ग के पीएच. डी. सहित मैट्रिक पश्चात/पोस्ट सेकेन्डरी स्तर की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता देकर उनकी उच्चतर शिक्षा का संवर्धन करना है। इस स्कीम अगस्त, 2008 में दिनांक 01.07.2011 से संशोधन किया गया। इस संशोधित स्कीम के अनुसार अभिभावकों की आय सीमा को ₹44500 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। ग्यारहवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान अनुमानतः कुल 58 लाख अ.पि.व. छात्रों ने मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति प्राप्त की। अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को अपना अध्ययन जारी रखने तथा उनका अवधारण सुनिश्चित रखने और मध्य में ही पढ़ाई छोड़कर घर बैठने को रोकने के लिए उन्हें छात्रावास की सुविधा प्रदान करके अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 1998 में छात्रावासों का निर्माण के लिए सहायता योजना शुरु की गई थी। इस स्कीम में दिसम्बर, 2010 में संशोधन किया गया था। ग्यारहवीं योजना में पहले 4 वर्षों में कुल 22375 छात्रावास सीटें अनुमोदित की गई थी। संशोधित स्कीम में उन क्षेत्रों और उन जिलों/शहरों को शामिल करने की योजना बनाई गयी जिनमें शैक्षणिक संस्थान अवस्थित थे और जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में "अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना" के लिए ₹180.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। प्रदान किए गए प्रावधान में से केवल ₹126.96 करोड़ का प्रत्याशित व्यय हुआ।

आर्थिक विकास

24.148. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की स्थापना 1992 में की गई थी। यह निगम अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों और समूहों की उद्यमिता दक्षता एवं तकनीकी उन्नयन करने के लिए आर्थिक रूप से एवं वित्तीय रूप से अर्थक्षम स्कीमों और परियोजनाओं के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को वित्त पोषण की अन्य प्रणालियां प्रदान कराता है। एनबीसीएफडीसी आय सृजन करने के क्रियाकलापों की व्यापक श्रृंखला को सहायता प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलाप, दस्तकार एवं परम्परागत पेशे, तकनीकी ट्रेड्स लघु एवं छोटे उद्योग, परिवहन सेवाएं आदि। गरीबी रेखा से दो गुने से कम की वार्षिक आय वाले उद्यमियों को रियायती निधि प्रदान की जाती है।

24.149. एनबीसीएफडीसी का मुख्य फोकस इनके साथ अ. पि. वर्ग के युवाओं की कौशल आवश्यकता जरूरतों को पूरा करने पर केन्द्रित होगा। तदनुसार एक नई योजना के रूप में इस उद्यम के लिए मंत्रालय द्वारा निधि के निगमन प्रदान करने के लिए एक नया अवसर दिया जाएगा।

24.150. एनबीसीएफडीसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को प्रति वर्ष सांकेतिक राशि का आबंटन किया जाएगा। जबकि एससीए की जर्जर बुनियादी सुविधाओं, एसीए से न्यून वसूली और राज्य सरकारों से ब्लॉक गारंटी की अनुपलब्धता के कारण यह निगम राज्यों को किए गए आबंटन के अनुरूप ऋण वितरण करने में सक्षम नहीं हुआ है। इस निगम का पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाकर सुदृढीकरण किया गया है।

अ. पि. व. तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना: भावी मार्ग

शैक्षिक विकास

24.151. अन्य पिछड़ा वर्ग का शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्चात और अन्य उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति देने की स्कीमें तथा छात्रावास की सुविधा प्राथमिकता आधार पर प्रदान कराई जाएगी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सहायता की भागीदारी प्रणाली (50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक) के बारे में मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम, छात्रवृत्ति की दर, और पात्रता के लिए अभिभावकों/संरक्षकों की आय सीमा (44500 प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति वर्ष करना) में उपयुक्त संशोधन करने को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास सुविधा, जो इस समय बहुत सीमित और अपर्याप्त है, बढ़ाई जाएगी।

24.152. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई तर्ज पर अ. पि. वर्ग के लिए भी राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम बनाई जा सकती है जिससे कि अ. पि. वर्ग के छात्र भी उन शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए विदेश जा सकते हैं जो हमारे देश में सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम (आरजीएएनएफ) की तर्ज पर अ. पि. वर्ग के छात्रों के लिए भी यह स्कीम बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने की मांग है।

आर्थिक विकास

24.153. अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों की विपणन जरूरतों को पूरा करने तथा उन्हें एक विपणन मंच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड की तर्ज पर विपणन परिसंघ की स्थापना की जा सकती है। इस फेडरेशन के मुख्य क्रियाकलापों में कला एवं शिल्प में लगे दस्तकारों के लिए क्लस्टर विकास, उनकी दक्षता का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण, उनके उत्पादों का भारत और विदेश दोनों में शोकेस के रूप में प्रदर्शन, सफल प्रतिदर्श, जिनको अन्धों द्वारा प्रतिवर्तित किया जा सकता है, को सराहने, उन्हें लोकप्रिय बनाने और पुरस्कृत करने के लिए विपणन आउटलेट खोलना, और प्रस्तावित विपणन परिसंघों के अंतर्गत बिक्री करने के लिए उत्पाद हेतु एक ब्रैण्ड नाम देना शामिल है।

अल्पसंख्यकों की अधिकारिता

24.154. भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को समानता का दर्जा देने तथा उनके अधिकारों का संरक्षण, परिरक्षण एवं सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है जिसमें पांच धार्मिक समुदाय अर्थात् मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्ध एवं पारसियों को शामिल किया गया है। इन धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा अनुपात 2001 में आबादी का 18.4 प्रतिशत था मुसलमान (13.4 प्रतिशत) हैं, फिर ईसाई (2.3 प्रतिशत), सिक्ख (1.9 प्रतिशत), बौद्ध (0.8 प्रतिशत) और पारसी (0.0069 प्रतिशत) है। राज्यों में उनके वितरण पर निर्भर करते हुए इन समुदायों को कुछ राज्यों में वास्तव में 'बहु संख्यक' माना जा सकता है, उदाहरण के लिए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में मुस्लिम बहुलता में हैं और जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भी और नागालैंड (90 प्रतिशत), मिजोरम (87 प्रतिशत) और मेघालय (70.03 प्रतिशत) में ईसाई एवं पंजाब में सिख (60 प्रतिशत)।

24.155. हालांकि भारत ने पर्याप्त विकास और वृद्धि हासिल कर ली है तथापि हाल के वर्षों में यह माना गया है कि सभी धार्मिक समुदाय और सामाजिक वर्ग (एतदपश्चात इन्हें सामाजिक-धार्मिक

समुदाय— एसआरसी कहा गया है) ने विकास प्रक्रिया के लाभ सामान्य रूप से प्राप्त किए हैं। इनमें से मुस्लिम समुदाय, जो देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, विकास के सभी रूपों में काफी पिछड़ा हुआ है। योजना में यह भी माना गया है कि विभिन्न एसआरसी के बीच व्यापक विविधताएं हैं, इससे इस विचार को बल मिलता है कि एसआरसी विभिन्न समुदाय वर्ग और समुदाय पहचान के लोग हैं तथा उनकी भिन्न सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं।

अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

24.156. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक अल्पसंख्यकों के लिए कोई ठोस विकासात्मक कार्यक्रम नहीं था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों के आकलन से, केवल 5 वर्षों की सीमित अवधि में, उनके प्रभाव का प्रदर्शन नहीं हो सका। तथापि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में यथा प्रदर्शित धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति के आकलन का इस खंड में उल्लेख किया गया है।

गरीबी और उन्मूलन

24.157. यह एक सुस्थापित तथ्य है कि मुस्लिम समुदाय देश का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। इस समुदाय की आबादी देश की कुल आबादी के 13.4 प्रतिशत है। देश के कुल अल्पसंख्यकों में उनकी आबादी 73 प्रतिशत है। वे भारत में आर्थिक स्वास्थ्य और शैक्षिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े एवं वंचित समुदाय के रूप में आते हैं। योजना आयोग के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्र में गरीबी में मुसलमानों का अनुपात सर्वाधिक 33.9 प्रतिशत है। उनकी यह गरीबी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों की गरीबी का अनुपात असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बहुत अधिक है। मुसलमानों में साक्षरता दर और नौकरियों में भागीदारी अन्य समुदायों की तुलना में सबसे कम है। उनमें अधिकांश लोग वंश परम्परागत और कम आय वाले पेशों में लगे हुए हैं या वे अधिकांशतः छोटे और सीमांत किसान हैं या भूमिहीन कृषि मजदूर, छोटे व्यापारी या दस्तकार आदि हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि विकास संबंधी विभिन्न स्कीमों का लाभ केवल कुछ को ही प्राप्त हुआ है। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय, उनमें से कुछ वर्गों में खासकर ईसाइयों और बौद्धों, मजहबी सिक्खों तथा पारसियों के कुछ वर्गों में गरीबी होने के बावजूद उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है।

24.158. मुस्लिम समुदायों का चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है उनका अपने को अलग-थलग एवं अन्यदेशीय मानना। बारहवीं

योजना में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले गांवों और शहरों में सुविधा प्रदायकों की नियुक्ति की जाए जिससे कि वे इस समुदाय और राज्य की संस्थाओं के साथ समन्वय कर सकें। इस प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए युवा नेतृत्व कार्यक्रम भी शुरू किए जाने चाहिए।

शिक्षा

24.159. किसी भी समुदाय के लिए शैक्षिक अधिकारिता का महत्व बताने की जरूरत नहीं है अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों, के संबंध में यह महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि वे शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों से बहुत अधिक पीछे हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट तथा रंगनाथन मिश्रा आयोग ने अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति का बड़ी गंभीरता से विवेचन किया है। जैसा कि तालिका 24.9 में दर्शाया गया है, मुस्लिमों के बीच साक्षरता की दर अन्य समुदायों की तुलना में कम है जबकि यह अनु. जाति और अनु. जनजाति के बीच उच्चतर है। तालिका 24.10 भी देखें।

24.160. प्राथमिक स्तर दाखिले की उच्च दर दर्शाती है कि अल्पसंख्यकों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है। अन्य स्तरों पर अल्प प्रतिशत यह दर्शाता है यह समुदाय माध्यमिक स्तर से पिछड़ना शुरू कर देता है। अतः इस समूह को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए और उन्हें प्राथमिक स्तर को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की आबादी वाले ब्लॉकों, बड़े-बड़े गांवों और शहर में अल्पसंख्यकों की बहुलता वाली बस्तियों में

तालिका 24.8

धार्मिक समुदायों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरता दर

समुदाय/जाति	पुरुष	महिला	कुल
भारत	75.3	53.7	64.8
हिन्दू	76.2	53.2	65.1
मुस्लिम	67.6	50.1	59.1
ईसाई	84.4	76.2	80.3
सिख	75.2	63.1	69.4
बौद्ध	83.1	61.7	72.7
अन्य	60.8	33.2	47
अनुसूचित जाति	66.64	41.9	54.7
अनुसूचित जनजाति	59.17	34.76	47.1

स्रोत: 2001 की जनगणना।

तालिका 24.9
विभिन्न समुदायों के बीच शैक्षिक स्तर

समुदाय	माध्यमिक स्तर	उच्चतर माध्यमिक स्तर	स्नातक	अवर्गीकृत
सभी धर्म	14.13	6.74	6.72	0.02
हिन्दू	14.25	6.92	7.01	0.01
मुसलमान	10.96	4.53	3.6	0.05
ईसाई	17.48	8.7	8.71	0.01
सिख	20.94	7.57	6.94	0.02
बौद्ध	14.09	7.65	5.7	0.01
अन्य	11.24	4.55	4.35	0.01

स्रोत: अल्पसंख्यकों की अधिकारिता के संबंध में कार्यसमूह की रिपोर्ट, बारहवीं पंचवर्षीय योजना।

माध्यमिक स्तर के विद्यालय और उनके आसपास विद्यालयों की व्यवस्था करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यालय अनिवार्य बना दिए जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके छात्राएं अपनी शिक्षा जारी रख सकें। ग्रामीण स्तर पर 8-16 आयु वर्ग की उन छात्राओं के लिए जो बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं या स्कूल नहीं आती हैं, स्कूल मुहैया कराए जाएं। ये विद्यालय किशोरवय वर्ग की लड़कियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी स्कीम जैसी स्कीमों से जुड़ा होना चाहिए। विभिन्न धार्मिक समुदायों द्वारा शिक्षा का प्राप्त स्तर दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा में मुसलमानों और अन्य समुदायों के प्रतिनिधित्व के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसके अतिरिक्त विद्यालय छोड़कर घर बैठने की दर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सबसे ज्यादा होती है। अतः इस स्तर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्वास्थ्य

24.161. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के अनुसार शिशु मृत्यु दर निम्नलिखित है-बौद्ध/नवबौद्ध (53), मुस्लिम (52), सिख (46), ईसाई (42)। ये सभी आंकड़े राष्ट्रीय औसत 57 से वेहतर है। ईसाई और सिखों में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की मृत्यु दर संगततः बहुत कम है। प्रसवकालीन मृत्यु के आंकड़े मुस्लिमों में 47, ईसाइयों में 40 और सिखों में 31 है। अखिल भारतीय आंकड़े 49 हैं।

24.162. गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के संबंध में एनएफएचएस-3 रिपोर्ट दर्शाती है कि मुस्लिम महिलाएं आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां सबसे कम खरीदती हैं। बौद्ध/नवबौद्ध माताओं में (59 प्रतिशत) और सिक्ख माताओं में (58 प्रतिशत) माताएं

स्वस्थ माहौल में बच्चे को जन्म देती है। मुस्लिम माताओं में स्वस्थ माहौल में जन्म देने की यह दर (33 प्रतिशत) है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि जैन माताएं जन्म के पश्चात जांच सबसे ज्यादा कराती हैं और जन्म के पश्चात जांच कराने की यह दर मुस्लिम महिलाओं में सबसे कम है। यह सब मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में तथा राज्य संस्थानों तक उनकी पहुंच में झिझक या भेदभाव की भावना के कारण होता है। हिन्दू और मुस्लिम बच्चे समान रूप से कुपोषण के शिकार हो सकते हैं परन्तु सिख, ईसाई, जैन बच्चों का सामान्यतः अच्छी तरह से पालन-पोषण किया जाता है।

24.163. धार्मिक अल्पसंख्यकों में स्वास्थ्य स्कीम या स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आच्छादित घरों की संख्या निम्नलिखित है जैन (23.7), ईसाई (7.3) बौद्ध (6.6), सिख (6.5), मुस्लिमों के लिए यह सबसे कम 2.1 है। अखिल भारतीय औसत 4.7 प्रतिशत है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा बौद्धों में 40.9 प्रतिशत है, फिर मुस्लिम (34.6 प्रतिशत), ईसाई (27.8 प्रतिशत) और सिख (26.1) आते हैं। अखिल भारतीय औसत 33.5 प्रतिशत है।

लिंग अनुपात

24.164. 2001 की जनगणना के अनुसार, लिंग अनुपात ईसाइयों में 1009, बौद्धों में 953, मुस्लिमों में 936, सम्पूर्ण राष्ट्र के 933 के राष्ट्रीय औसत से अधिक अन्य धर्मों में 992 है। हालांकि ये आंकड़े सिक्खों के लिए चौंकाने वाले हैं जो केवल 893 है। उसी अवधि के लिए शिशु लिंग अनुपात (0-6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए) अन्य धर्मों में 976, ईसाइयों में 964, मुस्लिमों में 950, बौद्धों में 942 है। ये सभी अखिल भारतीय औसत 927 से ज्यादा है। तथापि यह अनुपात सिक्खों में 786 है। यह लिंग चयन गर्भपात की उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है।

कार्य एवं रोजगार

24.165. वर्ष 2001 की जनगणना में सभी समुदायों के लिए कार्य भागीदारिता दर (डब्ल्यूपीआर) 39.1 प्रतिशत है। बौद्धों में डब्ल्यू पी आर 40.6 प्रतिशत (महिलाओं में 31.7 प्रतिशत), ईसाईयों में 39.7 प्रतिशत (महिलाओं में 28.7 प्रतिशत), सिक्खों में 53.3 प्रतिशत (20.2 प्रतिशत) और मुस्लिमों के लिए 31.3 प्रतिशत (महिलाओं के लिए 14.1 प्रतिशत) है। कार्य भागीदारिता दर लिंग अंतराल मुस्लिमों में (3.34 प्रतिशत अंक) और सिक्खों में 33.1 प्रतिशत अंक) है। डब्ल्यूपीआर में लिंग अंतराल राष्ट्रीय स्तर पर 26.1 प्रतिशत अंक है।

24.166. तालिका 24.10 के अनुसार 49.1 प्रतिशत मुसलमान, 52.8 प्रतिशत ईसाई और 47.3 प्रतिशत, सिख 'अन्य कामगारों' के रूप में रोजगार रत हैं। "अन्य कामगारों" की श्रेणी में शामिल हैं सेवा, विनिर्माण व्यापार एवं वाणिज्य तथा सहबद्ध क्रियाकलाप। एनएसएसओ ने अपने 61वें सर्वेक्षण दौर में पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से ज्यादा कामगार स्व-रोजगार कर रहे थे, यह अनुपात मुस्लिम कामगारों में पुरुषों के लिए (60 प्रतिशत) और महिलाओं के लिए (75 प्रतिशत) था। चूंकि मुस्लिम, ईसाई और सिक्ख कामगारों का एक भारी वर्ग अन्य कामगारों की श्रेणी में लगा हुआ है इसलिए इन धार्मिक अल्पसंख्यकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दक्षता विकास और ऋण से संबंधित पहल करने की जरूरत है।

24.167. भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति के अनुसार वेतनभोगी कार्यों में मुस्लिमों का अनुपात केवल 13 प्रतिशत है। शहरी

तालिका 24.10
श्रेणीवार कामगारों का प्रतिशत वितरण

धर्म का नाम	कुल कामगारों का प्रतिशत			
	कृषक	कृषि श्रमिक	घरेलू उद्योग	अन्य कामगार
हिन्दू	33.1	27.6	3.8	35.5
मुस्लिम	20.7	22.0	8.2	49.1
ईसाई	29.2	15.3	2.7	52.8
सिख	32.4	16.8	3.4	47.3
बौद्ध	20.4	37.6	2.9	39.2
जैनी	11.7	3.3	3.3	81.7
अन्य धर्म	49.9	32.6	3.2	14.3
भारत	31.7	26.5	4.2	37.6

स्रोत: जनगणना 2001।

क्षेत्रों में 8 प्रतिशत से कम लोग औपचारिक क्षेत्र में रोजगार रत हैं (राष्ट्रीय औसत 21 प्रतिशत है)। मुस्लिम पुरुषों में से 12 प्रतिशत से अधिक पुरुष कामगार गलियों में फेरीवालों का काम करते हैं जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत से कम है। मुस्लिम कामगार तम्बाकू (41 प्रतिशत), पहनने वाले वस्त्र (30 प्रतिशत) और वस्त्र (21 प्रतिशत) जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि मुस्लिम कामगार ज्यादातर ऐसे अनौपचारिक क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं जहां वेतन कम मिलता है, कार्य दशाएं अच्छी नहीं हैं और सामाजिक सुरक्षा या तो बहुत कम है या ही नहीं। अतः मैक्रो स्तर पर, नीति में असंगठित कार्य बल में आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्ग की किस्मत सुधारने पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। जिससे कि मुस्लिम कामगारों को भी रोजगार से जुड़ा लाभान्वित मिल सके। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इन कामगारों का दक्षता उन्नयन करने और शैक्षिक स्तर सुधारने की जरूरत है ताकि वे संगठित क्षेत्र में काम करने के योग्य बन सके। इस उद्देश्य के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जन शिक्षण संस्थान स्कीम का प्रयोग करके एमसीडी में शिक्षित, नवसाक्षर युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

अल्पसंख्यकों की अधिकारिता के लिए चुनौतियां

24.168. जैसा कि पहले बताया गया है, ग्यारहवीं योजना अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार लाने पर लक्षित पहली योजना थी। इनकी सूची बॉक्स 24.1 में दी गई है। सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार करने के पर्याप्त के बावजूद इन अल्पसंख्यकों की किस्मत में समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुधार करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इन गंभीर चुनौतियों का समाधान निकालने की आवश्यकता है।

संस्थागत चुनौतियां

24.169. किसी कार्यक्रम की अच्छाई या बुराई उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। कार्यान्वयन की गुणवत्ता कार्यक्रम/स्कीम को कार्यान्वित करने वाले संस्थान पर निर्भर करती है। यदि संस्थान पर्याप्त रूप से सुदृढ़ और उत्तरदायी है तो कार्यान्वयन की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार होगा और वांछित लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकेगा। अतः बारहवीं योजना में कुछ विधिवत आशोधनों का प्रस्ताव किया जाएगा जिनमें शामिल हैं योजना में समुदायों की भागीदारी, तथा पहुंच में सुधार करने के लिए सरकारी "सुविधा प्रदायक" की नियुक्ति।

24.170. विसंगतियों को दूर करने के लिए एक त्रि आयामी कार्यनीति की जरूरत है जिसमें शामिल हैं (1) सामाजिक अधिकारिता (2) आर्थिक अधिकारिता (3) सामाजिक न्याय।

शैक्षिक अधिकारिता

24.171. उपयुक्त संसाधनों की अनुपलब्धता और उनका कम कार्यान्वयन पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कराने का मुख्य कारण रहा है। इसलिए अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान कराना अनिवार्य है ताकि सभी पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को बिना किसी अस्वीकृति अथवा अपवंचना के छात्रवृत्ति दिलाई जा सके। छात्रवृत्ति प्राप्त करने में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के सामने मौजूद दिक्कतों को कम करने के लिए आवेदन पत्र देने

से लेकर छात्रवृत्ति प्रदान छात्रवृत्ति का नियमित भुगतान करने और छात्रवृत्ति का नवीकरण करने तक की सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने कार्य स्वचालित एवं बाधा रहित हो। छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के नाम पर बैंक में या डाकघर में खोले गए खाते में समय पर भुगतान किया जाए। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को, यथापेक्षित, सुविधाप्रदायक के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

बॉक्स 24.1**ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की स्कीमें**

1. प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए विनिर्धारित 15 प्रतिशत आबंटन करने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में की गई थी।
2. बहु-क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), अल्पसंख्यक संकेन्द्रित 90 जिलों में 'विकास के अभाव' को दूर करने तथा उन्हें राष्ट्रीय औसत के अनुरूप बनाने के लिए बनाया गया था। एमएसडीपी के अंतर्गत परियोजनाएं मुख्यतः विनिर्माण गतिविधियों से जुड़ी थीं जैसे पालीटेक्निक भवन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, इंटर कालेज, आवासीय विद्यालय, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, स्वास्थ्य केन्द्र, जलापूर्ति सुविधाएं, आंगनवाड़ी केन्द्र, ग्रामीण आवास आदि।
3. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम की शुरुआत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष 2008-09 में की गई थी। इस स्कीम में अल्पसंख्यकों में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।
4. मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति स्कीम की शुरुआत वर्ष 2007-08 में की गई थी। इस स्कीम में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 से पीएच. डी स्तर तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया था।
5. प्रतिभा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति स्कीम की शुरुआत 2007-08 में की गई थी। इस स्कीम में यूजी, पीजी स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।
6. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों में एम फिल और पीएच. डी करने वाले विद्यार्थियों को एकीकृत पांच वर्षीय अध्येतावृत्ति देने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी।
7. अल्पसंख्यकों में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्कीमों को बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वयंसेवी, अराजनीतिक, लाभ न अर्जित करने वाली सोसायटी को सहायता अनुदान देने के लिए मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 1989 में की गई थी। एमईएफ स्कीम दो तरह की है (1) संस्थान/कालेज/स्कूल का अवरस्थापना विकास करने वाले गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देना और (2) प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देना।
8. अल्पसंख्यकों को मुफ्त कोचिंग और सहबद्ध स्कीम की शुरुआत विद्यार्थियों की दक्षता एवं क्षमता संवर्धन के लिए कोचिंग संस्थानों के जरिए सहायता दिलाने के लिए की गई थी जिससे कि वे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। इस स्कीम की समीक्षा यह व्यक्त करती है कि अन्य स्कीमों की तरह ही वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के संबंध में विसंगतियां हैं। इसमें बारहवीं योजना में सुधार किया जाएगा।
9. अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास करने के लिए स्कीम की शुरुआत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी परन्तु चयन प्रक्रिया में विसंगतियों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। बारहवीं योजना में इस स्कीम का संशोधित रूप प्रस्तुत किया जाएगा।
10. एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान के लिए सहायता अनुदान: एनएमडीएफसी को अपनी विभिन्न स्कीमों का वित्त पोषण करने के लिए ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।
11. एनएमडीएफसी की एससीए की अवसंरचना सुविधाओं का सुदृढीकरण करने के लिए सहायता अनुदान स्कीम का उद्देश्य एससीए को अधिक प्रभावशाली तंत्र बनाना है।
12. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण करने की स्कीम की शुरुआत रिकार्ड कीपिंग को सुव्यवस्थित रखने, पारदर्शिता कायम रखने, वक्फ बोर्ड के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण करने और वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग विकसित करने के लिए की गई थी। वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने संसद को दिनांक 23.10.2008 को प्रस्तुत अपनी नौवीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण केन्द्रीय वित्तीय सहायता से किया जाए। यह स्कीम दिसम्बर, 2009 से कार्यान्वित की गई।

24.172. अब तक यथास्थिति के अनुसार मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत कक्षा 1-5 तक में अध्ययन कर रहा कोई विद्यार्थी जो छात्रावास में रहता है, छात्रवृत्ति भत्ता प्राप्त करने का पात्र नहीं होता है। बारहवीं योजना में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को यथोचित समझा गया अनुरक्षण भत्ता देने का प्रस्ताव है। इस अनुरक्षण भत्ता की दरों में उपभोक्ता कीमत सूचकांक में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप नियमित आधार पर परिवर्तन किया जाएगा। पाठ्यक्रम शुल्क में सीमा निर्धारण में युक्ति संगत रूप से उपरिगामी संशोधन किया जाएगा ताकि वह वास्तविक शुल्क लागत के समान हो सके।

24.173. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्चात और प्रतिभा-सह-साधन छात्रवृत्ति स्कीम के उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए। तथापि, उन वर्षों के लिए वित्तीय उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों से आश्चर्यजनक रूप से कम थी। इससे यह संकेत मिलता है कि हालांकि अधिकाधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती थी परन्तु वह छात्रवृत्ति उन छात्रों तक संकेन्द्रित थी जिन्हें कम शुल्क अपेक्षित था या वे अधिकांशतः डे-स्कालर थे। इसकी बारहवीं योजना में समीक्षा की जाएगी और छात्रवृत्ति का वितरण मांग के आधार पर समान रूप से किया जाएगा। मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति स्कीम में कई विद्यार्थी, छात्रवृत्ति का नियमित रूप से पुनर्नवीकरण न किए जाने के कारण प्रभावित हुए थे। बारहवीं योजना में एकीकृत छात्रवृत्ति देने की शुरुआत करके इसे इतना न्याय संगत बनाया जाएगा कि विद्यार्थी स्कूल से पढ़ाई छोड़कर घर न बैठें।

24.174. विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित समान छात्रवृत्ति स्कीमों में पात्रता मानक और छात्रवृत्ति की दरों में विभिन्न मानदंड अपनाए जाते हैं। इनका सुमेलीकरण किया जाएगा और समान छात्रवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन करने वाले सभी मंत्रालयों के बीच एकरूपता स्थापित की जाएगी। ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा और उसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

24.175. स्कूल छोड़ने की दरें कक्षा 9 और 10 की मुस्लिम लड़कियों के बीच बहुत उच्च है क्योंकि दूर दराज स्थित संस्थानों तक उनकी आसान पहुंच नहीं होती है या उन्हें परिहवन उपलब्ध नहीं होता है। अतः अल्पसंख्यक छात्राओं को साइकिल देने का कार्यक्रम बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरु किया जाएगा ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। कुछ राज्य साइकिल देने के इस कार्यक्रम का पहले से ही कार्यान्वयन कर रहे हैं; केन्द्रीय स्तर पर परिकल्पित इस नई इस नई योजना को न्यायसंगत बनाया जाएगा और उनमें राज्य स्कीमों के अनुरूप बदलाव लाया जाएगा बॉक्स 24.2 देखें।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सिफारिशें

24.176. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकास प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी करके ना कि विकास लाभों के बृहत प्राप्तकर्ता के रूप में उनका सशक्तीकरण करने की परिकल्पना की गई है। बारहवीं योजना में तेजी से, अधिक समावेशी और स्थायी विकास करने का भविष्य निरूपण अधिदेशित करता है कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक समुदायों को शामिल करने तथा उनकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए साहसिक एवं सकारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के समावेशन और सशक्तीकरण को आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप किए गए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उसे विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।

निगरानी करने योग्य लक्ष्य

24.177. निम्नलिखित निगरानी योग्य लक्ष्य अपनाए जा सकते हैं:

1. धार्मिक अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर में वृद्धि, जहां कहीं लागू हो, राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाना।
2. धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भागीदारी उनकी आबादी के अनुपात के बराबर बढ़ाना तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना।
3. धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आई.एम.आर, एम.एम.आर, संस्थागत सुपुर्दगियां, बच्चों का प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण इस तरह दूर करना कि वे राष्ट्रीय औसत के समान हो जाएं और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर तथा सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
4. धार्मिक अल्पसंख्यकों की संगठित क्षेत्र में नौकरियों में भागीदारी उनकी आबादी के अनुपात के बराबर बनाना और मुस्लिमों तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित अन्य वर्गों पर विशेष ध्यान देना।
5. सरकारी रोजगार के सभी रूपों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व (वर्ष 2011 में) उनकी आबादी के अनुपात के रूप में बढ़ाना।
6. बैंक ऋणों की कुल संख्या और कुल राशि में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा उनकी आबादी के अनुपात के रूप में बढ़ाना तथा मुस्लिमों एवं आर्थिक रूप से कमजोर तथा सामाजिक रूप से उपान्तिक सभी वर्गों पर विशेष ध्यान देना।
7. धार्मिक अल्पसंख्यकों के सभी पात्र व्यक्तियों को औपचारिक ऋण एवं वित्त के स्रोतों तक पहुंच सहित उनका सौ (100) प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना।

बॉक्स 24.2

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भविष्य निरूपण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के भविष्य निरूपण में कई साहसिक एवं सृजनात्मक उपाय किए जाएंगे जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय के लक्ष्यों को न केवल सुदृढ़ करेंगे बल्कि उसकी उपलब्धियों से आगे बढ़कर कुछ कार्य करेंगे।

आबंटन में वृद्धि: प्रमुख स्कीमों की दर को वित्तीय परिव्यय बढ़ाकर उनका दायरा बढ़ाना ताकि उसमें एमएसडीपी को शामिल किया जा सके और 15 पीपी के दायरे अंतर्गत भारी संख्या में स्कीमों को शामिल करना जिससे कि शैक्षिक छात्रवृत्ति मांग आधारित बनाई जा सके और भविष्य के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाएं विकसित करने हेतु प्रमुख प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए जा सकें।

अल्पसंख्यकों को प्रत्यक्षतः लक्ष्य बनाना: एमएडीपी एवं 15 पीपी जैसी प्रमुख पहलों की रूपरेखा फिर से बनाना, उनके दायरे में विस्तार करना और उनके कार्यान्वयन ढांचे को इस तरह सुदृढ़ करना कि अल्पसंख्यक बस्तियां और अल्पसंख्यक लोगों को सीधे लक्ष्य बनाया जाए; प्रत्यक्ष लक्ष्य बनाने की इस प्रक्रिया को ब्लॉक एवं जिला स्तर की योजनाओं के अनुमोदन करने की एक शर्त बना दिया जाना चाहिए।

सुदृढ़ निगरानी को संस्थागत बनाना: आंतरिक विश्वसनीयता और प्रभाव आधारित निगरानी प्रणाली सृजित करना, जो भौतिक एवं वित्तीय निगरानी से परे जाए और इन स्कीमों की समयबद्ध सामाजिक लेखापरीक्षा करने और अल्पसंख्यक वर्गों तथा राज्य संस्थानों के बीच बुनियादी स्तर पर प्रजातांत्रिक वार्तालाप सृजित करने में लोगों तथा सीएसओ को शामिल कर सके। जिलों के सभी आंकड़े जिला कल्याण अधिकारी (सुविधा प्रदायक) के पास उपलब्ध रहेंगे और वे सार्वजनिक प्रक्षेत्र पर भी उपलब्ध रहेंगे।

रूपान्तरकारी नेतृत्व विकसित करना: अल्पसंख्यक समुदायों खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं और युवकों के बीच भारी पैमाने पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण स्कीमों के जरिए रूपान्तरकारी नेतृत्व विकसित करना ताकि वे राज्य को बेहतर आसपास, कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास स्वच्छता, दक्षता एवं आय प्रदान कराने में सहायता करने के लिए स्थानीय स्तर पर विश्वसनीयता का सृजन कर सकें।

रोजगारपरकता के लिए दक्षता निर्माण पर फोकस: सभी एमएसडीपी ब्लॉकों और नगरों में अल्पसंख्यक युवकों में रोजगारपरकता का सृजन करने के लिए दक्षता विकास करना तथा उसे राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन से जोड़ना।

अल्पसंख्यकों के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू करना: इस बात को मान्यता देते हुए कि देश की बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की बदलती जरूरतों का प्रत्युत्तर देने के लिए हमें लगातार सीखने और पहल करने की जरूरत है, बारहवीं योजना का मौलाना आजाद शिक्षण संस्थान जिसमें अल्पसंख्यकों के मध्य शैक्षिक एवं आजीविका पहलो (दस्तकरों हित के प्रयोगों की एक श्रृंखला की जा सकती है, का पुनर्गठन करके 'नवोन्मेषकारी हब' बनाकर उसे संस्थागत बनाना। मुस्लिमों के साथ सिविल समाज के शामिल होने को सहायता अनुदान तंत्र से तत्काल पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम

24.178. इस समय, 15 सूत्री कार्यक्रम में सीमित संख्या में स्कीमों शामिल की गई हैं। बारहवीं योजना में लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, युवा मामले, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय (विशेषकर मनरेगा) से कुछ अन्य स्कीमों शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यकों तक पर्याप्त निधियां और लाभ पहुंचें, इस समय 'जहां संभव हो निधियों का 15 प्रतिशत' चिन्हित करने के दिशानिर्देश में संशोधन करके अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुपात के आकार के अनुपात के रूप में "15 प्रतिशत और उससे ज्यादा" करने की जरूरत है। इससे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उन सभी अल्पसंख्यक संकेन्द्रित क्षेत्रों को शामिल करने में सुविधा होगी जो अन्यथा छूट गए थे।

24.179. 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उपलब्धियों का असमुच्चयन किया जाएगा ताकि उनकी निगरानी हो सके और

यह सुनिश्चित हो सके कि उनसे अल्पसंख्यकों की बस्तियों और लाभग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ हो। निगरानी दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाएगा कि उनकी जमीनी स्तर पर प्रभाव आधारित निगरानी हो, न कि भौतिक एवं वित्तीय परिव्यय की निगरानी। केन्द्रीय मंत्रालयों के 15 सूत्री कार्यक्रमों के वार्षिक परिव्यय और लक्ष्य को प्राकृतिक बस्तियों/गांवों/वार्ड-स्तर पहुंचाया जाए और इसे उपलब्धियों की रिपोर्ट करने के लिए आधार बनाया जाए। अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए आधार बनाया जाए। अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए बनाई गई स्कीमों/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर बनी सतर्कता एवं निगरानी समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को सदस्य बनाया जाए और वे इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन संबंधी जरूरी फीडबैक प्रदान करें। प्रभाव आकलन की प्रणाली में सुधार करने के लिए एस आर सी के लिए असंचयित आंकड़े प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत

सभी मंत्रालयों की लाइनों पर सृजित किए जाने चाहिए। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों/परिवारों/समुदायों द्वारा उपचित लाभ का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। बॉक्स 24.3 देखें।

बहु-क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

24.180. अल्पसंख्यकों पर ज्यादा ध्यान देने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन ब्लाकों को जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी ज्यादा है, बशर्ते कि वे एमएसडीपी के अंतर्गत अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों (एमसीडी) पर यथा लागू पिछड़ेपन के पैरामीटरों की अंतर्गत आती हो, बहु-क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक नई क्षेत्र इकाई के रूप में माना जाएगा। एमसीडी का अभिज्ञान करने के लिए आबादी के मानदंड को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है। एमएसडीपी कार्यक्रम में नगरों, शहरी, बस्तियों और एकांत गांवों/कस्बों सहित अल्पसंख्यकों के भारी क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में एक प्रक्षेपित अधिगम अपनाया जाएगा ताकि अल्पसंख्यकों और उनके मोहल्लों के प्रत्येक लाभग्राही तक पहुंचा जा सके।

24.181. क्षेत्र विकास योजना के लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए कि सृजित की गई प्रत्येक परिसम्पत्ति से अल्पसंख्यकों को लाभ हो। एमएसडीपी दिशा निर्देशों को संशोधित किया जाएगा जिससे कि 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित मौजूदा स्कीमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जा सके। इसके

अतिरिक्त, एमएसडीपी पहले से मौजूद राष्ट्रीय कार्यक्रमों, खासकर अवस्थान परियोजनाओं (आईएवाई/आईसीडीएस/पीएचसी भवन, कक्षा कक्ष) में शामिल परियोजनाओं पर ध्यान देने को अधिमानता देने के बजाय ऐसे कार्य करेगा जो जरूरत आधारित हैं। संशोधित एमएसडीपी दिशानिर्देश 95 पीपी पर इस प्रबलन को हटा देगा और इसके बजाय स्थानीय विकास कर्मियों को दूर करने के लिए स्थानीय जरूरत आधारित कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। इससे अल्पसंख्यकों की गरीब बस्तियां यह अभिज्ञात करने में सक्षम हो जाएंगी कि और उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनकी तात्कालिक जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इन पर ज्यादा संसाधन व्यय करते हैं, जो पेयजल, जल निकास, आजीविका का साधन, विद्युतीकरण, लुप्त हो रहे पेशों जैसे हथकरघा और हस्तशिल्प, को सहायता, दक्षता आधारित शिक्षा का नवोन्मेष नवीन बाजारों में अग्रगामी –पश्चगामी सम्पर्क सहित दस्तकारों को प्रशिक्षण, तकनीकी संस्थानों को पर्याप्त उपस्कर एवं बुनियादी संरचनाओं से लैस करना, प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों को उपचारी विद्यालय सहायता, नए मीडिया का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण और अधिवक्तता की शिक्षा आदि हो सकती है। एमएसडीपी और 15 पीपी एक दूसरे की अनुकृति बनने के बजाय एक दूसरे मिलकर ऐसे काम करेगे कि 15 पीपी सम्पूर्ण देश में क्षेत्रगत निवेश/चल रहे सीएसएस की देखभाल करेंगे और एमएसडीपी उस अंतरालों पूरा करेगी जो विशिष्ट समुदाय/या बस्ती महसूस करती है और जो मौजूदा सीएसएस द्वारा कवर नहीं जा रहे हैं।

बॉक्स 24.3

प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट कार्य

संबंधित मंत्रालयों द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित तीन कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

शिक्षा की परम्परागत प्रणालियों अर्थात् बौद्ध मठीय शिक्षा, डाइंग, पेंटिंग, मृत्तिका कला, संगीत, नृत्य आदि को बनाए रखने की जरूरत है। इस कार्य के लिए संस्कृति मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आवश्यक समर्थन एवं सहायता दी जाएगी। मदरसों का आधुनिकीकरण करने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जारी स्कीमों को वित्तीय तथा अन्य रूपों में सुनिश्चित समर्थन एवं सहायता देकर सुदृढ़ किया जाएगा।

उर्दू का सामाजिक, धार्मिक और क्षेत्रीय सीमाओं के परे हमारे राष्ट्र के विचारों, शिक्षा संचार एवं संस्कृति की सशक्त भाषा और माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उर्दू को एक जीवित भाषा के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे और जरूरी सहायता दी जाएगी। इस संदर्भ में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति न केवल मदरसों में बल्कि उपयुक्त वित्तपोषण सहित विस्तृत तरीके से की जाएगी जिससे कि अधिक स्कूल एवं कालेजों में इस भाषा का विकास हो सके।

गुणवत्तायुक्त सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बारहवीं योजना में जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर एक रिहायशी विद्यालय खोला जाए। इन्हें अल्पसंख्यकों की आबादी बहुल ब्लॉकों तथा उन शहरों/नगरों में चरणबद्ध ढंग से स्थापित किया जाएगा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी का संकेन्द्रण ज्यादा है। इन स्कूलों के लिए ऐसे मानदंड बनाए जाएंगे कि इनमें कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों का दाखिला अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का हो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत मॉडल विद्यालय और इंटर कॉलेजों को उन ब्लाकों और शहरी क्षेत्र में उन वार्डों में बनाया जाएगा जहां अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज्यादा हो। इस बात के भी प्रयास किए जाएंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा ऋण पर ब्याज उपदान स्कीम में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को भी शामिल किया जाए।

24.182. चूंकि सम्पूर्ण स्कीम जिला स्तरीय समितियों द्वारा बनाई गई जिला योजनाओं की उपयुक्तता पर निर्भर करेगी इसलिए इन योजनाओं को शुरू किए जाने से पहले अल्पसंख्यक बहुल पूरे क्षेत्र (गांव/वॉर्ड) में सूचना का सवितरण किया जाएगा। सूचना सवितरण की प्रणालियों में परम्परागत और संचार के स्थानीय रूप से पहुंच योग्य साधनों (नुक्कड़ नाटक, समुदाय रेडियो आदि) का प्रयोग किया जाएगा और यह जानकारी को संबंधित विभाग/सरकार की वेबसाइट पर डालने मात्र तक ही सीमित नहीं कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिले के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (गांव/वॉर्ड) में जनता के साथ व्यापक एवं दृष्टिगोचर परामर्श करना योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कराने के लिए अनिवार्य होगा।

24.183. एम.एस.डी.पी. और प्रधानमंत्री के नए पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में यह अधिदेशित होगा कि विशिष्ट परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान विशिष्ट संख्या में सामाजिक लेखा परीक्षा करवाई जायेगी। सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया और संस्थागत सहायता प्रदान की जानी चाहिए जैसे मनेरगा में। समुदाय/सामाजिक लेखा परीक्षा आलेखों की प्राकृतिक बस्ती/गांव वॉर्ड के वार्षिक लक्ष्यों और परिव्ययों तक पहुंच होनी चाहिए। इन्हें पूर्ण पारदर्शिता के लिए वेबसाइटों पर भी डाला जाना चाहिए, पर्यवेक्षण और निगरानी दिशा निर्देशों में सार्वजनिक जवाबदेही प्रक्रियाएं शामिल होगी जैसे सभी स्तरों पर सूचना का सकारात्मक खुलासा (प्राकृतिक बस्तियां/गांव, ब्लॉक और जिला)। समुदाय केन्द्रित अनुवीक्षण प्रक्रिया बनाने में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का सहारा लिया जाना चाहिए जिसमें स्थानीय समुदायों का अपने आपद अनुवीक्षण करने के लिए क्षमता निर्माण करना शामिल है। एम.एस.डी.पी. और 15 पी.पी. की तिमाही समीक्षा बैठकों में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए उपर्युक्त कार्यों के लिए निधियां इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक लागत से उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

24.184. जिला योजना समितियां (जो एम.एस.डी.पी. और प्रधानमंत्री के नए पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम दोनों के लिए समान होगी) अनिवार्य रूप से कार्य करेगी। उनके दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट अनुदेश होगा कि उनमें लोगों के खासकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों स्थानीय गैर संगठनों और विकास कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। इस संबंध में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों से पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधियों और महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इन स्कीमों का कार्यान्वयन पारदर्शी बनाने और लक्षित लाभग्राहियों के इसमें शामिल

करने के उद्देश्य से जिले के संपूर्ण आंकड़े जिला कल्याण अधिकारी (सुविधा-प्रदायक) के पास उपलब्ध होंगे। निर्वाचित या समुदाय के प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी के समर्थकों के लाभ के लिए यह आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे।

24.185. एम.एस.डी.पी. और प्रधानमंत्री का नया पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों की सभी बस्तियों ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरों को निम्नलिखित न्यूनतम मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के भविष्य निरूपण के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए: आई.सी.डी.एस, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं दक्षता विकास, स्वच्छ पेयजल, व्यक्तिगत सफाई मलनिकास और जलनिकास। मूलभूत सेवाओं के संबंध में दिया गया यह आश्वासन मांग आधारित होना चाहिए और यह कि किसी भी बस्ती से मांग होने पर सरकार यह सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

24.186. सभी योजनाओं का प्रधानमंत्री का पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम और एम.एस.डी.पी. के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उनका अल्पसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक वासभूमि (गांव) को लक्ष्य बनाकर बनाया जाना एक विशिष्ट शर्त होनी चाहिए। यह वांछनीय है कि सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को यथा संभव वासभूमि स्तर संकलित किया जाए। इस कार्य का पर्यवेक्षण आकलन एवं मॉनिटरिंग प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

24.187. एमएस डीपी के अंतर्गत अभिज्ञात एमसीडी के बाहर पड़ने वाले अल्पसंख्यक बहुत सभी पॉकेटों और गांवों तथा विकास के लाभों से वंचित क्षेत्रों को कवर करने के लिए यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अल्पसंख्यक आबादी वाले, विकास से अछूते इन गांवों और शहरों को बारहवीं योजना में विशेष कार्यक्रम के जरिए विकास की निविष्टियां प्रदान कराई जाएंगी। विकास से अछूते और 50 प्रतिशत या उससे अधिक की अल्पसंख्यक आबादी वाले इन गांवों और शहरों की एक व्यापक सूची तैयार की जाएगी और विकास की अभिज्ञात कमियों को दूर करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उनके लिए समुचित निधियां आबंटित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों में प्रगति की गति बढ़ाने, अल्पसंख्यकों की भागीदारी एवं अधिकारिता के लिए विभिन्न ढांचागत, संकल्पानात्मक और निगरानी उपाय शामिल होंगे। इन कार्यनीतियों की, उभरते संदर्भों में सतत आकलन करने और नीतियों को अल्पसंख्यकों- के लिए, जो सामान्यतः अपनी जरूरत के आधार पर जल्दी बदल जाते हैं – उन लोगों के अनुरूप बनाने की जरूरत है।

अल्पसंख्यक महिलाओं के जीवन आजीविका और नेतृत्व विकास के लिए स्कीम

24.188. अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की स्कीम जिसका अल्प आबंटन के साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदन किया गया था इस योजना में भी बनी रहेगी। यह प्रायोगिक स्कीम बारहवीं योजना में फिर से बनाई जाएगी। इस प्रायोगिक स्कीम जिसमें अपनी प्रचालन योजना में स्थानीय एनजीओ को शामिल करने की योजना है में उन स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी को सहायता दी जाएगी जिन्हें बंचित सामाजिक आर्थिक वर्ग के रूप में अल्पसंख्यकों के साथ कार्य करने के अनुभव का अभाव है वे अपने इस अभाव से आगे बढ़कर इन वर्गों के साथ मिलकर निर्माणकारी और स्थाई कार्य की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

24.189. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की निरक्षर और अर्द्ध-साक्षर महिलाओं को स्वरोजगार की सहायता के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की व्यापारिक उद्यमिता सहायता एवं विकास स्कीम (ट्रीड) 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उपेक्षित अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं तक बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि महिलाओं में उद्यमिता विकास हो सके।

सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

24.190. वर्ष 2006 में न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर समिति ने मुसलमानों के विकास के लिए विशेष सिफारिशों की थी। हालांकि अधिकांश सिफारिशों पर ग्यारहवीं योजना में कार्रवाई हो गयी है, फिर भी कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जिन्हें बारहवीं योजना में किए जाने की जरूरत है। इनमें शामिल है 1) भीड़-भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के उपेक्षित विद्यार्थियों को उन अध्ययन केन्द्रों में रखा जाए जिनकी अवस्थापना मौजूदा स्कूल भवन के समान ही हो और वे नियमित स्कूल घंटों के बाद वहां पढ़ाई कर सकें। (2) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की अधिक शाखाएं खोली जाएं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इन बैंकों की शाखाओं की सूची अपनी वेबसाइट पर डाले और (3) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, दक्षता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएं।

संस्थागत परिवर्तन:

1. केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सुदृढ़ प्रणाली

(क) बारहवीं योजना में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का तत्काल आवर्धन करने और पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह मानव संसाधन की मौजूदा कमी, जिसका यह मंत्रालय सामना कर रहा है, का समाधान निकाल सके।

(ख) सभी राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सुविधा सम्पन्न विभाग बनाएं। राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि वे अधिक लचीलापन हासिल कर सकें और अधिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही वहन कर सकें। अल्पसंख्यक क्षेत्र में एक अधिकार प्राप्त अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रशासनिक श्रृंखला बनाई जाएगी जो समुदाय, पीआरआई तथा अन्य विभिन्न विभागों, जो शिक्षा के क्षेत्र में, विकास तथा आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की सहायता करते हो, के साथ सुविधा प्रदायक के रूप में कार्य कर सकें। प्रत्येक जिले में एक पृथक अल्पसंख्यक कल्याण या सुविधा प्रदायक अधिकारी होगा जो उस जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सभी स्कीमों का क्रियान्वयन एवं समन्वयन करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी होगा। नोडल अधिकारी से लेकर उस राज्य के मुख्य सचिव के स्तर तक के अधिकारी के बीच कमांड एवं उत्तरदायित्व की एक स्पष्ट श्रृंखला बनाई जाएगी।

(ग) विकास में रह गयी कमियों का पता लगाने और विकास में रह गई उनकमियों का समाधान निकालने को प्राथमिकता देने के लिए प्रत्येक गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय सरकार, निर्वाचित तथा अल्पसंख्यक समुदाय से प्रतिनिधियों को मिलाकर समितियां बनाई जाएंगी। सभी राज्यों में पृथक समितियां बनाई जाएंगी जिससे कि स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन और उनकी समुचित निगरानी सुनिश्चित हो सके। स्कीमों तथा नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल सरकारी कर्मचारियों को सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूक बनाया जाएगा और उनसे अवगत कराया जाएगा।

2. एमएसडीपी के कार्यान्वयन का ढांचा

विलम्ब को दूर करने और विश्वसनीयता सृजित करने के लिए एमएसडीपी स्कीमों की योजना बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य राज्यों के जरिए स्थानीय प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों का समग्र प्रबंधन और निगरानी करने में एमओएम की अहम भूमिका होगी। इससे प्रमुख पणधारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।

3. दक्षता विकास

इन स्कीमों की अल्पसंख्यकों में दक्षता विकास सम्बर्धन करने में अहम भूमिका है जिससे रोजगार प्राप्त करने में उनकी क्षमता बढ़ेगी। अतः प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एमएसडीपी की स्कीमों का दक्षता विकास पर

बल देते हुए समेकन किया जाएगा। यह भी देखा गया कि राज्य सरकारें आईटीआई और पॉलीटेक्निक स्कीमों को केवल इस एकमात्र तथ्य के कारण स्वीकार नहीं करती है कि वे ऐसा महसूस करते हैं कि पहले दिन से ही उनकी जिम्मेदारी राज्य के राजकोष पर आ जाएगी। अतः इन स्कीमों में अब इन संस्थानों की लागत/कम से कम पांच वर्षों के लिए उनका अनुरक्षण करने हेतु एकमुश्त राशि का प्रावधान अंतःनिर्मित होगा। अल्पसंख्यकों की दक्षता विकास की योजना आयोग से सम्बद्ध राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड की पहलों के जरिए प्राथमिकता दी जाएगी।

4. उद्यमिता क्रियाकलापों के लिए संसाधनों तक पहुंच

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) दक्षता विकास कार्यक्रम संचालित करेगा। यह दस्तकारों को विपणन सहायता भी देगा। अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तीकरण सही स्तर से पूंजी का अनुप्रेरण करके किया जाएगा। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का अनुपात, अल्पसंख्यकों को जाने वाले कुल पीएसएल का वर्ष 2007-08 में 10.6 प्रतिशत, 2008-09 में 12.41 प्रतिशत, 2009-10 में 13.01 प्रतिशत और 2010-11 में 14.16 प्रतिशत था। प्राथमिकता विकास ऋण बीपीएल और दोहरे रूप से उपेक्षित बीपीएल परिवारों पर आधारित होना चाहिए। एनएमडीएफसी का भी व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा।

5. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के छात्रवृत्ति कार्यक्रम “मांग आधारित” हो

इसका लक्ष्य यह होगा कि अल्पसंख्यकों के सभी पात्र विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत शामिल किया जाए। इसकी प्रक्रिया सरलीकरण करने के साथ-साथ छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ाई जाएगी जिससे नए एवं तर्कसंगत मामलों को शामिल किया जा सके।

6. मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान (एमएईएफ)

मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान (एमएईएफ) का व्यापक पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान (एमएईएफ) का भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2010 में मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में निकाले गए निष्कर्षों से यह व्यक्त होता है कि यह संस्थान शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा संवर्धन करने में अहम भूमिका निभा रहा था। तथापि, एमएईएफ के कार्यकरण को और अधिक महत्व देने के उद्देश्य से एमएईएफ का संस्थागत पुनर्गठन करने की जरूरत है जिससे कि इस संस्थान को वर्तमान दान/कल्याण मोड से परिवर्तित करके अधिकारिता प्रक्रिया

में लाया जाए। एमएईएफ में, नवोन्मेषकारी पहले करने के लिए एक स्वतंत्र उत्कृष्टता केन्द्र बनने, प्रायोगिक परियोजनाओं का उन्नयन करने तथा अल्पसंख्यकों की अधिकारिता के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का संवितरण करने, सामाजिक अपवर्जन को दूर करने के व्यापक ढांचे के अंतर्गत स्कीमों और क्षेत्रों का निर्माण करने, एकता और नागरिक अधिकार संवर्धन के लिए एक हब के रूप में विकसित होने की संभावना है।

24.191. एमएईएफ इन प्रायोगिक परियोजनाओं का सहायता अनुदान तंत्र के जरिए शिक्षा के व्यापक क्षेत्र में जैसे समुदाय आधारिक शिक्षा, दक्षता आधारित शिक्षा में पहलें, नई बाजार में अग्रणी एवं पिछले संपर्कों के संबंध में दक्षकारों को प्रशिक्षण देना, महिलाओं एवं युवकों की अधिकारिता के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी संस्थानों को उपयुक्त अवसंरचना एवं उपकरणों से लैस करना पहली पीढ़ी के बच्चों के लिए उपचारी स्कूल सहायता देना, सुशासन के लिए क्षमता निर्माण, नागरिक अधिकारिता के लिए शिक्षा, अधिवक्तता के लिए शिक्षा और ऐसे ही अन्य कार्य करेगा। इस तरह का संस्थागत पूर्णगठन करने को अभिशासन में परिवर्तनों का ब्लू प्रिंट विकसित करना अपेक्षित होगा जिसमें शामिल है निर्णय करने और इन निर्णयों को प्रबंध में कार्यान्वित करने की प्रक्रिया और रूपरेखा विकसित करना, नए संगठनात्मक ढांचे, उनकी भूमिका, स्थिति और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए संसाधनों का आबंटन करने, विभिन्न यूनिटों को कार्य आबंटन करने की प्रक्रिया बनाना और नियमित निष्पादन मूल्यांकन करना।

7. केन्द्रीय और राज्य स्तर पर नागरिकों और कार्यकारियों को संवेदनशील बनाना

- इस स्कीम तथा नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल सरकारी कर्मचारियों को सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों से अवगत कराया जाए और उनके प्रति जागरूक बनाया जाए। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक क्षमता निर्माण परियोजना शुरू करने की जरूरत है जो सभी पणधारियों की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा होगी।
- साम्प्रदायिक एकता के लिए काम करने में प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों को प्रजातांत्रिक शिक्षा देने के लिए मॉड्यूल तैयार करने में लगाया जाएगा। भारतीय संविधान के मूल्यों का विशेष अभियान के जरिए प्रचार किया जाएगा जिसमें सभी समुदायों की युवा पीढ़ी को लक्ष्य बनाकर कार्य किया जाएगा। बड़े सामाजिक संघटन और सार्वजनिक शिक्षा अभियान करने की भी जरूरत है।

8. आंकड़ा संग्रहण एवं प्रबंधन व्यवस्था

विविध परिस्थितियों और भौगोलिक क्षेत्रों, खासकर हिमालय क्षेत्र में रह रहे अल्पसंख्यकों की जरूरतों और समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के सम्बंध में असमुच्चयित आंकड़ा बेस रखने की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए जिलो/ब्लाकों/गांवो/व्यावसायिक क्लस्टर्स/कृषि गतिविधियों को शामिल करते हुए एक आधार रेखा सर्वेक्षण, खासकर बुनियादी स्तर पर, किए जाने की जरूरत है। जिसमें सम्बंधित मंत्रालय शामिल रहेगे। किए जाने वाले विकास कार्य सर्वेक्षण आंकड़ों से उत्पन्न मांग और जरूरत पर आधारित होने चाहिए। अल्पसंख्यकों की सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों की स्थिति का पता लगाने के लिए रोजगार आंकड़ों का संकलन भी किया जाना चाहिए। यह अल्पसंख्यक समुदायों का सिविल, रक्षा, प्रशासन, न्यायिक और अन्य सेवाओं और गैर सरकारी क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व जानने के लिए अनिवार्य है।

9. अल्पसंख्यकों से संबंधित स्कीमों और कार्यक्रमों की निगरानी

सभी कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा किए जाने की जरूरत है और सभी स्कीमों का कार्यान्वयन पारदर्शी बनाने के लिए जिले के समस्त आंकड़े जिला कल्याण अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगे। यह सभी निर्वाचित या समुदाय प्रतिनिधियों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के लाभ के लिए सार्वजनिक स्तर भी उपलब्ध रहेगी। निगरानी के लिए बारहवीं योजना की कार्यनीति निम्नवत रहेगी:

- सच्वर समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार राष्ट्रीय डेटा बैंक का विकास
- लाभग्राही उन्मुखी कार्यक्रमों के संबंध में सामाजिक धार्मिक समुदाय द्वारा असमुच्चयित निगरानी योग्य लक्ष्यों का पता लगाना
- सामाजिक धार्मिक समुदायों खासकर अल्पसंख्यकों को राज्यों के साथ योजना चर्चा में समीक्षा राज्य के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा तथा जिला कलेक्टरों और जिला परिषद के अध्यक्षों/सीईओ के साथ समीक्षा के लिए कार्यसूची के रूप में शामिल करना।
- अल्पसंख्यकों से संबंधित असमुच्चयित संकेतकों का प्लैगशिप कार्यक्रमों द्वारा अपने मौजूदा कार्यक्रम समीक्षा तंत्र जैसे एनएचआरएम और एसएसए के लिए वार्षिक आम समीक्षा मिशन, राज्यों के साथ अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा तथा मनरेगा के लिए सामाजिक समीक्षा रिपोर्ट का समर्थन।

- जिन राज्यों और पंचायतों में अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक समावेशन में सुधार प्रदर्शित हो उन्हें (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देकर) प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न सामाजिक धार्मिक समुदायों— जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है के लिए विकास योजना में विशेषज्ञता युक्त एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित करने की जरूरत है जो विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वयं सेवी एजेंसियों के साथ जुड़ा रहेगा। इस नेटवर्क को योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन अनुभव के आधार पर राज्य संसाधन केन्द्रों के साथ जोड़ा जायेगा।
- ऊपर यथा उल्लिखित विकास के समावेशन पर आकलन और रिपोर्टिंग के लिए निगरानी प्रणाली, प्रक्रियाओं और यंत्रों का विकास करना।
- बारहवीं योजना में मध्यावधि मूल्यांकन के एक भाग के रूप में अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न सामाजिक धार्मिक समुदायों का सामाजिक समावेशन का आकलन करना।

10. आकलन एवं अनुवीक्षण प्राधिकरण

सच्वर समिति की सिफारिशों तथा योजना आयोग के प्रयासों के आधार पर आकलन एवं अनुवीक्षण प्राधिकरण गठित किया गया था। यह प्राधिकरण विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न सामाजिक-धार्मिक समुदायों (एसआरसी) को होने वाले विकास लाभों का मूल्यांकन करेगा और अभिशासन के सभी स्तरों अर्थात् ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों, जिलों, राज्यों और केन्द्र के साथ इन कार्यक्रमों में एसआरसी की सहभागिता की सघन निगरानी करेगा। इस आकलन एवं अनुवीक्षण प्राधिकरण को सभी स्तरों पर आंकड़ों का प्रभावकारी सृजन एवं विश्लेषण करने और गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अध्ययन शुरू करके निगरानी एवं आकलन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। इस प्राधिकरण को यह निगरानी करने के लिए अपेक्षित अधिकार दिए जाने चाहिए कि विभिन्न सामाजिक धार्मिक समुदायों खासकर अल्पसंख्यक समुदायों को नीतियों, कार्यक्रमों और क्षमता विकास योजनाओं में आवश्यक प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इससे ऊपर संतुत निगरानी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित हो।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नई स्कीमों

24.192. बारहवीं योजना में मौजूदा स्कीमों के अतिरिक्त 6 नई स्कीमों शुरू की जाएंगी। इससे नेतृत्व विकास, संस्कृति का संरक्षण, परामर्शी सेवाएं, शिक्षा, सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए परीक्षण तथा पारसी समुदायों की आबादी में कमी होने के मुद्दे का समाधान निकल जायेगा।

1. अल्पसंख्यकों के युवा नेताओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु पायलट स्कीम

24.193. अल्पसंख्यकों के समान विकास के अधिकार के संबंध में लोगों में जागरूकता सृजन करने, परिदृश्य निर्माण, संवेदनशील बनाने और समुदायों का संघटन करने की सख्त जरूरत है इस उद्देश्य के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में धार्मिक अल्पसंख्यकों के नवयुवकों को नेतृत्व प्रशिक्षण देने के लिए एक पायलट स्कीम शुरू की जायेगी। यह स्कीम प्रति वर्ष पूरे देश में 20000 युवकों एवं युवतियों को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे किउनकी सबसे अलग होने की धारणा यथा विभेद एवं शत्रुता के वास्तविक उदाहरणों का प्रत्युत्तर दे सके और असुरक्षा एवं निराशा की भावना का सामना कर सके। यह स्कीम अधिवक्तता और संप्रेषणता के लिए आईटी आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा, यह युवकों को सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया के पेशेवर के रूप प्रशिक्षित करेगी, समुदाय मोबिलाइजेशन/परियोजना नियोजन/ऑडिट में तकनीकी सहायता देगी तथा उन्हें गांवों/जिला/राज्य समितियों (15 पीपी/एमएसडीपी) के सदस्यों का क्षमता निर्माण करने का प्रशिक्षण देगी। इस प्रकार यह स्कीम स्थानीय सरकार और समुदाय के बीच सरकार की इन स्कीमों का सफल कार्यान्वयन करने के लिए एक कड़ी का काम करेगी। इसे ग्यारहवीं योजना अवधि में यूजीसी द्वारा स्थापित सामाजिक अपवर्जन और समावेशी नीति का अध्ययन केन्द्र के साथ जोड़ा जा सकता है।

2. सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को सहायता

24.194. निर्णय करने की प्रक्रिया में अल्पसंख्यकों की सहभागिता उनके विकास के लिए अतिआवश्यक है इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के उन होनहार बच्चों को जो संघ लोक सेवा आयोग की ग्रेड क और ख के लिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करते हैं, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि वे कोचिंग की लागत और अन्य व्यय वहन कर सकें।

3. अल्पसंख्यक बहुल 100 शहरों/कस्बों में शिक्षा प्रसार के लिए स्कीम

24.195. शहरों और कस्बों में रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी का बहुत बड़ा भाग सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उन्हें जीवन दशाओं में सुधार करने और अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसलिए इन पिछड़े शहरों/नगरों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सशक्तीकरण करने के लिए दक्षता और व्यावसायिक शिक्षा सहित, शिक्षा का प्रसार करने की जरूरत है।

4. शहरी युवा वर्ग को सहायता देने के लिए प्रायोगिक स्कीम

24.196. एक ऐसे कार्यक्रम की सख्त जरूरत है जो अल्पसंख्यकों के नवयुवकों को अपनी मानवीय, सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का विकास कर सकें। यह सामाजिक और संस्थागत नेटवर्क एवं संयोजन करके समुदाय और राज्य के बीच विचार विमर्श सुलभ बनाकर तथा अभिघात/मनोविज्ञानिक चिंताओं का अभिज्ञान और निराकरण करके किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में गरीब एवं कामगार पिछड़े वर्ग के नवयुवकों को रोजगार के अवसरों और कैरियर काउन्सिलिंग के संबंध में सूचना संचितरण करना शामिल होगा। 'हब एवं स्पोक, हाइब्रिड तकनीक का प्रयोग करके एक मॉडल स्कीम शुरू की जायेगी जिसमें शहरी युवा सपोर्ट लाइन हब के रूप में कार्य करेगी तथा समुदाय की सपोर्ट स्पोक के रूप कार्य करेगी। यह सेवा प्रस्तावित यूआईएसएल द्वारा प्रदान की जायेगी जिसमें कैरियर मार्गदर्शन (शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण), सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों तक पहुंच, प्लेसमेंट सेवाएं, प्रमाणन सुविधाकरण, संस्थागत सम्पर्क (वित्तीय आदि), सामान्य परामर्श (महिलाओं संबंधी मुद्दे, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, कानूनी मुद्दे, पहचान, सुरक्षा) तथा स्थान आधारित अन्य सेवाएं शामिल होंगी जिनको एनजीओ/सीबीओ/वार्ड अधिकारियों का सहयोग होगा।

5. अल्प संस्कृति एवं धरोहर की सुरक्षा एवं प्रक्षेपण के लिए स्कीम

24.197. विभिन्न रूपों – पेंटिंग, स्मारक, साहित्य, कलाकृति, त्योहार, संस्थान आदि – में अभिव्यक्त अल्पसंख्यक संस्कृति उन्हें शक्ति प्रदान करती है और देश के विभिन्न भागों में रहने के बावजूद उन्हें अपना धर्म पालन करके एक पहचान प्रदान करती है। अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं इतिहास की यह अभिव्यक्तियां हमारे राष्ट्रीय धरोहर का अभिन्न अंग हैं। अतः अल्पसंख्यकों के भौतिक एवं अभौतिक सांस्कृतिक कार्यकलापों की रक्षा करने और उन्हें बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता देकर प्रयास किया जा सकता है।

6. भाषायी अल्पसंख्यक

24.198. भाषायी अल्पसंख्यकों में पूरे देश फैले तथा अंतर-राज्य सीमा पर अवस्थित एक भाषायी वर्ग है। भाषायी अल्पसंख्यकों की अधिकांश आबादी विभिन्न पेशों और दस्तकारी समूहों में लगी है और उनकी आजीविका के साधन एवं पेशा उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए एलएम की संस्कृति और अर्थव्यवस्था अभिन्न है। भारी संख्या में एलएम सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है और

वे उपेक्षित हैं। उनकी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने के लिए संवैधानिक वचनबद्धता का पूर्ण अनुपालन किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी आजीविका के स्रोतों, जो उनकी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, की न केवल रक्षा करना चाहिए बल्कि उनका चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करना चाहिए।

24.199. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न ढांचागत, संकलपनात्मक योजनाओं का प्रस्ताव है जो उनके विकास की गति को बढ़ा सके तथा अल्पसंख्यकों की अधिकारिता एवं सहभागिता का विकास कर सके। तथापि इन कार्यनीतियों की उभरते संदर्भ में सतत आकलन करने और समर्थकारी नीति माहौल, जो इन समुदायों— खासकर अल्पसंख्यकों और अति सुभेद्य तथा अपेक्षित समुदायों—की जरूरतों का निराकरण करने की जरूरत है।

अन्य सुभेद्य समूह

24.200. देश में औद्योगिकीकरण और देहात के लोगों का काम की तलाश में भारी संख्या में पहले से भीड़-भाड़ वाले शहरों एवं नगरों में पलायन करने से सामाजिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, शहरों की आबादी बढ़ रही है, जिससे पटरी/गंदी बस्तियों में रहने वालों की भीड़, संयुक्त परिवार प्रथा में विघटन, बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्याएं जन्म ले रही हैं। सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में आबादी की कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जो तेजी से आ रहे इन बदलावों के साथ समायोजन में असमर्थ हैं और वे विशेष रूप से सुभेद्य वर्ग बन गए हैं। इन सुभेद्य वर्गों में शामिल हैं विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) (अर्थात् चलने-फिरने देखने सुनने, बोलने और मानसिक विकलांगता आदि), बुजुर्ग व्यक्ति, भिखारी तथा मादक द्रव्यों के शिकार व्यक्ति एवं शराब से पीड़ित व्यक्ति। इन सभी श्रेणियों के प्रति उनकी सुभेद्यता और विकलांगता के कारण राज्य को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।

विकलांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण

एक सिंहावलोकन

24.201. आबादी का लगभग 2.5 प्रतिशत भाग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है फिर भी इनकी जरूरतों के प्रति समाज को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विकलांगता से ऐसे सम्भावित परिणाम निकलते हैं जिसका प्रभाव किसी पर भी पड़ सकता है और यह उपयुक्त होगा कि समाज इस वर्ग के लोगों की जो भी सहायता कर सकता है जिससे कि वे समाज में अपनी पूर्ण भूमिका अदा कर सकें। विकलांग व्यक्तियों के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना से ही नीति में प्रतिमान

परिवर्तन आया है, यह पहले कल्याण आधारित थी परन्तु अब अधिकार आधारित हो गयी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति और विधान के विभिन्न उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर प्रकाश डाला गया। इसमें बहु-क्षेत्रीय और बहु-सहयोगी अधिगम की वकालत की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में समावेशी विकास को लक्ष्य बनाया गया। साक्षरता/शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के संवर्धित अवसर आदि में सुधार करके और उपेक्षित वर्गों पर विशेष ध्यान देकर यह समावेशन प्राप्त करने की उम्मीद की गई थी। ग्यारहवीं योजना में इन विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के द्वारा सशक्त बनाने के लिए अधिकार आधारित अधिगम पर जोर दिया गया (1) संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूपरेखा बनाकर, (2) संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विस्तृत नियम और दिशा निर्देश बनाकर तथा (3) विभिन्न स्तरों पर निगरानी तंत्र बनाकर। एक नया विभाग, निःशक्तता कार्य विभाग 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में की गई, जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करे।

24.202. विकलांग व्यक्तियों को कल्याणकारी सेवाओं का पूर्ण पैकेज प्रदान करने और उनकी बहु-आयामी समस्याओं से प्रभावकारी ढंग से निपटने की नीति के अनुसरण में सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्रालय उनके उपचार, पुनर्वास, कल्याण एवं विकास के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। सात राष्ट्रीय संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय चाक्षुष विकलांग संस्थान, देहरादून (1979); राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता (1978); अली यावर राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुम्बई (1983); राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद (1984); और राष्ट्रीय बहु विकलांगता संस्थान चेन्नई तथा शीर्ष स्तर के दो संस्थान अर्थात् स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक (1984) तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय संस्थान, नई दिल्ली (1960) विकलांग व्यक्तियों के लिए बचाव, शिक्षा उपचार और पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के जरिए तकनीकी मानव शक्ति विकसित करते और स्लम, जनजातीय क्षेत्रों, अर्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों जैसे जरूरतमंद क्षेत्रों में सीमाबाध्य एवं विस्तार क्रियाकलाप करते रहे हैं। इसके अलावा 2011 में भारतीय सांकेतिक भाषा को आगे बढ़ाने और विकसित करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नामक एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है।

24.203. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्थापना एक शीर्ष स्तरीय निकाय के रूप में 24 जनवरी, 1997

को की गई थी। इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹400.00 करोड़ थी। इस नियम का उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक विकास क्रियाकलापों और स्वरोजगार उद्यमों का संवर्धन करना। इस निगम ने अब तक ₹161.80 करोड़ की सीमा तक प्रदत्त पूंजी के रूप में मंत्रालय द्वारा इक्विटी अंशदान जारी किया है। यह निगम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों के जरिए लाभग्राहियों को ऋण सुविधा प्रदान करता है। यह निगम 40 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले उन व्यक्तियों को, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष ₹5.00 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिवर्ष ₹3.00 लाख से अधिक न हो, शिक्षा, दक्षता विकास और स्व-रोजगार उद्यमों के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है। एनएचएफडीसी ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की उन अभिभावक एसोसिएशनों को भी ऋण प्रदान किया है जो आम सृजन करने वाली गतिविधियां करते हैं। ग्यारहवीं योजना का परिव्यय ₹30.80 करोड़ का था। तथापि वर्ष-दर वर्ष आधार पर किए गए बजटीय प्रावधान के आधार पर ग्यारहवीं योजना में इस स्कीम के लिए कुल ₹125.00 करोड़ मुहैया कराए गए थे जिसमें से 6356 विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने पर ₹112.00 करोड़ का व्यय किया गया।

24.204. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) की स्थापना 1972 में की गई थी। दिनांक 31 मार्च, 2010 को इस निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त पूंजी क्रमशः ₹300.00 लाख तथा ₹196.50 लाख थी। यह विकलांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण करने और उनका सम्मान बहाल करने के लिए कार्य करता है। यह उनके लिए टिकाऊ, अत्याधुनिक, वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित आधुनिक और आईएसआई स्टैंडर्ड की गुणवत्ता वाली सहायक सामग्री एवं ऐसे उपकरणों का विनिर्माण एवं आपूर्ति करता है जो उनकी विकलांगता

के प्रभावों को कम करके और आत्मनिर्भरता की सम्भाव्यता बढ़ाकर उनका शारीरिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक पुनर्वास का संवर्धन करता है। एएलआईएमसीओ गुणवत्तापूर्ण सहायक सामग्री और उपकरणों का सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में एक प्रमुख और सबसे बड़ा विनिर्माता है। यह निगम अफगानिस्तान, अंगोला, बंगलादेश, भूटान, कम्बोडिया, घाना, हांगकांग, इजरायल, नामीबिया, नेपाल, फिलीपीन्स, श्रीलंका, तंजानिया, यूएई, उजबेकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने उत्पाद का निर्यात भी कर रहा है। सरकारी प्रयास के अलावा, यह एनजीओ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास में अपना योगदान देता है। कृपया बॉक्स 24.4 में देखें।

24.205. कम्पोजिट रीजनल सेंटर्स (सीआरएस) स्थापित करने की स्कीम देश में पीडब्ल्यूडी तक पहुंचने और केन्द्रीय, राज्य एवं जिला तथा उससे निचले स्तर पर जागरूकता सृजन, पुनर्वास व्यावसायिकों के प्रशिक्षण, सेवा सुपुर्दगी आदि जैसी अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं और क्षमता निर्माण का सृजन करने के लिए समग्र कार्यनीति का एक भाग है। इस समय सुन्दरनगर, श्रीनगर, लखनऊ, गुवाहटी, पटना और भोपाल में छह सीआरसी कार्य कर रहे हैं। एक अन्य सीआरसी वर्ष 2010-11 के दौरान अहमदाबाद (गुजरात) में स्थापित किया गया है जिसने 16 अगस्त, 2011 को कार्य करना प्रारंभ किया तथा कोझीकोड (केरल) में 17.02.2012 को एक अन्य सीआरसी स्थापित किया गया है। उन स्थानों पर जहां विकलांग व्यक्तियों को व्यापक सेवा प्रदान करने की मौजूदा बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं और जहां इन केन्द्रों की अत्यधिक आवश्यकता है, वहां अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना किए जाने की जरूरत है।

बॉक्स 24.4 जयपुर फुट स्टेरी

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, अंग केन्द्र, सवाई मान सिंह अस्पताल एवं चिकित्सा विद्यालय, जयपुर (जिसे एतदपश्चात सोसाइटी कहा गया है) एक गैर-सरकारी, स्वयं सेवी, गैर-धार्मिक, गैर-वर्गीय, अराजनीतिक सोसायटी है जो अपंगों-खासकर संसाधनहीन व्यक्तियों की सहायता में लगी है। इसकी स्थापना डॉ. डी. आर. मेहता द्वारा मार्च, 1975 में दीर्घकालिक जन कल्याण परियोजना के रूप में की गई थी। इसकी बीकानेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर, हैदराबाद, अम्बाला, श्रीनगर, इंदौर, चेन्नई, पटना और अहमदाबाद में शाखाएं हैं। (जयपुर फुट/लिम्ब एंड कैलिपर्स) सोसायटी, विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, बैसाखियां, अन्य सहायक वस्तु तथा उपकरण एवं निःशुल्क वित्तीय सहायता देकर उन्हें कार्यशील बनाने का प्रयास करती है। इससे वे आत्मसम्मान और इन्सान की प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वे समुदाय के सामान्य एवं उपयोगी सदस्य बन जाते हैं। जयपुर अंग इतना कार्यकुशल है कि यह अंग लगाने के बाद व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह बिना किसी छड़ या सहायता के चल सकता है और वह दौड़ भी सकता है साइकिल भी चला सकता है तथा पेड़ पर भी चढ़ सकता है। यह अंग पहनने के पश्चात कई मरीज खेतों, फ़ैक्टरियों, दुकान, कार्यालयों में काम पर वापस आ जाते हैं। जयपुर फुट विदेशों में जैसे अफगानिस्तान, बंगला देश, इण्डोनेशिया, लेबनान, नाइजीरिया नेपाल, नैरोबी, पनामा, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, सोमालिया, सूडान, जिम्बाब्वे और जाम्बिया में भूसुरंग पीड़ितों तथा अन्य को भी लगाया गया है।

24.206. जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) का उद्देश्य है जिला स्तर पर जागरूकता सृजन, पुनर्वास एवं पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए जिला स्तर पर बुनियादी सुविधाओं और क्षमता निर्माण का सृजन करना। यह स्कीम राज्य एवं केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उद्यम है। डीडीआरसी का वित्त पोषण "पीडब्ल्यूडी अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए स्कीम" के जरिए प्रारंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के मामले में 5 वर्षों के लिए किया गया था और तत्पश्चात से इनका वित्त पोषण पंडित दीन दयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के जरिए की जाती है। डीडीआरसी दिशा-निर्देशों में 1 अप्रैल, 2010 से संशोधन किया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों में मानदेयों, व्यय की आवर्ती एवं अनावर्ती मदों में संशोधन शामिल है। 199 डीडीआरसी को अनुमोदन किया गया था जिसमें से 181 कार्यशील हैं और पीडब्ल्यूडी को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2010-11 में 21 नए डीडीआरसी स्थापित किए गए हैं। वारंगल (आंध्र प्रदेश), सुपौल (बिहार), सीतामढ़ी (बिहार), पश्चिम चम्पारण (बिहार), सबरकांठा (गुजरात), बांसकांठा (गुजरात), भरतपुर (राजस्थान), भीलवाड़ा (राजस्थान), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), बर्धमान (पश्चिम बंगाल), पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में तीन नए डीडीआरसी स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में ₹196.28 लाख की अनुदान राशि जारी की गई है।

24.207. विकलांग व्यक्तियों को सहायक सामग्री/उपकरणों की फिटिंग/खरीद के लिए सहायता स्कीम (एडीआईवी) का मुख्य उद्देश्य उन विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (एनजीओ/जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र/एएलआईएमसीओ/राज्य अपंग व्यक्ति विकास निगम/अन्य स्थानीय निकायों) को सहायता अनुदान देना है जो जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को ऐसे टिकाऊ परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक सहायक सामग्री एवं उपकरणों का अधिप्रापण करने में सहायता देते हैं जो उनके विकलांगता के प्रभावों को कम करने और उनकी आर्थिक सम्भाव्यता बढ़ाकर उनका शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास करते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आपूरित सहायक सामग्री और उपकरण आईएसआई मानदंडों को पूरा करते हैं। इस स्कीम में सहायक उपकरण देने से पहले यथापेक्षित सुधारक सर्जरी करने की भी परिकल्पना की गई है। वर्ष 2007-08 से सहायक सामग्री और उपकरणों का वितरण करने के लिए विकलांगता शिविर आयोजित करने हेतु निधियों का जिलावार आबंटन करने की एक नई पहुंच अपनाई गई है जिससे कि

सम्पूर्ण भारत में इसका प्रचार किया जा सके। रेड क्रॉस समितियों, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों और राज्य सरकार के निगमों/बोर्डों की संलग्नता बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया में और अधिक संशोधन किया गया है।

24.208. दीन दयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) का विकलांग कार्यान्वयन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए परियोजना चलाने हेतु वित्तीय सहायता देकर समर्थकारी माहौल द्वारा तथा गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करके वर्ष 1999 से विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। 1 अप्रैल, 2003 से लागू डीडीआरएस दिशा निर्देशों में स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा प्रदान कराई जा रही विभिन्न सेवाओं को कवर करते हुए ऐसी 19 मॉडल परियोजनाएं शामिल हैं जिनको सहायता अनुदान दिया जा सकता है। प्रदत्त सेवाओं में शामिल है (1) पूर्व-विद्यालय एवं शैशवावस्था कार्यक्रम (2) विशेष शिक्षा (3) व्यावसायिक शिक्षा एवं प्लेसमेंट (4) समुदाय आधारित पुनर्वास (5) मानव शक्ति विकास और (6) मानसिक रोगियों का मनोवैज्ञानिक सामाजिक पुनर्वास। दीनदयाल पुनर्वास स्कीम के दिशा निर्देश वर्ष 2009 में संशोधित किए गए थे। इसमें मानदेय, व्यय के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती मदों के लिए लागत संबंधी मानदंडों में संशोधन शामिल है। लागत मानदंडों में इस संवर्धन के अतिरिक्त, विभिन्न प्रतिवर्ष परियोजनाओं में मानव शक्ति श्रेणियों का युक्तीकरण और आमेलन किया गया है। मूल स्कीम में 80 श्रेणियों की तुलना में संशोधित सूची में 66 मानव शक्ति श्रेणियां शामिल हैं। कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट मैनेजमेंट, मोबाइल मरम्मत आदि जैसे नए दक्षता कार्यक्रमों की मांग पर विचार करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) में 14 नए ट्रेड शामिल करने पर विचार किया गया है। मंत्रालय द्वारा स्थापित जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों को इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी दी जाती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिव्यय ₹500.00 करोड़ का था और सम्भावित व्यय ₹369.10 करोड़ का हुआ जो आबंटन का 83 प्रतिशत उपयोग है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-11 के दौरान 2.3 लाख लाभग्राहियों को शामिल करते हुए 530 एनजीओ को सहायता दी गई थी।

24.209. गैर सरकारी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की स्कीम 2008 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार-गैर सरकारी क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2008 को उसके पश्चात लगे उन विकलांग कर्मचारियों

को जिनकी मासिक तनखाह 25,000 रुपए है, पहले 3 वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईएसएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में नियोक्ता को अंशदान देगी। इस स्कीम के अंतर्गत सितम्बर, 2010 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा क्रमशः 392 (31 मार्च 2012 तक) और 918 (29 सितम्बर 2012 तक) व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया। यह प्रोत्साहन स्कीम स्वैच्छिक प्रवृत्ति की है। गैर सरकारी क्षेत्र में नियोक्ताओं को इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरणा देने के लिए इस स्कीम का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।

बारहवीं योजना के लिए विकलांग व्यक्ति कार्यनीति

24.210. विकलांग व्यक्तियों के साथ शिक्षा, रोजगार, परिवहन और खेलकूद में भागीदारी मनोरंजन आदि में भेदभाव किया जाता है। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए बारहवीं योजना में 1) सेवा सुपुर्दगी 2) विकलांग व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जनजागरूकता के संबंध में दो आयामी कार्यनीति अपनायी चाहिए। सेवा सुपुर्दगी क्षेत्र में जिन चुनौतियों का निराकरण किया जाएगा उनमें शामिल हैं पीडब्ल्यूडी की पहुंच योग्य भारी संख्या में उत्पाद लोक सेवाएं और सूचना सेवाएं बनाना; शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर (प्रारंभिक, माध्यमिक और तृतीय शिक्षा) विकलांग विद्यार्थियों की भागीदारी और उसे पूरा करने की दर में सुधार करना, पीडब्ल्यूडी के मध्य असंगत गरीबी का कम करना, पोषण, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति में सुधार करके कम से कम तर्कसंगत स्तर तक लाना, राज्यों में पीडब्ल्यूडी के लिए आशयित कार्यक्रमों हेतु अनन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करना और मौजूदा एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार करना। चुनौती का अन्य क्षेत्र विकलांग अधिकारों और मुद्दों तथा विधान में बनाए गए उपबंधों और उनको उपलब्ध विकास कार्यक्रमों के बारे में पीडब्ल्यूडी के बीच जागरूकता का स्तर बढ़ाने के संबंध में सामान्य जनता को जागरूक बनाना। पीडब्ल्यूडी के बीच सर्वाधिक सुभेद्य व्यक्तियों जैसे महिलाओं, बेघर, तथा विविध या गंभीर विकलांग से पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं और जरूरतों के प्रति बारहवीं योजना में विशेष और तीव्रकृत ध्यान देने की जरूरत है।

24.211. एलआईएमसीओ की उत्पादन इकाइयों का विस्तार करने और उनका आधुनिकीकरण करने की जरूरत है, ताकि वे विकसित उत्पादों की मांग के पूरा करने। समान उत्पादन करने के लिए, उत्पादन की मात्रा बढ़ा सके। अतः जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए आधुनिकीकृत अंग और उपकरणों का प्रावधान सुनिश्चित करने की जरूरत है।

24.212. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में तीन प्रमुख पहलुओं पर विचार किया जाएगा: 1. उस सीमा की पहचान करना जिस तक विकलांग स्वायत्तता का विभिन्न सहमत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों तथा कार्यक्रमों के जरिए संवर्धन किया जाएगा। 2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का सशक्तीकरण करना जिससे कि उनकी क्षमताओं का सम्मान हो और उनकी क्षमता की स्तर के अनुरूप समाज के विभिन्न पहलुओं से अधिकारों को विकलांग व्यक्तियों के प्रति अंतरित करना 3. यह जानते हुए कि विकलांग व्यक्तियों के पास उनकी विकलांगता के परिणामस्वरूप क्षमता 'मुखर' नहीं हो पाती है। उनका संरक्षण करना और एतद्वारा उनके माता-पिता, समुदाय, राज्य से संरक्षण का ऐसा अधिकार प्राप्त करना जिसका दुरुपयोग और उन गतिविधियों से भागीदारी से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। इन सभी तीन मामलों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना और उनका संवर्धन करना, संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है।

24.213. नगर पालिकाओं और पंचायतों को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए उनको प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह करने में विशेष रूप से सक्षम और सशक्त बनाना विभिन्न पणधारियों और समुदाय की संवेदनशीलता और जागरूकता स्तर बढ़ाना उत्पादों प्रक्रियाओं, सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं को इस तरह डिजाइन करना कि पीडब्ल्यूडी की उन तक पहुंच हो सके, विकसित सुपुर्दगी एवं निगरानी तंत्र, विकलांगता योजना का समन्वयन करने के लिए एक एकीकृत प्रबंध प्रणाली विकसित करना, सरकार के सभी क्षेत्रों में और राज्य, राष्ट्र एवं जिला स्तर पर ऐसे तंत्र की स्थापना करना जो प्रचालनात्मक नियोजन पहलुओं जिनमें सभी भूमिका अदाकर्ता (जिला परियोजना अधिकारी, (डीपीओ, सरकार, निजी क्षेत्र) का विकास करने की नीति युक्त कार्यनीति विकास का सतत उत्थान एवं संयोजन करेगी।

24.214. उपर्युक्त कार्य सम्पन्न करने के लिए बारहवीं योजना को 1. सरकार की कार्यनीतियों में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने तथा निर्णय करने की प्रक्रिया में पीडब्ल्यूडी संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना और 2. सरकार की ऐसी कार्यनीतियों एवं क्रियाकलापों में विकलांग व्यक्तियों का समावेश करने कार्यनीतियां अंगीकार करने की जरूरत है।

24.215. विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1975 के उपबंधों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों (समान अधिकार, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) को रोजगार में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सभी और खासकर अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्र और गरीबी उन्मूलन

से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों राज्य सरकारों के विभाग एवं पंचायतें नगर पालिकाएं और शहरी स्थानीय निकाय अपने योजना परिव्यय में युक्तियुक्त राशि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कार्यों के लिए चिन्हित करेंगे। पीडब्ल्यूडी को सशक्त बनाने के कार्यक्रमों और केन्द्रीय, राज्य, जिला नगर/शहर, ब्लाक आदि-सभी स्तरों पर उनके उपयोग की निगरानी के लिए एक समुचित तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए।

24.216. विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बारहवीं योजना में 1) विकलांग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति 2) विकलांग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति 3) विकलांग विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग 4) उन जिलों में जहां सरकारी विशेष विद्यालय नहीं हैं, गम्भीर एवं बहु विकलांगता युक्त विद्यार्थियों के लिए विशेष/रिहायशी विद्यालय 5) मौजूदा सरकारी विशेष विद्यालयों में जहां छात्रावास नहीं है, छात्रावास की व्यवस्था और मौजूदा सरकारी विशेष विद्यालयों में सीटें बढ़ाना; और 6) ब्रेल मुद्रणालयों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता देकर शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा, 7) अग्रणी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (जैसे आईआईटी, एनआईटी आदि) में पढ़ने वाले निःशक्त छात्रों को 'उच्च वर्ग' शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना, 8) निःशक्त व्यक्तियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, 9) निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति, 10) देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में बधियों के लिए महाविद्यालय की स्थापना और 11) राष्ट्रीय अधिगम पुस्तकालय की स्थापना।

24.217. विकलांग व्यक्तियों, खासकर प्रमस्तिष्क पक्षाघात, आत्मविमोह और मानसिक विकृति से पीड़ितों के लिए विशेष समितियां बनाने की जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय प्रमस्तिष्क पक्षाघात, आत्मविमोह और मानसिक विकृति बहु विकलांगता व्यक्ति कल्याण ट्रस्ट में इसके कार्यक्रमों के लक्ष्य समूहों में निवारण, शीघ्र पता लगाने, उपचार और पुनर्वास पर बल दिया जाना चाहिए।

24.218. विकलांग व्यक्तियों की खेलकूद तक अधिक पहुंच बनाने और खेलकूदों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक विकलांग खेलकूद केन्द्र की जरूरत है।

24.219. विभिन्न रूप से अक्षम व्यक्तियों की जरूरतों का निराकरण करने के लिए विश्वविद्यालयों, छात्रावासों और अन्य ऐसे संस्थानों में विकलांगता अनुकूल अवसरचना बनाने की जरूरत है। परिवहन के

सभी साधनों अर्थात् रेल, बस और हवाई जहाज आदि में विकलांग अनुकूल स्थान/सुविधा बनाने पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है जो हैं रेल, बसें और हवाई जहाज आदि। बारहवीं योजना के दौरान महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों में बाधा मुक्त परिवेश बनाने और सरकारी वेबसाइट को निःशक्त व्यक्तियों के लिए अधिगम्य बनाने की सुविधा दी जाएगी। सार्वभौमिक डिजाइन और बाधा मुक्त परिवेश के विकास को समर्थन देने की सुविधा हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

24.220. बारहवीं योजना में, 1) मानसिक रोगियों के लिए पुनर्वास केन्द्र 2) प्रतिदर्श बहु विकलांगता स्वतंत्र आवास गृह 3) राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र स्थापित करने 4) राज्य सरकार के संस्थानों रसद पहुंच 5) राज्य सरकारों की वेबसाइट पहुंच बनाने 6) एक व्यापक डेटाबेस तथा विकलांगता संबंधी संसाधनों की ऑनलाइन राज्य न्यासी 7) राज्य मिशनों और जिला समन्वयकों की सीपना 8) जागरूकता सृजन एवं प्रचार 9) परीक्षकों का प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण और राज्य सरकारों, स्थानी निकायों तथा अन्य सेवा प्रदायकों को जरूरी समर्थन एवं सहायता देने के लिए निदेशित करने की जरूरत भी है, 10) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना, 11) राज्य निःशक्तता संसाधन केन्द्रों की स्थापना 12) निःशक्त व्यक्तियों के लिए सूक्ष्म उद्यम इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना, 13) राष्ट्रीय विपणन प्रयास ट्रस्ट (एआरयूएनआईएम) के तहत पुनर्वास हेतु सहयोग प्रदान करना ताकि विपणन गतिविधियों समर्थन दिया जाए और 14) निःशक्तता संबंधी प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्रों पर अनुसंधान। समग्र रूप से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय निःशक्त वित्त विकास निगम को कौशल विकास प्रशिक्षण आदि के लिए शिक्षा/स्व रोजगार तथा अनुदान के लिए ऋण पर सब्सिडी देने हेतु अधिक समर्थन की आवश्यकता है। पुनः एएलआईएमसीओ को पुनः संरचित करने तथा आधुनिक बनाने की जरूरत है ताकि अनेक लागत प्रभावी सहायक उपकरण और सहायक युक्तियों का उत्पादन किया जा सके। निजी क्षेत्र में निःशक्त व्यक्ति व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन की योजना में निजी क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार और अवधारण को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त बदलाव करने की जरूरत है।

24.221. विकलांगता संबंधी मौजूदा विधियों जैसे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम,

1995, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 तथा विकलांगता के मुद्दे या उसके निराकरण से संबंधित अन्य कानूनों जैसे बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, ऐग्रेन्टिसशिप अधिनियम, 1961, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की पुनरीक्षा करने और इन्हें यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस ऑन रिहबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी (यूएनसीआरपीडी) के उपबंधों के अनुकूल बनाने के लिए उन्हें प्रतिस्थापित करने/उनकी समीक्षा करने की जरूरत है।

24.222. विकलांगता संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मौजूदा कार्मिक सामान्यतः संख्या एवं व्यावसायिक क्षमता दोनों रूपों में कमजोर हैं। सुपुर्दगी प्रणाली सुदृढ़ न होने तक विकलांगता संबंधी कार्यक्रमों के प्रेषण में भी सुधार होने की संभावना नहीं है। इसलिए पीडब्ल्यूडी के पुनर्वास, विकास और सशक्तीकरण का कार्य देखने वाले कर्मचारियों को गुणवत्तात्मक एवं परिमाणात्मक रूप से सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

24.223. कार्यक्रमों का सघन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन करने के लिए एक आसान पहुंच अपनाए जाने की जरूरत है जिससे कि प्रत्याशित परिणाम समर्पित कार्यान्वयन तंत्र एवं प्रबंधन रूपरेखा संसाधनों की स्वायत्तता एवं विश्वसनीयता युक्त पर्याप्त आबंटन, सघन निगरानी तथा नियमित मूल्यांकन सभी संबंधित संगठनों, एजेंसियों, भागीदारों, पणधारियों और समुदाय को एक साथ लाने, जागरूकता सृजन, मीडिया, तकनीकी निविष्टियों का व्यापक उपयोग आदि सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए विकलांग सशक्तीकरण राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मिशनों में एसएसए, एनआरएचएम, जेएनएनयूआरएम आदि की तर्ज पर एक पूर्णकालिक मिशन निदेशक, सहायक स्टाफ दिए जाने की जरूरत है।

24.224. परिकल्पित मिशनों के अंतर्गत सभी स्कीमें और कार्यक्रम पंचायतों, नगरपालिकाओं, अन्य शहरी स्थानीय निकायों के एनजीओ और समुदाय साथ सघन भागीदारी तथा पीडब्ल्यूडी को सक्रियता से शामिल करते हुए कार्यान्वित करने की जरूरत है।

24.225. राज्य मिशन राज्य सरकार तथा राज्य निदेशालय के साथ मिलकर कार्य करेंगे। राज्य में राज्य सरकार तथा निदेशालय दूसरी ओर, विकलांग अधिकारिता राष्ट्रीय मिशन (एसएमईपीडब्ल्यू)

पीडब्ल्यूडी के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं स्कीमों का एकीकृत एवं सु-समन्वित तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

24.226. विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण द्वारा, खास तौर पर उन्हें आत्मनिर्भर, स्वतंत्र एवं सरकारात्मक कार्य निष्पादक बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनका केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों दोनों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान कराई जा रही सेवाओं के प्रति उनकी समान एवं साधिकार पहुंच एवं हकदारी हो। इस संबंध में जो सम्भव है, उसकी एक विस्तृत सूची बॉक्स 24.5 में दी गई है। कृपया बॉक्स 24.5 देखें।

वरिष्ठ नागरिक

24.227. जीवन अपेक्षा बढ़ने और वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में लगातार वृद्धि से पिछले वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में सामान्य सुधार हुआ है। 80 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन दशकों में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात लगातार बढ़ता रहा है अर्थात् 1981 में 12.0, 1991 में 12.2 और 2001 में 13.1 रहा। वृद्ध व्यक्तियों (80+) की जरूरतें 60 वर्ष और अधिक आयु समूह के वरिष्ठ नागरिकों से अधिक होती है। वरिष्ठ नागरिकों की इस श्रेणी पर लगातार ध्यान देने की जरूरत होगी। इसे वरिष्ठ नागरिकों की नई नीति में संबोधित किया जाएगा जो तैयार की जा रही है।

24.228. माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण और कल्याण अधिनियम 2007 को दिसम्बर 2007 में यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के आवश्यकता आधारित अनुरक्षण और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। 25 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल ने इस अधिनियम को अधिसूचित किया है और सभी सात संघ राज्य क्षेत्रों ने भी इस अधिनियम को अधिसूचित किया है। शेष राज्यों में अधिनियम के तहत आवश्यक अनिवार्य कदम उठाए जाने हैं, जैसे नियमों की अधिसूचना, अनुरक्षण अधिकारी, अनुरक्षण ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल में मामले को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए।

24.229. वृद्ध जन के लिए समेकित कार्यक्रम (आईपीओपी) की योजना 1992 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत परियोजना

लागत की 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता वृद्धावस्था गृहों, दिवस देखभाल केन्द्रों और मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयों को चलाने और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दी जाती है। इस योजना में 1 अप्रैल 2008 से संशोधन किया गया है। मौजूदा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि के अलावा सरकारी/पंचायती राज संस्थाना/स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता पाने के लिए पात्र बनाया गया है। ग्यारहवीं योजना में 128.00 करोड़ रु. का परिव्यय दिया गया था और 74.23 करोड़ रु. की राशि के व्यय से 1.50 लाख लाभार्थियों को लाभ दिया गया। आईपीओपी की योजना के तहत तीन क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी) कार्यरत हैं।

बारहवीं योजना के लिए कार्यनीति

24.230. बारहवीं योजना में समाज के इन सुभेद्य वर्गों की उम्मीदें पूरी करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को व्यापक समन्वित प्रणालियों में समेकित, विस्तारित और सुदृढ़ बनाने पर प्रमुख फोकस किया जाएगा। बारहवीं योजना का मार्ग और क्षेत्रवार कार्यनीति अगले पैराग्राफों में संक्षेप में दी गई है।

24.231. एक सामान्य तथ्य यह है कि बुजुर्ग लोग अपने घरों तथा आसपास के माहौल अलग होना नहीं चाहते और वे अपने घरों में ही रहना चाहते हैं। परन्तु पीढ़ियों के बीच अंतर बढ़ने से, अधिकांश बुजुर्ग अकेला महसूस करते हैं तथा उन्हें ऐसे बुजुर्ग एसोसिएशनों

बॉक्स 24.5

विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। ऐसी ही कार्रवाई राज्यों द्वारा की जा सकती है। संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय-सूचना, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं तथा आपातकालीन सेवाओं सहित अन्य सेवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों की पहुंच बनाई जाए तथा विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल हो।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय - इस मंत्रालय को यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों तथा हवाई यात्रा संबंधी अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विकलांग व्यक्तियों की हवाई यात्रा के सुरक्षित एवं अविभेदकारी मानक निर्धारित करने चाहिए। विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षित एवं अविभेदकारी हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों एवं सामग्री का अधिप्रापण करने के मानदंड भी बनाए जाने चाहिए। रेल कम्पार्टमेंट्स, बसें और एयरक्राफ्ट ऐसे हों जिनमें इन व्यक्तियों की आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। रेल कम्पार्टमेंट्स, जहाजों, हवाई जहाजों और प्रतीक्षा कक्षों में शौचालय ऐसे बनाए जाएं जहां उनका सुविधापूर्वक प्रयोग करने के लिए व्हील चेयर की सुविधा हो।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - विकलांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों में शामिल है पहुंच योग्य अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रावधान, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं संवेदनशील मानव संसाधन, समर्थनीय एवं न्यायोचित स्वास्थ्य बीमा, तथा समुदाय देखभाल केन्द्रों की स्थापना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय - अन्य वर्गों के अनुसार ही, विकलांग व्यक्तियों के लिए भी जीवन प्रत्याशा संवर्धन हेतु शिक्षा अनिवार्य है। इसके अतिरिक्ति, विकलांग बच्चों का शिक्षा के जरिए समाज से मेल-मिलाप करना, भारत जैसे राष्ट्र में जहां विकलांग व्यक्तियों का समाज से अपवर्जन कर दिया जाता है, इसकी अति महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित सभी सरकारी विद्यालयों में भेदभाव रहित माहौल हो। सभी स्कूल सुविधाओं जैसे प्रसाधन, पेयजल कक्षाकक्ष, फर्नीचर एवं जुड़नार, पुस्तकालय, छात्रावास (छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए) कैंटीन, खेल कूद का मैदान, प्रयोगशाला, रसोईघर, ऑडिटोरियम, पाठ्यक्रम बाह्य क्रियाकलापों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - विकलांग व्यक्तियों की दक्षता विकास पहल स्कीम के अंतर्गत उनको प्रशिक्षित करने तथा मॉड्यूलर रोजगार योग्य दक्षता विकास करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंत्रालय को एक पहुंच योग्य राष्ट्रीय पोर्टल बनाना चाहिए जहां विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण करने और नौकरी तलाश करने की अनुमति हो।

रेल मंत्रालय - सभी बहुस्तरीय एवं बहुप्लेटफार्म रेलवे स्टेशनों पर तथा प्रत्येक मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन के हर क्लास में उनके लिए एक कोच लगाया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय - गरीबी उपशमन एवं आजीविका कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए नई पहल, ग्रामीण आवास-भारत निर्माण इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं उससे जुड़े अन्य कार्यक्रम।

महिला और बाल विकास मंत्रालय - के मानदंडों में संशोधन करें जिससे कि अत्यधिक सुभेद्य लाभग्राहियों जैसे अ.जा., अ.ज.जा., महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं, बेसहारा महिलाओं, विकलांग तथा एचआईवी धनात्मक महिलाओं को अन्य की तुलना में प्राथमिकता दी जा सके।

की जरूरत होती है जो उनके जीवन को खुशहाल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हो। इन बुजुर्गों के लिए डे-केयर सेंटर उनकी भौतिक, भावनात्मक एवं सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें सार्थक जीवन जीने में सहयोग देते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि बुजुर्गों के लिए बने डे केयर सेंटर्स और मनोरंजन केन्द्रों पर बुजुर्गों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (ओपीओपी) स्कीम के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आईपीओपी की योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित करने की जरूरत है ताकि सभी सुविधाएं वृद्धजनों को प्रदान की जा सकें, उदाहरण के लिए दिवस देखभाल/मनोरंजन केन्द्र आदि।

24.232. आईओपीपी से वित्तीय सहायता प्राप्त वृद्धावस्था गृहों के कर्मचारियों की क्वालिटी सेवा सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदायकों की बढ़ती मांग के कारण प्रशिक्षण क्रियाकलापों में कई गुना वृद्धि हो गयी है। आईपीओपी से वित्तीय सहायता प्राप्त पुनर्वास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आईपीओपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त आरआरटीसी को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के कदम उठाए जाने चाहिए कि बारहवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कम से कम एक आरआरटीसी स्थापित किया जाता है।

24.233. वरिष्ठ नागरिकों पर एक नई राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए बारहवीं योजना के दौरान तैयार और कार्यान्वित की जाएगी:

1. सभी वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से वृद्धि महिलाओं को मुख्य धारा में लाना और उनके सरोकारों को राष्ट्रीय विकास की बहस में शामिल करना।
2. 'वृद्धावस्था की सुरक्षा' या अपने घर में वृद्धावस्था की संकल्पना को बढ़ावा देना।
3. इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल परिवार में की जाए, जिसमें समुदाय, सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी हो। संस्थागत देखभाल अंतिम आश्रय होना चाहिए।
4. योजनाओं को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि इनमें आवास, आय सुरक्षा, घरेलू देखभाल सेवाएं, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, बीमा योजनाएं और अन्य कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था में प्रतिष्ठा की संकल्पना की सुविधा देने और स्थायी बनाने की सेवाएं शामिल हों। इस नीति में उपचार के स्थान पर निवारण पर बल दिया जाएगा।

5. हमारी आबादी में उम्र बढ़ाने पर ध्यान देते हुए वृद्ध से अधिक वृद्ध (80 + वर्ष) के सभी पक्षों पर ध्यान देने की जरूरत है, जो हैं सामाजिक, वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल और आवास की आवश्यकता।
6. चूंकि भारत मेडिड कार्य योजना और बाधा मुक्त रूपरेखा का हस्ताक्षरी है, अतः नीति का लक्ष्य समावेशी, बाधामुक्त और आयु अनुकूल समाज की दिशा में कार्य करना।
7. यह पहचानना की वरिष्ठ नागरिक देश के मूल्यवान संसाधन हैं और इनसे ऐसा परिवेश बनाया जाए जो उन्हें समान अवसर देकर उनके अधिकारों की रक्षा करे और समाज में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता में सक्षम बनाए।
8. दीर्घ अवधि की बचत के साधन और क्रेडिट की सुविधाएं ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में दी जाएंगी।
9. सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार में आय उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
10. वे संगठन जो परामर्श, कैरियर मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण सेवाएं देते हैं, उन्हें समर्थन और सहायता दी जाएगी।
11. माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का अनुरक्षण और कल्याण अधिनियम, 2007 का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जाएगा और ऐसे वृद्ध माता पिता के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे जो अपना रखरखाव करने में सक्षम नहीं हैं, ताकि वे निराश्रित और उपेक्षित न हों।
12. राज्यों द्वारा देश के प्रत्येक जिले में वरिष्ठ बेसहारा नागरिकों के लिए रहने की सुविधाओं में सहायता दी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट समर्थन दिया जाएगा।

24.234. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नोडल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान का उद्देश्य भारत सरकार के सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाना तथा उन्हें तकनीकी इनपुट प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित मानव शक्ति को प्रशिक्षित एवं विकसित करना। एनआईएसडी को देश के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए आवश्यक मानव संसाधन के प्रशिक्षण में आगे बढ़ाने हेतु बारहवीं योजना अवधि के दौरान सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

24.235. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का अधिनियमन माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत के आधार पर देखभाल एवं उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अब तक 25 राज्यों एवं सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया है। तथापि, यह देखा गया कि राज्य सरकार के अधिकारी परिणामी कदमों को उठाने/कार्यों के

प्रति के लिए पूर्णतया जागरूकता नहीं है। इसलिए बारहवीं योजना में इस अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के प्रति जनता की जागरूकता सृजित करने के लिए आक्रमक मीडिया प्रचार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान में पंचायती राज संस्थानों/नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को भी शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों, एनजीओ, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशनों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित कराई जाएं कि इस अधिनियम के विभिन्न उपलब्ध प्रावधान स्पष्टतः समझ में आ गए हैं और उनका कार्यान्वयन उत्साह के साथ प्रभावकारी रूप से किया जाए।

24.236. संक्षेप में, वरिष्ठ नागरिकों, खासकर गरीब वरिष्ठ नागरिकों का, उनका समाज में वैध स्थान सुनिश्चित करके और उनकी वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, विकास में समान भागीदारी, बदजुबानी और शोषण के विरुद्ध संरक्षण तथा अन्य जरूरतों के लिए सहायता देकर उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रयास करने की जरूरत है: (1) वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता आधार पर निराकरण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके लिए प्रदान कराई जा रही सेवाओं और सुविधाओं की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना, (2) गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश के 640 जिलों में विभिन्न क्षमता के (25, 60 और 120) एकीकृत बहु सुविधा युक्त वृद्धावस्था गृहों की स्थापना राज्य सरकारों के सहयोग से करना (3) बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन्स और जिला स्तरीय हेल्पलाइन्स स्थापित करना (4) वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण के लिए जिला स्तर पर ब्यूरो स्थापित करना; (5) बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थापित करना; (6) वरिष्ठ नागरिकों को "स्मार्ट" पहचान पत्र जारी करना (7) वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा।

खानाबदोश, अर्द्ध खानाबदोश और अनधिसूचित जनजातियाँ (डीएनटीएस)

24.237. खानाबदोश, अर्द्ध-खानाबदोश और अधिसूचित जनजातियों में लगभग 200 समुदाय आते हैं जिन्हें औपनिवेशिक सरकार ने कुख्यात "आपराधिक जनजाति अधिनियम (सीटीए) 1871² के अंतर्गत 'अपराधी जनजातियों के रूप में अभिज्ञात किया था। सीटीए 1871 को आजादी के पश्चात रद्द कर दिया गया था और सीटीए 1871 के अंतर्गत अभिज्ञात समुदायों को तत्पश्चात अनधिसूचित, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों (डीएनटी) के रूप में उल्लिखित

किया गया। डीएनटी के संबंध में प्राधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और उनके लिए कोई जनगणना परिगणन नहीं किया गया। हालांकि वे लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं और कुछ बड़े राज्यों में वे अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। कुछ अन्य राज्यों में अ.जा. एवं ज.ज.जा वर्ग में आते हैं। कुछ अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ. पि. व. श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। उपर्युक्त तीन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली ये घुमन्तू जातियाँ अक्सर इनके लिए उपलब्ध लाभ हासिल नहीं कर पाती हैं क्योंकि या तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है या आरक्षित श्रेणियों में गैर-खानाबदोश/ गैर अनधिसूचित समुदायों द्वारा इस कोटे का उपयोग कर लिया जाता है। कई राज्यों ने अनधिसूचित या खानाबदोश समुदायों की सूची तैयार नहीं की है और इसलिए उनकी स्थिति अभी ज्ञात नहीं है।

24.238. इन डीएनटी को विकासात्मक सहायता पहुंचाने का त्वरित एवं सर्वाधिक एवं प्रभावकारी तरीका है, इन समुदायों को वही विशेष और संगत सहायता एवं सुविधाएं प्रदान कराई जाएं जो अ.जा., अ.ज.जा और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध हैं। छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं तक इनकी पहुंच को प्राथिकता देने की जरूरत है। डी.एन.टी. के आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिए दक्षता विकास हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ऋण, विपणन को प्राथमिकता देने की जरूरत है। डीएनटी की सामाजिक अधिकारिता के लिए समर्थकारी माहौल बनाने की जरूरत है ताकि वे शिक्षा रोजगार में आरक्षण के लाभ का उपयोग कर सकें। डीएनटी का विभिन्न सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से कोई स्थायी आवास नहीं होता है जो सरकार की विभिन्न स्कीमों से प्रोद्भूत लाभ प्राप्त करने के लिए एक अवरोध की तरह काम करता है। इस उद्देश्य के लिए, डीएनटी हेतु एक प्रभावी पुनर्वास अधिगम तथा उनकी जरूरतों के लिए समान रूप से प्रभावी योजना को अंगीकार करने और उनके लिए वासभूमि/ग्रामों की स्थापना विशेष रूप से कार्यान्वित करने की जरूरत है। बारहवीं योजना अवधि में इस पर बल दिया जाएगा।

24.239. मौजूदा विधानों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959, दि बान्हे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1986 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा उत्पाद कर विधि आदि का डीएनटी

की आजीविका एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षा करने की जरूरत है।

आर्थिक अधिकारिता

24.240. डीएनटी के अधिवास का शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आयोजित किए जाने की जरूरत है। यह बेघर डीएनटी के लिए उपयुक्त आशय कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, अन्य बातों के साथ, आधार बन सकता है। पात्र डीएनटी घरों को निःशुल्क या इमदादीकृत आवास चरणबद्ध ढंग से विशेष उपाय अपना कर प्रदान किया जा सकता है जैसे राजस्थान की गड़रिया लोहार समुदाय आवास स्कीम। डीएनटी के मध्य बेघरपन की उच्च घटनाओं के मद्देनजर इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लिए चालू परिव्यय का एक भाग डीएनटी के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। डीएनटी के अंतर्गत खानाबदोश समुदायों को, केन्द्रीय सरकार की चल रही आवास योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता देकर रिहायश स्थल बनाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत है। अतः यह सुझाया गया है कि उन्हें भूमि प्रदान करने के लिए, घरों के निर्माण और मूल संरचना सृजन आदि के लिए डीएनटी की सहायता हेतु क्लस्टर विकास कोष का सृजन किया जाए जो उनके लिए उचित समूहों का विकास कर सकें।

24.241. केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की दक्षता विकास पहलों को प्राथमिकता देने की जरूरत है जिससे उनमें डीएनटी के बेरोजगार युवकों को उन्हें रोजगार योग्य दक्षता प्रदान कराने की दृष्टि से शामिल किया जा सके। बंजारों, अर्ध बंजारों और डीएनटी के पुनर्वास के लिए और उनके क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं सहित अवसरना की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त कार्य योजना बनाई जाए। इस प्रयोजन के लिए निधि की आवश्यकता को प्रस्तावित क्लस्टर विकास निधि से पूरा किया जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत वित्त और विकास निगम को डीएनटी के कौशल विकास को संबोधित करने का कार्य सौंपा जाएगा।

24.242. बंजारा तथा गैर-अधिसूचित जनजातियों की मौजूदा बस्तियों में सड़क, स्कूल, बिजली, पेयजल, समुदाय केन्द्र आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक एकीकृत अवसंरचना विकास कार्यक्रम विशेष रूप से बनाए जाने की आवश्यकता है।

मादक द्रव्यों के उपयोग और एल्कोहल से पीड़ित व्यक्ति

24.243. एल्कोहल तथा अन्य मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं और वे समाज के सामने एक संभावित

चुनौती पैदा कर रही हैं। मादक द्रव्यों की लत शरीर और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालने के साथ-साथ सामाजिक समस्याएं भी पैदा करती हैं, जैसे ड्रग्स/एल्कोहल की लत से उत्पन्न होने वाले अपराध। मादक द्रव्य की लत व्यसनी और उसके परिवार के लिए वित्तीय और मनोवैज्ञानिक समस्याएं सृजित करती हैं। यह लत व्यक्तिगत व्यवहार के दायरे से बाहर ले जाती है तथा समुदाय में, चाहे परिवार हो या बड़ा समाज, केन्द्रित हो जाती है। इसलिए इसको दूर करने के लिए तुरंत व्यापक उपाय करने की जरूरत है और इन उपायों को समाभिरूपी तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय अर्थात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन सुभेद्य वर्गों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का निराकरण कर रहे हैं। इस संबंध में बेहतर समन्वय एवं संकेंद्रण की आवश्यकता है। मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे सभी मौजूदा व्यवस्थित एवं गैर व्यवस्थित निराकरणों को एक मिशन मोड कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत करने की जरूरत है।

24.244. देश में मादक पदार्थों के उपयोग, उनकी प्रणाली और सीमा का उचित आकलन करने और सुभेद्य वर्गों एवं क्षेत्रों की पहचान करने की जरूरत है। इन मादक पदार्थों की मांग एवं आपूर्ति दोनों को कम करने तथा उनका निवारणात्मक उपचार तक सबकी पहुंच तथा एल्कोहल एवं मादक पदार्थों के उपयोग से पीड़ितों का पुनर्वास करने की जरूरत है।

24.245. अन्य बातों के साथ-साथ, मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने, उनकी पहचान करने और उनका उपचार करने के लिए केन्द्रों की स्थापना की गई थी। अधिनियम की धारा 71 के तहत (सरकार द्वारा नार्कोटिक ड्रग्स एवं मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का अधिनियमन किया गया था) बताया गया है:

सरकार द्वारा स्व निर्णय के आधार पर ऐसे अनेक केन्द्रों को स्थापित किया जा सकता है जिन्हें इन शर्तों के अधीन और इस प्रकार को वह इनकी पहचान, उपचार, शिक्षा, बाद की देखभाल, पुनर्वास, आदी व्यक्तियों के सामाजिक पुनः समेकन और आपूर्ति के लिए उपयुक्त पाए, जिन्हें संबंधित सरकार के जरिए किसी नार्कोटिक दवा और मनो प्रभावी पदार्थों के रूप में निर्दिष्ट किया जाए जो सरकार के पास पंजीकृत आदि व्यक्ति हैं और ऐसे अन्य व्यक्ति जहां यह आपूर्ति एक चिकित्सा अनिवार्यता है।

24.246. तदनुसार और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अल्कोहलिज्म एवं औषध (ड्रग्स) उपयोग निवारण स्कीम के अंतर्गत व्यसनियों के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए) और स्वयं सेवी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले सामाजिक रक्षा सेवाएं स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है।

24.247. भारत संयुक्त राष्ट्र के तीन अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता है अर्थात् (1) नार्कोटिक ड्रग्स अभिसमय, 1961 (2) मनोप्रभावी पदार्थ अभिसमय, 1971 और (3) नार्कोटिक ड्रग्स एवं मनोप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ अभिसमय 1988 इस प्रकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता है। इनकी मांग को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों में शिक्षा, उपचार, पुनर्वास और मादक पदार्थों के व्यसनियों को सामाजिक एकरूपता प्रदान करना शामिल है।

भिखारी

24.248. देश में भिखारियों की संख्या के संबंध में कोई निश्चित एवं प्राधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। 2001 की जनगणना के अप्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में 7.03 लाख भिखारी और आवारा लोग हैं जिनमें से 6.31 लाख काम न करने वाले वर्ग में आते हैं। कुछ राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों/संघ राज्य की तुलना में उनकी कुल आबादी में भिखारियों का अनुपात ज्यादा है।

24.249. ये राज्य आवश्यक निवारणात्मक और पुनर्वास कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं। भिक्षावृत्ति का निवारण करने और भिखारियों का पुनर्वास करने के लिए न तो कोई विशिष्ट केन्द्रीय अधिनियम है और न ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोई स्पष्ट नीति। तथापि भिक्षावृत्ति रोकने के लिए कुछ विधानों में अल्प प्रावधान हैं। इनमें शामिल हैं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), किशोर वय न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 और भारतीय रेल अधिनियम, 1989।

24.250. राज्य आवश्यक निवारणात्मक और पुनर्वास कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं। भिक्षावृत्ति का निवारण करने और भिखारियों का पुनर्वास करने के लिए न तो कोई विशिष्ट केन्द्रीय अधिनियम है और न ही कोई राष्ट्रीय नीति। इसलिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की

तत्काल की आवश्यकता है ताकि भिक्षावृत्ति की समस्या से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले अधिगम में एकरूपता हो। विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों से यह तथ्य सामने आया है कि भिक्षावृत्ति का मुख्य कारण गरीबी होती है। इन व्यक्तियों में ज्यादातर विभिन्न प्रकार की विकलांगता जैसे मानसिक रुग्णता आदि से पीड़ित होते हैं। इनमें से अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और उन्हें चिकित्सा/मनोवैज्ञानिक देखभाल की जरूरत होती है। इन व्यक्तियों को सहायता एवं समर्थन देने के उद्देश्य से अधिक मानवीय पहुंच अपनाने की जरूरत है। 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति विरोधी कानून बनाए हैं या अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए कानून को अपनाया है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जिन्होंने भिक्षावृत्ति विरोधी विधान अपनाया है, इसको कार्यान्वित करने की एकरूपता का अभाव है। उसके अतिरिक्त इन विधानों के उपबंध एक दूसरे से अलग हैं इसलिए भिक्षावृत्ति संबंधी एक मॉडल विधान केन्द्रीय स्तर पर लाने की जरूरत है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयुक्त रूप से अपनाया जा सके।

24.251. इस समय भिक्षावृत्ति के बारे में केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि बुजुर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ितों का कल्याण और विकास करने की योजनाएं हैं जिसमें भिखारियों की समस्या को भी शामिल किया गया है। इसलिए इस समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ढंग से निराकरण करना वांछनीय है।

24.252. भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम की नई स्कीमों/कार्यक्रमों के जरिए प्रत्येक हस्तक्षेप की जरूरत है जिसमें शामिल है आश्रय स्थल/रात्रिकालीन आश्रय स्थल सह कार्य स्थल केन्द्र, बहुदक्षता प्रशिक्षण, चलते फिरते स्वास्थ्य केन्द्र, परामर्श, जागरूकता सृजन, संवेदीकरण कार्यक्रम है। मानव संसाधन को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा प्रलेखन आदि पर बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त सुभेद्य वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा कार्यक्रमों का समाभिरूपण करने की जरूरत है।

योजना परिव्यय

24.253. बारहवीं योजना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अ. जा., अ. पि. व., डीएनटी, पीडब्ल्यूडी और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए ₹32684 करोड़ सकल बजटीय सहायता का

अंतरिम निर्धारण किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों का विकास तथा कल्याण करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को क्रमशः ₹7746 करोड़ तथा ₹17323 करोड़ का अंतरिम आबंटन किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को आबंटित राशि में टीएसपी से एससीए

के लिए और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता अनुदान को शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को राज्य क्षेत्र से योजनागत वित्तीय सहायता भी मिलती है।

नोट

1. वन अधिकार संबंधी राष्ट्रीय समिति अधिनियम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिसम्बर, 2010।
2. सीटीए 1871 के अंतर्गत इस समुदाय की छह श्रेणियों की पहचान की गई थी। इनमें शामिल है (1) जानवरों की पीठ पर लाद कर नमक, वन उत्पाद जैसी वस्तुएं गांव-गांव जाकर बेचने वाले छोटे व्यापारी (2) सार्वजनिक निष्पादन करके लोगों का मनोरंजन करने वाले जैसे रवैया, बजैया, नचैया,

नट, कंजर, कहानी वाले कठपुतली नचाने वाले और रस्सी पर चलने वाले (3) जानवरों का खेल दिखाकर मनोरंजन करने वाले (4) चरवाहे, शिकारी, लकड़ियां बीनने वाले झूम कृषि करने वाले दस्तकार (5) बांस लोहा और मिट्टी का काम करने वाले दस्तकार (6) खानाबदोश जो लोगों के दान पर निर्भर हैं, ज्योतिषी, झाड़फूंक करने वाले आदि।